

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

लोकप्रिय

लोकवित्त

डा० कृष्ण स्वरूप शास्त्री

M

दि मंकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
दिल्ली बंबई कलकत्ता भद्राम
नमस्न विश्व मे सहयोगी कंपनिया
④ डा० कृष्ण स्वरूप शर्मा
प्रयम यम्बरण ; 1975

भारत भरवार ने रियायती दर पर प्राप्त वाग्ज
इस पुस्तक मे इस्तेमाल किया गया है।

मूल्य : पुस्तकालय संस्करण : 35.00
छात्र संस्करण : 20.00

एम. बी. वसातो द्वारा दि मंकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
के लिए प्रकाशित तथा मदान प्रिटर्स, नई दिल्ली 110027 मे मुद्रित।

Dr. Krishna Swarup Sharma : LOKVITT

भूमिका

आज जीवन के प्रत्येक स्तर में चाहे वह आर्थिक हो अथवा गामाजिक, राज्य को गक्षिय हप से अपने उत्तरदायित्व निवाहने पड़ते हैं। प्रजातंत्र तथा समाजवादी विचारधारा के विकास के साथ-साथ सरकार का हस्तांतर भी यह रहा है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श विषय के प्रत्येक देश ने स्वीकार किया है। साथ ही विकास के कार्यों को मंपान करने के लिए वित्त की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। इन सब उद्देश्यों की लोकवित्त के निए लोकवित्त की नीतियों का आज अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। यह स्वाभाविक है कि देश के भावी नामिक तथा बुद्धिजीवी वर्ग इस विषय का गम्भीर अध्ययन करें।

प्रख्तुत रचना लोकवित्त की विषय साग्रही तथा रीतिनीति को समझने का प्रयास है। पुस्तक में लोकवित्त के गिरावटों के अतिरिक्त भारतीय लोकवित्त की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। विषय को विकासशील देशों की समस्याओं के अनुरूप बनाने के लिए विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों में हाल में कुछ परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए विकासवित्त को जुटाने के लिए समस्याओं की गतिमत्ता में रोजगार को बढ़ाने में, तथा सार्वजनिक सेवाओं के मूल्य-निपारण में लोकवित्त क्या भूमिका निभा सकता है? क्रियागत वित्त तथा करारोपण का अधिकतम सामाजिक कल्याण मिलात आदि कुछ ऐसी नुस्खे धारणाएँ हैं जिन पर कि आधुनिक लोकवित्त को आधारित किया जाने लगा है। इस पुस्तक में इन सभी विषयों को सम्मिलित करने के साथ-साथ उन्हें उचित एवं बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है।

इस उपक्रम में अनेक लेखकों का आभारी हूँ जिनके लेयों तथा छंतियों से मैंने भहायता ली है तथा प्रयोगित स्पष्ट वर्णन के लिए उदाहरण दिए हैं।

मुझे विश्वास है कि प्रख्तुत रचना विषय ने गतिरूप विद्याधियों तथा अप्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए समय-समय पर दिए गए गुम्बाबों का मैं गहरे स्वागत करूँगा।

अनुक्रम

लोकवित्त की प्रहृति, खेत एवं महत्व	1
लोकवित्त की परिभाषा, लोकवित्त की प्रहृति, लोकवित्त एक बला है, विषय-सामग्री तथा खेत, लोकवित्त का विभाजन, अन्य ज्ञानों से मवध, आधुनिक युग में लोकवित्त का महत्व, लोकवित्त तथा निजी वित्त में अंतर	
अधिकरण सामाजिक साम्र का सिद्धात	16
सामाजिक आय और व्यय का बटवारा, व्यावहारिक इठिनाइया, सामाजिक लाभ की कमोटिया थीमडी हिंकर का इलिकोण	
सोहवित्त की प्रदा : मूल्य-निर्धारण तथा वितरण में भूमिका	26
लोकवित्त तथा प्रदा, बजट नीति तथा प्रदा प्रभाव, मूल्य के निर्धारण में लोकवित्त की भूमिका, मूल्य, सीमात लागत, निजी सीमात उपयोगिता तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता में मवध, लोकवित्त की आय तथा धन के वितरण में भूमिका	
सासाधनों की पूर्ति की अर्थविकसित देशों में गतिशीलता	36
आदर्श दशाए आनुपातिक एवं प्रगतिशील करों का धर्म की पूर्ति पर प्रभाव, आयकर तथा उत्पादन शुल्क का धर्म की पूर्ति पर प्रभाव, राजकीय स्थानातरण तथा अन्य व्ययों का धर्म की पूर्ति पर प्रभाव, आयकर तथा व्ययकर वा बजट की पूर्ति पर प्रभाव, आयकर का तथा पूजीकर वा बचत की पूर्ति पर प्रभाव, अर्थविकसित देशों में स्रोतों को गतिमय बनाना, समाधन बजट	
सासाधनों का आवटन	46
अध्ययन की रूपरेखा, प्रत्यक्ष कर बनाम अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष वरों का साधन आवटन पर प्रभाव, अप्रत्यक्ष करों का साधन आवटन पर प्रभाव, व्यय वा सापेक्षिक प्रभाव, सार्वजनिक धोन्न में व्यय का वितरण	

लोकव्यय

57

लोकव्यय म वृद्धि के कारण, लोकव्यय की सीमाएं, लोकव्यय के परिनियम तथा सिद्धात, लोकव्यय के सिद्धात, लोकव्यय के प्रभाव, उत्पादन यर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, अन्य प्रभाव, व्यावसायिक चक्र की उद्बंगति अवस्था में व्याव शुरू व्यय, लोकव्यय तथा आर्थिक विकास व्यय की प्राप्तिवत्ता ए

सार्वजनिक आप

86

सार्वजनिक आप का वर्गीकरण, सार्वजनिक आप के स्रोत, प्रत्यक्ष व परोक्ष कर, एक बच्छी कर पढ़ति की विशेषताएं

कराधान के उद्देश्य तथा परिनियम

107

वित्तीय दृष्टिकोण, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण, विभागह विन, उत्प्रेरक कर, चरारोपण परिनियम, एडम लिय के चरारोपण के परिनियम, एक बच्छी कर पढ़ति की विशेषताएं

करारोपण मे न्याय की समस्या

120

वित्तीय सिद्धात, आप का सिद्धात, चराधान का नामधर्म सिद्धात, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण, समाज त्याका सिद्धात, समानुपातिक त्याग का सिद्धात, न्यूनतम त्याग का सिद्धात, बन्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, चरारोपण के अधिकृतम चल्याप वा सिद्धात

कर भार का तिद्धात

135

करापात का अर्थ, कर भार का महत्व, कर विवरण की मुख्य विशेषताएं, कर विवरण के वर्वचन में भेद, कर भार के प्राचीन सिद्धात, कर भार का आधुनिक सिद्धात, वस्तु की माग और पूर्ति की नोच तथा कर भार, पूर्ति की मूलिका व चरापात, पूर्ण प्रतियोगिता में कर विवरण, उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कर विवरण, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कर-विवरण, कर भार तथा विवरण के परपरागत विचारों की व्यालंगचन्ना, कर भार की अग्रहनिक विचारधारा, कर भार, व्यय भार।

करदेय क्षमता

168

करदेय क्षमता की परिसापाएं, निरपेक्ष तथा नापेक्षिक करदेय क्षमता, करदेय क्षमता, की निधारित करने वाले वस्त्र, भारत में करदेय क्षमता

कराधान के प्रभाव	177
भराधान के उत्पादन पर प्रभाव, आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव, कराधान के वितरण पर प्रभाव, वितरण बनाम उत्पादन, अविकसित देशों में करों का वितरण पर प्रभाव	
आय कर	190
आय की परिभाषा, आय कर तथा कर देय क्षमता, प्रत्यक्ष कर जाने समिति, समिति की मुद्र्य सिफारिशें, अतिकर तथा अधिकर, आय कर के गुण, आय कर के दोष	
कृषि आय कर	201
हृषि आय कर के पक्ष में तर्क, कृषि आय कर के विपक्ष में तर्क, राज समिति प्रतिवेदन, मूल्यांकन	
पूजी कर	210
पूजी कर का औचित्य, पूजी कर के रूप, बनावर्ती पूजी कर, उपहार कर, धन कर, विनियोग कर	
परिव्यय कर	231
उपभोग की वस्तुओं पर परिव्यय कर, उपति के साधनों पर परिव्यय कर, आयकर तथा परिव्यय कर की तुलना	
व्यय कर	239
प्रो० कोल्डर वा विचार, व्यय कर का अत्पविकसित देशों में महत्व, भारत के सदर्भ में व्यय कर का अध्ययन	
भारत में कराधान का ढाँचा	249
समाजवादी सिद्धात पर आधारित कराधान, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, भारतीय कर ढाँचे में दोष, सुसाद	
सार्वजनिक ऋण	258
सार्वजनिक तथा निजी ऋण की तुलना, सार्वजनिक ऋण का वर्णकरण, सखार द्वारा ऋण लेने के कारण, ऋण बनाम कर, उद्धार के लिए, सार्वजनिक ऋण के प्रभाव, ऋण शोधनकी विधियाँ, भारत में सार्वजनिक ऋण की स्थिति	
विकास वित्त	278
आर्थिक विकास के लिए वित्त	

युद्ध वित्त

वास्तविक माध्यन, वित्तीय माध्यन, युद्ध व्यय का बरों द्वारा पूरा करने के पक्ष में तर्क, युद्ध व्यय का बरों द्वारा पूरा करने के विपक्ष में तर्क, युद्ध वित्त व्यवस्था के प्रभाव, भारत में प्रतिरक्षा व्यय

संघीय वित्त 303

वित्त व्यवस्था का विभाजन, संघीय वायोलेट, मधीय वित्त के सिद्धात, राज्य सरकार द्वारा सध मरकार को अर्थित महायता

कॉड तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध 311

संघीय वित्त वा नेशनल वित्तास, नविदान में वित्तीय संबंध

वित्त आयोग 322

प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय वित्त आयोग, तृतीय वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, पांचवा वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग

वित्तीय प्रशासन 352

वित्तीय प्रशासन के सिद्धात, सध में वित्तीय प्रशासन, भारत में वित्तीय प्रक्रिया, धन विवेचक को पारित करने की प्रक्रिया

बजट तथा बजट नीति का योगदान 358

सतुर्नित बजट, बजट नीति के उद्देश्य, बजट नीति की व्यावहारिकज्ञा, बजट नीति की गोमाए

कॉडीय सरकार के बजट का विश्लेषण 364

1973-74 का बजट, प्रत्यक्ष वर, व्यय पक्ष, 1974-75 का बजट पूरक बजट, जुलाई 1974, 1975-76 का बजट

धाटे की वित्त व्यवस्था 378

धाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य, धाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग, धाटे की वित्त व्यवस्था की सीमाए, योजनाओं में धाटे की वित्त व्यवस्था, धाटे की वित्त व्यवस्था का देश की अर्धव्यवस्था पर प्रभाव

राजकोषीय नीति तथा आधिक गतिविधिया 390

राजकोषीय नीति का अर्थ, राजकोषीय नीति के उद्देश्य, राजकोषीय नीति के अग, राजकोषीय नीति तथा आर्थिक स्थिरता, स्पौति विरोधी राजकोषीय नीति, मदी काल में राजकोषीय नीति, अल्प-विनिति देश तथा राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति एव सूर्ज रोजगार, लोकवित्त का प्राचीन मत तथा पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक व्यय तथा पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक अध्ययन तथा पूर्ण रोज़-गार,

घटे की वित्त व्यवस्था तथा पूँजी रोजगार, राजकोषीय नीति की सीमाएं

आय तथा संपत्ति का मुनिवितरण

407

व्यक्तिगत आय के वितरण को निर्धारित बरत वाले सत्त्व, आय की असमानता में परिणाम तथा आयसंपत्ति में वितरण में सुधार के उपाय

स्थानीय संस्थाओं की वित्त व्यवस्था

स्थानीय संस्थाओं के आय के स्रोत, स्थानीय संस्थाओं के आय के व्यय, गैर कर स्रोत आय अनुदान स्थानीय संस्थाओं के व्यय, स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय समस्याएं, वित्तीय स्थिति में सुधार।

लोकवित्त की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व

लोकवित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो राज्यों के धाय, व्यय तथा उनके प्रशासन से मबदित है। इसका महत्व सरकार के कार्यों की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहा है। अब यह विषय इतना विस्तृत हो गया है कि इसका अध्ययन एक पृथक प्रियग के रूप में किया जाने लगा है।

लोकवित्त का अर्थ राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान तथा कला में है। इस विषय के प्रत्यंत राज्य द्वारा किए जाने वाने कार्यों का, जिनका मुद्रा से मबद्ध है अध्ययन किया जाता है। जनता की मताई के लिए जितने भी सावंजनिक कार्य किए जाते हैं वे लोकप्राधिकरण (public authorities) के द्वारा सम्पन्न होते हैं। मौक-प्राधिकरण राजनीतिशास्त्र का विषय है। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जिम वित्त की धावशक्ता होती है वह अर्थशास्त्र का विषय है। इस प्रकार लोकवित्त द्वा अध्ययन राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का मिलान करता है। यह लोकप्राधिकरण धाय तथा व्यय शौर उनके प्राप्ति समायोजन का अध्ययन करता है। लोकप्राधिकरण के प्रत्यंत केंद्रीय सरकार, प्रातीप सरकार, नगरपालिकाएं तथा सावंजनिक निगम समिलित होते हैं।

लोकवित्त की परिभाषा

विभिन्न लोकवित्त शास्त्रियों ने लोकवित्त की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन निम्नलिखित बगों में किया जा सकता है।

(1) अत्यधिक विस्तृत परिभाषा

इस बांग के अत्यंत जिन लेखकों की परिभाषाएं सम्मिलित वी गई हैं उन्होंने लोकवित्त को बहुत ही व्यापक रूप में लिया है। डाल्टन, बैस्टेबल तथा किंड्रे निराकारी परिभाषाएं बहुत बुद्ध ऐसी ही विशेषताएं रखती हैं।

'लोकवित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र में मध्य की सीमा पर स्थित है। इसका सदृश लोकप्राधिकरण के धाय-व्यय तथा उनके पारस्परिक

समायोजन से है।^१

'दॉल्टन'

‘लोकवित्त राज्य की सोकसत्ताओं के आय और व्यय, उनके पारम्परिक मपके तथा वित्तीय प्रशासन से सबूद रखता है।^२

बैंस्टेबल

‘लोकवित्त वह विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि सोकप्राधिकरण किम प्रकार अपनी आय प्राप्त करती है और किस प्रकार उसका व्यय करती है।^३

फिल्डसे शिराज

इस वर्ग में सम्मिलित परिभाषाएँ इसलिए अधिक विस्तृत वही जाती है क्योंकि लोकवित्त के विषय के अतिरिक्त लोकप्राधिकरण को शामिल कर निया गया है। साथ ही इन संस्थाओं की सभी प्रकार दो आय—मोट्रिंक अथवा अमोट्रिंक—सम्मिलित कर ली गई हैं। इन परिभाषाओं की आलोचना दो आधारों पर वी जाती है।

(क) इस वर्ग की परिभाषाओं में अनेक लोकप्राधिकरण सम्मिलित हो जाती हैं जिनपा लोकवित्त में दोई सबूद नहीं है। उदाहरणार्थ, लोक चिकित्सालय, शिक्षा संस्थाएँ इत्यादि। यदि इन सभी संस्थाओं के आय और व्यय का अध्ययन विद्या जाए तो लोकवित्त के अध्ययन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो जाएगा।

(ख) उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त हमको लोकप्राधिकरण के सभी इकार के आय और व्यय को सम्मिलित करना होगा जो उचित नहीं बहा जा सकता। यदि हम ऐसा करते हैं तो लोकवित्त एक अनिश्चित विज्ञान हो जाता है। इसलिए लोकवित्त के क्षेत्र को सीमित करना आवश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है जब इस विषय में अधीन हम केवल मोट्रिंक तथा साक्ष-भवयों साथनों का ही अध्ययन करें।

(2) विस्तृत परिभाषाएँ

इस श्रेणी की जो परिभाषाएँ हैं उनमें लेखकों ने आय तथा व्यय के पहलू पर प्रकाश हाला है। इस वर्ग में हम निम्नलिखित परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं

‘लोकवित्त वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों के उचित कायों को पूरा बरने के लिए आवश्यक हैं, और प्रयोग करने से, जो राज्य के उचित कायों को पूरा बरने के लिए आवश्यक हैं, मध्यित है।^४

कार्तं प्तंहन

‘लोकवित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा और वितरण से सबूदित है जो राजकीय अथवा प्रशासन-संबंधी कायों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं।^५

‘सुदृष्ट’

‘लोकवित्त वे अध्ययन में उन रीतियों तथा प्रणालियों की व्याख्या की जाती है जिनके भनुसार जास्त संस्थाएँ जनसाधारण के हितार्थ घन-राशि एवं उनके रामुद्दिक

1. Dalton ‘Principles of Public Finance’ (1949), Routledge & Kegan Paul Ltd., Lond., p 7

2. C F Bestable ‘Public Finance’, p 1

3. Findlay Shirras ‘The Science of Public Finance’, p 1

4. Carl Plehn ‘Introduction to Public Finance’ p 1

5. H. L. Lutz ‘Public Finance’, p 7

प्रावश्यकताओं की सहुष्टि करती है।¹

श्रीमती डरसला हिंदू

इस वर्ग की परिभाषाएं पहले की प्रेक्षा सकीं हैं क्योंकि लोकवित्त का प्रध्ययन केवल आय तथा व्यय तक ही सीमित कर दिया गया है। इन परिभाषाओं में निम्नालिखित दोष माने गए हैं-

(क) इन परिभाषाओं में आय तथा व्यय का अर्थ निश्चित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिभाषाओं में मौद्रिक तथा अमौद्रिक आय और व्यय सम्मिलित किए गए हैं। अमौद्रिक आय तथा अमौद्रिक व्यय के सम्मिलित होने के बारण यह विषय बहुत प्राचीन तथा जाता है। जब हमारे पास मुद्रा का मापदण्ड उपलब्ध है तो लोकवित्त का अध्ययन मौद्रिक आय-व्यय तक ही सीमित रहना चाहिए।

(ख) ये परिभाषाएं लोकवित्त की मुहूर्त विशेषताएँ बताने में असमर्थ हैं।

(ग) इन परिभाषाओं ने लोकवित्त के क्षेत्र को आय-व्यय तक अध्ययन करके सीमित कर दिया है। आधुनिक युग में विषय लोकवित्त का छूट और प्रशासन के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना तथा राजस्व क्रियाओं की देश और समाज पर प्रतिक्रिया का अध्ययन किए बिना एक 'विज्ञान' का वद पाने का अधिकारी नहीं कहा जा सकता।

(3) सकीं परिभाषाएं

इस वर्ग में उन वित्त शास्त्रियों की परिभाषाएँ ली गई हैं जिन्होंने लोकवित्त के विषय को भूत्यत सकीं रूप में लिया है। प्र०० जे० के० मेहता की परिभाषा इस समूह के वर्ग का ठीक प्रतिनिधित्व करती है। इस वर्ग के लोगों ने लोकवित्त के प्रत्यंत राज्य की मौद्रिक आय तथा मौद्रिक व्यय का ही अध्ययन किया है।

प्र०० मेहता तथा प्रगवाल लिखते हैं कि 'लोकवित्त राज्य के मौद्रिक तथा साधारणी साधनों का अध्ययन है।'² इस परिभाषा में लोकवित्त के अर्थ को बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिया गया है। प्र०० मेहता का मत है कि लोकवित्त ऐसे केवल सार्वजनिक मौद्रिक आय तथा व्यय का अध्ययन होता है। आधुनिक प्रशंसास्त्री प्र०० मेहता की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि तंदातिक दृष्टि से मौद्रिक तथा अमौद्रिक आय और व्यय में भेद करना कठिन है। परतु व्यवहार में वित्त का अर्थ केवल मुद्रा से ही होता है इसलिए लोकवित्त में केवल द्वाविक साधनों को ही सम्मिलित करना उचित माना गया है।

प्रतिद्वं लोकवित्त शास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन्होंने ये परिभाषाएं लोकवित्त की केवल उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दी हैं जिनसे कि वे उस समय प्रभावित थे। परतु यून अध्ययन के लिए एक ऐसी परिभाषा देना आवश्यक है जो हमें इस विषय का प्रारंभिक

1 Mrs Ursula Hicks 'A Study in Public Finance', p 6

2 Mehta and Agrawal 'Public Finance' (1959), Kirtab Mahal Allahabad, p 4

दोषवराने में सहायता हो। इन हम सोवित्त को परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं—‘यह वह विज्ञान है जो मार्क्सिज्म आद्यव्य, अप नदा विजीय शासन के भूल चिह्नों वा और राज्य की तत्त्ववधी क्रियाओं का समाज और आर्थिक व्यवस्था पर होने वाली प्रतिविधाओं का प्रब्लेम बनाता है।

नेटफोर्ड ने लोकवित्त पर हात ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक में पूर्वजों की परिभाषाओं को दूर बरन हृदय इन विषय की परिभाषा दी है जो उरल तथा दोपरहित प्रतीत होती है। उनके शब्दों में ‘लोकवित्त के अद्यशान्त्र में हम विद्युप न्यूने नामूद्दित आवश्यकताओं वी सुनुष्टि से सबैभिन्न हैं। हम उन आर्थिक समन्वयों का प्रब्लेम बरते हैं जो राज्य अदाया तार्किवित्त सेवा में उठती हैं। जैसे, निजी और नार्किवित्त के अतर्गत भरवारी व्यवहार विभिन्न साध्यों वी सुनुष्टि के लिए साधनों का आवश्यक करने के लिए जाता है।’¹

लोकवित्त की प्रकृति

विनी भी विद्यव के स्वरूप को जानने के लिए उसकी प्रकृति का स्वरूप आवश्यक होता है। विनी भी विषय की प्रकृति पर विचार करते समय वह ज्ञात बरना होता है कि इन्हीं विषय विज्ञान है अदाया बला। लोकवित्त की प्रकृति जानने के लिए भी हमें ऐसा ही बरना होगा।

लोकवित्त विज्ञान है या नहीं, इससे पहले हमें विज्ञान का धर्य नमन करना चाहिए। ‘विसी भी विषय के बनवाड़ ज्ञान को विज्ञान बताते हैं।’ विज्ञान के अतर्गत विनी भी बस्तु वा निरीक्षण तथा विस्तैषण करने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रयोगों और निरीक्षण के द्वारा उम्यों को समानताएँ इष्ठ की जाती हैं तथा उम्यों की इन समानताओं पर ही चिद्वात आधारित होते हैं। वाइनबर्यर के अनुसार ‘विज्ञान उम्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार पत्तरों से एक जड़ान बनाया जाता है, परतु जिस प्रकार पत्तरों के द्वेरा जो जड़ान नहीं बहा जा सकता।’ एवं नौलिकास्त्री ने इस सुदर्शन में दीक बहा है, ‘विज्ञान विसी बस्तु के पूर्ण ज्ञान को आवश्यक है और उसका आधार सर्वक प्रयोग, ज्ञानपूर्दक निरीक्षण और सही-नहीं विस्तैषण होता है।’ विज्ञान के दीन प्रशार हो सकते हैं-

- (1) चर्चात्मक विज्ञान
- (2) वास्तविक विज्ञान
- (3) आदर्य विज्ञान

वर्णात्मक विज्ञान के अवर्गत भूतकाल तथा दर्शनाल काल की पट्टनालों तथा

¹ C. T. Sandford, 'Economics of Public Finance' (1969), Penguin Press, p. viii.

परिस्थितियों का वर्णन होता है। वास्तविक विज्ञान 'वस्तु स्थिति' का अध्ययन करता है। यह केवल कारण और परिणाम में सदृश स्थापित करता है। यह केवल यह या वह क्या है' नामक प्रश्न का उत्तर देता है। वह उचित है या अनुचित इनसे उसका कोई सरोकार नहीं है। इसके अतिरिक्त आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार के आदर्श निर्धारित करता है तथा बाच्चनीयता अथवा बाच्चानीयता की ओर सबेत करता है। वहा होना चाहिए' नामक प्रश्न का उत्तर आदर्श विज्ञान द्वारा ही दिया जाता है। जीम के अनुसार, 'वास्तविक विज्ञान जो हम अमवद्वज्ञान का एक पुज कह सकते हैं और आदर्श विज्ञान हम जान के उम पुज को बहते हैं जिसका सदृश आदर्शों को स्थापित करता है। इस प्रकार दोनों में वस्तु स्थिति और आदर्श का अतर होता है।'

लोकवित को उक्त आधारों की क्षमताएँ पर करने से ऐसे अनेक परिणाम मिलते हैं जिन आधारों पर इस विषय को विज्ञान कहा जा सकता है। आय, व्यय और ऋण निश्चित योजना और स्वीकृत सिद्धांतों के अवर्गता निर्धारित किए जाते हैं, ये सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यताओं तथा अनुभवों पर आधारित होते हैं। लोकवित में इन मान्यताओं को स्वीकार न करने से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। कालं प्लेहन ने निम्न तर्कों के आधार पर लोकवित को विज्ञान माना है।

(1) यह संपूर्ण मानव-विज्ञान का अध्ययन नहीं करता। अपितु निश्चित और सीमित लेन्ड का ही अध्ययन करता है।

(2) इसके मिद्दांतों तथा तर्थों को नियमित क्रम से लगाया जाता है। अनेक नियम ऐसे हैं जो केवल इसी विज्ञान में लागू होते हैं।

(3) लोकवित के अध्ययन तथा लोज में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।

(4) लोकविज्ञ में कुछ तर्थों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है तथा उनका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही साथ लोकवित प्रादर्श प्रस्तुत करता है। यदि आय और धन का वितरण असमान हो तो लोकवित उसे समान करने की रीतियों को सुझाता है। यह विषय इस तथ्य का भी उल्लेख करता है कि वरारोपण का भुगतान कमतागुसार होना चाहिए।

इस प्रकार लोकवित वास्तविक विज्ञान होने के साथ-साथ एवं आदर्श विज्ञान भी है। परतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकवित एक आकृति विज्ञान है वराकि इसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की विषयनामध्ये भी सहायता लेनी पड़ती है। इसे स्वतन्त्र विज्ञान नहीं माना जा सकता।

लोकवित एक कला है

विज्ञान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन ही कला है। वास्तविक विज्ञान वस्तु वी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करता है। आदर्श विज्ञान आदर्श प्रस्तुत करता है। वहा यह बतलाती है कि आदर्श स्थिति को किस प्रकार प्राप्त किया जाए।

बला भी उपर्युक्त परिभाषा के अनुमार लोकवित्त को क्या न्वीकार किया जा सकता है। लोकवित्त उत्तमय बला का रूप जे लेता है जब एक देश की सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एकत्र करके उसे विभिन्न मदों पर व्यय करते का ऐसा प्रयास बरतती है जिसमें मामाजिक वस्त्याग ने अधिकतम बृद्धि हो। प्राप्त जुटाने का काम मरत नहीं होता। इसकी राशि विस स्रोत से प्राप्त करनी है यह एक दूरदर्शी और कुशल आर्थिक विशेषज्ञ ही निश्चित कर सकता है। इसी प्रकार व्यय की मद तथा उस पर व्यय किए जाने वाले घन की राशि को भी व्यान में रखना पड़ता है। यदि प्राप्त एकत्र करते ममय उसका बटवारा विभिन्न स्रोतों में उचित नहीं हुआ या अनुचित मदों पर उनसे खर्च कर दिया गया तो जनता द्वारा उनके प्रति रोप उत्पन्न होता स्वाभाविक होता है। इसनिए वित्त शास्त्री इन क्रियाओं को उत्तरांत से सपन बरता है। यह यदि लोकवित्त के सिद्धांतों को सही व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न है। वित्त मन्त्री भी कठोर प्रालोचनामी से बचन के लिए ऐसा ही बरता है। अत लोकवित्त के निश्चित रूप से बला बहा जा सकता है। इस सदमें में प्लेट्टन का विचार बहुत उपर्युक्त प्रतीत होता है। उनका बहना है, कि 'उन सभस्त तथ्यों का जिनका अध्ययन लोकवित्त में होता है, भली प्रकार से सग्रह किया जा सकता है और उनसे ऐसे सही निष्पत्ति निकाले जा सकते हैं जो कि अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में साधारणतया नहीं निकाले जा सकते। जब भी एक विज्ञान निश्चित स्वरूप धारण कर लेता है, वहाँ उसके सिद्धांतों को क्रियाशील बरना सरल तथा बाढ़नीय हो जाना है।'

इस प्रकार हम इन निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि लोकवित्त विज्ञान और बला दोनों हैं। लोकवित्त में आप जुटाने तथा व्यय के सिद्धांतों का अध्ययन विज्ञान का प्रथम धारण करता है। जब इन सिद्धांतों तथा नीतियों को सरकार द्वारा वित्तीय समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त किया जाता है तब वह बला का रूप धारण करता है।

विषय-सामग्री तथा क्षेत्र

लोकवित्त की विषय-सामग्री के अतिरिक्त, सरकार और उससे सबधित तथा उसके अतिरिक्त याने वाली सार्वजनिक या लोक सत्ताएं प्रशासन तथा जनता के वस्त्याग के लिए विस प्रकार विभिन्न मदों से घन जुटाती हैं, इसपर अध्ययन किया जाता है। लोकवित्त के अतिरिक्त राज्य की केवल उन क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है जिनका सबध असत्त्वकताओं की सामूहिक सतुर्धि ने होता है वरन् राजकीय क्रियाओं का अध्ययन वित्तीय दृष्टिकोण से किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकवित्त की विषय-सामग्री में राजकीय वित्तीय जटिलताओं की गुत्थी को मुनाफ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।

हाल में लोकवित्त ने सबधित प्रकाशित पुस्तकों के द्वारा इनकी विषय-सामग्री में कुछ परिवर्तन प्राप्त है। प्रो॰ पर्मिंग्हम की पुस्तक 'लोकवित्त' के मन् 1928 वे प्रथम तथा मन् 1947 के द्वितीय संस्करण के मध्य लोकवित्त की विषय-सामग्री में मोसिक परिवर्तन आए हैं। प्रथम संस्करण में युद्धवित्त तथा द्वितीय संस्करण में राजकीय क्रियाओं द्वारा

सामूहिक आय विसा प्रवार प्रभावित होती है—इसे लोकवित्त के अध्ययन वा एवं घटा भान लिया गया। सन् 1930 वी महामदी भी सोकवित्त के क्षपर भागनी छाप छोड़े दिना नहीं रह सकी। ए० भार० प्रेस्ट ने इमी प्रसाग मे कहा है कि 'कौस वी पुस्तक' 'रामाण्य सिद्धात के प्रवाक्षन के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से पहचान लिया गया है कि विशेष परो तथा सरकार के विशेष व्ययों के प्रभावों पी विवेचना लोकवित्त वी विषय सामग्री पा वेल एवं भाग ही है। इस विषय के विवेचन म सपूण आर्थिक गतिविधियों पे स्तर तथा रोजगार पर सरकारी राजकोषीय त्रियाओं के पड़ने वाले प्रभावों को भी सम्मिलित करना चाहिए।'¹

प्र० डाल्टन ने लोकवित्त के क्षेत्र का जो वर्णन दिया है वही सभी को स्वीकृत है। उनके भनुतार 'सार्वजनिक' वित्त भव्यशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र की सीमा पर स्थित है।² इसपा भभिन्नत्व यह है कि सरकार वो लोकवित्तीय त्रियाओं वो सपन बरने के लिए तथा राज्य दासन के कुशल सचातन के लिए राजनीतिशास्त्र के सिद्धातों के आधार पर चलना पड़ता है तथा सार्वजनिक पर्याय को सधिकतम करने के लिए भव्यशास्त्र के सिद्धातों की सहायता लेनी होती है। डाल्टन के मतव्य का स्पष्टीकरण निम्न धारण से होता है।

'सार्वजनिक' वित्तशास्त्र वी दो टागो मे से एवं राजनीतिशास्त्र और दूसरी भव्यशास्त्र मे फसी हुई है। यदि इत टागो वो फैसान वी सीमा जानना चाहे तो इताही कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त के भत्तगंत सरकार तथा लोक-सामापिकारियों की उन सब त्रियाओं का अध्ययन दिया जाता है जिनका सबध राज्य के आय-व्यय से होता है। इस शास्त्र के भत्तगंत यह अध्ययन भरना हमारा भाम नहीं है कि सरकार वो बौन-कौन से कार्य परने चाहिए, क्योंकि इनका विवेचन सार्वजनिक वित्त के वसेदर के बाहर की बस्तु हो जाती है। यत इस विषय को अध्ययन न केवल राजकीय भिकारियों के कायों से सबपित है, वरन् इन कायों को सपन बरने के लिए सरकार पा पास धन के होने तथा उनके व्यय परने से है। इस ज्ञान वी ज्ञाना म सरकार वी त्रियाओं से सबपित वित्तीय उल्लभनों का अध्ययन दिया जाता है, सरल शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि जहो सरकार द्वारा सपन की जाने वाली त्रियाओं मे धन का सबध भा जाता है, इस शास्त्र के अध्ययन वी विषय-सामग्री धन जाती है और यही इस शास्त्र के क्षेत्र की सीमा है।'

लोकवित्त का विभाजन

सरकार के द्वारा आए एवं करना तथा व्यय करने के त्रियाओं का स्वरूप बहुत विवृत है। आपुनित समय मे लोकवित्त के अध्ययन क्षेत्र को पांच विभागो मे विभक्त दिया जा सकता है।

(1) सार्वजनिक व्यय ग्लैडस्टोन ने इस विभाग का महत्त्व बतलाते हुए कहा है

1 A R Prest 'Public Finance In Theory and Practice' (1960) p 15

पि आय एवं वर्तने वाले श्रीपक्षा अधिक व्यय बरने में अच्छा वित्त मिलता है। प्र० ० वार्दं पंहन के अनुमार, 'मार्वजनिक' व्यय लोकवित्त का उम्मी प्रबार में ऐसे अग है जिन प्रबार उपभोग अर्थशास्त्र वा। नोक्तित दे इन विभाग में राजवीय व्यय के वर्गीकरण और उन मिट्ठातों वा अध्ययन किया जाता है जिनके अनुमार भरकार विभिन्न मर्दों पर अपनी प्रभाव यथं दरती है।' भरकार द्वारा व्यय बरने की मर्दों की प्राधिकरिता वा निर्धारित बरना तथा प्रदेव भद्र पर यथं की जाने वाली राजि का निश्चिन बरना उम्मी विभाग का वार्तं होता है। इन व्ययों वा निर्धारण किन मिट्ठाता पर आधारित होना चाहिए। इन मर्दों वा देश व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इत्यादि प्रश्नों वा उनके नोक्तित वा यही विभाग तथ दरता है।

मार्वजनिक खल्याप वहून बुठ भीमा तक मार्वजनिक व्यय पर ही निर्नय करता है। वाल पंहन न इनके महत्व को इगत बरत द्वारे बहा है, 'जिम प्रबार अर्थशास्त्र में उपभोकता वा महत्व है उम्मी प्रबार लोकवित्त में व्यय का महत्व है। जिम प्रबार उन भोग अर्थशास्त्र का आदि, अत और बैद्र है उम्मी प्रबार व्यय भी मार्वजनिक वित्त का आदि, अत और बैद्र है। मार्वजनिक व्यय का आधार पर ही सार्वजनिक आय का एक्वारण और अन्य विनोय कियाए निर्नय बरती है।'

(2) सार्वजनिक आय: मार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय पर निर्नय दरता है। इन विभाग के अन्तर्गत आय के विभिन्न लोकों जैसे वर, मुख्य, मूल्य, विशेष वर निर्धारण अर्थदृष्टि इत्यादि वा अध्ययन किया जाता है। इन उम्मी लोकों में वर का स्थान मुख्य होता है, करों वा बरा भहत्व है, वरारोपण के क्या मिट्ठात है तथा दिविन्ल प्रबार के करों वा जनता पर बरा प्रभाव पड़ता है, अनेक करों में कौन-ना वर अधिक उपयुक्त है तथा वर की वस्तुओं वर और कैसे की जाए, करों वा उत्तरादन तथा विनरण पर बरा प्रभाव पड़ता है, इत्यादि के अध्ययन का ममांत्रेश इसी विभाग में होना है।

(3) मार्वजनिक क्रृष्ण: राज्य का व्यय, राज्य की आय से अधिक हो मज्जता है। आधुनिक जनतभ्र राज्य में यह कोई विशेष अनहोनी वात नहीं समझी जाती। इसी बारप भरकार दो जनमाधारण से क्रृष्ण लेना पड़ता है और मार्वजनिक क्रृष्ण लोकवित्त का तीनरा अग भाना जाना है। बुछ अर्थशास्त्री इसे राज्य की आय में ही सम्मिलित बरना चाहत है, परन्तु सार्वजनिक क्रृष्ण बुछ ऐसी महत्वपूर्ण, भैद्राविक और विग्रामक सम्प्राप्त उत्तरादन वरता है जिनके बारण इमरों सार्वजनिक आय में सम्मिलित बरना उचित नहीं है। मार्वजनिक आय के सोतों ने प्राप्त अग को लीटाने का प्रश्न नहीं उठाया विनु क्रृष्ण हारा जो यह प्राप्त होता है उस लोटाना होता है।

इस विभाग के अन्तर्गत हमारा अध्ययन इन समस्याओं में विभित्त होता है। क्रृष्ण लेने के कौन-से मिट्ठान हैं। क्रृष्ण का वर्गीकरण, क्रृष्ण का औचित्य, क्रृष्णों की प्राप्ति वे लोक, व्यापक वर तथा क्रृष्ण-योग्यत की रैतिया इत्यादि।

(4) वित्तीय प्रशासन: नोक्तित का शासन-वधुप्र नोक्तित के अध्ययन का

मुख्य अग है। सार्वजनिक आय, व्यय, अण तथा द्याज इत्यादि के यथोचित प्रदध के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाना है जो वित्तीय प्रशासन के अतर्गत आता है। यह विभाग शामकीय दिवालों को संपन्न करता है। जैसे बजट बनाना, विधान सभा में पेश करना, जनता के मूलनार्थ उसे प्रकाशित करना और अत मे उसका हिसाब करना तथा जाच करना।

प्रो० वैस्टेवल ने इस विभाग की आवश्यकता तथा महत्व को इन शब्दों से व्यक्त किया है, 'क्वल प्रतियाओं का अध्ययन ही प्रकृति के माध्यम से आवश्यक है जिनके अनुमार वे प्रतियाएं अपनाई जाती हैं। कोई भी वित्त की पुस्तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि वह वित्तीय प्रशासन और बजट की समस्याओं का अध्ययन नहीं करती।'

(5) आधिक स्थायित्व : इस विभाग के अध्ययन का महत्व भन् 1930 की यहान् मधी के बाद अधिक बढ़ा है। इस विभाग के अतगत राजकोषीय नीति के माध्यम से आधिक स्थायित्व प्राप्त करना होता है। यह नीति देश मे उत्पादन संबंधी क्रियाओं का नियमन करती है। आय तथा भपति के वितरण को समान करती है तथा मूलयों को स्थिर बनाने मे यथोप्त महायता प्रदान करती है। इस नीति के द्वारा आधिक व्यवस्था मे सावजनिक क्षेत्र का सतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है तथा निजी क्षेत्र को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि सार्वजनिक कल्याण की प्राप्ति का उद्देश्य प्राप्त हो सके।

अन्य शास्त्रों से सबध

लोकवित्त और अर्थशास्त्र

लोकवित्त अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अग माना जाता है। समय के द्वारा के साथ-साथ राज्य के काय निरतर बढ़ रहे हैं। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए राज्य को धन की आवश्यकता होती है। यह धन लोकवित्त के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह कहना सर्वत्र उचित है कि लोकवित्त अर्थशास्त्र का एक प्रयान अग है। लोकवित्त के मिठात तथा उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के कुछ मूल मिठातों पर आधारित है जैसे उपभोग, मार्ग, विनियम, वितरण, सख तथा बर्किंग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कथन है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य राज्य को इतनी मात्रा मधन-मूलि करना है जो राज्य की सेवाओं के लिए पर्याप्त हो। यह उद्देश्य लोकवित्त के अध्ययन के अतर्गत ही आता है। इसी प्रकार वैस्टेवल का कथन है कि 'राजस्व के विद्यार्थी के लिए अर्थशास्त्र से परिचित होना नितात आवश्यक है।' एडम स्मिथ ने आगे चलकर उल्लेख किया है कि लोकवित्त की उपयुक्त नीति अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन और ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए।

लोकवित्त और साहियकी

लोकवित्त की नीति आवहों पर आधारित होनी है। लोकवित्त के अनेक मिठातों

वा धर्मयन प्रौर श्रिगत्तम् प्रयोग दिना माहियदी के नहीं हो मत्ता। 'बड़ट' ने 'प्रनु-मान', 'सशोधित भ्रष्ट' माहियदी द्वारा दी गई मूचनायों पर आधारित होते हैं। उसे देखनाव की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों दृष्टि क्षेत्रों में धर्म-विनाशन सबधी आवाहों वा एकत्र बरता आवश्यक हो जाता है। स्पष्ट है कि लोकवित्त के धर्मयन में माहियदी में विद्युप महायता निरती है। साहियदी गणित पर आधारित है इसलिए लोकवित्त प्रौर मासियदी में भी प्रतिष्ठ नवघ है।

राजनीति और लोकवित्त

प्रारन में अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र वे नाम से सदोधित दिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उन उम्मीद राजनीति और अर्थशास्त्र नमूनत दिलाना भवित्व जाते थे। आधिक नीति के दिना राजनीतिक उपचरना भितना असम्भव नमम्भ जाता है। राजनीति की तुलना प्रार्थित उपचरनाओं से ही मापी जाती है। राज्य की नीति आजान्दादिक रूप से आधिक होती है। राजनीति का स्थान उम्मीद नमम्भ भारत है जब आधिक नीति कार्यरूप में परिष्कृत हो जाती है और उसके प्रशासन करने का प्रश्न उठता है। इसलिए यह उहना मनुचित न होगा कि आधिक नीति और राजनीति एक ही विषय के दो अंग हैं।

आधुनिक युग में लोकवित्त का महत्त्व

आधुनिक युग में लोकवित्त वा महत्त्व बहुत अदिक बढ़ गया है। इनका मुख्य कारण आधुनिक उत्तरवारी के कार्यक्षेत्र का विस्तृत होना है। इस बड़ती ही राज्य की क्रियाओं को जर्मन अर्थशास्त्री चंगनर न एक विद्यम 'राज्य की बहती हुई क्रियाओं का नियन' (Law of Increasing State Activities) का नाम दिया है। बल्यांडाने राज्य तथा अमाजवादी समाज (Socialistic Pattern of Society) की विचारपारा के विकास के कानूनवृत्त लाववित्त वा महत्त्व और भी भवित्व बढ़ गया है। राज्य की इन बहती हुई क्रियाओं के सम्बन्ध करने के लिए, राज्य की भाष्य दण्डने के लिए उचित उपायों की जोड़ बरनी होती है तथा अब बरन की क्रियाओं को बैद्धानिक निष्ठाओं पर आधारित करना पड़ता है। जहा आप और अब सुनुनित नहीं हो पाते वहा अप्प सेने के उद्घातों पर विचार बरने नये उपायों की सोज बरनी पड़ती है।

आपूनिक उत्तरवारों का कार्यक्षेत्र गत लगभग तीन हजारविंशती में इनका बढ़ गया है जि नमाज आज उनमें अनेक कर्तव्यों की आसा करने लगा है जिनके द्वारे में नागरिक पहले सोचता भी नहीं था। अब सरकार आमाजिक दीमा दोबनायों तथा मूल्य नियन्त्रण आदि को पूरा करना अपना प्रधान अंतर्व्य समन्वयी है। इन क्रियाओं के लिए दून की आवश्यकता होती है। यह उन उहा के प्राप्त दिया जाए तथा विनश्तों से प्राप्त दिया जाए, उत्पादन तथा वितरण तथा रोजगार पर इसको उन प्रतिक्रिया होती है ये प्रधन आज के युग में भवव प्रवार के कुमानों (maladjustments) होते हैं। लोकवित्त द्वारा इन क्रियों को दूर किया जाता है। यह अब स्वीकार दिया जा चुका है कि साव-वित्त द्वारा कार्य के बल प्राप्त और अब करना ही नहीं प्रतिष्ठुएँ और पर प्राप्त दृढ़तर

समाज में सतुलन की अवस्था वो उत्पन्न बरना तथा आय और संपत्ति का समान वितरण करना है।

वर्तमान में पूर्ण रोजगार को आर्थिक नीति का उद्देश्य स्वीकार कर लिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में लोकवित्त का बहुत अधिक योगदान होता है। कीस न बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सावजनिक विनियोग नीति पर अधिक बल दिया।

लोकवित्त का भृत्य राजनीतिक कारणा से भी है। प्रो० डाल्टन का मतव्य है कि 'लोकवित्त व्यावहारिक राजनीति वे बड़े निकट वे बस्तु हैं। इस अर्थ में वह अर्थ-शास्त्र की सबसे सजीव शास्त्र है। इसके आदश और समीकरण राजनीतिज्ञ के जादू के छड़े के हिलने मात्र स चट बदलकर ससद् क विधान की धारा का रूप ले सकते हैं। इसलिए लोकवित्त का अध्ययन अपना अलग आकायण रखता है।'

लोकवित्त का महत्व सामाजिक दृष्टिकोण से भी कम नहीं है। लोकवित्त की क्रियाएँ समाज को प्रभावित करती हैं। प्रो० ए० पी० लनर के मतानुसार गज्य की वित्त नीति का मुख्य उद्देश्य देश वे सामाजिक आर्थिक जीवन की सरचना में आवश्यकता-नुसार और इच्छानुसार परिवर्तन करना है। लोकवित्त द्वारा अर्थव्यवस्था में क्रियात्मक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। कोलिन बलाक न ठीक कहा है 'जो लोकवित्त के क्षेत्र में बाय करत हैं वे वे वे ल कला वैज्ञानिक तथा प्रशासक ही नहीं हैं वे दश व भविष्य वे निर्धारण में प्रावश्यक योगदान भी देते हैं।'

सरकार वित्तीय क्रियाओं द्वारा मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। लोकवित्त की क्रियाओं के द्वारा ही उत्पत्ति के साधनों को देश वे लाभानुसार वितरण कराती है और शिशु उद्यार्गों को सरकार प्रदान करती है। प्रत्येक सरकार के लिए मुस्मगठित तथा उच्च बोटि वो वित्त-व्यवस्था आवश्यक है। जेम्स विल्सन के अनुसार, वित्त व्यवस्था अवगति ही नहीं है, वित्त एक महान नीति है। विना अच्छे वित्त के अच्छी सरकार भी सभव नहीं है।

लोकवित्त तथा निजी वित्त में अतर

लोकवित्त के प्रारंभिक आवश्यक वे अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकवित्त तथा निजी वित्त के अर्थ प्रबंधन में कोई आधारभूत अतर नहीं है। दोनों वे समस्याएँ लगभग समान प्रतीत होती हैं और दोनों का मुख्य उद्देश्य 'अविवृतम लाभ प्राप्त करना होता है, पर्याप्त सभ समीक्षा उपयोगिता' नियम के अनुसार अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है।' कुछ समय के लिए दोनों के बजट असतुलित रहते हैं परन्तु दोर्धेकाल में आय तथा व्यय में सतुलन साना ही पड़ता है। इन सब समानताओं के होते हुए भी लोकवित्त तथा निजी

¹ Quoted by P. N. Bhargava Indian Public Finance (1970), Orient Longmans Bombay p 10

वित्त वो एक दूनरें अनुरूप नहीं माना जा सकता। दोनों ने कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उन्हें एक दूनरे से निम्न बनती हैं। लोकदिन तथा निजी दिन प्रबन्ध में मुख्यतः निम्न नेट पाए जाते हैं।

(1) एक व्यक्ति अपनी आय के अनुमार व्यय को निश्चित करता है परन्तु राज्य अपनी आय के व्यय के अनुमार निश्चित करता है : व्यक्तिगत ग्रंथ-प्रबन्ध में आय की मात्रा व्यय को सीमा का निर्धारित नहीं है। यह बहवतु, 'उन्होंने पर प्रभारिए जितनी चाहिए होए' निजी ग्रंथ-प्रबन्ध में चरिताय हाती है। इसके विपरीत लोकविन भी लोक-शायिकरण का व्यय उचिती आवश्यक आय का आवार निश्चित करता है, अर्थात् सरकार को जितने पर प्रभारने होते हैं, उसी के अनुसार वह चाहिए की व्यवस्था करती है। नक्षेप में यह बहाता जा सकता है कि व्यक्ति अपने साधनों के अनुरूप व्यय करता है और सरकार अपने व्यय के अनुसार साधनों को दुटाती है। इस विचार को समझते हुए वैन्टवल न कहा है 'व्यक्ति यह कहता है कि मैं इन्होंने दर्ज कर सकता हूँ, जबकि दित्त मर्ता यह कहता है, मुझे इन्होंना धन प्राप्त करना है।'¹ परन्तु ऐसा दक्षिण्य सदैव सत्य चिढ़ नहीं होता।

जनीजनी व्यक्ति जी चरकार की उत्तर अपनी आय को व्यय के अनुरूप दराता है। जब उसके घासियों जो लिम्पेडीरी वट जाती है तो उसका आनंदक व्यय उचिती अनुमान भी वह जाता है। तब वह अधिक भेदनव बरके अपनी आय दराने का विश्वास करता है। इसी प्रकार सरकार भी कुछ सीमा से व्यय की आय के अनुरूप दराने की चेष्टा करती है। दुरे दिन में जब इनकी आय गिर जाती है, तब उसे अपने लोगोंने बड़ी करनी पड़ती है। तथापि मुख्य रूप से यह बहा जाता है कि सरकार का वित्तीय दृष्टिकोण से निजी व्यक्तियों के दृष्टिकोण से निम्न होता है।

(2) सरकार की आय के साधन अधिक लोकदार होते हैं इन्हें व्यक्ति की आय के साधन लगभग लोकदार होते हैं : आय में बृद्धि बरने की दृष्टि ने व्यक्ति की नुस्खा में लोकप्रायिकरण अच्छी स्थिति में होती है। उनके समझ पूरे नमाज बा धन होता है इसमें वह आवश्यकतानुसार आय प्राप्त बर करती है। इसके अनुरिकत सबसे आगे पर सरकार विदेशों से भी अधृत ने सबती है। यदि विनी वर्ष सरकार की उत्तरव्यवहार आय अनुमानित व्यय से कम है तो वह इस घाटे को तीन प्रकार से पूरा कर सकती है। वह अपने नागरिकों पर अधिक बर समाझ सकती है। यदि प्रतिरिक्त अरारोपण से प्रत्यक्ष काल घाटे को पूरा करने के लिए स्पर्याप्त नहीं है तब वह नार्वेजिनिक वृक्ष द्वारा इस घाटे को पूरा कर सकती है। यदि इन साधनों से भी स्पर्याप्त आय उत्तरव्यवहार नहीं होती तब वह नीट छापकर बजट के घाटे को पूरा बर सकती है। इस प्रकार राज्य के आय के साधन असीमित होते हैं जबकि व्यक्ति के आय के साधन सीमित और वे लोकदार होते हैं। परन्तु कुछ लोगों की ऐसी सारणा है कि सरकार की आय भी व्यक्ति की आय की जाति

श्रविक लोचपूर्ण नहीं होती। यदि सरकार अपनी आय को बढ़ाती है तो व्यक्तियों की आय कम हो जाती है, अब सरकार अपनी आय के बढ़ाने के सदर्भ में बैंबल उम अनुपात को बदल सकती है जिसमें देश की कूल आय सरकार और नागरिकों के बीच बटी रहती है। इस प्रकार में थीमनी हित का बहना है, व्यक्ति अपनी आय का एक भाग अपनी इच्छा से व्यय करता है, और दूसरे भाग को वह मामूहिक आवश्यकताओं की सतुर्धि पर व्यय करता है। यदि वह सामूहिक आवश्यकताओं की सतुर्धि में अधिक व्यय करेगा तो उसकी व्यक्तिगत आय कम हो जाएगी।'

(3) व्यक्ति सम-सीमात उपयोगिता नियम को ध्यवहार में लाना सकता है किंतु सोकवित ऐसा करने में पूर्णतः सफल नहीं होता। एवं व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार से वितरित करता है कि इन सब खर्चों से प्राप्त होने वाली सीमात उपयोगिताएं समान होती हैं और सापूर्ण व्यय में बुल लाभ अधिकानम होता है। चूंकि लोकप्राधिकरण व्यक्ति नहीं होता इसलिए वह व्यक्ति की भाँति विभिन्न व्ययों में इस नियम का पालन नहीं कर पाता। ऐसा होने के प्रते वारण होते हैं। प्रथम, सरकार के अतिरिक्त व्यक्ति नहीं होता इसलिए वह व्यक्ति की भाँति विभिन्न व्ययों में इस नियम का पालन नहीं कर पाता। ऐसा होने के भीकर्द वारण होते हैं। दूसरे, सरकार के अतिरिक्त अनेक कर्मचारी होते हैं, जिनमें परम्पर समन्वय नहीं हो पाता। तीसरे, कभी-कभी सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में विहित जाने वाले व्यय पिंडें हितों की रक्षा करने हेतु अद्यता राजनीतिक दबाव के कारण करने पड़ जाते हैं जो सम-सीमात उपयोगिता नियम के अनुसार नहीं होते। तीसरे, सरकारी व्यय की राशि प्रायः निरिचित होती है और उसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(4) अर्थ-प्रबंध में निजी दृष्टिकोण सरकारी दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक संकुचित होता है: व्यक्ति, जीवन की अनिरिचितता के कारण कबल निकट भविष्य के दारे में ही सोच सकता है और अपनी तात्कालिक सतुर्धि से ही मतलब रखता है। इसलिए उसका अर्थ-प्रबंध अधिक दीर्घकालीन नहीं होता है। वह इस क्षयन में विश्वास करता है कि 'दीर्घकाल में तो हम सब ही मर जायेंगे।' इसके विपरीत सरकार स्थायी तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाती है। पत्ते भड़ते हैं परतु दृक् पदा रहता है और इसी प्रकार व्यक्ति का आवागमन बना रहता है जिन्होंने राज्य का जीवन अमर रहता है। इसलिए लोकवित के अतिरिक्त उन योजनाओं पर भी व्यय करना आवश्यक होता है जिनमें तूरत कोई लाभ नहीं होता परतु दीर्घकाल में ये राष्ट्र की उन्नति में महायक होती है। इसलिए बत्तमान सरकारें बनाने-रोपण पर, सार्वजनिक निर्माण के दायीं पर तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर पर्याप्त धन व्यय करती हैं। सरकार को भविष्य के हितों का रक्षक माना जाता है। इसलिए वे अर्थ-प्रबंध में दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं।

(5) निजी वित को कार्यवाहियां गोपनीय रहती हैं किंतु सोकवित के दृष्टियों का प्रचार होता है: किसी भी व्यक्ति के वित्तीय सौदे उसके अपने निजी माले होते हैं और गोपनीय रहते हैं। व्यक्ति अपनी आय-व्यय का व्योरा तथा अपनी दैयकित्व

स्थिति का नहीं चित्रण दूभरोंके सामने प्रस्तुत नहीं करता चाहता। उनकी आधिकर स्थिति रहस्य के आवगण में सुरक्षित नहीं है। विनु संवाद के नियंत्रण का विनाश करने वाले प्राप्त साधारणिक रूप में हिए जाते हैं। राजदिन वौं क्रियाओं का विनृत छोरा न बेबल प्रबल-शित किया जाता है अपिनु उच्चरे हिनाब-विनाश का लेखा दरीक्षण नीं होता है और उच्च पर वाद-विवाद होने के उपरान उस उनता की जानकारी में नामा जाता है। व्यक्तिगत वित इन सब बदली से मुक्त रहता है।

(6) आधिकर का बजट व्यक्ति के लिए लाभकारी है परन्तु सरकार के लिए नहीं: एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आप नीं तुलना में न्यून व्यय दर्शके आधिकर का बजट बनाता है। निजी वितव्यवस्था में आधिकर का बजट घेटता का प्रतीक समझ जाता है। आधिकर के बजट के घन की बचत होती है जो बठिनाइसों के उनपर जान आती है। परन्तु सरकार के लिए आधिकर का बजट समाप्त बुद्धिमता का प्रतीक नहीं माला जाता। केवल मुद्रा-कीर्ति को नोडने के लिए ही सरकारी बजट में आधिकर उचित समझा जा सकता है परन्तु नहीं। नाधारण नियन्त्रि में आधिकर के बजट के होने का अर्थ यह होता है कि वारों का न्यूर अनादरण इस से छूता रखा जाता है और राजनीय व्यय अनुचित रूप से बढ़। ऐसा होने से वस्ताव मुद्राधी या विवाह सुवधी क्रियाओं का छोड़ पोषण नहीं हो सकता। आयुनिक वारों में तो विवाहशील देशों को सरकारे प्राप्त धारे का बजट बनाती है और आप वारों की जमीं और नई मुद्रा के नियमन में दूर बढ़ती हैं।

यह स्मरणीय है कि सरकार के लिए निरदेश धारे के बजट को नीति दर्शाती फिल्ड नहीं हो सकतो। इस नीति के पारण देश में मुद्रा-कीर्ति की दशाएँ दरान हो जाएँगी और सरकार की जाति गिर जाएगी। इसलिए दोषकालीन दृष्टिकोण से ऐसी नीति व्यवस्था नहीं करती जा सकती।

(7) व्यक्तिगत तथा लोकवित्त छहों की प्रकृति में अतर : व्यक्तिगत वित-व्यवस्था की तुलना में लोकवित्त व्यवस्था के प्रतीकृत तथों की प्रकृति वाले के हेतु अल्प प्राप्ति के साधन अधिक होते हैं। सरकार अपने नागरिकों से क्लास प्राप्त वर्जने के साधनाय विदेशी नागरिकों से तथा सरकारों के नी अल्प प्राप्त वर्जन होती है इन्हुंने एक व्यक्ति बेबल पदने देश में ही क्लास प्राप्त वर्जन होता है। इनके अनिवार्य सरकार की साथ व्यक्ति वी तुलना में अधिक होती है। इच्छिए सरकार अपनी छतों पर क्लास प्राप्त कर सकती है जब तक व्यक्ति को अपदाता वी दर्तों पर क्लास लेना पड़ता है। यही नहीं, मुम्भ धारे पर सरकार अपने नागरिकों को क्लास देने के लिए जी दाधर वर्जनी है जब तक एक व्यक्ति दूसरे दो अल्प देने के लिए दाधर नहीं वर्जन होता। परन्तु ऐसा एक तानाशाह सरकार ही वर्जनी है। क्लास राज्य में ऐसा नहीं होता।

(8) सरकार की नियोजन प्रणाली दिस्तृत होती है इन्हें व्यक्ति की अवधि समूद्र : एक व्यक्ति अपना आप-व्यय पूर्व प्रस्तुतान व पूर्व नियित योजना के आधार पर बरता है। सरकार भी जनता की अधिकृत तान धूकाने के लिए अपनी क्रियाओं का नियोजन बरतती है, योजनाओं पर व्यय बरने के लिए घन के दूराने दो किला भी दो इक्का-

बढ़ होती है। परन्तु दोनों व्यवस्थाओं में नियोजन की प्रकृति तथा आकार में अतर होता है। सरकार की नियोजन-भूमिका अनि विस्तृत होती है। जब कि निजी व्यक्ति की अति सकुचित। भविष्य के लिए आयोजन करना सरकार की तुलना में व्यक्ति विशेष के लिए अधिक सरल होता है। सरकार के सामने प्रतिदिन नवीन समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। विश्व अशांति, दुर्भिक्ष, अतराष्ट्रीय व्यापार वी स्थिति आदि सरकार के पूर्व निर्धारित प्रनुभानों को भग करती रहती है। एक व्यक्ति बिना नियोजन के भी कार्य कर सकता है किंतु राज्य बिना नियोजन में कार्य नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के व्यय की प्रकृति उसकी आदतों, रीति-रिवाज तथा आर्थिक व सामाजिक दशाओं पर आधारित होती है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय सरकार की पूर्व निर्दिच्चत आर्थिक नीति के अनुसार निर्धारित होता है।

उपर्युक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि लोकवित, निजी वित्त से काफी भिन्न है। दोनों की कार्यविधि में ही अतर नहीं है अपितु दोनों भिन्न दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। आज राज्य न केवल सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है अपितु राष्ट्र के समुचित विकास का दायित्व भी उसके कधो पर है। इसलिए उसे विशाल पैमाने पर साधनों को जुटाना पड़ता है। लोकवित का उद्देश्य अधिकतम सार्वजनिक कल्याण का है चाहे उसे प्राप्त करने में सरकार को लाभ हो अथवा हानि। एक व्यक्ति का उद्देश्य अपनी आप से सदैव अधिकतम लाभ प्राप्त करने का होता है। दोनों प्रकार की वित-व्यवस्थाओं को सामान्य स्तर पर चलाना भूल है। यही कारण है कि लोकवित के लिए एक पृथक् शास्त्र की आवश्यकता होती है।

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत

चाल में नगरग प्री शारदियों पूर्व नक्षायों का अवधि, चार्देशीन नक्षा स्थिति अनुभव ही नीतिव थी। नुस्खन प्राचीन अर्थशास्त्रियों दे विचार नार्देशीन विज्ञ के नवद में नहुन्नित थे। वे नीग नवमे अल्पी सरकार हमें भानते थे जो अनुष्ट्री बी आर्यो अवधि अवधि तत्त्वामें नम ने बन हन्त्रीप बनते हो। प्राचीन अर्थशास्त्री इव्व दो व्यक्तियों द्वे जेवों में रखना ही अधिक उचित समझते थे। उनके इन विचार की नूनिता यह सी ति अक्षियों द्वारा विए गए अवधि उत्तादक हैं उबर्वि सरकार द्वारा विए गए अवधि अनुभवादक होते हैं। एक अक्षित इव्व दो अधिक बुद्धन्ता और सावधानी में अवधि बरता है, अनेहान्त उत्तरकार के।

प्राचीन अर्थशास्त्री यह भानते थे वि राज्य ओ बार्देशीन नीतिव होना चाहिए। नित्याठ फ्रेंच अर्थशास्त्री जै० द्वी० सौ० वा चत्ना था - "नीतिव वे वही चीजना नवमे अच्छी है जिसके अठमें नम से बन अवधि किया जाता है और उद्द बर्वों में उत्तम नर बर्वी है जो नाता ने अनुभवन हो।" इनी उत्तर हिन्दाओंने भी यह नर प्रबट विद्या था वि 'यदि शातिन्द्र सरकार चाहते हों तो तुम्हें दड़ जौ बन बरना होगा।'

आशुनिव अर्थशास्त्री रिकाहो उपा उ० द्वी० से वे इन नरने लहून्त नहीं हैं वि 'राज्य द्वारा विए गए अवधि अनुभवादक और अक्षित द्वारा विए गए अवधि उत्तादक होते हैं।' वोई राज्य-अवधि उत्तादक है या नहीं यह इन दात पर निर्भर चरता है वि उससे नमाज के सामूहिक चल्याप वो अधिकतम बर्वन में अनुभवा मिलती है या नहीं। स्वात्म्य विद्या, विवित्ता आदि पर विए गए कानादिक लब्वों के नानाजित बहनाम में दृष्टि ही होती है। इनके दिवरीत अक्षित द्वारा विए गए अनुभव अनाज के निर लानदायक नहीं होते। उत्तरण के लिए अक्षियों द्वारा नदिरा आदि पर विए गए अवधि अनुभवादक ही होते हैं। इन नवद में डा० डाल्टन ने लिखा है : "वोई जी अवधि उत्तादक है या नहीं इसकी प्रार्थित जाव उन अवधि की प्रार्थित चल्याप वो उत्तादक है। उदाहरण के लिए विद्या, स्वात्म्य एवं विवित्ता पर विद्या जाने दला सरकारी अवधि दृष्टा

व्यक्तिगत भोग-विलासो पर किए जाने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक उत्पादक एवं बल्याणकारी है।'

इसलिए प्रत्येक कर अशुभ नहीं होता। यदि मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों पर वर लगाकर उनके उपभोग को सीमित कर दिया जाए तो इस प्रकार के कर से सामाजिक बल्याण में वृद्धि ही होती है। अत इस दृष्टि से एक ऐसे सिद्धात की स्थोज करना आवश्यक हो जाता है जो सांबंजनिक वित्त के आय और व्यय के इन दोनों ही क्षेत्रों पर लागू हो सक। ऐसे सिद्धात का प्रतिपादन सर्वोत्तम ढंग से डा० डाल्टन ने किया है जिनका कथन है कि 'सांबंजनिक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति वरता है।' इस अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धात के प्रतिपादनों की मान्यता है कि यदि सरकार इस मिद्दात के अनुसार आय प्राप्त करती है और इसी सिद्धात के अनुसार इस आय को व्यय करती है तो समाज का अधिकतम बल्याण हो सकेगा।

सिद्धांत की व्याख्या : इस सिद्धात की व्याख्या करते हुए डा० डाल्टन ने लिखा है, 'सांबंजनिक वित्त के मूल में एक बुनियादी मिद्दात होना चाहिए। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का मिद्धात कह सकते हैं। सांबंजनिक वित्त की समस्त त्रियाएँ एक प्रकार से समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग में क्रय शक्ति का हस्तातरण है। इस भ्रय शक्ति के हस्तातरण का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना है।' उनके विचारानुसार 'राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा म उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला लाभ राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले त्याग के बराबर हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है।'

डा० डाल्टन वा विचार यह है कि प्रत्येक सरकार वर, अपन आदि विभिन्न साधनों से आय प्राप्त करती है। जब सरकार जनता से वर प्राप्त करती है तो यह स्वाभाविक है कि जनता पर इसका भार पड़ता है जिससे अनुपयोगिता उत्पन्न होती है। जनता से कर प्राप्त करके सरकार विभिन्न सांबंजनिक कार्यों पर व्यय करती है जिसके परस्पररूप समाज को लाभ अर्थात् उपयोगिता प्राप्त होती है। सरकार वो इन दोनों का समायोजन इस प्रवार से करना चाहिए कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली अनुपयोगिता से कम न हो।

अधिकतम सामाजिक लाभ उसी दिशा में प्राप्त किया जा सकता है जबकि सांबंजनिक आय-व्यय की उचित सीमाएँ निर्धारित कर ली जाए। वर वे व्यय में जनता को कट्टफेलना पड़ता है जिसको सीमात सामाजिक त्याग कहा जाता है। दूसरी ओर सांबंजनिक व्यय द्वारा जो सतुर्प्ति प्राप्त होती है उसे सीमात सामाजिक सतुर्प्ति कहते हैं। राज्य वो सांबंजनिक व्यय उसी सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक उस आय को प्राप्त करने से जनता को होने वाली सीमात अनुपयोगिता के बराबर सीमात उपयोगिता दी जा सके।

उक्त विचार को स्पष्ट करने के लिए हम वह सकते हैं कि जिस प्रकार एक

व्यक्ति भर्देव 'समझीमात्-उपयोगिता' के नियम के अनुसार अपनी आप का खर्च बरता है जिससे वि प्रधिक से प्रधिक उपयोगिता मिल नहीं तरह सार्वजनिक वित्त में भी सरकार व्यय बरते समय ऐसा प्रयत्न मोर्चा तोर पर कर सकती है।

उदो-ग्रन्थों लोगों के पास द्रव्य बन होना जाना है त्योङ्गों उभड़ी उपयोगिता बटनी जाती है। इन प्रकार जब कोई नया वर्ग लाभार्थी जाना है या रिकी पुराने वर्ग की अपेक्षा समाज पर भार बढ़ता जाता है। दूसरे भार द्वयी आप के ग्रन्थ अपने व्यय द्वारा समाज के लिए अनेक लाभदायक कार्य बरता है। इनु व्यय की प्रति अतिरिक्त इन्हीं के समाज के लिए इनकी उपयोगिता पहोंच की अपेक्षा बन होती जाती है और इन प्रकार एवं ऐसा विदु आ जाना है जिस पर व्यय से मिलने वाली उपयोगिता तयाकर देन की अनुप्रयोगिता बराबर हो जाती है। सरकार को इन विदु तरह ही अपन आपन्ध्यव ने जाने चाहिए। यदि कर इम सीमा में अधिक लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जनता को सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली आप की अपेक्षा कर देने में अधिक वष्ट होगा और यदि कर इम सीमा से कम लगते हैं तो जनता को वष्ट तो कम होगा लेकिन वह उम साम से विचित रहेगी जो अधिक कर लगाने से प्राप्त होने वाली आप को सार्वजनिक टिक्के के लिए व्यय बरते से होता है।


इस विचारधारा को निम्न उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है

इवाई	कर की प्रत्येक इवाई से उत्पन्न त्याग	सार्वजनिक व्यय की प्रति इवाई से प्राप्त उपयोगिता
1	25	75
2	30	70
3	40	60
4	50	50
5	60	40
6	70	35

अनुत सारणी से पहुँचा दिया है कि कर की इवाई दटने के साथ-साथ कर की प्रति इवाई का समाज पर भार बटना जाता है, जबकि लोक व्यय की प्रति-अतिरिक्त इवाई से समाज के लिए उपयोगिता घटती जाती है। अत अधिकतम समाजिक लाभ के अनु-सार इन उदाहरण में जोधी इवाई के बाद सरकार को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहां पर मीमात् सामाजिक त्याग भीर सीमात् सामाजिक सुरुचिं नमान हो जाते हैं। इसे पृष्ठ 19 पर दिए चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

समाज द्वारा कर के हर में निया गया त्याग बटना हमा होता है अर्थात् समाज

को होने वाली अनुपयोगिता के बक्र की प्रवृत्ति ऊपर की ओर जाने की होती है क्योंकि सरकार अपनी आय बढ़ाने वे लिए कर तथा आय के अन्य स्रोतों में वृद्धि करती है। इसलिए जनता का सीमात त्याग बढ़ता जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक वित्त द्वारा प्राप्त उपयोगिता की बक्र रेखा गिरती हुई होती है। दोनों वश जिस बिंदु पर टाटे हैं वहाँ लोक व्यय तथा आय की सर्वोच्च स्थिति होती है। वहाँ तक सार्वजनिक आय-व्यय को बरने से अधिकतम सामाजिक वल्याण प्राप्त होता है।



चित्र 1

चित्र 1 में PP' बक्र रेखा सामाजिक अनुपयोगिता को दिखाती है। MM' बक्र रेखा समाज को प्राप्त उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। ये दोनों बक्र T बिंदु पर एक-दूसरे को टाटते हैं। OR राज्य के सार्वजनिक वित्त की वह सीमा है जिससे समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। T वह सीमा है जहाँ तक राज्य को अपना बाधेन्द्रिय बढ़ाते जाना चाहिए। यदि T बिंदु से आगे सरकार ने अपना बाधेन्द्रिय बढ़ाया तो इससे जनता को अधिक बष्ट सहन करना पड़ेगा।

सामाजिक आय और व्यय का बटवारा

यह सिद्धांत बेबल यही नहीं बताता कि सार्वजनिक व्यय और आय की मात्रा में किस सीमा तक वृद्धि करनी चाहिए वरन् यह भी बताता है कि


(अ) राजकीय व्यय का बटवारा व्यय के विभिन्न मर्दों में विस आधार पर बरना चाहिए।

(ब) वर का विभाजन विभिन्न वर स्रोतों में विस प्रकार बरना चाहिए।

(ग) राजकीय व्यय का बटवारा

इस सिद्धांत के अनुमार सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मर्दों में इस प्रकार से

पिनरिल विद्या जाए कि प्रत्येक भद्र पर जो सीमात भासाइव अस्ति उसमें प्राप्त होने वाली सीमात मामाजिक मतुष्टि बरावर (या संगमग बरावर) हो जिसने कुल व्यय में जनता को प्राप्त होने वाले उपयोगिता अधिकतम हो सके। उदाहरण के लिए यदि सरकार प्रतिरक्षा पर आवध्यकता में अधिक और गिरा तथा स्वास्थ्य पर आवध्यकता से बहुत व्यय बरावर है तो इन प्रवार के व्यय से समाज को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त न हो सकती है। बन्दुत सरकार का यह बत्तेव्य है कि प्रतिरक्षा कार्य पर से कुछ व्यय घटा न र गिरा तथा स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ावा जाए जिससे समाज का हित हा और उक्त मर्दों में समान सीमात उपयोगिता प्राप्त हो सके। यह हम निम्नावित रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट कर गवते हैं।



चित्र 2

इस रेखाचित्र में AA' तथा BB' उस समय की उपयोगिता बक है जबकि राज्य A' और B' मर्दों पर व्यय बरावर है। इस चित्र में हमने X-अक्ष पर व्यय तथा Y-अक्ष पर त्याग नापा है। यदि राज्य OT राशि B मर्द पर व्यय बरावर है तो इस स्थिति में उपयोगिता A मर्द से $OTSA$ तथा B मर्द पर OL राशि व्यय बरावर से $OLPB$ उपयोगिता प्राप्त होती है। यद्योर्कि दोनों मर्दों की सीमात उपयोगिता समान है इसलिए कुल उपयोगिता अधिकतम होगी।

(व) राजकीय आय के स्रोतों का निर्धारण


प्रधिकरण सामाजिक लाभ का सिद्धात यह नी बताता है कि न रों को विन-विन स्रोतों पर आटा जाए। इस तिदात के अनुसार वर्तों के भार ना विभिन्न स्रोतों में विभाजित इस प्रवार से विद्या जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमात त्याग बरावर हो। यदि सीमात त्याग एक मर्द की घरेका दूसरे मर्द पर अधिक होता है तो यह समाज के हित में होगा कि पहली मर्द पर वर की दर दम कर दी जाए और दूसरे मर्द पर वर की दर बढ़ा दी जाए।

इसके लिए हमें यह ज्ञान बरना पड़ेगा कि विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि घनी व्यक्ति के लिए रपये की सीमात उपयोगिता निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा कम होती है। अतः घनी व्यक्ति अधिक बर सहन कर सकता है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

मान लीजिए अ, ब, स और द चार व्यक्ति हैं जब इनमें से किसी को बर देना पड़ता है तो उसका ख्याल इस प्रकार होता है

रपयों की इकाइयाँ	ख्याल			
	अ	ब	स	द
एक रपए देने में	8	10	14	16
दो रपए देने में	10	12	16	20
तीन रपए देने में	14	16	20	24
चार रपए देने में	16	18	26	30
पाँच रपए देने में	20	22	30	36

मान लीजिए कि सरकार को 20 रपये बर से बसूल करने हैं तो उस अ से 8 रपये, ब से 6 रपये, स से 4 रपये और द से 2 रपये बसूल करने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सबका सीमात ख्याल बराबर है। इस प्रकार घनिक वर्ग से अधिक बर और निर्धन से बर लिया जाए, अर्थात् बर प्रणाली प्रणतिशील होनी चाहिए। इसे रेखांचित्र द्वारा भी स्पष्ट विया जा सकता है



विन्द्र 3

A तथा B बस्तु पर बर लगाने से जो सीमात ख्याल होता है अमरा AA' तथा BB' वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहा पर हमने X-अक्ष पर कर की मात्रा तथा Y-अक्ष पर होने वाले ख्याल को नापा है। A बस्तु से OP तथा B बस्तु से OT

वर बमूल करने पर सीनात त्याग दरावर रहता है, अर्थात् TL=PN। इस स्थिति में कुन सामाजिक त्याग न्यूनतम होता है।

व्यावहारिक बठिनाईया

नोनदित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपनी कियाओं द्वारा अधिकृतम सामाजिक लान उपचय बरती है। यह सिद्धान्त अप्ट, मरन और दूरगानी है परन्तु इसको व्यवहार में लाना दहूत बठिन होता है। इसके व्यावहारिक आवश्यक में जो बठिनाईया मात्री है उक्ता वर्णन नीचे पिया गया है।

(1) यह कहना सुरक्षा है कि वर देने से करदाताओं को हीन वार्ता अनुपर्याप्ति तथा राजकीय व्यय से भ्रमाज को प्राप्त होने वार्ता उपर्योगिता की तुलना में नार्व-जनिक विन दी कियाओं की सीमा निश्चित वो जा सकती है परन्तु इसके मानने से व्यावहारिक बठिनाई है। यदि वरदाता वर प्रदा दरता है तो यह नियंत्रण दरता पदता है कि वर का भार वरदाता पर उभयों योग्यता और क्षमता से अधिक न पड़े। इसमें यह बठिनाई उपस्थित होती है कि वर का भार दर्ने नापा जाए।

स्पष्ट है कि हमारे पास बपटा नापने वागड़ अपवा बजन तीरने का तिनों जैना कोई भार यत्र नहीं है जिसकी सहायता से हन वरदाता की वर अदा दर्ने से होने वाली अनुपर्याप्ति और नार्व-जनिक व्यय से उभयों निरन्तर वाली उपर्योगिता की जान सकें। इद एवं व्यक्ति के लिए यह बतलाना बठिन है कि यदि ये प्राप्त उपर्योगिता और वर से प्राप्त अनुपर्याप्ति वद वरावर होनी की एक राज्य के लिए यह बतलाना और नी बठिन है क्योंकि एवं व्यक्ति की समेकी राज्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है।

(2) दूसरी ओर यह वे कार्य छढ़े जाना हैं। सार्वजनिक वित अनेक अनार्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक दार्तों से प्रभावित होता है। इसलिए यह सुनव नहीं है कि वह अनुपर्याप्ति का पूर्ण विवरण तैयार वर उभयों सुनुसित कर नहीं।

(3) यह सिद्धान्त इन्हिए भी अव्यावहारिक है क्योंकि वर से होने वाले नियंत्रण तामो और हानियों का पठा नगाना बठिन होता है। इन आर्य से विस्तृत बठिनादसा मात्री हैं।

(क) वर लगाने के एवन्वरप नारिकों की क्रम शक्ति में वर्ती जाती है या उभयों बदल छट जाती है या उन्हें उपनों कम करना पदता है। कर्मी-कर्मी उपनों और उन्हें देते हैं, वर्ती आ जाती है। उपनों रखने के उन्वन्वरप वर्तन्वन्वरप में वर्ती आ जाती है। उन्हें वरम होने से शक्ति की उत्तरादक शक्ति में वर्ती आ जाती है। परन्तु वर्ती-कर्मी ऐसे ह्याग लानप्रद भी सिद्ध होते हैं, जैसे नगीने वदायों पर वर उन्हें से उन्हें उपयोग में वर्ती आना।

(ख) वरारेप के एवन्वरप समाज में धन के विवरण में भी उन्वन्वरप आ जाता है, जिससे चुक्त को लान तथा धन्य वो शानि होती है। परन्तु जिस कर्मी को शिवना लान और दिनानी हानि हूँ, इसका अनुभाव लगाना बठिन होता है।

(ग) अन्वनार्नीन और दीर्घवारीन दृष्टिकोणों का अनुर भी अन्तिमा

उपस्थित बरता है। वर से प्राप्त अनुपयोगिता अल्पकालीन तथा सावजनिक व्यय से प्राप्त उपयोगिता दीघबालीन होती है। इस प्रवार भविष्य की उपयोगिता और वरमान वा त्याग वे आधार पर अधिकृतम् सामाजिक लाभ की कल्पना अनुपयोगिता प्रतीत होती है। सामाजिक लाभ की कसीटिया

ति सदेह अधिकृतम् सामाजिक लाभ के माप में व्यावहारि क बठिनाइया ह परनु यह नहीं भूतना चाहिए कि आधिक जगत मे हम अधिकारात् अनुभान और परिवर्तना पर आधिक रहते हैं और इही अनुभानों से राजस्व त्रियांगो का निर्मित्य बरने भ थोड़ बहुत मार्गदान गित जाता है। इसी मार्गता वे आधार पर डाल्टन ने निम्न दिव्यों को श्रीर गकेत किया है।

(1) सुरक्षा एव शाति प्रत्येक राज्य की सरकार वा यह परम वत्तव्य है कि वह अपनी जनता की विदेशी आत्ममणों से रक्षा करे तथा आत्मिक शाति को बनाए रखे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला राजकीय व्यय यावसगत प्रतीत होता है क्योंकि सुरक्षा के अभाव मे आधिक बल्याण सभव नहीं हो सकता। डाल्टन ने ता यहा तक वहा है कि देश और विदेश मे शातिष्ठि एव यावसगत नीतियों को ही अपनाना चाहिए। प्राय राजनीतिक आधिक और सामाजिक नीतियों वे उचित न होने पर ही देश मे अमतोप वी भावना वो प्रोत्साहन भित्ता है।

(2) आधिक व्याधि मे उचित डाल्टन का बहना है कि सामाजिक बल्याण मे वृद्धि की निम्न दो शर्तें हैं

(1) उत्पादन म सुधार तथा

(2) उत्पादित घन के वितरण मे सुधार।

डाल्टन वे अनुसार उत्पादन म सुधार की विचारधारा को निम्न भागो म बाटा जा सकता है

(क) उत्पादक शक्ति मे सुधार उत्पादन शक्ति म सुधार वे एलस्ट्रहप कम से कम प्रयास से प्रत्येक अधिक द्वारा पहले से अधिक उत्पादन किया जा सके।

(ख) उत्पादन के सगठन मे सुधार उत्पादन के सगठन मे सुधार मे बेकारी तथा भाय वारणो से आधिक साधनो के अपव्यय को कम किया जा सके। तथा

(ग) उत्पादन के स्वरूप तथा आकार मे सुधार उत्पादन के स्वरूप तथा आकार मे सुधार होने से समाज या समुदाय की आवश्यकताएँ सर्वोत्तम ढंग से पूरी की जा सकें।

उत्पादन शक्ति मे वृद्धि के लिए यह उचित है कि अनिवाय वस्तुओं पर वर नहीं संशयः जनना चाहिए और उद्योगों पर भी कर वा भार बहुत अधिक नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से उनका विकास निःसाहित हो जाता है। वितरण मे सुधार लाने के प्रयासों को निम्न भागो मे बाटा जा सकता है

(क) विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों वे धीर पाई जाने वाली भारी आधिक विप्रमता मे कमी करना।

(८) कुछ व्यक्तियों तथा परिवारों, विशेषकर समुदाय के निधन वर्ग की आयों में, समय-गमय पर होने वाले उत्तार-चटावों को बम बरना।

विषमता दो कम बरना बाछनीय है ताकि किसी भी दिन हुए समय में अप्प कर वितरण व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकता वै अनुमार दिया जा सके।

(३) भविष्य द्वी पीढ़ी पर प्रभाव : डाल्टन का विचार है कि राजनीति कियाओं वै भविष्य द्वी पीढ़ी के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए विभिन्न राज्य न वेबन बत्तमान बल्कि भविष्य द्वी पीढ़ी का भी जिम्मेदार होता है। व्यक्ति भर जाने हैं परन्तु जिस समुदाय का वे भाग होते हैं वह जीवित रहता है। इसके राज्य का बत्तमान क बम सामाजिक लाभ वै प्रपेक्षा भविष्य के अधिक सामाजिक लाभ का न्दीधार बरना चाहिए।

अत मे हन यही कह सकते हैं कि किसी भी विचारधीन वित्तीय प्रस्तावों के भव भव परिणामों का (जिनका अनुमान लगाया जा सके) पूरा लेखा-जोखा तंशर करें और समाज को होने वाले समाजिक लाभों और हानियों की तुलना करें। इस भत्तुलन की तुलना दूसरे वैकल्पिक प्रस्तावों के भत्तुलनों से करें। जिस प्रस्ताव के भत्तुलन से तुलनात्मक लाभ अधिक हो उसे ही कार्यक्षम दिया जाए। जो लोग इस लेखा-जोखे की विठ्ठाइयों से आक्रान्त हो डॉ, उन्हें प्राचीन धनानियों दो इस बहावत में सात्वना प्राप्त बरनी चाहिए कि 'भरन चीजें नहीं, विठ्ठन चीजें मुद्रर हृषा बरती हैं।'

श्रीमती हिक्म का दृष्टिकोण

श्रीमती उमंला हिक्म ने सामाजिक लाभ वै धारणा को दूसरे ढंग से नमन्दाया है। उनका मन है कि नोवेलित और उम्मेद वालों को निश्चित बरते समय निम्न दो बातों द्वा आधार बनाना चाहिए।

(५) उत्पादन अनुकूलनम् (Production Optimum)

(६) उपयोगिता अनुकूलनम् (Utility Optimum)

इनके अनुमार सार्वजनिक वित का अनिम लक्ष्य सामाजिक आवश्यकताओं को नतुर्प करना है। अत अधिकतम आवश्यकताओं वै सुन्युटि के लिए उत्पादन अधिकतम होना चाहिए। अनुपूजतम उत्पादन वै लिए यह आवश्यक है कि समाजनों का वितरण भी उचित हो। दूसरे शब्दों में अनुकूलनम उत्पादन स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि समाजनों का आवटन वितरण उत्पादन कियाओं हारा आदर्श रीति से हृथा हो। इसी प्रमग में श्रीमती हिक्म ने लिखा है, 'इस प्रकार उत्पादन को अधिकतम करने का या 'अनु-बलतम उत्पादन' का समाधनी दै वितरण से संबंध है। उत्पादन को अधिकतम बरने की धर्म यह है कि उत्पादित वस्तुओं के स्थिर रहने वै दग्ध में मसाधनों के वितरण में परिवर्तन बरव दूसरी चन्तुओं वा उत्पादन बम विए विना, पहली चन्तु वै उत्पादन में बूढ़ि बरना भम भव हो।' श्रीमती हिक्म ने आगे बर्णन किया है, 'यद्यपि उत्पादन अनुर द्वा आधार बहुत पहले ही मसाधनों वै समान सीमात उत्पत्ति के निम्न व न्य में

प्रकट हा चुका था। यह कोई नवीन विचार नहीं है परन्तु एक तो यह अधिकतम सूधम है और दूसरे इसम वस्तुओं का प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता इसलिए यह समस्त कथन में लागू होता है।

सावजनिक वित का दूसरा आधार उपयोगिता अनुकूलतम वी प्राप्ति है। इसम ऐसी व्यवस्था पा व्ययन बरना होगा जिससे मतुष्टि अधिकतम हो सके। यह सही है कि एक व्यक्ति की पुष्टि भी तुलना दूसरे व्यक्ति की पुष्टि से बरना एक कठिन काय है फिर भी इसको क्षतिपूर्ति की विधि द्वारा पूरा किया जा सकता है। श्रीमती हिंम के मतानु सार यदि वस्तुओं का कोई विशेष पुनर्वितरण एवं व्यक्ति का पहने की अपेक्षा इतनी अधिक तुष्टि प्रदान कर दे कि वह दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सके और फिर भी अधिक अच्छा रहे (उरा स्थिति से जैसा कि वह प्रारभ मे था) तो दोनो ही इससे सहमत होंगे कि मह एवं वितन पहरी स्थिति मे भुग्ताव होगा। उपयोगिता उस समय अनुकूलतम होती हुई कही जाएगी जब एक व्यक्ति की सतुष्टि को बिना दूसरे की मतुष्टि कम किए हुए बढ़ाना सभव हो सके।

श्रीमती हिंम के विश्लेषण से यही प्रकट होता है कि लोकवित वी वही किया उपयुक्त है जिसके बरने से यदि एक मनुष्य की सतुष्टि मे बृद्धि हो और दूसरे मनुष्य की मतुष्टि मे कभी परन्तु पहल मनुष्य वी सतुष्टि वी कभी दूसर मनुष्य की मतुष्टि मे बृद्धि से अधिक होनी चाहिए। श्रीमती हिंम द्वारा बताया गया आधार भी उतना ही कठिन और अव्यावहारिक है जितना कि डाल्टन का सामाजिक बल्याण का सिद्धात। इसके लिए व्यक्ति म बहुत ही निष्पक्ष रूप म हिसाब बिताव रखन की क्षमता होनी चाहिए। यदि इन आधारो पर सावजनिक नीतियों को निर्धारित किया जाए तो समाज को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा फिर भी इस सिद्धात को सफलतापूर्वक व्यवहार म लाने म जो बड़ी नाइया सामने आती है उह सरलता से दूर नहीं किया जा सकता।

लोकवित्त की प्रदा : मूल्य-निर्धारण तथा वितरण में भूमिका

प्रदा तथा मूल्य एवं दूनरे में पारस्परिक सम्बन्ध ने नवधित है। इन दोनों ने वृद्धि अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। इसके विपरीत प्रदा, नेतृत्वात् सूल्हों ने गिरावट आदि देश की अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर की ओर जाने का नवेत्र करते हैं। साथ ही प्रदा की वृद्धि और उनका नमान वितरण क्षत्याणुकरणी नज़्म के मुन्ह पहुँचने के जाते हैं। अत लोकवित्तीय कियाए प्रदा, मूल्यनिर्धारण, साथ तथा अन के वितरण में क्या भूमिका निनाती है, यह हमारे अभ्ययन द्वा क्षेत्र बन जाता है।

लोकवित्त तथा प्रदा

शजन्व नीति द्वारा प्रदा को मात्रा वर्गे प्रभावित किया जा सकता है। कुम्हल राज्यत्व नीति इसके लिए अनुकूल दशा विस प्रकार प्रदान कर सकती है, उसका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है।

व्यय नीति

व्यय (भाग) के द्वारा बाजार में प्रदा आहृष्ट होती है। चालू प्रदा ने लिए व्यय के हाज़िन बने होते हैं। (1) व्यक्तियों द्वारा बन्तुओं और सेवाओं की खपत, (2) व्यवस्थायों द्वारा प्रदा अपवा विक्री के ठहरे से पूजीमत भाल तथा सेवाओं का व्यय जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। तीनों प्रकार के खर्चों के लिए सामान और सेवाओं के मूल्य चालू प्रदा का बोध होता है। ये नव मिलवर प्रदा में भाग लेने वालों के लिए व्यय के बराबर आय का निर्भाल रखते हैं, जो भविष्य में पुनरत्नादान के लिए व्यवस्था किया जाएगा। यदि मूल्य व्यय की दर एक अवधि के लिए नमान रहे तो उस अवधि में प्रदा स्थानी रहेगी।

अर्थव्यवस्था में मूल्य व्यय की अस्थिरता ने प्रदा या रोजगार के अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन नमानी, अम और पूजी का पूर्ण-पूर्ण उत्पादन होता है। पूर्ण रोजगार के ठहरे के पीछे यह भावना बान करती है कि जिस गांव में उत्पादन घटता का उपयोग नहीं होता तसी गांव में नामान कर उत्पादन भी

मही होता और उगी रीमा तर गमाज वो उसो बचिन रहना पड़ता है।

इग्निए प्रभावपूर्ण माग भ अमी नहीं आने देनी चाहिए। प्रभावपूर्ण माग म अमी आने से ही प्रदा वी मात्रा पट जाती है। सोक्षित नीति वा उहै श्य अनुराल वातावरण उत्पन्न करना और आधिक शक्तियो वो इस प्रकार नियाक्षीन करना है जिससे आय अथवा प्रगायपूर्ण माग मे युद्धि हो तथा बनाए और विनियोग मे गतुरन स्थापित विद्या जा सके।

प्रदा वी मात्रा वो बढ़ाने के लिए सरखार तिजो उद्योग वो प्रत्यक्ष भवया आप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय गहायता दे राती है। ऐसा करने के लिए यह आयश्यर है जि आपारभूत गत्तना वा पूर्ण विकास है। इसलिए सरखार को ए ऐसी व्यव नीति अपनानी होती है जो यातापाता तथा नचार-वाहन के साधन, जल-विद्युत तथा विद्या आदि के विकास मे सहाया हो।

करारोपण नीति

उपरोक्त लक्ष्य भी प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यव तथा करारोपण की व्यव नीति हो राती है इसका निश्चित उत्तर देना चाहिए। दूसरा भवय वहा जा राता है जि सामान्य रूप से प्रभावपूर्ण माग मे युद्धि करने के लिए सरखार को करारोपण नीति द्वारा भाव तथा घन का गमान निररण करना चाहिए। घनी वर्ग से व्रगांशीत कर द्वारा एक्षित भाव एवं गार्वजनिक व्यव द्वारा अवेक्षावृत विधिन लोगो म वितरण करना चाहिए। प्रारभिक उद्योगो वो कुछ वर्गो के लिए कर मे मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वे परिवर्त स्तर पर दीक्ष पहुँचकर उत्पादन मे अपना योगदान दे सकें।

प्रत्यक्ष करो के गतिरिक्त परोक्ष करो वी दरो मे परिवर्तन करके भी आव्योगिक प्रदा वो प्रभावित विद्या जा सकता है। उदाहरण के लिए आयात करो मे युद्धि देने के उत्पादन तथा विकास मे गहायक हो राती है, इसी प्रकार उत्पादन घुलो के ढाने म केर-पदन करो उत्पादन को प्रभावित विद्या जा सकता है।

'प्रदा वी दर पूजी गमय वी दर का फान होती है। पूजी गमय वी दर जानू उपभोग के ऊपर उत्पादा वी अधिकता से विर्भारत होती है'। इसलिए प्रदा वो बढ़ाने के लिए तिजी वनत तथा विनियोगो वो बढ़ाने के लिए निजी वनत तथा विनियोगो वो भी अधिकार्यत बढ़ाता होगा। वर्तमान विनियोगो वो अनुत्पादक विनायोगो के इटाकर उत्पादन विनायोगो के प्रवाहित करना होगा। आधिक गताधन कम उपयोगी उद्योगो से अधिक उपयोगी उद्योगो मे व्यानातरित करने होते। नि गदेह कर ही एक ऐसा प्रभावपूर्ण वित्तीय यन्त्र है जो तिजी उपभोग वो कम कर विनियोगो वो बढ़ाने मे तथा आधिक गताधनो वो नहीं दिया मे प्रवाहित करने मे अपनी उपयोगिता रखता है।

कर उपा हेस्तातरण खोधर के परिवर्तन गूल्य स्तर तथा वातरिक प्रदा दो प्रभावित करने वी पर्याप्त क्षमता राते है। विभिन्न करो के परिवर्तन प्रदा वी कुल पूर्ण

1 R N Tripathi 'Public Finance in Under-developed Countries' (1948), The World Press Pvt Ltd, Calcutta, p 81

को बिना प्रभावित करेगे, यह इन बात पर निर्भर करता है जिसे व्यक्ति की आय व्यक्तित्व करने की इच्छा पर क्या प्रभाव दाता है। व्यक्तिगत आपकर में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने मुकाबलों को पुन वितरित कर नहींता है। पुन वितरण के द्वारा व्यक्ति स्वयं आपने उपयोग के लिए प्रधिक तथा विनियम के लिए उप उत्पादन करना चाहता है। अनेक व्यक्ति ऐसे पेंडो को अपनाना चाहते हैं कि वर योग्य आय सहनशील में आवृत्ति न जा सके। उदाहरण के लिए खेती करना या नोई ऐमा बारं करना जहां व्यक्ति स्वयं ही सेवाओंका हो तथा जिसी द्वारा वही सेवा हो न जे। इस मद्देन में डाउनली तथा एनल का मतद्वय है कि 'व्यक्तिगत आपकर की दरों की वृद्धि विनियोग के अनुरूप आने वाली बन्धुओं तथा सेवाओं की बुल पूर्ति को घटा देगी, अर्थात् एक नियत मूल्य पर वास्तुविक प्रदा कम होगी।'

लोकवित्तीय अर्थशान्तियों को जहां तक हो वोई भी नामान्य विक्री कर या बन्धु करन्यायी रूप में नहीं लगाना चाहिए। यदि वोई विक्री कर या बन्धु करन्यायी होता है तो उसका प्रभाव भी व्यक्तिगत कर के समान होता है। जैसे व्यक्तिगत कर जिसी व्यक्ति की मौद्रिक आय को उम करते हैं वैसे ही बन्धु कर भी करते हैं। इन्हीं वह अपनी बन्धु-विक आय को बटाने के लिए नुसाखों को ऐसी बन्धुओं के उत्पन्न करने में बहुत कम प्रयुक्त बरेगा जो विनियम के लिए उत्पन्न की जाएगी। परिणामस्वरूप प्रदा धर्टी। इसके दिन-रीत यदि सामान्य विक्री भूत्यायी हो तो व्यक्ति धन का मूच्य लानकरोगे मनकों। ये नवित धन को उस उमय लंबं करना चाहेगे जब विक्री के घट जाने से बन्धु का मूल्य घट जाएगा। ऐसा करने से वह नवित धन द्वारा अपनी वास्तुविक आय को बढ़ा लेगा। बराहेन की ऐसी स्थिति बन्धुओं और उदापों के उत्पादन का नहीं घटारी।

वजट नीति तथा प्रदा प्रभाव

जैसाकि हम उपर अध्ययन कर चुके हैं लोकवित्त विद्याएं, वजटनीति तथा करों के माध्यम से प्रदा को प्रभावित करती है। मस्ट्रेव ने इसे 'प्रदा प्रभाव' (Output Effect) के नाम से नवोधित किया है।¹ प्रतिपित्र अर्थशान्तियों के विचारणात जहां पूर्ण रोक-गार का आव्वासन हो बहा अम पूर्ति में ऐच्छिक परिवर्तन, बचत तथा पूँजी निर्भार में परिवर्तन द्वारा या नुसाखों के बुशल उपयोग द्वारा प्रदा को परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को 'रिकार्डो-प्रभाव' (Ricardian Effect) कहा जाता है। प्रदा परिवर्तन का अध्ययन दो दृष्टिकोण से महसूस किया जाता है। प्रथम, प्रदा में परिवर्तन आर्द्धक नपनला का मूच्य होते हैं। द्वितीय, प्रदा कल्याण के परिवर्तन का मापक होता है। उदाहरण के लिए अम पूर्ति की वृद्धि द्वारा प्रदा की वृद्धि वल्याल की वृद्धि जो मूच्य नहीं

1. Browne and Allen, 'Economics of Public Finance' (1960), The World Press Pvt. Ltd., Calcutta.

2. Richard A. Musgrave, 'The Theory of Public Finance' (1949), McGraw Hill Book Co., Inc., New York., pp 208 and 209

हो सकती यदि थम की वृद्धि माल और अवकाश के मध्य साधनों के कुशल आवटन वो विगाड़ देती है। अभावपूरक वृत्ति वित्त व्यवस्था के अतर्गत अनेक्षिक वेरोजगारी के स्तर में परिवर्तन होने से जो प्रदा में वृद्धि होती है उसे 'कीस प्रश्न प्रभाव' (Keynesian Output Effect) कहते हैं। यहा उत्पादन की वृद्धि अनेक्षिक वेरोजगारी को बढ़ा करते होनी है। इसलिए यह कल्याण की वृद्धि की ओर मंत्रित करती है।

बजट नीति द्वारा प्रदा का स्तर इस बात से भी प्रभावित होता है कि निजी क्षेत्र में साधनों का उपयोग वित्ती कुशलता से किया गया है?¹ जब तक कि सामाजिक आवश्यकताओं की सतुर्धि का समुचित प्रबंध न किया गया हो निजी क्षेत्र में उत्पादन कुशलतापूर्वक मपन्न नहीं हो सकता। सुरक्षा तथा अनुबंधों को क्रियान्वित करना इत्यादि ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनका प्रबंध किए बिना निजी क्षेत्र में बार्य कुशलतापूर्वक नहीं चल सकता। ठीक ऐसे ही सार्वजनिक सेवाएँ—शिक्षा, अन्वेषण इत्यादि भी प्रदा की वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह तभी समझ होता है जब बजट में इन सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय करने हेतु पर्याप्त धनराशि सुरक्षित बर दी गई हो।

आप का वितरण तथा बरापात प्रदा पर अपना प्रभाव ढालते हैं साथ ही प्रदा से स्वयं भी प्रभावित होते हैं।² उदाहरण के लिए यदि X कर का प्रतिस्थापन Y कर के द्वारा इस प्रवार किया जाता है कि कर से प्राप्त आप तथा सार्वजनिक उपयोग के मसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता तब भी प्रदा प्रभावित हो सकती है तथा निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आप बदल सकती है। परपराकादी अर्थशास्त्रियों की धारणा के अनुसार ऐसा परिवर्तन तब नीचे सुधार तथा साधनों के कुशल उपयोग के द्वारा आ सकता है। प्रो॰ मस्ट्रेय के शब्दों में, बजट-नीति के द्वारा सपूर्ण परिवर्तन की विवेचना ऐसी सामूहिक क्रियाओं के द्वारा हो सकती है जो वितरण अवधा करापात को परिवर्तित करने प्रदा को परिवर्तित करती हैं।³

मूल्य के निर्धारण में लोकवित्त की भूमिका

लोकवित्त वा सदृश वस्तुओं के मूल्यों से अनेक रूपों में देखा जाता है यदि मूल्य व्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वस्तुओं तथा सेवाओं का समाज में वितरण ठीक प्रवार से नहीं हो पाता। यदि धन का वितरण समान न हो, तो वस्तुओं तथा सेवाओं का पर्याप्त उपभोग समाज का वह वर्ग नहीं कर सकता जो निर्धन है।

लोकवित्त के हस्तांकोप की आवश्यकता

पूर्व स्पष्टीकरण एक आदर्श व्यवस्था अवश्य है परन्तु धनी वर्ग क्योंकि अधिक मूल्य प्रदा करने की क्षमता रखता है इसलिए वह वस्तुओं का अधिक मूल्य देकर उनका

1 Richard A Musgrave Op cit., p 54

2 Ibid p 209

3 Ibid, p 226

उपरोक्त वरने में समर्थ ही जाता है और निर्धन दर्जे उसमें वर्चित रह जाता है। इस कारण मूल्य व्यवस्था में अपर्यंता आ जाने में इन क्षेत्र में नोचवित द्वारा हमेशेकर आवश्यक ही जाता है। लोकवित्त आय और घन वा पुन दिवाल बनाए भाल तथा बन्धुओं वा आवश्यक दोष वरता है।

मार्वेजनिव वित द्वारा मूल्य व्यवस्था में हस्तक्षेप का हूमर कारण म्यार्डोफ़ यह मूल्य व्यवस्था में गुधार भाला है। यह विचारपाठ बहुत पहले में नीटूर है और उनकी विवेचना 'भासूरिक भल', 'दाहु म्यतिया' वा 'एडोज़' शीर्षक के अन्तर्गत की जाती है। यह शब्दावली उन भालों के लिए प्रयोग वी जाती है जिनसे उनके भुजादित बेता ही नहीं अपितु अन्य व्यक्ति भी लाभ उठाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भल भाग (message pipe) की भेदभाए सेरा है तो अन्य व्यक्ति भी उससे लाभान्वित होते हैं। अतः यह मार्वेजनिवों वी भलादनाए कम ही जाती है। यदि उस भाले द्वालने द्वाली बहुत बदलिया एवं ही धोक में असली सेवाओं को अन्युन बरने के लिए म्यार्डो उसे नहीं तो नार्वेजनिव दृष्टि में अलाभप्रद होता। इचालिए सरकार द्वारा ऐसी म्यार्डो वी कम बरना होता। म्यार्डो के समाप्त होने पर ऐसी केवलाओं के निर्माता एकाधिकार वी नियन्त्रि में आ जाते हैं। ऐसे निर्माता एकाधिकार वी स्थिति में आने के कारण सेवाओं का अनुचित मूल्य प्राप्त न बरे, सरकार का हस्तक्षेप और भी अनिवार्य ही जाता है। विकलो, जलवृत्ति तथा देशीकोन निवारों के प्रश्न बरने में भी यही सिद्धात सामूहिक होता है। यदि सरकार इन सेवाओं वी लागत से कम मूल्य पर प्रदान बरना चाहे तद इन हानि वी क्षदिप्रूति दिन प्रदान होती, सोइदित अदिकारी ही इन पर विचार रहे।

एक निजी उत्पादक अपने उत्पादन वी मात्रा दो तथा साइनों के सुर्दोग दो तथा बरते समय त्याग को दृष्टि में रखता है, जिसकी अनिव्यक्ति उत्पादन लागत से होती है। याथ ही वह उत्पन्न भाल वी उपयोगिता के मृजन वी भी प्राप्त में रख बर बलता है। इन दोनों दार्तों का प्रभाव उत्पादन की विक्री से प्राप्त याय पर भी पड़ता है, जिसकी उत्पादक अपने उत्पादन सदबी निर्णय वी सेतु समय उत्पन्न अप्रत्यक्ष त्याग तथा अप्रत्यक्ष उपयोगिता को दृष्टिगत नहीं रखता जो उपने उत्पादन से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार, उन वस्तु के उपयोग के भी युछ अप्रत्यक्ष प्रभाव हो जाते हैं। अब एक निजी उपभोक्ता अपने उपयोग वी सीमा तया उत्पन्न रखना तय बरता है तब वह केवल उसी उपयोगिता दो ध्यान में रखता है जिसे वह अक्षियत एवं में प्राप्त बरता है। उत्पन्न निजी उपयोग समाज के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव दालता है यह उसकी चित्रा का पिष्य नहीं होता। यही 'अप्रत्यक्ष प्रभाव' है जो नि आधिक व्यवस्था चिद्वात (Economic Welfare Theory) के ध्यान वा महत्वपूर्ण मग है।

'व्यवस्था चिद्वात' का एक मुख्य निष्पर्य यह है वि उत्पादन तथा नाय के संदर्भ में वह व्यवस्था, जिससे निश्चित मूल्य परिसाम उत्पन्न भाल का दोष होता है, उन समय तब श्रेष्ठतम स्थिति उत्पन्न नहीं करती जब उस निष्पी उपयोगिता तथा निजी उत्पादन

के अप्रत्यक्ष प्रभावों को दृष्टि मे न रखा जाए।¹ इसलिए ऐसी स्थिति मे जहा अप्रत्यक्ष प्रभाव दृढ़ता मे उपस्थित होते हैं मरवार के हस्तक्षेप को किसी न किसी रूप मे आमंत्रित करने के लिए विवश करते हैं।

मूल्य, सीमात लागत, निजी सीमात उपयोगिता तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता मे सबध

हम एक ऐसी स्थिति की व्यतीना कर सकते हैं जहा एक गतिविधि की उपयोगिता निजी क्रेता के अनिरिक्त समाज को भी प्रभावित करती है। ऐसे मे यदि हम उत्पादन मे निश्चित मूल्य परिमाण समायोजन की विचारधारा को लेकर चलते हैं तब उत्पादन की सीमात लागत सामान के मूल्य के बराबर होगी।

यदि माग पथ के लिए निश्चित मूल्य परिमाण समायोजन की विचारधारा लागू की जाती है, तब हम एक ऐसा साम्य प्राप्त होता है जहा मौद्रिक रूप मे आरी गई निजी सीमात उपयोगिता, मूल्य के बराबर होती है। यह हम पहले ही उत्तरेष कर चुके हैं इनिजी सीमात उपयोगिता सामाजिक सीमात उपयोगिता से कम होती है। इसलिए निश्चित मूल्य परिमाण समायोजन के आधार पर मूल्य, सीमात लागत, निजी सीमात उपयोगिता तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता मे जो सबध होगा उसे निम्न रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। सीमात लागत = मूल्य = निजी सीमात उपयोगिता < सामाजिक सीमात उपयोगिता।

सामाजिक अनुकूलतमता (Social Optimality) की यह माग है कि सीमात लागत सामाजिक सीमात उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। यदि समायोजन उपर्युक्त आधार पर हुआ हो जहा सामाजिक सीमात उपयोगिता की तुलना मे मूल्य कम रहा हो, तो उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा मे नहीं होगा। यदि इस पथ से विचरित होकर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो सामाजिक सीमात उपयोगिता घटती है। ऐसा करने से साम्य के उस विदु पर तो पहुचा जा सकता है जहा सीमात लागत सामाजिक सीमात उपयोगिता के बराबर हो जाए परतु ऐसा करने से उस वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा।

उपरोक्त भवीष्यत मे सखार के विसी विशेष हस्तक्षेप के बिना निजी उत्पादन के सबध मे श्रेष्ठतम समायोजन निम्न दो रीतिया द्वारा लाया जा सकता है।

यदि सामाजिक सीमात उपयोगिता की तुलना मे मूल्य कम होता है, जैसा कि उपरोक्त समीकरण मे है तो हम अमतुलन को दूर करने के लिए प्रथम रीति के अनुसार निजी उत्पादकों को अनुदान देकर दूर किया जा सकता है। परतु ऐसा करने से दो मूल्य उपस्थित हो जाते हैं। प्रथम मूल्य वह है जो उत्पादक प्राप्त करता है (निजी उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य + मरवार द्वारा दिया गया अनुदान) दूसरा, वह नीचा मूल्य है

1 Lief Johnson 'Public Economics' (1969), North Holland Publishing Co., Amsterdam, p. 178

जो निजी उपभोक्ता भरीदते समय देता है। इन दोनों मूल्यों के अतर के बगावर ही प्रत्येक इकाई पर मिलने वाला उपदान तथा होता है। ऐसी दशा में मनुष्य की स्थिति निम्न है और रहेगी।

मीमात लागत = उत्पादक को मिलने वाला मूल्य > उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य — निजी मीमात उपयोगिता < सामाजिक सीमात उपयोगिता।

इस प्रकार उचित माना में उत्पादन देवर सीमात लागत तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता में समानता लाई जा सकती है।

दूसरी रीत यह ही सकती है कि उत्पादन ही लोक प्रबंध के अतर्गत किया जाए। यहा भरकार को एक ऐसी मूल्य नीति अपनानी होगी जिसके अतर्गत मूल्य, सीमात साधन से कम रखा जाएगा ताकि इन दोनों का अतर उपभोग की अप्रत्यक्ष उपयोगिता के बराबर रहे। ऐसी अवस्था में जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

मीमात लागत > उत्पादक को मिलने वाला मूल्य = उपभोक्ता का मूल्य = निजी मीमात उपयोगिता < सामाजिक सीमात उपयोगिता।

इस प्रकार मीमात लागत से नीचे एक उचित स्तर पर मूल्य निर्धारित करके सीमात लागत तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता में समानता लाई जा सकती है।

सार्वजनिक उद्योगों अथवा संस्थाओं द्वारा उत्पन्न माल अथवा सेवाओं के मूल्य तथा करने में उपरोक्त सिद्धातों को नागू दिया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा मदेशवाहन के साधनों की उपलब्धि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ऐसे वायों को निजी उत्पादकों की अपेक्षा सरकार द्वारा सपन्न किए जाने के मत में एक महत्वपूर्ण तर्फ़ यह दिया जाता है कि ऐसी सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिक होते हैं तथा मूल्य निर्धारित करने में इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। निजी उत्पादक ऐसा नहीं कर सकता। स्वास्थ्य सेवा के अतर्गत लोगों के टीका लगाने का एक ऐसा ही उदाहरण है जब निजी व्यक्ति के टीका लगाने से महामारी से बचाव की उपयोगिता केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती जो उस टीके को लगाता है। अपितु, अन्य व्यक्तियों को भी कुछ सामाजिक उपयोगिता प्राप्त होती है। इसलिए टीके की दवाई का विक्रम मूल्य लागत से नीचे रखना चाहिए ताकि नागरिकों वो टीका लगाने अथवा वो लगाने के चूनाव की पूर्ण स्वतंत्रता रहे।

कुछ ऐसी ही विचित्र परिस्थितिया उस रामय आती हैं जहा 'एक' की सेवा का प्रबंध सबकी सेवा का प्रबंध होता है। ऐसी सेवाएं अविभाज्य होती हैं। चाहूं आपसमें से प्रतिरक्षा तथा पुलिस मुख्या इसके उदाहरण हैं। इन्हें 'मुद्र सार्वजनिक माल' (pure public goods) भी कहते हैं। ऐसी सेवाओं में मूल्य की विचारधारा नागू ही नहीं होती। यदि इन सेवाओं का प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में छोड़ दिया जाए तो इनका उत्पादन निश्चय ही दूसर्या हो जाएगा। यदि स्पर्दात्मक क्षेत्र का नियमन न किया जाए वह तेजी और मदी का विकार हो जाएगी।

लोकवित्त की आय तथा धन के वितरण मे भूमिका

सामान्य आधिक व मामाजिक नीति वे मदर्म मे अधिक उत्पादन और समान वितरण दोनों ऐसे उद्देश्य हैं जिनका बहुत ऊचा स्थान होता है। बुद्ध व्यक्तियों वा यह विचार है कि उत्पादन की बृद्धि, वितरण वे सुधार की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। वास्तव मे यह विचार अब उन देशों वे मदर्म मे प्रस्तुत किया जाता है जो कि पहले ही विकास वे ऊचे स्तर पर पहुच चुके हैं तथा जिनम विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं मे उत्पादन की बृद्धि वे साथ-साथ बहुधा अपेक्षाकृत अधिक आधिक समानता रही थी और अधिक मात्रा मे विकास हो जाने पर ही उनमे आय और धन वे वितरण की समानता वा पहलू समिने आया था। 19वी शताब्दी के आधिक विकास वे सबध मे मह एवं ऐतिहासिक सरय भाना जाता था। उम समय राजनीतिक जनतत्र अपनी शिशु अवस्था मे था और कल्याण राज्य की धारणा सामने नहीं आई थी। धाज के गुण मे आधिक व माजनीतिक दशा और उनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया ए 19वी शताब्दी की तुलना मे बिनकुल भिन्न हैं, 19वी शताब्दी मे राजनीतिक उन्मुक्तवाद और आधिकनिर्धारणीति वा बोलबाला था। आज हम आय तथा धन वे समानता वे प्रदेश को आधिक व सामाजिक शक्तियों पर नहीं छोड़ सकते।

प्रत्य विकसित देशो मे तो आय और धन की असमानताए उत्तेजनीय हैं जो उनकी आधिक दशा और संस्थागत काचे से उत्पन्न होती हैं। असमानता के मूल कारणो को धीरे-धीरे मिटाकर ही समानता की भी जापा जा सकता है।

समानता की आवश्यकता

आय और धन वे वितरण की समानता के सबध मे लीन विचार प्रस्तुत रिए जाते हैं। प्रथम विचार यह है कि जो अमागे हैं उन्हे आधिक सहायता देना आवश्यक है। द्वितीय, आय के एक आवश्यक स्तर से निम्न आय वाले व्यक्तियों की आय को सहायक आय के स्व मे पुनर्वितरण करने वा उद्देश्य होता है। तृतीय उन दशाओं को दूर करने की दिशा मे प्रयाम होते हैं जो असमानता को उत्पन्न करते हैं तथा उसे बढ़ाते हैं। पुनर्वितरण मे उद्देश्य को विस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है उसका वर्णन मस्त्रेव ने निम्न शब्दो मे किया है।

पुनर्वितरण के उद्देश्यों को विस अश तक साध्य बनाया जा सकता है, सामाजिक मैदाओं के स्तर पर निर्भर करता है। और सामाजिक सेवाओं वे स्तर का निर्धारण मामाजिक आवश्यकताओं को मतुष्ट करने की बास्तविक मांग पर नहीं अपिनु पुनर्वितरण पर आधारित होता है।¹

पुनर्वितरण तथा आधिक कल्याण

यदि यह विचार स्वीकृत कर लिया जाता है कि समाज को ऐसे व्यक्तियों की अहायता करनी चाहिए जो अपनी अहायता करने मे अयोग्य हैं तो इसमे यह निषेद-

निहित है कि समाज आय तथा धन के पुनर्वितरण की इच्छा स्वीकार करता है। ऐसी परिस्थिति में मरकार आय और धन के वितरण में उदामीन नहीं रह सकती क्योंकि जहरतमदों वो सहायता देने के निर्णय का अर्थ है अच्छी स्थिति (better off) से बारबर स्थिति (worse off) के व्यक्तियों को धन का पुनर्वितरण। जी० मी० होवर्नर ने कहा है, 'यदि आय और धन ना असमान फैलाव है तो आवश्यनताएँ समान रूप से सतुष्ट नहीं होती।'¹ दूसरे शब्दों में मरकार द्वारा पुनर्वितरण आर्थिक कल्याण के बढ़ाने में महायक होता है। इस विचार की पुष्टि डाल्टन के निम्नसिद्धि वाक्य से होती है-

'आय की साधनकर्ता आर्थिक कल्याण के माध्यम में है, समाज के आय की अधिक असमानता में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अधिक असमान आर्थिक कल्याण की प्राप्ति निहित है। उसमें समावित आर्थिक कल्याण का विनाश भी निहित है। सामान्य भाषा में यदि इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाए तो आय के असमानता का विरोध इसलिए किया जाता है कि उनी व्यक्तियों की कम महत्वपूर्ण आवश्यक आवश्यकताएँ तो मतुष्ट हो जाती हैं जबकि निर्धनों की अधिक महत्वपूर्ण आवश्यक आवश्यकताएँ विना सतुष्ट हुए रह जाती हैं। घनिकों का आवश्यकता से अधिक पौष्ट होता है जबकि निर्धन भूष्ट रह जाते हैं। यह केवल अर्थशास्त्र के उपयोगिता हूस नियम की व्यवहारिकता है जो यह बतलाती है कि अन्य वातों के समान रहने पर जैसे विस्ती वस्तु जी मात्रा, या अधिक उत्तमान्य रूप में अवशक्ति बढ़ती है उसकी कुल उपयोगिता भी बढ़ती है परतु उसकी सीमात उपयोगिता घटती है।'²

इसलिए आय व धन के अवसरों में व्यापक मात्रा में समानता प्राप्त बरता आर्थिक विकास, साधारित उत्तम तथा आर्थिक कल्याण की दृष्टि का एक महत्वपूर्ण भग बन गया है। यह मात्र भव बहुत समय तक नहीं टाली जा सकती कि करावान वा यत्र आय के ऐसे पुनर्वितरण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो सामाजिक न्याय के अधिक अनुरूप हो। कर प्रणाली निरिचत रूप से इन उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता कर सकती है। राजस्व प्रणाली में इस दिशा में निरिचत रूप से दत दिए जाने पर आय और धन के वितरण में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह घारणा हमें उस जाच के लिए प्रेरित बरती है कि कर प्रणाली असमानताओं पर उभ बरते की दिशा में क्या न उठकरी है और द्वितीय, यह प्रक्रिया निजी उत्पादकों के उत्तम तथा प्रगतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना कहा तक आगे ले जाई जा सकती है।

सरकार द्वारा आय तथा धन वितरण में परिवर्तन

सरकार आय तथा धन के वितरण को दीन प्रकार से प्रभावित कर सकती है सुवंप्रथम, सरकार आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति के लिए उपहार कर तथा मृत्यु कर नगावर एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है या सुवाधन स्वामित्व के

1. G C. Hockley, 'Monetary Policy and Public Finance' (1970), p. 74.

2. Dalton, 'Public Finance' (1959), Routledge & Kegan Paul Ltd
London, p. 10.

प्रारूप को बदल सकती है। समाजवादी सरकार ससाधन के स्वामित्व कानूनिक प्रबंध करती है। अधिक पश्चात्य सुसाधनो का स्वामित्व तो सरकार के अधीन ही होता है। ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न आय को व्यक्तियो मे सामाजिक सामाजिक के रूप मे वितरण कर दिया जाता है। द्वितीय, सरकार न्यूनतम मजदूरी या विभिन्न वस्तुओ के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके ससाधनो के मूल्यो के प्रारूप को बदल सकती है। तृतीय, सरकार ससाधन स्वामित्व से उत्पन्न व्यक्तिगत आय को व्यक्तिगत आय कर या सार्वजनिक व्यय के द्वारा परिवर्तित कर सकती है। प्रगतिशील व्यक्तिगत आय कर घनी व्यक्तियो की आय को घटाने मे सहायक होगा तथा निम्न आय स्तरीय व्यक्तियो को प्रत्यक्ष भुगतान या उनके लिए कुछ विशेष सरकारी सेवाओ का प्रबंध घन के वितरण को समान करने मे अपनी सहायता अवश्य दे सकता है।

संसाधनों की पूर्ति की अल्प विकसित देशों में गतिशोलता

मसाधनों के गतिमान वी समस्या बेवल वित्तीय माधनों के जुटाने तक ही सीमित नहीं होती अपितु वास्तविक मसाधनों को एकत्र चरने की होती है। चाहे देश अल्प विकसित हो या पूर्ण विकसित, सभी को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए मसाधनों की गतिमान वरना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में वित्त एवं ऐमा माध्यम है जिसकी सहायता से बाल्तविक मसाधनों पर कानून पाया जाता है। यद्यपि समाधनों की पूर्ति में परिवर्तन वा विचार अस्पष्ट है तथापि इन मदद में इतना कहा जा सकता है कि इगका अर्थ बर्तमान मसाधनों ने खुदि अपना बर्तमान सामग्री वा अधिक उपयोग करना है।¹ वास्तविक मसाधनों का अध्ययन अनेक जटिलताओं के मध्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम श्रम औ लौ श्रम वी बर्तमान स्थिति में परिवर्तन, जनसूच्या के आवार में परिवर्तन तथा जनसुच्या के कार्य करने वी समता में परिवर्तन आदि अनेक वहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा। जनसूच्या ने कितने व्यक्ति कार्य करने योग्य हैं, वित्तने कार्य करने योग्य नहीं हैं, श्रम शक्ति पर आमु रखना का क्या प्रभाव है, आदि अनेक वातों वा व्यान रखना आवश्यक है।

ठीक ऐसी ही जटिलताएँ पूजी के सबम में भी आती हैं। पूजी में परिवर्तन उसी समय हो सकता है जब सोग अपनी आप का कुछ भाग सचेत करने की तैयार हों। सचेत करने की विचारधारा उसी समय प्रवल हो सकती है जब विनियोग करने के अवसर उपलब्ध हों। इसी प्रवार पूजी वा अधिकतम उपयोग भी वई वातों पर निर्भर करता है, जैसे देश में कुत यत्रों का वित्तना भाग प्रयोग में आता है, तथा मशीन वा प्रयोग निरनी पासियों में होता है। जब तक हम इन जटिलताओं को दूर नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना समव नहीं होगा।

अध्ययन वो सरल एवं सहज धनाने के लिए हम यह ज्ञात करना चाहेंगे कि

1 A R Prest 'Public Finance in Theory and Practice' (1960), Weidenfeld and Nicolson, Lond , p 66


कर तथा सोडव्यय श्रमिक को कार्य करने के लिए कितनी प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा पूजी के एवं त्रीकरण को कितना प्रभावित करते हैं।

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि हमने थम और पूजी की पूर्ति को ही क्यों लिया। अन्य समाजन क्या छोड़ दिए? उसका कारण यह है कि अन्य प्रबार के स्रोतों का अध्ययन इन दो स्रोतों के अध्ययन से पूर्ण हो जाता है। राहग की पूर्ति, थम की पूर्ति के भ्रतर्गत आ जाती है। जो धारणा हम थम और पूजी के सबध में बनाएंगे वही पूर्णत थम की पूर्ति के सबध म भी लागू हो जाएगी।

आदर्श दशाएं

हमने पिछले अध्याय में उन दशाओं का वर्णन किया है जिनमें उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न उपयोगों में बटवारा अनुकूलतम आधार पर किया जाता है। इसके बाद हमने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि विभिन्न प्रकार के कर इस अनुकूलतम बटवारे से साधनों को कितना विचलित कर देते हैं। यहां भी हमारे अध्ययन की रीति बहुत कुछ बिंदी ही होगी। थम वे इन्टर्वल उपयोग की दशाओं का वर्णन अनेक प्रबार से हो सकता है। परंतु सबसे सरल वह दशा होगी जहा थम को कार्य एवं अवकाश के मध्य बाटने का प्रदन उठता है।

मरलता के लिए हम यह मान सेते हैं कि एक मनुष्य प्रति सप्ताह किए जाने वाले कार्य के घटों में परिवर्तन करने के लिए इच्छुक है। यद्यपि यह बात अवास्तविक-सी लगती है परंतु शारभ में सरलता लाने के लिए आवश्यक है। निम्नान्ति चित्र इस धारणा को सहज होने म सहायता दे सकता है।



चित्र 4

यहां हमने X-अक्ष पर अवकाश तथा Y-अक्ष पर अर्जित धन नापा है। इनकी सहायता से मूल्य अवसर वक्र (price opportunity curve) यीके जा सकते



है। यह दफ्तर दिखाना है कि अद्वाय की विनिल जाग्रत्तों के तथा ने बित्तना भवित्तु इन जान होता है। यदि वोई नमूल्य 6 घटे बार्य बरता है तो उनकी भवित्त जाप 20 रुप होती है, 12 घटे बार्य बरता है तो भवित्त जाप 40 रुप होती है। अद्वाय एवं भवित्त जाप के मंदिर वो दिखाने वाले ऐसे अनेक दश हो नवाने हैं जैसे चित्र (4) में दश I या दश II दिखाए रखे हैं। इन जीवों वालों ने P ही नदीनम बिट्ठु होया जहा उदासीन दश। हाँ अद्वाय नामन को न्यून बरतो है। इन बिट्ठु पर आप और अद्वाय की जीवान प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ राष्ट्रों ने यह स्थिति इस बिट्ठु का दर प्रति दश नज़दीके नामान ही जाती है। हाँ राष्ट्रों ने यह स्थिति इस बिट्ठु का प्रतिनिधित्व नहीं है जहा आप की जीवान उच्चोगिता दश नहीं है और आप की जीवान उच्चोगिता उन जीवान तक चढ़ ही गई है जिसे दोनों दोन एवं नज़दीके दशावर ही गई है। यह बिट्ठु दिखाता है कि अद्वाय की एक नियत प्रायोनित्य और अद्वाय नज़दीके की दर पर एवं व्यक्ति बित्तना बार्य बरता चाहेगा। अद्वाय यह जान लेते हैं कि एवं व्यक्ति इन नमूल्य की स्थिति में है। जीवी नामेशिक बर द्वाया जो परिवर्तन अस्या उनकी नुस्खा इन नमूल्य स्थिति के जीवाएँ। प्रददन यद्यन वा नामेशिक बर योग्य नियन चिह्नियों द्वाया दिया जा सकता है।

आनुपातिक एवं प्रगतिशील करों का यद्यन की पूर्ति पर प्रभाव

इन वर्णों के प्रभाव जानने के लिए हम अपना अपाल इच्छावाल दर बेटिन बरों के इन वर्णों के लगाए जाने पर यद्यन का बहा तब उत्पन्न होता है या ये बर वर्ण बरने की इच्छा को बहा तब प्रभावादिन बरते हैं। इन नियन का प्रारंभ हम यों बरों के लिए वि. २० X के प्रति व्यक्ति बर (poll tax) तथा जान जाप उत्पन्न बरते चालों पर दोन अपाल के नमूलात ने लगाए गए आप बर वा कदा नामेशिक प्रभाव होता है।

जान आप उत्पन्न बरने वाले प्रति व्यक्ति बर (poll tax) तथा नमूल अपाल बर (flat rate income tax) में आदान अतर यह है कि दूनपरी स्थिति में एवं अनुभुतों की नुस्खा में अद्वाय वा नूल्य नामेशिक परिवर्तन ही नवता है, जबकि नमूल स्थिति में ऐता नहीं होता। दोनों स्थितियों में 'आप प्रभाव' (income effect) जान द्योतन होते हैं। परन्तु 'प्रतिनिधान प्रभाव' (substitution effect) में अतर होता है। चित्र (5) और (6) इन्हीं घटनों को प्रदर्शित करते हैं।

चित्र (4) में जान इन विचारों में जी P₁ दस तथा वा प्रतिनिधित्व बरता है कि जीवी जी बर वो नमूलने के पूर्व आप और अद्वाय की जीवान प्रतिनिधान दर प्रति यद्यन भवित्त जाप के जान होती है। दोनों चित्रों में हारे व्यक्ति को OR रसए भवित्त बरने के लिए प्रति दिन QB वर्ट बार्य बरता पड़ता है। यदि उनकी भवित्त जाप पर 50 प्रति शत वा बर जान दिया जाए तब भवित्त अनन्तर रेखा (carrying opportunity Line) AB न रह बर BC हो जाएगी जिनका दान AB की नुस्खा में आया होता। अब नमूलन AB न रह बर BC हो जाएगी जो उदासीन दश II को BC पर न्यून बरता है। चित्र (5) में वा नमूलन बिट्ठु P₁ होता जो उदासीन दश II को BC पर न्यून बरता है। चित्र (6) में यह बिट्ठु P₁Q के दाईं ओर स्थित है जो यह नवता बरता है कि पहले की अनेक अन यह बिट्ठु P₁Q के दाईं ओर स्थित है जो यह नवता बरता है कि पहले की अनेक अन भवित्त बार्य बरता होता। चित्र (6) में यह बिट्ठु P₁Q के दाईं ओर स्थित है जो



चित्र 6

पहले की अपेक्षा वर्ष बार्य बरने वा मैन न रहा है। प्रथम उदाहरण में 'आय प्रभाव' व्यक्तियों को अधिक बार्य बरने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यहाँ 'प्रतिस्थापन प्रभाव' अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। चित्र (6) में स्थिति चित्र (5) के विपरीत है। यहाँ 'प्रतिस्थापन प्रभाव' अधिक महत्वपूर्ण होगा, परन्तु यह विश्वासपूर्वक नहीं वहा जा सकता कि बोन-न्या 'प्रभाव' वर्ष उपस्थित होगा।

यदि भवान आय उत्पन्न बरने वाला प्रति व्यक्ति वर (poll tax) नया दिया जाए तब हमारे पास नवीन आय अर्जित अवमर रखा A' B' होगी। क्योंकि बार्य और अवमान वी शर्तों में छोड़ परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए A' B' AB के समानातर होगी। क्योंकि हम प्रति व्यक्ति वर से समान आय वी मान्यता निराकार वर चुके हैं इसलिए A' B' रखा P₁ विटु से होकर गुजरेगी। उत्पन्न वक्ता III A' B' रखा से P₂ विटु पर स्थित बरती है। P₂ नवुन विटु उस स्थिति वा वर्णन बरता है जहा P₁ या P₂ विटु वी तुलना में हमारा व्यक्ति अधिक घट बार्य बरेगा। चाहे चित्र (5) हो या चित्र (6) P₁ विटु इसी स्थिति का वर्णन बरता है।

अब दोनों प्रवार वे दोनों वा अतर स्पष्ट हो जाएगा। एकमुक्त वर (प्रति व्यक्ति वर) की अवस्था में व्यक्ति को अपने बार्य के घटे परिवर्तित वर के अपने वर दायित्व में परिवर्तन भाना समझ नहीं होता है। हा, आय वर वी स्थिति में बदलेगा वर सकता है कि आय वर से अवकाश वी दीमान लागत घट जाए और वह उसका उपयोग अधिक बरने लगे।

आय वर तथा उत्पादन शुल्क का श्रम की पूर्ति पर प्रभाव

इस विचार का अध्ययन बरने के लिए हमें इसी अध्याय के चित्र (4) तथा (5) का गुननिगीक्षण बरना होगा। इन चित्रों में जैसे यह दियाया गया है कि एक वस्तु पर लगाए गए उत्पादन शुल्क की तुलना में सामान्य आय वर मनाधनों के अवधान पर अच्छा प्रभाव हालता है। ऐसे ही भवान आय बाले वर वी अपेक्षा एकमुक्त वर मजदूर जो इसी तटस्थ रखा पर ले जाएगा। इनमें से जो भी वर बार्य तथा अवकाश वे विनिमय वी शर्तों में परिवर्तन लाएगा वह मजदूर जो नीचे वी तटस्थ रखा पर ले जायेगा।

राजकीय स्थानातरण तथा अन्य व्ययों का श्रम की पूर्ति पर प्रभाव

यहाँ सरकारी स्थानातरण का अनिप्राय वर द्वारा एक वी गई मनरक्षि का प्रत्येक व्यक्ति वी एकमुक्त में लौटाने से है। इस विचार का वोध करने के लिए भी हम इसी अध्याय के चित्र (5) तथा (6) को सहायता लेंगे। हम यह सोचना चलते हैं कि P₁ विटु प्रारम्भिक स्थिति को बरतता है। P₂ विटु आय वर के लगाने के उत्पात की स्थिति वी दर्शाता है। वर द्वारा प्राप्त धनरक्षि वी लौटाने के बाद हमारे बर्तमान व्यक्ति के लिए अब एक नई अर्जित आय अवमर रखा A'B' उपस्थिति होगी जो CB के समानातर होगी। अब नई सतुलन वी स्थिति P₁ विटु दिखाता है। यह वह विटु है जहा उत्पादन वक्ता IV उस विटु वी स्पर्श बरता है जहा A'B' तथा AB रखाए एक-दूसरे वी बाटती हैं। P₁ तथा P₂ विटुओं वी तुलना बरने से यह संकेत मिलता है कि भव पहले वी अपेक्षा

आय कम घटे जिया जाएगा।

आय कर तथा पूजी कर का बचत की पूर्ति पर प्रभाव

अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रस्तुत प्रवरण में आय को, विनियोग आय के हप में लेंगे। सर्वप्रथम हम पूजी पर लगाए गए वार्षिक बर की तुलना विनियोग आय पर लगाए गए बर से करेंगे। इसके उपरान्त हम विनियोग आय पर लगाए गए बर की तुलना अनावर्ती पूजी कर से करेंगे। पूजी बर मृत्यु बर तथा एष वार्षी अनावर्ती पूजी बर के रूप में हो भवता है। हम पाठ्य को प्रारम्भ में ही सचेत बर दें कि वार्षिक पूजी कर विनियोग कर का पर्याप्त स्थानपन्न है। घोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि किसी विनियोग से औसत प्राप्ति 5 प्रतिशत है। हम यह भी मान लेते हैं कि 20 प्रतिशत का विनियोग आय कर तथा 1 प्रतिशत का पूजी कर सामान परिणाम उपस्थित करता है। इस अल्पना के आधार पर हम यह सबते हैं कि उन व्यक्तियों को विनियोग आय पर अधिक पर अदा करना पड़ेगा जिनकी आय औसत विनियोग आय से अधिक है। दूसरे शब्दों में पूजी कर अदा करने वालों की तुलना में पूजी से आय प्राप्त करने वाले प्रतिकूल अवस्था में होंगे। युछ अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि पूजी कर पूजी की मूल्य बढ़ि (capital appreciation) को दिति करता है, जबकि विनियोग आय कर ऐसा नहीं करता। इन तरहों के आधार पर दोनों में से बीतना कर बचत को प्रोत्साहित करता है? उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि विनियोग आय पर लगे बर की तुलना में पूजी कर तरल परिमपतियों (liquid assets) तथा गैर आय मपतियों (non-income yielding forms of wealth) पर अधिक छठोर भार करता है और अधिक जीविमपूर्ण उदाहरणों में विनियोजित पूजी के लिए उदार रहता है। इसलिए पूजी कर, उन गमावित बचत-इर्षायों को जो रापति को तरल कोपों से रखना चाहते हैं निरसाहित करता है परन्तु विनियोग कर ऐसा नहीं करता। यदि पूजी कर गैर आय मपतियों में से गमावित अधिव्यय (dissaving) को प्रोत्साहित करे तो निश्चित ही अधिव्यय के बढ़ने से बचतें पट जाएंगी।

अब हम जात बरना चाहेंगे कि सामान आय अर्जित करने वाले मृत्यु बर तथा विनियोग आय कर का बचत की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विनियोग आय कर का बचत की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विवेचन में हमारी यह मान्यता है कि मृत्यु कर, मृत्यु लेय बरने वाले पुण्य (testator) की मपति के आधार के अनुसार तथा अनुपातिक रूप में लगाया जाता है। यदि विनियोग आय कर का प्रतिस्थापन समान आय अर्जित करने वाले मृत्यु-बर से कर दिया जाए तो वह समाज के विभिन्न आयु-बगों (age groups) को विभिन्न रूप से प्रभावित करेगा। नवयुवा जानते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सपूर्ण गति उन्हें प्राप्त मही होगी जबकि सरकार उम्रवा एवं भाग कर के रूप में बमूल बर लेगी। इसलिए यह वर्ग अधिक बचत बरने के लिए प्रोत्साहित होगा। बढ़ लोग अवश्य ही अपने दोष जीवनकाल में व्यय की भाँता बढ़ा देंगे।¹

¹ A R Prest op cit., p. 87

परन्तु दूसरी ओर वार्षिक विनियोग आय वर का मृत्यु कर से प्रतिश्यापन बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रेरणा जो अक्षिभान बनाता है। ऐसी बचत 'बुद्ध बचत' (hump saving) होती है जो मृत्यु से पहले खर्च करने के इरादे से एकत्र की जाती है और जो मृत्यु वर योजना में मृत्यु वर से मुक्त होती है। परन्तु उससे उत्पन्न आय, विनियोग आय वर व्यवस्था में बदलायी होती है।

इस विवेचना के उपरात, हम यह निष्पर्ण निकालते हैं कि समान आय घटित करने वाले विनियोग आय वर की अपेक्षा बचतों के लिए मृत्यु वर कम हानिकारक होते हैं।¹

अत में अनावर्ती पूँजी वर तथा मृत्यु वर (जिसकी पुनरावृत्ति समय 30 वर्ष के बाद होती है) के तुलनात्मक प्रभाव यों जात करना शोष रह जाता है। दोनों में अतर यह है कि पहला जीनन जात में केवल एक बार घटित होता है तथा दूसरा जीवन के पश्चात् अनावर्ती पूँजी वर व्यक्ति के जीवनकाल में ही पूँजी से प्राप्त आय तथा पूँजी के स्वामित्व से प्राप्त प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रस्त्यान वरा देती है जबकि मृत्यु वर मृत्यु वर सुरक्षा को प्रभावित न करके उसके कुटूब योग्यतारित करता है। इस आधार पर मृत्यु वर की अपेक्षा अनावर्ती पूँजी वर बचत बरने में अधिक बाधक होता है। यदि अनावर्ती पूँजी वर लोगों पर अनापास ही लगा दिया जाए और उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए तिवारी वह केवल एक बार ही लगाया जाएगा तब मृत्यु वर की तुलना में अनावर्ती पूँजी वर का वार्षिक बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़े।

अधं विवित देशों में स्रोतों को गतिभान बनाना

ऐच्छिक बचतों के कम होने के बारण अविकसित देशों के विकास के वार्षिकमात्रों में बड़ी बाता उत्पन्न हो जाती है, कुछ सीमा तक उत्पन्न उपभोग तथा अनुत्पादन विनियोग कम करके, विदेशों से ऋण लेकर स्थानिक एवं निजी अनुदान प्राप्त वर वित्तीय दबाव यों हल्का दिया जाता है। अविकसित देशों में स्रोतों को पर्याप्त मात्रा में गतिशील बरने के लिए सरकारों को आगेपित बचतों का सहाय लेना पड़ता है। सार्वजनिक अर्थव्यास्त्र के इस कार्य के निभाने यों रेग्नर नक्से ने अविकसित बचत बृद्धि अनुपात (incremental saving ratio) को आविक विकास का निर्धारण बरने वाला तत्त्व कहा है। य दत्त्व स्वयं नहीं बढ़ते अपितु इनकी बढ़ाने वा प्रभास किया जाता है। यदि ऐसे प्रयान नहीं किए जाएं तो बढ़ती हुई आय बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग में खप जाएगी। अविकसित देश विकसित देशों के उपभोग नमूनों (consumption pattern) से आइप्ट हानकर बढ़ती हुई आय यों के उपभोग में लगा देते हैं। परन्तु बचत अत्यव अल्प रहती है। इस प्रदर्शनकारी प्रभाव (demonstration effect) को कम बरना आवश्यक होता है। सार्वजनिक वित्त में प्रत्यंत समाजनों के गतिशील की विचारधारा एक ऐसी सामूहिक कियाजी वा प्रतिनिधित्व बरती है जिसके द्वारा देश में विनियोगी लोग आरोपित बचतों की सहायता से बढ़ाए जाते हैं।

संसाधनों के गतिशीलता की विचारधारा के बहल वित्तीय संसाधनों के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु वास्तविक संसाधनों के दृष्टिकोण से भी देखनी है। किमी भी देश के वास्तविक स्रोत मुख्यतः थम और पूजी होते हैं। इनके गतिमान की समस्या वा हम विस्तार-पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं।

आर्थिक विकास की गतिविधिया ही विनियोगी संसाधनों को उत्पन्न करके वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाती है। इसलिए विकसित होती अर्थव्यवस्था में संसाधनों की धारणा स्पैटिक न होकर प्राविक होती है। यदि हम बढ़ने हुए उत्पादन द्वारा विनियोगी संसाधनों में वृद्धि चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि राजकोपीय नीति के विभिन्न पक्षों द्वारा उत्पादन की वृद्धि वा बढ़ा अनुपात उत्पादन में पुनर्विनियोजित (plough back) कर दिया जाए।

संसाधन बजट

यदि हम स्रोतों के गतिमान में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि स्रोत बजट निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए। बजट निर्माण करते समय केवल वित्तीय स्रोतों को ही नहीं अपितु वास्तविक स्रोतों को भी दृष्टि में रखकर चरना होगा। मानवीय थम शक्ति की आवश्यकता का बजटिंग, वास्तविक रूप में स्थिर एवं कार्यशील पूजी की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, कुशलता और सहस्र तथा विदेशी विनियमय की आवश्यकता वा बजट बनाना इत्यादि सब वास्तविक बजट निर्माण की परिधि में आते हैं। संसाधन बजट निर्माण की सफलता प्रत्येक उद्योग तथा समूह अर्थव्यवस्था के आदा प्रदा माडल (input-output model) से की जा सकती है।

सरकार, पर्याप्त भावा में घरेलू संसाधनों वा गतिमान करने के लिए निम्न उपाय मद्दना सकती हैं

- (1) प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रण
- (2) करों में वृद्धि
- (3) सार्वजनिक उपकरणों की बचत
- (4) गर्भ मुद्राव्यवस्थीनि प्रकृति के सार्वजनिक ऋण
- (5) घाटे की वित्त व्यवस्था

(1) प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रण

प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रण, उपभोग तथा अनुत्पादक विनियोगों में प्रत्यक्ष कठोरी करके संसाधनों को गतिमान करने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। हम जानते हैं कि अधिकलिंग देशों से प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रण का प्रयासन कठिन होता है। साथ ही ऐसे नियन्त्रण देश भी अर्थव्यवस्था को एक कठोर शासन प्रणाली के अतर्गत ले आते हैं और प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता से विमुख कर देते हैं। परंतु फिर भी प्रजातंत्र पर आपारित योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रण द्वारा संसाधनों वा जुटाना अनिवार्य हो जाता है।

(2) करो में वृद्धि

अत्यं विनिरुद्ध देशों में एक अटिल समस्या बचत वृद्धि अनुपान की ऊचा बरने की है। यह स्मरण रखना चाहिए कि बेबत घनी वर्ग को ही बचत व विनियोग के लिए प्रेरित है। यह स्मरण रखना चाहिए कि बेबत घनी वर्ग को ही बचत व विनियोग के लिए प्रेरित है। यह स्मरण रखना पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ तक आप में होने वाली वृद्धि वा अधिकांश भाग जनना दें अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के हिस्से में आता है, वहाँ वे पहले से अधिक उपनाम करने की स्थिति में होते हैं। उनको सीमात उपनोग प्रवृत्ति इवाई के बाही नमोप होती है। अत उनके उपनोग में वृद्धि सगभग उनकी आय की वृद्धि के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि ऐसा होने दिया जाए तो उत्पादकता में होने वाली वृद्धि बड़े हुए उपनाम के रूप में समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बढ़ा हुआ बन्नु बरायान उपनोग वी वृद्धि का नियन्त्रित बरने में नहायक हो सकता है। ऐसा बरने से ही विनियोग के लिए कुछ माध्यन उपलब्ध बिए जा सकते हैं। मुम्पोटर की मुद्रास्फीति विधि भी आरोपित बचत का एक रूप है जिसके द्वारा उपनोग को रोका जा सकता है।

अत्यं विनिरुद्ध देशों में मुद्रा समस्या अधिक विवान की गति औरी बरने की है। विवान की योजनाओं को पूरा बरने के लिए अर्थव्यवस्था में विनियोग की दर बढ़ाना आवश्यक है। इसनिए कर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे बचत वी ऊची दर प्राप्त करके विनियोग की दर बो बढ़ाया जा सके।

(3) सार्वजनिक उपकरणों की बचत

अत्यं विनिरुद्ध देशों में सार्वजनिक उपकरणों की बचतें आत्मरिक साधनों का एक महत्वपूर्ण अन होती हैं। यदि इन बचतों वा पुनर्विनियोग कर दिया जाए तादेश वे विवान की गति तोड़ हो सकती है। यदि सार्वजनिक उपकरणों की बुझताना को बढ़ावा द्या जाए तो आवश्यक साधनों के रूप में इनके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। लान अधिक होने पर बचतें अधिक होंगी और पूजी नियोग में वृद्धि करके विनियोग में वृद्धि की जा सकेगी।

(4) गैर मुद्रास्फीति सार्वजनिक क्रूप की प्राप्ति

विवासवाल में मुद्रास्फीति वा उत्पन्न होना न्यामाविव हो जाता है। अधिक मुद्रास्फीति वस्तुआ के भूल्यों को बढ़ावा द्याये पर निर्धारित खर्चों के आवटन को बिनाइ देने है और विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। अत आत्मरिक नाधनों को गतिशील बरते समय सार्वजनिक क्रूपों पर पर्याप्त बल देना चाहिए। अत्यं विनिरुद्ध देशों में नियन्त्रित बरते समय बचतें व्यवस्था के द्वारा बनाये जाने से प्राप्त नहीं हो पाती। प्रामीण क्षेत्रों में बचतों वो क्षम ने हुए में प्राप्त बरते हो जाने से प्राप्त नहीं हो पाती। प्रामीण क्षेत्रों में बचतों वो क्षम ने हुए में प्राप्त बरते हो जाने से प्राप्त नहीं हो पाती। क्रूप जी मात्रा बहुत कुछ बरकार की प्रतिष्ठा पर निर्नय दरती है। नरकार विनियोग प्रकार की अप्रतिष्ठित जारी बरते नागरिक एवं आमीर जनता से क्रूप एकत्र बर सकती है।

(5) घाटे की विरा व्यवस्था

बास्तव में सखार द्वारा नियंत्रित की गई मुद्रा स्वयं पूजी नहीं होती परतु वह

पूजी निर्माण में सहायक होती है। उसकी सहायता से बेकार पड़े साधनों को उत्पत्ति के कायकमों में सागर के योग्य बना लिया जाता है। परिणामस्वरूप देश में पूजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और आर्थिक विवास के उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसे पूजी संचय में सहायक माना है। क्योंकि उसके द्वारा देश में व्यवस्था की मात्रा में वृद्धि करना सभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को उन लोगों के पक्ष में करती है जिनमें व्यवस्था की आदत होती है। मूल्य वृद्धि के कारण सामान्य उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से उपभोग वी मात्रा बढ़ करनी पड़ती है जिससे व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है।

यद्यपि धाटे की वित्त व्यवस्था पूजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है परन्तु इसको निरतर व्यवहार में लाने से मुद्रास्फीति का भय उत्पन्न हो जाता है। अविवरित देशों में मुद्रास्फीति के बारण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है ऐसी दशा में लोगों को अपनी आवश्यकताओं पर पहले में अधिक खर्च करना पड़ता है परन्तु उनकी आय मूल्य वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ती। इसलिए इस नीति का प्रयोग बहुत ही सतर्क होवर बरना चाहिए। यदि इमका प्रयोग सतर्कतापूर्वक न किया गया तो यह 'उस प्रेमिका के रूप में सावित होगी जो अपने प्रेमी को स्वयं डस जाती है।'

संसाधनों का आवंटन

एक निजी उद्यमार्थित अर्थतः में साधनों की कीमतों द्वारा विभिन्न उपयोगों तथा विभिन्न दोनों में संसाधनों के आवटन का नाम दिया जाता है। यह इसलिए दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था की बाधें कुशलता में वृद्धि हो सके। लोकवित वा वर्तमान संसाधनों के आवटन में क्या योगदान हो सकता है, यह तभी जाना जा सकता है जब हम यह अध्ययन करें कि सरकार के मुख्य आप तथा व्यय की उत्पत्ति के साधनों पर क्या सापेक्षित प्रभाव पड़ता है। ऐसा अध्ययन करने के लिए हमें उत्तराधित साधनों की एक दी हुई पूर्ति माननी होगी भर्यात् हम यह मान बर चलेंगे कि श्रम प्रक्रिया तथा बचत का एक नियत स्तर है। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था में हम साधनों की पूर्ति की नोच शून्य मानव बर चलेंगे।

संसाधन आवटन के प्रध्ययन के लिए हमें वरों के तुलनात्मक प्रभावों को दृष्टि में रखना होगा। इसका प्रध्ययन निगेस्त रूप में किसी एक कर के प्रभाव द्वारा नहीं जाना जा सकता। यह भाग्यता भी हमारे लिए बढ़ी हुत्तर कर सकती होगी कि वरों में चाहे किसी प्रकार वा भी परिवर्तन हो, सरकार का व्यय पूर्वक ही रहता है। दूसरे शब्दों में सरकार का व्यय उस मुम्भ भरपरिवर्तन रहता है, जबकि एक कर में वृद्धि तथा दूसरे कर में कमी बर दी जाती है। यदि हम भूमि बर या समान आप प्रदान करने वाले भवन बर या संसाधनों के आवटन पर प्रभाव जानता चाहते हैं, तब हम यह मानकर चलते हैं कि सरकार वा व्यय भी प्रत्येक उदाहरण में ठीक वैसे ही बदल जाता है। इस प्रकार दस्तुओं तथा साधनों के सापेक्षिक मापांकों तथा मूल्यों में विशेषक परिवर्तन देखें पर्यों में परिवर्तन के प्रभाव जैसे योग्य ही स्पेक्टर करें।

अध्ययन की स्परेखा

प्रत्येक सरकार अपने वार्यों को सम्बन्ध बरने के लिए उत्पत्ति के साधनों का ज्ञान बहती है, व्यय करती है तथा यह एक बरती है। सरकार वी इन कियाभीं द्वारा संसाधनों के आवटन प्रभावित होते हैं। इस विषय के अध्ययन की स्परेखा निम्न वार्यों पर भाग्यान्वित है।

- (1) अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में साधनों का अतिम उपयोगों में वितरण ।
- (2) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सापेक्षिक आवार ।
- (3) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का वितरण ।

प्रत्यक्ष कर वनाम अप्रत्यक्ष कर

करारोपण द्वारा संसाधनों का आवटन कई प्रकार से होता है । कुछ कर विशेष वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ाते हैं तथा कुछ कर विशेष वस्तुओं के उत्पादन को घटाते हैं । करारोपण से जिन वस्तुओं का उत्पादन घटता है संसाधन ऐसे उत्पादन से उस उत्पादन में स्थानात्मिक हो जाते हैं जिसको कर से कुछ छूट मिली होती है ।


अनेक लेखकों की यह धारणा है कि संसाधनों के आवटन पर प्रत्यक्ष कर की तुलना में अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव बुरा होता है, परतु इस विचार का विश्लेषण करने से पूर्व हमें उन निर्धारित मान्यताओं का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए जिन पर यह विवाद आधारित है । हम उत्पादन की उस स्थिति को मानकर चलते हैं जहाँ सीमात लागत, सीमात मूल्य के बराबर और उत्पत्ति के किसी भी साधन का पुरस्कार उसकी सीमात परिशुद्ध उत्पत्ति के बराबर है अर्थात् जहाँ संसाधनों का आदर्श आवटन है । हम यह भी मानते हैं कि निजी लागत सामाजिक लागत तथा लाभ में कोई अतर नहीं है । प्रत में हम संपूर्ण अर्थात् में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति की लोच भी शून्य मानकर चलते हैं ।

मग्न हम इस स्थिति में आ गए हैं जहाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दो साधनों के आवटन पर पड़ने वाले सापेक्षिक प्रभावों का अध्ययन कर सकें । अध्ययन को सरल बनाने के हेतु उन कठोरी की विस्त्र भी निश्चित कर लेनी चाहिए जिनका तुलनात्मक प्रभाव हम संसाधनों के वितरण पर जानना चाहते हैं । अत हम वस्तुओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर की तुलना एक ऐसे प्रत्यक्ष कर से करेंगे जो आय पर लगाया गया है यह अध्ययन उसी समय सफल हो सकता है जब अन्य बातें समान रहेंगी ।

इसलिए हम यह मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति समाज में यथास्थिर रहती है, अर्थात् उसकी योग्यता, आय एवं रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता । साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सरकार को दोनों प्रकार के कठोरों से समान आय प्राप्त होती है तथा सरकार प्राप्त आय को उन्हीं वस्तुओं की समान भाँति पर व्यय करती है । इस प्रकार दोनों कठोरों के लगाने से जो प्रभाव पड़ सकता है उस अतर को चित्र (?) द्वारा प्रदर्शित विद्या जा सकता है ।

मान लीजिए कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय दो प्रकार की वस्तुओं X और Y, पर खर्च करता है । Y वस्तु की भाँति खड़ी भक्षण पर और X वस्तु की भाँति यड़ी भक्षण पर मापी गई है । उदासीन बक्ष I, X और Y वस्तुओं के उस संयोग को दिखाती है जो व्यक्ति अपनी आय से प्राप्त कर सकता है । AB मूल्य अनुपात रेखा है जो X और Y वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों को दिखाती है । P₁ सतुलन बिंदु है । इस बिंदु से विचलित होने पर X और Y वस्तुओं का जो भी संयोग बनेगा वह कदाचिं उस संयोग से अच्छा नहीं हो जो P₁ बिंदु पर हमें उपलब्ध होता है ।

दत्तना बीजिए कि X वर्ष पर बोई वर लगाया जाता है जिसमें X वर्ष की नीमत बढ़ जाती है और मूल मूल्य रेखा AC हो जाती है। अब निम्नी उदाहरण दफ्तर II पर P_1 समुद्रवर्ण दिखाते हैं।



दित्र 7

उपर्युक्त उदाहरण में X पर पो वर लगाया जाता वह अवधारणा करता। इच कर का दूसरा विकल्प आय कर भी हो सकता है। मान सोन्जिए आय कर लगाया जाता है। यह भी उसना बीजिए कि आय कर से भी उत्तराधार बो चढ़ती है। आय प्राप्त होती है दित्री पहले प्रकार के वर से होती है। ऐसी स्थिति में अब नई मूल्य मूल्यांतर रेखा $A'B'$ होती, जो AB रेखा के उनांतर होती है। परंतु ऐसा तब ही होगा जब हम यह मान नें कि आय कर X पर P_1 वर्षों के सापेक्षिक मूल्यों की परिवर्तित नहीं करता। वह रेखा P_3 दिखाते होंगे वर गुजरेंगी। अब उन्नीकरण के लिए यह भी संनिध हो सकता है कि वह X पर P_3 वर्षों की वही मात्रा छायादें जो उस समय खरीदता, जब X वर्ष पर कर लगाया। वह ऐसा वर लगता है क्योंकि आय कर लगाने के उपरात उसके पास इतनी आय बच रही है। परंतु वह ऐसा नहीं करता चाहेगा। वह वस्तुओं के उन नयों दो प्राप्ति उन्ना लाते हैं जो उदासीन दफ्तर III पर स्थित P_3 पर प्राप्त होता है। यह स्थिति दफ्तर II से अधिक अच्छी है। इसलिए हम वह सहित हैं कि अवधारणा वर की नीमत के प्रभाव वर ना साधनों के आवंटन पर कन हानिपारक प्रभाव पड़ता है।


नोट्स नियम: इन प्रकार का तर्क अवधारणा वर्षों के हीन प्रभावों के दिखाने के लिए दिया जाता है। इन तर्क की जाति वर्तने के लिए हमें दो बातों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

(1) उन दण्डाओं का अध्ययन जिनमें वह वर लगाए जाते हैं।

(2) वे वर किस प्रकार के हैं?

करो के इस सदृश विभाग से साधनों वा आवटन किस प्रकार प्रभावित होता है इसका अध्ययन निम्न चित्र की सहायता से किया जा सकता है।

इस चित्र में Y वस्तु की मात्रा यही अक्ष पर और X वस्तु वी मात्रा पड़ी अक्ष पर मापी गई है। उपभोक्ता का उदासीन बक I है। यही उपभोक्ता समाज का प्रतिनिधित्व करता है। FP_1G सभावित उत्पादन बक रेखा है जो X और Y वस्तुओं के उत्पादन संयोग को दिखाती है और यही उत्पादन बक समस्त उत्पादक बगं का प्रतिनिधित्व करता है। AB रेखा उपभोक्ताओं के लिए वही अर्थ रखती है जो इससे पूर्व चित्र में है। यह उत्पादक के लिए X और Y वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन संयोगों को दर्शाती है जिनसे समान आय प्राप्त होती है। इस प्रकार P_1 दोहरे सतुलन का बिंदु है जो प्रतिनिधि उपभोक्ता की उच्चतम प्राप्तिक्षेत्र तथा प्रतिनिधि उत्पादक के उच्चतम लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।



चित्र 8

अब यह स्थिति कीजिए की एक विदेश प्रकार का कर लगाया जाता है। इस विदेश कर का साधनों वे आवटन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके अध्ययन की पूर्व मान्यता यह है कि कर चाहे जिस प्रकार का भी लगाया गया हो तथा उससे प्राप्त आय चाहे जिस प्रकार से भी व्यय की गई हो, सभावित उत्पादन बक रेखा अपरिवर्तित रहती है।

ऐसी परिस्थितियों में आय कर उपभोक्ता एवं उत्पादक के सतुलन बिंदु P_1 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा क्योंकि यह पहले ही मान लिया गया है विं यह कर X और Y वस्तुओं के भूल्यों को प्रभावित नहीं करता, इसलिए उपभोक्ता एवं उत्पादक की उदासीन बक रेखाएं भी परिवर्तित नहीं होती। यदि X वस्तु पर कर साधना जाए तब सतुलन बिंदु P_1 न रहकर P_2 हो जाएगा। उपभोक्ता के लिए यह नई भूल्य रेखा $A'C$ हो जाएगी, यह रेखा AB से भूल्य ढालू है। इसका कारण X

दम्भु पर वर लगना तथा उन्हें मूल्य में दृढ़ि होना है। उपभोक्ता वक्त II A'C रेखा वक्त P₁ पर स्पर्श करता है। P₁ ही उपभोक्ता वक्त मनुजन विन्दु है। परन्तु उत्पादक मूल्य रेखा वह नहीं होगी जिसमें वर सम्मिलित होंगा। वह रेखा DE है। यह रेखा AB रेखा वक्ती तुलना में आधारपत्रया अधिक चयनी होती हो वो इन ओर सकेत वरनी है जिसके बारे यह एक नाग उत्पादक द्वारा महन किया जाएगा।

इस प्रबार P₁ उपभोक्ता एवं उत्पादक का दूसरा दोहरा मनुजन विन्दु है। क्योंकि वक्त II वक्त I से नीचे है इससिए हम यह वह सकते हैं, एक विनिष्ट प्रकार का अप्रत्यक्ष वर प्रानुपानिक आवकर वक्ती तुलना में नियमों के आवटन पर बुरा प्रभाव डालता है।¹

हमें उन परिस्थितियों का वर्णन बरला चाहिए जिनमें X तथा Y दम्भुओं पर विनिष्ट करके मनुपन्थिति में DE और A'C रेखाओं के बाल में अतर उत्पन्न हो जाता है। सबंधित A'C तथा DE रेखाओं में उन उम्मद विचलन होंगा जब सीमात निजी लागत तथा मूल्य में अतर होगा। ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता बाजार मूल्य द्वारा अपने कम का नियमन करेगा और उत्पादक अपने उत्पादन को वहा सीमावर्तीजित करेगा जहा सीमात लागत सीमात लान के दरादर हो जाती है। सीमात लागत (या सीमात आय) तथा मूल्य में वहा अतर होगा जहा पूर्ण सद्वार्थ नहीं होती। महि तिपत्रि एकाधिकार तथा अपने विकेन्द्रियकार की दशाओं में उत्पन्न हो जाती है। सीमात लागत तथा मूल्य में जितना अधिक विचलन होगा उठना ही विचलन उत्पत्ति के साथनों के बालविक संदर्भ अप्टतम आवटन में होता। यदि किसी नी परिस्थिति में सीमात लागत दम्भुओं के आनुगतिक मूल्य के बराबर और सीमात विन्दु उत्पत्ति साधन सागत के दरादर नहीं होती तब वह उभन्नता चाहिए कि नियमनों का आवटन आदर्श नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वर साधन आवटन की दशा को सुधारने में सहायक विद्ध हो सकता है। एक प्रारंभिक के नवानुजार, 'साविक नियांत यह है कि साधनों का नियन्त सुधारणा नियवय ही सम्भव है यदि उन उद्दीपों पर वरारोपण किया जाय जिनमें एकाधिकार का अनुकूल है क्योंकि इससे एकाधिकारपुक्त अपवास्तुन सद्वार्थ के उद्दीपों के पक्ष में साधनों का अनुरूप होगा। वैसी परिस्थितिया हीं से वह दर्शाया जा करता है कि इस प्रकार के लगाए गए परोक्ष वर प्रावकर वक्ती तुलना में साधनों के आवटन पर अच्छा प्रभाव डालेंगे।'

प्रत्यक्ष करों का साधन आवटन पर प्रभाव

इस दिवय के बोध का प्रारंभिक विन्दु इस मान्यता पर आधारित है कि सामानिक तथा निजी दृष्टिकोण से साधनों का आवटन इन्हें है। वरारोपण करने में बहुत-नीचे प्रमुखता ए है जिसके बाल वरारोपण के उद्देश्य में पूर्ण सफलता जिनमें नदेह रहता है परन्तु यह निश्चित है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष वर विभिन्न उद्दीपों में साधनों

¹ A.R. Presti 'Public Finance in Theory and Practice', (1963) p. 37

की पूर्ति पर विभेदात्मक प्रभाव डालते हैं। इस समस्या का अध्ययन हम दो प्रकार के करोंके सापेक्षिक प्रभाव को ज्ञात करके करेंगे। वे हैं आनुपातिक आयकर तथा प्रतिव्यक्ति कर¹।

श्रम की पूर्ति

हम एक उदाहरण से यह ज्ञात करने की चेष्टा करेंगे कि प्रतिव्यक्ति कर की तुलना में आनुपातिक आयकर विभिन्न उद्योगों के मध्य श्रम की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। वस्तुता कीजिए कि श्रम दो उद्योगों A तथा B के मध्य बटा हुआ है। पहले उद्योग में मजदूरी वीं दर 10 रु. तथा दूसरे में 5 रु. प्रतिदिन है। B उद्योग की प्रत्यक्षा A उद्योग में कार्य की दशा इतनी दुख दायी है कि मजदूरी का यह अतर श्रम को B उद्योग से A उद्योग में जाने से रोकने के लिए पर्याप्त है। B उद्योग में कार्य करने को दशा इतनी प्रसन्नदायक है कि श्रमिक 5 रु. कम लेकर भी इस उद्योग में कार्य करने को तैयार हो जाता है। यदि दोनों उद्योगों की मजदूरियों पर 20 प्रतिशत का प्रत्यक्ष कर लगा दिया जाए तो A और B उद्योगों में श्रमिकों की शेष आय 8 तथा 4 रुपए कम हो रह जाती है। अब मजदूरी का अतर इतना नहीं है जो A उद्योग की अप्रसन्नदायक दशा की क्षतिपूर्ति कर सके। इसका यह परिणाम होगा कि श्रम A उद्योग से B उद्योग में स्थानात्परित होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु प्रतिव्यक्ति कर के द्वारा ऐसा नहीं होगा। यदि प्रत्येक श्रमिक पर 1.5 रु. का प्रतिव्यक्ति कर लगा दिया जाए तब A और B उद्योग में श्रमिकों का परिशुद्ध पुरस्कार क्रमशः 8.5 तथा 3.5 रु. रह जाएगा। ऐसी दशा में दोनों उद्योगों के श्रमिकों की मजदूरी में वही अतर है जो इस कर के लगाने के पूर्व था। आनुपातिक आयकर की तुलना में यदि प्रगतिशील कर लगा दिया जाए तो विभिन्न उद्योगों में विशुद्ध मजदूरियों का अतर और घट जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ प्रकार के आयकर संसाधनों को कुछ सीमातक अवश्य स्थानात्परित करते हैं, उत्पादन को प्रभावित करते हैं तथा संसाधनों को इष्टतम आवटन से विचलित करते हैं।²

पूजी की पूर्ति

इसरा महत्वपूर्ण साधन पूजी है। अब हम यह ज्ञात करना चाहेंगे कि क्या आनुपातिक कर पूजी की गतिशीलता पर विभेदात्मक प्रभाव डालते हैं—विशेष रूप से अधिक तथा बड़े जोखिमपूर्ण उद्योगों में। इस सदर्भ में हमें दो बातें जान लेनी चाहिए।

(1) क्या करारोपण जोखिमपूर्ण उद्योगों में लाभ या हानि की आशा में कोई परिवर्तन लाता है?

(2) इन आशाओं के परिवर्तन से विनियोगियों में क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं?

अनिवार्यता सहन बरने का विचार मुद्रा के उपयोगिता हासि सिद्धांत पर

1 प्रतिव्यक्ति कर प्रत्येक व्यक्ति के हितों में आने वालों निश्चित आय पर भागावा जाता है।

2 A R Prest, op cit., p 43

प्राप्तिश्रुत है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को नरकारी प्रतिनिवृतियों तथा बड़नी के अशों में विनियोग करने के चुनाव जा अद्यत निभता है। सरबाही प्रतिनिवृतियों (जो जोखिम-रहित हैं) पर भी 4 प्रतिशत वा नामाय तथा अनियों के प्रयागों (जो जोखिनपूर्क हैं) पर भी 4 प्रतिशत वा नामाय निभता है। यदि अनियों वे अशों पर 2 प्रतिशत नामाय के दरने-घटने को नामावनाएँ बराबर हों तब ऐसी स्थिति में दो व्यक्ति को 2 प्रतिशत की वृद्धि, यूजी को अनियों के अशों में विनियोजित बग्न के लिए आवश्यित नहीं करते क्योंकि उनमें दह भय बग्नबर बसा रहेगा जिसकी नामाय 2 प्रतिशत से ज्यान न हो जाए। इन्हींले जोखिमपूर्क अशों में विनियोग करने के लिए नरकारी प्रतिनिवृतियों की तुम्हारी में नामाय थोटा अधिक रखना होगा। हो जाएगा है जिसका नामारण जोखिमपूर्क विनियोगों के लिए नव्यमान यात्रा का 6 प्रतिशत तथा अधिक जोखिमपूर्क विनियोगों के लिए 8 प्रतिशत का नामाय आवश्यक हो।

अब विचार बोजिए कि 50 प्रतिशत का आनुपातिक बर नामाय क्या है। ऐसा बर अधिक जोखिमपूर्क विनियोग के विनायत विनेदात्मक अवहार करता है। इन प्रकार नामारण जोखिमपूर्क विनियोगों पर 2 प्रतिशत तथा अधिक जोखिमपूर्क विनियोगों पर 4 प्रतिशत की दोहरी घट कर करना 1 रुपा 2 प्रतिशत रह जाएगी। अब, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आनुपातिक बर जोखिमपूर्क घटनाओं पर विरोधी प्रभाव ढानते हैं।


अप्रत्यक्ष करों का साधन आवटन पर प्रभाव

महामनों के आवटन पर अन्यक्ष अर्थों के प्रभाव जल्दी की बही दीति है जो प्रत्यक्ष वर्त्यों के नवध में है। यहाँ की हालत अन्यमन कुछ भावदार्दी पर आवारित होगा। प्रसन भावदा यह है कि नामारित इन नियों दृष्टिकोण से नामनों का आवटन इष्टवत्य है। इस उपनीयों की दस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों के नामेषिष्ठ नामों का दर्शन चर्चे। तदन्तर्वात् उपनीय वीक्षुओं पर लगाए जाने वाले वर्णों की तुम्हारी पूर्णीत भात पर लगाए जाने वाले वर्णों से चर्चे। इसके उपरात इनका विवेचन दिया जाएगा जिसकी वन्न पर एक विधिष्ठ बर का क्या प्रभाव होता है।

विधिष्ठ बर


यदि प्रत्येक दस्तु की पूर्ति की लोच समान है तब बर उन दस्तुओं पर समान चाहिए जिनकी भाग वेलोचदार है। ऐसी पर्याप्त्यति में बर उन दस्तु का उपनीय बन नहीं होगा तथा उनाधनों का इष्टवत्न आवटन नहीं दिखेगा। कल्पना कीदिए, दस्तुओं की भाग की लोच में समावता है परतु पूर्ति की लोच में विनिलग्न है। पूर्ति इनकी वेलोचदार होनी चाहता है उनाधनों के एक दोष से दूनरे दोषों में अपनातरण की सुनाक्षण नहीं होगी। ऐसी वेलोच पूर्ति वाली दस्तुओं पर अधिक बर बनूल किया जा सकता है। यह उचाधनों के इष्टवत्न आवटन में और दिलाह नहीं आता। उपर्युक्त विचारों का समीकरण विवरण 9, 10 व 11 द्वारा किया जा सकता है।

D_1 रेखा अधिक बलोचदार तथा D_2 रेखा अधिक लोचदार माग का दर्शाती है। S_1 कर लगाने के पूर्व की रेखा है। S_2 कर लगाने के पश्चात की रेखा है। प्रत्येक म ABCD जुटाए हुए कर की राशि है। जब माग अधिक बलोचदार है तब उपभोक्ता



चित्र 9

को ABCD + CBE अतिरेक को त्यागना पड़ता है और जब माग अधिक लोचदार है तब ABCD + CBF अतिरेक को त्यागना पड़ता है। अत हम कह सकते हैं कि अधिक लोचदार माग वाली वस्तुओं की तुलना म अधिक बलोचदार माग वाली वस्तुओं पर कर लगान से कम अतिरेक त्यागना पड़ता है।




चित्र 10

चित्र 10 और 11 ठीक वैस ही पूर्ति की विभिन्न दागाओं म उपभोक्ता की सापेक्षिक हानि का दर्शाते हैं। दोनों चित्र समान पैमान पर खीचे गए हैं। दोनों म माग

की सोच समान है और कर भी समान चुटाया जाता है।

चित्र 10 में पूर्ति की पूर्णतया लोचदार दमा में करों की प्राप्ति की तुलना में जो हानि होती है वह CBE के द्वाया प्रदर्शित की गई है। चित्र 11 में पूर्ति अधिक बेनोचदार है। S_3 तथा S_1 का जब रूप में वही अतर है जो चित्र 10 में है। GECD का सेवन अतिरेक की अनुस्तम्भ हानि को दर्शाता है जो ABCD कर प्राप्ति की तुलना में दृढ़त बम है। इयोलिए प्रेस्ट ने वहा है उद्योग म बन्धुओं की पूर्ति जितनी बेनोचदार होगी उतने ही उससे नम साधन स्थानातरित होग, पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतने ही साधन अधिक स्थानातरित होग।¹¹



चित्र 11

व्यय का सापेक्षिक प्रभाव

साधन आवादन पर करों के प्रभावों का अध्ययन करने के पदचात् अब हम यह ज्ञात करना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के समान राशि के राजकीय व्यय साधनों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। करों न हम प्रत्येक को दिए जाने वाले समान एवं मुक्त राशि की तुलना उद्योग की विभिन्न साखाओं की दिए जाने वाले विभेदात्मक उपादानों से न करके देते हैं। यह तुलना ठीक वैसे ही है जैसे प्रति अवैक्तु कर तथा अप्रत्यक्ष कर के मध्य थी। यदि उपदान लाना आवादन पर वितरित विद्या जाए तब साधनों का उन उद्योगों में स्थानातरण हो जाएगा जिन्हें ऐसे उपदान निवेदित हैं। उपदान निवेदित के बारण ऐसे उद्योगों में निवितता आ जाएगी और कर्मशालाएँ भी घट जाएंगी। हा, यदि यह उपदान सीमात लगते हैं अनुपात में दिया जाए तब ऐसा नहीं हो सकता। यदि उपदान आय के अनुपात में दिया जाना है तब अधिक जोखिम-पूर्ण तथा अनुचित उद्योगों में साधनों के अधिक स्थानातरण की समावनाएँ हो उतरती हैं क्योंकि लान भी ऐसे ही उद्योगों में अधिक होते हैं।

इस समस्या के सदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह जानने मी है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में समाधनों का आवटन किस प्रकार होता है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का आकार क्या है?

सार्वजनिक क्षेत्र का आकार

समाधनों के इष्टतम आवटन की दृष्टि से सरकार का हस्तक्षेप उम क्षेत्र में प्रशसनीय माना जाएगा जहाँ स्पर्धा अनुचित तथा एकाधिकार उचित समझा जाता हो। उदाहरणार्थे डाकघानों तथा परनालियों (Severage) के प्रबंध के कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक ही सम्पत्ति के प्रत्येक सम्पन्न होने चाहिए। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए समाधनों का आवटन सरकार द्वारा नियन्त्रित होना चाहिए। जहाँ निजी व्यक्ति सामाजिक लागतों तथा सामाजिक लाभों की ओर ध्यान नहीं देता या जहाँ उपभोक्ता तथा उत्पादक इनकी परवाह नहीं बरते वहाँ सरकार का हस्तक्षेप न्यायोचित होता है। शिक्षा इसका एक उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहने तथा कार्य करने के लिए एक न्यूनतम स्तर का ज्ञान तथा प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति इस न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं करने में असमर्थ रहता है तो इससे उत्पन्न हानि का शिकार होने व्यक्ति विशेष ही नहीं अपितु पूरा समाज होता है। एक अनपढ़ कार चालक, जो यातायात के नियमों की अवहेलना के कारण दुर्घटनाप्रस्त होता है, वह स्वयं ही पीड़ित नहीं होता परन्तु दुर्घटना के दूसरे पक्ष को भी पीड़ित करता है। ऐसी सामाजिक हानियों को रोकना सरकार का कर्तव्य होता है। इसलिए ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को वित्तीय साधनों का एक भाग सुरक्षित रखना चाहिए।

सरकार को ऐसे लोगों को भी वित्तीय सहायता करनी होती है जो अपनी भलाई-बुराई को नहीं समझते। उदाहरण के लिए कानून द्वारा छोटे बच्चों को गोजगार से मुक्ति दिलाना तथा उन्हें बोलने की राजकीय सहायता प्रदान करना सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। ऐसे कार्य राजकीयों या गैर राजकीयों द्वारा वहाँ तक सम्पन्न किए जा सकते हैं, इस सदर्भ में कोई निश्चित सिद्धात नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का वितरण

आवटन के प्रतिम स्तर में हमें यह जात करना है कि सपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न बस्तुओं और सेवाओं के मध्य सार्वजनिक व्यय का वितरण किस सिद्धात के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उत्तर में यही वहा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि सामाजिक लाभ अधिकतम हो। यदि कुल व्यय में बिना कोई परिवर्तन किए व्यय के प्रारूप को पुनर्व्यवस्थित करके सरकार जनसंस्था के कुल लाभ को बढ़ाने में समर्थ हो जाती है तब यह वहा जा सकता है कि समाधनों का आवटन इष्टतम बिंदु तक पहुँच गया है। परन्तु यहा भी व्यय की प्रायमिकता का निर्धारण पूर्णरूपेण आर्थिक सिद्धातों द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता। राजनीतिक कारब यहा भी अपना प्रभाव ध्वन्याते हैं।

कर प्रशासन तथा समाधन आवटन

यदि सार्वजनिक आय का अधिक भाग कर प्रशासन पर ही व्यव कर दिया जाए तो समाधन आवटन पर प्रतिबूल प्रभाव पड़ता है। वही समाधन जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में लानपूर्वक प्रयुक्त हो सकते थे, के कर प्रशासन में ही विलीन हो जाते हैं। इनसे विपरीत यदि कर-प्रणाली सरल और मिलव्ययी होगी तो समाधनों का इष्टतम प्रयोग हो सकेगा।

ऐसे ही कर बचना समाधनों के आवटन को खिड़ा होती है। नाधारणतया कर बचना की यमावनाए वहां अधिक होती हैं जहां आय की यथार्थता श्रमाणित नहीं हो पाती। ऐसे उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक आवश्यन हो जाते हैं। परिमान-स्वरूप अधिक समाधन ऐसे उद्योग में आड्हिष्ट हो जाते हैं जहां कर बचना की यमावनाए अधिक होती हैं। समाधनों का ऐसा स्थानांतरण सामाजिक दृष्टि से हितकर मिछ नहीं होता।

लोकव्यय

उन्नीसवीं शताब्दी में सोक्रित शास्त्रियों ने सावंजनिक व्यय को बहुत कम महसूर प्रदान विया था तथा उनका ध्यान सावंजनिक आय पर ही बँटित था जिसे उग गमय राज्य में वार्ष्य ही बहुत कम थे। परतु अब राज्य तथा भग्य स्थानीय सम्बालों की गतिविधिया दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जर्मन अर्थव्यापारी एडाल्फ वेनर ने अपने प्रतिदिन विषय 'राज्य में वार्ष्यकालावों में वृद्धि में नियम' की व्याख्या इस प्रकार की है—

'विभिन्न देशों और विभिन्न दानों की तुलनाओं से पता चाहता है कि प्रगतिशील राज्यों में—और हमारा अध्ययन ऐसे ही राज्यों से है—केंद्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों में वार्ष्यकालाव में वरावर वृद्धि होनी रहती है। यह वृद्धि विवृत और गहन दोनों प्रकार की है। केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एवं वार्ष्य हाथ में सेवी जाती हैं और युरोप कार्यों को और प्राधिक तुलनात्मक और पूर्णता में साथ दानन करती है। इस प्रकार केंद्रीय और स्थानीय सरकारें जनता की आधिक भावशक्तिहासी को अधिक परिमाण में और अधिक रातोंप्रजनक ढंग से पूरा करती है।' हाल में भ्रष्टता¹ में वीकाव तथा यात्रामेन ने इस बात को ज्ञात किया है कि वेनर नियम अब भी वार्ष्य करता है, परतु उन्हें अनुकार व्यय का बहुता आय की वृद्धि में वारण होता है। सावंजनिक व्यय स्वयं अनेक प्रकार से आधिक जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए सोक्रिय, उसे बारणों, सिद्धातों तथा प्रभावों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

वर्तमान युग में सोक्रिय ने दो बारणों से जापी यहत्व प्राप्त हुआ है। प्रथम यों, इसलिए कि आजकल राज्य की आधिक वियापी में और प्रकार से वृद्धि हो गई है और दूसरे, भय यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि किसी भी देश में आधिक जीवन पर—सर्वात् उत्पादन, वितरण और आधिक वियापी के सामान्य स्तर पर सोक्रिय की प्रवृत्ति या गान्धी का भारी प्रभाव पड़ रहता है।

1 C. J. Bullock 'Selected Readings in Public Finance', (3rd ed.), New York, Ginn, (1924), p 32 ff.

2 Peacock and Wiseman 'The Growth of Public Expenditure In the United Kingdom'

लोकव्यय में वृद्धि के कारण

आधुनिक काल में लोकव्यय में जिन कारणों ने वृद्धि हुई है उनका समीप में बर्णन नीचे किया गया है।

(1) आवश्यकताओं की सामूहिक सतुष्टि

आधुनिक युग में ऐसी घनक आवश्यकताएँ हैं जिनकी सतुष्टि पहले निजी व्यवहार की जाती थी परन्तु अब लोकव्यय द्वारा नामूहिक रूप से उनकी पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए नगर परिवहन, विद्युत और जल-पूर्ति आदि ऐनी ही आवश्यकताएँ हैं। इनकी व्यवस्था यदि व्यक्तिगत अवश्यकताएँ जो आधार पर की जाए तो न तो वे मित्रव्ययी होगी और न ही मुविधाजनक। यदि यही सेवाएँ लोग कुत्ताका, जैसे वि सरकार, निगम अथवा नगरपालिका द्वारा पूरी तरीके जाए तो इसमें हीने वाले अपव्यय की दोहरा जा सकता है। नाय ही यहे पैमाने पर एकाधिकारी उत्पादन के सामन प्राप्ति लिए जा सकते हैं।

(2) कल्याणकारी राज्य की स्थापना

आज इन दान का दावा जिस जा सकता है कि सरकार की क्रियाओं का निरतर विस्तार हुआ है। जहा प्राचीन समय में सरकारें अपने को विदेशी प्रतिरक्षा की समन्वयों तथा कानून तथा अवधियों की स्थापना तक ही सीमित रखती थी वहा अब उन्हें घनें ऐसे कार्यों तथा सेवाएँ को सपन्न बनाने का उन्नरदायित्व ले लिया है जो कि प्राचीन समय में उपन्न नहीं किए जाते थे। उनके देशों में भी सरकारी क्षेत्र तथा नगठन का महस्त्व तथा उनका विस्तार इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि इस नताजी के भवी काल में गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य सपादन में बड़ी गतीर विभिन्न पार्द गई हैं। आज ऐसों कोई क्रिया नहीं है जिसे सरकार अपने हाथ में न ले सकती हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वह प्रबोधन वर न सकती हो। राज्य की क्रियाओं में वृद्धि का मूल चारण यह है कि पिछले 100 वर्षों की अवधि में वे मूलभूत उद्देश्य एवं निष्ठ ही ददन गए हैं जिनके लिए राज्य की स्थापना होती है। 19वीं शताब्दी का मुख्य एवं मूल रूप एक पुनिम राज्य या जिनका मुख्य कार्य नागरिकों की विदेशी हमला से रक्षा करना तथा देश के अद्वार कानून व अवधियों की स्थापना करना था। परन्तु पुनिम राज्य की इस पुरानी विचारधारा का मूल अवधि 20वीं शताब्दी की कल्याणकारी राज्य की विचारधारा ने ते जिया है जिसका मूलतः लक्ष्य अपने नागरिकों का प्रार्थित, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण करना है। राज्य की प्रवृत्ति एवं उद्देश्य में भारी परिवर्तन हो जाने के परन्तु यह आधुनिक सरकार अब यह सुमझती है कि देश के आर्थिक एवं नामांतिक जीवन में सुधार के अनिवार्य उनका आधारभूत कार्य आवश्यकित चक्रों को सुमाप्त करना, देश में पूर्ण रोक्षार की दशा एवं उत्पन्न करना तथा अर्थिक विकास के स्तर का लक्ष्य ढाना भी है, इस प्रकार राज्य की मूलभूत विचारधारा में भी परिवर्तन हो गया है जिसके परन्तु लक्ष्य नए-नए कार्य सपने दिए जा रहे हैं। इससे लोकव्यय में वृद्धि हो रही है।

(3) प्रतिरक्षा व्यय

प्रतिरक्षा व्यय निरतर बढ़ने पर है। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। इस व्यय में युद्ध और युद्धों के बीच के काल में सैनिकों, सामान और देखभाल पर होने वाला व्यय ही नहीं अपितु भोजन से लौटे जवानों के वैश्वन और अशादान तथा युद्ध के हेतु लिए गए क्रृष्ण का व्याज भी शामिल है। युद्धकाल में असैनिक अध्यव्यवस्था पर नियन्त्रण और उसके लिए सहायक असैनिक व्यय भी प्रतिरक्षा व्यय में सम्मिलित होते हैं।

युद्धकला एवं विज्ञान में इस सेजी से प्रगति हुई है कि युद्ध के उपकरण अत्यधिक महगे हो गए हैं। साथ ही नित्य प्रति आविष्कारों के कारण युद्ध सामग्री जल्दी पुरानी पड़ जाती है। युद्ध में हुए घायल भैंसिकों एवं उनके परिवारों की देखभाल तथा बोनस शिक्षा एवं पुनर्वासि के रूप में उन्हें सहायता देने के सबध में सरकार के उत्तरदायित्वों के कारण युद्ध में होने वाले व्यय बढ़त बढ़ गए हैं।

उचित प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए प्रहार करने की क्षमता वाली विशाल सैन्य शक्ति तथा ऐसी सेना की आवश्यकता है जो शत्रु वा मुहोड़ जवाब दे सके और आधुनिक उपकरणों से सजित हो। एक अनुमान बे भनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी संपूर्ण धाय का संग्रहग 85 प्रतिशत भाग केवल प्रतिरक्षा पर व्यय करता है जिसमें सेवा निवृत्त होने वाले सैनिकों के भुगतान अणुशक्ति की खोज, विदेशी सहायता और युद्ध के हेतु लिए गए क्रृष्णों वा व्याज भी सम्मिलित हैं।

(4) शहरों का बसना

जनसंख्या का शहरों की ओर भुकाव होना भी लोकव्यय में वृद्धि का एक महत्व पूर्ण बारण है। इसके फलस्वरूप कायों की यहनता और व्यापकता दोनों बढ़ जाती है। शहरों के बसने के कारण स्थानीय (प्रोटीन) सरकारों के परपरागत प्रशासन कायों में प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ा ही है ब्योरोकिं ये कार्य घनी आवादी से सबढ है। उदाहरण बे लिए घनी आवादी के कारण पुलिस, सड़क या सावजनिक शिक्षा सबधी कायों को एक मामूली स्तर पर पूरा करना असम्भव हो जाता है। पुलिस का कार्य पुश्ततापूर्वक करने बे लिए अत्यधिक कुशल और बड़ विभाग की आवश्यकता पड़ती है। प्राविधिक तथा प्रयोगात्मक स्कूलों आदि के लिए सावजनिक शिक्षा काय भी विशेष महत्व का हो जाता है। अपेक्षाकृत अच्छी सड़कों की जरूरत होती है। यातायात नियन्त्रण नितात आवश्यक हो जाता है और मरम्मत भी जल्दी-जल्दी करनी पड़ती है।

शहरी जीवन की परिस्थितियों के कारण सरकार पर प्रतिरक्षत दायित्व आ जात है। जहा जनसंख्या दबाव अधिक हो, वहा नए काय हाय में सन पहते हैं। स्थानीय सरकार को सावजनिक स्वास्थ्य और कल्याण वी और अधिक ध्यान देना पड़ता है। शहरी जीवन के कारण सरकार पर नियन्त्रित दायित्व आ जाते हैं—पाय पदायों का निरोधण, उनके वितरण वी अवस्था, अच्छे जन-स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न तथा बायकम, अस्पतालों का निर्माण तथा उनकी देस भाल, आदि।

(5) मदी से उत्पन्न वार्य

नन् 1930 से प्रारम्भ होने वाले दशक में नरकारा ने स्पीष्टि वार्यों की सूची में भारी बृद्धि हुई है। मदी में प्रभावित क्षेत्रों में बुद्ध नये उत्तरदायित्व स्वीकार किए गए, जैसे कि उद्योग, कृषि तथा जन-स्वास्थ्य आदि। सार्वजनिक वार्यों तथा योजनाओं पर विचार जाने वाला सरकारी व्यय बही स्वस्था में लागों को राजगढ़ तो प्रदान करता ही है, साथ ही वस्तुओं व सेवाओं की पूर्णि में भी ढल्लेमनीय बृद्धि कर देना है जिससे आधिक गतिविधियों के स्तर और ऊपर उठाने में महायता मिलती है।

(6) आर्थिक नियोजन

आर्थिक नियोजन वर्तमान दातान्वी की एक प्रमुख धारणा है। आर्थिक नियोजन के अतर्गत देश के उपलब्ध साधनों का इस प्रकार नियोजित ढंग से शोधन विचार जाता है कि जिससे नाशरितों वा जीवनस्तर ऊचा ही तथा राष्ट्रीय भूमिका एवं सुशाहाती में अनिवृद्धि हो। आर्थिक नियोजन की केंद्रीय व्यवस्था के अतर्गत विभिन्न विवासदील योजनाओं वो पूरा करने के लिए सरकार वो अपार धनराशि व्यय करनी पड़ती है। देश में स्वतन्त्र व्यवस्था के अलावा हिनार्य प्रबलन तथा विदेशी झूल भी लेने पड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकारी व्यय में बढ़ि होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।

(7) मूल्यस्तर में बृद्धि

लोकव्यय में बृद्धि वा एक दूसरा वारण भी है। वह है नन् 1939 से उपरात जगह-जगह मूल्यस्तर वा ऊचा उठाना। जहा तक किमी देश की मरकार का नवध है मूल्यस्तर में बृद्धि के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं—एक, सरकार को उन मन्त्री वस्तुओं प्रोर सेवाओं के लिए कची नीमत अदा करनी पड़ती है जिन्हें कि वह बरीदती है। दूसरे, अपने बढ़ते हुए व्यय वो पूरा करने के लिए उसे अधिक मात्रा में वित्तीय साधनों की खोज करनी पड़ती है। कुछ सीमा तक तो बढ़ा हुआ उत्तरदायी लंबे स्वयं एक ऐसा तथ्य है जो कि वीमतों में बृद्धि के निए उत्तरदायी होता है।

(8) जनसुख्या में बृद्धि

यसार के लगभग सभी देशों में जनसुख्या निरतर कहती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य भवठन का अनुमान है कि सुमारे दो जनसुख्या पिछले 40 वर्ष में 155 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ से भी अधिक हो रही है। यहाँ तक कि जनसुख्या नन् 1872 से 20 करोड़ की ओर बढ़कर रान् 1971 में लगभग 55 करोड़ तक पहुँच गई। जनसुख्या की बृद्धि से अनेक सुमस्त्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जनस्वास्थ्य, मुठ्ठों का विचास, सार्वजनिक रिक्षा आदि के प्रबल पर तथा अन्य मर्दों पर सरकारी व्यय बढ़ जाते हैं।

(9) उद्योगों का समाजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण

ममाजवादी विचारधारा वा विचास होने के द्वारण आजकल सरकार विभिन्न उद्योगों का ममाजीकरण एवं राष्ट्रीयकरण करने की कोशि का अनुकरण कर रही है। भारत में जीवन घीने का राष्ट्रीयकरण करने के उपरात सन् 1969 में 14 बडे आकारिक

वैको का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण विए जाने के पलस्वरूप सरकार को उनकी क्षतिपूर्ति करने एवं उनका सचालन करने के हेतु विशाल घनराशि व्यय बरनी पड़ती है। इनके परिणामस्वरूप भी सरकारी व्यय में वृद्धि होती है।

(10) लोकतंत्रीय संस्थाएं

लोकव्यय में वृद्धि वा एक कारण और भी है जो यद्यपि राज्य की क्रियाओं में वृद्धि के देन्तर के नियमों से तो प्रत्यक्षरूप से सबधित नहीं है परन्तु सरकारी खर्च पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह कारण है, लोकतंत्रीय संस्थाओं का अधिकाधिक उपयोग। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्य को राज्य के आपचारिक प्रधान पर व्यय बरना होता है तथा केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तरों पर विधानमंडलों एवं संस्थाओं पर भी छवें की व्यवस्था बरनी होती है। इसके अतिरिक्त भरकारों को ससार के सभी देशों से राजनियिक तथा धारिजियक भवधों को भी बनाए रखना होता है। यही नहीं, अधिकाश राज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्वबैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय भगठनों के सदस्य हैं जिनके कारण वार्षिक चाहे के अलावा स्थानीय प्रतिनिधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि पर भी व्यय करने होते हैं।

स्पष्ट है, उपरोक्त कारणों से भी लोकव्यय की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति किसी एक देश तक सीमित नहीं है, अपितु ससार के सभी देशों में लोकव्यय के बढ़ने की प्रवृत्ति है। भविष्य में भी इसके धटने की कोई सभावना नहीं है, यद्यपि किसी वर्ष विशेष में लोकव्यय कम हो सकता है।

लोकव्यय की सीमाएं

धर्मशास्त्रियों के लिए यह कहना छठिन है कि लोकआय का वितना भाग लोकव्यय के लिए उपयुक्त हो सकता है। लोकव्यय की सीमा किसी समाज की आवश्यकताओं तथा राज्य द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुतु लोकव्यय की सीमा किसी देश की आर्थिक सम्भवता तथा प्रगति, जनस्वाक्षर के आकार तथा गुण और नागरिकों की राज्य पर निर्भरता एवं उनकी कर देय दमता पर निर्भर करती है। प्रो॰ ब्यूहलर के मतानुसार, 'कुछ व्यक्तियों वो लोकव्यय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति एक प्रापति दिव्यार्द्दि देती है, कुछ व्यक्तियों के लिए यह प्रसन्नता का बारज होती है और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस सबध में तटस्थ रहना चाहते हैं। राष्ट्रीय आय का कोई भी प्रतिशत सीकव्यय के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता व्योकि यह सीमा समाज की अभिलापाओं तथा आवश्यकताओं पर लोकव्यय के प्रभावों तथा उसे पूरा करने के लिए साधनों पर निर्भायती आपा और वितरण पद, प्रारूपित, वितरण की प्राप्ति तथा ऐसे ही प्रक्रम तथ्यों पर निर्भर करती है। विसो समय विशेष में किसी राज्य विशेष का वार्षिक विशेष के लिए व्यय का औचित्य ही वास्तविक ममस्या है।'¹ मैदातिक दृष्टि से राज्य के लिए लोकव्यय की यही सीमा उत्तम है जो समाज को अधिकतम लाभ प्रदान बरे। इसी मद्देन्द्र में डाल्टन

1 Alfred Beuhlar 'Public Finance', p. 87

दा मत है, 'सोबत्य दे रस सोमा तर ने जाना चाहिए जहा मनी दिग्गजों में होते वाले व्यय से उत्पन्न सीमात सामाजिक लाभ समान हों और उन सभी सीमात सामाजिक क्षति वे योग के बराबर हों जो वि राजनीय आय के अतिरिक्त विनिमय प्रवार से जापनों के जुटाने से उत्पन्न होती है। सरकारी व्यय के सभी लाभ पूर्णतया या अधृतया अधिक नहीं हैं, तथापि उनमें से अधिकार वे प्रभाव आधिक होते हैं और आधिक सामन नहीं में होती है।

यद्यपि लोकव्यय अनेक मार्गों पर विया जा सकता है तथापि कुछ वित्त-साहित्यों ने लोकव्यय भवधी नीति को निर्धारित करने वाले तत्त्वों का वर्णन दिया है। ये तत्त्व हैं— (1) भुक्ता व्यय, (2) शासन व्यवस्था पर व्यय, (3) सामाजिक कार्यों पर व्यय, (4) व्यापारिक कार्यों पर व्यय तथा (5) राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर व्यय। कुछ वहा जाए तो लोकव्यय की अमुचित सीमा के रूप में राष्ट्रीय आय के विनी निरिक्त प्रतिशत का नियरित नमूद नहीं है क्योंकि ऐसी सीमा सामैजिक परिस्थितियों पर निर्भर चरती है। अत ऐसे देश में यहा जनसूख्या का परिमाण आधिक है और आधिक विवाह की गति धीमी रही है, वहा पर सरकार को अपेक्षाकृत अधिक व्यय बरना चाहिए। उहा सरकार वे प्रति जनता का विवाह बम है और नागरिकों की वरदेव समता अधिक नहीं है तो आय के घनाव के बारण ऐसे देश में लोकव्यय का परिमाण बम ही होगा।

लोकव्यय के परिनियम तथा सिद्धात

आषुनिक मुग में सार्वजनिक व्यय इतना अधिक बढ़ गया है और निरठर दृढ़ा जा रहा है कि वह आधिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों सहित मनी क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया है। जो सोग इस व्यय का समर्थन नहीं करते उनपे भत में सार्वजनिक व्यय घन का अपव्यय है। इन्तु इन प्रकार की आवाजनाएँ अधिक महन्द्यार्थी नहीं हैं। यद्यपि सार्वजनिक व्यय के क्षेत्र में अमुचित घातों की जगहना ही चक्की है। मिर भी सरकार सामान्य सिद्धात के आधार पर ही सार्वजनिक व्यय करती है। डॉ फिल्डले यिराज ने भपने यथा 'दि साइर थांक परिनियम काहनें' में सार्वजनिक व्यय के नदव में चार सिद्धात प्रक्षुत किए हैं जो निम्न प्रवार हैं—

(1) साम परिनियम, (2) स्तिव्यवहार परिनियम, (3) स्त्रीहृति परिनियम तथा (4) आधिक परिनियम। इन चार परिनियमों के अतिरिक्त आषुनिक अपेक्षात्यिकों ने सार्वजनिक व्यय के युवध में भ्राक्षित सिद्धात और प्रतिपादित किए हैं— (1) लोक परिनियम, (2) उत्पादन परिनियम, (3) समाज वितरण परिनियम।

(1) साम परिनियम

यह परिनियम सार्वजनिक व्यय का सर्वोत्तम परिनियम है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रो॰ यिराज ने बहा है कि इतना 'उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त बरना है।' इस परिनियम के भनुनार— (1) सार्वजनिक व्यय इस प्रवार होना चाहिए जिससे कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। (2) सार्वजनिक व्यय इस प्रवार

होना चाहिए कि उसका देश के उत्पादन पर अचला प्रभाव पड़े तथा उत्पादन बृद्धि हो। (3) व्यय किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए वरन् सपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए। (4) सार्वजनिक व्यय किसी नीति या परपरा द्वारा बाध्य होना चाहिए।

डाल्टन के अनुमार, 'सार्वजनिक व्यय प्रत्येक दिशा में इम प्रकार होना चाहिए कि विसी एक दिशा में तनिक-सी बृद्धि होने में समाज की प्राप्त होने वाला लाभ उस हानि के बराबर हो जाए जो कर की मात्रा में तनिक-सी बृद्धि के कारण होता है और अग्नि किसी खोत से राजनीय आय को होती है। यही सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय (आगम) का आदर्श होना चाहिए।' पीतू के अनुसार, 'व्यय को मधीं दिशाओं में उस दिनु तक बढ़ाना चाहिए जहाँ व्यय की अतिम इकाई से प्राप्त मतुप्रिय उस अतिम इकाई की सतुप्रिय के बराबर हो जो सरकारी सेवा आदि पर व्यय की जाती है।'

स्थोप में, सार्वजनिक व्यय के समय बैनथम के परिनियम अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुध' का पालन करना चाहिए।

(2) मितव्ययता परिनियम

इस परिनियम वे अनुमार सरकार को केवल आवश्यक व्ययों पर ही व्यय करना चाहिए तथा उसको कोई भी व्यय ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार सामाजिक या आर्थिक लाभ प्राप्त न हो। मितव्ययता वा अर्थ कृपणता से नहीं लिया जाना चाहिए। मितव्ययता का अर्थ यही है कि राज्य को द्रव्य वा व्यय वर्ते समय उसी प्रकार की सावधानी से बाम लेना चाहिए जिस प्रकार वी सावधानी कोई व्यक्ति अपने घन को निजी वायों में व्यय वर्ते समय रखता है। किसी भी स्थिति में अपव्यय नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए जैसे (अ) किसी भी भद्र पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, (ब) सार्वजनिक व्यय इस प्रकार करने चाहिए जिससे कि उत्पादन क्षमता में बृद्धि हो, (ग) घन का अपव्यय नहीं होना चाहिए, तथा (द) सरकार को व्यय के अतिम परिणामों और प्रभाव की भी ध्यान देना चाहिए।

(3) स्वीकृति परिनियम

इस परिनियम वा अर्थ है कि यदि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व्यय को करने से पूर्व उसकी स्वीकृति अधिकारियों से अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस नियम में निम्न मुख्य बातें सम्मिलित हैं। (अ) व्यय वर्ते से पहले उचित अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त वर लेनी चाहिए। (ब) द्रव्य की जितनी मात्रा व्यय करने की स्वीकृति मिली हो, उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। (स) जिस वायं के लिए द्रव्य व्यय वर्ते की अनुमति मिली ही, उसी कायं पर व्यय करना चाहिए। (द) व्यय करने की रकम के हिसाब-विताव का उचित अकेशण (Auditing) होना चाहिए। (ग) किसी भी सरकारी वर्मचारी को उस राशि से अधिक व्यय करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, जितना कि उसे स्वयं अधिकार है। (र) अणों द्वारा लिया हुआ घन केवल

उन्हीं वायों पर सचं बरना चाहिए, जिनके लिए वह प्राप्त किया जाता है। तथा (ल) कृष्ण जो उचित ममता पर लोटाने के लिए शोधन दोप प्रथमा प्रम्य आवश्यक प्रबन्ध भी बरना चाहिए।

(4) आधिक्य परिनियम

इस परिनियम वा अनिप्राय मह है कि भरकार जो अपना आपन्य नतुलित रखना चाहिए ताकि घाटे की वित व्यवस्था बरनी न पड़े।

फिन्डने गिराज के अनुभार राजकीय मुम्माओं ने अपनी भाष्य वो प्राप्ति एव व्यय साधारण व्यक्तियों के अनुभार बरनी चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के समान सुलित बजट की नीति जो अपनाना चाहिए। इस नवव भें सन् 1920 में प्रो० गिराज ने अपनी पुस्तक में द्वुसेल्स के अतर्पीय वित सम्मेलन के एवं प्रस्ताव जो इस प्रकार व्यक्त किया है-

'वह देश जो घाटे के बजटों की नीति वो स्वीकार बरता है, जिसके बाले भार पर चलता है जो सर्वनाश की ओर से जाता है। उन भार से बचने के लिए जोहे भी त्याग दड़ा नहीं है।'

ग्लेटस्टन ने इसी प्रकार लिखा है, 'भविष्य के नाम, जाति एव गदवडी से बचने के लिए बजट में नतुलन होना आवश्यक है।'

उपरोक्त विचार ठीक भी है क्योंकि घाटे के बजट से कृष्ण वा नार जनता पर बढ़ जाता है और देश तथा विदेशों में सरकार का विद्वाल बन हो जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि घाटे का बजट बनाना हमेशा अवाधीनीय है। आधिक नियोजनकाल में घाटे के बजटों द्वारा आधिक कियाओं के स्वर को छोड़ा जिया जा सकता है। इसी प्रकार युद्धकाल में भी सरकार का बाम बिना घाटे के बजट बनाए नहीं चल सकता। आधिक बजट भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसे बजटों से जनता के मस्तिष्क में यह विचार आने लगता है कि उन पर अधिक कर लगाए जा रहे हैं।

अत अवसादकाल, आधिक नियोजन बान तथा मुद्रा के नवय घाटे के बजट मुद्रा-स्त्रीति में आधिक बजट और सामान्य परिस्थितियों में ज्ञातुलित बजट बनाना चाहिए।

प्रो० गिराज के उक्त मिहारों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नवव में अग्रासित सिद्धात और प्रतिपादित किए हैं-

(1) लोच परिनियम

इस विद्वात वा यह अभिप्राय है कि सावंजनिक व्यय में पर्याप्त तचह होनी चाहिए अर्थात् आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुभार व्यय में आवश्यक परिवर्तन करता भवत होना चाहिए क्योंकि सामाजिक साम वो अधिकतम बरने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यय का सामान्य दाचा लचीता हो। आय देखा जाया है कि कभी-भी सरकार ने समस ऐसो परिस्थितिया उत्पन्न हो जाती है कि उन पर विद्यम पाने के लिए सावंजनिक व्यय में एक इन कभी या दृढ़ि बरनी पड़ती है। व्यय को बदाना तो बहुत

सारल होता है। परतु उसे धटाने में बड़ी कठिनाई होती है। सरकार आय के नवीन साधन खोजती है, लेकिन साधनों को खोजने की एक सीमा होती है जिससे आगे आय नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके अतिरिक्त इन साधनों को खोज कर आय बढ़ाने से समाज पर कभी-कभी बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं।

अत इन सभी दृष्टियों से ग्रांसारित्रयों का मत है कि सार्वजनिक व्यय में यथेष्ठ लोच बनाए रखना चाहिए और यथासभव व्यय एक साथ न बढ़ाकर धीरेखीरे बढ़ाना चाहिए तथा इस प्रकार व्यय एक साथ कम न करने शर्त शर्त कम करना चाहिए ताकि साधारण जनता में ग्रामतोप न फैल सके। व्यूहस्तर ने लिया है कि सार्वजनिक व्यय के परिणामों का अनुमान लगाते समय हमें उन परिणामों की ओर भी ध्यान देना होगा जो इस व्यय की पूर्ति करने के सबध में करारोपण अथवा आय के अन्य उपयोगों के परिणामस्वरूप सामने आ सकते हैं।' अत सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए कि उसमें समयानुसार परिवर्तन विए जा सकें तथा सामाजिक हितों को भी ध्यान न पहुँचे।

(2) उत्पादक परिनियम

इस सिद्धान्तानुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार का होना चाहिए जिससे देश में नये-नये उद्योगों की स्थापना हो, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि हो तथा जनता के जीवनस्तर का विकास हो। यदि सरकार सीधेखीये उत्पादन पर व्यय नहीं भी करती तो भी इस प्रकार व्यय किया जाना चाहिए कि देश का अर्थसंतत्र सुदृढ़ता भी और प्रग्रसर हो और उत्पादन सबधी क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले। यदि जनता रातोप का अनुभव नहीं करती और उसके जीवनस्तर में समुचित विकास नहीं होता तो सार्वजनिक व्यय का कोई महत्व नहीं रह जाता। हैन्सन ने इस गवध में अपने विचार लिये हैं कोई भी शासुनिक राष्ट्र बिना सामाजिक और सार्वजनिक जीवन मेवाप्रो में वृद्धि विए हुए अपने वर्तमान रूप तथा बहुमुखी जीवनस्तर को उपलब्ध नहीं कर सकता।'

यह सर्वविदित है कि विद्युती शातान्दी में सुरक्षा, धाति व्यवस्था और सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय अनुरूपादव माना जाता था क्योंकि इस व्यय से प्रत्यक्ष उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। परतु इस शातान्दी के प्रारम्भ से ही इस धारणा को परित्याग कर यह माना जाने लगा है कि सुरक्षा व्यय, धाति व्यवस्था पर व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय अत्यत मावश्यक है क्योंकि बिना इनके उत्पादन काम भस्त्रभव है। लेकिन परोक्ष रूप से हनवे द्वारा उत्पादन में निर्दिष्ट वृद्धि होती है। जिस व्यय से पूजी निर्माण सीक्रेटर होता है, वेकारी की समस्या हल होती है, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है भारि सामाजिक हित पूरे होते हैं, वे व्यय निर्दिष्ट रूप से उत्पादव हैं। सामाजिक रोकाओं से मनुष्य की कार्यकारिता बढ़ती है, भत उन पर किया गया व्यय मनुरूपादक नहीं कहा जा सकता।

(3) समान वितरण परिनियम

इस सिद्धान्त के अनुसार सार्वजनिक व्यय भीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो

चपूर्प जनता ने लिए बल्याणमय हो और जिसने धन के वितरण की अनुमानता कर हो। वितरण की इस विषमता वा दूर वरने के लिए संपत्ति वा सुनान वितरण दिया जाना चाहिए। ऐसी नीति वो, जिसने गरीब अधिक गरीब तथा अमीर अधिक अमीर होने जाए, सार्वजनिक व्यय नीति में दोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। अत नरकार ने इन बात का पूरा स्थान रखना चाहिए, जिसके पिछडे हैं क्षेत्रों में भी पर्यावरण संबंधी विया जाए ताकि वे भी विद्युतिक्षेत्रों के समवश आ सकें। जहा अर्थिक नियोजन द्वारा आर्थिक विवास वे प्रभाल लिए जा रहे हैं वहा इन बात पर विशेष रूप से स्थान केंद्रित दिया जा रहा है, कि धन का समान वितरण हा। नज़र इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनी लागों में प्रगतिशील दर्शनों द्वारा अधिकारीय धन प्राप्त बरता है और नियंत्रण लोगों के हिनों के लिए नियुक्त शिक्षा, चिकित्सा, आवास-व्यवस्था, मनोरजन के कारों की व्यवस्था आदि बरता है ताकि नियंत्रण जनता वा जीवनस्त्रर लक्ष्य होने में महायता मिल सके।

(4) समन्वय परिनियम

इन परिनियम के अनुसार देश की विभिन्न अर्थीय मरकारों की पारम्परिक परामर्श वरें व्यय निर्धारित करना चाहिए। जिन देशों में सुधारनाम धनदा प्रश्न-तत्वात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है उनमें विभिन्न प्रकार औं मरकारें स्वदित होती हैं—गृषीय या केंद्रीय मरकार, राज्यीय तथा स्थानीय मरकार। ये तीनों प्रकार की मरकारें अलग-अलग साधनों में आय एकत्रित करती हैं और प्रयोग-प्रयोग नहीं पर ही खचे करती हैं। इनके हारा किए गए व्यय में अधिकतम नामांजिक लाभ उनी नियंत्रण होता है जब इनके व्ययों में सामग्री स्थापित हो, पुनरावृति की आशाना न हो और व्यय परिमानों में परम्पर विरोध न हो।

उपरोक्त सभी परिनियमों की चर्चा के बाद हम वह सबने हैं कि इन परिनियमों पर चलवर नार्वजनिक व्यय द्वारा जनता को अधिकतम जान पहुचाया जा सकता है और उत्पादक वितरक शक्तियों को प्रोत्साहित करके धन के वितरण की अनुमानता को कर दिया जा सकता है। मारक वा सार्वजनिक व्यय यद्यपि योजनात्मक रूप से ही रहा है और लाभ के निष्ठात वो स्थान में रखने के कृपि उद्दोग, शक्ति के साधन, यातायात, समाज बल्याण आदि पर व्यय वरें देश कहुमुझी विकास दृष्टि पर अप्रसर है। इन्हुंने फिर भी अनेक दृष्टियों से यहा सार्वजनिक व्यय अमितव्ययी है। विदेशी अतिथियों के स्वागत, आए दिन प्रतिनिधिमित्तों की विदेश-पात्रा, जन्मेनन आदि पर चाही व्यय होता है। दोपूर्ण प्रधानमन्त्र व्यवस्था के बारें भी सार्वजनिक व्यय का बाही प्रबन्ध देखने में आता है।

लोकव्यय के सिद्धांत


सरकारी गतिविधियों ने थेट्टनम न्यर एव ज्ञानों को निर्धारित बरले वाले निम्न उद्दात हैं: (1) नोपन्न वा बल्याणवारी सिद्धात, (2) एच्जिन विनियम सिद्धात,

(3) अनरण गतिविधियों तथा व्ययों के श्रेष्ठतम स्तर के निर्धारण का सिद्धात।

(1) लोकव्यय का कल्याणकारी सिद्धात

लोकव्यय के सिद्धात की व्याख्या आवटनीय गतिविधियों के सदर्भ में की जाती है। इस सिद्धात के अनुसार समाज वा कल्याण उम समय अधिकतम होगा जब लोकव्यय इस प्रवार किया गया हो कि व्यय का सीमात सामाजिक लाभ उसके सीमात सामाजिक लागत के बराबर हो। सीमात सामाजिक लाभ से अभिप्राय उम लाभ से है जो सरकारी गतिविधियों पर व्यय की एक अतिरिक्त इकाई से होता है। सामाजिक लागत निजी धोने में उत्पादन के घटने की ओर सकेत करती है जो स्रोतों से सार्वजनिक क्षेत्र में निजी श्रेष्ठ में स्थानान्तरण के कारण होता है। जब सरकार की एक गतिविधि का सीमात सामाजिक लाभ दूसरी गतिविधि के सीमात सामाजिक लाभ के बराबर हो जाए तब सभी गतिविधियों का सीमात सामाजिक लाभ अधिकतम होता है। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा के ऊपर अतिरिक्त 1000 रु. व्यय किए जाए तो उससे वही लाभ प्राप्त होना चाहिए जो सड़बो या शिक्षा पर 1000 रु. की अतिरिक्त राशि व्यय करने से होता है। कुल सामाजिक लाभ उस समय अधिकतम होगा जब प्रतिरक्षा पर व्यय की गई अतिरिक्त इकाई का लाभ सड़बो पर व्यय की गई अतिरिक्त इकाई के लाभ के बराबर हो।

यदि लोकव्यय के सभी मदों पर किए गए सीमात व्यय से प्राप्त सीमात लाभ बराबर होते हुए भी वह उम लाभ से बहुत होता है जो निजी क्षेत्र में उत्पादन पर व्यय



चित्र 12

करने से होता है। तब सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में लोकव्यय को घटावार निजी धोने में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा करने से समाज वा कल्याण अधिकतम हो जाता है।¹ इसका स्पष्टीकरण उपरोक्त चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है।

¹ Sharp and Sliger 'Public Finance', p. 18

इसु चित्र में P-अक्ष पर सीमात सामाजिक लान रुपा लागत और X-अक्ष पर लोकव्यय मापे गए हैं। MSB सीमात सामाजिक लाभ की दश रेखा है जो लोकव्यय की विनिल उपयोग से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। दायी और जैसे-जैसे लोकव्यय बढ़ता है सीमात सामाजिक लान घटना जाता है। MSC दश रेखा सीमात सामाजिक लागत वो दर्शाती है। यह दायी और नीचे ने छवर जाती है, जिससे यह अप्ल होता है कि जैसे-जैसे लोकव्यय बढ़ता है सीमात लागत घटती जाती है। OE सोकव्यय का थोक्टरम बिहु है जहाँ सीमात सामाजिक लाभ रुपा सीमात सामाजिक लागत दोनों बराबर हो जाते हैं।

सिद्धात वा मूल्यार्थन सखार वेवल दृष्टि सेवाओं का मूल्य हो अक्षित्यों के लाभ के अनुभार बसूल बरती है बशर्ते कि प्रत्यक्ष अक्षित जो मिलने वाला लाभ उस बसूल दी सीमात लागत के आधार पर पृथक-मूल्यन जात दिया जा सकता हो। यह अवश्यनक ही है कि जब सार्वजनिक एवं निजी सेवा में बन्धुओं और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य उनकी सीमात लागत के बराबर हो तो दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा थोक्टरम होती है। यिन्हाँ जैसी विद्येय नरकारी नैकाए, जो प्रत्यक्ष अक्षित्य लान रुपा अद्वत्यक्ष सानाजिक साम प्रदान करती हैं, वहाँ सामाजिक वल्याप को अधिक्तरम बरते हैं तिए रेसो केवाओं का मूल्य सीमात लागत से बन रखता होगा। जहाँ रेत जैसी जनोदयोगी नैकाए उत्पत्ति होने नियम के अर्थर्गत काम्यरत हो वहाँ 'मूल्यों दो सीमात लागत' के बराबर होने का सिद्धात ऐसे उद्योगों में घाटा उत्पन्न करेगा। यद्यपि ऐसे घाटों की क्षतिपूर्ति आविष्कार ग्राम पर बराबरम द्वारा पूरी की जा सकती है।

भरपुर रहे कि नखारी गतिविधियों का नखार गानाजिक होने के कारण उनका लान पृथक-मूल्यक नहीं आका जा सकता। याय ही अत्यर्थक्ति उद्योगिताओं के मापन की बठिनाइयों से सीमात लान और सीमात लागत का भी वही अनुभान नहीं लगाया जा सकता, इननिए इन निद्धात वा अद्वारित महत्व सीमित ही रहता है। किंतु नी इन उद्योगों के नापेशिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए दोनों के मापन की बठिनाई पर बातु पाया जा सकता है। हम शर्तरका तथा पुनिच भुरकाण के सापेक्षिक महत्व के आधार पर एक वो मापना करते हैं और दूसरे को छोड़ नहते हैं।

प्रत्येक नखारी सेवा से समाज को मिलने वाला थोक्टरम साम लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे प्रत्येक उद्योग से किसी सीका दफ़ लान ढाना चाहते हैं। ताकि व्यय जो उसी के अनुभार परिवर्तित दिया जा सके।

यद्यपि व्यय के सामान्य लाभों का आवलन एक बठिन बर्प्प है, उस पर जो कुछ ऐसी शीतिया हो चकी है जिसे लाभ का आवलन नसलता से किया जा सकता है। उद्याहरण दे लिए- (1) कुछ दिग्गिष्ठ पुनों के निर्मित होने के उपरान्त व्यापार तथा नपनि वे मूल्यों में तथा दान्तिक ग्राम में दृढ़ि के आधार पर उनके लानों का आवलन दिया जा

समर्पता है। (2) कुछ विशिष्ट प्रकार की मदों पर बिए गए व्यय को तुलनात्मक लाभ से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि यह निश्चित रूप से वहाँ जा सकता है कि दिक्षा वें मद पर किया गया व्यय पार्वं पर बिए गए व्यय की तुलना में अधिक लाभकारी होगा। (3) जैसे-जैसे किसी एक मद पर व्यय निरतर बढ़ाया जाता है सीमात सामाजिक लाभ घटता है। ऐसा तभी सभव होता है जब अन्य मदों पर व्यय घटाया जाता है। परिणामस्वरूप अन्य मदों पर जो व्यय भी इवाइया पहले ग्रामभकारी थीं अब थधिक लाभकारी हो जाती है। इस पर भी अन्य मदों की तुलना में प्रतिरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवा वा लाभ ठीक-ठीक ज्ञात करना अमर्भव प्रतीत होता है।

सरकारी सेवाओं का दूसरा पहलू उसकी पूर्ती लागत का है, जिस पर विचार करना आवश्यक है। पूर्ती लागत से हमारा आधार खोनो के निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानात्मक होने के कारण वहाँ उत्पादन की कमी से है। परतु मदी काल में निजी क्षेत्र में स्रोतों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में स्रोतों का निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानात्मक वास्तविक लागत को कम करता है। मदी काल में तो सरकारी व्यय निजी उत्पादन की बूद्धि को प्रोत्तमाहित करता है।

निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्रोतों के स्थानात्मक द्वारा उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार स्रोतों के स्थानात्मक द्वारा बूद्धि गौण प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसा उस समय होता है जब करों के द्वारा स्रोत निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवाहित किए जाते हैं। फलत निजी क्षेत्र में उत्पादन घट जाता है।


इन्हीं कारणों से समाज के लिए वास्तविक लागत का आकलन बढ़िन हो जाता है। फिर भी, सरकार को समाज के लिए इन सेवाओं को प्रदान करने की लागत की तुलना उनके लाभों से करने वा प्रयास करना चाहिए तथा सरकार की विभिन्न सेवाओं के लाभों की भी तुलना आपस में करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि लोकमत विस सेवा को प्रधानता देता है। परतु लोगों की विभिन्न सेवाओं की प्राथमिकता की पारस्परिक तुलना बढ़िन होती है क्योंकि प्रत्येक सेवा के लिए लोगों द्वारा राय भी पृथक-पृथक् होती है। कभी-कभी तो सेवा की पर्याप्त मूल्यना न मिलने के कारण उनकी प्राथमिकता के बारे में अपना मत प्रकट ही नहीं कर पाते। फलत कभी-कभी ये लोग ऐसी नीतियों पर बल देते हैं जो सामाजिक दृष्टि से कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। सधीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, सरकारों के मध्य बायों के बट जाने से ये बढ़िनाइया और भी अधिक बढ़ जाती हैं। इन परिस्थितियों में लाभ तथा लागत वा अनुमान वल्पना के आधार पर ही विया जा सकता है।

(2) ऐच्छिक विनियम सिद्धात

इस सिद्धात के अतर्गत करारोपण द्वारा व्यय की प्रक्रिया वैसी ही सफ़ेदी जाती है जैसे कि निजी क्षेत्र में ऐच्छिक विनियम की क्रिया यहा करों को बन्तुओं और सेवाओं के उपलब्ध मूल्य स्वरूप माना जाता है। जब किसी करदाता की बन्तुओं और

सेवाओं की मात्र उनकी नीमात लागत के चरणदर हो जाती है तब बन्दुओं पौर सेवाओं का उत्पादन इष्टवत्य होता है तथा करदाताओं (प्रयोगि श्रेष्ठाओं) में बन्दुओं पौर सेवाओं की लागत का वितरण भी इष्टनम हो जाता है।

इसे हम निम्न चित्र द्वारा समझा सकते हैं।



चित्र 13

माना कि X और Y द्विनो सुनाज में विनी एक कानूनिक बन्दु को बरदाता दर्द हैं। एह सामाजिक बन्दु सामाजिक आनदेदारता की पूर्ति करती है तथा वह दोनों सहायताओं को लानदारी है। इन दोनों दर्द के बरदाताओं को उन सामाजिक बन्दु की लागत नमुक्त रूप से उठने वाली चाहिए। चित्र में इन दोनों की नामांकित बन्दु की व्यक्तिगत मार्गें क्रमशः px और py द्वारा सेवाओं द्वारा दर्शाई गई हैं। X -अक्ष पर उत्पादन रूपा P -अक्ष रेखा पर सूत्र रूपा लागत नमुक्त है। D दोनों प्रकार के बरदाताओं के मात्र के जोह नी वक्र रेखा है। हमने यह मान लिया है कि उन बन्दु का चार्जर्ष उपनीय वेदव दर्दी दो दर्दों का रखते हैं। कुल मात्र वक्र गानांकित बन्दुओं के नमुक्त मूल्य की ओर संकेत करता है जिन पर उन्होंने विनियोग नाशए देकी जाती है। हमने यह भी मान लिया है कि उत्पादन उत्पत्ति मनदा विषय के अनुग्रह होता है। MC पूर्ति वक्र रेखा इसी ओर संकेत करती है। OQ इन बन्दु का नमुक्त उत्पादन है जिनकी कुल सामग्र $OQ \times OP$ है। यही लागत दोनों दर्दों के बरदाताओं में वितरित नहीं है। X दर्द के बरदाता $OPX \times OQ$ तथा $PY \times Q$ दर्दों के बरदाता $OPY \times OQ$ लागत उठन बरते हैं। इन प्रदाता OQ सार्वजनिक बन्दु की मात्रा की लागत प्रयोग बरदाता (प्रयोग श्रेष्ठ) की मात्रा के अनुमान वितरित बर दी जाती है। इस किंडात वो यह नमुक्त है कि आप पा उत्पत्ति वितरण है तथा प्रयोग बरदाता की अविनाशताएँ निर्वाचन के नियम वोट द्वारा जाती हैं और नरकार के नियम नी इही अधिकान्तर्ज्ञानों पर आधारित होते हैं। यहा यह भी मान लिया गया है कि एक सामाजिक आनदेदारता की आव-

व्यय की प्रक्रिया भी स्पष्टात्मक क्रियाओं द्वारा बैसे ही तथ होती है जैसे कि एक निजी बाजार म।

सिद्धात का मूल्याकन इस सिद्धात की मान्यता अवास्तविक है क्योंकि इसमें राजनीतिक तथ को बाजार तथ के ममान मान लिया गया है। सरकार की आय-व्यय की प्रक्रिया बाजार-प्रक्रिया के समान नहीं होती। बास्तव में सार्वजनिक वस्तुओं की व्यक्तिगत अधिमानों वी अभिव्यक्ति राजनीतिक क्रियाओं द्वारा नहीं होती क्योंकि वह निषेध का सिद्धात तागू नहीं होता है और यदि व्यक्तिगत अधिमान जात हो भी जात है तो भी राजनीतिक प्रक्रियाओं की अपूर्णता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में लोटों वा इष्टतम उपयोग नहीं हो सकता। जो भूल एवं मुधार विधि निजी बाजार में लागू हो जाती है परतु सामाजिक वस्तुओं के उत्पादन के निर्धारण में सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाती।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त इस सिद्धात के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कर भार वा वितरण करदाताओं के भव्य विस प्रकार किया जाए। यह अवश्य है कि हम इस सिद्धात के द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के करों का कुल भुगतान सामाजिक वस्तुओं के व्यक्तिगत सीमात मूल्याकन तथा वस्तुओं वी कुल मात्रा को गुणा करके जात कर सकते हैं, परतु करों की दर का निर्धारण मध्यव नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अधिकांश सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की सामाजिक प्रकृति होने के बारण व्यक्तिगत लाभों का निर्धारण केवल एक कल्पना है। अत मे, हम इम निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि सामाजिक सेवाओं की सागत का भुगतान करों के हथ मे उनके सीमात मूल्याकन पर आधारित न होकर लोकमतानुसार ही होता है।

(3) अतरण गतिविधि को निर्धारित करने का सिद्धात

धनी से निधन वर्ग म आय के हस्तातरण का थेष्टतम स्तर आय की उस वितरण-प्रतिभा पर निर्भर करता है जिसे लोकमत सामाजिक दूष्टि से प्राप्त करने का इच्छुक है।¹ समाज ही यह तथ करता है कि न्यूनतम तथा अधिकतम जीवनस्तर में वितना अतर होना चाहिए। इसके उपरात ही आरोही वरों द्वारा आय तथा सपति के वितरण वी विद्यमता को दूर करने वा प्रयास किया जाता है। निर्धनों को नवदी (वृद्धावस्था पेंशन) तथा सेवाओं (निशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा इत्यादि) के रूप मे सहायता प्रदान करने तथा इनके आय-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न विद्या जाता है। ऐसे व्यय का अतरण निर्धन वर्ग की वस्तुओं की मात्रा को अनुकूल दिशा म परिवर्तित करता है।

स्मरण रहे कि आविक विकास के साथ न्यूनतम जीवनस्तर वी धारणा भी बदल जाती है। इसलिए आय के थेष्टतम वितरण की इच्छुक प्रतिभा भी एक बात है वाद वह नहीं रहती जो इसके पूर्व होती है।

उल्लेखनीय है कि व्यय का अतरण कार्य करने, बचत करने, बचत बरन की इच्छा तथा विनियोग करने की इच्छा वो प्रभावित करता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति म पहुचने

के बाद व्यय का अतरण दिक्षाम दर की पटा सकता है, जब जि उदी जाल में व्यय का अतरण भवी से छुटकारा दिलाने में महापक हो सकता है।

साधारणकार में अठरण के उद्देश्य से तौद आरंभी वर द्वारा इसी बोध के निर्माण की क्रिया विनियोगों पर प्रेरणाप्राप्ति प्रभाव दाता है। अत चरारंभण के आरंभण की गति तथा व्यज अतरण वा अनुर ऐसा हुना चाहिए जो अपेक्षाकृत प्रभाव न डाले।

इन नमूर्ण दिवरण से यही निष्पत्ति निवारना है जि नोन्यव्यय के अत्याधिकार्य मिदात तथा एन्जिन विनियय मिदात वे अतरंत उत्तरार्थ व्यय के शेषानुम अनुर ने जोई मौलिक अनुर नहीं है। यदि बाई अनुर है भी तो वह थेप्टरुम अनुर के प्राप्त करने की रोकियों में हो सकता है। जोनों ही मिदात विनियन करें को दरों के निर्धारण के अवधि में जोई निश्चित उत्तर नहीं देते।

लोकव्यय के प्रभाव

लोकव्यय का देश के उत्तरति के नामनों तथा उनके द्वारा उत्तरति की नामा पौर उसके वितरण पर गमीर प्रभाव पड़ता है। प्रचेत देश जी भरवार लोकव्यय द्वारा नामाजिक अत्याधि में बृद्धि चाहती है। इसके लिए यह आवश्यक है जि उत्तादन की नामा डहे, वितरण की अपमानता दूर हो तथा आर्दित अधिकृता घून हो। दास्तन ने लोकव्यय के विनियन प्रभावों वा तीन शीर्षकों के अन्यतंत्र वर्णन किया है। उत्तादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव तथा अन्य प्रभाव।

उत्पादन पर प्रभाव

लोकव्यय उत्तादन पर प्रभावों को ज्ञात बरने की दही रुखेत्ता है जो उनों के प्रभावों के अध्ययन में अपनाई गई है। डास्तन के अनुसार इसी भी देश में उत्तादन दर नोन्यव्यय का प्रभाव मालूम बरने के लिए निम्न बानों पर विचार अनुदर्श होगा।

(1) कार्य बरने, वचत बरने व विनियोग करने की योन्यता पर प्रभाव

लोकव्यय कार्य बरने तथा वचत बरने की योनित को बड़े प्रबार ने प्रवादित कर सकता है।

जैसे जि वराधान व्यक्ति की कार्यकुशलता को पटाता है तथा उनके कार्य बरने की योन्यता पर प्रविकूल प्रभाव ढालता है, उसी प्रबार यदि सोन्यव्यय से उनकी कार्यकुशलता में बृद्धि होती है तो उनकी वर्त्तने की योन्यता बह जाती है। नोन्यव्यय के बुझ हर वास्तुकुशलता ने बृद्धि बरते है। उत्तराधार्य विदवाओं की दी जाने वाली पेशन, पारिवारिक भत्ते इत्यादि। ऐसे लोकव्यय प्रत्यक्ष प्राप्तव्यांदीं जी तुम्हा में नविष्य में उनके दलों की कार्यकुशलता को अधिक ढालते हैं। उसी प्रबार दलों के रूप में दिए गए बड़े अनुदान जैसे यिक्षा, न्याय उकाऊ और नवानों की सुविधा वे ज्ञा में दिए गए अनुदान, मनान नामा वे द्राविक अनुदान जो सुनना में कार्यकुशलता

बढ़ाने की दिशा में अधिक सफल होगे। यदि यह अनुदान व्यक्तिगत रूप में दिए जाते हैं तो उनके अनुचित कार्यों पर व्यय हो जाने की समावनाएं हो जाती हैं जो सभवत कार्य-कुशलता की वृद्धि में सहायक न हो।

सरकार अपने खंचों के द्वारा कुछ ऐसी मुविधाएं भी प्रदान कर सकती हैं जो उत्पादन में सहायक किस्म होती है। उदाहरण के लिए रेलों, सड़कें, मधारवाहन के साधन, सिचाई, विद्युत-दाकित आदि के विकास पर किया गया व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

सरकार उपभोग को निरुत्साहित करके व्यक्ति की आय को बढ़ाकर उसकी व्यवहार करने की योग्यता को बढ़ा सकती है। जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि कुछ लोक-व्यय द्वारा व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है इसलिए इन व्यक्तियों की व्यवहार करने की शक्ति भी बढ़ जाती है।

यदि लोकव्यय के विनियोग योग्य कोय किमी ऐसी स्थिति के हाथों में पहुँचते हैं जो उसे पूजीगत कार्यों में बचने करती हो तो विनियोग वरने की योग्यता बढ़ जाती है।

(2) कार्य करने, बचत व विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव

लोकव्यय व्यक्तियों की व्यवहार करने, कार्य करने तथा विनियोग करने की इच्छा को भी प्रभावित करता है। किसी भी देश का उत्पादन केवल कार्य करने और व्यवहार करने की योग्यता पर ही निर्भर नहीं करता अपितु उस देश के लोगों के कार्य करने और व्यवहार करने की इच्छा पर भी निर्भर करता है। इसलिए लोकव्यय इस प्रकार से किया जाए कि लोगों की कार्य करने की तथा व्यवहार करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पड़े। लोक-व्यय निम्नलिखित दो बाँधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(अ) वर्तमान व्यय : वर्तमान व्यय से लोगों के कार्य करने तथा व्यवहार करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोकव्यय से उनकी आय में वृद्धि होती है तथा उनका जीवनस्तर ऊचा उठता है। परतु कभी-कभी वर्तमान लोकव्यय द्वारा आय में वृद्धि होने के कारण कुछ लोगों की कार्य करने की इच्छा कम हो सकती है, क्योंकि वे कम नाम करके भी पर्याप्त धन प्राप्त कर लेते हैं जिससे उनके पहले वी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। परतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोगों में निरतर प्रगति वरने की भी प्रवृत्ति होती है। वे ऊचे से ऊचा जीवनस्तर प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई एक निश्चित जीवनस्तर प्राप्त करने के पश्चात् शिथिन हो जाता है तो इस कठिनाई को भी उसकी आय में धोरे-धोरे वृद्धि करके दूर किया जा सकता है। यदि सरकार यह देखती है कि लोगों की आय के बढ़ने से तुरी आदतों का प्रादुर्भाव न हो तो वह ऐसा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के रूप में सहायता कर सकती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लोकव्यय से व्यक्तियों के कार्य करने तथा व्यवहार करने की इच्छा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है।

(ब) भावी व्यय : भावी व्यय लोगों के कार्य करने तथा व्यवहार करने की इच्छा को बम करते हैं। सरकार ने जिन मदों पर व्यय किया है उनसे मदैव लाभ

होता रहेगा अथवा नागरिकों दो यह ज्ञात हो जाए कि भविष्य में भी सरकार द्वारा मद्दों पर अध्ययन करती रहेगी तो इससे उनकी कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि भविष्य में भी उन्हें सरकार से यह सुविधाएं प्राप्त होती रहेगी। फलत देश में उत्पादन तथा पूँजी के निर्माण का न्यायिक गिर जाएगा।

राज्य द्वारा वे सुविधाएं जो कुछ निश्चित शर्तों पर प्रदान की जाती हैं उनसे लोगों की कार्य करने तथा बचत करने वो इच्छा कम नहीं होती। उदाहरणार्थे दीमारी या बैबारी वे सभय दी गई महायता में नागों की बचत करने तथा कार्य करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस महायता को प्राप्त करने वे निए इसका कुछ अशा प्राप्तगति को चढ़े वे स्पष्ट में देना पड़ता है और यह महायता नेबल निश्चित प्रबंधि के लिए ही होती है। इसी प्रकार से मनुदान की प्रत्याग्रामा जो कि स्थाई नहीं होती बरन् प्राप्तवर्तीयों के भावी प्रपासों के साथ बढ़ती है। उनके कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा वो बढ़ा देते हैं बढ़ते कि उनकी आय की मांग बहुत बेलोचित दारन हो। लोगों को कमाई तथा बचत पर दिए जाने वाले अनुदान इसके उदाहरण हैं।

इस नवदय में हम इतना अपवाह वह सत्तते हैं कि जब तप नागों वो यह आगा बनी रहेगी कि आदित्यवता होने पर सरकार में वित्तीय सहायता मिल सकती है तब तक उनसे कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसी नियति उत्पादन पर कुरा प्रभाव अवश्य ढालती है। डाल्टन ने इसे स्वीकार किया है कि लोकव्यय का यह दोष पूरे तौर से सामाजिक नहीं किया जा सकता। लोकव्यय द्वारा नागरिकों के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा वित्तीय घटनी या बढ़ेगी, यह राजदीय नीति तथा नोगों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। डाल्टन द्वा भक्ष्य है, 'जहा आय की मांग बेतोचदार रहेगी वहा कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा में कुछ रक्कावट अवश्य ग्राएगी।' गूँह अध्ययन करने पर यही प्रकट होना है कि यह बात नोक्क्यव्यय की नीति और राष्ट्र की नागरिकों द्वारा आर्थिक परिवर्तियों पर निर्भर करती है कि कब, कहा और विस लोकव्यय का नागरिकों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(3) विनिन्न स्थानों और उपयोगों के बीच आर्थिक साधनों के दिशा परिवर्तन के प्रभाव

नोक्क्यव्यय आर्थिक साधनों का दिशपरिवर्तन अत्यधिक तथा परोक्ष—दो स्पष्ट में करते हैं।

(अ) प्रत्यक्ष दिशपरिवर्तन: प्रत्यक्ष दिशपरिवर्तन में सरकार स्वयं साधनों का उपयोग करती है। राज्य की आर से मुख्या, नागरिक प्रणाली, नगमाव सेवाओं तथा न्यायालयों पर अध्ययन कार्य करने तथा दिशपरिवर्तन है जो व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं। सरकार स्वयं इन्हें पूरा करती है क्योंकि व्यक्ति इन्हें व्यक्तिगत साधनों की कमी के कारण पूरा नहीं कर सकता।

(ब) परोक्ष दिग्परिवर्तन परोक्ष दिग्परिवर्तन म सरकार इन साधनों का स्वयं उपयोग न करके नागरिकों में इस प्रकार वीरचि उत्पन्न कर देती है जिसे उत्पत्ति के साथनों को दूसरे ढंग से जुटाए। उदाहरण वे लिए सिचाई के साधनों का वित्तन करके बृप्ति को उन फसलों के उत्पन्न करने वे लिए प्रवृत्त वर्णे जिनके लिए अधिक जल वीरचावन्यवता होती है। इसी प्रकार जन-विद्युत शक्ति वे विकास में लोगों म यह अभिहचि उत्पन्न हो सकती है जिसे अपना घन अन्य प्रकार से व्यय न करके उद्योगों म व्यय करें।

लोकव्यय वे साधनों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान वो भी होता है। केंद्रीय कोपान्य द्वारा अधिकारियों के विवाद वरने के हेतु इस क्षेत्र के उत्पादवों तथा स्थानीय स्थानों को अहन, अनुदान आदि दकर साधनों का इस क्षेत्र को दिग्परिवर्तन बताती है।

वभी कभी लोकव्यय द्वारा अधिक साधनों के विशिष्ट उपयोगों म दिग्परिवर्तन से भी उत्पादन म बृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के वे दिग्परिवर्तन हैं जिनका उद्देश्य भविष्य वे लिए साधनों की अच्छी व्यवस्था बरना होता है। उदाहरण वे लिए जब सिचाई, परिवहन शक्ति आदि वे विकास वीर योजनाए बनती हैं तो इसमें देश की स्थाई पूजी म बृद्धि होती है तथा भावी उत्पादन शक्ति वा विकास होता है। वास्तव म पूजीगत वस्तुओं पर लिए गए व्यय भविष्य वे लिए साधनों का दिग्परिवर्तन है क्योंकि उत्पत्ति के लिए साधनों का प्रयोग बतमान में न करके भविष्य म विया जाता है।

परन्तु पूजीवादी अर्थव्यवस्था म लाक्षस्थानों के विना हस्तधेष्य के इस प्रकार का प्रावधान बहुत कम किया जाता है और जो किया भी जाता है उसकी बनावट बहुत खराब होती है। वह इस अर्थ म जि पूजीवादी अर्थव्यवस्था म आवश्यवता से अधिक अनुपात भौतिक पूजी के स्वप्न में होता है और मानव पूजी तथा ज्ञान पूजी के स्वप्न में बहुत कम अनुपात होता है। क्योंकि मानव पूजी तथा ज्ञान पूजी म घन लगाने से लाभ कम मिलता है। परन्तु हम यह नहीं भूतना चाहिए जि सभी भौतिक वदार्थ तथा समृद्धि के पीछे मानव मन्त्रिक ही काम जारी है। आज जो भौतिक चमत्कार तथा तकनीकी का विवास देखने को मिलता है वह मानव मन्त्रिक की ही उपज है। डाल्टन के मतानुगार, जब सरकार स्वम्य मध्यनों और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है, तथा बच्चों को जि शुल्क विकास देती है तो यह एक अत्यत महत्वपूर्ण विनियोग होता है जो भौतिक पूजी के स्थान पर मानव पूजी का निर्माण बरता है। इस प्रावार लोकमस्थानों वो भविष्य वे लिए अधिक प्रावधान मन्त्रिक वर्णन में और उसके घटकों में उत्तम सतुलना स्थापित करना चाहनीय है। ये दोनों उद्देश्य लोकव्ययों की बुजी है जिनका लक्ष्य उत्पादन शक्ति में बृद्धि बरना होता है।

परपरावादी अर्थव्याप्तियों की यह धारणा थी जि लोकव्यय द्वारा साधनों का दिग्परिवर्तन मद्देव हासिकारक होता है क्योंकि इससे साधनों का उपद्रुत तथा पूर्ण

उपरोग सभव नहीं हो पाता। इन विचारसो के अनुमार स्वतंत्र प्रतियोगिता में मूल्यवय की सहायता से तथा व्यक्तियों की स्वार्थ वी प्रवृत्ति के बारण साधनों का वितरण सर्वोत्तम होता है। बास्तव में परपरावादी अद्येशास्त्रियों का यह विचार बर्तमान मुग में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आजकल प्रत्येक देश की सरकार साधनों के उचित स्थानान्तरण में महिला भाग लेती है तथा आधिक माधनों का उपरोग इस प्रकार करती है कि मानवीय कल्याण में अधिकाधिक वृद्धि हो सके तथा उत्पादन का स्तर ऊचा उठ सके। सरकार द्वारा प्रतिरक्षा पर, सामाजिक मुख्यों पर, परिवहन तथा शक्ति यादि के साधनों के विकास पर जो व्यय किया जाता है, वह साधनों के दिलचित्तन में परोक्ष रूप से सहायक सिद्ध होता है। इस प्रवार अब दिमी प्रकार का लोकव्यय अलाभवत् नहीं ठहराया जा सकता है और न ही लोकव्यय द्वारा साधनों का दिग्परिवर्तन ही मान्य ठहराया जा सकता है।

वितरण पर प्रभाव

आषुनिक विचारशारा के अनुमार लोकव्यय की दह प्रणाली सर्वशेष मानी जाती है जिसमें भाष्य की विषमताओं को दूर करने की प्रवृत्ति सबसे दृढ़ होती है। समाजवादी तिदानों में आस्था रखने वाले देश इस विचारशारा ने अधिकाधिक विद्याय रखते हैं, प्रो० पोगू ने अपनी पुस्तक 'इन्नोमिक्स आफ वेलफेर' में इस मद्दते में लिखा है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि बन्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करके की जा सकती है, यदि ऐसा सम्भव न हो तो सामाजिक कल्याण की वृद्धि राष्ट्रीय लाभान्वय के वितरण के द्वारा समाज में घन की असमानता को दूर करके भी की जा सकती है। लोकव्यय की वृद्धि के लिए राज्य के पास ऐसा ही दुखारा अस्त्र है। एक ओर वह घनी व्यक्तियों पर वर लगाकर उनकी आय को कम कर देता है तथा दूसरी ओर लोकव्यय द्वारा निर्धन व्यक्तियों को सेवाएं देकर उनकी आय में वृद्धि करता है।

लोकव्यय की विश्वासो द्वारा धन के वितरण की विषमता को कम करने की सीमा तक दूर किया जा सकता है। विनी कर-विदेश की भाति, वोई अनुदान या उपदान-विदेश भी प्रतिगामी, आनुपातिक धर्यवा प्रगतिशील हो सकता है।

लोकव्यय प्रतिगामी उम समय बहुताता है जब प्राप्तवर्ती की आय जितनी कम होती है, लोकव्यय से आनुपातिक वृद्धि भी उतनी ही कम होती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत में निर्धन वर्जनों के लिए शिक्षा पर व्यय न बरके सरकार धनी वर्जनों के वर्जनों के लिए पछिक स्कूलों पर व्यय करती है तो वह प्रतिगामी व्यय होगा। लोकव्यय आनुपातिक रूप बहुताता है जब प्राप्तवर्ती की आय के अनुपात में ही लोकव्यय से लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारियों की 10 प्रतिशत मकान भत्ता मिलता है, यह आनुपातिक लोकव्यय है। लोकव्यय के प्रगतिशील उम नमय बहुत है जब प्राप्तवर्ती की आय जितनी कम होती है, लोकव्यय

से अनुपातिक बृद्धि उतनी ही अधिक होती है, इस प्रकार बुढ़ापे की वेशन, नि शुल्क शिक्षा, सार्वजनिक चिकित्सालयों पर व्यय प्रगतिशील लोकब्यय है।

प्रतिगमी लोकब्यय प्रणाली कार्यों की विषमता कम करती है। आनुपातिक और साधारण रूप से प्रतिगमी लोकब्यय प्रणाली वा भी यही परिणाम होता है। परन्तु अधिक तीव्र प्रतिगमी लोकब्यय प्रणाली विषमता बढ़ाती है। डाल्टन के अनुसार, 'प्रगतिशीलता की दर जितनी तेज होती है, विषमता कम करने की प्रवृत्ति भी उतनी प्रवल होती है।' इसलिए समान वितरण की विचारधारा हमें व्यवहार योग्य अर्थात् तीव्र प्रगतिशील लोकब्यय प्रणाली की ओर से जाती है।

उपदान तथा अनुदान लोकब्यय के ही भिन्न रूप है। वितरण के दूषिकोण से इन पर विचार किया जाना उपयुक्त है। रोटी या दूध के लिए दिया जाने वाला उपदान जो उनका मूल्य घटाता है, प्रतिगमी अनुदान के रूप में कार्यशील होता है, जबकि निजी बचतों के लिए दिए जाने वाला उपदान प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील उपदान, आय वितरण की भारी विषमता को कम करते हैं।

स्मरणीय है, खाद्य उपदान तभी प्रगतिशील होते हैं जब उपदान प्राप्त स्वाद सामग्री अमीरों की तुलना में निर्घन लोगों के व्यय का अधिक बढ़ा अनुपात होते हैं। ये उपदान सामान्य भी ही सकते हैं और विशेष भी। वे सामान्य तब कहे जाते हैं जब वे खाने वाले वा विचार किए बिना किसी विशेष खाद्य पदार्थ का मूल्य घटा देते हैं। वे विशेष तब कहे जाते हैं जब वे विशिष्ट वगों—जैसे गर्म वर्ती रित्रियों, दूध पीते बच्चों वी मातामों, स्कूली में भोजन करने वाले वालकों द्वारा खाए जाने वाले पीटिक पदार्थों पर केंद्रित रहते हैं। दोनों ही उपदानों का पक्ष बहुत प्रवल होता है। प्राप्त करने की योग्यता के अनुसार लाभ वितरण के सिद्धात का यह अच्छा दृष्टान्त है। जिस प्रकार करायान के वितरण में 'न्यूनतम त्याग' का सिद्धात अपनाया जाता है, उसी प्रकार अनुदानों के वितरण में 'अधिकतम लाभ' का सिद्धात व्यवहार में लाया जाता है। 'अधिकतम लाभ' के सिद्धातानुसार वह अनुदान प्रणाली होगी जो एक सीमा से कम स्तर वाली सभी आयों को उस स्तर तक से जाएगी और उम स्तर से ऊपर वाली किसी आय में कोई बृद्धि नहीं करेगी। अनुदानों के सबध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्राप्तवर्ती की योग्यतानुसार ही दिए जाएं ताकि सोबत्य ऐसे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। यदि अनुदान पाने की सभावना से कोई व्यवित कम काम या बचत करने सकता है, जितनी वह अन्यथा करता, तो उसकी आय बढ़ाने की दिशा में अनुदान का प्रभाव कम हो जाएगा और वितरण की भसमानतामो में कमी नहीं आएगी।

यहि शिक्षण इन्हें इतना हिलाए कि हरण पीढ़ी के लोग उही सह्या में न्यून मजदूरी वाले उद्योगों से हट कर अधिक मजदूरी वाले धघो में जा सकें, और इस प्रकार अधिक तथा कम मजदूरी की दरों के पतर को पठाने में समर्थ हो सकें, तो वितरण परोक्ष रूप से प्रभावित होगा और आयों की विषमता भी कम हो जाएगी।

यदि कोई सेवा समाज के सब सदस्यों द्वारा नि शुल्क प्रदान की जाती है, जैसे

निमुक्त स्वास्थ्य नेवा, तो प्र० टानी के शब्दों में विषमता वा क्षेत्र नंवर हो जाता है।

अनुदान विषमताओं वो पटाकर दितरण की मुधार नहीं है, जाप ही जाप ये व्यक्तिगत आयों तथा पारिवारिक आदर्शवत्ताओं के नाथ मानवन्य द्वारा नीचितरमें मुधार ला लेते हैं। पूर्णतः अथवा आग्रिक रूप के मार्वजनिक निधियों पर काषायन्ति बुद्धिये की पेशन, भासाजिक मुख्या, हीनायी साम, देवायी लान, औरोगिक चोट लान, प्रमव साम, प्रभुतशालीन लान, दिवदामों वी पेशन, दब्दों के निए भर्ते, निमुक्त स्वास्थ्य नेवा आग्रिद के लिए विए जाने वाले अधिकाश विषान निर्माणों वा उद्देश्य इन्हों प्रकार वा मुधार बनता है।

लोकव्यय द्वारा असमानता में दृढ़ि

लोकव्यय के कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जो जाप वो अनमानता वो उच्च करने की अपेक्षा दहाते हैं। उदाहरण के लिए मुद्रबाल में सरकार द्वारा घनिष्ठों से उच्च के रूप में भास्यता ली जाती है और उस पर उन्हें व्याज दिया जाता है। इनमें घनिष्ठों की जाप में दृढ़ि होती है। इन पर दिए गए व्याज की गति जानता से उच्च द्वारा उच्च होती है। यदि इन गतियों का कुछ भाग निर्वन दर्गे ने भी उच्च के रूप में दृढ़ि होती है। उदाहरण के लिए घनिष्ठों की जाप में दृढ़ि होती है। उदाहरण के लिए घनिष्ठों की जाप में दृढ़ि होती है। यहाँ बारण है कि मुद्रबाल में घनिष्ठों अधिक घनी भीर निर्वन अधिक निर्वन हो जाते हैं और असमानता की जाई और अधिक विस्तृत हो जाती है।

मुद्रज के विचारानुसार दितरण की असमानता वो नीति देश के लिए हासिन-कारक निष्ठ हो सकती है। इनका मत है कि यदि व्यय करने समय चेतन इनों उद्देश्य वो व्यापार में उच्चर जाएगा तो इनका परिणाम यह होगा कि सरकार दो बहुत-न्य अनुत्पादक कार्यों पर करना पड़ेगा। जाप ही पूजी के एकीकरण तथा उत्तरादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; बास्तविकता यह है कि नागरिकों के हित में विद्या जाने वाला वोई भी व्यय अनुत्पादक नहीं होता। यहाँ तक पूजी को एक उच्च करने का प्रश्न है, यह जाना जा सकता है कि उनके बचत करने वो क्षमता पर दुरा प्रभाव पड़ेगा परन्तु हमें यह नहीं खूलना चाहिए कि दूसरी ओर एक दिशाल दर्गे की बचत करने वी तथा जाप वरने वी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए यह उहा जा भवता है कि घन के दितरण की असमान नीति जे नमाज की कुल बचत करने वी शक्ति बढ़ेगी। अूहनर पा उत भी नुट्रज के समान ही है। इन्होंने विद्या है कि, घन के दितरण की विषमता वो दूर करने के लिए सरकार वो निर्वन व्यक्तियों पर उदारतापूर्वक व्यय करना होगा, परन्तु यह व्यापार रखना होगा कि घनिष्ठों के बचत करने तथा जाप वरने को इच्छा पर दुरा प्रभाव न पड़े। यदि बचत करने वी दर कम होगी तो नदिय में दितरण की राशि नी बन होगी और असमानता दहाय। दस्तुः लोकव्यय की सकलता इसी बात में है कि एक और दैश वा उत्तरादन दहे और दूसरी ओर घन के दितरण में यदानेव उनानठा न्यानित हो। इन दोनों उद्देश्यों में नंतुलन स्थानित करना लोकव्यय की नीति वा उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि न्यायपूर्वक वितरण के प्रभाव में अधिक उत्तरादन महत्वहीन है और

यिना उत्पादन वृद्धि के वितरण का विचार भी महत्वपूर्ण है।

अन्य प्रभाव

हम यह भ्रष्टाचार के बाहर लोकव्यय किस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने तथा आय के वितरण को समान बनाने में सहायता हो सकता है। इनके अतिरिक्त कई और ढंग से भी नोकब्यय लाभ पहुँचा सकता है।

अभाव पूरक यथा के रूप में

लोकव्यय एक ऐसा यथा है जिसका उपयोग देग पी भ्रष्टाचारस्था में उत्पन्न होने वाली तेजी और मदी को रोकने के लिए किया जा सकता है। मदीशामा में उत्पादन तथा उपभोक्ताओं पर युरा प्रभाव पड़ता है मूल्यों के गिर जाने के कारण उत्पादन के लागतों की मात्रा ग कमी आ जाती है। ऐसी दशा में उत्पादन का रोक देते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता भी मूल्य गिरने को आशा नहीं है। अत वे अपना उपभोग उस समय तक स्थगित करने की सोचते हैं जब तक मूल्य गिर कर और निम्न स्तर पर पहुँच जाए। गैर सरकारी माग में कमी होने के कारण गैर सरकारी व्यय में कमी आ जाती है। फलत उत्पादन, रोजगार तथा आय घट जाते हैं। उपभोग तथा विनियोग के खंडों में कमी हो जाती है तथा वचतों तथा संग्रह बरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मदीकाल में पूर्ण व्यवस्था के स्तर को प्राप्त करने के लिए भ्रभावपूरक व्यय की सहायता नेवर व्यय की पारा में घन प्रवाहित किया जाता है जिससे माग तथा आय में होने वाली गिरावट को रोका जा सके। टेलर के शब्दों में, क्षतिपूरक व्यय का भ्रभिआय यही है कि आय को वाचित स्तर पर लाने के लिए निजी व्यय की कमियों को सरकारी व्यय द्वारा पूरा किया जाए।¹

जिस समय राष्ट्रीय आय गिर रही होती है तथा वेरोजगारी बढ़ रही होती है तब इस गिरावट को रोकने के लिए अभावपूरक व्यय को एक सीमित पैमाने पर अपनाया जाता है। यदि इससे उचित सफलता प्राप्त नहीं होती है तब सरकार बड़े पैमाने पर क्षतिपूरक व्यय करती है जिससे जि माग, उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों को गिरने से रोका जा सके और निजी खेत्र के व्यवसायों को पुनरुत्थान की प्रेरणा मिल सके। ऐसे अभावपूरक व्यय को समुद्दीपन व्यय के नाम से गबोधित किया जाता है। टेलर के अनुसार, 'समुद्दीपन व्यय की नीति इस विवास पर आधारित है कि जब सार्वजनिक घन पर्याप्त मात्रा तथा उचित परिस्थितियों में आय स्रोतों में लगाए जाएं तो यह गिरती हुई भर्यव्यवस्था को बदल कर उसकी प्रियाशीलता को पुन बढ़ा देंगे। इसका मर्यादित यह है कि गुणक किया से ग्राहिक स्थिति में विकास और क्रियाशीलता का सिद्धांत तेजी से लागू होगा।'²

इस नीति के द्वारा सरकार को समय के अनुसार वार्षिक बदले पड़ते हैं। उदाहरण के सिए, मदीकाल में क्षतिपूरक व्यय के अतिरिक्त सार्वजनिक नियमण कामों पर सरकार

को भारी मात्रा में व्यय करने पड़ते हैं। पुनर्ज्ञान बाज़ में जैसे-जैसे गर मरकारे दिनियोग बढ़ने लगते हैं वैसे ही वैसे सोबत्यय की मात्रा उसी अनुपान में घटा दी जाती है।

अबमादवाल की नियति दो दूर करने के लिए सोबत्यय की क्रियाओं को वीन भालों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) उपभोग को प्रभावित करने वाले व्यय

मदी की अवधि में प्रभावपूर्ण माग के कम हो जाने के कारण बस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी नियति में बारोपण में छिलाई करना आवश्यक होता है। अत इसकि बारोपण की बढ़ाता है कारण गर सरकारी माग कम हो जाती है। अत मरकार को चाहिए कि जिन विनियोगों की आय कम हो रही है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रभावपूर्ण माग को प्रोत्साहित करे। सामाजिक सुरक्षा परिनियम के अन्तर्गत अमरीका में सन् 1935 में बृद्ध अपस्था, अपाहिज तथा बेकारी सहायता के स्वर में वित्तीय सहायता देकर लोगों की प्रभावपूर्ण माग को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

(2) निजी विनियोगों को प्रभावित करने वाले व्यय

निजी विनियोगों को कमी भी प्रभावपूर्ण माग को कम करती है। अत प्रभावपूर्ण माग को बढ़ाने के लिए सरकार दो निजी विनियोग प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा तभी हा सकता है अब सरकार सोबत्यय द्वारा ऐसे कार्य करे जिससे निजी क्षेत्र में समावित लाभ की आशा बढ़े तथा जनता में विद्वाम उत्पन्न हो। सरकार दोगों के नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता देकर तथा नीमात उद्योगों को उपदान देकर निजी विनियोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार कुछ ऐसी योजनाओं को भी हाथ में ले सकती है जो रेलों, महारों तथा भूचार अवस्था का निर्माण करके तथा विजली और सिचाई की प्रयोजनाएँ बनाकर विनियोग को और अधिक प्रोत्साहित कर सकती है।

(3) सावंजनिक विनियोग

सोबत्यय का एक भिन्न स्व 'बटोर क्रिया' भी हो सकता है अर्थात् सोबत्यय के द्वारा जनता में क्षय-शक्ति की बृद्धि करके माग को बढ़ाना। यदि ऐसा करने में लिए सरकार के पास किसी उत्पादक कार्य की योजना न हो तो अनुत्पादक कार्यों पर व्यय भी उत्तित समझा जाता है ताकि जनता में क्षय-शक्ति का प्रागमन हो। कींचु ने तो पहा तक बहा है कि ऐसे मदीकाल की अवस्था में सोबत्यय के लिए सरकार के पास दोई उपयुक्त योजना न हो तो क्षय-शक्ति बढ़ाने के लिए गढ़े खुदवाकर उन्हें पुनर भरवाने की क्रिया भी उचित रहेगी। इस प्रकार सदैहयुक्त उपयोगिता वाले सावंजनिक कार्य भी गमीर बेरोजगारी की अवस्था में बारबार सार्वक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे काल में सरकार कुछ सामाजिक कर्त्त्याणसदृषी कार्य भी कर सकती है उदाहरण के लिए, स्कूल, सहकारी बाय, पुल इत्यादि का निर्माण। ये समस्त क्रियाएँ इच-

मान्यता पर आधारित है कि मरकारी धन को आय धारा में प्रवाहित किया जाए जिसे मदी तथा वेरोजगारी के रूप को बदला जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया जाता है कि इससे गुणवत्ता प्रभाव उत्पन्न हो जाएगे और गतिशीलता का सिद्धान्त निश्चित रूप से लागू हो जाएगा।

जब उपरोक्त प्रस्तावों को व्यवहार में लाते हैं तो अनेक कठिनाइया मामने अन्ती हैं। यह ही सकता है कि मरकार के पास मावजनिक बायों को सम्पन्न करने की ममुचित योजनाएं न हों। रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर व्यर्थ की योजनाएँ हाथ में ली जा सकती हैं। यह भी समझ हो सकता है कि वाणिज्य उद्यमों को मधालित करने के लिए मुख्यकार मिट्टहम्त न हो। यदि लोकव्यय के लिए धन का प्रबंध घटे की वित्त व्यवस्था द्वारा किया गया हो तो उससे स्फीतिक दशा भी उत्पन्न हो सकती है। एक बार अर्थव्यवस्था को पूर्णरूप से सुधार लेने के पश्चात विनियोगों की दर इस प्रकार बढ़ जाए, सभवत मरकार को उसका उचित ज्ञान न हो। कुछ सावंजनिक निर्माण व्यार्थ ऐसी प्रकृति के होते हैं (जैसे कि मिचाई-बाध) कि उन्हें एक बार प्रारम्भ करने के बाद वीच म रोका नहीं जा सकता। अत मैं मरकार द्वारा लिए गए छहणों में लोककृष्ण तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले व्याज का भार बढ़ जाता है। परन्तु ये कठिनाइया अनुभव द्वारा सरलता से दूर की जा सकती है।

अभावपूरक व्यय करने में सावधानिया

1930 के महामदी काल में अनुभव प्राप्त हुए हैं कि क्षतिपूरक व्यय तभी सफल हो सकता है जब मरकार उम्मा समुचित उपयोग करने में निम्न सावधानिया बरते

(1) मदीकाल में क्षतिपूरक व्यय के साथ-साथ वरारोपण में दृढ़ि नहीं होनी चाहिए।

(2) बेंद्रीय बैंक को राजकोषीय नीति की विभिन्नों को दूर करने के लिए मोदिक नीति की सहायता लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में केंद्रीय बैंक को व्याज की दर नीची रखनी चाहिए तथा बड़े मुरक्कित कोष रखने चाहिए जहा से मरकार उद्धार से मक्के।

(3) मरकार को सहायता बायों पर धन देना चाहिए।

(4) मरकार के पास ऐसी मुविचारपूर्ण योजनाएं तैयार रहनी चाहिए कि जब भी वेरोजगारी बढ़नी हुई दिखाई दे, उनको क्रियान्वित किया जा सके।

(5) व्यावसायिक सुधार की प्रक्रियाओं में मरकार को निजी देव भी महायता बरनी चाहिए और गैर मरकारी आर्थिक क्रियाओं में वादा उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए।

च्यावनायिक चक्र की लक्ष्मणति अवस्था में अभावपूरक व्यव

जब अर्थव्यवस्था मरुदंगार के पुनरुत्थान की ओर अप्रसर होती है, सतित्पूरक व्यव वो किया एकदम नमाप्त नहीं होती। ऐसा दो उत्तरों से होता है। प्रथम चरण यह है कि बृह नोक्ष्यव इस प्रकृति के होते हैं, जैसे उद्धर्ण और वास्त्रों का, निमाज, किन्हें दीव में नमाप्त नहीं किया जा सकता। द्वितीय, नोक्ष्यव वो एकदम दोहर देने के अर्थव्यवस्था के अनुव्यवस्था होते का भय छूटा है, किसी नदी पुन नौट सकती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान चरण वो प्रारम्भिक अवस्था में सोकव्यर वो बृहि जारी रहती है तथा मरुदंगारी बजट भी घट में रहता है।

जैमु-जैम अर्थव्यवस्था में नुशार होना जाता है दैन-वैमें वाय तथा गोजगार में बृहि होती है और चरण समुलित हो जाता है। पूर्ण गोजगार की स्थिति जो भाव चरण के पश्चात शतिपूरक व्यव वो नमाप्त चरण किंतु बजट का निर्माण चरण नाहिए। अतिरेक दबट द्वारा झूँझों के लीटाने में नुशिधा हो जाती है। अरप रहे, पूर्ण रोबगार के लक्ष्य वो प्राप्त करने के उपरात उन्नति के साथनों की पूर्ति में चरण आ जाती है और इस प्रकृति में किंतु सुखार नोक्ष्यव द्वारा उपरात नाथनों के लिए गैर सरकारी होक्र में प्राइवेटिया रहती है तो उसमें ठनडे सूख बट जाते हैं और स्पैति सदकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें पूर्ण गोजगार के म्बर पर पूर्वों के दाद अर्थव्यवस्था को होता ही कोर जाने में रोकले हैं किंतु शतिपूरक नोक्ष्यव अधिकार चरुधान पर निर्भर रहती है तथा दर्थव्यवस्था वो महीनी और जाने वाले रोकने के लिए शतिपूरक नीति पराधान तथा नोक्ष्यव, दोनों पर निर्भर रहती है।

सत्रेप में, व्यवसाय चक्र वो लक्ष्मनूदी व्यवस्था में शतिपूरक व्यव लिख दी दिखागों में जाता जा सकता है।

(1) अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान को प्रारम्भिक व्यवस्था में क्षतिपूरक व्यव नुस्खत घाटे वी व्यवस्था का होगा। यद्यपि बाव में नोक्ष्यव वी मात्रा न्म होती जाएगी।

(2) पुनरुत्थान तथा मृद्दि वी निर्वति वो प्राप्त चरण के पश्चात नुस्खत अतिरेक का बजट बनाया जाएगा ताकि मूल्यों में अत्यधिक बृहि न हो।

लोकव्यय तथा आर्थिक विकास

अर्थव्यवस्था निर्वति देशों में निजी दृष्टी द्वारा नहीं चरला चर्तु उत्तर गोक्ष्यव अधिक होती है तथा गोप्र शतिपूरकों की काका नहीं होती। जो दोनों बहुत द्वितीयों को होती है उनमें चरणम तथा चरण का अभाव होता है। दैन के मृद्दि विवाह के लिए यह भी अभावक है कि बृह यैसे उत्तरों का भी विवाह जरूर किन्तु जानविक महत्व होता है और दैन के आने वाली व्यापक विवाह में अद्यतक

होते हैं। इस सदर्भ में रेग्नर नवर्स ने उचित ही बहा है, 'अधंविकसित देशों में राज्य साहसियों का कार्य भर सकते हैं जिनका विप्रिष्ठ देशों में बहुत अभाव है।' स्पैग्नर वा भी यही मत है कि 'सरकार बहुत से कार्य स्वयं करके साहसियों की कमी पूरी कर सकती है जो कि इस वग (साहसियों) के द्वारा पूरे किए जाते थे।'

अध स्थ ढाँचे पर व्यय

इन परिस्थितियों के अतर्गत द्रुत आर्थिक विकास के बल सोकव्यय के मात्रमें हो सम्भव है। इसलिए वृद्धि के लिए अध स्थ ढाँचे के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार पर आ पड़ता है। इसे सामाजिक अपरिव्यय भी कहा जा सकता है। इसमें परिवहन तथा सचार व्यवस्था, शक्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सरकारी क्षेत्र की इष्टि से गड़कें, रेले, पुल, भकान, स्कूल, जलाशय आदि सभी अध स्थ ढाँचे का अग हैं। अध स्थ ढाँचे को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद समझा जाता है जिसके ऊपर देश की आर्थिक क्रिया अर्थात् उद्योग एवं व्यापार आधारित होते हैं। किसी देश की अध स्थ ढाँचे की रचना के लिए बहुत-न्सी ऐसी परियोजनाएं निर्मित करनी पड़ती हैं जिनकी आरंभिक लागत अत्यधिक होती है। अध स्थ ढाँचे की स्थापना के लिए गैर सरकारी विनियोग से उचित मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और इसी कारण सामाजिक अपरिव्ययों की स्थापना का दायित्व सरकारी क्षेत्र पर ही माना जाता है। उनके अर्थशास्त्री इस बात में विश्वास रखते हैं कि अधिकतर अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास को गतिमान करने से पहले यह आवश्यक है कि उचित अध स्थ ढाँचे की स्थापना की जाए। ऐसा होने पर ही विनियोग निधि को उत्पादक क्रियाओं में थ्रेच्छ ढंग से प्रयुक्त किया जा सकता है। अध स्थ ढाँचे का निर्माण बाह्य मित्रव्ययिताएं करता है, जिसमें निजी क्षेत्र लाभ उठाता है।

साहसी को प्रोत्साहन

सरकार वे विकास व्यय का उद्देश्य गैर सरकारी प्रेरणा तथा साहस को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन इष्टि तथा उपदानों द्वारा बाजार भवधी अन्य मूलनायें उपलब्ध करावार तथा अनुसंधान वी मुविधाएं प्रदान करके निजी क्षेत्र की महायता वी जा सकती है। सरकार कुछ ऐसी विशेष बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं वी स्थापना कर सकती है जिनका मूल उद्देश्य मध्यकालीन तथा दीपंदालीन समय के लिए नीची दरों पर वित्तीय महायता उपलब्ध कराना होता है। अनेक अल्पविकसित देशों में, सरकार वो एवं ऐसी दृढ़ वाणिज्यित एवं बैंकिंग व्यवस्था को स्थापना करनी होगी जिसका भाग-दर्भान बंद्रीय दैव वरेगा। मैं सब वे प्रत्यक्ष रीतिया हैं जिनके द्वारा निजी क्षेत्र के विस्तार तथा विकास भ सहायता मिलती है।

स्रोतों के आवटन में सुधार

तोड़व्यय वाइट दिशान्वा म स्रोतों के आवटन को सुधारने म भी सहायता होता है।

खाद्य वस्तुओं की दुरुप्रतीति के समय में सरलार सस्त बनाजों की दुरुप्रतीति खोलकर कायंकारी बगं के लिए खाद्य अनुदान भी देती है जिसमें वित्त उसके स्वास्थ्य तथा दक्षता को बनाए रखा जा सके। लोकव्यय के द्वारा प्रचारोद्धरण मौजों का निर्माण करके खाद्यान्नों के मूल्य न्यूनतम स्तरों पर नियंत्रित किये जा गवते हैं। इस प्रदार राजनीय व्यापार के माध्यम से घृष्णवा को लघिक उत्पादन करने के लिए फैंडो-प्रदार राजनीय व्यापार के माध्यम से घृष्णवा को लघिक उत्पादन करने के हन मिल सकता है। कुछ लावण्यर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ान और उत्पादन के विविध क्षेत्रों में निजी एकाधिकार ममाप्त करने के लिए राजन स्वयं उद्यम शुरू बर सकता है। लोगों को सस्ती तथा आधिक दक्ष मुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य में, वह जनोपयोगी सवाजा का राष्ट्रीयवरण भी कर सकता है। इस प्रकार लोकव्यय आधिक क्रियाओं के सब क्षेत्रों में बड़ा सकता है।

गानव पूँजी-निर्माण

शिक्षा, नोकस्वास्थ्य तथा चिह्निता मुविधाओं पर विद्या गया व्यव भावन पूँजी निर्माण में सहायता होता है। परिणामत वायंकारी जनसम्या की अर्जन प्रक्रिया चलती है। जब बढ़ते हुए लोकव्यय के माध्यम में आधिक विरासत रेजी में चलता है तो उद्यम गतिशीलता की वाधाएं दूर हो जाती हैं। व्यवसायों का निर्माण होता है तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं।

विकास व्यय की प्राथमिकताएं

लोकव्यय के रूप समय एक महत्वपूर्ण ममन्या यह उत्पन्न होती है 'कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के मध्य प्राथमिकता का निर्धारण किम प्रकार होना चाहिए। अन्य रिक्तिया समान रूपे पर, प्राथमिकता निर्धारण सतुरुत्तिव विकास की अधिकतम दर की गारीबी देता है। प्राथमिकता निर्धारण वास्तव में परियोजनाओं के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। द्वितीय, प्राथमिकता का निर्धारण उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इन साधनों से ही यह पता लगाया जा सकता है कि पह परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो सकती हैं कि नहीं। तृतीय, प्राथमिकता निर्धारण वर्ते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये योजनाएं तिस सीमा तक विदेशों पर निर्भरता को रख करती हैं।

इसी से सबधित एक प्रश्न यह है कि लोकव्यय के विकास के लिए क्षेत्र में विकास वायंक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। इस सवध म जहा कुछ लोग भूमि सवधी क्षेत्र तथा नियंत्रिते के विकास पर चल देते हैं, वहा दूमरे सोग गौण तथा तृतीय श्रेणी के उद्योगों के विकास के पक्ष दो स्वीकार करते हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरा शैक्षिकोण भी है, जिसके अनुमार मभी क्षेत्रों पर समान चल दिया जाना चाहिए ताकि सतुरुत्तिव विकास हो सके। आर्द्ध नेविस ने शब्दों में, 'विकास वायंक्रमों में, अर्थात् व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास साथ-साथ होना चाहिए, जिसमें कि उद्योग तथा

वृद्धि के बीच और घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन के बीच उचित संतुलन बनाये रखा जा सके।¹

बल्पविक्रमित देशों को लोकव्यय करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रशासनिक व्यय न्यूनतम रहे। जैसा कि प्रो॰ थार॰एन॰ त्रिपाठी ने कहा है, 'प्रशासनिक व्यय में जितनी बढ़ि होगी पूजी-निर्माण के लिए स्रोत उत्तरने ही कम उपलब्ध होंगे।'² इसलिए इन देशों को अपने प्रशासनिक व्यय में अनावश्यक बढ़ि बो रोकना चाहिए।

1. W.A. Lewis, 'The Theory of Economic Growth', p. 274

2 R.N. Tripathi, 'Public Finance in Under Developed Countries', p. 66

सार्वजनिक आय

सार्वजनिक आय का वर्गीकरण

सार्वजनिक आय अनेक लोकों से प्राप्त होती है। इन लोकों को बर्गीकृत करने के विभिन्न वर्षेशास्त्रियों ने प्रयाम दिये हैं परन्तु इन सबमें वे एकमत नहीं हैं, काम ही बहुत से सवधित अतार स्पष्ट भी नहीं हैं। इन सदमें में टाल्टन का नाम बड़ा उपयोगी है। उन्होंने बहा है कि, सार्वजनिक आय के लोकों का बर्गीकरण तो किया जा नक्ता है लेकिन बहुत-ने ऐसे पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं और वर्त्य बर्गीकरण की छोड़ स्वर्य बर्गीकरण की प्राप्ति न जब्ति ज्ञानदायी है।¹ फिर भी इनके कल्पना ने विद्यार्थी को लोक आय के विभिन्न लोकों की जानकारी अदरम हो सकती है। बुझ प्रमुख वर्षेशास्त्रियों द्वारा सार्वजनिक आय का बर्गीकरण निम्न विवरण पर किया गया है।

प्रो० नैलिगमिन द्वारा वर्गीकरण

प्रो० नैलिगमिन ने सार्वजनिक आय को तीन भागों में बाटा है :

(1) निःशुल्क आय : इस वर्ग में वे सभी प्रकार की आय सम्मिलित हैं जो राज्यों को उपहार, चदों आदि के रूप में प्राप्त होती हैं अर्थात् जो सरकार को जनता द्वारा स्वेच्छा से दी जाती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार की किसी प्रकार या प्रयास नहीं करता परहत। मुद्रा के समय लोकों द्वारा दिए गए ऐस्तिक चदे निःशुल्क आय के उदाहरण हैं।

(2) अनुबंधीय आय : इस वर्ग के अन्तर्गत वह आय सम्मिलित हो जाती है जो सरकार को सार्वजनिक उद्योगों, अवनों, व्यापार तथा नूमि से प्राप्त होती है। इन वस्तुओं तथा निवासों से प्राप्त आय की नैलिगमिन ने बीमत के नाम से सदौश्रित किया है।

(3) अनिवार्य आय : करों से प्राप्त आय तथा अतिरूपि को आय इस वर्ग में सम्मिलित की गई है। सरकार एक सुवृद्धक्षिमान सत्ता होने के पारण नालिकों में बोई भी मंपत्ति अवधा वस्तु मान मढ़ती है जिसके उपलक्ष्य में वह उचिती दर्ति पूर्ति कर भी सकती है और नहीं भी। चन्द्र द्वारा व्यरहाए गए दोपी व्यक्तियों पर

¹ Dalton : "Principles of Public Finance", p. 31.

जुमने थोरे जा सकते हैं और उन्हें के अदा करने होते हैं। आधुनिक समय में यह राज्य की आय वा मुख्य साधन माना जाता है।

प्रौ० वैस्टेकिल वा वर्गीकरण

प्रौ० वैस्टेकिल ने सार्वजनिक आय को दो भागों में विभक्त किया है

(1) वह आय जो सरकार को एक बड़े निगम अथवा न्यायाधीश होने के नाते प्राप्त होती है। यह आय राज्य को एक बड़े निगम होने के नाते तथा जनता को चम्पुए और मेवाए प्रदान करने के कारण होती है। सरकार की इम प्रकार की आय और एक साधारण फर्म की आय भ वोर्ड अतर नहीं होता।

(2) वह आय जो राज्य खपनी सकता के कारण समाज की आय में से बगूल करता है इसी थेणी में जामिल की जा सकती है।

युल लेयरा ने वैस्टेकिल के इन वर्गीकरण की आलोचना करते हुए निया है कि इन वर्गीकरण के आधार पर शुल्क, उपहार, जुर्माना तथा विशेष निर्धारण वा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें कर-सबधी और अकर सबधी दोनों आयों की विशेषताएं गम्भीरित हैं।

प्रौ० एच०डी० एडम्स द्वारा वर्गीकरण

प्रौ० एडम्स ने नोरआय को तीन भागों में विभाजित किया है

(1) प्रत्यक्ष आय यह ऐसी आय है जो राज्य को सार्वजनिक उद्योगों, उपहारों तथा जातियों से प्राप्त होती है।

(2) चुत्पत्ति आय इससे अभिप्राय उग आय से है जो राज्य को करों, शुल्कों तथा जुर्मानों आदि से प्राप्त होती है।

(3) अप्रत्यक्ष आय इस थेणी के अतर्गत उग आय को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को राजाओपीय विपक्तों तथा अन्य क्षणों से प्राप्त होती है।

एडम्स के अनुसार सरकार को जनता से प्राप्त आय पर अधिक निर्भर रहना चाहिए। आधुनिक बाल में ऐसी निर्भरता असंभव-सी हो गई है। अब कर-अगम को ही सार्वजनिक आय वा महत्त्वपूर्ण साधन नहीं माना जा सकता। राज्य स्वयं अपने उद्योगों से भी पर्याप्त आय प्राप्त करता है। अतएव एडम्स वा वर्गीकरण आधुनिक परिवर्थितियों के अनुकूल नहीं है।

प्रौ० डाल्टन द्वारा वर्गीकरण

डाल्टन ने सार्वजनिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया है

(1) कर द्वारा प्राप्त आय,

(2) शुद्ध या अन्य कारणों से होने वाली धरिपूति तथा उपहार की आय,

(3) आरोपित ऋण से प्राप्त आय (प्राचीनवाल में राजा जनता पर दबाव डाल कर ऐसे ऋण प्राप्त किया गया थे),

(4) न्यायालयों द्वारा अपराधियों पर लगाए गए द्वायिक दण से प्राप्त आय,

(5) सार्वजनिक संपत्ति जैसे गेतों, भवनों आदि से बगूत की गई आय,

- (6) राजकीय उद्योग से प्राप्त आय,
- (7) गैर व्यावरायिक उद्योग से उपलब्ध ही गई भेदभावों से प्राप्त शुल्क की आय,
- (8) स्वेच्छा से दिए गए मार्वंजनिक ऋणों ने प्राप्त आय,
- (9) एकाधिकारी उपलब्धों से प्राप्त आय, उदाहरणार्थ अधीम और नमक वा उत्पादन तथा बिनी और बिषुन-गक्का वा उत्पादन तथा बिनगा,
- (10) विशेष निधिरिप से प्राप्त आय,
- (11) छानेगाने के उपयोग से लाभ,
- (12) स्वेच्छा से दिए गए उपहार से प्राप्त आय।

यद्यपि डाल्टन ने मार्वंजनिक आय के वर्गीकरण को बहुत ही विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है, परतु वह स्पष्ट, निश्चित और व्यायमगत प्रतीत नहीं होता। इस में प्राप्त आय को मार्वंजनिक आय का बग नहीं माना जा सकता।


प्रो० जे० के० भेदता द्वारा वर्गीकरण

प्रो० जे० के० भेदता ने मार्वंजनिक आय को चार श्रेणियों में विभागित किया है (1) वर नवधी आय, (2) शुल्क, (3) महमूल, (किराया-भाना), तथा (4) विविध आय। उदाहरणार्थ उपहार, बुर्जाना, विशेष वर जादि।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्वंजनिक आय का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वह मरल, सशिष्ठ एव व्यावहारिक प्रतीत होता है। निम्न चारों इस वर्गीकरण का स्पष्टीकरण करता है :

मार्वंजनिक आय



ज्ञार वर्णित मार्वंजनिक भेदभावों के विभिन्न प्रकार की आयों के बीच मीमा रेखाएँ पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं। के धीरे-धीरे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में समरस हो जाती हैं। के धीरे-धीरे 'भूम्लो' ने यमरत हो जाते हैं क्योंकि मोजचत्ताओं द्वाया उत्पादनाओं की प्रदान की जाने वाली और करदाताओं द्वारा इए जाने वाले भुक्तानों के बीच मीमा रेखाएँ पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती हैं। जिन स्थानों पर यानी के भीटरों का प्रयोग नहीं होता वहा जन भेदा के निए बगूत किया जाने वाला शुल्क उपरा उदाहरण है।

अपराधों के लिए लगाए जाने वाले जुमनी के उपयोग में कोई प्रत्यक्ष प्रत्युपकार नहीं मिलता। इसलिए वह भी वर का धेणी में सम्मिलित हो सकता है। करो तथा जुमनी के बीच अतर वैवल उद्देश्य का है। लोकसत्ता मुट्ठ रूप में आय प्राप्त वरने के लिए कर लगाती है और जुमनी मुट्ठ इस से सोगों को कुछ हृत्यों में दूर रखने के लिए लगाए जाते हैं। अगर मोटर चालकों पर रपतार की मर्यादा भग वरने पर प्रत्येक वर। इसका जुमनी किया जाए तो ऐसे जुमनी को तेज रफार पर वराधान समझा जा सकता है जिसको तुलना पेट्रोल के करारोपण से की जा सकती है।

यही बात मीमा शुल्कों पर भी सामूहिक होती है। अगर किमी वस्तु पर शुल्क की दर बढ़ाए जाने पर उसमें मिलने वाली आय बढ़ जाती है तो वह शुल्क कर का ही एक रूप है। यदि दर उस बिंदु के ऊपर उठ जाती है जहा आय अधिकतम थी, तो स्पष्ट हो जाता है कि किमी प्रकार के जुमनी का तत्त्व उसमें विद्यमान है।

एक और शुल्कों और दूसरी ओर करो तथा लोक एकाधिकार लाभों के बीच भी स्पष्ट अतर नहीं होता क्योंकि अक्षर सेवा प्रदान किए जाने की लागत उसके बमूल किए गए शुल्क में कम होती है। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए किसी भाक अधिकारण के पास एकाधिकार शक्ति हो सकती है। फिर भी वह निर्णय ले सकता है कि लोकहित को ध्यान में रखने हुए उद्यम की उपज उत्पादन व्यय पर या उसमें नीचे मूल्य पर बेची जाएगी।

शुल्कों और लोक उद्यगों से मिलने वाली प्राप्तियों के बीच भी आमतौर से अतर स्पष्ट नहीं होता क्योंकि ऐसी सेवाओं के बीच, जो व्यावसायिक स्वभाव की होती हैं, और ऐसी सेवाएं जो इस प्रकार की नहीं होती, वोई स्पष्ट अतर नहीं है। इस प्रकार, कुछ सेवाएँ ने डाकचाने की समस्त आय को शुल्कों के बगं में रखने का मुकाबला दिया है।

इस विवेचन का भावान्य यह है कि सार्वजनिक आय के साधनों का वर्गीकरण तो अवश्य किया जा सकता है, तिरु बहुत-से सबधित अतर स्पष्ट नहीं हो पाते। अंसा डाल्टन ने कहा है कि 'वर्गीकरण वो खोज की किया में जिनका ज्ञान-वर्धन हो जाना है उतना वर्गीकरण तम हो जाने पर नहीं होता।'

सार्वजनिक आय के स्रोत

उपरोक्त वर्गीकरण के विवाद को समाप्त करते हुए सार्वजनिक आय के स्रोतों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) कर सबधी स्रोत

(ख) अन्कर सबधी स्रोत

कर सबधी स्रोत

कर लोकप्राधिकरण द्वारा लगाया गया अनिवार्य अदान होता है जो बदले में बदाना को प्रदान की जाने वाली सेवा के जाकार से कोई सबध नहीं रखता। प्राचीन वाल से करारोपण सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत रहा है, आज भी सार्व-

जनिर आय वा एक देश भाग करे द्वारा प्राप्त होता है।

प्रो० टामिंग ने कर की परिभाषा इन प्रकार दी है, 'कर वह अनिवार्य प्रभाव है जो विस्तीर्ण प्रशंसनीय विकास द्वारा लगाया जाता है। मरकार द्वारा लगाए गए अन्य प्रभावों से मिन्न कर का मूल तत्त्व वरदाता तथा लोकप्रशंसनीय रूप के बीच प्रबन्ध प्रत्युपकार का अभाव होता है।' प्रो० मैटिंगमेन ने कर की परिभाषा देने द्वारा निवार्य है, 'कर एक व्यक्ति द्वा० मरकार के लिए अनिवार्य अवधान है, उन चुनौती का पूरा वर्तने के लिए जो नवके नामान्य त्रित भवित्व जात है। अनका सुवन दिशेष नामों की प्राप्ति के लिए तहीं होता।' आर्न जेटन के अनुमान कर देने के रूप में दिया गया वह नामान्य अनिवार्य अवधान है जो गण्ड निवासियों के नामान्य नाम पहुँचाने के लिए किए गए व्यय वा पूरा वर्तन हनु व्यक्तिया में निया जाता है। कर नामान्य नाम पहुँचाने के लिए न्यायनगत वहाँ जा सकता है। नेविन उसे नाम नहीं जा सकता।'

उपरोक्त परिभाषाओं दे दियेषण में कर की निम्नतिवित्र विवेषताओं की ओर गमेत मिलता है-

- (1) कर एक अनिवार्य भुगतान है।
- (2) मरकार वरदाता का कर के उपरकर में कोई विकेष नाम प्रदान नहीं करती छर्दान मरकार और वरदाता के बीच प्रत्यक्ष प्रत्युपकार (Quid Pro Quo) के बद्यों का अभाव रहता है।
- (3) कर से उत्पन्न जाव का प्रयोग नामेजनिक नाम के लिए दिया जाता है।
- (4) यद्यपि कर का भुगतान कोई भी व्यक्ति अपनी आय तथा पूँजी में में कर नहीं है परन्तु अत्योगत्वा कर का भुगतान आय में में ही दिया जाता है, क्योंकि पूँजी भी वची हूँ आय का एक रूप होती है।
- (5) यद्यपि कर वस्तु व सपत्नि पर लगाया जाता है परन्तु उमडा भुगतान व्यक्ति ही वर्त है और यह उमडा नित्री उत्तरदायिक्य सुभवा जाता है।
- (6) करायेषण किसी भी मेवा का नामगत मूल्य नहीं है।
- (7) करायेषण वंशानिक उन्ना द्वारा निर्धारित दिया जाता है।

अन्कर साधन-न्त्रोत

बीमबी शताब्दी के बारम तक राज्यों के बीमों जा इनका दित्तार नहीं हुआ था जितना उम्मे परचात हुआ है। उम्म समय मरकार नार्द-जनिक जीवन में बहुत बह इन्स्ट्रुमेंट वर्तकी थी। वर्तों में जो भी आय प्राप्त होती थी उसी के द्वारा वार्तों को पूरा कर दिया जाता था। परन्तु दिश्व युद्ध के पश्चात राज्य के जार्येत में अत्यधिक लूँझ हुई है। मरकार अब आर्थिक जीवन के प्रत्यक्ष जीव में प्रत्यक्ष द्वा० परोक्ष रूप में हस्तांश वर्तने लगी है। अरन्ते विन्नृत खालों को भन्नन वर्तने में लिए जितने द्वन दी आवश्यकता होती है वह वर्ती द्वारा प्राप्त नहीं दिया जा सकता। इसलिए मरकार जो अन्य साम्राज्यों जी ज्ञोज परकी पहरी है। अन्कर नामगत जा महत्व इसलिए दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अमरिका, जापान, दक्षिणी अमेरिका

व मध्य पूर्व एशिया के देश अपनी कुछ आय का एक-तिहाई भाग, बनाड़ा और पास एक-चौथाई भाग और इंडिया दसवा भाग अन्कर साधनों से प्राप्त करते हैं। भारत का लगभग ३७६ प्रतिशत भाग अन्कर साधनों से उपलब्ध होता है और इस की समस्त आय का ९० प्रतिशत भाग अन्कर साधनों से संपादित होता है।

सक्षेप में आषुनिक वित्त व्यवस्था में अन्कर साधनों का महत्व निम्न तीन कारणों से स्पष्ट किया जा सकता है-

(1) प्रत्येक देश में कराधान की एक भीमा होती है, इसके पश्चात करों का लगाना जनमत को प्रतिकूल करना होता है इसलिए सरकार को अन्कर साधनों की सहायता लेनी पड़ती है।

(2) करारोपण देश के उत्पादन तथा लोगों की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि अन्कर साधनों के द्वारा तो उत्पाति में वृद्धि होती है। लोगों को रोगागार मिलता है तथा व्यवस्था विनियोग करने की इच्छा पर दुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसे करारोपण से अधिक माना जाता है।

(3) सरकार इन साधनों से अर्थव्यवस्था को सुविधिलिखित करने में भमर्थ होती है। अन्कर साधनों के द्वारा अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण भी रखा जा सकता है।

अन्कर साधनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

१ व्यावसायिक आय प्रत्येक देश में कुछ उद्योग निधा संपत्ति सरकार के स्वामित्व में होते हैं। मगाजिनों एवं साम्पाचारी देशों में तो समस्त उद्योग सरकार के अधिकार में होते हैं। ऐसे ही अनेक लोकमस्ताएं विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों का सचालन स्वयं करती हैं। परिवहन, विद्युत एवं डाक-तार इत्यादि ऐसी जनहित सेवाएं तथा अन्य उद्योगों का सचालन तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं की विक्री से प्राप्त आय व्यावसायिक आय के उदाहरण हैं।

कुछ ऐसी भी संपत्तियां होती हैं जो प्राय राष्ट्र के अधीन रहती हैं, उदाहरणार्थ बन, पवंत, नदिया, घनिज आदि। इन मदों से प्राप्त होने वाली आय इसी बर्ग में सम्मिलित की जाती है। डालटन का मत है, 'लोकसत्ता अपनी संपत्ति तभी उद्योगों से प्राप्त निवल मोट्रिक आय द्वारा अपनी कुल आय में वृद्धि करती है।' इन आय को प्राप्ति से संबंधित करों में थोड़ी इमी और छचों में वृद्धि कर सकती है जो इसके अभाव में समब नहीं है।'

आय सार्वजनिक उद्योगों का उद्देश्य लाभोपायन नहीं होता बरन निम्न नीति को अवहार में लाना होता है। इन उद्योगों के सचालन के पीछे चाहे कुछ भी कारण यही न हो, सरकार को थोड़ी-बहुत आय अवश्य प्राप्त करते हैं। सरकार को जो आय इस मद से मूल्य के स्पष्ट में प्राप्त होती है वह उनके बद्दले में प्रत्यक्ष सेवाएं एवं वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात् यहा प्रत्युपकार की स्थिति उत्थन हो जाती है। प्रत्युपकार का यह तत्त्व ही मूल्य में प्राप्त आय को करों से भिन्न कर देना है।

मूल्य तथा वर में निम्न अतर होते हैं

(ग) वर अनिवार्य होते हैं जबकि मूल्य ऐच्छिक। दूसरे शब्दों में जनता को दरों का भुगतान अनिवार्य रूप में बरता पड़ता है परन्तु मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप में नहीं बरता पड़ता। मूल्य का भुगतान केवल उन्हीं सोणा ढारा होता है जो सरकार ढारा उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग बरते हैं।

(घ) एक व्यक्ति जब मूल्य बदा करता है तो उनके बदले में प्रत्यक्षत नोई भेवा या वस्तु प्राप्त बरता है परन्तु करदाता कर वी अदायगी के बदले में यह आशा नहीं करता कि कर से प्राप्त आय के साथ के लिए खर्च वी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कर से प्राप्त आय को जनता के मामान्य कल्याण पर व्यय दिया जाता है जबकि मूल्य के बदले में नाभ केवल मूल्य बदा करने वाले को ही दिया जाता है। मूल्य और कर में यह एक अत्यत महत्वपूर्ण अतर है।

2 प्रशासनिक आय सरकार के मुख्य वस्तुओं में एक वर्तव्य यह भी है कि वह देश में शांति और सुरक्षा बनाये रखे। इस सबध में सरकार कुछ नियम बनाती है और जो समाज विरोधी तत्त्व उनका उल्लंघन करता है वह आधिकारिक दड़ का भागी होता है। इस प्रकार राज्य को दड़ व्यवस्था से भी कुछ आय प्राप्त होती है। गक्षेप में प्रशासनिक आय के अतिरिक्त निम्न भद्र मिलित भी जाती हैं

(क) शुल्क : सरकार समाज को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिसके बदले में वह पूर्ण अद्यता आगत वसूल करती है। इस लागत को वसूलयावी शुल्क बहा जाता है।

प्रो० एडम के मतानुमार शुल्क विशेष सेवा के बदले में स्वीकार दिया जाता है तथा यह सेवा राज्य के किसी विस्तृत बायं के कारण उत्पन्न होती है। प्लैटन का विट्टोण है कि 'फीम धन के रूप में एक अनिवार्य अपदान है जो किसी प्राकृतिक अद्यता कृतिम व्यक्ति को मार्वजनिक अधिकारी को आगानुमार सरकार के किसी बायं में लगे व्यय के किसी अद्यता संपूर्ण भुगतान के लिए देना पड़ता है। यह यहा नामान्य लाभ पहुंचाता है वहा एक विशेष प्रदार वा नाभ भी पहुंचाता है।' सेलिंग-मैन के ग्रन्डी में, 'शुल्क एवं भुगतान है जोकि राज्य ढारा मुम्पत जनहित के लिए प्रदान की गई सेवा नी लागत नो पूरा करने के हेतु दिया जाता है।' इन परिप्रेक्षों के अध्ययन से शुल्क में कुछ लक्षण स्पष्ट होते हैं

(1) शुल्क किसी व्याकमाधिक सेवा के बदले में भुगतान नहीं है, अपितु प्रशासनिक एवं न्याय सबधी सेवा का भुगतान है।

(2) शुल्क में प्रत्युत्तरार उपस्थित रहता है। माधारणतया शुल्क निजी व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया जाता है जिसके लिए वे नोकसत्ता के माध अनुबंध बनते हैं। ये अनुबंध स्पष्ट अद्यता निहित हो सकते हैं। परन्तु कर का भुगतान अनिवार्य होता है।

(3) शुल्क के अनिम रूप में कभी-नभी नेवाएं प्रशासनिक नियतण के हेतु दी जाती हैं। लाइमें शुल्क इनका उदाहरण है।

(4) यद्यपि शुल्क के देयता को विशेष लाभ प्राप्त होता है तथापि शुल्क में सार्वजनिक हित का उद्देश्य निहित होता है।

(5) शुल्क की मात्रा प्रदान की जाने वाली सेवा की पूरी अथवा अधिक लागत के रूप में हो सकती है।

यह आवश्यक नहीं होता कि इगी सेवा के प्रदान करने का सूख्य शुल्क द्वारा प्राप्त हो जाए। इसरा वेवत एक भाग ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में सेवा प्रदान करने का वेवल एक उद्देश्य यह होता है कि वे लोग भी उन सेवाओं में लाभ प्राप्त कर सकें जो शुल्क चुकाने में अमर्भर्थ है तथा जिन्हें उनकी आवश्यकता भी है। शुल्क उन स्थितियों में उपयुक्त होता है जहां सरकार सदा को दुरुपयोग गवाना चाहती है। कोई फीग, स्टाप फीग, रजिस्ट्रेशन फीस आदि शुल्क के अच्छे उदाहरण हैं।

शुल्क और मूल्य में अतर : (1) शुल्क में मूल्य की अपेक्षा लोहहित का अधिक होना है क्योंकि फीस के अतर्गत उमके भुगतानकर्ता को विशेष लाभ होने के साथ-साथ जनसाधारण को भी मायान्य लाभ प्राप्त होता है। (2) शुल्क जनोपयोगी सेवाओं के बदले में लिया जाता है जबकि मूल्य व्यापारिय ढंग की सेवाओं के बदले में निया जाता है।

शुल्क ओर कर में अतर (1) शुल्क विसी विशेष लाभ के बदले में दिया जाता है जबकि कर की अदायगी जनहित के लिए की जाती है। (2) बरदाता को कर के भुगतान से कोई प्रत्यक्ष एवं समान लाभ नहीं प्राप्त होता जबकि शुल्क देयता को शुल्क के बदले में बुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। (3) शुल्क की मात्रा सेवा लागत के बराबर या सेवा से प्राप्त लाभ के अनुपात में ही सकती है। परन्तु कर और लाभ में कोई ऐसा सवध नहीं होता। दोनों के अतर को स्पष्ट करते हुए हट्टर ने किया है, 'शुल्क एवं अधिकारिकार्य कर है जो मुख्यतः सार्वजनिक हित के इन्टरेस्ट कोण से दिया जाता है जितु इससे उम व्यक्ति को भी एक निश्चित लाभ प्राप्त होता है जो शुल्क देता है।'

कभी-कभी शुल्क तथा कर में भेद बरना बठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सैलिगमेन का विनाय अत्यत सार्थक सिद्ध होता है। सैलिगमेन के मतानुसार, 'साइरेंस शुल्क उसी समय शुल्क वहा जाएगा जब लाइसेंस लेने वाले को उससे लाभ हो, परन्तु जब उससे मिलने वाली आय से सरकारी अधिकारी को बुछ लाभ मिलता है तो वह कर के समान ही होना है।'

(ष) साइरेंस शुल्क लुट्ज के अनुसार लाइसेंस शुल्क उम अवस्था में दिया जाता है जिससे सार्वजनिक अधिकारी स्वयं कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट सेवा न करके इगी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञाप्रदान करते हैं अथवा उने अधिकार राखते हैं। साधारण बोनचाल में शुल्क तथा साइरेंस शुल्क में कोई भेद नहीं समझा जाता परन्तु आर्थिक हानि से इनमें अतर है। दोनों में भेद करते हुए लुट्ज ने बतलाया है, 'शुल्क उम मामलों में दिया जाता है जब वास्तव में कोई सेवा प्रदान नहीं जाती है जरूरि

लाइमें मुक्त उन भागों में दिया जाता है जब नावंजनिक अधिकारी कोई कार्य न करने की क्रिया व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। लाइमें मुक्त में नियमन तथा नियन्त्रण का अग्र रहता है। कुछ भागों में ऐसी होती है कि नियमन को सपन्न बरते के लिए कुछ ही व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता है तथा लाइमें के द्वारा इनकी नियन्त्रित व्यक्तियों को नियमित विद्या जाता है। जैसे मादक बन्धुओं के विकास के लिए लाइमें द्वारा अधिकार देना, बढ़ोग का प्रयोग करने के लिए बढ़ोग लाइमें का देना। यदि कोई व्यक्ति लाइमें मुक्त को जदा बरता भूल जाता है तो उनका वह अधिकार भी समाप्त हो जाता है जो उस लाइमें के द्वारा प्राप्त हुआ था।

(ग) जुमाना तथा प्रत्यापत्तन जुमाना तथा वर्ष दड वह घनराशि है जो सरकार किमी निवासी में बैंधानिक नियमों के उल्लंघन करने पर बनूत चर्ती है। बनूत जुमाने का उद्देश्य आप अर्जित करना नहीं होता अपितु व्यक्तियों को बैंधानिक नियमों के उल्लंघन में रोकना होता है। आधुनिक समाज के सोशल में मुक्तार नाने के लिए उनके आत्म विकास पर अधिक बल दिया जान लगा है इसलिए जन-प्रत दड का विरोध करने लगा है। इसनिए इस मद में आप घटती जा रही है।

कभी-कभी सरकार को व्यक्तियों की सपत्ति दो जन्तु करने भी आप प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किए बिना या बिना वसीयत निखे भर जाता है तो ऐसे मूतक की सपत्ति सरकार जन्तु कर लेती है। इस स्रोत से भी सरकार को कोई विशेष आप नहीं होती।

(घ) विशेष कर निर्धारण विशेष कर निर्धारण अमरीकी आविष्कार है। अंग्रेजों ने इसकी परिभाषा इन प्रकार दी है, 'विशेष कर निर्धारण एक अनिवार्य क्षणशान है जो उठाए जाने वाले लाभों के बनुपात में लगाया जाता है, जिससे नोर्ड-हिट में परिसपत्ति के विशिष्ट नुधार के लिए किए गए व्यवहार को प्राप्त विद्या जा सके। कभी-कभी सरकार कुछ ऐसी नेवाए प्रदान बरती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों की सपत्ति में अनायास बिना किमी परिश्रम के बृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अन्तिम आप बृद्धि पर सरकार कर लगाकर उस आप का एक भाग बनूल बर लेती है। उदाहरण के लिए किमी लोकसभ्या द्वारा मटक निर्माण कराने से उसके आप-पास की जूमि या भकान का मूल्य बढ़ जाता है जिसका एक अग्र वह लोक-सभ्या विशेष कर निर्धारण द्वारा प्राप्त बर लेती है। इसी प्रकार यदि विसी नगर में नागर-पानिका कोई पाने बना दे या नानियों की उचित व्यवस्था बरका दे तो उसने गमोप के व्यक्तियों को विशेष सामने प्राप्त हो जाना है जो उसके परिश्रम के द्वारा नहीं हुआ है। इसनिए नागरपालिका इत विशेष सामने पर बर लगानी है। प्रो० टेकर का विचार है कि लोक किये ओं के परस्वरूप नागरिकों की सपत्ति के मूल्य में बृद्धि होने पर ही विशेष कर लगाया जाना है। इंग्लैंड में ऐसे विशेष कर निर्धारण को मुग्रर कर (Betterment Levy) के नाम से सरोधित किया जाता है। भारत में बाह्र, नदान, उडीना तथा पजाव राज्य सरकारों ने जूमि पर नुधार कर लगाए हैं।

प्र०० संलिंगमेन ने विशेष कर निर्धारण में निम्न गुण बतलाए हैं

- (1) इन करों का कोई विशेष उद्देश्य हो।
- (2) विशेष सेवा से उत्पन्न लाभ को नापा जा सके।
- (3) इम प्रकार आरोही न होकर लाभ के अनुपात में हो।
- (4) यह स्थानीय विकास का प्रतिफल हो।
- (5) स्थानीय परिस्पर्ति के मूल्य में बढ़ि हो।

विशेष कर निर्धारण तथा कर में समानताएं और अतर विशेष कर निर्धारण कर से मिलता-जुलता है। क्योंकि यह कर की तरह ही अनिवार्य भुगतान होता है। परतु कर में इस आधार पर भिन्न होता है कि विशेष कर निर्धारण के अदा करने वाले को निश्चिन एवं प्रत्यक्ष रूप में प्रत्युपकार मिलता है जबकि कर अदा करने वाले को कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्युपकार नहीं मिलता। कर सामान्य हित वे निए लगाए जाते हैं परतु विशेष कर अभिनिर्धारण इसके अदा करने वाले को विशेष लाभ पढ़ाता है। विशेष कर निर्धारण में प्राप्त आय को सार्वजनिक स्थाई पूँजी के विकास के लिए खर्च किया जाता है जबकि कर से प्राप्त आय किसी भी रूप में खर्च की जा सकती है।

विशेष कर निर्धारण तथा मूल्य में बहुत कुछ समानता इसलिए दिखाई पड़ती है क्याकि दोनों का सबध प्रत्यक्ष प्रत्युपकार से है। किंर भी ये एक-दूसरे से भिन्न इसलिए है कि विशेष कर निर्धारण का भुगतान ऐच्छिक नहीं होता जबकि मूल्य का भुगतान ऐच्छिक होता है।

विशेष कर निर्धारण तथा गुल्क में अतर (1) विशेष कर निर्धारण विशेष स्थानीय सुधार के लिए लगाया जाता है परतु गुल्क प्रशासन सबधी कार्यों के लिए लगाया जाता है।

(2) विशेष कर निर्धारण का भुगतान बेबल एवं बार होता है जबकि गुल्क का भुगतान अनेक बार हो सकता है।

(3) विशेष कर निर्धारण की दर साधारणतया लाभ के भुगतान में होती है जबकि गुल्क की दर पहले से ही निश्चित होती है।

(4) विशेष कर निर्धारण भासुहिक रूप में अर्थात् कुछ व्यक्तियों पर एक साथ लगाया जाता है जबकि गुल्क व्यक्तिगत रूप से लगाया जाता है। गुल्क का भुगतान बेबल व्यक्ति विशेष को होने वाले लाभ के अनुसार होता है।

(3) उपहार तथा अनुदान गौर सरकारी कर दाताओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अनुदान जो विशेष उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं, उपहार बहताते हैं। उदाहरण के लिए यह उपहार युद्ध भवान के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे अनुदानों में मुद्रकाल म देशभक्ति भावना के वारण बृद्धि होने की समावना रहती है। डाल्टन ने इस मद से प्राप्त आय को 'ईमान अदायगी' बहा है। उपहार सर्वे स्वेच्छायूवंश दिए जाते हैं और उपहार देने वालों को इनके बदले म बोई लाभ नहीं मिलता। हमारे देश को अमरीकी

मरणार ने बहुत बड़ी घनरागि उभहार के स्वर में प्राप्त हुई है।

अनुदान भी धनरागि का वह स्वर है जो मरणार को अवैचापूर्वक दी जाती है। अनुदानों के माध्यम से एक मरणार दूसरी मरणार को समाप्तन विसी विशेष बाम के लिए एक विशेष विश्वि ने, वित्तीय महायना दीती है। गजर मरणारे व्याख्या ममय में अपार्वीय मरणारों को जिक्का और गजमान नवधी अनुदान दीती रही है। अधीय मरणार जातो नवे ममय म गजर मन्दारा को गजमानों दे निराम लगे रख-रखाव के लिए तथा जिक्का वादि के लिए देती रही है। अधीय मरणार द्वारा राज-रखाव के लिए जान बाने अनुदान का उद्धर विनोद कठिनाइयों का है वर्ते हुए राजर के विभिन्न लगा के मध्य माम्य अधिकारियों का उद्धर विनोद विनाशक लगा रहना होता है। मरणान जन रहित भी जो नहरे हैं और जने सहित भी। यह नहित अनुदान चुच्छ विशिष्ट बायों की दृष्टि के लिए ही दिए जाते हैं।

अनुदान एक मरणार द्वारा दूसरी मरणार को भी दिए जाते हैं। आमुनिं जान में ऐसे अनुदानों का महन्त बटोरा जा रहा है। जोड़ विभिन्न देश का विभिन्न देशों को अनुदान देकर अधिक महायना प्रदान कर रहे हैं। प्रमोक्षा, मोवियत नम, कनाला, थान्डेनिया, पनिची जर्मनी, जातान प्रादि नम्भारों ने अपने विभिन्न देशों के लाभिं विवाह के लिए, उम स्वर्म में नहायना प्रदान भी है।

उपहारों जौर अनुदानों की प्राप्तिया एक ही प्रहृष्टि दी है, इन दोनों में यह विशेष गुण है जिसे स्वेच्छा ने दिए जाते हैं तथा इनके दानाओं को इसी प्रक्रम साम की चाह नहीं होती। अनुदान की विधा में, दाना मरणार एवं अन्य अहर पर सुखशारी काम बरसे के लिए वित्तीय नहायना दीती है। दाना मरणार दह जार्य मध्य बरसे के बागर अनुदान इनिएटेवी है, जोकि या तो नविधान में पैसा बोर्ड बधन है या किर अनुदान पान चानी मरणार नवमरत प्रगामनिं अभिवृत्त है। निर्जी उपहार भी पूर्णत स्वेच्छा ये दिए जाते हैं तथा उनके देने चाहे को निवाय इन नवोंप वे जौर भोई प्रक्रम लान नहीं होता जिसमें उचित निविदियों को द्वारा दातारा है।

प्रत्यक्ष व परोक्ष कर

प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों के बीच प्राचीन कल्यान में ही भेद विद्या माया है। परन्तु प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों ही क्षब्द अस्पष्ट रहे हैं। अभी भी इनकी कोई प्रामाणिक व्याख्या नहीं दी गई है। अभी तक अथेगाल्सी इनके भेद में एकमत नहीं हुए हैं। भिन्न भिन्न वर्षेगाल्सियों ने इस भुदमें फिल-फिल विचार व्यक्त किए हैं।

प्रो० चुक्क के अनुसार, 'उन्नादन पर जगाए जाने वाले वर प्रत्यक्ष कर और उपमोगपर लगाए जाने वाले परोक्ष कर है।' जानन्टूलटे भिल वा बधन है जिसे, 'प्रत्यक्ष वर दह बरहे जो जिसकी अक्षियों के द्वारा नामा जाता है जिसके विषय में यह जागा दी जाती है जिसे उनके अपने पान में लदा बरेंग और परोक्ष कर दह बरहे जो जिसी एक व्यक्ति से इस इच्छा तथा जागा में जागा जाता है जिसे दह उचारा भार अन्य विसी

व्यक्ति के ऊपर ढालकर अपनी हानि पूर्ति कर लेगा।¹

अभिप्राय यह है कि यदि सरकार कर इस आशा से लगाती है कि उसका भार करारोपित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर विवर्तित न कर सके तो वह प्रत्यक्ष बर होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर विवर्तित करने में समर्थ होता है तो इस प्रकार का कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सबध में जान स्टुअर्ट मिल के विचार सर्कंसगत नहीं मालूम पड़ते हैं। क्योंकि प्रथम दोष इसमें यह है कि सरकार वरों का भार जिस आदमी पर ढालना चाहती है उस पर न पड़े। द्वितीय, कर का भार विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न पड़े।

आरमिटेज स्मिथ के कथानुसार 'प्रत्यक्ष करारोपण से तात्पर्य होता है कि कर विवर्तित या हस्तातरित नहीं होता, अपिन यह उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे यह आशा की जाती है कि वह भार सहन करेगा। आय वर प्रत्यक्ष करारोपण का ध्रेष्ठ उदाहरण है।²

इस परिभाषा के अध्ययन से प्रत्यक्ष कर का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष कर की एक मात्र विशेषता यह है कि इसका अतिम भार उसी व्यक्ति पर होता है जो सरकार को इसको अदा करता है। व्यक्तियों की शुद्ध आय पर जो भी कर लगाए जाते हैं सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं, क्योंकि शुद्ध आय पर जो भी कर लगाया जाता है उसका विवर्तन सभव नहीं होता है।

आरमिटेज स्मिथ ने परोक्ष वरों के बारे में कहा है कि परोक्ष कर बस्तुओं और सेवाओं पर ऐसे कर होते हैं जो अन्य व्यक्तियों पर विवर्तित किए जा सकते हैं।³

तात्पर्य यह है कि परोक्ष करों का भार अतिम रूप से उन व्यक्तियों पर नहीं रहता जिन पर कि सरकार ये कर लगाती है अथवा जो इन्हे सरकार द्वारा सरकार द्वारा विद्या जाता है। वाकी सब कर अप्रत्यक्ष होते हैं। उनके अनुसार सर्वत बर, मूल्य कर, व्यक्ति वर प्रत्यक्ष कर हैं और सरकार द्वारा सीधे दिए जाने वाले उपभोग कर प्रत्यक्ष कर होते हैं।⁴

यह परिभाषा भी त्रुटि रहित नहीं है। इस परिभाषा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में भेद भुगतान बरने की विधि ने आधार पर किया गया है और इमनिए प्रत्येक कर प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का भेद करते समय बर के भार

1 J S Mill 'Principles of Political Economy', p 823

2 G Armitage Smith 'Principles and Methods of Taxations', p 36

3 Findley Shiffas 'Science of Public Finance', p 119

जो भी व्यान में रखना चाहिए जिस पर इसमें व्यान नहीं दिया गया है।

दो मार्कों ने प्रशासनिक आधार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों को परिनापित किया है। उनमें बदनामुमार 'प्रत्यक्ष वर वह वर होते हैं जो ति-ऐझी लूनियों के आधार पर दमूल बिए जाते हैं जिसमें हि करदानाओं के नाम निवे जाते हैं जबकि परोक्ष वर वे वर होते हैं जो कुछ निश्चित नार्यों के अवसर पर बगून बिए जाते हैं तथा निर्धारित समय पर नहीं निए जाते।¹

इसमें दोपों को हम एक उदाहरण में समझ सकते हैं, जैसे मोटर गाड़ियों पर लगाए जाने वाले वर यद्यपि नामा की सूचियों में ब्रनुमार बनून बिए जाते हैं बिन्दु वे उपभोग पर लगाए जाने वाले वर हैं।

प्रो० वेहडोर के अनुमार, 'आय तथा मूल्य मुपर्युँ मुपत्ति पर लगने वाला वर प्रत्यक्ष है, जबकि सुपत्ति के ब्रय-विक्रय पर लगने वाला वर अप्रत्यक्ष वर बहलाता है।'

प्रो० जै० बै० मेहता के अनुमार, 'वही वर प्रत्यक्ष कर है जिसको पूरी तरह से उसी व्यक्ति ने द्वारा चुकाया जाता है जिस पर उसे लगाया जाता है अर्थात् उसका तत्काल भार उसी व्यक्ति पर पढ़ा चाहिए जो वर अधिकारी को वर की रायि चुकाता है। अप्रत्यक्ष वर वह है जिसे भूगतान करने वाला व्यक्ति दूसरों पर पूर्णतया या आदिक रूप में टाल देता है।'

इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के भेद के मध्यमें मतभेद चला आ रहा है। उपरोक्त अध्ययन से प्रतीत होता है कि करों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में भेद बिए जाने का बोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सेलिगमैन ने इस गवर्नमेंट में उचित ही कहा है कि 'आधुनिक विज्ञान ने तो करों के वीच भेद बरने के इस आधार का परित्याग वर दिया है।'

प्रत्यक्ष व, अप्रत्यक्ष करों के गुण-दोप

प्रत्यक्ष करों के गुण

आधुनिक अर्थशास्त्री प्रत्यक्ष करों के निम्न गुणों ने मान्यता देते हैं :

(1) कर देने की सामर्थ्य पा घोतर : प्रत्यक्ष वर करोंकि प्राय प्राप्तकर्ता की कुल आय पर लगाए जाते हैं इसलिए सरकार इन्हें न्यायशीलता के सिद्धात् की व्यान में रखवार लगाती है। करोंकि यह वर प्रगतिशील दर से यानि अमीरों पर अधिक व गरीबों पर पर कम मात्रा में लगाए जाते हैं अतः प्रत्यक्ष वर करदान कामता के सिद्धात् की पुष्टि दरते हैं। सेलिन डाल्टन इसके विरुद्ध हैं। वह कहते हैं कि 'प्रत्यक्ष वर ने वेत्त प्रत्येक व्यक्ति कर के रूप में भौत परोक्ष वरारोपण विलासिता की वस्तुओं पर, जिन्हें वेत्त घनी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं, नर के रूप में सीमित कर दिया जाए तो स्थिति बिल्कुल ही बिधीत हो जाएगी।' वह कहते हैं कि न्यायशीलता के सिद्धात् का पालन सभी प्रत्यक्ष करों का

¹ Antonio De Viti De Marco, 'First Principles of Public Finance,' (1940), p. 130.

अनिवार्य गुण नहीं है। कहीं इसका पालन होता है और कहीं नहीं।

(2) उत्पादवत्ता : सभी प्रत्यक्ष करों में उत्पादवत्ता का गुण व्यापक रूप से विद्यमान होता है। प्रायः इनके एकत्रीकरण में हुए व्यय से आय अधिक सात्रा भी होती है। क्योंकि दोन्हीन प्रत्यक्ष करों, जैसे आय कर तथा निगम कर में ही सरकार को कुल आय वा आधे से अधिक भाग प्राप्त होता है।

(3) निश्चितता के सिद्धांत का चोतक - प्रत्यक्ष करों में निश्चितता के मिदान का पालन होता है क्योंकि प्रत्यक्ष कर अधिकतर आय के स्रोत पर ही लगाए जाते हैं तथा बरदाता को यह जात होता है कि उसे विस नमय कितना कर देना होगा तथा सरकार यह बात ध्यान में रखती है कि उसको प्रत्यक्ष करों से कितनी आय प्राप्त होगी।

(4) मितव्ययता परोक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों के इकट्ठा करने पर सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है; इन करों के एकत्रीकरण के लिए अधिक प्रशासन का विस्तार नहीं करना पड़ता है। इससे उसका व्यय बहुत होता है तथा आय अधिक होती है।

(5) लोक - क्योंकि प्रत्यक्ष कर अधिकतर व्यक्ति की युद्ध आय पर होते हैं इसलिए इन करों से सरकार को होने वाली राष्ट्रीय आय में तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए काफी लोक उपचित होती है। जब देश के आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में बढ़ि होती है तो प्रत्यक्ष करों की दर पूर्ववत रहने पर भी सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है तथा आर्थिक स्कृट के नमय जब दुनिया या किसी अन्य बारण से राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ जाती है तो इसके परिणामस्वरूप लोगों को आय बहुत हो जाती है। इस प्रकार स्वत ही सरकार की आय म भी कमी आ जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष कर अधिकतम प्रगतिशील दर से करारोपित किए जाते हैं। अब सरकार युद्ध के समय इन करों के माध्यम से अधिक आय प्राप्त करने में समर्थ होनी है।

(6) नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न होना : शासन की प्रजातात्रिक प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी सफलता के लिए सोयों में सरकार के प्रति कर्तव्य को जेतना और जागरूकता आवश्यक है। प्रत्यक्ष कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य वरते हैं। नागरिक जब कर देता है तो वह उसका भार सहन करता है तथा कर अदा करने पर वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा उसके द्वारा किए गए त्याग का सरकार के द्वारा अपव्यय तो नहीं किया जा रहा, इसके प्रति पूर्णरूप से जागरूक रहता है।
प्रत्यक्ष करों के दोष

प्रत्यक्ष करों के गुण ही गुण हों यह सभव नहीं है, इनके दोष भी हैं जो निम्ननिवित हैं

(1) अमुविधाजनक : करदाता की दूषित से सभी प्रत्यक्ष कर अमुविधाजनक और कष्टदायक होते हैं। इन करों को भुगतान करने के लिए सभी व्यक्तियों को आय का सेवा-जोखा रखना पड़ता है तथा यदि अधिकारी गण लेखे-जोने को गलत मानते हैं तो

वे मनमाने स्पष्ट में वरारोपण बरते हैं जिसने करदाता नो अधिक बष्ट सहन बरना पड़ता है। दूसरे, व्यक्ति की आय वर्ष में धीरे-धीरे होती है जबकि वह बर एक साथ अदा करता है जिससे उसे मानसिक बष्ट की अनुभूति होती है।

(2) कर अधिकारी का भार बेतन भोगी वर्ग पर और मुनिश्चित आय वाले व्यक्तियों पर पूर्ण स्पष्ट रो पड़ता है, परतु व्यापारी वर्ग के लोग तथा उच्चोगपति भूठे वही खाते रखकर अपनी आय कम दिखाते हैं और इस प्रकार सरकार को धोखा देकर कर भार से बच जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार न बर अधिकारी की ममन्या में अध्ययन के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री निकोलस कालडोर को आमतित किया था। उन्होंने अपना मत व्यक्त न रखे हुए कहा था कि इस देश में प्रति वर्ष 200 करोड़ से 300 करोड़ स्पष्ट तक बर का अधिकारी कर अधिकारी होना है। उनके मतानुसार भारतवर्ष में अधिकारी कर अधिकारी प्रत्यक्ष करो का है।

(3) बचत व विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव आय प्रत्यक्ष करो का अधिकारी भार उन व्यक्तियों पर होता है जो पूजीपति होते हैं तथा जिनकी आय अधिक होती है। इन व्यक्तियों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यक्ष करो के बगारोपण के कारण उनकी बचत बरने की सामर्थ्य कम हो जाती है परतु पूजी निर्माण में वाधा उत्पन्न होती है। परतु पूजीपति वर्ग का यह तर्क अमरगत तथा आनिपूर्ण है क्योंकि यह इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करो के स्पष्ट में एकनित की जाने वाली ममस्त घनराशि अनुत्पादन और अनुपयोगी वार्षीय पर ही व्यय की जाएगी। वास्तविकता यह है कि अनेक प्रत्यक्ष कर पूजीपति और दूसरे घनी वर्गों की विलासिता पर अपव्यय को कम करते हैं।

परोक्ष करो के गुण

परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर के पूरक माने जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष करो में नितात अभाव रहता है। परोक्ष कर प्राय निम्नलिखित गुण से युक्त होते हैं

(1) विस्तृत आधार : परोक्ष करो का आधार यामान्यत प्रत्यक्ष करो की तुकना में विस्तृत होता है। जहाँ प्रत्यक्ष कर बहुत थोड़े व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं वहाँ परोक्ष करो का भार कम या अधिक अदा में सभी व्यक्तियों पर होता है। यदि कर भारी होते हैं तो उनका भार भी सीमित व्यक्तियों पर होता है। उनके पूजी के सचय विनियोग और उभी-उभी देश की सपूर्ण अर्थव्यवस्था पर गमीर प्रभाव पड़ते हैं। परोक्ष कर प्राय न तो भारी होते हैं और न ही उनका भार सीमित व्यक्तियों पर पड़ता है। इसलिए इन करो का देश की पूजी के सचय और विनियोग पर कोई धारक प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) लोच अनेक परोक्ष करो में लोच का गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ जब लोगों की आय में बढ़ि होती है तो उनका उपभोग वस्तुओं पर व्यय बढ़ जाता है। परतु सरकार की परोक्ष करो से प्राप्त होने वाली आय भी स्वत बढ़ जाती है। अनियाय प्रावश्यकता की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले परोक्ष करो से सरकार की आय वैवल कर की दर भ परिवर्तन कर देने मात्र से ही

बढ़ाई-घटाई जा सकती है जो परोक्ष करों की लोच वा प्रतीक है।

(3) कर अपवचन कठिन : प्राय परोक्ष करों का अपवचन मरल नहीं होना है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये कर व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा मरकार को दिए जाने हैं और यह लोग इन्हें उपभोक्ताओं पर विनतिन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादक कर सीमा शुल्क आदि के अन्तराल से बस्तु की विक्री के गमय ही बमूल कर सकते हैं। जिससे कर अपवचन गरजता से सभव नहीं होता।

(4) सभी व्यक्तियों पर : इस कर का मुगलान राष्ट्र के सभी नागरिक अपनी करदान क्षमता के अनुसार सरकार को बरतते हैं। इसमें धनी व्यक्तियों पर अधिक कर भार पड़ता है तथा निर्धन वर्ग पर नहीं। अत परोक्ष कर आनोचना का विषय वर्ग बनते हैं।

(5) सामाजिक सामान : अनेक परोक्ष कर सामाजिक बल्याण में वृद्धि करते हैं। जब विसी देश की मरकार मंदिरा, तवाकू, अफीम, गाजा, भाग आदि मादक पदार्थों के विक्रय पर कर लगानी है तो इन हानिकारक वस्तुओं का उपभोग हनोत्माहित होना है और फलत सामाजिक बल्याण में वृद्धि होनी है। इसके विपरीत कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष कर नहीं है जिसके द्वारा हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियन्त्रण लगा सकना सभव हो।

परोक्ष करों के दोष

परोक्ष करों के कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं

(1) न्यायशीलता का अभाव : परोक्ष कर चाहे बस्तु के उत्पादन पर हो या विक्री पर इनकी दर निर्धन और धनी सभी व्यक्तियों के लिए समान होनी है। इसलिए प्राय परोक्ष करों का वास्तविक भार निर्धन वर्ग के लोगों पर अधिक रहता है। अन्त में वर न्यायशानता के गिरदान के विरुद्ध है।

(2) मित्रश्ययता का अभाव : परोक्ष करों के एक वित्तवरण पर सरकार को बहुत अधिक व्यय बरना पड़ता है। प्रत्यक्ष करों की तुलना में जनता से परोक्ष कर एकत्रित करने के लिए सरकार को विस्तृत प्रशासनीय व्यवस्था करनी पड़ती है जिस पर काफी व्यय होता है। कर एकत्रित करने पर अधिकार्य होना मित्रश्ययता के सिद्धात के प्रतिबूल है।

(3) आय की असमानताओं में वृद्धि : प्राय परोक्ष कर स्वरूप में प्रतिगामी होते हैं। इसलिए इनके द्वारा देश में आय का वितरण अधिक असमान हो जाता है। हम विस्तार के माय स्पष्ट कर चुके हैं कि सामान्यत परोक्ष करों का भार निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की तुलना में अधिक होता है। इसलिए करारोपण के बाद निर्धन वर्ग के लोगों की देश धनी वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में अधिक निहृष्ट हो जाती है तथा आय की असमानता की खाई को अधिक छोड़ होने में सहायता मिलती है।

(4) मंदीकाल में कम आय : मंदीकाल में नागरिकों की ऋण-दक्षिण बम हो जाती है। वे बस्तुओं और सेवाओं का अधिक मात्रा में प्रय नहीं बर पाते। इसलिए मंदी-काल में परोक्ष कर अधिक उत्पादक सिद्ध नहीं हो पाते।

(5) अनिश्चितता : अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं पर करों के अतिरिक्त

अन्य वन्नुओं के उत्पादन अधिक विशेष पर जो भी बरलगाए जाते हैं उनसे भरकार को होने वाली आय मुनिदिवत नहीं होती। इनका प्रधान कारण यह होता है कि परोक्ष वर्चों से सरकार को होने वाली आय वन्नुओं की भाग वी सोब वर निर्भर होती है।

(6) नागरिक भावना उत्पन्न करने में असफल - यद्यपि परोक्ष वर सभी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है और इनका भार निर्धन तथा धनी दोनों ही वर्गों के लोगों पर बम या अधिक अदा में होता है परन्तु न्यूट ही है कि सभी व्यक्तियों द्वे उत्पादन वर तथा विक्री वर अदा वरने पड़ते हैं, परन्तु बोर्ड भी अकिञ्चित वरों के बास्तविक भार में परिवर्त नहीं होता। इनका मुख्य कारण यह है कि दिनी वी भी परोक्ष वरों की वास्तविक बुल रागि का पठा नहीं होता। उपमोक्ता द्वारा परोक्ष वर जीनहु वे रुप में ही वस्तु विक्रीता को दिए जाते हैं। यदि प्राय उपमोक्ता वन्नु वी कीमत और वर वी रागि में भेद नहीं वर दाता। ऐसी अवस्था ने उनमें राज्य के श्रति उपेशा वी नावना आ दाना स्वामाविक है।

निष्कर्ष

प्रत्यक्ष और परोक्ष वरों के बचाव में सक्षम लघा गुण दीनों की विवेचना से यह न्यूट हा जाता है कि नामांगत प्रत्यक्ष वरों का अधिकारा भार अनिक वर्ग के व्यक्तियों पर होता है क्योंकि प्रातिशील वर प्रणाली में प्राय निर्धन वर्ग वी वर मुक्त वर दिया जाता है। परन्तु परोक्ष पर वन्नुओं पर वर होने के कारण मधीर व्यक्तियों पर यह ही दर वे हिमाव से लगाए जाते हैं और इसलिए निर्धन वर्ग पर इनका भार अधिक होता है। परन्तु ऐसा होता अनिवार्य स्प ते आवश्यक नहीं होता कर्त्तव्य के दिया आय वर तथा अन्य प्रयत्न वरों की दरें प्रातिशील न होने वर प्रतिशामी होता प्रत्यक्ष वरों का अधिकार भार निर्धन वर्गों पर पड़ता। इनका विपरीत यदि परोक्ष वर के बल विवरिता वी वन्नुओं पर लगाए जाए तो उनका अधिकार अनिक वरों पर होगा।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वरों के बारे में भी दी० मावर्ड वा बधन है कि 'एक प्रकार के वरों की तुलना में दोनों ही प्रकार के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण आय आपूर्ये कर अवस्था प्राप्त वी जा सकती है। इस प्रकार वी प्रणाली न्यूरों का योग्यता से व्र पर चरावर दबाव ढालकर न केवल द्वारा परोक्ष में रामानता वा युग उत्पन्न वरनों वै वरन् इनमें अधिकतम आय वी भी प्राप्ति होती है।¹

(1) **प्रशासनिक दृष्टिकोण :** प्रशासनिक व्यव पूर्व क्षमता वी दृष्टि से भी प्राय तथा परोक्ष वरों की तुलना नहीं पूर्ण है। इन दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष वर न्यून आय चाल अधिकतयों पर नहीं लगाए जाते हैं और उन्हें चप्टकृत कीमा तद छूट प्रदान की जाती है जैसे भारतवर्ष में न्यूनतम आय वर छूट वीना 6000 रु० कार्पिन है। इस प्रकार परोक्ष वर प्रत्यक्ष वरने उत्तम है।

इस आधार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष वरों में भेद बरना उचित नहीं है क्योंकि दिनों

¹ Antonio De Luca De Marco op cit., p. 135

भी देश में व्यक्तियों को ऐसे समूहों में विभक्त करना सभव नहीं है कि प्रत्यक्ष कर दिस वर्ग पर तथा परोक्ष कर दिस वर्ग में लगाए जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष कर लागू नहीं होत उनको अप्रत्यक्ष करो का भुगतान व्यवस्था करना होता है।

द्वितीय, आधुनिक प्रशासन व्यवस्था में इतने ब्रातिकारी परिवर्तन हो चुके हैं कि आय एवं अन्य प्रत्यक्ष कर नीची आय वाले व्यक्तियों पर भी लगाए जाते हैं। अत इन दोनों करों में प्रशासनीय आधार पर अतर करना उचित नहीं है।

प्रो० प्रेस्ट का मत है कि परोक्ष कर अल्पविकल्पित देशों के लिए अत्यत उपयुक्त होते हैं क्योंकि विद्याके अभाव के कारण अविकाश लोग हिसाब-किताब नहीं रख पाते हैं। अत अल्पविकल्पित देशों में अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों से उपयुक्त रहते हैं।

(2) वितरणात्मक दृष्टिकोण वितरणात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करों म तुलना की जा सकती है। प्रत्यक्ष कर क्योंकि प्रगतिशील दरों पर अर्थात् घनिक वर्ग पर अधिक तथा गरीब वर्ग पर कम दर से लगाए जाते हैं अत पूजीवादी व्यवस्था में धन की असमानता को दूर करने में प्रत्यक्ष कर सहायक होते हैं। प्रत्यक्ष कर अधिक आरोही तथा परोक्ष कर सामान्य अवरोही दर से लगाए जाते हैं तथा उन (परोक्ष) करों का भार सभी व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है क्योंकि ये अतिम रूप में उपभोक्ता पर पड़ते हैं।

यह उपरोक्त विचार कुछ भ्रमपूर्ण है। जहा तब वितरणात्मक प्रभावों का सबध है दोनों प्रकार के करों को समान सिद्धांतों पर लागू किया जा सकता है और ये दोनों ही धन की असमानता को बम करने म भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आवश्यक वस्तुओं पर बहुत नीची दर से तथा विलासिता वी वस्तुओं पर बहुत ऊची दर से बर लगाए तो परोक्ष कर भी प्रगतिशीलता का गुण दिखा सकते हैं। प्रत्यक्ष करों की स्थिति में आय का समायोजन उत्पादन वे साधनों के वाजार द्वारा होता है क्योंकि व्यक्ति की आय की मात्रा तथा भुगतान किए जाने वाले बर की मात्रा के बीच एक व्यवर्स्थत सबध पाया जाता है। परोक्ष करों की स्थिति में, आय के समायोजन की प्रक्रिया वस्तु वाजार द्वारा मन्न होती है। इस आधार पर यह कहना मुश्किल है कि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील तथा परोक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। इसी प्रकार विलासिता वी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले परोक्ष कर उत्पादन के साधनों का विवर्तन उन क्षेत्रों की ओर कर सकता है जोकि सामान्यत जनता की माग को पूरा करते हैं। इस व्यवस्था में परोक्ष कर भी उतना ही प्रगतिशील हो सकता है जितना कि प्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में सबध

एक अर्थशास्त्रियों का यह भत है कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में भेद करने से अधिक तुलना करने उनमें से किसी एक को चुनने से बोई लाभ नहीं होगा। आधुनिक विचार-धारा यह है कि जिसी भी देश की कर व्यवस्था में प्रत्यक्ष भीर परोक्ष दोनों ही प्रकार के

बरों के मध्य एक लचित सुनुनन हीना चाहिए। इस वद्ध में मुश्मिन्द इटेलिफ्टन अप्प-शास्त्री ही मारों के विचार नियोग रूप से उत्तेजित होती है। इन्होंने दोनों बरों के वद्ध में ही महत्वपूर्ण बातें चर्चाएँ हैं।

(1) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष बरों का परन्पर शूलक हीना

समाज में कुछ व्यक्तियों की आय अनुमति के कानून की जा सकती है, वैसे वेतनभोगी व्यक्तियों की आय। इसके विपरीत कुछ व्यक्तियों की आय अनिवार्य रहती है जिसको कालूम वरना एक रजिस्टर बायर है, जैसे व्यापारी वर्ग की आय। अब यदि व्यक्तिगत आय कर लगाया जाता है तो इसके बारे वेतनभोगी वर्ग पर व्यापारी वर्ग से अधिक दण्डगा। दूसरे शब्दों में वेतनभोगी वर्ग के त्याज की मात्रा व्यापारी वर्ग से अधिक होगी। इस प्रकार नमी वर्गों पर बर नार नमान रूप से नहीं पड़ता। परन्तु अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष बरों में आय की अनुमतिता को बन किया जा सकता है। क्योंकि घरिव वर्गों पर अधिक आय के जारी चर्चे बरते के लिए भी काढ़ी रूप रह जाता है। यह की इस अनुमतिता का अध्य कर असौत् परोक्ष बर नमान दूर निया जा सकता है। एक उदाहरण द्वारा इन विचारपाठ का स्वरूप विज्ञापन जारी करता है।

मान लीजिए एक भूम्बामी तथा एक पेशेवर व्यक्ति की विशुद्ध आय की नीति होगी २० है। यह भी मान लीजिए कि प्रथम व्यक्ति ने आनी वार्षिक आय का अनुमान १८,००० रुपया दूसरे ने अपनी वार्षिक आय का अनुमान अपने विवरण पर में ९,००० रुपया लगाया है। यदि नमान इन दोनों पर २० प्रतिशत का प्रत्यक्ष कर लगायी है तब प्रथम व्यक्ति को ३,६०० रुपया दूसरे को १,८०० रुपया करते पड़ते हैं। इन प्रकार यह दोनों व्यक्ति निलकर नमान को ५,४०० रुपया की घनरायि करने के बारे में अदा करते हैं। हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि यह घनरायि नमान की दिनांक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। तथा पूछा जाए तो इन घनरायि का नार दोनों व्यक्तियों पर नमान न्प में २,७००-२,७०० रुपया पहना चाहिए। भूम्बामी पेशेवर की नुसना में ९०० रुपये अधिक दे ?

अब हम यह नाल लें कि २० प्रतिशत की करारेपय दर १० प्रतिशत अप्रत्यक्ष तथा १० प्रतिशत परोक्ष बर में विभाजित जर दो जाती है। अब भूम्बामी १,८०० रुपया प्रत्यक्ष तर और पेशेवर व्यक्ति ९०० रुपया प्रत्यक्ष बर के रूप में भुगतान करेगा।

जहाँ तक परोक्ष बर का प्रधन है, भूम्बामी यह बर १८,२०० रुपया (२०,००० रुपया - १,८०० रुपया) पर तथा पेशेवर १९,१०० रुपया (२०,००० रुपया - ९०० रुपया) पर अदा करेगा। इन प्रकार प्रधन १,८२० रुपया द्विनीय १,९१० रुपया परोक्ष बर की अदायगी करेगा। इन दोनों से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष बर के रूप में भूम्बामी ($1800\text{ रुपया} \div 1820\text{ रुपया}$) = ३६२० रुपया पेशेवर व्यक्ति ($900 \div 1910$) = २८१० रुपया जो भुगतान करेगा। यह उदाहरण इन दोनों नवीन बरता है कि प्रत्यक्ष बर की तुलना में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष बर नार की नमान रूप से विस्तृत नहीं है। योहे-योहे नमम के बाद व्यक्तियों की आय में

परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की मात्रा का अनुमान तथा उनका मापना प्रसभव होता है। हम यह सो बहु सकते हैं कि आय यदि कम होती है तो उपभोग में बढ़ोतारी होती है। परोक्ष कर व्यक्ति की आय के परिवर्तन को दृष्टिगत रख सकते हैं और इन परिवर्तनों को अपनी परिधि पर साकार उन पर कर बगूल कर सकते हैं।

जिस प्रकार से परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर के पूरक हैं उसी तरह प्रत्यक्ष कर भी परोक्ष करों के पूरक है। परोक्ष कर उन वस्तुओं पर नहीं लगाए जा सकते हैं जिनका कि उत्पादक प्रारम्भ म सुद ही उपभोग करता है जैसे विसान गेहु को उपभोग के लिए भी बचा सकते हैं। अत यहां पर प्रत्यक्ष कर ही लगाना उचित है।

प्रत्यक्ष करों का परोक्ष करों के पूरक के हप में दूसरा तक यह दिया जाता है कि जहा परोक्ष करों के अपवचन की ममावना धर्वित रहती है वहा प्रत्यक्ष करों का लगाना आवश्यक हो जाता है। परोक्ष करों का अपवचन वहा होता है जहा उत्पादक अपनी वस्तुओं का स्वय उपभोग करते हैं।

डी मार्कों के अनुमान क्योंकि परोक्ष कर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर भी नहीं लगाए जा सकते हैं। अत अोले परोक्ष करों के द्वारा न तो किसी व्यक्ति की आय का ठीक ठीक भूल्याकृत ही किया जा सकता है। इस स्थिति म यह अत्यत आवश्यक है कि परोक्ष करों के साथ प्रत्यक्ष कर भी लगाए जाने चाहिए।

घर्षणात्मक शक्ति मे कमी

डी मार्कों के अनुमान परोक्ष करों का एक दूसरा महत्वपूर्वक कार्य भी है। आय का अनुमान और कर तो एकत्रित करने से जो घर्षणात्मक शक्तिया उत्पन्न होती है वे इन करों से कम हो जाती है। इनके अनुमान प्रत्यक्ष कर के लगाने मे गमाज मे बहुत-भी विरोधात्मक त्रियाए उत्पन्न हो जाती हैं जैसे (1) कर का विवर्तन, (2) कर का प्रगारण, (3) कर की ओरी इत्यादि।

यह विरोधात्मक शक्तिया तब तक चलती रहती हैं जब तब आर्थिक प्रणाली म कर द्वारा उत्पन्न भ्रष्टतुलन दूर होकर फिर से नया सतुलन स्थापित नहीं हो जाता। इसकिए डी मार्कों ने वेद्यत आर्थिक सतुलन बनाए रखने पर बन देते हुए नहा है 'प्रारम्भ से ही करों का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए इस प्रस्तियन आर्थिक मतुलन या तो भग हो न हो या कम से कम भग हो'।¹

प्रत्यक्ष करों के लगाने से घर्षणात्मक शक्तिया अधिक होती है। इमका बारण यह है कि उनका भुगतान करते समय व्यक्ति अधिक सचेत होता है क्योंकि कर देने से बहुत-सी आवश्यकताओं का खाग करना पड़ता है। इसकिए वह कर से बचना चाहता है। इस अनुभूति से उसे मानसिक कष्ट होता है। जितु परोक्ष करों का भुगतान करत समय इस प्रवार भी कोई मानसिक वैदना ना अनुभव नहीं होता। डी मार्कों के शब्दों में, 'प्रत्यक्ष करों के परस्पर पूरक होने के अतिरिक्त परोक्ष कर व्यवस्था एवं दूसरा कार्य भी

बरती है—आप के अनुमान नगाने तथा प्रत्यक्ष वर्णने के एवं वरने के जी धर्मगति शक्तिया उत्पन्न होती है, उन्हें न्यूनतम बरते हैं।¹ परोक्ष वर्ण द्वारा धर्म स्थूल ही जाने तथा दिरोधी भावनाओं के बन ही जाने के निम्न गारण हैं।

(1) परोक्ष परोक्ष वर द्वारा उसी समय कदा जिजा जाता है जदकि आप वर्चं जी जाती है।

(2) परोक्ष परोक्ष वर अनुभूति के मूल्यों में जुहे रहते हैं इसलिए वरदाता उत्तम उत्तम नुगतान कर देते हैं। उन्हें वर नुगतान का अनुभव ही नहीं हो पाता। इति वर नुगतान तथा प्रावस्यवता की नतुरिटि में बोई विरोध उत्पन्न नहीं हो पाता।

(3) परोक्ष वर ना नुगतान शोषी-शोषी मात्रा में रोका है इसलिए वरदाता विच्छी भावनित बोगा का न तो अनुभव चला है और न ही उसका दिरोध चला है।

(4) यदि वरदाता परोक्ष वर ना नुगतान नहीं उखला चाहता तो उच्च उच्च अनुभूति उपनीया से बचित रहना पड़ता है। चूंकि बोई नी व्यक्ति इन अप्स्ट को नहीं नहीं बरता चाहता इसलिए वह इस वर को प्रम्लतात्मक नुगतान बरवे अनीय भावस्यवता की तृप्ति चरता है।

(5) परोक्ष वर लगाते समय आप के अनुमान रखने की भावस्यवता नहीं होती। सरखार तथा वरदाता के दीव अनेक धर्म तथा विरोध के दल आप के अनुमान साते समय होता है। सरखार को परोक्ष वर लगाते समय प्रत्यक्ष वर जी भावि इनका निर्धारण नहीं बरता पढ़ा और न ही वरदाता जो आप जी श्रीदी गमना अर्नी पड़ती है। इसलिये दोनों पक्ष सतुष्ट रहते हैं। दो भावों के उपर्युक्त विचारों को पूर्णरूप स्वीकार नहीं पिया जा सकता क्योंकि यह देखा गया है कि प्रनेत्रदार सरखार उनदूसरे वर धर्म उत्पन्न बरता चाहती है। उत्पादन योरन्तिरण में परिवर्तन बरने के लिए सरखार वर्ती भी स्वेच्छा में समाज में धर्मान्वयनकर्त्तिवाद उत्पन्न चलती है।

कराधान के उद्देश्य तथा परिनियम

समय की प्रगति के साथ-साथ कराधान के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया है। एक समय या जब कराधान का मुख्य उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना था। उस समय सरकार वे कार्य सीमित थे। परंतु आज का बल्याणकारी राज्य कराधान को केवल आय प्राप्ति का साधन न मानकर कुछ अन्य उद्देश्यों को भी ध्यान में रखता है। इन उद्देश्यों का वर्णन नीचे किया गया है।

(1) वित्तीय दृष्टिकोण

कराधान के सवध में एक परपरागत दृष्टिकोण यह बना हुआ है कि 'कराधान केवल आय के लिए ही हो' अर्थात् कराधान का यह उद्देश्य है कि राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय प्राप्त करे और आर्थिक जीवन पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। सधेंप में, कर आय की दृष्टि से उत्पादन होना चाहिए।

वैसे तो उद्देश्य सरल दिखाई पड़ता है क्योंकि सरकार वा कोई दूरस्थ उद्देश्य उसमें छिपा हुआ नहीं है, परंतु इस उद्देश्य को मध्य-विकटोरियन वा नारा दिया जाता है जो आधुनिक काल में उपयोगी नहीं है। कर का उपयोग सामाजिक बल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए जैसे घन के पुनर्वितरण द्वारा आय की विषमता को दूर करना।

(2) सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण

अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि कर का उद्देश्य सामाजिक जीवन को नियमित करने वा है, कुछ पर तो अवश्य ही ऐसे मिलेंगे जिनका उद्देश्य उपभोग को नियन्त्रित तथा नियमित करना है। मदिरा पर उत्पादन शुल्क ऐसा ही एक उदाहरण है। यहां कर का मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति नहीं इसिन्हु नियन्त्रण का है। भारत में शारद बढ़ी वी नीति वा उद्देश्य आय अर्जन के स्थान पर कुछ नियन्त्रित आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

अब तो करों वा उपयोग राष्ट्रीय आय के स्तर को नियमित करने में भी लिया जाने लगा है। यह वास्तव में कर के नियन्त्रण का विस्तृत रूप ही है। कर द्वारा अक्षित

जी आप के एक भाग का सरकार वो हम्मातरप बोरा वर व्यक्तिगत उन्नेश सुधा विनियोग वो प्रभावित किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आप के न्तर वो परिवर्तित किया जा सकता है। वे पर जो बन्धुओं के मूल्य में जुड़ जाते हैं उनके लिए वे व्यक्तिगत उपभोग तथा विनियोग के लिए घनरसिय जो अन्म दर देते हैं। जब आप-न्द्रव न्तर निम्न हा और हने लम्ह उठाना ही तब आप प्राप्ति के उद्देश्य वी नुकना में व्यानियन्द्रव बराधान की प्राप्तिकता देनी होती है।

इन प्रकार बोरो का उत्पादन, उपभोग तथा घन के वितरण में विचारपूर्ण तथा वाइट परिवर्तन दरने और रोजगार के अन्वर में स्थापित लाने में उपरोक्त किया जा सकता है। ऐसे उद्देश्यों के लिए लगाया जाने वाला बराधान व्यवनियन्द्रव उठाना है।

(3) कियागत वित्त

बराधान का पुराने समय से चला आ रहा उद्देश्य राज्य जी आप में छृदि बरना था। यद्यपि आप उद्देश्यों के लिए भरकार के प्रबल बेदल बरों के उपभोग तक सीमित नहीं है, किर भी यह उद्देश्य सर्वोपरि रहा है। अब इन विचारधारा में शानिवारी परिवर्तन आया है। प्र०० ए० प०० लरनर के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों द्वारा एवं ऐमा दर्गे हैं जो इन विचार वो उपेक्षा बरता है कि बरारोपन शा उद्देश्य बेदल नार्वनिक आप की छृदि बरना है। उनका बहना है कि लोनदित, कियागत वित्त होना चाहिए। उनके अनुचार राज्यपोषीय साधन समाज में निम्न प्रबार कामे बनाए हैं उने विदानत वित्त वह जाता है।

इन विचारधारा के अनुरूप राजस्व कियाओं की उपादेशता जा निर्दीरण इन उद्देश्य ने किया जाना चाहिए कि वे अर्थव्यवस्था में कमा जाने वाली हैं। बरारोपन, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक अनुष्ठान, रोजगार व आप में स्थापित लाने हेतु अनुग्रह या अनुत्तित दबट द्वा निर्माण समाज वो किन प्रबार प्रभावित बरता है। कियागत वित्त के निष्ठात द्वीपार वरने के उपरात सरकार पर नपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन वो निपुणी रखने का उत्तरदायित्व आ जाता है। एवं उपरात अर्थ-व्यवस्था में अब राज्य एवं नूवरदेश के रूप में खड़ा नहीं रह सकता। यदि वे नेतृज्ञाते बढ़ने लगे, लाभ गिरने लगे और आप अस्विरता की दिक्कार हो जाए तब ऐसी दशाओं में हम यह आदा नहीं बरते कि सरकार उदानी रहेगी। ऐसे सुनप में राज्य का यह अतंक दौगा कि वह राजनीपोष उपायों द्वारा स्थिति पर जावू पाए।

कियागत वित्त के अनुरूप विचार के स्थान पर राष्ट्रीय प्राप्त वा एवं अनुचित न्तर बनाए रखने का विचार मुरर होता है जो पूर्ण गोजगार वी बनाए रखने में सहायत होता है। जहा तब बराधान वा प्रश्न है कियागत वित्त की नान्दनी वैसी हो होनी है जैसी कि निम्न दाक्ष में प्र०० ए० प०० लरनर द्वारा बताई गई है 'जिन प्रभावों के बारे में सरकार वो विचार बराधा चाहिए, वे सुख्य रूप से जनता पर पहने जाने प्रभाव हैं, जिसने हित ने सरकार से कार्य बरने वी आदा जाती है।'

सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव सदैव अपेक्षाकृत वर्म महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण में लिए, जिनी भी वर अदायगी वे ये दो प्रभाव होते हैं कि वरदाता के पास धन घटाता है और सरकार के पास धन बढ़ता है। इन प्रभावों में से पहला महत्वपूर्ण है। इस वारण कर तभी लगाना चाहिए जब वरदाता के पास धन घटाने का उचित वारण हो। सरकार पर प्रभाव कि सरकार वे पास अधिक धन होगा, महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सरकार वरदाताओं को निर्धन विए यिन सदैव बड़ी आसानी से अधिक धन प्राप्त वर सकती है। इससे वह निष्पत्ति निवलता है कि वर इसलिए नहीं सगाए जाने चाहिए क्योंकि सरकार वो धन की आवश्यकता है। आर्थिक सौदों पर वेवल तभी वर लगाने चाहिए जब इन सौदों को निष्टाहित करना उचित समझा जाए। व्यविनयों पर तभी वर लगाने चाहिए, जब वरदाता को और अधिक निर्धन बनाने का उद्देश्य हो।¹

त्रियांगत वित्त का उद्देश्य साग को ऊचे स्तर पर बनाए रखना, पर्याप्त उत्पादन बरना, उचित मूल्यों को बनाए रखना तथा रोजगार व आय को बढ़े हुए स्तर पर बनाए रखना है। त्रियांगत वित्त की धारणा इसलिए अधिक रुद्धिवाद कही जाती है क्योंकि वह सरकार पर अधिकाधिक त्रियांगों को सम्पन्न बरने का उत्तरदायित्व लाद देती है। लरनर वा विचार है कि वरारोपण का मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति न होकर ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए जो सामाजिक रूप से उचित हो। उदाहरण के लिए मादक पदार्थों पर वर लगाने का उद्देश्य इन वस्तुओं के उपभोग को धम बरना हो सकता है। ऐसे ही विदेशी से सरते माद के आयात द्वारा स्वदेश में उत्पन्न स्पर्द्धा को, आयात वर द्वारा रोकना उचित है। स्वदेशी वस्तुओं का विदेशी में निर्यात बढ़ाने के लिए उन्हे निर्यात वर से मुक्त किया जा सकता है। अर्द्धविकसित देशों में वचत को प्रोत्साहित बरने के लिए उपभोग पर वर लगाया जा सकता है। प्रगतिशील वर की राहायता से धन के वितरण को समाज में समान बनाया जा सकता है। आर० जे० चैल्हया के शब्दों में 'अब वर वो वेवल राज्य' के लिए मुद्रा उपलब्ध बरने वाले यत्र वे स्पष्ट में नहीं देला जा सकता, अब तो स्थायित्व और प्रगति को प्रोत्साहित बरने के लिए ये सरकार के ग्रधीन एक महत्वपूर्ण यत्र है।²

ठीक ऐसे ही सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य देश में वेवल शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही नहीं प्रमितु अर्थव्यवस्था में उत्पन्न व्यापार चबों को आय में परिवर्तित वरके उन्हें रोकना भी है। यदि कोई राज्य सबल्पबद्ध हो सो वह सार्वजनिक आय द्वारा व्यावसायिक उत्तर-चढ़ाओं को रोक सकता है। सार्वजनिक आय एक ऐसा यत्र है जिसकी सहायता से एक प्रगतिशील समाज, धन के वितरण की विषमता को दूर कर सकता है। यदि सार्वजनिक आय का उद्देश्य देश में पूर्ण व्यवसाय की स्थिति को उत्पन्न करना है तो सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य व्यापार चबों के दुष्परिणामों को रोकना है। ऐसे ही

1 A P Lerner 'An Integrated Full Employment Policy,' Quarterly Review of the American Labour Conference on International Affairs, January 1946, p 70.

2 Raja J Chelliah 'Fiscal Policy in Under developed Countries', (1960), p 46

नार्वजनिक कृष्ण वा उद्देश्य देश में आधिक विवास बरना है। जब तब ऐसा होता रहे तब तब सार्वजनिक आद्य, व्यय तथा अूँच चिता का विप्रव नहीं होते हैं।

विवात वित वी पारा तिम्हे दो निम्हों पर आधारित है

(क) सरकार वायह उत्तरदायित्व है वि वह देश में बन्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय विए जाने वाने कुन व्यय वी दर ऐसो दताए जो उस दर के कम हो न प्रधित। जिन चालू मूल्यों पर वे समस्त बन्तुए तथा निम्हाए कृष्ण वी जानके उनका उत्पादन समव है।

इस सिद्धात के विरद्ध यह आरोप लगाया जाता है वि सरकार चाहत पर नी व्यय वी दर को नियन्त्रित नहीं कर सकती क्योंकि चलन-देश का नियंत्रण उन्हीं परिषि के बाहर होता है।

(ख) सरकार दो मुद्रा उन समय ही उपार लेनी चाहिए जब वह यह जाहे वि उनका के पास मुद्रा वा परिमाण बम हो जाए और सरकारी कृष्णमूल्यों की अधिकता द्वारा मुद्रा प्रत्यार वी भनीरता रम हो जाए। परतु इस निम्हन को अवहार में जाने में यह बठिनाई उपन्यित होती है वि यह कौन और दैसे निर्धारित करेगा वि उनका के पास कितनी मुद्रा तथा वितने यसकारी कृष्ण-व्यय रहने चाहिए।

यही नहीं, क्रियागत वित के हपर और अनेक स्थानों में आकला विए गए हैं। क्रियागत वित का यह नवीन विचार जमेन के राजनीतिज्ञों से लो नेन जाना है जो राज्य को एक स्वामी के हप में मानते हैं परतु अमरीकी विचारधारा से नेन नहीं जाना जो राज्य को एक ऐसी सम्पा के हप में त्वीकार करते हैं कियहा वार्य नियन्त्रित उनकोका प्रदान करना है। कृष्ण इस राज्यवीदीय सिद्धात वी कुजी है इन्हिए क्रियागत वित के समर्थन यह चाहते हैं वि यदि हमें आधिक गतिविधियों का नियमन इनका है तो बाजार का प्रतिस्थापन सार्वजनिक कृष्ण से कर देना चाहिए। क्रियागत वित वी यह धारणा इस तरह पर न्यायोचित प्रतीत होती है वि निजी साहकी उत्पादन दो समव बना उत्तरे हैं परतु माल वो नहीं। परतु राज्य माल वो नियन्त्रित कर सकता है। इस प्रबार टदोम-परियों का वार्य उत्पादन बरना और सरकार वा बार्य उत्पादन वो क्य बरने के निए सुनुलित क्य-क्यित वा निर्माण करना है। अतिन साध्यपूर्व रोजार वी प्राप्ति ही होती है। क्रियागत वित सिद्धात के प्रदर्शन रायोरप, नार्वजनिक कृष्ण तथा व्यय वी नीतियों द्वारा यह प्रयास निया जाता है वि मैट्रिक आप वी अपेक्षा वीटिका वी नोट छाप कर पूरा किया जाए। इस सिद्धात वी यह मान्यता है कि वैदेहों से निए गए कृष्ण तथा नोट निर्गमन मुद्रा प्रभार वी दशा दो उन्हें नहीं कर सकते। इन विचार के समर्थन यह मानते हैं वि अत्यधिक मुद्रा वो उद्दारा घटाया जाँ उड़ा है। परतु इस सिद्धात को व्यवहार में लाते समव यह बठिनाई उपस्थित होती है वि अर्थव्यवस्था में भरी जाने वाली यह रकूरि मुद्रा ने जलन देने वे द्वारा प्रभावहेन ही सकती है क्योंकि राज्य चला देग वो सरनका से नियन्त्रित नहीं कर सकता।

(4) उत्प्रेरक कर

हार के कुछ दपो से 'उत्प्रेरक कर' को कानी प्रोलाटन दिया जा रहा है। उ

के इस दृष्टिकोण के प्रत्यंगत व्यापारिक उद्यमों से प्राप्त आय को अपेक्षाकृत आदर दिया जाता है तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार पुरस्कार सपा दड़ भी दिए जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रस्तावित उद्देश्य प्राप्त हो पाते हैं अन्य नहीं। ऐसा बयो होता है उसके निम्न कारण हैं-

(क) अर्थव्यवस्था में ऐसे सामान्य अवसर उपलब्ध होने चाहिए जो साहसियों में लगन तथा उत्प्रेरणा बनाए रखें। यदि एक सतोषजनक कर प्रणाली में ऐसा नहीं होता तो उसके वास्तविक कारणों की जाव की जानी चाहिए तथा उसका उचित उपचार करना चाहिए जैसे सतुलित भर्तराप्दीय व्यापार की तुन स्थापना, स्वदेश तथा विश्व की परिस्थितियों के अनुसार कृषि का समायोजन, थमिक तथा पूजोपतियों में सामान्य सबध की स्थापना, उपभोग तथा उत्पादन क्षमता में प्रभावपूर्ण सतुलन बनाए रखना तथा उद्योग और सरकार में उचित महयोग बनाए रखना इत्यादि।

(ख) उद्योग में दानशीलता तथा दडो का चुनाव यदि राजनीतिक आधार पर किया गया हो तो वह दूषित साबित होता है और अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता में बाधाए उत्पन्न करता है।

(ग) यह सदैहात्मक है कि अविश्वस्तता के करारोपण द्वारा विश्वास को बढ़ाया जा सकता है।

(घ) कुछ उद्योगों को उपदान अन्य उद्योगों की लागत के आधार पर भी दिया जा सकता है जो अन्यायपूर्ण साबित होगा और उत्प्रेरणा को आधार पहुँचाएगा।

करारोपण परिनियम

धार्ज के युग में करारोपण क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक हो गया है। अत इसको व्यवहार में लाने के लिए कुछ सामान्य परिनियमों की रचना की गई है। यहा हमें करारोपण परिनियमों (Canons of Taxation) तथा वरारोपण के सिद्धातों (Principles of Taxation) में घटर समझ लेना चाहिए।

करारोपण के परिनियमों से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो एक घट्टे कर में निहित होनी चाहिए। ये वे मिद्दात नहीं हैं जिनके आधार पर करों को वितरित किया जाता है, भण्टु एक घट्टे कर के गुण हैं। करारोपण परिनियम का सबध कर लगाने को रीति एव सकलन से है। ये ही करों की दरों तथा राशियों का निर्देशन करते हैं। दूसरी ओर करों के सिद्धात करों के भार का विभिन्न व्यक्तियों प्रीत तमूह में वितरण को निर्धारित करते हैं। इनका सबध किसी कर के निजी गुणों से नहीं परन्तु सपूर्ण कर प्रणाली से होता है।

कभी-कभी करारोपण के सिद्धातों तथा एक घट्टी कर प्रणाली की विशेषताओं में भी भ्रम पैदा हो जाता है। एक घट्टी करन्पदति की विशेषताओं के घटरंगत उन विचारों का भ्रष्टयन होता है जिन्हे सरकारी भ्रष्टिकारियों को करों वा उचित संगठन करते समय व्याप में रखना पड़ता है। सरकारी भ्रष्टिकारी प्रत्यक्ष भ्रष्टवा परोक्ष कर,

एवं वीथि वा बहुकर प्रणाली, प्रगतिशील अथवा मनानुपातिक वर्तों के भवनीकरण द्वा॒रा अच्छी तर प्रणाली की विदेषता में मात्र है। इस प्रवार के रागोऽपि के निदात चिनी कर के व्यक्तिगत वहे जा सकते हैं, जबकि जिनी अच्छी प्रणाली नी विदेषताएँ, जूँ वर प्रणाली के गुण होते हैं।

एडम स्मिथ के करारोपण के परिनियम

एडम स्मिथ ने पहले लेख है जिन्होंने अपनी पुस्तक 'वैल्य आक नेट्वर्क' में करापान वे परिनियमों के नवय में सामान्य रूप के विवार प्रकट किए। वे परिनियम भवित्वित हैं-

(1) समता, न्याय अथवा समानता परिनियम : अपने इस निदात की व्यास्था करते हुए एडम स्मिथ ने यहा है 'प्रत्येक गवर्नर की प्रका जो उत्तरार के पारन-पोरा हेतु यथासभव समानुसार अद्यदान करना चाहिए, अर्थात् उस आप के अनु-पात में जिसका असनद राज्य की नरसत्रा में प्रत्यक्ष करते हैं।' अनेक अर्थशास्त्रियों में इन सुवध में एकमत नहीं है कि एडम स्मिथ की 'समानता' से तात्पर्य यानुपातिक वरारोपण से दा या प्रगतिशील वरारोपण से। याकर तथा कुछ अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मतानुसार 'समानता' का अर्थ आनुपातिक वरारोपण से है जबकि ऐतिहासिक तथा बोहन आदि अर्थशास्त्रियों के मतानुसार 'समानता' का अर्थ प्रगतिशील वरारोपण से है। फिल्डले शिराज ने इस विवाद की नमाप्त करते हुए यहा है कि 'वित्तीय सारणा के इतिहास में भिन्न-भिन्न बाल में 'समानता' का अर्थ परिवर्तित होता रहा है, परन्तु अब इन तात्त्वों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्वीकृत निदात करदान अमता का है। कच पूछा जाए तो समानता के निदात वा अनिप्राप्य वही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामन्य के मतानुसार तथ्य को अद्यदान करना चाहिए।' तथ्य एडम स्मिथ ने इस मत की पुष्टि इन शब्दों में की है, 'यह अत्यधिक उत्तित है कि धनियों को नार्वंजनिक व्यव हेतु केवल अपनी धाय के अनुपात में ही अद्यदान नहीं करना चाहिए बरन् उस अनुपात से कुछ अधिक करना चाहिए।'

(2) सुविधा परिनियम : एडम स्मिथ के अनुसार, 'प्रत्येक वर ऐसे समय और ऐसी नीति से बहुत किया जाना चाहिए जिससे उसकी अदा करना करदान के लिए सबसे अधिक मुविधाजनक हो।' उदाहरण दे निए भूमि अथवा जनानों पर लगाया जाए तर हस समय बहुत किया जाए जबकि भूमि या जनान नारिक को किया जाना जाता है। इससे करदान को वर देने में बहुत सुविधा रहती है। इसी प्रकार दिग्गी वर की बहुती बस्तु के दिपलन के समय वरने से करदाना को सुविधा रहती है। अतरेष वर इतने सुविधाजनक होते हैं कि अगर वोई व्यक्ति वर्तों की भूमितान की तुलना में बहुतों की दीनत देने में अधिक भूमिदान महसूस करता है तो वह उसकी अपनी गती है। उपरोक्त बहुतों, जैसे दिलासिता तथा देश की बस्तुओं पर कर बहुत सुविधापूर्ण होते हैं क्योंकि उपरोक्त शब्दों की विनहे जिस रूप में कर देना पड़ता है वह बहुत सुविधाजनक होता है। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे बहुत द्वरीदान है वैसे-वैसे वह धोड़ा-धोड़ा वर

अदा करता रहता है क्योंकि वस्तुओं को खरीदना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।

(3) निश्चितता परिनियम स्मिथ वे अनुमार प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है, निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान की विधि, भुगतान की राशि आदि करदाता तथा राज्य दोनों को स्पष्ट होनी चाहिए। वस्तुत निश्चितता करदाता तथा राज्य दोनों की वट्ठि में ही लाभप्रद होती है क्योंकि एक और तो व्यक्ति अपनी अप्य तथा व्यय म हेरफेर कर सकता है चूंकि उसे यह जात होता है कि क्व और जितना भुगतान कर वे हृष में करना है तथा दूसरी ओर राज्य अपने बजट सबधी अनुमान निश्चिततापूर्वक लगा सकता है क्योंकि उसे यह भी जात होता है कि क्व और जितनी राशि कर वे हृष में प्राप्त होगी। इस मिद्दात के अनुमार करदाता का शोपण नहीं होता। एडम स्मिथ वे अनुसार, 'कर के मामले में इसी व्यक्ति को जो रकम अदा करनी है उसकी निश्चितता इतने महत्व भी वात है कि समस्त देशों के अनुभव के आधार पर मेरा विचार है कि काफी बड़ी मात्रा वी असमानता भी इतनी भयानक नहीं होती जितनी कि बड़ी मात्रा की अनिश्चितता।'

वरारोपण के इस सिद्धात को हैडले ने भी स्वीकार किया है। वास्तव में कर की निश्चितता करदाता और राज्य दोनों ही के लिए लाभप्रद होती है, करदाता अपने बजट के बारे में निश्चित रहता है और उसका कर भुगतान खर्च कम होता जाता है। प्राय कहा भी जाता है कि पुराना कर कर नहीं होता। इसका आशय यही है कि पुराने कर वो देने से अम्बस्त और निश्चित स्थिति का पूर्व ज्ञान होने से उसका भार अधिक मात्रा मही पड़ता। कर की निश्चितता से राज्य भी अपने बजट के बारे में निश्चित रहता है और उसका कर एकत्र करने का चर्च भी कम होता जाता है। इन सब वातों से आधिक कल्याण बढ़ता जाता है।

(4) मितव्ययिता परिनियम : इस परिनियम के अनुमार कर बसून करने का खर्च न्यूनतम होना चाहिए। यदि कर बसून करने में अधिक खर्च होगा तो राज्य वो इतनी आप प्राप्त नहीं होगी जितना कि व्यक्तियों पर उस कर का भार पड़ेगा। वरारोपण एक प्रकार का उत्पादन है, इसमें जितनी मितव्ययिता में कार्य निया जाएगा उतना ही ज्यादा लाभ राज्य और करदाताओं को प्राप्त होगा। एडम स्मिथ के शब्दों में, 'प्रत्येक कर इस प्रकार लगाना और बसून किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा सरकारी कोप में जितना द्रव्य आए उसमें अधिक मात्रा में द्रव्य जनता की जेव से न निराला जाये।'

इस प्रकार मितव्ययिता का यह अर्थ होगा कि कर बसूली में कम से कम खर्च होना चाहिए और इससे समाज के उत्पादन तथा मनुष्यों के धन व उनकी वचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कर के इन्हाँ करने में

भावधानी इतनिए आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे सरप्रित जनेव प्रगति के अपन्नप
होने हैं :

(1) बमी-बमी कर का मार करदाताओं को झयर बोल कर जाना है और
उसके लिए चरदाताओं को बिनेपक्ष रखने पड़ते हैं।

(2) अधिक बर्मेचारियों को नियुक्ति में समर्पित उर से प्राप्त आप उनकी
जेबों में चढ़ी जाती है।

अन्य परिनियम

एटम मिथ के पश्चात हुए अंगमित्रों न बगारेपण परिनियम के द्वारा
मिदात भी प्रभ्युत लिए जिनका उत्तेज नीचे विदा गया है।

(1) लोच परिनियम बैन्डेविल न लोच परिनियम को बाढ़ी महस्त्र प्रदान
विदा है। उसने इन मिदात की अनिवार्यता पर दिशेप दउ देने हुए बताया है कि
चरारेपण का नियम इन प्रकार होना चाहिए कि उसे आवन्दन तरनुसार बटाया-
दटाया जा सके। लोच की घनुन्मिति भी सुरक्षाको भवितव्यानीन मिति में पर्याप्ती
होगी। सुरक्षानीन मिति के लिए, विवास चायों के लिए, खाटे के प्रदूष के लिए
तथा दिन-प्रतिदिन सरकारी व्यव दो पूर्ति के लिए उन्हें में लोच का गृह आवन्दन
है। इस इटिं से अध्य उर को नार्वेजिक आय उर गृह सहन्वपूर्ण भाष्टन करना चाहा
है जोकि इसने पर्याप्त लोच होती है। आप उर की तुकना में नृपनि तथा दम्भुओं
पर लगाए जाने वाले उर इनसे लोचपूर्ण नहीं होते।

(2) सरतका परिनियम मिथ के मठगुलार, 'प्रेषेव कर में सुन्दर तदा
ऐसो नीति से उधाया जाना चाहिए जिसमें कि उन्होंने बदा बरना बन्दाता के लिए
सरके अधिक सुविधाजनक हो।' उदाहरण के लिए भूमि लघदरा जडानों के लिए
पर लगाया गया उर यदि उस सन्दर बहुत किया जाय जिस उन्दर विगुदेवार विचरन
भूमि या भवान के भावित का चूकाना है, तो बरदाता को इसके लघदरने में
गुरुद्वय लेगी। याथ ही उर प्रणाली के अन्दर इन प्रकार के उर लगाए जाएं जिसमें
उद्देश्य और प्रभाव को जानकरती भरदाता में ही सके, उर गृजत्र बरने के बोट
चठिनाई न हो तथा बरदाता को प्रणालिक एवं हिमाद-वित्ताव नवधो लियी प्रणार
को चठिनाई का सामना न बरना पड़े। उर प्रणाली के उटिल होने पर लोग नदेव
मठार में असनुष्ट रहें।

घनुन्मिति यह है कि जामुनिश बरदातों को दिन-प्रतिदिन दम्भी हूंड
दिसीय आवन्दन तात्रों ने तथा बरामद व्यायामों और व्यायामपूर्ण दरनावे जी
यारा ने आड़चन व्यो उर प्रणालितों को पर्याप्त उरननपूर्ण बना दिया है।

(3) समन्वय परिनियम उर प्रणाली में समन्वय होना चाहिए। जामुनेम
इन प्रकार उर जीना चाहिए कि विनिल जगे के गृजत्र वाले में जीसाऊं उर
उल्लंघन न हो। एवं उर अदिशायी दूतरों के अधिनायें जी सीमा ने प्रदेश न उन्हें

और उनमें वापर में मनुषित सामग्री स्थापित हो जाए। एक सोनतव्र में केन्द्र, राज्य और प्राची तथा स्थानीय सम्बन्धों द्वारा विभिन्न कर लगाए जाते हैं, जबकि बरदाना वही होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इनमें बरों के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जाए। विरोधी बरा के दोपा को पारस्परिक समन्वय द्वारा ही दूर किया जा सकता है। ऐसा बरने से एक बर द्वारा बर के निए पूरक का काय बर सकता है।

(4) उत्पादिता परिनियम वैस्टिल ने बरारोपण के परिनियमों में उत्पादिता परिनियम को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनमें अनुसार उत्पादिता से अभिप्राय यह है कि बर्तमान में राज्य को बर में पर्याप्त आय प्राप्त हो तथा इस आय का प्रबाहु भविष्य में भी अनवरत रहे। इसलिए अनक छोटे-छोटे बरों की तुलना में एक बड़े उत्पादक बर को अधिक प्रधानता दी जाती है। उत्पादिता का विस्तृत अवय यह भी लगाया जाता है कि बर का भार बरदानों की उत्पादन गति बोन पट्टन करे तथा उनकी आय उपरोग व बचत करने की गति व इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव न ढाने। यदि बर प्रणाली में इस परिनियम का ममावेश होना है तो नागरिकों के रहन-भग्न का स्तर ऊचा होता है तथा उत्पादन का दोनों भी विस्तृत होता है।

(5) विविधता परिनियम विविधता अवयवा अनकता के परिनियम पर बल दिया है। बर पद्धति में एक बर नहीं बक्कि विविध बर होने चाहिए ताकि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग मरकार को धन प्राप्त करा बर अपने उत्तरदायित्व का उचित भार बहन बर सके। बरों का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश का कोई अवक्तु अपने को कर देन सक बचा न पाए।

परन्तु हम यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यन बरा की बमूली अधिक खर्चीली हो जाती है। इसलिए बरों की अधिक अनकता को उचित नहीं ढहराया जा सकता। इस प्रकार की विविधता का प्रयोग एक निश्चिन मीमा के अंदर ही बरना चाहिए।

(6) वाद्यनोपता परिनियम यह परिनियम इस ओर मंजूर बरता है कि बर पर्याप्त साथ-पिचार के पश्चात तगाया जायें जिसस प्रयोग बर के पीछे कोई न बोई आधार रहे और उनकी अनिवार्यता प्ररक्षण की जा सके। बरदाता में यह विश्वास जापन हो जिस पर लगाया गया बर उचित है। आज के प्रजातन्त्रीय युग में बरदाता स्वामी है जो प्रत्येक बर के मध्य में यह जानने के इच्छुक होने हैं कि वह बर जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया गया है अथवा वह बर उचित है। यदि उनकी मनुषित हो जाती है तो टीक है अर्थात् व प्रयोग बालिन बर का भर-पूर विरोध बरते हैं। अनुषित बरा का जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(7) एकस्पता परिनियम निट्टी और बानाई न पाए और परिनियम का प्रतिपादन किया है जिसका अर्थ है कि एक अच्छी बर प्रणाली में जिन भी बर-

हों उन मधी में एवं सप्तता होनी चाहिए जर्सी नमी जरों के लगाने की विधि नमा उनकी दरों के निष्ठारण के उद्देश्य में नमानता हो। एवं सप्तता के बर प्रणाली में सरलता आ जाती है तभा हिनाव-सिताव री अधिक जटिलताएँ नमान हो जाती हैं।

(8) कोमलता तथा पर्याप्तता परिनियम प्रो० किंतु इन्हाज न कोमलता तथा पर्याप्तता के परिनियमों का उल्लेख किया है। कामना का आज्ञय यह है कि बर प्रणाली ऐसी होकी चाहिए कि किना किंवा उद्यक्त-पृथक् के नम बर नमान और मध्ये और पुरानों की हटाया जा सके। इन स्पष्टि में कोमलता और लोच में ओर विशेष सेव नहीं मनमान गया है। पर्याप्तता का अभिप्राय यह है कि कर व्यवस्था में सुखार को लावण्यकरनुमार आप प्राप्त हो सके। आप पर्याप्त हैं या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य जो लावण्यकरनाएँ कितनी हैं? गृह्य के निरतर दर्त्ते हुए वारों के नारण मह लावण्यकर नहीं हैं कि जो आप इन वर्ष दर्शक हों वह वर्गे भी पर्याप्त नह। 'पर्याप्तता' गृह नामिक घब्द है। इस तक परिस्थितियों का उल्लेख न किया जाए तब तब वह मुख महस्तहीन है।

सार्वजनिक रूप में यह अच्छी बर प्रणाली में उपरोक्त नमी परिनियमों का नमावेश होना चाहिए, परतु व्यवहार में यह नमम नहीं है। मुद्रज ने टीक ही लगा है, 'न ही ओर बर पूर्णरूप से अच्छा है और न ही ओर दूर्घट्टन से अच्छा है।' बन्नुत इन्हीं कर प्रणाली को अच्छा या बुरा लहराने के लिए वरों पर पृष्ठक-पृथक् द्वारा न देवर न पूर्ण प्रणाली पर ध्यान दिया जाना अनित्यत है। इस विचार का श्रीमती हिक्म ने निम्न शब्दों में उल्लेख किया है, 'प्रत्येक कर को पृष्ठक-पृथक् न लेवर न पूर्ण बर प्रणाली और लेना चाहिए तथा लाटित विवरण व्यवस्था की न्यायना एवं ऐसी क्षतिपूरक बर सत्त्वना द्वारा बरनी चाहिए जिसमें गृह बर के दोष दूसरे जर्सों में दूर हों जाए। वेदन उन्होंने वरों के चयन का अदलन बरता जिनके बर नवद्वयों मिलातों का परिपालन हो सके, व्यर्थ है। वरोंकि ऐसे बर यथार्थ में हैं ही नहीं।' इस्टन के विचारनुमार भी, 'सोकविन वी विमी भी प्रणाली यह नमूने रूप में विचार बरने के बाद ही उसके मुर्गों या अद्युपों के बारे में ओर अनिम फैलना किया जा सकता है। इसी प्रकार विमी बर प्रणाली पर भी समूचे रूप में ही विचार किया जाना चाहिए क्योंकि विधिन बर अपने कुछ प्रभावों द्वारा एवं नूनरे को नुपार और सतुलित बर सकते हैं।'

एक अच्छी कर पद्धति की विशेषताएँ

आगुनिक लेखकों ने एक अच्छी बर पद्धति की आवश्यकता जनूनव जी है। परन्तु विमी ऐसी पद्धति की आगा बरना जो सभी दीदों में मुख हो, विट्ठि है। अदिद विचारण एडमड बर्के ने इस नवदर्भ में विद्या है कि बर नमान और लोगों की प्रसन्नत बरना उसी प्रकार विट्ठि है जिस प्रकार प्रेम बरना और 'सुखियाल होना'।

दास्ताव म हम उम कर प्रणाली को अच्छा कहेंगे जो करारोपण के विभिन्न उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता हो सके। ऐसी कर पद्धति की निम्न गुणों के आधार पर व्याख्या भी जाती है।

(1) करारोपण के मिदान का अवलोकन

एक अच्छी कर पद्धति अथवा एक आदर्श कर मरमता वह हो सकती है जिसमें करारोपण के विभिन्न मिदानों का अवलोकन निया गया हो अर्थात् उसमें निम्ननियित विशेषताएँ पाई जाती हों।

1 कर पद्धति न्यायशील हो। वह न्यायशील उस समय वही जाएगी जब समान अधिक स्थिति बातों में करारोपण के उद्देश्य में समान व्यवहार निया जाए।¹

2 करदाना तथा सरकार के दृष्टिकोण से प्रणाली में निश्चितता, सरलता तथा मितव्यविता पाई जाती हो।

3 कर पद्धति लोचदार तथा व्यवहारिक हो।

4 कर प्रणाली उत्पादक हो। उसमें वर्तमान तथा भावी आय के स्रोत प्रभावित हो सकें।

5 प्रत्येक कर का अधिक ढांचे में एक निश्चित तथा उचित स्थान हो।

6 कर पद्धति का आधार दर्थासभव विग्रह हो।

7 कर प्रणाली जनना को मान्य हो।

(2) त्याग की समानता

इम विषय के नियम के अंतर्गत 'समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।' इन सभी व्यक्तियों पर करों का भार समान मात्रा में डालना चाहिए जोकि समान परिस्थितियों में रहते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एक सार्वेतिर व्यवहार निया जाना चाहिए जो उचित वहा जा सके। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति अरेकारूप अधिक अच्छी स्थिति में हैं उनमें अधिक वर लिया जाए और जो व्यक्ति निधन हैं उन पर कर का भार हल्का रखा जाए और अधिक निधनों को कर मुक्त रखा जाए। इम दृष्टि से आनुपातिर कर को अच्छा न मान कर प्रणाली अथवा आरोही कर को उचित माना जाता है। प्रगतिशील कर से एक ओर तो गरमार को अधिक आय प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर धन के वितरण की विधमताओं में कमी आती है।

(3) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर में समन्वय

प्राप्त प्रत्यक्ष कर वा भार इनी वर्ग पर और परोक्ष करों वा भार निधन वर्ग पर पड़ता है। इनमें भी यदि किसी एक को प्रधानता दी जाय तो कर पद्धति न्यायगत नहीं वही जा सकती। अत गमता लाने के लिए यह आवश्यक है।

1. Dalton, 'Public Finance,' p. 87.

प्रत्यक्ष तथा परोक्ष वरों में उचित समन्वय हो और ये दोनों प्रवार के ही कर लगाए जाए ताकि नमाज के विभिन्न बगों पर कर-भार नमान पड़े। हा, यह अवश्य हो सकता है कि प्रत्यक्ष वरों की मन्त्रा अद्यता मात्रा परोक्ष कर की अपेक्षा जटिल रसी जा सकती है जिससे कि नमाज के धनी वर्ग पर अधिक भार पड़े।

(4) बहु-वर प्रणाली

आष्टुनित्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक विवाह के साथ-साथ मरवार के कार्यों में दृढ़ि होती जा रही है। विवाहवादी नेवल एवं ही उपादन एवं पर कर देने थे। परन्तु आज यह विचार मिल्या है। आष्टुनित्र विचारधारा यह है कि एवं अक्ति नमाज को नरवार की आवश्यकताओं के लिए जितना उपदान कर नहीं सकते उतना अवश्य बमूल किया जाए। इनलिए आष्टुनित्र हस्तिकाम ने बहु-वर प्रणाली का समर्थन किया जाता है। इसनिए वर प्रणाली में विभिन्न बगों जो इस प्रकार गठित करना चाहिए कि उनके बीच जादर्श समन्वय बना रहे तथा उप्रिक्त आप भी प्राप्त हो जाए।

(5) सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक

प्रो० डाटन ने स्पष्ट किया है कि 'करायेपा की सर्वोत्तम प्रणाली चहो है।' जिससे अधिकतम लाभ मिलें, अद्यता कुरा आदिक प्रभाव उभ ने उभ हो।' वर पढ़ति को इस मिलावत के जनुरूप होना चाहिए। यद्य परदाता वर का मुदाने करता है तो उसे अपना उपभोग लाट वर त्याग करना पड़ता है। इससिए बहु-देवता होता है कि वर के रूप में ऐसी आप प्राप्त नहीं नहीं ने त्याग जी मात्रा का उपयोगिता का विनाश अधिक होता है या उभ। दूसरे, मरकार जद नावंडनित्र व्यव के रूप में नाभ प्रदान करनी तो अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी या उभ, उभ का उत्तर बनेक वारों पर निर्भर करता है। यदि उपभोक्ता इस आप में हानिकारक बम्भुओं का उपभोग करता है तो ऐसी आप को वर के रूप में प्राप्त वर्त्ते, उनहित में व्यव उत्तरा सुर्योदा उचित होता। दूसरी ओर यह भी ध्यान देना होगा कि कर्म-रोपण से उत्तरादन पर प्रतिकृत प्रनाव न पड़े। उत्तरादन घटाने वाले वर अच्छे नहीं माने जाते। इस आधार पर वर प्रणाली हो सामाजिक रस्तिकोण के लाभदायक होना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि न्यूनतम राय तथा अधिकतम सामाजिक रस्ता प्रदान करना एवं वर का कार्य नहीं हो सकता। यह कार्य तो सूर्य कर पढ़ति द्वारा नपन्न होता है और एवं अच्छी वर अवस्था में सेक्स बगों को बहुतना होनी चाहिए जो उत्तरादन तथा दिनरात्रि पर अनुकूल प्रभाव होने।

(6) अर्थव्यवस्था की चदनतों हुई आवश्यकताओं के अनुकूल होना

एवं श्रेष्ठ वर प्रणाली को उत्तरा इस प्रवार की जनी काहिए कि वह अर्थ-व्यवस्था की लुछ मूलभूत तथा बदलती हुई आवश्यकताओं अद्यता उदयों जो पूर्ति वर सुके। तीनरे इश्वर की मद्दी के बाद वर प्रणाली की उत्तरा की एवं नई दिना जी रहे।

आर्थिक उतार-चढ़ावा पर नियन्त्रण पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, चिरकालीन गतिहीनता की प्रवृत्तियों को रोकना तथा युद्धकाल म मुद्रा-स्फीति पर अनुशंशा लगाना सरकार की नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। जिनके अनुरूप वर प्रणाली ढालने की आवश्यकता होती है।

(7) संसाधनों का अनुकूलतम आवटन

एक आदर्श वर प्रणाली कही कही जा सकती है जो सोतों के अधिकृतम उपयोग म बाधन सिद्ध न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आर्थिक विश्लेषण से वर प्रणाली उदासीन रहे अर्थात् जब मूल्य यत्र का विवाचनव्यवहार विभिन्न वस्तुओं के अनुकूलतम उत्पादन उपभोक्ता तथा साधन स्वामियों के चयन की प्रायमिकताओं म अवरोध उत्पन्न न करे। यदि स्वतंत्र मूल्य-यत्र अर्थव्यवस्था को इस प्रवार सचालित करने मे असमर्थता प्रदट बरता है तब वहां विशिष्ट वरों की मेवा सेवर सोतों को अनुकूलतम उत्पादन की ओर गतिमान किया जा सकता है। मिथित अर्थव्यवस्था मे वर प्रणाली गूर्ज दर्शक नहीं रह सकती क्याहि वहां आर्थिक विवास म सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इमलिए ऐसे वरों को ही वर प्रणाली के तत्त्व के रूप म स्वीकार बरता चाहिए जो सोनों के अनुकूलतम उपयोगों को प्रोत्साहित कर सके।

करारीपण में न्याय

की समस्या

करारीपण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में प्रत्येक व्यक्ति के शल्याण को तथा प्रत्येक व्यावसायिक मण्डन की नाम की स्थिति को प्रभावित करती है। अर्थशास्त्र के विद्वानों ने इसे कर का द्रव्य भार तथा कर का बास्तविक भार कह कर पुकारा है। कर दिस आधार पर और वित्तना लिया जाना चाहिए, समाज में इस व्यक्ति से वर के और इस से न के, इन सब बानों पर मरकार को न्याय की दृष्टि रखनी चाहिए। यदि कर का वितरण उचित नहीं होगा तो समाज का त्याग आवश्यकता से अधिक होगा। यही नहीं, नुचार रूप में वितरण न होने पर समाज में कलह तथा विद्रोह की भावना का जन्म होगा। इसमें मम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के अस्त-न्यस्त हो जाने का भी भय रहता है। श्रीमती हिक्स के मतानुगार, 'गलत ढग से सगड़िन और वितरित 'करप्रणाली' ही रोमन याप्राज्य के पतन का कारण थी। इसी प्रकार कासीसी भाति का मुच्छ कारण भी दोपपूर्ण कर प्रणाली थी जिसमें निर्धन वर्ग पर धनित। व पादरियों की अपक्षा कर भार अधिक था।' अत खट्ट है वि अर्थित, गजनीतिक एव सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से कर का भार न्यायपूर्ण भार हो। कर के न्यायपूर्ण वितरण की दृष्टि से अर्थशास्त्रिया ने समय-समय पर अनेक गिरावतों वा उत्तेजन किया है।

वित्तीय सिद्धांत

इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय फासीसी अर्थशास्त्री कालबट्टे को है। उनका कहना था, 'वत्त्व वो इस प्रकार नोचो वि वह कम से कम विरोध के माय चिल्लाए।' इस सिद्धान्त के अनुभार कर इस प्रकार जगता चाहिए नि राज्य को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो जाए तथा जनता कम से कम विरोध कर। इस सिद्धान्त का मद्दत स्पष्टत 'कर' के न्यायपूर्ण वितरण में नहीं है वरितु राज्य के हारा अधिक से अधिक आय प्राप्त करने से है।

व्याप्तिहारिक जगत में कर प्रणाली को इस मिद्दात पर आधारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मूलभूत भार जनता के उत्तर भाग को सहन करना पड़ेगा जिसमें विशेष रूप की मामूल्य नहीं है। ऐसिन शामन में भले ही कर प्रणाली को इस मिद्दात पर आधारित किया जा सके, परन्तु प्रबालवीय शामन व्यवस्था में यह कर मी नहीं हो सकता कि निधन और अमर्हात्र व्यक्तिगत पर कर का अधिकार भार डाला जाए। विशेषर आमुनिन कान में जहाँ प्रन्येश देख की सरवार बत्याणियारी राज्य की स्थापना का स्वर्ण दद्य रही है। यह इस मिद्दात की लेशमाद्री भी महत्त्व नहीं दे सकती क्योंकि इस पर आधारित कर प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होने के स्थान पर हास ही होता है। इसलिए करारोपण का वित्तीय मिद्दात अव्याप्तिहारिक तथा बानातीत हो चुका है।

लाभ का सिद्धात

18वीं शताब्दी के मध्य तम, वराधान का हितानुमार मिद्दात राज्य के इस अनुप्रध मिद्दात का एक पूरक था जिसे उस समय के राजनीतिक विचारकों ने मामान्य रूप से स्वीकार किया था जिनमें हुज़, लाव, हमी तथा त्यूम मिचारनों के नेतृयों में अनुप्रध ही संगठित भमाज का आधार था।

एडम लिम्ब ने लगभग 100 वर्ष पूर्व सर विलियम पेटी ने कहा था, 'यह दान मामान्यता सभी मनुष्यों द्वारा स्वीकार की जाती है कि मनुष्य यों गरमारी व्यव में अपना योगदान देना चाहिए, परन्तु यह योगदान मार्वनिन शानि में उनके भाग नहीं दिये जाना चाहिए।'

जहाँ इस एडम लिम्ब का ममर्यन ग्राल था, वहाँ आमुनिन रूप में निव्वहण ने इसे ऐच्छिक विनियम गिद्दात के रूप में प्रतिपादित किया है। इस मिद्दात के अन्यंत निजी शोक्त के नियम को गरमारी धोक में कर निर्धारण के तिए लागू किया गया है।

इस मिद्दात के अनुमार कर की दर उस लाभ के अनुपान में होनी चाहिए जो कि प्रथम करदानों को गरमार की छत्रधारा में प्राप्त होता है अर्थात् जो मनुष्य जिनका अधिक लाभ सरकारी क्रियायों में प्राप्त करेगा उसको उनका अधिक कर देना पड़ेगा। जान स्ट्रुअट लिल ने यहा॒ है, 'लाभ मिद्दात' के अतर्गत सरकार एवं करदान का सर्वप्रयुक्ति कर हूँ में होता है।'

इस मिद्दात के प्रतिपादितों का कहना है कि इस आधार पर वरों का मुख्यालय पूर्व विभाजन किया जा सकता है तथा इसका प्रेरणाहारी प्रभाव नहीं पड़ता।

गुण

इस मिद्दात में निम्न गुण पाए जाते हैं

...यायोचित इस मिद्दात का गूरा गुण यह मान्यता है कि सरकारी ...

तथा इसमें यह अधिक उपयोगी मिठ होता है। स्वानीय समस्याएं विजली तथा जल की आपूर्ति पर इसी सिद्धात के अनुसार कर लगाती है। पेट्रोल पर लगा कर भी इसी सीमा तक इसी सिद्धात पर आधारित है, क्योंकि यह कर केवल मोटर वे मालिकों से ही प्राप्त किया जाता है जो सड़क से लाभ उठाते हैं। व्यूहनर के शब्द में यह निष्पर्ण निकाला जा सकता है कि लाभ का सिद्धात बरों के निर्धारण के सबध में चाहे कितना ही अमतोपजनक प्रमाण हो, करारोपण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।¹

कराधान का सामर्थ्य सिद्धात

'कानून वे आगे सद्वको बराबर समझना चाहिए' की उक्ति को कराधान के करदेय योग्यता सिद्धात का प्रेरणा योग्यता है। यह सिद्धात इस बात के ऊपर आधारित है कि प्रत्येक राज्य की प्रजा को अपनी-अपनी योग्यता के अनुपात में कर की व्यवस्था बराबरी चाहिए, यह अश आय के उम अनुपात में हो जोकि वे राज्य के सरकार में भोगते हैं। सरकार दो कर अदा करने वा दायित्व एवं सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी माना जाता है। इस सबध में मुख्य प्रमेय यह उठता है कि कर वोन अदा करे तथा कितनी धन राखि अदा करे। सोलहवीं शताब्दी में जिनिक्यारहिनी तथा जीन बोडिन ने सामर्थ्य के आधार पर कराधान का समर्थन किया है। विलियम पटी तथा एडम स्मिथ ने भी करदेय योग्यता के सिद्धात को स्वीकार किया है। एडम स्मिथ वे शब्दों में 'प्रत्येक राष्ट्र के सदस्यों को सरकार की सहायता के लिए यथामुख अपनी सामर्थ्य के अनुपात में अर्थात् उम आय के अनुपात में जो वे सरकार के सरकार में प्राप्त करते हैं, धन देना चाहिए।'²

जै.० एस० मिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के लिए समान त्याग करना चाहिए, जिस प्रकार कि एक सरकार वो व्यक्तियों अधिकार वर्गों के नीचे दावों की छहता के बारे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए उसी प्रकार सरकार उनसे जिन त्यागों की आशा करती है वे (त्याग) उन सबसे यथासम्भव वैसा दबाव डालकर कराये जाने चाहिए। यही वह रीति है जिसके द्वारा समूर्ण रूप में भूनतम त्याग किया जाता है—राजनीति के एक सिद्धात के रूप में कराधान में समानता का मतलब है, त्याग की समानता। इसका अर्थ है 'सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन वा निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग की अदायगी ने, अन्य प्रत्येक व्यक्ति के भाग की तुलना में न तो अधिक असुविधा अनुभव करे और न कम।'³

1 A C Buchler 'Public Finance', p 350.

2 Adam Smith 'Wealth of Nations', Vol II, p 310

3 J S Mill 'Principles of Political Economy', Book V, Chapter II, Sec 2

बाल्कन में बरदेय योग्यता वा निष्ठान वन्य मसी चिह्नानी की अवैज्ञानिक दे अधिक जनुम्भव है। बैल्कन के शहरों में 'क्षमता' के निवासपद वा एस नंदिन जाइर्स मिष्टार है।' और दोहन के जनुम्भार, 'क्षमता' की कृति सूदरता के विन्दून मिष्ठानी की एक विप्रिष्ट प्रणाली है।'

परन्तु जाइर्स इन्हें हूँ भी व्यावहारिक दृष्टि न घट एवं उठिन मिष्ठार है। उसमें प्रथम विभिन्नाई तो यह है कि बरदेय योग्यता जिस प्रकार थी विम आधार पर निष्ठित की जाए तथा इसमें नहन्त्वपूर्ण अभिन्नाई यह है कि प्रत्येक जनुम्भ वीर्य दरदेय क्षमता इस ज्ञापार पर मारी जाए। इस समस्या के हृत के लिए अर्थात् बरदेय योग्यता वा उचित आधार जात बरने के लिए समस्या वा प्राप्त दो दृष्टिकोणों में बद्धप्रबन्ध लिया गया है।

(अ) व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण


बरदाताओं को बर देने में कुछ भार भहत रखना दृष्टा है लकड़वा इसमें इन्हें कुछ कष्ट होता है वा इन्हें कुछ न्याय बरना पड़ता है। इन अव्यवस्थाएं जन्माना के बर देने की योग्यता वा जनुम्भाल छन्दों कष्ट उठान, न्याय बरन वीर्यात्मक तथा जनुम्भियाओं की भरने की शक्ति के दबाव जाता है। लकड़वा बरदेय योग्यता जनुम्भ के त्वाय बरने की जनता पर निर्भर होती है, किंतु भी नभी न्यौकार बरते हैं विनी बरदाता दिए पक्की बर वा भूगतान अन्नमें लिये भाक्षा ने जनुष्टि वा न्याय बरना पड़ता है अद्याए एवं व्यक्ति के त्वाय की भाक्षा छन्दों द्वारा व्यक्ति के त्वाय की भाक्षा ने दिवनी वस वा अश्विक है। परन्तु प्रो० पीमू ने इन कैटेजाईं नहत्त्व वीर्याकार न जरते हुए यहा, 'जीवन में भागारण वाप्तों में व्यक्तियों के न्यायाल व प्रहृति निष्ठाता, जातीय भिन्नता, आइलों, प्राक्तिक आदि वीर्याल भिन्नता को न्यौकार करते हुए, हम सर्वेष वह भान लेते हैं कि प्रत्यक्ष न्यूने व्यक्तियों के भूमूल पर न्याय परिस्थितियों का उगम न्याय न्याय नानमित्र प्रनाम पड़ता है।' बरदेय योग्यता की भावने से नुव्वेदित न्यायालों वा अव्यवस्थालों वा बद्धप्रबन्ध दृष्टिकोण में लिया जाता है। इस विषय में तीन निष्ठान प्रचलित हैं।

(ब) समाल त्वाय वा निष्ठान इति निष्ठान के जनुम्भ बरदेयपद नभी न्यायपूर्ण हो जबता है व्यावहारिक प्रत्येक जनुम्भ के लिए त्वाय की भाक्षा न्यायाल हो। डाल्कन के अनुसार, 'बरदातालपद वा भार इस प्रकार वित्तित होता जाता है कि जनी बरदातालों पर प्रथम बाल्कनिक भार न्यायाल हो।' फिन्न में भी इसी प्रकार व्यक्ति लिया है—'राजनीति के एक निष्ठान के न्यूने वर्गारोपण की न्यायाल वा जन्म वै विनी न्यायाल के यर्थे वे लिए प्रत्येक व्यक्ति इत्यर्थ दिये जाने वाले धन का उस प्रवार विग्रहण लिया जाए कि वह भूगतान वे भाग में प्रत्येक जन्म व्यक्ति की जपक्षा न्यून वा अधिक जनुम्भिया जनुम्भव न करे।' न्यायाल न्याय वा अधर्म धीमू के राष्ट्रों

में, 'न्यूनतम आय के ऊपर सभी आयों को काटना और करारोपण के उपरात सभी आयों को समान स्तर पर लाना है।¹ न्याग करने का मवध मनुष्य की मानसिक दशा से है जो भिन्न भिन्न होती है। अत विभिन्न मनुष्यों के न्याग की तुलना नहीं बीजा जा सकती। यदि वर लगाने के लिए आय को आधार मान लिया जाए तो समान रूप से त्याग करने के लिए नीन परिस्थितियों की कल्पना की जाती है।

(1) जब आय तेजी से बढ़ती है और उपरोगिता छास नियम के अनुसार आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ आय की सीमात उपयोगिता गिरती जाती है तो वर की दर प्रगतिशील होगी। प्रगतिशील कर दर की सूची वह है जिसम कर आधार के साथ साथ कराधान की दर भी बढ़ती है। निम्नांकित चित्र 14 यह बताता है कि करों को तीन प्रकार से प्रगतिशील बनाया जाता है।

प्रगतिशील वर धंकतिपक दर सूचिया



चित्र 14



(2) आनुपातिक दर दरों की सूची वह है जिसम वर आधार में परिवर्तन होने पर कराधान की दर स्थिर रहती है। अर्थात् जब आय धोरे-धीरे बढ़ती है और सीमात उपयोगिता धीरे-धीरे कम होती है तो समान त्याग प्राप्त करने के लिए आनुपातिक वर लगाया जाता है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर चित्र 15 से स्पष्ट है।

(3) प्रतिगामी कर दरों की सूची वह है जिसम आधार बढ़ने के साथ कराधान की दर घटती है। यदि आय गिर रही है तो उसके फलस्वरूप आय की सीमात इकाइयों में प्रारंभ में सीमात उपयोगिता बढ़ती जाती है। ऐसी अवस्था में समान

¹ A C Pigou, 'A Study of Public Finance', (1951), Macmillan & Co Ltd., London, p. 57

त्याग के लिए प्रतिगामी वराचेन्ज आवश्यक है। जैसा कि चित्र 15 में प्रदर्शित होता है।

इस चित्र में स्पष्ट है कि आय में कमी होने पर भीमात उपरोक्तिका दृष्टी जाती है। अतः त्याग की मात्रा भवान बरते के लिए प्रतिगामी चर लगाना होगा।



इन्हें बताया जाता है कि उपर्युक्त द्रींगे चित्रों में वज्र नेत्राएँ 1, 2, 3 जैसी विभिन्न दरों की प्रवृद्धि दरती हैं जिनमें ने प्रवृद्धि न्युनिट न बोर्ड सीढ़ी की दर प्रदुन जैसा जा सकता है।

बाल्ट्रुव ने स्थान की ममानता का क्षेत्र स्पष्ट नहीं है। प्रो॰ पीटर्स का विचार

है जिसमान परिस्थितियों के व्यक्तियों के त्याग की समानता वा अर्थ तो समझ में आना है परन्तु अगमान परिस्थितियों में त्याग की समानता का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि इसने तात्पर्य सभी व्यक्तियों द्वारा समान माला में कर का भुगतान है तो यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि सभी व्यक्तियों की द्रव्य की सीमात उपयोगिता व करदेय शमता समान नहीं होती है। थत यह मिदात व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इस सिद्धात को लागू करना, यदि अतभव नहीं तो कठिन अपश्च द्वैत है।

(ब) समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त : इस सिद्धात के अनुमार करदाताओं पर कर का भार उनमी आधिक शक्ति के अनुपात में विभिन्न होता है। यह भार समान नहीं रहता है। अर्थात् कर की दर आय के घटने-बढ़ने के साथ कम-आधिक होती रहती है। जिन व्यक्तियों में अधिक त्याग करने की शक्ति होती है वे अधिक धनराशि कर के रूप में अदा करते हैं और जिनमें तुलनात्मक रूप से कम शक्ति होती है वे कर कम अदा करते हैं और जिनमें चित्रकृत नहीं है, वे कर मुक्त रहते हैं। वहने का तात्पर्य यह है कि इस पद्धति के अनुमार करारोपण न्यायसंगत होने के लिए प्रगतिशील होना चाहिए।

(ग) न्यूनतम त्याग का सिद्धात इस सिद्धात के प्रतिपादन का श्रेष्ठ एज-बर्थ तथा कारबर बो है। पीछे तथा डाटन जैसे अर्थशास्त्रियों ने उमरा समर्थन दिया है। इस सिद्धात के अतर्गत कर भार की समस्या वा अद्ययन सामूहिक रूप में दिया जाता है न कि व्यक्तिगत रूप में। इस मिदात के अनुमार कर का निर्धारण इस प्रारार किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी इसमें सामाजिक लाभ की माला अधिकतम हो। यह उसी गमय हो सकता है जब कि सभी करदाताओं का सीमात त्याग करावार या लगभग करार हो। अर्थात् कर इस प्रारार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक करदाता वो मुद्रा की अतिम इकाई देने से समान त्याग का अनुभव हो। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति बो कर के रूप में एक रूपया अदा करने में उनमी ही त्याग की अनुभूति होनी चाहिए जिनमी कि एक रूपया अदा करने में दूगरे व्यक्ति बो होनी है। इस विचार को एक उदाहरण द्वारा भली-भाति गमनाया जा सकता है।

मान सीजिए कि तीन व्यक्ति क, य, ग हैं। जब उन्हें एक रूपया कर के रूप में अदा करना पड़ता है तो उनका त्याग इस प्रारार का होता है।

रूपये की इकाइयाँ

त्याग

	क	य	ग
1 रूपया देने गे	4	5	8
2 रूपय देने गे	5	6	10
3 रूपय देने गे	7	8	12
4 रूपय देने गे	8	10	15
5 रूपय देने गे	10	15	25

मान लीजिए जि गाज को ४ रुपये कर के स्प में बनूत करने हैं तो 'क' ने ४ रु., 'ब' ने ३ रु. और 'ग' ने १ रु. बनूत करना चाहिए। इस स्थिति में नदवा मीमांसा त्याग वरावर होगा।

यह मिदान वयोग्राम्भ के प्रभिद्ध ज्ञानगत उपरोक्तियां हासि नियम पर आधारित हैं, जिनके बनूतार आप अधिक होने के नाश-नाय व्यक्ति विनेप के लिए उनकी उपयोगिता का होती जाती है। अब बनूत अधिक आप वार्ता व्यक्तियों की बन्द इच्छा कर के स्प में ले ली जाए तो ऐसा व्यक्तियों को दिनेप कष्ट न होगा। इसके विपरीत मूल आप वाना का करने मुक्त विचार जाना चाहिए बताते हुए विषय उपरोक्ति रखने की भीमान उपरोक्तियां अधिक होती हैं।

यदि अनूतनम् त्याग के मिदात को नामूना लिया जाए तो नवंप्रथम् कर उस व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जिसकी आप अधिकतम होती है। व्याकुल उस व्यक्ति के हारा लिया जाना वाला त्याग अनूतनम् होगा तथा वरारोपण के बारण जब व्यक्ति की आप घटने-बटत उमड़ काढ़ वाले हूसरे नदवा के बड़े धनी व्यक्ति के स्तर पर आ जाए तब इन दोनों व्यक्तियों पर खर लगाना चाहिए। ऐसा इस बारण होगा क्योंनि अब दोनों ही व्यक्तियों को कर के स्प में एक स्पष्ट बदा वरने में भीमान भार बनूत भव होगा। इसके पश्चात वरारोपण द्वारा उन दोनों ही व्यक्तियों को लगाता वृक्ष के तीनरे नदवर के धनी व्यक्ति के स्तर तक ले जाना चाहिए। यह कम उस नमय तक जारी रहना चाहिए जब तक वि भरकार को दर्शन लाना में आप प्राप्त न हो जाए। इसपाँ अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित स्तर से ऊपर की भीमी आपां को वरारोपण द्वारा घटाकर उस विश्वित स्तर पर लगाना चाहिए, जैसा श्रो० पी० श्री० श्री० वैष्णव 'मम-मीमांसा त्याग की पूर्ण रूप से अपनाउं गई प्रजाती ने अनूतनम् आप के ऊपर की अत्येक आप को वाटकर बम दर देने का अर्थ निहित है।'

आत्मेचनाएँ वरारोपण का यह मिदान अन्य मिदातों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यद्यपि श्रो० पी० श्री० ने इसे 'वरारोपण का अतिम मिदात' कहा है फिर भी यह मिदात दोषरहित नहीं कहा जा सकता।

१ त्याग एक भावात्मक विचार है जिस त्याग की भावा का आप बहिर ही नहीं बरत असम्भव है। फिर कर के स्प में एक रुपये का भुगतान करने में एक व्यक्ति को जो त्याग करना चाहता है वह नभव है तो उनकी आप कर निर्भर न हो अपितु कुछ अन्य परिस्थितियों जैसे उनके परिवार के आकार आदि पर भी निर्भर हो। कर देने का सामर्थ्य धैवत आप की भावा पर ही निर्भर नहीं करता अपितु आप के सोन तथा उत्तरी प्रहृति पर भी निर्भर करता है। दान्तुव में नपति ने हीने वाली आप के बीच तथा स्थिर रहने वाली आप कीर घटने-बनने वाली आप के दीन महस्त्वपूर्ण अवतर होता है।

२ यदि इन मिदातों की पूर्ण रूप में नामूना लिया जाए और इनमें सभी व्यक्तियों की आप को एक निश्चित स्तर तक धटा दिया जाए तो इसमें प्रगतिशील

कराधान को कोई प्रोत्तमाहन न मिल कर 'सर्वव अपहरण' को ही बढ़ावा मिलेगा। लाभ तथा आय के कराधान पर नियुक्त ट्रिटिश शाही आयोग के विचारानुसार 'मूलनम त्याग का' मिद्दात केवल ऐसी व्यक्ति के अतिरिक्त और कहीं लागू नहीं हो सकता जो कि इसे संदातिर्थ परिणाम में बहुत दूर ही बागे का मार्ग बद कर देनी है।

3 इस सिद्धात में एवं मुख्य दोष यह है कि इसमें केवल वर्तमान त्यागों की ओर ही ध्यान दिया गया है और करारोपण में उत्पन्न होने वाले भावी परिणामों को भूला दिया गया है। इस मिद्दात के अनुमार प्रगतिशील कर प्रणाली के आधार पर कर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक घनी व्यक्ति पर जब कर लगाया जाता है तो उसकी बचत कम हो जाने के कारण पूजी निर्माण निरुत्तमाहित हो जाएगा। कानून्यरूप रोजगार एवं उत्पादन का स्नार भिर जाएगा। इस प्रकार भविष्य में समाज का कल्याण होने के बजाय, समाज का पतन होगा।

4 इस सिद्धात के अनुमार करारोपण के अच्छे एवं बुरे परिणामों का पता लगाना कठिन है। अनेक बार बहुत से व्यक्तियों को बहुत अधिक त्याग करना पड़ता है लेकिन करारोपण का नैतिक एवं सामाजिक प्रभाव अच्छा हो सकता है, जैसे मादव पदार्थों पर कर। इसमें कुछ व्यक्ति तो उपभोग से बचत रहेंगे तथा कुछ को त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार के कुछ करों में समाज का सुधार होता है। प्रो० पीयू वा विचार है कि त्याग की अपेक्षा करों के अच्छे परिणामों पीछे थोर ध्यान देना चाहिए।

वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण

क्योंकि त्याग या व्यक्तिनिष्ठ सिद्धातों को लागू करने में अनेक विचाराद्या सामने आती हैं अत अमेरिका के कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कर अश्व करने की सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का आश्रय निया है। प्रो० सेलिगमैन ने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अर्थ में, सामर्थ्य को प्रबन्ध करने के लिए उत्पादन शक्ति शब्द को प्रयुक्त किया है उत्पादन शक्ति का सिद्धात करदाता की भावनाएँ की तुलना में वरदेय क्षमता के द्वाव्यक मूल्य पर अधिक बल देता है। सेलिगमैन के मतानुमार त्याग का मिद्दात तो बास्तव में उपभोग का सिद्धात है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि पृथक्-पृथक् व्यक्तियों पर कर का नितना भार पड़ता है और उसकी क्षितिजी आय उसके अपने उपभोग के लिए जोप यच रहती है। परन्तु उत्पादन शक्ति का मिद्दात वस्तुनिष्ठ बातों पर ध्यान देता है जिसमें कि करदाता की आय तथा सपत्ति आदि सम्मिलित हैं। इस प्रवार इस विचारधारा के अनुमार मनुष्य की कर देने की क्षमता आतरिक बातों से न नाप कर बाहु दृष्टिकोण से नापते हैं। जैसे

1. मनुष्य की आय : कुछ लेखक 'मुद्रा आय' को कर देने की योग्यता का उचित आधार मानते हैं। आजमत करारोपण के लिए इसी को आधार माना जाता है। अधिक आय बातों पर अधिक कर भार और नीची आय बातों पर कम कर

भार डाला जाता है। कुछ सोग जिनकी आय वहन कम होनी है, वे कर भार से मुक्त भी रखते जाते हैं। या दूसरे शब्दों में यह कह सकत है कि कर देने की बोग्यता आय के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती है तथा आय के बढ़ने के साथ-साथ घटती है।

परन्तु मुद्रा आय को भी करदान योग्यता वा मनोणजनक प्रमाण नहीं बहा जा सकता, क्योंकि

1. दो व्यक्तियों की मोट्रिक आय भगान होते हुए भी उनकी करदान क्षमता अलग-अलग हो सकती है। एक के दायित्व दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकते हैं जदाहरणार्थं एक व्यक्ति का परिवार छोटा हो सकता है जबकि दूसरे का परिवार बड़ा। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों पर भगान दर में कर लगाना न्यायीचित नहीं होगा।

2. कुछ व्यक्ति अपने परिधेय हारा 'आय' अंजित करते हैं जबकि कुछ ने अपनी पैरुड़ा सपत्ति से आय प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में भी कर की समान दर उचित नहीं गानी जा सकती।

उपरोक्त बिठाइयों के देखते हुए लादं स्टाम्प का मतव्य है कि यदि कर लगाने समय निम्न चातो को विचाराधीन रखा जाए तो अन्य आधारों की तुलना में आय का आधार 'कर देय योग्यता' का एक सर्वोत्तम प्रमाण हो सकता है।

(अ) न्यूनतम छूट - उपरित जीवन निर्धार्ह है विं एक न्यूनतम छूट देनी चाहिए।

(ब) कुटुम्ब खी सम्मा कर की दर लगाते न्यून परिवार के सदस्यों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए अर्थात् छोटे परिवार से अधिक कर और बड़े ने कम कर वसूल करना चाहिए।

(स) वमूली का समय जिस समय आय प्राप्त होती हो उसी समय कर वमूल करना चाहिए क्योंकि समव है कि करदाना अगले वर्ष भारी अतिरिक्त हानियों या अन्य कारणों से कर वी अदायगी न कर सके।

(द) आय का स्वरूप अपने प्रवास में प्राप्त निजी धन की अपेक्षा उत्तराधिकार के स्वरूप में प्राप्त हुई सपत्ति पर अधिक कर लगाना चाहिए।

(घ) अतिरिक्त आय अतिरिक्त आय मिलने वाले व्यक्ति पर अपेक्षाकृत अंतिरिक्त कर संगता चाहिए।

2. मनुष्य की सपत्ति : कुछ विचारों ने रापति को करदान सामर्थ्य का अधिक अच्छा आधार बताया है। इनमें अनुमार जिन व्यक्तियों के पास अधिक मपत्ति है उनमें डरगा ही अधिक कर लेना चाहिए। मनुष्य की सपत्ति यह प्रबल करनी है कि उम्मी उम्माज में वैनो नियति है। जिसके पास जितनी अग्रिम धन-मपत्ति होती है वह उत्तराना ही धनी समझा जाता है। जिसके पास इन मपत्ति होती है वह अवित्त उत्तरा ही कम धनी समझा जाता है। धनी व्यक्ति की कर देने वी योग्यता अधिक होती है।

और जो कम धनी होता है उसकी कर देने की योग्यता भी कम होती है। इस प्रकार सपत्ति वरदाता की कर देय योग्यता मापने में सहायता देती है।

इतु इसी मनुष्य की सपत्ति को भी कर देने की क्षमता का उचित आधार नहीं माना जा सकता बयोदि

(अ) समाज में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी आय तो अधिक होती है परंतु वे मितव्ययी नहीं होते जिसके परिणामस्वरूप उनके पास सपत्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में सपत्ति को कर देने की क्षमता का आधार मानना, मितव्ययिता पर बर लगाना है। इसके प्रभाव अनाधिक होते हैं।

(ब) सपत्ति के मूल्य आवने में बढ़िनाई होती है।

(स) अगर सपत्ति के आधार पर कर लगाया गया तो सपत्ति के एक द्वीकरण पर अतिश्वृल प्रभाव पड़ेगे।

३ उपभोग स्तर या व्यय इसी व्यक्ति के कर देने की क्षमता का माप उसका उपभोग स्तर एक व्यय है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो उससे उतना ही अधिक बर बमूल किया जाना चाहिए। हालांकि मिल व फिलर वा भत या वि वरारोपण उपभोग एक व्यय की अण मात्रा के अनुसार किया जाना चाहिए। आधुनिक समय में इस भत का समर्थन प्रो० निवोलस काल्डोर ने किया है। उनका भत है वि एक न्यूनतम सीमा के बाद जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो उस पर उतना ही वरारोपण होना चाहिए। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है वि धनी व्यक्ति का उपभोग स्तर एक निर्धन व्यक्ति से अधिक ऊ चा होता है। अत अधिक व्यय करने वाले में वरदान योग्यता भी अधिक होती है।

वास्तव में कर देने की योग्यता को मापने का यह आधार भी व्यावहारिक रूप से उचित नहीं वहा जा सकता। उपभोग को आधार मान कर हम वरारोपण को व्यापसगत नहीं बना सकते, इसके मुख्य कारण निम्न हैं

(अ) इसी एक व्यक्ति का अधिक व्यय इस बात का निरिवत सूचना नहीं होता वि उसकी कर देने की क्षमता भी अधिक है जैसे एक बड़े परिवार का व्यय छोटे परिवार की अपेक्षा अधिक होता है। इसका आशय यह नहीं है वि बड़े परिवार की कर देने की क्षमता भी अधिक होगी।

(ब) उपभोग के अनुसार कर लगाने से व्यक्तियों को अपना उपभोग बम बरना पड़ेगा। उपभोग बम होने ग देश के उत्पादन एव रोजगार पर प्रेरणातारी प्रभाव पड़ेगा।

अत निष्पर्य हप म यह वह देना वि देश म 'कर' लोग वी कर देन वी योग्यता के अनुसार होना चाहिए पर्याप्त नहीं है। योग्यता या समानता का गिरात एक पात्पनिर विषय है। डाटन के अनुसार समानता एक कात्पनिर स्थानिनी है जिसका बोध दार्यनिरा द्वारा तथा जिसका द्वारा पूर्वान्व पानन राजनीतिका द्वारा ही दिया जा सकता है।'

प्रश्न यह है कि करदेय योग्यता को प्रमाणित करने के लिए व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण में वैज्ञानिक अधिकार उपलब्ध है। व्यक्तिनिष्ठ अथवा आनंदित मिद्हात करदाता के व्याग पर निश्चिर करता है और व्याग की भावना मानमिक स्थिति में प्रतिष्ठित स्वरूप से समर्थित होती है। इसके उल्लंघन मापना एक उठित काय है। मन पूछा जाए कि करदेय योग्यता मिद्हात में मवम बद्ध दाय यह है कि यह बगारण और करदेय अमता के मध्य ममन्वय स्थापित करने के लिए वार्ड उचित विधि प्रदान नहीं करना। न्यूनतम त्याग वा मिद्हात भी इस दिशा में अपूरण है। दाना ही मिद्हाता में यह भाव है कि भी दाना मिद्हात एक और अवश्य बदेन करने हैं कि कर प्रगति का आरोही होनी चाहिए परन्तु इन्होंने मावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि 'प्रागर्हान्तर' यहूं आग तक न बढ़ाया जाए। अन्यथा यह समव है कि लोगों में उत्प्रेरणा नकाल हो जाए तथा करदचन दो प्रोत्तमाहन मिले।

टाउटन एवं पीगू का बहना है कि करावधान मामव्यं वा मिद्हात एवं वक्तीय है क्योंकि यह व्यय पक्ष को दृष्टिगत नहीं रखता है। प्रो॰ पीगू एवं टाउटन ने इसमें व्यय पक्ष को सम्मिलित कर बजट के निर्माण के अधिकतम करत्याग मिद्हात वा पात्रन किया है।

करारोपण के अधिकतम करत्याग का सिद्धांत

यारोपण के विभिन्न मिद्हातों की शृंखला में अतिम कड़ी अधिकतम करत्याग के सिद्धात की है। यह ममानता मिद्हात से भिन्न है। ममानता के मिद्हात का क्षेत्र केवल सामाजिक मेवा भी लाभ के न्यायीका वितरण तक भीमित है। जर्मन अर्थ-गास्ट्रो एड्लर बैमर ड्वारा प्रतियाक्रित करारोपण का सामाजिक करत्याग मिद्हात व्याय के विनरण की स्पूर्ण समस्ता को अपनी परिषिक में सेता है। ये दोनों मिद्हात बजट के आप पक्ष अथवा कर के पहलू की ही दृष्टि में रखते हैं। इन्होंने 'मार्वेजनिक' मेवा के निर्धारण को द्वाका के मध्य अटका डूआ छोड़ दिया है।¹

रिचार्ड ए॰ ममग्रेव न मार्वेजनिक मेवाओं के निर्धारण को भी अपने मिद्हात में नमाविष्ट किया है। यही करारोपण के अध्ययन का मामाजिक पहलू है। टाउटन - तथा पीगू ने इस दिशा में अन्वेषक के रूप में कार्य किया है। टाउटन ने बजट कीति के सवध में निम्न दो मिद्हाता का वर्णन किया है।

(1) किसिन्न मार्वेजनिक उपरोग में माध्यनों जा इस प्रवार वितरण किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यय में प्राप्त भीमात मनोप वरावर हो।²

(2) मार्वेजनिक व्यय उग भीमा तक दिया जाना चाहिए, जहाँ व्यय भी अनिम इकाई में प्राप्त नाभ करों के रूप में प्राप्त वर्तिम ड्वार्ड में उत्पन्न त्याग के


¹ Richard A. Musgrave 'The Theory of Public Finance', (1959), Mc. Graw Hill Book Co., Inc., N. York, p. 113.

² A. C. Pigou op cit., p. 31

बराबर हो।¹ इस प्रकार से मार्वंजनिक तथा निजी क्षेत्र में प्राप्त सीमान सतोप समान हो जाता है।

अधिकृतम कल्याण के मिद्दात वी विचारधारा को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है।

वजट नियाओं द्वारा लाभ-हानि



चित्र 17

OX अक्ष पर कोप की मात्रा तथा OY अक्ष पर सतोप को निया गया है। ये कोप योनों वा निजी व्यय में मार्वंजनिक व्यय में स्थानान्तरण दिखानाते हैं। यही समाज के संतोष का त्याग है। रेखा ee सीमान सामाजिक लाभ का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे-जैसे मार्वंजनिक व्यय वी त्रमाणत इकाइयों बढ़ाई जाती है वैसे-वैसे यह रेखा नीचे वी ओर गिरती जाती है। रेखा tt सीमान सामाजिक असतोप का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे-जैसे निजी व्यय में आय की इकाइयों का त्रमाणत स्थानान्तरण करा द्वारा सार्वजनिक व्यय के रूप म होता है यह असतोप अथवा त्याग बढ़ता जाता है। रेखा ee विशुद्ध सामाजिक लाभ की रेखा है। यह रेखा सीमान सामाजिक लाभ में गे सीमान सामाजिक न्याय अथवा असतोप को घटाकर बनार्द गई है।

चित्र द्वारा हमें जान होता है कि वजट का अनुबूलतम आवार OM पर निर्धारित होता है जहा कि सीमान सामाजिक लाभ सीमान सामाजिक त्याग के बराबर हो जाता है। इस चित्र पर विशुद्ध सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। मस्त्रेव न इस मिद्दात के सदर्श भे कहा है, 'इस प्रश्न अपूर्वक त्याग के उपरकोण द्वारा करो वे आवटन को मार्वंजनिक व्यय के निर्धारित वरने वाले अधिकृतम लाभ के इन्टिकोण के अनुमत बनाया जाता है।'²

1 H Dalton op. cit., Chap 2

2 Musgrave op. cit. p 114

बच्चाएँ इस का दृष्टि दिलाते आदेष्टन ग्राम्या द्वारा विभिन्न ग्राम्य ज्ञान निर्धारण द्वीयोजना में अवहार में लाया जा सकता है। पैरेंट्स ही विभिन्न ग्राम्या द्वारा आदेष्टनिक आप के विभिन्न आदेष्टनिक ऐवानों में दृष्टिवारे में इस मिलाते जा उपयोग विषया जा सकता है। आदेष्टनिक अपर का एक अनिन्द्य कंग बन जाते हैं जानक अहम् मिलाते 'वर के समानता के मिलात' में श्रेष्ठ समस्या जाने लगते हैं। इन मिलात में वर के लाभ के मिलात जी तरह सर्वीषंता नहीं है अपेक्षा यह मिलात जरनी परिवर्ति में गुणधारित आदेष्टन ताजों को भी सम्भवित वर बनता है उदाहरणार्थ बच्चों को अनुच्छ में दोषहर का भोजन, उपयोगित निम्न लालन आदान नदा नियुक्त शिष्य इत्यादि।

इनका मब्ब कुछ होते हैं ऐसी दृष्टि दिलाते पूर्णत वही नहीं जहा जा सकता। इन भवंधन में एक उत्तिनार्थ यह उत्तमित होती है कि चिक्के देव दिलार्थ एवं ५५ दशा ॥ नानिकाओं के दूसरे विभु प्राद्यमिकता के आधार पर निर्धारण चिप्पे जाए। उदान समान सौभाग्य लान वा मिलात वर्गे ऐना दोन आधार प्रस्तुत नहीं करता चिप्पे द्वारा विभिन्न अपर-आर्दशर्मों ची सापेक्षिक दुग्धवताजों को डाल दिया जा सके।


कर भार का सिद्धांत

कर भार की समस्या का अध्ययन बरते समय हम अनेक प्रश्नों पर विचार करते हैं। कर का भुगतान दास्तव में कौन कर रहा है? क्या कर भार उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है? जिन पर कर कर लगाया गया है? क्या कर भार सभी व्यक्तियों पर समान रूप में पड़ता है या असमान रूप में? दास्तव में कर भार की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि कर का भार सदैव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिससे वह बसूल किया जाता है। साधारणतया यह देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों पर कर भार पड़ता है वे उस भार को स्वयं सहन न करके दूसरों पर ढाल देते हैं, जिससे यह कर भार दूसरा को सहन करना पड़ता है। कर भार के इस स्थानातरण को ही हम कर विवरण (shifting of taxes) कहते हैं। इस प्रकार कर विवरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानातिरित हो जाता है।

प्रायः करकाना बन्तुओं के मूल्य में कर को जोड़कर कर भार को दूसरों पर टालने वीं वोशिष करता है। कर भार से हमारा अभिशाय प्रत्यक्ष भौद्धि भार से होना है।

करापात का अर्थ

कर लगाने के कनस्वहप जो परिणाम भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ते हैं, उनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है



डाल्टन ने वर के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भार और द्राविड़ भार तथा बास्तविक भार में भेद दिया है। करापात निमी भी कर वा प्रत्यक्ष द्राविड़ भार है। वर के प्रत्यक्ष द्राविड़ भार में हमारा अभिप्राय उम द्राविड़ भार म है जो वर चुकान क सर्वध में वरदाता वे ऊपर प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। बमी-बमी कुछ विशेष परिस्थितिया में ऐसा भी होता है कि वरदाता वो वर की राजि की वफ़ा अधिक धनराजि से बचित होगा पड़ता है। इस स्थिति म यह 'वर वा परोक्ष द्राविड़ भार' के नाम में पुराया जाता है। यह स्थिति उस ममय आती है जब विकेना वर तो अदा वरता है। परतु उम वर को उपभोक्ता तक विवरित बग्न म उम कुछ यमद लगता है। वह वह वर के विवरित वरने वो अवधि तक व्याज की राजि वर म जोड़कर वेना से बगूल वरता है। तेता वो व्याज क रूप म जो हानि महन बरनी पड़ती है वह परोक्ष द्राविड़ भार है।

किमी व्यक्ति पर जो भार पड़ता है जबवा उने अर्थित वरण का जो त्वाग बरना पड़ता है वह उमका प्रत्यक्ष बास्तविक भार बहनाता है। यह उम ममय उत्तमन होता है जब उपभोक्ता को, वर के कारण बस्तु का मूल्य बढ़ जान में उम बस्तु पर जधिक व्यय बरना पड़ता है जिसमे उमका त्वाग बटने के कारण अर्थित कल्याण में हास्त होता है। दूसरी ओर वर की अदायगी के फलस्वरूप उम किसी बम्नु के उपभोग में जो बमी बरनी पड़ती है, वह उमका परोक्ष बास्तविक भार बहलाता है।

उपर्युक्त वर भार के प्रभग मे श्रीमती हिवन न बीपचारिक तथा प्रभावपूर्ण बरापात मे अतर बतलाया है। इनका बीपचारिक वर भार प्रत्यक्ष भार दे समान है।

वर भार के बाजप वो स्पष्ट बरन के लिए निम्न धारणा का अन्तर उल्लंघनीय होगा।

वर भार या करापात और कराधान मे अन्तर

नरकार द्वारा लगाया गया वर किमी न किमी मे बगूल दिया जाता है। जो व्यक्ति या मम्या नरकार को सबमे पहने कर अदा बरती है इरापात उमी व्यक्ति या सम्म्या के ऊपर होता है। सरकार दे यहा बनी हुई वरदानांशी वो पजोहृत मूर्खी म उम द्यक्ति या मम्या का नाम होता है जिस पर कि बरापात होता है। बड़ी व्यक्ति अपनी आद न से दर वा नरकार के खजान म जया बरन के लिए उनरदाची हाना है। परदि यह व्यक्ति या मम्या खजान म जया की जातवाली राजि वो किमी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिया से बगूल बरन म मपन हो जाता है तो वह वहा जाएगा कि प्रयम व्यक्ति पर कराधान है और दूसरे व्यक्ति पर, जिन बास्तव ग वर भार महन बरना पड़ा है, बरापात है। अत बरापात उम व्यक्ति पर जाना जाएगा जिसकी भार वर अदा बरने से बास्तव मे कम हो जाती है। जब व्यक्ति वर दो दूसरों पर नहीं टार मकत तब बरापात उभा कराधान दोनों एक ही व्यक्ति पर होत है।

इम प्रकार वरापात स हमारी आशंका उम्म व्यक्ति या उन व्यक्तियों से है जो अनिम इप में करके भार का सहन करते हैं। प्रा० पी॒गु के शब्दों में जो धन मरकारी कोप में पृ॒चता है वह किसी की जब मेरि॒क्ति है या प्रदि॒कर के रूप में मरकार न होनी तो किसी की जब मेरि॒क्ति धन मरकारी रहता। अत वरा॒पात के अनगत यह जान किया जाता है कि कर विवतन के कारण क्या है और यह इस सीदा तर किया जाता है। वरापात उस व्यक्ति पर होता है जो इस किसी जाय पर टार नहीं सकता। दूसरे शब्दों में हम या भी व्यक्ति कर सकते हैं कि करापात उन व्यक्तियों पर होता है जिनको कि बरा वा द्रव्य भार अतिम रूप से बहन करना पड़ता है।

वरापात तथा कर के प्रभाव में अतर

वरापात तथा कर के प्रभाव सद्गुणिक द्वाष्टकोण में एक दूसरे में भिन्न हैं। वरापात के अनगत हम बरा के प्राप्तक द्रव्यिक भार का अध्ययन करते हैं अथवा कर की राशि का अध्ययन करते हैं इस बात का अध्ययन करते हैं। वरापात की मूल यमस्त्रा यह है कि उम्म व्यक्ति या उन व्यक्तियों का पना लगाया जाए जिनको कि अनिम रूप से कर अदा करना पड़ता है। जैस कि प्रो० पी॒गु न इस मवध में कहा है कि राजकाय अथवा मरकारी खनान में जो राशि आई है वह किस व्यक्ति की जब से आई है। यदि वह राशि मरकार द्वारा न भी जारी तो वह किसकी जैसे में रहती? इस प्रकार करापात का अध्ययन विवतन के कारण तथा उम्मके परिणामों में मद्देहित है। इनके अध्ययन में हम यह कह सकते हैं कि वरापात उम्म व्यक्ति पर है जो कर के भार को किसी अन्दर व्यक्ति पर विवर्तित नहीं कर सकता।

इसके विपरीत बर के प्रभाव वा अथ वचन विमृत होता है। इसके अनगत हम बरा में उपादन हाल बाली यमी प्रवार वी जातिक मामादिक व राजनीतिक प्रभु तियाओं वा अध्ययन करते हैं। वरारोपण में बरदाना के “पभोग वचन तथा काय वरन की इच्छा या धमना व धमनावे मूल्य आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है। वरारोपण के उपरान्म मूल्यां में परिवर्तन हुआ या नहीं। यदि मूल्य परिवर्तन हुआ है तो उम्म से उपादक की विक्री तथा उपभोक्ता के उपभोग वी मात्रा पर क्या प्रभाव पैदा है। इन सब यमस्त्राओं का अध्ययन बरा के अनगत किया जाता है। सर्व प म यह कहा जा सकता है कि कर भार के अनगत करने करा है प्राप्त द्रव्यिक भार वा अध्ययन किया जाता है उद्देश्य कर प्रभाव के अनात करा से उत्पाद होने वाली हर प्रार वी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

वरापात और कर विवर्तन में अतर

जसा कि ऊपर योग्य किया जा चका है वरापात का आशंका यह जान करना है कि किसी कर का बरदाना पर विनाना द्रव्य पर भार पड़ता है। इसके विपरीत कर विवर्तन रा ज्य है—बरदाना द्वारा कर के भार का दूसरा पर टारना। कर

विवर्तन वह विधि है जिसके द्वारा कर ना भार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हस्तात्रित रिया जाता है। वास्तव में कर विवर्तन करदाता की सतिष्ठूति है। इसलिए यह कहना स्वाभाविक है कि कर ना विवर्तन मूल्य-भरवना ब्राह्मण होता है, व्योरि वह वस्तु का मूल्य बढ़ावार अपने कर भार को दूसरों पर अनुगम करता है।

इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि वस्तु का मूल्य दिना बढ़ाए वस्तु को मात्रा बदला उमड़े गुण में कमी कर के भी कर का दिवनन दिया जा सकता है। परन्तु यह नई पूर्णतया नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा कर मन्त्रप्रयम अनेकिंव होगा और द्वितीय, वस्तु को पूचबन मूल्य पर ही वह मात्रा में देना वा अर्थ वास्तव में उस वस्तु का मूल्य बढ़ा जाना ही होगा। इन प्रकार यह न्यून है कि कर भार का विवर्तन मूल्य-भरवना ढाग ही हो सकता है।

कर भार का महत्त्व

कर भार की धारणा का लोक आगम में बहुत अधिक महत्त्व स्वीकार दिया गया है। निसी देश के वित्त मंत्री वो कर लगाने ने पूर्व यह देखा जावन्यव होता है कि कर चर्देय कमता के अनुमार लगाया जा रहा है या नहीं। क्योंकि कर लगाने का उद्देश्य आप प्राप्त करने के साथ-साथ यह वो जनमानता वो भी दूर करना होता है। यह तभी मंभव हो सकता है, जबकि वित्त मंत्री वो यह निश्चिन न्यूने ज्ञान ही कि कर वा ग्राहिक भार जिन व्यक्ति पर पड़ रहा है। इन महत्त्व के कारण कर भार की धारणा का अध्ययन करारोपण वा एवं अभिन्न अंग मान दिया गया है। करारोपण का उद्देश्य नेवन आप नीं बृद्धि ही नहीं बरन उम्रती नंपति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकना और मामाजिक-ग्राहिक त्रिकाङ्को का नियमन करना भी है।

प्रक्ष करों का विवर्तन भरवता में नहीं हो पाता। अत उन पर पड़ने वाले कर भार का ज्ञान मुष्यमता में दिया जा सकता है। परोक्ष करों में कर विवर्तन दड़ी तीखता है इसलिए कर भार की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में बनेक बठिनाइया मामले आती है जिनके कारण भर भार के अध्ययन का महत्त्व सीमित हो जाता है। इनमें में कुछ मुख्य बठिनाइयों का वर्णन नीचे दिया गया है-

1. मूल्यों में परिवर्तनः कर के भार के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना सदैव मंभव नहीं है क्योंकि कर भार के विवर्तन की जानकारी मूल्यों में ही परिवर्तनों ने ही हो सकती है। यदि कर के लगाने में मूल्य बढ़ जाते हैं तो कर के भार को विवर्तित कर दिया जाता है, अन्यथा नहीं। परन्तु मूल्यों में परिवर्तन विवर्तन पे कारण हो नहीं होने वरन् अन्य वारणों में भी हो सकते हैं, जैसे लागत में बढ़ि, पूति में कमी या भाग में बढ़ि इत्यादि। अब ऐसी दशा में यह ज्ञात करना असम्भव हो जाता है कि मूल्यों में वित्ती बढ़ि कर विवर्तन के कारण हुई है और इत्ती वरन् कारणों में।

2 कर भार तथा कर प्रभाव का अतर ज्ञात करना कठिन हूसरे, कर भार कर वे प्रभाव म अनर मालूम करना बठिन होता है। संडातिक इटि से तो हम इनके अतर की व्याख्या कर सकते हैं परतु व्यवहार म इनके अतर का स्पष्टीकरण बठिन होता है।

3 कर भार की तुलनात्मक विचारधारा कर भार करारोपण के उचित वितरण का सही निर्देश नहीं है। मरता क्याहि किसी एक वर्ग पर पड़ने वाले कर भार का अध्ययन यह गिर्द नहीं करला जिसके बहुत उन लोगों की तुलना म अधिक वर्ष उठा रहा है जो कर की व्याख्याएँ नहीं कर रहे हैं। ऐसा जैन का विचार है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई कर लगाया जाता है तो उन लोगों को अधिक लाभ होता है जो कर अदा करते हैं और जो कर अदा नहीं करते हैं उन्हें हानि होती है। वह व्यक्ति जो किसी पुल पर लगाई गई चुम्बी का भुगतान न करने के उद्देश्य से दो मील प्रति दिन अधिक चरता है उम उन लोगों की अपेक्षा, जो चुम्बी का भुगतान करते हैं, वास्तव म बठिनाई होती है।

इन सभी कठिनाइयों के होने हुए भी कर भार की धारणा का महत्व बिन्दुर ममाप्त नहीं हो जाता। सरकार कर भार के अध्ययन द्वारा ऐसे उपाय अपना सकती है जिसमें उसके पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। सरकार इसके अध्ययन से कर भार ऐसे व्यक्तियों पर लाल सवती है जिन पर कि वह ढानना चाहती है। किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था तथा उमरा सर्वसुखी विस्तार इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वहां कर भार का सही अध्ययन किस गोमा तक किया गया है, तभी उसका समाज में उचित वितरण तथा करारोपण के प्रभावों का ज्ञान हो सकता है। मेलिगमेन ने इस सदर्भ में ठीक ही लिखा है, यह कर भार निश्चित कर मेने पर ही समव है कि हम कर के विस्तृत प्रभावों पर विचार कर सकें।'

कर विवर्तन की मुख्य विशेषताएँ

कर विवर्तन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन नीचे किया गया है

(क) एवं या अनेक विदुओं पर कर विवर्तन

जब कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चौथे व्यक्ति पर विवर्तित होता है तो कहा जाता है कि कर का विवर्तन कई विदुओं पर होता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार खीनी के उपभोक्त पर कर लगाती है तो एहसे कह उसे थोड़ा व्यापारियों पर, थोड़ा व्यापारी पुटनर व्यापारियों पर तथा पुटनर व्यापारी अत म उपभोक्ताओं पर ढरें देते हैं। इस प्रकार कर का विवर्तन अनेक विदुओं पर होता है। जब वस्तु कर व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं पर ढरें दिया जाता है और अब कर का विवर्तन आग मध्य नहीं होता तो ऐसा विवर्तन एक विदु से दूसरे विदु पर कर विवर्तन कहलाता है।

(ख) वर विवरन की गतिया

वर विवरन की श्री गतिया होनी है।

1 अपगामी विवरन : अपगामी विवरन न वर वा भार द्वारा की जोर से जागा जाता है। यह विवरन वा अधिक समय लेता है। इब जिसी व्यापारी द्वारा उत्पादा जाता है तो वह उस वस्तुओं के दृश्य में जाहार उमड़ी अतिरुद्धि आहती है। देवर वे गवर्नर ने एवं वर के लागे की ओर अविष्ट स्पष्ट ने उपभोक्ताओं पर विवरित वर दिया जाता है तो श्री चिरा जगद्यामी विवरन वही जाती है।'

2 प्रतिगामी विवरन : व्यापारी जब वस्तुओं के वर्गरात्रि वह उन्मुख बनता है तो इस वस्तुओं के सूची में जोटन न वस्तुओं के सूच्य प्रतिरूप वह जाएग और वस्तुओं की दिक्षी वस्तु ही जाएगी तो वह इस वर भार की लोगों पर विसरी सेशान उत्पादन वाय वे तिथि खोरोदी गई है, थोटा उस सूच्य देवर हस्तानीन्व बनने का प्रयास करता है। परंतु इसमें नफर ही जाता है तो उस प्रत्यार ने वर विवरन लो प्रतिगामी विवरन लहेंगे।

एमी-इमी ऐसी परिस्थितिया भी जानी है, जब व्यापारी वस्तु के वर वो न तो वाये टेक्कने में नफर ही राहा है और न पीछे टेक्कने में। ऐसी स्थिति में वह वर के भार को न्यव ही महत बताता है।

मीमर्न ने वर विवरन की समय के अनुसार मील भागों में विभाजित चिरा है (1) वातानकानीन विवरन, (2) अल्पकानीन विवरन तथा (3) दीर्घकानीन विवरन। वातानकानीन विवरन वरेमान पूर्णी नीमत ने परिवर्तन वर्ते दिया जाता है। अल्पकानीन विवरन तब होता है जब नाम्नानी द्वारा हीन वाली भावी पूर्णी वीमत में परिवर्तन वर्ते विवरन चिरा जाए। इसके विवरीन यदि न्यव उत्पन्नि के भागों भी जोग्यों में परिवर्तन वर्ते विवरन चिरा जाता है तो उस दीर्घकानीन विवरन बहन हैं।

(ग) वर विवरन के न्यव

इसके दो न्यव हैं—प्रदम, व्यापारी वर की मात्रा के दगदर वस्तु वा सूच्य प्रदम वर के वस्तु के उपभोग बनन वालों पर विवरित वर है। दिग्गीर, ददि वर इसे इस प्रयास में नफर न हो नहीं तो वह वस्तु की मात्रा व सूचि में पा इनमें से जिसी ग्रन्ति में कर दे भार की विवरित वर सुनदा है।

(घ) वर विवरन का सहन बनना

वर का भार वस्तु उत्पादक को तो कभी उपभोक्ताओं को और वस्तु-इमी उत्पादक, दोहर व्यापारी व उपभोक्ता को आगे क स्पष्ट में बहन बनना दृढ़ता है।

कर विवर्तन व कर वचन में भेद

साधारणतया कभी-रभी कर विवर्तन व कर वचन के अर्थ में समानता की जनर दियाई पड़ती है जिसे हम मृग-मरीचिका वी सज्जा दे सकते हैं। कर वचन म तात्पर्य वर वी अदायगी में वचाव बरना है। मर जेम्ब प्रिंग ने कर की चोरी का घोर अपराध बहा है। जरहि वर विवर्तन का अर्थ करदाता डारा कर के भार को आशिक या पूर्ण हृष से दूसरे पर विवर्तन बरने में होता है। जेम्ब ने कर विवर्तन को वैर वचाव दी बला बहा है। कर वचन तथा कर विवर्तन में निम्न भेद हैं

(1) कर विवर्तन से भखार के राजस्व को हानि नहीं होती जबकि कर वी चोरी म सखार के राजस्व की हानि होती है।

(2) कर विवर्तन में कर भार किमी न किसी को मरन बरना पड़ता है जरहि कर वचन म कर का भार किसी भी व्यक्ति को मरन नहीं बरना पड़ता।

(3) कर विवर्तन कर म वचन की एक विधि है। सखार इस अवधि नहीं मानती। परतु सखार कर वचन को कानूनी अपराध मानती है।

(4) कर वचन स देश व व्यक्तिगत का नैतिक पनन होता है जबकि कर विवर्तन में ऐसा बुल नहीं होता।

यदि ध्यानपूर्यं देखा जाए तो नैतिक इटिंग में कर वचन और कर विवर्तन दोनों ही बुरे हैं। हा, कर विवर्तन उस समय अनैतिक नहीं बहा जा सकता जब सखार इस उद्देश्य से ही कर लगाए गि कर का विवर्तन हो और वालित व्यक्तिगतों ही कर वहन बरना पड़े।

कर भार के प्राचीन सिद्धात

कर विवर्तन के मध्य में अनेक सिद्धात प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जिनम दो सिद्धात उल्लेखनीय हैं

(1) सर्वेद्रण सिद्धात

इस सिद्धात की व्याख्या फैल विचारकों के एक सप्रदाय 'निर्वाधवादियों' ने दी है। इन विचारकों के अनुमार बोई कर किमी भी व्यक्ति पर और भाहे बही पर भी लगाया जाए, अत मे वह उत्पादकों के एक विशेष वर्ग भूमिकानियों पर ही प्रदित होने लगता है। उनसा विचार या गि हृषि एकमात्र उत्पादक व्यवसाय है और गेय व्यवसाय अनुत्पादक होते हैं। यदि अनुत्पादक व्यवसायों पर कर लगते हैं तो वे विवर्तित होकर अत मे हृषि पर ही पड़ते हैं क्योंकि हृषि म ही अतिरेक उत्पन्न होता है। बेचल हृषि पर लगाए गए करों का विवर्तन नहीं होता। इस प्राचार द्वारे के विवर्तन तथा पुर्णविवर्तन की निरतर प्रवित्रा डारा मभी कर अत

में, कृपकों अथवा दूसियतियों पर ही केंद्रित हो जाति हैं और उनके उपरान उन कर्त्ता का विवरण नहीं हो सकता। बनावश्यक कर विवरण अनुविधानक होते हैं। अन निर्वाधिवादियों ने मनाह दी कि जेवन भूमि की शुद्ध आव पर ही कर लगता चाहिए। इसनिए उन्होंने एकल कर का समर्थन किया।

निर्वाधिवादियों का यह निष्ठान ज्ञानिपूर्ण समझा जाता है क्योंकि यह इस ग्रन्त धारणा पर आधारित है कि कृषि व्यवसाय ही उत्पादक व्यवसाय है। यदि हृषकों पर ही कर लगाया जाना है तो वहाँ आल अंजित दरत दाने अन्य व्यक्ति करारीपण में मूल हो जाएंगे। इस प्रकार धन के वितरण की असमानता दूर होने की विपक्षा और बढ़ेगी। इस मिष्ठान में एक सत्य अवश्य है कि किसी भी कर की अदायगी अनिरेक में भी ही की जा सकती है और अनिरेक के अभाव में यदि कर लगाया गया तो लोग उमड़कों विवरित करने वा ही प्रपत्त बरेंगे।

(2) विभरण सिद्धान्त

कर भार संघी विभरण मिष्ठात की व्याप्ति भासीमी अर्थगाम्भी फैनार्ड ने की है। इनके अनुमार कर किसी एक विभेद वर्ग पर केंद्रित नहीं होते, अग्रिम इनके विपरीत, उनका प्रभार तथा क्लाव नपूर्ण समाज में ही हो जाता है। कर चाहे किसी भी व्यक्ति पर उगाया जाए, वह प्रत्येक सौदे के ढार्य त्रैता और विक्रेता के मध्य उग समय तक बढ़ता रहता है जब उक्त वह समाज न्यू में नपूर्ण समाज में न पैदा जाए। फैनार्ड ने विकेट्रेप की तुलना वर्पिग के चीनपाड़ में की है। वे लिखते हैं, 'यदि मनुष्य के शरीर की किसी नम में से रक्त तिकाल लिया जाए तो रक्त की चमी बेचत इस नम में न होकर सारे शरीर में हो जाती है। दूसरे शब्दों में यदि समाज में किसी एक व्यक्ति में कर लिया जाय तो उनका भार समाज के नभी लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तमाज न्यू परीकर का अग है।'

एक व्यक्तिज्ञ जब मेमफील्ट दे मतानुमार, 'कर उम पर्यार के समान है जो झील में गिर कर पानी में धेरा उत्पन्न कर देता है और फिर एक में बाद एक धेरा उत्पन्न होता रहता है और झील के समस्त पानी को जाहोलित कर देता है।'

कर हॉमिल्टन ने इन प्रयुग ने एक धार दिटिग नमद में कहा था, 'विभरण मिष्ठात में भी बदाचित विधिक सच्चार्द है, वह यह कि करों को प्रवृत्ति फैनमे तथा सुमान होने वी होती है और यदि के निन्जितना तथा एकत्रिता ने लगाए जाए तो वे एनकर प्रयोग नपति पर ही अपना भार लालेंगे।'

बनिप्राप यह है कि उखार कीट इस दिनी व्यक्ति विशेष पर ही करों न लगाए वह विवरित होते वी प्रवृत्ति दिक्काना है। और यह किया उम समप तक जानी रहती है जब नह कि उम नपूर्ण समाज में विवरित नहीं हो जाता। इन मिष्ठात के आधार पर ही यह कहा जाना है, 'एक पुराना कर, कर नहीं है', क्योंकि पुराना कर ना धार लगते विवरित इकार नपूर्ण समाज न विवरित हो जाता है।

और लोग उसमें अभ्यस्त होकर उसके मनोबैज्ञानिक एवं द्राव्यिक भार को भूल जाते हैं। इस मिद्दात में यह भी स्वीकार किया गया है कि करों का विवरण इस प्रकार होता है कि उनका भार सभी व्यक्तियों पर उनकी सापेक्ष वरदान क्षमता के अनुसार होता है।

आलोचनाएः यह सिद्धात भी आनिपूर्ण तथा अव्यावहारिक है क्योंकि-

(क) इस मिद्दात के अनुसार कोई भी कर न्यायपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि कर के सपूर्ण भार को न तो कोई एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग सहन कर सकता है और न कोई व्यक्ति कर भार से मुक्त हो सकता है।

(ख) हम यह तो वह सकते हैं कि कर का विवरण कुछ हद तक हो सकता है लेकिन इसको स्वाभाविक और अनिवार्य मान लेना सर्वथा अनुचित है। अनेक प्रत्यक्ष वर जैसे आय कर, उत्तराधिकारी कर इत्यादि ऐसी प्रकृति के हैं जिनका विवरण ही नहीं हो सकता है।

(ग) यह मिद्दात इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण तथा मुक्त प्रतिवेगिता पाई जाती है, जो वास्तविक नहीं है।

उपरोक्त कमियों के होते हुए भी इस मिद्दात में एक अच्छाई यह है कि इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनेक परिस्थितियों में यह समव नहीं हो सकता कि कर विवरण का ठीक-ठीक पता लगाया जा सके।

कर भार का आधुनिक सिद्धांत

आधुनिक अर्थशास्त्री उपरोक्त सिद्धातों से महमत नहीं हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने कर भार की समस्या के हल बरने में मान और मूल्य (Value and price) के विश्लेषण को लागू किया है। जिन तत्त्वों से कर का विवरण निर्धारित होता है, वे इस प्रकार हैं-

(1) विनिमय कार्य का सपन्न होना

आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात पर बहु देते हैं कि कर का विवरण विनिमय द्वारा होता है। प्राचीन सिद्धातों की भावित ये अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार प्रते हैं कि कर का भुगतान केवल अतिरेक में से ही हिया जाता है। अतिरेक की अनुपस्थिति में कर का विवरण उस समय तक होना रहेगा जब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि उमरों अतिरेक प्राप्त हो। यदि करारोपित वस्तु ऐसी है जिसमें व्रेना और विक्रेना दोनों को अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है तो कर का भार दोनों वर्ग सहन करेंगे।

(2) कर उत्पादन-नागत वा एक अश है

आधुनिक गिज्ञान के अनुसार कर उत्पादन-नागत वा एक अश है। जिस प्रकार मजदूरों वो मजदूरी तथा पूजीपतियों वो व्याज दिया जाता है उसी प्राप्त से

मरकार की बर दिशा जाना है। इननिए वस्तुओं का मूल इतना होना चाहिए कि विषमें वर की राशि का भुगतान दिया जा सके। यदि बर का भुगतान उत्पत्तिमें मूल्य में नहीं हो पाता है तो मूल्य में बृद्धि उपभक्ति लद रही रहेगी जब तक बर का पूरा भुगतान न होने लगे। यदि करायापण का उत्पत्ति मूल्य में विषम अधिक उपभक्ति बृद्धि होती है तो इसका यह अद्य दोष कि बर का एक भार देना और ऐप दिवेना महत्व पड़ेगा।

(3) बर की प्रहृति

बरदाना कर का इतना भार दूखगे पर विवरित बर मतता है यह बर की प्रहृति एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। बर की प्रहृति खटनाका आशय है कि बर किस प्रशार की वस्तुओं पर लगाया गया है तथा यह का लायार करा है। बर पर लाय पर लगाया गया है अबका नपति पर उत्पादन पर या विक्री पर।

(4) उत्पादन की दशाएँ

बर की वाहना वस्तुओं के उत्पादन की दशाएँ पर नी निर्भर करती हैं। वस्तु का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता में हो रहा है या एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में। इसके कुत्रितिक हम यह नी जानना प्रावश्यक है कि उत्पादन में बौनचा नियम लागू हो रहा है? या बहु उत्पत्ति बृद्धि नियम, ज्ञान नियम या स्थिर नियम के अनुरूप हो रहा है?

(5) माग व पूर्ति की लोच

बरदाना इतना उर दूसरों पर टक्केलने में मफन होता यह करारेंपित वस्तु को प्राप्त और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। यदि वस्तु को प्राप्त लोचदार है तो ये लोचों को घटाकर और मूल्यों को गिराकर बर भार को विशेषज्ञों पर विवरित बरता है। वस्तुओं की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होती है, उत्पादक वस्तु को पूर्ति को घटाकर उसके मूल्य में बृद्धि करके बर भार को छेनाका पर विवरित बरते में उत्तरा ही अधिक महत्व होता है। इन प्रकार विक्री बर भार की लोचों पर जोर देना उने विक्रेताओं पर वापिस दालने का भरनव प्रयत्न करते हैं। इन दोनों में बौन इतना गपत होता है यह दोनों की नासेधित नीति कारने की शक्ति पर निर्भर करता है जो स्वयं वस्तुजैकी माग वांग पूर्ति की लोच द्वारा निर्धारित होता है।

(6) बर की भावा

बर भार बर की मात्रा हार्य भी जानित होता है। यदि बर की मात्रा बस दोनी है तो विक्रेता अबका उत्पादक उत्तर स्वयं महत्व पर लेता है। यदि बर की मात्रा अधिक है तो प्राप्त बहु लोचों की महत्व बरना पड़ता है। यदि बर बहु भावा ज लगाया गया है तो लोचों प्राप्त विक्रेता को किसी एक-एक बनुपात में महत्व बरना होता है।

(7) स्थानापन वस्तुओं की उपलब्धि

स्थानापन वस्तुओं की उपलब्धि भी वर भार को निर्धारित करने में अपना महत्व रखती है। यदि करारोपित वस्तु के स्थानापन मरमता में उपलब्ध हो जाते हैं तो वर भार प्राय विक्रेता द्वारा सहन किया जाता है।


(8) श्रम व पूँजी की गतिशीलता

यदि श्रम और पूँजी अधिक गतिशील हैं तो वर का भार उपभोक्ताओं पर ढेनेला जा सकता है और यदि वे गतिशील नहीं हैं तो लाचारी में वर भार उत्पादकों को भव्य सहन करना होता है।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर भार तथा उसके विवरण को निर्धारित करने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु इन मध्य कारणों में मांग और पूर्ति की लोच मुख्य स्थान रखती है।

वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच तथा कर भार

इसी करारोपित वस्तु के वर का वितना मांग त्रिता तथा वितना मांग वित्रेता सहन करेगा, यह वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन नीचे किया गया है।



चित्र 18

1. पूर्णतया लोचदार मांग

इस प्रकार की मांग से अभिन्न उस स्थिति से है जिसमें कीमत में ही ही मामूली सी वृद्धि से वस्तु की मांग शून्य तक नीचे गिर जाती है और तनिर सी तम हीने पर मांग असीमित मात्रा में बढ़ जाती है।


इम प्रकार वी वस्तु की मांग की लोच होने पर यदि सरकार वर लगाती है तो वर का सपूर्ण भार विक्रेता वो सहन करना पड़ता है। इमको हम नीचे दिखाए गए चित्र से समझा गवते हैं।

उपरोक्त चित्र में MM' रेखा माग वक्त रेखा है और CC' तथा DD' पूर्ति वक्त रेखा हैं। जब CD वक्त रेखायें हैं। DD' वक्त रेखा पर के बाद की पूर्ति वक्त रेखा है। जब CD वक्त लगाया जाता है तो वक्त लगाने के बाद मूल्य SS' पहले मूल्य RR' के बराबर ही रहेगा लेकिन वस्तु की पूर्ति घटकर OR' से OS' हो जाएगी। इम स्थिति म कर भार पूर्ण रूप में विक्रेता वक्त को बहन करना पड़ता है। व्यावहारिक जीवन म यह स्थिति देखना नहीं मिलती है।

2. वस्तु की लोचदार माग

इस प्रकार की माग स अभिप्राय उम स्थिति म है जिसमें वस्तु की कीमत में हुए अल्प आनुपातिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप माग की मात्रा भवपक्षाहत अधिक परिवर्तन होता है।

इम स्थिति में विक्रेता माग की लोच की मीमा तब तो वक्त भार रूप बहन वक्त लेता है जिसके बाद वह वस्तु के मूल्य म वक्त के भार की जोड़कर वस्तु के मूल्य में बढ़िया वक्त देता है, जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है।




चित्र 19

प्रत्यक्ष चित्र में करारोपण के नारण मूल्य MM' में घटकर $M'M'$ हो जाएगा। यानी कि वस्तु के मूल्य में NM' की बढ़िया हो गई है लेकिन वस्तु की मात्रा भी OM से घटकर OM' हो गई है। इम स्थिति में विक्रेता की प्रथम स्थिति में उम मात्रा में उत्पादन में वस्तु करनी पड़ती है। विक्रेता अधिकतम वक्त भार की रूप बहन करेगा व वहन ही उम वक्त भार उपभोक्ता पर विवरित करेगा। इम चित्र में NM' वक्त राशि विक्रेता की रूप NS' वक्त राशि विक्रेता की सहन करनी पड़ेगी, यानी कि जिस वस्तु की माग लोचदार होती है उम विक्रेता की त्रेता में अधिक वक्त वक्त भार की बहन करना पड़ता है।

३ पूर्णतया वेलोचदार माग

इस प्रकार वी माग से अभिप्राय उस स्थिति या दशा से है जिसमें कीमत महुए भारी परिवर्तन का भी माग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस दशा में वर लगाने से विक्रेता कर भार पूर्ण रूप से क्रेताओं पर डालने में समर्थ होता है क्योंकि वस्तु की पूर्ति की माग वेलोचदार होती है। यह दशा अधिक्तर आवश्यक वस्तुओं पर सामूह होती है जैसे नमक। यदि नमक पर कर लगा दिया जाता है तो विक्रेता नमक के मूल्य में कर जोड़कर क्रेता से बमूल वर लेता है क्योंकि नमक की माग वेलोचदार होती है। इसको हम निम्न चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं।



चित्र 20


उपरोक्त चित्र में PP' करारोपण के कारण मूल्य में घृदि है। यह वर वी मात्रा के वरावर है। वस्तु की मात्रा OS' पूर्ववत हो रहेगी। इस प्रकार विक्रेता कर के भार को क्रेता पर डालने में समर्थ होता है क्योंकि क्रेता वस्तु की माग में घमी नहीं कर सकता है। अतः इस स्थिति में, जैसे नमक पर कर लगाने पर, उस का भार पूर्णरूप से उपभोक्ता को सहन करना पड़ेगा।

४ वर्म वेलोचदार माग

माग वी वर वेलोचदार माग से तात्पर्य उस दशा से है जिसमें वित्ती वस्तु की कीमत महुए अधिक आनुपातिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप माग मात्रा में अपेक्षाकृत अत्यधिक अनुप्राप्त में परिवर्तन होता है। इस परिस्थिति में माग वी लोच इकाई से बग होती है।

ऐसी स्थिति में कर लगाने पर विक्रेता वर भार को अधिक मात्रा में वस्तु के मूल्य में शामिल वर लेने में समर्थ होता है और वर भार को अधिक मात्रा में

केतानों का दाम देता है तथा यहूँ उन के लिए महत्वपूर्ण दाम है। इसकी इन लिए जिव ना बोलकर भी अधिक व्यष्टि नहीं हो सकती है।




चित्र 21

प्रमुख विवर में LL' व्याप्रेषण के अन्तर्गत LM से ऊपर ML' की रेखा और दोनों दर की नापों के बीच दर्शायी गई है। इस विवर में वस्तु की नाप $O'M$ से पहले OM' ही सर्वाधिक नाप तक MM' की रेखा दर्शायी गई है। इस LN दर केतानों को, जो विशेष दर की नापों से अधिक है, (जो विवर में दर्शाया है) वर देता पड़ता है। इस प्रकार दर केतानों दर वस्तु की नाप हीले वर जिता जो विशेष दर का लाभ वहूँ दर्शाया गया है।

विभिन्न प्रकार की नाप की व्याप्ति

इन दाम में दर का विवरन्त मिल प्रकार होता, इसकी इन लिए विभिन्नता ने अपने दर में अधिक व्याप्ति दर्शायी है।



चित्र 22

उपरोक्त चित्र में MM_1 , MM_2 , MM_3 तीन माग वक्र रेखाएँ हैं। MM' सबसे अधिक लोचदार माग वक्र रेखा है। SS रेखा कर से पूर्व की पूर्ति वक्र रेखा, तथा SS' वक्र रेखा कर से बाइ की पूर्ति वक्र रेखा है। जब वक्र रेखा MM_1 कम लोचदार माग की वक्र रेखा है तो इस स्थिति में $T_1 P_1$ कर उपभोक्ताओं तथा $P_1 B_1$ विक्रेताओं को सहन बरना पड़ता है। दूसरी दशा में उपभोक्ताओं पर कर का भार पहली स्थिति से कम पड़ता है क्योंकि $T_1 P_1$ रेखा से $T_2 P_2$ रेखा छोटी है और विक्रेताओं द्वारा महन किया जाने वाला वर भार अपेक्षाकृत अधिक है। तथा तीसरी दशा में विक्रेता विक्रेताओं से अधिक वर भार की मात्रा महन करता है जबकि उपभोक्ता $T_3 P_3$ वर ही सहन करता है। प्रो॰ डाल्टन का मत है 'अन्य बत्तें समान रहने पर, वर उतना ही वस्तु की माग की लोच जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक भार विक्रेताओं पर पड़ेगा।'¹ क्योंकि लोचदार माग की वस्तु पर मूल्यों के परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा। कर लगने पर यदि विक्रेता सारा भार उपभोक्ताओं पर ढालना चाह तो वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ जाने से उनकी माग कम हो जाएगी। इसलिए विक्रेता अपनी वस्तुओं को अधिक मात्रा में बेचना चाहेंगे तो उनको कर का भार स्वयं बहन करना पड़ेगा जिससे उपभोक्ताओं की माग में कमी न हो।

माग की लोच पर कर भार का जो प्रभाव पड़ता है उससे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं :

- (अ) वस्तु की माग पूर्णत बेलोचदार होने पर कर भार विक्रेता पर पड़ता है।
- (ब) वस्तु की माग पूर्णत लोचदार होने पर कर भार विक्रेता पर पड़ता है।
- (स) वस्तु की माग जितनी अधिक लोचदार होती है कर का उतना ही अधिक भार विक्रेता पर पड़ता है।
- (द) वस्तु की माग जितनी अधिक बेलोचदार होती है वर के भार का उतना ही अधिक अण विक्रेता पर पड़ता है।

पूर्ति की भूमिका व करापाति


वर का विवरण तथा वर का करापात वस्तु की पूर्ति पर भी आधारित होता है। अब हम पूर्ति की लोच की दृष्टि से कर भार की बिवेचना बरेंगे

¹ Dalton 'Principles of Public Finance' (1949) Routledge & Kegan Paul Ltd., London, pp. 53 & 54

1. पूर्णतया लोकदार पूर्ति

पूर्ति के ग्राहकर्य उन भागों से हैं जो विक्री विनेप दृश्य पर विशेषज्ञों द्वारा बेची जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब वार्ता प्रणालीमध्ये इन्हें पर, यदि वन्नुप्रति भी पूर्ति लोकदार हो तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ भर भार वो उपभोग्यालयों पर हैं जो उपलब्ध में उपलब्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति आम लोकेजालयों वाजार में जीवन नष्ट न होने वाली वस्तुओं के संबंध में पार्द जाती है।

सरकार जब विक्री भी वन्नु पर कर समाती है तो उत्पादन भाग में वृद्धि हो जाती है। इसके पलस्टरप कारखारोंपर के वारप के तो वे उपर्यन्त उत्पादन जी भावा बढ़ वर देते हैं या उत्पादन बढ़ना ही बद वर देते हैं। उस अवध्या में वन्नु की पूर्ति में वर्ती होने के वारप इन्हें इन्हें बस्तु जै नूत्र में वृद्धि होने जाती है। इस प्रकार उत्पादक कर के भार वो पूर्ण दृष्टि उपर के विशेषज्ञों से बन्नु वरते हैं। इच्छों हम निम्न चित्र से चनक्षा नहते हैं।




चित्र 23

उपरोक्त दशा में बर अरए जूने वाली वस्तु की दृति दृष्टिरूप में रोकदार है। इन प्रकार इन दशा में नक्षी भार विवेता दिना पर दाने के उपर उत्पादन के पूर्णतया सुधर हो जाता है।

- १ उपरोक्त चित्र में $P'P'$ रेखा कर के बाट की ब pp रेखा बर में उत्तर की पूर्ण लोकदार पूर्ति दृष्टि देताएँ हैं। PP' बर भार की गणि है जिसके जागत दृश्य MN से बटवर $M'N'$ हो जाए है, जो कि अर की भावा के बनावर है। अर कर्तुम बर भार उपभोग्यालयों पर हो पह रहा है।

२ पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति

अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति पूर्ण बेलोचदार है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता मूल्य परिवर्तन के अनुमार वस्तु की पूर्ति में घट-बढ़ नहीं कर पाता। इस प्रकार इस दशा में कर के भार को स्वयं उसको ही बहन करना पड़ता है यदोंकि वह अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर पाता। वह कर का विवरण बेताजो पर करने में असफल होता है। इस दशा को हम निम्न चित्र से समझ सकते हैं




चित्र 24

उपरोक्त चित्र में MM' वस्तु की बेलोचदार पूर्ति की बह रेखा है तथा DD वस्तु की माग है। DD माग के OP मूल्य पर वस्तु की OM मात्रा बिक रही है। इस दशा में कर लगाने से न तो वस्तु की बिक्री ही कम होती है (क्योंकि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है) और न ही वस्तु के मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी ही होती है। अतः विक्रेता पर ही मापूर्ण कर का भार पड़ेगा।

३. पूर्ण लोचदार व पूर्ण बेलोचदार पूर्ति के बीच की स्थिति

बरारोपित वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही अधिक मात्रा में कर भार ऐसा बहन करेगा तथा वस्तु की पूर्ति जितनी ही अधिक मात्रा में बेलोचदार होगी, कर भार उतनी ही अधिक मात्रा में विक्रेता द्वारा बहन करना पड़ेगा। प्रो० डाल्टन के अनुमार, 'अन्य बानें समान रहने पर कर लगाई हुई वस्तु की पूर्ति की बोच जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक कर का भार बेताओं द्वारा

वहन करना पड़ेगा।¹ क्योंकि लोकदार पूर्ति पर उत्पादन लाभ में परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा इनमें से जोने पर बढ़िया भाग वर क्षेत्राओं ने महन जिया तो उत्पादन नागर वट जाएगी और बस्तु का उत्पादन घट जाएगा। अब ऐसा इस प्रकार वौं बस्तु पर कर के भाग की महन खरें लिख्से ढनहों प्राप्त होने वाली बस्तुओं की मात्रा में कमी न आए। इस प्रकार विक्रीपूर्ति वौं बस्तु करके भाग के भाग वौं क्षेत्राओं पर लाने का प्रयत्न करता है और ऐसा नागर वरके दमदों विक्रेताओं पर विवर्तित करता है। इसके दम निम्न चक्र वौं सहायता ने नज़ारा मचवते हैं।



चित्र 25

उपरोक्त रेखाचित्र में जब पूर्ति वौं नोच कर है अर्थात् S_1S_2 रेखा है तो कर का अधिक भाग LQ क्षेत्राओं पर पड़ता है और वह भाग LP_1 क्षेत्राओं पर। परन्तु जब पूर्ति अधिक लोकदार (SS_2) है तो कर भाग विक्रेताओं पर बम ही जाता है— LQ के बराबर। परन्तु क्षेत्राओं जो इन स्थितियों में जब पहली स्थिति के अन्तर्गत (यानि LP_2) कर भाग वहन करना पड़ता है। यदि पूर्ति रेखा छिपिये तब जाए अर्थात् पूर्ति पूर्णतया लोकदार हो जाए तो कर का नागर भाग क्षेत्राओं पर ही जाएगा तथा विक्रेता कर के भाग में मुक्त हो जाएगे। इनी प्रश्नार जब भाग वौं रेखा पूर्णतया लोकदार हो जानी है तो कर का नागर भाग विक्रेताओं पर पड़ता है, अर्थात् क्षेत्रा कर नहीं देते। इसके निपरीत जब पूर्ति रेखा इसके ज्ञानी अर्थात् पूर्ति पूर्णतया वेलोकदार होगी तो कर का सम्पूर्ण भाग विक्रेताओं पर होता। इनी प्रश्नार माग वौं रेखा भी जब पूर्णतया वेलोकदार होगी तो कर का भाग क्षेत्राओं पर होगा।

¹ Dalton : Op. Cit., p. 54.


निष्पर्यं के तौर पर टेलर का यह कथन है कि 'विमी वर को विवरित किया जा सकता है कि नहीं यह प्रतिपक्षी की उम शक्ति पर आधारित रहता है जिसके द्वारा उमका विवरण रोका जा सकता है। बचाव करने की यह शक्ति माग व पूर्ति की लोच म प्रदर्शित होती है। उपभोक्ताओं की माग का बेनोचदार होना बचाव की दुर्बलता का चेतक है और माग का लोचदार होना शक्ति का। इसी प्रकार उत्पादका व विकेन्ताओं के लिए पूर्ति का बेनोचदार होना दुर्बलता प्रदर्शित करता है और लोचदार होना शक्ति का।' ¹ यीँ ही प्रतीत होता है। प्रो० डाल्टन के अनुसार भी, 'विमी भी वस्तु पर लगाए गए वर का प्रत्यक्ष द्राविक्ष बोझ त्रेताओं व विकेन्ताओं के मध्य बरारोपित नई वस्तु की माग व पूर्ति की लोच के अनुपात पर निर्भर करता है।'²

पूर्ण प्रतियोगिता में कर विवरण

पूर्ण प्रतियोगिता में तात्पर्य

पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस दशा को बहते हैं, जहा पर निम्न दशाएँ विद्यमान होती हैं—(1) त्रेता और विकेन्ता अधिक सक्षम मे हो, (2) श्रेताओं और विकेन्ताओं को बाजार मबद्दी पूर्ण जानकारी होती है, (3) उत्पत्ति के माध्यमा का ममुचित प्रयोग होता है, (4) सारे बाजार मे मूल्य एक सा होता है, (5) उत्पादन व्यय बस्तु के मूल्य के बराबर होता है।

जैसा कि उपरोक्त बातों से विदित है विकेन्ता को बाजार मूल्य, वो स्वीकार करना पड़ता है। उसका पूर्ति के केवल योहे में भाग पर ही नियन्त्रण होता है। यदि मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता मे बहते हैं तो उसको उत्पादन वय करने के लिए वाध्य होना पड़ता है। इम प्रकार उसका कुल लाभ या कुल बचत वय हो जाती है। इसको प्रो० जे०डे० महता ने निम्न चित्र द्वारा विख्लाया है




चित्र 26

1 Philip E Taylor 'The Economics of Public Finance' p 287.

2 Dalton Op. Cit pp 55-56

विक्रेता सूर्य प्रतियोगिता के बदले वेवल अपनी लाभत ही प्राप्त कर पा रहा है। उनको अधिकतम लाभ या अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं हो रहा है। उपरोक्त चित्र में AC और उत्तर लाभत बक्क है। ACT बक्क वर लगने के बाद की दिना को व्यवन बरती है। NN' मूल्य वर लगने से पहला तथा M'P' मूल्य वर के बाद का मूल्य है। मूल्य में QR के बराबर वृद्धि हुई है। वर लगने से उपभोक्ता को QRNP मात्रा के बराबर त्याग बरना पड़ता है जो नरवार को प्राप्त होने वाली आय QSMP के बराबर है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की हानि=नरवार की आय। अत इस स्थिति में विकेता का कोई भी वर भार नहीं बरना पड़ता क्योंकि वह सपूर्ण वर वा भार उपभोक्ता पर लाइन म नफर होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वर का भार उपभोक्ता ही नहून करता है।

उपरोक्त दशा व्यवहार में नहीं पाई जानी है। अब हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करेंगे जहा पर मार बक्क पूर्णत बक्क को निम्नतम बिंदु पर छाटता है। इन प्रकार हम दशा में नरवार को मिन्ने चाहे लाभ की अपेक्षा उपभोक्ता की हानि अधिक होती है जिसको निम्न चित्र में समझ सकते हैं



चित्र 27

उपरोक्त चित्र में नरवार को प्राप्त होने वाली आय वा लाभ और बराबर-पर वे बारज उपभोक्ताओं को होने वाली हानि में अपानव नवद्य है। इस दशा में मार बक्क पूर्णत बक्क को निम्नतम बिंदु पर छाटता है। इसमें उपभोक्ता नरवार के लाभ की अपेक्षा हानि अधिक नहून होता है।

सूर्य प्रतियोगिता की दशा में कुन मार्गिक हानि अधिक होती है। सूर्य प्रतियोगिता में वर वेवन मार व पूर्ण वी विचारधारा को दर्शात रखते हुए ही

नहीं लगाना चाहिए अपितु अन्य बातों को भी स्थान में रखना आवश्यक है जो कि निम्न है-

(1) कर का स्वरूप कर का विवरण कर के स्वरूप पर बहुत कुछ निम्नर होना है। मामान्यता निश्चित कर राशि जैसे लाइसेंस शुल्क अथवा आय और सपति पर प्रतिशत करों का विवरण कठिन होता है। निश्चित राशि करों की प्रहृति स्थिर लागत जैसी होती है। अत वभी-वभी अत्प्राक्त म स्थानाधिक टिन वाँ स्थान में रखते हुए उत्पादक इन्हें बेताओं पर विवरित करने के स्थान पर स्वयं सहन करना पस्त करते हैं। विभीता उत्पादन पर लगाए जाने वाले करों की प्रहृति परिवर्ती लागत भी होती है। इमनिए विक्रेता और उत्पादक इन्हें विवरित करने का यथासम्भव प्रयाम करते हैं। वयोंकि यह तो भृष्ट ही है कि विक्रेता अत्प्राक्त में भी परिवर्ती लागत को बेताओं से बसूल करना चाहते हैं।

(2) कर की राशि : यदि करारोपित वस्तु के मूल्य के अनुपात में कर की राशि बहुत कम होती है तो विक्रेताओं के लिए उमरा विवरण असुविधाजनक होता है। यदि मरकार 75 पैसे के सातुन पर आधा पैसा कर लगाती है तो विक्रेता को इसे उपभोक्ताओं पर विवरित कर पाना सरल नहीं होगा। अनेक वह इस कर का भार स्वयं ही सहन करेगा।

(3) स्थानापन वस्तुएँ किसी भी करारोपित वस्तु की स्थानापन वस्तुएँ जितनी अधिक होगी उम पर लगाये गए करों का विवरण उतना ही कठिन होता है। यदि विक्रेता करारोपित वस्तु के मूल्य में बढ़ि बरके अथवा उमके गुण में वभी बरके विवरण का प्रयाम करता है, तो स्थानापन वस्तुओं की विभी बढ़ जाने की संभावनाएँ अधिक हो जाती हैं। इस बारण करारोपित वस्तु की माग कम हो जाने के भय से विक्रेता उस वस्तु पर लगे हुए कर भार को स्वयं सहन करता है।


(4) धम व पूँजी की गतिशीलता : धम व पूँजी की गतिशीलता में अभिप्राय धम व पूँजी के एवं उद्योग में दूसरे उद्योग म स्थानान्तरण में है। जब भी मरकार विक्रेता पर कर लगानी है तो विक्रेता वस्तु के मूल्य में बढ़ि बरके उम उपभोक्ता पर विवरित करना चाहता है। ऐसा करने में विक्रेता की वस्तु की माग कम हो जाती है। यदि धम व पूँजी की गतिशीलता है तो ऐसी स्थिति में धम व पूँजी को दूसरे उद्योग में मुगमतापूर्वक स्थानान्तरित किया जा सकता है तथा उम मरकार करारोपित कर बुरा प्रभाव उपिलोकर नहीं होता। यदि गतिशीलता पूँजी हो तो उत्पादक को हानि नहीं उठानी पड़ती। यदि पूँजी व धम में गतिशीलता है तो कर का भार उत्पादक को स्वयं बहन करना पड़ता है।

उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव ,

उत्पादन के नियम भी कर भार एवं कर विवरण को प्रभावित करते हैं।

उत्पादन के लिए नियम हैं जिनके अनुरूप विनी भी बन्ते का उत्पादन हो सकता है। ये हैं (क) ब्रमाण्ड उत्पत्ति हास नियम (ख) ब्रमाण्ड उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा (ग) ब्रमाण्ड उत्पत्ति नन्ता नियम।

(क) ब्रमाण्ड उत्पत्ति हास नियम: इस नियम के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि होती है उत्पादन की प्रत्यक्ष इकाई की सामग्री बढ़ती जाती है। चरणरोपण के उत्पादन बन्ते के मूल्य में वृद्धि होती है इतरण मार्ग बन जाती जाती है। इसनिए उत्पादक पूर्ति में कभी करके बन्ते बन्ते की लागत वो बम कर सकता है। ऐसी नियति में चरणरोपण के बन्ते के मूल्य में जो वृद्धि होती है वह वर की राशि और नुसना में बम होती है। इस प्रबार का बुद्ध भार क्रेता सहन बरता है और बुद्ध भार दिक्रेता। इनका हम एक उदाहरण द्वारा जाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए 100 बन्ते जो का उत्पादन 4 रुपये प्रति इकाई की सामग्री पर हो रहा है और वह बगड़ार में 4 रुपये प्रति इकाई के मूल्य पर दिक्रेता है। यदि प्रत्येक बन्ते पर वर एक रुपये की दर में लगाता जाता है तो बाजार में प्रत्येक इकाई का मूल्य 5 रुपये ही जाता है। मान लीजिए मूल्य के बदले से मार्ग बन हो जाती है और उत्पत्ति घटकर 80 इकाई हो जाती है तथा लागत 3 रुपये से घट कर 2 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ऐसी जबम्हा में वर की जोड़कर बन्ते का मूल्य 3 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। स्पष्ट है कि उत्पत्ति हास नियम के अनुरूप करायेतप के उत्पादक बन्ते के मूल्य में वृद्धि कर वो राशि से बम होगी और इस प्रबार कर का समूप भार क्रेताओं को सहन बरता पड़ेगा। इसे हम निम्न चित्र द्वारा समझा सकते हैं।




चित्र 28

OX पर उत्पादन तथा OY पर मूल्य दिखाया गया है। DD नाम देवा तथा SS पूर्ति रखा है। मूल्य P दिखाया जहा मार्ग तथा पूर्ति बन देखाए एक दूसरे

को काटती हैं, निर्धारित होता है। PQ वर की राशि है। करारोपण के उपरान की पूर्ति रेखा SS हो जाती है जो D रेखा को P रिहु पर काटती है। मूल्य में बेकल LP से बढ़ि हुई है जो समूर्ण वर राशि QP में कम है। संपत्ति है कि तुल वर की मात्रा QP' का LQ भाग बिकेना तथा LP के महन करना पड़ेगा।


(ख) अधिकत उत्पत्ति बढ़ि नियम : इस नियम के अतिरिक्त उत्पादन में जैमे-जैसे बढ़ि होती है, प्रत्येक इकाई लागत कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में करारोपण से वस्तु का मूल्य वर की मात्रा में अधिक बढ़ जाता है और इस प्राचार ब्रेना को वर की मात्रा से भी अधिक भार गहन करना पड़ता है। दूसरे हाथों में करारोपण का तुल भार उपभोक्ता या ब्रेना को ही महन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि करारोपण द्वारा मूल्य में बढ़ि होने से भाग कम हो जाती है, उत्पादन घटता है तथा उत्पादन की प्रत्येक इकाई लागत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में करारोपण से वस्तु का मूल्य वर के अनुपात में बढ़त अधिक बढ़ जाता है।

पूर्व उदाहरण द्वारा हम इसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक उत्पादक 100 वस्तुओं का उत्पादन 4 रुपये प्रति इकाई की लागत पर करता है, जो बाजार में भी 4 रुपये की विक्री है। अब यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य तुरत बढ़कर 4 रुपये 50 पैसे हो जायेगा और मान लीजिए कि भाग के बढ़ने के कारण भाग घट जाती है तथा पूर्ति भी कम होकर 80 वस्तुओं की हो जाती है। उत्पादन घटने से प्रत्येक इकाई की लागत बढ़कर 4 रुपये 50 पैसे है तथा वर जोड़कर मूल्य 5 रुपये ही जाता है। अतः हम वह सकते हैं कि अधिकत उत्पत्ति बढ़ि नियम के अतिरिक्त उत्पन्न की जाने वाली वस्तु पर करारोपण के कारण मूल्य में जो भी बढ़ि होगी वह वर की मात्रा से अधिक होगी। निम्न रेखाचित्र इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है।



इम चित्र म SS' कर लगाने में पूर्व की पूनि रेखा है तथा S'S' वरायेपण के उपरात को। कर-लगाने से मूल्य MP बढ़कर M'P' हो जाता है। यद्यपि बुन कर की मात्रा LP' है परन्तु मूल्य म वृद्धि इसमें भी विप्रिक लक्षण P'Q के बराबर है।

(ग) अमापत उत्पत्ति समता नियम : जब उत्पादन इस नियम के अन्तर्गत होता है तो उत्पादन के घटने-बढ़ने पर भी उत्पादन की प्रति इकाई लागत समान रहती है तो ऐसी स्थिति में बन्तु पर कर लगान में मूल्य म वृद्धि दीवार कर की राशि के बराबर होती है और कर का संपूर्ण भार उपभोक्ताओं या उत्पादकों को ही बहन करना पड़ता है। मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता भाग वो कम कर देता है। उत्पादक भाग के घटने के कारण पूर्ति को कम करके कर के भार को उपभोक्ताओं को बहन करने के लिए बाध्य कर देता है। इससे पिछले उदाहरण के द्वारा समझता में समझाया जा सकता है। मान लीजिए उत्पादक 100 बन्तुओं वा उत्पादन 4 रु. प्रति इकाई की लागत पर करता है। प्रत्येक बन्तु पर मदि 50 पैसे का कर लगाया जाता है तो बाजार में प्रत्येक बन्तु वा मूल्य बढ़कर 4 रु. 50 पैसे हो जाता है। बड़े हुए मूल्य के कारण उपभोक्ता अपनी भाग की घटा कर 80 बन्तुओं की करते हैं। दूसरे ओर उत्पादक भी लागत ने विना परिवर्तन किए बन्तु की पूर्ति को घटाकर 80 कर लेता है। ऐसी बवस्या में भी कर की राशि को जोड़कर बन्तु का मूल्य 4.50 रु. ही होगा। इन प्राचार हम नह भवते हैं तिव्यागत उत्पत्ति नमाना नियम के अतिरिक्त उत्पन्न होने वाली बन्तु के करायेपण में उसके मूल्य में वृद्धि, कर की राशि के बराबर ही होती है और कर का संपूर्ण भार उत्पादकों या उपभोक्ताओं को ही सहन करना पड़ता है। हम इसे निम्न रेखाचित्र द्वारा समझा सकते हैं।



चित्र म SS वर म पूर्व की तथा SS' करारोपण से उपरात की पूर्ति रेखा है, MP वर म पहले तथा M'P' वर लगने के बाद का मूल्य है जिसमें P'Q के चरावर वृद्धि हुई है जो कि वर की राशि के बराबर है। स्पष्ट है कि वर का सपूर्ण भार नेत्राओं को ही भूतन करना होगा।

एकाधिकार में कर विवर्तन

एकाधिकार पर वर मुख्यतः दो प्रकार में लगाया जा सकता है। वर की प्रहृति को देखकर ही यह कहा जा सकता है कि एकाधिकारी कर भार इस विवर्तन करने में अपन हो सकता है कि नहीं।


(व) एकमुश्त कर या एकाधिकार लाभ पर कर

यदि एकाधिकारी पर एकमुश्त कर लगा दिया जाए अर्थात् विना किसी निश्चित आधार के एक निश्चित रूपमें निर्धारित कर दी जाए तो इस प्रकार के वर भार को वह उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी ने करारोपण से पूर्व ही वरनी वस्तु का मूल्य या उत्पादन की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की होगी कि उसे अधिकतम बैस्तविक एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में, वर लगन के उपरात मरि एकाधिकारी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है या उत्पादन में कमी करता है तो ऐसा करने से उसका कुल लाभ कम हो जायेगा। क्योंकि कर की राशि उसे अपने घटे हुए लाभ में से ही भरनी होगी इसलिए एकाधिकारी का घाटा और भी बढ़ जायेगा। इसके विपरीत यदि वह वरारोपण के उपरात उत्पादन पूर्ववत् मात्रा में ही करता है और पूर्व निर्धारित मूल्य पर ही वस्तु बेचता है, तो वर देने के उपरात जो कुछ भी उम्में पास लाभ बच रहेगा वह निश्चित ही अधिकतम होगा, क्योंकि इस स्थिति में उसका उत्पादन तथा विक्रय अधिकतम होगा। इन सदर्भ में टेलर (Taylor) ने लिखा है कि, 'ऐसी दशा होने पर कर से स्थाई लागत में वृद्धि होती है तथा सीमात लागत यथास्थिर रहती है। अतः हम देखते हैं कि इस कर से सीमात लागत और सीमात लाभ में कोई परिवर्तन न होने के कारण विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व मूल्य, जिस पर वह बेची जा रही है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कर का विवर्तन भी नहीं होता है।'¹

इसी प्रकार जब एकाधिकारी से उम्में कुल लाभों या कुल विक्री के किसी अनुपात में कर निया जाता है तो भी उसका विवर्तन नहीं होता। कारण यह है कि वर की राशि वा निर्धारण लों कुल लाभ के प्राप्त हो जाने अथवा कुल विक्री के हो जाने के पश्चात ही होगा। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी कर को स्वयं ही बहन करता है। उपरोक्त विचार को निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है।

¹ P E Taylor 'The Economics of Public Finance', pp 979-80

ऐसा चित्र में $AC =$ औनत लागत ब्र, $MC =$ नीमात लागत ब्र, $MR =$ नीमात आय ब्र तथा $DD =$ भाग ब्र है।



चित्र 31


चित्र में स्पष्ट है कि बर नामे ने नीमात लागत या भीमात आय में जोई परिवर्तन नहीं होता। इमनिए बहुत मुश्य तथा दिक्षी बहुत लागत बह है। चूंकि एक इकाई की औनत उत्पादन लागत KR है इनिए बहुत उत्पादन लागत ORKL है। बर के उपरांत औनत लागत ब्र AC_1 ही जानी है, इनिए बर बहुत लागत ORK₁L₁ हो जानी है। चूंकि एकाधिकारी बर नामे ने पहले ही RM मुख्य बहुत बर रहा है इनिए लागत मुख्य में बर बहुत जाने हैं बाद भी बोनत लागत बहिष्ठतम मुख्य RM से बह है। इन प्राप्त यह कहा जा बहता है कि बर का नदूँ भार एकाधिकारी ही बहुत बर रहा है। उत्पादन के बारप जूदि बहुत लागत में LK K₁L₁ में बढ़ हो जातो हैं, परन्तु इनके बरबर ही एकाधिकारी का लाभ बह हो जाता है।

(म) उत्पत्ति के अनुपात में बर

जब एकाधिकारी पर उनकी उत्पत्ति के अनुपात में बर लगता जाता है, तब वह बर को विवरित बरने में अक्षर हो जाता है। इमरा मुख्य जारी यह है कि ऐसा बर उनकी उत्पादन लागत में नमिलित हो जाता है। उससे बहुत जी नीमात लागत बढ़ जाती है और एकाधिकारी को अपने उत्पादन को निछोर मुख्य पर बेचने में लाभ नहीं होता है। इनिए बहुत उत्पत्ति की लागत को दर्शार अपनी बहुत जो बडे हूए मुख्य पर बेचता है ताकि उत्पादन लाभ बह हो। दूसरे के मत-

नुगार 'दूसरे बांगे के बारो (उपनि वे अनुपान में लगाये जाने वाले बर) को साधारणतया बांगे की ओर विवरित रिया जा सकता है क्याकि सीमात लागत एक ही दर में संपूर्ण तालिका में बढ़ जाती है, जिसमें सीमात लागत और सीमात लाभ में नया भतुलन स्थापित होता है और इसी प्रकार नया मूल्य और नई मात्रा में गतुलन स्थापित होता है।¹

इस स्थिति को निम्न रेशावित्र द्वारा स्पष्ट रिया जा सकता है।



चित्र 32

इस रेशावित्र में बर लगाने से पूर्व MC सीमात लागत बढ़ती है। यह सीमात लाभ की बढ़ती MR को P विटु पर बाटती है। ऐसी स्थिति में मूल्य MN है, बरारोपण के उपरात सीमात लागत बढ़ती MC₁ हो जाता है। यह सीमात लाभ की बढ़ती MR से P₁ विटु पर बाटती है। अब मूल्य बढ़ती MN₁ हो जाता है। उत्पादन की मात्रा OM से घटकर OM¹ हो जाती है। बर OF राजि के बराबर लगाया गया है, परन्तु उपभोक्ता पर बर का भार बेवज N₁F₁ ही पड़ता है और शेष भाग एकाधिकारी पर।

एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कर विवर्तन

एकाधिकारी प्रतियोगिता यह बाजार स्थिति है जो पूर्ण प्रतियोगिता एवं विशुद्ध एकाधिकारी दोनों चरम स्थितियों के मध्य में स्थित है। इसमें एक बस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं तथा उनमें प्रतिस्पर्द्ध होती है। उदाहरणार्थ, मायुन के उत्पादक जैसे लाइफब्राय, हमाम, रेक्सोना, पीयर्स आदि वर्दि उत्पादक हैं। प्रत्येक

उत्पादक अपनी उत्पादन नीति अलग बनाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक कर भार का विवरण एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता की विवेदा अधिक अनिश्चित रहता है। इस स्थिति में भी कर भार का निर्धारण तथा विवरण बहु विशेष की समेकित माग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। परन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कर भार का निर्धारण उतना मुनिश्चित नहीं होता जितना कि यह पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में होता है। इसका मूल्य कारण है कि वास्तविक व्यापार जगत में अलग-अलग फॉर्म अपनी-अपनी नीतियां अपनाती हैं जो परस्पर एक दूसरे की उत्पादन तथा कीमत समझी नीतियों को प्रभावित भी करती हैं।

एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में कर उत्पादन की मात्रा पर लगाया जाता है जिससे वस्तु की लागत बढ़ जाती है। इस स्थिति में उत्पादक वहा तक कर का विवरण बरने में मन्द होता है यह निम्न बातों पर निर्भर करता है:

- 1—वस्तु की माग तथा पूर्ति की लोच का अनुपात,
- 2—विभिन्न फॉर्मों या उत्पादकों के मूल्य सबध, तथा
- 3—दृष्ट उत्पादकों के उत्पादन खेत्र के त्यागने पर शेष उत्पादकों की बढ़ती हुई वस्तुओं की माग।

जहा तक वस्तु की माग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात का प्रश्न है, उसका विस्तृत विवेचन हम पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में नहीं कर सकते हैं। जहा दूसरी बात का मवध है वहा यह बतला देना आवश्यक है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशा में वस्तु के ऐसे तथा मूल्यों में अतर होता है और वे भिन्न-भिन्न व्यापारित चिन्हों द्वारा बेची जाती हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वस्तुओं में भेद उत्पन्न हो जाता है और वे भिन्न भिन्न गुण वाली समझी जाती हैं। यदि उत्पादक पृथक-पृथक अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाते हैं, तो उपरोक्ता उन उत्पादकों से वस्तुएं खरीदने लगते हैं जिनका मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है।

यहा भी दो परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रथम, यह कि उत्पादक कर की राशि के अनुपात में ही वस्तुओं के मूल्य में बढ़ि दिये जाएं। ऐसी दशा में स्थिति दूरवर्त बनी रहेगी क्योंकि अब भी मूल्यों में उतना ही अतर बना रहेगा जितना मूल्य बढ़ि से पूर्व था। जो नेता जहा से पहले खरीदता था अब भी वहीं से खरीदेगा। जहा यदि ऐसी वस्तुओं के स्थानापन्न उत्पलब्ध हो तो सभी उत्पादकों की वस्तुओं की माग घट जायेगी। इस भय से उत्पादक स्वयं ही कर भार बहन कर लेंगे।

दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि जिन उत्पादकों ने दूसरों की विवेदा अपनी वस्तुओं के मूल्य कम रखे थे वे करारोपण के उपरात मूल्य बढ़ा दें और जिन उत्पादकों वे मूल्य पहले ऊचे थे, वे माग के घटने के भय से अपनी वस्तुओं के मूल्यों को न बढ़ाए। ऐसी दशा में यह हो सकता है कि ग्राहक गुण को इच्छि में रखे

बिना सस्ती वस्तु ही खरीदना प्रयत्न करते हो तो वे उस उत्पादक की वस्तु खरीदेंगे जिसका मूल्य वह होगा या जिसका स्थानापन्न उपलब्ध होगा। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो मूल्य की अपेक्षा वस्तु के गुण को अधिक महत्व देते हैं, वे अपने उत्पादक से पूर्ववत् मात्रा में ही वस्तुएँ खरीदते रहेंगे। ऐसी दशा में उत्पादक बरारोपण वा भार के बल उन्हीं केताओं पर विवर्तित करते में सफल हो जाएंगे जो मूल्य में प्रभावित नहीं होते। फिर भी वस्तुओं की मात्रा वह हो जाने के कारण उत्पादकों को कर भार अशत् बहन करना ही पड़ेगा। इसके विपरीत जिन उत्पादकों ने अपनी वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ि नहीं की थी क्योंकि उनके मूल्य पहले से ही ऊचे थे वे कर भार को केताओं पर विवर्तित नहीं कर सकेंगे अपितु स्वयं ही बहन करेंगे।

कर भार तथा विवर्तन के परपरागत विचारों की आलोचना

हमने कर भार तथा कर विवर्तन वा अध्ययन परपरागत रीति के अनुसार विषय है। आधुनिक अर्थशास्त्री इस परपरागत विचारधारा से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस विचारधारा की निम्न आधारों पर आलोचना की है।

(1) कर भार का महत्वहीन वर्गीकरण परपरागत धारणा के अनुसार कर भार का आशय प्रत्यक्ष द्वाव्यक भार से है। इसे परोक्ष द्वाव्यक भार तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वास्तविक भार से भिन्न मात्रा गया है। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि इन विभिन्न प्रकार के कर भारों के बीच विद्या जाने वाला यह भेद वापिनिव है क्योंकि करारोपण से होने वाले सपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावों में समुचित रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। विनी भी कर के वितरणात्मक प्रभावों पर विचार करते समय यह अति आवश्यक है कि इस पर प्रभाव ढालने वाले सभी तत्वों का अध्ययन विद्या जाए। जैसा कि मस्त्रेव ने कहा है कि 'सभी परिवर्तनों पर समायोजन के परस्पर निर्भर अगों के रूप में ही विचार दिया जाना चाहिए—वह समायोजन जो सामान्य संतुलन को एवं ही सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त कार्यशील बने।'

(2) प्रत्येक कर का भार अतिम नहीं परपरागत अर्थशास्त्रियों की यह धारणा कि प्रत्येक कर का भार अतिम भार होता है, त्रुटिपूर्ण है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सभव हो सकता है कि कर लागाये जाए, हटा लिए जाए और उनके स्थानापन्न कर लगा दिए जाए परन्तु फिर भी कर का कोई भार न पड़े। इस अर्थ में कि सार्वजनिक उपयोग के लिए साधनों का कोई स्थानात्मण नहीं हुआ, व्यवहार में भार का पना तभी लगाया जा सकता है जब कर लगाने से साधनों का हस्तातरण व्यवितरण उपभोग से सार्वजनिक उपभोग में होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कर का भार विनी पर भी नहीं

पहना है क्योंकि वर देने ने भरतार को जो आय प्राप्त होती है यदि उसके खर्च को भी ध्यान में रखा जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न कुल लाभ वर देने से ही ही कुल हानि के बराबर होगा या ही सकता है जिसमें भी अधिक हो।

(3) चास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा, आयुनिक अर्थशास्त्रियों द्वा परपरागत कर भारत के बारे में मत है कि परपरागत विचारकों ने वान्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा भी है। उनके अनुसार कर भारत का अध्ययन निम्न दो दृष्टिकोणों में किया जाता जाहिए (1) आय के दृष्टिकोण में, (2) व्यय के दृष्टिकोण में। अधिकत यही वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञान करने के लिए निम्न बातों को भी विचाराधीन रखना आवश्यक है

(ज) अवितरण द्वारा बेची जाने वाली नेवाजों के विशुद्ध मूल्यों पर कर लगाने के उपरात होने वाले परिवर्तन अर्थात् कर लगाने के बाद मजदूरियाँ, बेतनों, सामग्री, आजो तथा किसाएँ में होने वाले परिवर्तन।

(ब) इन सबध में जो बात वान्तव में ज्ञान करनी है वह यह जि वितरण में अतिम परिवर्तन क्या हुए, यह नहीं जात करना है कि किमें हुए। वान्तविक आय में परिवर्तन करारोपित अथवा कर मुक्त वस्तुओं अथवा साधनों के मूल्यों के परिवर्तनों द्वारा हो सकते हैं अथवा वे अवितरण के बजट के आप पक्ष अथवा अवय एवं दोनों में से किसी वें द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु परपरागत अर्थशास्त्रियों ने इन सभ्यों को विचाराधीन नहीं रखा।

(4) करों के संबंध में व्यष्टि दृष्टिकोण : परपरागत धारणा में यह भाना गया है कि कर लगाने से दिसी न दिसी अवितरणों को हानि होती है और पर भारती विचारधारा के अतिरिक्त उम्मीद वाली अवितरण को मानूम किया जाये जो उन हानियों को बहन करता है। परन्तु आयुनिक विचारकों द्वा यह मतव्य है कि यदि कर लगाने में समाज को हानि होती है तो कर की रायि की वरयापकारी वायों पर व्यय करने से समाज को लाभ भी प्राप्त होते हैं। इनलिए बजट नीति में समाजीयोजन के फलस्वरूप होने वाले लाभों तथा हानियों दोनों पर ही विचार किया जाना जाहिए। यदि बजट नीति के समाजीयोजन अर्थात् वरावाल तथा सावंजनिक व्यय, दोनों पर एक साथ विचार किया जाए तो उससे यहाँ हानिया सामने आएगी वहा सामने भी मापने आएंगे। इमनिए कर भारत द्वा अध्ययन करते समय यहाँ वरारोपण की हानि को मिमिलित किया जाए वहाँ उन सामग्री अथवा उपलब्धियों को भी दृष्टिकोण रखा जाए जो लोक व्यय के बारप कुछ लोगों को प्राप्त होती है। इसी सबध में मन्येव वा वा अन्य उल्लेङ्हनीय है, 'हम कभी यह नहीं कर मरने जि हानि की कुछ विशिष्ट मदों का ही उल्लेख करें और उनका गवध नए कर के भारत में अथवा साधनों के नये स्थानातरण की लायत से जोड़ दें, तुक्त अन्य लाभों की ओर हानियों का परोक्ष प्रभाव वह कर द्वीप हो। अपितु हमें वितरण में होने वाले उन

सभी परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए जिनमें सभी व्यक्तिगत लाभ तथा हानिया सम्मिलित हो।¹

निष्पत्र रूप में कर भार की परपरागत विचारधारा पूर्णतया सही नहीं कही जा सकती। यह उचित ही होगा कि क्षतिपूरण वित्त व्यवस्था के सदर्भ में, जो यद्यपि अम्बेट है इस विचारधारा को और विस्तृत अर्थ में निया जाए। यही कर भार की आधुनिक विचारधारा है जिसका उल्लेख आगे किया गया है।

कर भार की आधुनिक विचारधारा

कर भार की विचारधारा को नई दिशा प्रदान करने का थेव स्वीडन के अर्थशास्त्री नट विर्मेल को है। उसुला हिंक्स तथा मसग्रेव ने इस नबोन विचारधारा को और विवित किया है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुमार कर भार का अभिप्राय आय के वितरण में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो कराधान तथा लोक व्यय (अर्थात् बजट नीति) के परिवर्तनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। बजट नीति के परिवर्तन निम्न तीन प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं-

(व) साधनों के निजी उपयोग से राजवीय उपयोगों के लिए स्थानात्मक।

(ख) कुल उत्पादन संबंधी प्रभाव।

(ग) व्यक्तियों के मध्य आय के वितरण संबंधी प्रभाव।

इन विचारों के अनुमार कर भार का अभिप्राय तीसरे प्रकार के उपयोग से है। नई विचारधारा उन सभी वितरण मध्यधी परिवर्तनों का उल्लेख करती है जो लोक आय तथा व्यय में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह परपरागत विचारधारा से विलकूल भिन्न है जिसमें कर भार का अर्थ द्वाव्यक भार से तिया जाता है।

कर भार

बजट नीति को पृष्ठभूमि में रखकर कर भार का अध्ययन निम्न दो बाधारों पर विया जा सकता है-

(1) विशिष्ट कर भार

कर नीति के परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले कर भार का अध्ययन तभी सम्भव हो सकता है जब बजट नीति के द्वारे पक्ष अर्थात् व्यय को यथास्थिर मान लिया जाए। करनीति में परिवर्तन उसी समय वहा जाएगा जब हम किसी विशिष्ट कर में परिवर्तन बरें। उदाहरणार्थ, आय करों की दरों में कमी या बढ़ि करना। ऐसा करने से वितरण में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम विशिष्ट कर भार कहते हैं।²

1 Richard A. Musgrave, The theory of Public Finance (1959), Mc Graw Hill Book Co Inc., P 230

2 Richard A. Musgrave op Cit., p 211

पूर्ण रोडगार की दशा में यदि बाय चर की दरें घटाकर जाएं तो सोनों के पाम बघिर चर शक्ति हो जाती है, कानम्बस्प दम्भुओं की माल बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा स्थिति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत आय चर नी दर में वृद्धि मुद्रा नवृचन की स्थिति को प्रोल्नाहित करती है। मुद्रा स्थिति तथा मुद्रा नवृचन, दोनों ही स्थितिया आय के वितरण को प्रभावित करती है। मुद्रा नवृचन से बाय निर्धन वर्ग ने धनीवर्ग की ओर स्थानात्मनि होती है। वही विनिष्ट कर भार है।

(2) विभेदक चर भार

वितरण उन भमय भी प्रभावित होता है जब एक चर के स्थान पर दूसरा चर यह मानते हुए संगाया जाता है कि सरकार दो दोनों से समान द्राविड़ आय प्राप्त होती है। वितरण पर ऐसा प्रभाव विभेदक चर भार के नाम से संधोधित किया जाता है। क्योंकि सरकार की द्राविड़ आय समान रहती है, इसकी विभेदक चर की सरकारी तथा व्यक्तिगत माल में दोई परिवर्तन नहीं होता। पर जो, मिल-मिल प्रदार के चर व्यक्तिगत माल दो मिल-मिल प्रदार से प्रभावित होते हैं, इसकी मूल्य स्तर अवश्य ही प्रभावित होता है। इसी बारण इसको विभेदक चर भार कहा गया है। इसका यह भी बयं है कि व्यक्ति जो बपने व्यय की स्थिति को यथापूर्व बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविक आय में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके बारण करों के परिवर्तनों के भायन्नाय सरकार की द्राविड़ आय समान नहीं रह पाती जिसमें विभेदक कर भार दो टोकन्टीक जान नहीं हो पाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों ही प्रकार के वितरणात्मक परिणामों को ज्ञात किया जाए। इसके लिए करों को लगाते भमय दोजार के मूल्य बदलने में उच्चते प्राप्त हीन वाक्यों द्राविड़ आय का व्यव्यवहार करना पड़ता। यह व्यव्यवहार विनिष्ट चर भार द्वारा अधिक उपयुक्त होगा तथा इसमें मुद्रा स्थिति तथा मुद्रा नवृचन के प्रभावों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ब्यय भार

चर जा दोवा तथा उपकी दरों को यथापूर्वक रखने हुए यदि सरकारी व्यय में परिवर्तन किए जाएं तो नुष्ठ वितरण नवकी प्रभाव दिखाई पड़े। दूसे ही ब्यय भार कहा जाता है। ये ब्यय भार को प्रकार के होते हैं।

(1) विनिष्ट ब्यय-भार

जब सरकारी ब्यय म क्षी या वृद्धि होती है तो सरकारी उपरोक्त में आम दाने साझनों के स्थानात्मक में कैन-वदन हो जाता है। सरकारी ब्यय के परिवर्तनों के फलम्बन्य स्थितियों की आव में होने वाले परिवर्तन ही विनिष्ट ब्यय भार कहे जाते हैं। सरकारी ब्यय में वृद्धि होने ने जनता की आय बढ़ जाती है और

मुद्रा स्फीति वी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सरकारी व्यय के घटने के कारण लोगों को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाती है और मुद्रा संबंधी गवां शक्तिया क्रियाशील हो जाती है।

(2) विभेदक व्यय भार

लोक व्यय के परिवर्तनों से उत्पन्न मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संबंधी व्यय के हिच-कोलों से हमें बचाव करना चाहिए परन्तु ऐसा सतुरित बजट के द्वारा के अतर्गत ही होना चाहिए। इसमा अभिप्राय यह है कि लोक व्यय वी वृद्धि के परिणामस्वरूप जो एक दिशा में वृद्धि होगी उसे किसी अन्य दिशा में लोक व्यय कम करके प्रभाव-हीन बनाया जाए। लोक व्यय के ऐसे वितरण संबंधी प्रभावों को ही हम विभेदक व्यय भार कहते हैं।

उपरोक्त विभिन्न प्रकार के प्रभावों में से मस्त्रेव सबसे अधिक रुचिकर विभेदक कर भार की विचारधारा को मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में, 'वर भार की समस्या स्वामानिक है जो ही वस्तुओं तथा सेवाओं पर सरकारी व्यय में परिवर्तनों वी इतनी नहीं है जिनकी कि कर भ तथा स्थानान्तरण वी नीति में होने वाले परिवर्तनों में अधिक रुचि लेने की है। सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ जहाँ वितरणात्मक महत्व रह सकते हैं, विशेष है से गुणधारित अवश्यवत्ताओं की स्थिति में, वहाँ ये लाभ वर भार का अग नहीं होने। इस शब्द का जिस प्रकार हम प्रयोग करते हैं वह तो उन परिवर्तनों तक ही सीमित है जो गैर सरकारी उपभोग में वाम आने वाली आय के वितरण में होते हैं।'¹

¹ Rechard A. Musgrave, op cit., p. 214

करदेय क्षमता

आधुनिक सुग की परिवर्तन परिस्थितियों में राज्य का कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके कल स्वरूप वह भार भी बढ़ता जा रहा है जिसे पूरा बरन के लिए सरकार वो नए-नए वरों को दोज करनी पड़ती है। आप दिन हम नए वरों के बढ़ते हुए भार की चर्चा मूलतः रहते हैं और उसके प्रति होने वाली वालों चनाओ—प्रत्यालोचनाओं की पढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या कर दिशी भी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है? अब करकारा को कर अदा करने के कारण अपने उपभोग में कटौती करनी पड़ती है अथवा उसके बचत-विनियोग की किया प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है तो ऐसी दशा में कर यहाँ तक दिया जा सकता है। अपश्य ही कोई ऐसी सीमा होनी जहा तक इन नरों का भूगतान किया जा सकता है। यह नीमा ही करदेय क्षमता को दर्शाती है। सरन गब्दों में कोई व्यक्ति कितना कर भार चुकता है, यदा एक देश में मामूलित रूप में कितना कर भार चुकते की जाकिए हैं यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो करदेय क्षमता की ओर सकेत करता है।

करदेय क्षमता की परिभाषा¹

करदेय क्षमता वा ठीक-नीक अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत समय में विवाद चला आ रहा है और आज भी अर्थात् स्थितियों में देश सबध में मतभेद है। कुछ वित्त-शास्त्रियों ने करदेय क्षमता को परिभाषाएँ दी हैं, परन्तु वे भी अस्पष्ट हैं।

भर जोशिया स्टाम्प के विचारानुसार, 'करदेय क्षमता' कुल उन्पादन में ने उस धनराशि को भटाने के बाद जो पचास रुपये जो वहा जा सकता है जोकि जनता के निर्वाहक्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो।'¹ इस परिभाषा [वे] अनुसार कुल उन्पादन से आशय व्यक्तियों द्वारा छत्पादित तथा उपलब्ध आय वो कुल राशि है, परन्तु सरकार इन समस्त आय वो बराधान के रूप में नहीं ले सकती क्योंकि इनमें न कुछ न कुछ राशि व्यक्तियों के पास उनके उपभोग के लिए अवश्य छोड़नी पड़ती। इसलिए जनसद्या वी करदेय क्षमता वा माप उन्पादन वी उस कुल मात्रा से किया जा सकता है जिसमें व्यक्तियों के निर्वाह के लिए आवश्यक रूपम बटा

¹ Josiah stamp. Quoted by Dalton in his book Public Finance, p. 167.

दी गई हो। इस परिभाषा में उत्पादन का माप तो आवंडा द्वारा किया जा सकता है परन्तु जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि क्या होगी इसका निश्चित माप न मिथ नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

जोशिया स्टाम्प न एक अन्य स्थान पर दूसरी परिभाषा भी दी है। इस परिभाषा के अनुसार करदेय क्षमता वह न्यूनतम धनराशि है जो विसी देश के नागरिक द्वयी तथा विपन्न जीवन विताए बिना और आधिक समर्थन को अधिक अस्त-व्यस्त निए बिना¹ सहजारी स्वर्गों के लिए दे सक। इस परिभाषा में भी बैसी ही विठ्ठार्ड उपस्थित होती है जैसी कि पहली मध्यी। इसमें भी स्पष्टता एवं निश्चितता ना अभाव है। उदाहरण के लिए इस परिभाषा में जो यह कहा गया है कि 'दुखी तथा विपन्न जीवन विताए बिना और आधिक समर्थन को अधिक अस्त व्यस्त निए बिना इनके कोई स्पष्ट तथा उपयोगी जर्थ नहीं निकाले जा सकत। वास्तव में 'दुखी जीवन क्या है? इस बात का निश्चय कैसे किया जाए कि आधिक समर्थन 'अधिक' अस्त व्यस्त नहीं हुआ है? एक अन्य प्रसंग में जोशिया स्टाम्प ने, उत्पादित तथा वितरित आप को ही उन तत्त्वों के रूप में स्वीकार किया है जिन पर करदेय क्षमता आधारित होती है—अर्थात् जितनी आप अधिक होती है और तोगों के बीच उम आप का वितरण जितना अधिक श्रेष्ठ होता है ऐसे सागों की करदेय क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसमें कुछ सत्यता अवश्य है परन्तु करदेय क्षमता की धारणा को उत्पादित तथा वितरित आप की बेबल एक ही क्षमोदी पर आधारित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति करों के रूप में मरकार वो वितनी धनराशि देने में समर्थ होगे, यह बेबल व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुल आप पर ही नहीं, अपितु कुछ अन्य तत्त्वों पर भी निर्भर करता है।

फिनले शिराज ने करदेय क्षमता की परिभाषा इस प्रकार दी है, 'करदेय क्षमता निचोड़ की सीमा है। यह उम न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल अतिरिक्त है जो ऐसे उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें रहन-सहन का स्तर पूर्ववत् बना रहे।² इस विचारधारा के अनुसार करदेय क्षमता उस अधिकतम धनराशि की ओर सहेत बरती है जो सरकार लोगों से करों के रूप में प्राप्त कर सकती है और उससे अधिक यदि कर तथाया गया तो सभवत् ऋति तथा गृहयुद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। शिराज ने अपनी परिभाषा में व्यक्तियों के निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम धनराशि, उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए पूजी वी पुनर्स्थापना तथा असमें बृद्धि करने की धनराशि सम्मिलित की है। आलोचकों वा मन है कि न्यूनतम उपभोग, उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए पूजी वी पुनर्स्थापना तथा इसमें बृद्धि के बाबतों का कोई स्पष्ट जर्थ नहीं निकाला जा सकता। न्यूनतम उपभोग क्या हो तथा पूजी में बृद्धि जितनी हो, इन प्रभनों के

1 Josiah Stamp 'Wealth and Taxable Capacity', p. 134

2 Finlay Shurrs 'The Science of Public Finance', p. 132

उत्तर परिभाषा में अप्ट नहीं होते। उम परिभाषा में नोवेलिन को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि नोवेलिन में व्यतिगत वरदेय क्षमता में वृद्धि होती है।

ड्रमन्ड ऐजर के भतानुमार, 'वरदेय क्षमता उम आधिकार का प्रशंसन है, जो उत्पादन और उम न्यूनतम उपभोग में जो उम उत्पादन को बनाए रखते के लिए आवश्यक है, अन्तर गे प्रकट होता है।' परन्तु जीवन स्तर में कोई अन्तर नहीं होता चाहिए। फ्रेजर न बरारोपण की उधिकारतम भीमा की पहचान भी बनताई है। उमने लिखा है कि, जब वरदानावा को कर लदा करने के लिए देंको ने उधार भेज के लिए चाह्य होता पड़ता है, तो वरदेय क्षमता की भीमा आ जाती है।' ऐजर भी यह विचारधारा भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि तोग तेका म उधार केवल कर की अदायणी के लिए ही नहीं लेते बरन व्यापारिक कार्यों के लिए भी लेते हैं।

इसके अतिरिक्त इन नभी परिभाषाओं में यह दोष है कि वरदेय क्षमता नो जात करते समय के नोवेलिन भी लोर ध्यान नहीं देती। वरदेय क्षमता म उम समय तक निरतर वृद्धि को जा सकती है जब तक कि मरकार इम प्रकार धन का उपयोग जनता की उत्पादकता बढ़ाने में करनी रहे। मार्केजनिक थोक मरकारी व्यवहार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्मान करता है और नियमी थोक सो उमके विनाय जीवित नहीं रह सकता।¹

इन सब विचारों को दृष्टि में रखते हुए, बूठ विश्वासों ने नो न्यूयर वरदेय क्षमता के विचार की लालोचना की है। उदाहरण के लिए डार्टन ने कहा है कि, 'ऐसी किसी भी नियन्त्रित धनराशि का निर्धारण करना पूर्णत अमर्भव है किसके विषय में यह कहा जा सके कि यह धनराशि किसी विशेष समय में सुमाज की वरदेय क्षमता की सीमाओं का प्रतीक है।'² डार्टन ने अपने विचार के समर्थन में प्री० एडविन बेनन ने पूछे गए इन प्रश्न के उत्तर का उल्लेख किया है कि, 'किसी भी देश की वरदेय क्षमता का पता कैसे लगाया जा सकता है?' बेनन ने उत्तर में कहा था, 'किसी प्रवार भी नहीं लगाया जा सकता।'

निरपेक्ष तथा सापेक्षिक वरदेय क्षमता

वरदेय क्षमता ना मात्र जहा बहिन है वहा डार्टन तथा गिरज जैने नोवेलिन ज्ञास्त्रियों ने सापेक्षिक वरदेय क्षमता की धारणा को अधिक उपयोगी बताते हुए निरपेक्ष तथा सापेक्षिक वरदेय क्षमता में भेद बताया है। निरपेक्ष वरदेय क्षमता का अर्थ है, नाशरिकों को न्यूनतम निवोद्ध पौरूष देने के उपरान राज्य द्वारा उनमें जो भी धनराशि बनूते हों जा सके। जैसा कि गिरज ने कहा है, 'निरपेक्ष वरदेय क्षमता निचोड़ की भीमा है।'³ परन्तु जैसा कि हम पहले बताता चुके हैं, 'न्यूनतम

1. See Richard A. Musgrave, 'The Theory of Public Finance', p. 51.

2. Dalton, 'Public Finance', p. 120.

3. Finlay Shurrs, *Op. cit.*, p. 229.

निवाह स्नर' तथा 'निचोड़ने की मीमा' के वाक्याश सदिग्द तथा अव्यवहारित हैं। सभवत निरपेक्ष करदेय क्षमता का यह अर्थ लिया जा सकता है कि कराधान वो उस मीमा तक ले जाना चाहिए जहां पर करदाता के पास शेय कुछ भी न वचे। इसके विपरीत सापेक्षिक करदेय क्षमता से तात्पर्य है कि एक समुदाय की तुलना म दूसरे समुदाय की करदेय क्षमता नितनी है। इस प्रकार यदि दो या दो से अधिक समुदायों दो किमी लोकव्यय के लिए धन देना पड़ता है तो यह धन उनकी मापेक्षिक करदेय क्षमता के अनुपात में ही होना चाहिए। यह विचार सधीय शासन वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जहां कि विभिन्न राज्यों को केन्द्र के सार्वजनिक व्यय के लिए धन देना पड़ता है। प्रो० शिराज के अनुमार 'मापेक्षिक' करदेय क्षमता यह स्पष्ट करती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना म सामूहिक वार्यों के लिए नितना योगदान दे अथवा कर भार का वितरण एक सघ के असर्वत विभिन्न राज्यों अथवा प्रान्तों के मध्य विभिन्न प्रकार किया जाए।'

डाल्टन ने निरपेक्ष करदेय क्षमता की धारणा को स्वीकार नहीं किया है। डाल्टन वे अनुमार, 'निरपेक्ष करदेय क्षमता एक ध्रम है जिससे भयानक भूल वी समावना है। स्पष्ट विचारों के हित में यह उचित होगा कि करदेय क्षमता वाक्याश को राजस्व से गभीर बाद विवाद से बाहर निवाल दिया जाए। डाल्टन के अनुमार सापेक्षिक करदेय क्षमता की विचारधारा व्यावहारित है और उसका अनुमान विभिन्न देशों की करदेय क्षमता की तुलना करके लगाया जा सकता है। डाल्टन ने लिखा है कि, 'यदि दो देशों को सामान्य व्यय में अपना अशदान देना है तो वे अपने सापेक्षिक करदेय क्षमता की तुलना में ही अशदान दें।' उन्होंने यह भी कहा है, 'यदि मार्वजनिक व्यय में बुद्धि होती है तो धनी करदाताओं द्वारा दिए जाने वाले अशदान में आनुपातिक बुद्धि होनी चाहिए और निर्धन करदाताओं द्वारा अदा किए जाने वाले अशदान में आनुपातिक कमी होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में कमी होन पर इसमें कमी होनी चाहिए।' अत मे उन्होंने कहा है कि 'सापेक्षिक' करदेय क्षमता एक सत्य बात है, जो उचित रूप म दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। परन्तु निरपेक्ष करदेय की गति एक वर्पित क्या है, जिसमे भयानक भूल होन की समावना सर्व वम रहती है।'

प्रो० शिराज ने डाल्टन वे विचारों में अमहमति प्रवट करते हुए कहा है कि मरवार वे लिए मदीव बुद्धिमत्ता की बात यही है कि वह यथासभव इस बात को जात बर ले कि माधारण तथा अगाधारण दोनों परिस्थितियों में जनता से अधिक से अधिक नितना करारोपण किया जा सकता है।'

वास्तव में दोनों प्रकार की करदेय क्षमता वा अपना अलग-अलग महत्व है। निरपेक्ष करदेय क्षमता का उपयोग मन्त्रकालीन समय में उस कुल धन राशि को मालूम बरने में होता है जो राज्य प्राप्त बर सकता है। सापेक्षिक करदेय द्वारा हम

उन मार्पणिक माद्रायों को ज्ञान कर सकते हैं जो प्रत्येक गज्जर को दिनी सामूहिक वर्चों के लिए देना चाहिए। बरदेय दसनामा का निश्चीरण वोर्द मरत चल्ये नहीं है। जर्थनान्वियों ने इनका अनुमान लगाने ने अनन्त तत्त्वों का वर्णन किया है।

बरदेय क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्त्व

आज बच्चानकारी गज्जर की स्थापना का स्वप्न नादार दर्शने वाली नरकार वरारोपण के बल बाय वो सटि म नहीं करती, बरन ममाज के विभिन्न दगों की जाव की मिट्ठि और उमन बाढ़िन परिवर्तन जादि पर भी नोच-निचार बरसी है और तब तिमी जाव का निश्चीरण विद्या जाना है। यह बरदेय क्षमता विनी एक ही नहीं बल्कि अनन्त अन्य तत्त्वों पर भी निर्भर रहती है जिनमें ने मुख्य रूप से हैं-

(1) राष्ट्रीय आय का आवार

विनी भी देश की बरदेय क्षमता उभयों राष्ट्रीय आय के आवार पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय का आवार स्वयं वई अन्य तत्त्वों पर निर्भर करता है। जैसे कि प्राहृतिक नष्टा अन्य उपलब्ध साधनों वो नाक्षा। इन साधनों के उपभोग की नीमा तथा तकनीकी ज्ञान का विकास। जो देश जितना अधिक छनी होता है उसकी बरदेय क्षमता भी उतनी अधिक होती है।

(2) आय का बढ़वारा

बरदेय क्षमता राष्ट्रों के आवार के अविरिक इस बात पर भी निर्भर करती है कि सोगों के मध्य उभयों बढ़वारा दिन प्रकार ना है। यदि देश में धन का विवरण समान होता है तो लोगों की बरदेय क्षमता अधिक होती है। जब आय के बढ़वारे की एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ योहेजे लोगों के हाथों में हो धन को केंद्रित करती है, उस व्यवस्था की अपेक्षा जो आय का न्यूनाधिक रूप में समान वितरण करती है, वर के रूप में अधिक आय जुटा सकती है। यह विचार इच्छा सम्भवा पर आधारित है कि वहृतस्थर वर्म सुपन व्यक्तियों की अपेक्षा योहेजे घनादृप लोगों के बचत बरने तथा वर बदा करने की योग्यता अधिक होती है।

(3) देश की जनसंख्या का आवार तथा बृद्धि दर

एक अन्य तत्त्व जो देश की बरदेय क्षमता को निर्धारित बरने में महत्वक हो सकता है वह यह है कि देश की जनसंख्या का आवार तथा समझी बृद्धि दर क्या है? माझ ही साथ राष्ट्रीय आय में बृद्धि की दर क्या है? यदि विनी देश में राष्ट्रीय आय की नाक्षा स्पिर रहे तब उस देश की बरदेय क्षमता प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसंख्या के आवार पर निर्भर करेगी। जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी, बरदेय क्षमता उतनी ही बढ़ होती जाएगी। इसरे अविरिक बरदेय क्षमता इच्छा कार पर निर्भर होती है कि जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय में तुलनात्मक बृद्धि जितनी है। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की बृद्धि की गति तीव्र है तो देश अपेक्षा इच्छा निर्धारित हो जाएगा और फर भार महन करने की क्षमता घट जाएगी।

(4) कर प्रणाली

जिसी देश के कर अदा करने की क्षमता उस देश की कर प्रणाली के स्वतथा प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यदि कर प्रणाली एक सहयोगित तथा सुध्यवस्थित नीति पर आधारित है तो वरदेय क्षमता निश्चय ही अधिक होगी। यदि कोई वर प्रणाली मानात्रिक धार्मिक एवं राजनीतिक हितों के अनुरूप नहीं होती है तो वह अधिक आय प्रदान करने में सहायता नहीं हो सकती। थोड़े-भी सरन निश्चित एवं प्रतिगमी वर अधिक आय जुटाने में सफल होते हैं। ऐसी कर प्रणाली प्रशसनीय होती है जिसके द्वारा कर भुगतान में बढ़त वा अनुभव न्यूनतम होता है और साथ ही साथ सरकार को यथेष्ट आय भी प्राप्त होती है। इनबिए यदि वर-व्यवस्था की रचना मावधानी के साथ की गई होती तो लोग कर-भार में मुक्त भी न होगे और कर-वचन की सम्भावनाएँ भी बहुत होगी।

(5) लोक व्यय की प्रकृति तथा मात्रा

जिस प्रकार वर प्रणाली का स्वरूप करदेय क्षमता को प्रभावित बरता है उसी प्रकार लोकव्यय की प्रकृति तथा उसकी मात्रा भी वरदेय क्षमता पर अपना प्रभाव डालती है। लोक व्यय जितना अधिक होता है जितना वी मोट्रिं आय भी उतनी अधिक होती है। मोट्रिं आय में वृद्धि होने से लोगों के वर अदा करने की क्षमता के बड़े बी आशा भी जा सकती है। इनके अनिवार्य यदि मार्वंजनिक आय क, एक बड़ा भाग ऐसी प्राप्तीजनाओं पे लगा दिया जाता है जिसके द्वारा देश के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसमें लोगों की वर-दान क्षमता भी बढ़ जाती है जिन्हें लोकव्यय के बे अन्य रूप जोकि अनुत्पादक प्राप्तीजनों के निर्माण में लगाए जाते हैं और जो राष्ट्रीय आय को पटा सकते हैं, वरदेय क्षमता वो भी बहुत वर देते हैं।

(6) समाज का जीवन स्तर

कोई व्यक्ति सरकार वो करधान के रूप में अधिवनम राशि नितनी दे सकता है, इमाना अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है जि उसकी मुक्त आय भी में उस न्यूनतम राशि को पटा दिया जाए जो उसके तथा उसके परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यक हो। इसी प्रकार कोई समाज अवबो देश नितनी अधिवनतम राशि सरकार वो दे सकता है, उसका अनुमान भी इसी प्रकार लगाया जाएगा जि राष्ट्रीय आय की मुक्त मात्रा में से उस धनराशि वो पटा दिया जाय जो नागरिकों के जीवन-पोषण के लिए तथा पूजी को यथा पूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक हा। परन्तु जीमा कि हम पहले वर्णन वर चुके हैं जि जीवन-पोषण के लिए न्यूनतम धनराशि या न्यूनतम निर्वाह स्तर एवं विषयवत तथ्य है जो व्यक्ति अवबो समुदाय तथा गम्भीर वे परिवर्तन वो दृष्टि में रखते हुए पृथक-पृथक हो सकता है। हाँ, मर्दि जीवन वो रिपर मान दिया जाए तो राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ वरदेय क्षमता के बढ़ने की सम्भावना हो सकती है।

(7) कर दाताओं का मनोवृत्ति

एवं अन्य महत्वपूर्ण तत्त्व जो विभी देश की करदेय क्षमता को प्रभावित करता है, लोगों की मनोवृत्ति होनी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के प्रति जनता वित्ती अद्वा रखती है। राष्ट्रीय सरकार में जनता का विचारण अधिक होता है। ये लाग भागी बरा का भार उठाने को तैयार हो सकते हैं, किन्तु विदेशी सरकार के ज्ञान में यह सम्भव नहीं है। सबटकालीन ममता म, उदाहरण के लिए युद्ध चाम में नागरिक वर बदा करने तथा सरकार के प्रयासों में अधिक हाथ बटाने को तैयार रहते हैं, जबकि अन्य बदमरा पर ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार समृद्धि कार में लोग आशावादी होते हैं, भारी नाम प्राप्त होने की आशा में वे भारी कर को भी बहन बर लेते हैं। इन्हीं भवी बाल में निराशावादी होने के कारण वह बर भार बगहनीय प्रनीत होने लगता है।

अन्त म यह बहा जा सकता है कि करदेय क्षमता पर पृथक् रूप से विचार करना तर्क्यूण नहीं बहा जा सकता, अपिनु उपरोक्त तत्त्वों को दृष्टि में रख कर ही इस पर विचार करना चाहिए। विभी भी परिमाण व्यवस्था प्रतिशत को दृटता के साथ करदेय क्षमता की सीमा नहीं माना जा सकता। यह सीमा प्रचलित परिमितियों पर आधारित होती है। व्यवहार में उम दिनु का निर्धारण दिसके बागे बराहोपन अवालनीय होगा, वे बल अनुभव में तथा वर्थव्यवस्था पर उसके पहने बाले प्रभावों का अध्ययन करदे ही किया जा सकता है।

भारत की करदेय क्षमता

भारत में करों से प्राप्त होने वाली आय राष्ट्रीय आय के भाग में जाठ प्रतिशत के मध्य है। यह अनुपान अनेक देशों में, जिनमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देश भी सम्मिलित हैं, कम है। कुछ लोगों का विचार है कि भारत अभी करदेय क्षमता की अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँचा है इसलिए यहा अतिरिक्त व्यवधान की क्षमता विद्यमान है। इसके विपरीत कुछ लोगों की यह धारणा है कि भारत में करदेय क्षमता मनोपात हो चुकी है और अतिरिक्त व्यवधान की जोई समावना नहीं रह गई है। यह विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों सा विचार अधिक ठीक है, इस दुबय में विभी निर्णय पर पहुँचने में पूर्व इस सम्बन्ध पर वित्तारपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है।

मुख व्यवधान राष्ट्रीय आय का दृढ़त भीचा अनुपात है, यहा इसके बारपरों की जांच करना आवश्यक है। प्रथम व्यापक यह है कि यहा के सोगों का व्यवधान जोबन मुत्तर है जो प्रति व्यक्ति नीचों आय में छालबाजा है। ऐसे सोगों की सट्टा चहत नम है जो आप की दृष्टि से अतिरेक की स्थिति में हो। यदि ऐसे व्यक्तियों पर अनिरिक्त कर लगाया जाता है तो उसमें उनकी वार्ष बरने देश बचत करने की पोषणा पर प्रतिकूल प्रभाव पट्टा है। इसलिए समुदाय के अधिकार भाग

की वरदेय क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरे, वर्णव्यवस्था का एर बड़ा भाग ऐसा है जिसमें मुद्रा का प्रयोग ही नहीं होता है। इसलिए वराधान के प्रचलित रूपों के माध्यम में वरों की आय में वृद्धि वरना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रा विहीन धोके के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर विश्रीर्जना कोई भी दस्तु वर नहीं लगाया जा सकता क्याकि वहाँ अधिकार सौदे वस्तु विनियम विधि द्वारा पूरा किए जाते हैं। तीसरे भार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके प्रत्यक्षरूप वहें पैमाना पा व्यापार धोके भी बहुत कम है। यह भी वराधान के धोके को सीमित कर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयात तथा नियन्त्रित करा के लगान का अच्छा धोके प्रमुख वरता है। भारत के विदेशी व्यापार इसकी राष्ट्रीय आय का समानुपाती न हान के बारण सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाली आय भी बहुत यम रह जाती है। भारत में यहें पैमाने के ऐसे व्यापारिक धोके भी सीमित हैं जिनमें वराधान मुगमता पूर्वक बमूल हो सकता है।

इस मदर्न में प्रश्न यह उठता है कि कुल वराधान के राष्ट्रीय आय का यह अनुपात वरदेय क्षमता की उच्च सीमा के बाजाने का सूचक है अथवा उसमें वृद्धि की सभावना का? भारत के वराधान जौच आयोग न स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व सभवत वरदेय क्षमता अपनी उच्च सीमा पर पहुंच चुकी थी।¹ ऐसा इस लिए या क्याकि करा तथा खर्चों से प्राप्त होने वाले लाभों के बीच कोई प्रत्यक्ष अधिकार अवधि नहीं था। परन्तु स्वाधीनता के पश्चात वरों से प्राप्त आय सामाजिक सेवाओं के विनाश और आर्थिक विकास में प्रयुक्त की जाती रही है। अधिकार क्षमता इस तथ्य को स्वीकार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वराधान का धोके भी विस्तृत हो गया है इसलिए हम यहाँ उन अनुकूल परिस्थितियों की भी जौच वरनी चाहिए जो भारत में विद्यमान हैं और वरदेय क्षमता के स्तर को कजा उठा सकती है।

मध्यप्रथम, स्वाधीनता के पश्चात लोक-व्यय की श्रृंति तथा प्राप्ति वर्तन हो गया है। लोक-व्यय का अधिकाधिक भाग आर्थिक विकास तथा सामाजिक कार्यालय पर खर्च किया जा रहा है। इस मध्यम में वराधान जौच आयोग ने निष्ठा है कि 'यदि वर प्राप्तियों का वास्तव में समाज सेवाओं के विस्तार एवं आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया गया और यदि इसकी स्पष्ट रूप में प्रशस्ता की गई तो सामर्थ्य में अवश्य वृद्धि होगी।'

द्वितीय, योजना काल में, राष्ट्रीय आय की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। अत यह सभव है कि अतिरिक्त वराधान का आधय निया जाए।

तृतीय, पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो आर्थिक विकास हुआ है तथा जो वर्ग ऐसे विकास में अधिक सामान्यित हुए, ऐसी स्थितियों को उपनिवेश बराते हैं

कि उन लामों का कुछ भाग कारारोपण द्वारा गज्य को मिल सके। ममुननति वर इमका एक उदाहरण है। यह ऐसे स्थानों पर लगाया जा सकता है जहाँ मिचाई योजनाओं ने परिणामस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है।

चीये, योजनावद् आधिक विवाद में समूर्ण भारतीय समुदाय को लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में बराधान ही एवं मात्र रीति है जिसके द्वारा निम्न आय वाले वर्गों तक पहुँचा जा सकता है जो आय वर तथा सपत्ति वर की परिधि में नहीं आते हैं।

बत में, घाटे की वर्यवस्था का अधिग्राधिक प्रयोग देश के मुद्रा विहीन क्षेत्र को भौद्विक बनाने में महायता दे रहा है तथा नोगों की भौद्विक जाय में वृद्धि हो रही है।

यह रिपोर्ट भी कारारोपण के क्षेत्र को बिस्तृत कर रही है। इसके अतिरिक्त घाटे की व्यवस्था द्वारा उत्पन्न मुद्रा अपीलि के नियन्त्रित करने के लिए बराधान व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भार्देजनिक व्यय की मामाजिक विकास सेवाओं की ओर बड़ी हृद प्रवृत्ति ने बरदेय क्षमता को आगे बढ़ाने में महायता दी है। स्वाधीनता के दाद भरकार के प्रति जो एकत्र और उत्तरदायित्व की भावना वा उदय हुआ है यह भी उगो दिशा में क्रियाशील हो रहा है। “अब हमें इस बात का तो भरोसा है कि बरदेय क्षमता में वृद्धि हुई है सेक्रिन तथ्य यह है कि बरों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के बनुपात के रूप में युद्ध पूर्व काल की तुलना में वित्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई है। वहाँ पर यह बतलाना उचित होगा कि इस भत का एक धारणात्मक पक्ष यह है कि भारतीय बराधान अपने बर्तमान टॉक और दरों के आधार पर देश के बरदेय साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाया है।”¹

1. लक्ष्मी नारायण नाथूरामका (बनुवादक एवं सकलदर्ता) ‘बराधान-एन संदातिक विवेचन’, पृ. 47.

कराधान के प्रभाव

बुद्ध समय पूर्व कराधान को जहाँ राजस्व के बेबल एक श्रोत मात्र के रूप में ममझा जाता था वहाँ अब इसका उपयोग एक ऐसे अस्त्र के रूप में रिया जाता है जोकि आय के उत्पादन तथा वितरण को प्रभावित करने के साथ-साथ रक्षीति तथा अवस्कृति वो भी नियंत्रित कर सकता है। सत्य यह है कि आधिक क्रियाओं का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो कराधान के प्रभाव से मुक्त हो। आधुनिक लेखकों के मतानुमार मरकारी व्यय और वरारोपण दोनों ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके द्वारा आधिक क्रियाओं में स्थायित्व लाया जा सकता है तथा तेजी और मदी की बारबारना को रोका जा सकता है। प्रो० डाल्टन ने कराधान के प्रभावों का अध्ययन तीन शीर्षकों के अन्तर्गत किया है— (१) उत्पादन पर प्रभाव, (२) वितरण पर प्रभाव, तथा (३) अन्य प्रभाव।

कराधान के उत्पादन पर प्रभाव

प्रो० डाल्टन ने कराधान के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को तीन विभागों में बांटा है— (क) कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रभाव, (ख) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, (ग) आधिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव।

(क) कार्य करने व बचत करने की योग्यता पर प्रभाव

कार्य कुशलता को बहु बहुते बाते कराधान व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता को बहु बहुते हैं। इसलिए इस प्रत्यार के करों का मामाज के निर्धन वर्गों पर लगाने वा विरोध किया जाता है। ऐसा उम समय होता है जब व्यक्ति इतने निर्धन हो कि वरारोपण में उनकी आय घटने के कानूनहरप प्रोटो की बतंमान कार्यकुशलता और बच्चों की मात्री कार्यकुशलता घटने की आशा हो। अत यह एक व्यावहारिक निष्पत्ति है कि मरकार को उन वस्तुओं पर कर नहीं सकना चाहिए जिनका उपयोग मूलत समाज के निर्धन वर्ग द्वारा किया जाता हो।

मादक वस्तुओं पर वरारोपण व्यक्तियों की कार्यकुशलता पर बहु प्रभाव नहीं ढालता। ऐसी वस्तुओं के वरारोपण से उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग या

निर्भर वरनी है। इसका वरदान की मनोवृत्ति से अधिक संबंध होता है। व्यक्ति जी आय की मांग की लोच का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति अधिक आय प्राप्त करने के लिए किनका प्रयास करने को तत्पर है या वह आय प्राप्त करने के लिए किनका इच्छुक है। आय की मांग की लोच को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं-

(1) आय की वेलोच मांग जिसी व्यक्ति के लिए आय की मांग उस समय वेलोचदार होती है जब उसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की बन गई हो कि वराधान के उपरात भी वह अपनी आय को पूर्व स्तर पर बनाए रखना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने जीवन स्तर को पूर्ववत् बनाए रखने के लिए 1000 रु० प्रति माह आवश्यक मानता है। यदि ऐसे व्यक्ति में 50 रु० प्रति माह वराधान के रूप में बमूल बर लिए जायें तो उसे अपने जीवन-स्तर को पूर्ववत् बनाए रखने के लिए इनका अधिक परिश्रम बरना पड़ेगा जिसके द्वारा वह वराधान के बराबर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। इस प्रकार वराधान वेलोचदार मांग के साथ प्रेरणादायी होता है और वार्षिक बरने के बचत करने की इच्छा में वृद्धि होती है।

(2) आय की लोचदार मांग जिसी व्यक्ति के लिए आय की मांग उस समय लोचदार कही जा सकती है जब उसकी मनोदशा एक न्यूनतम आय स्तर के प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु न हो। ऐसी स्थिति में वराधान से उसके बार्थ तथा बचत बरन की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति प्राय उन लोगों के साथ होती है जिनका परिवार बहुत छोटा होता है अथवा जो शान-शौकत का जीवन बमूल बरना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति यह जानते हुए कि वराधान में उनकी बास्तविक आय पट गई है न तो के अधिक परिश्रम हो करते हैं और न कुछ बचत करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रसंग में डाल्टन ने लिखा है कि 'यदि आय की मांग वेलोच दार हो तो वर यी दर बढ़ा दी जाए और यदि आय की मांग लोचदार हो तो वर की दर घटा दी जाए।'

(2) आय की मांग की लोच का इवाई के बराबर होना : समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी कार्य बरन के बचत करने की इच्छा न गमग ममान रहनी है, चाहे वराधान हो या ना हो। ऐसे व्यक्ति उतना ही पार्थ तथा बचत करते रहते हैं जो वराधान से पूर्व करते रहे हैं, बरात्रि इनके लिए कार्य करना और बचाना एक आदत बन गई है। कुछ व्यक्तियों में प्रतियोगिता की भावना होनी है जैसा कि मिल ने लिखा है, 'मनुष्य स्वयं धनी नहीं बनना चाहता परन्तु यह दूरा की अपश्या अधिक धनी बनना चाहता है।' इसीलिए पीमू ने एक स्थान पर लिया है कि, 'धनी व्यक्तिया को अपनी जामदनिया में जो सनुष्टि मिलनी है उसका एक बड़ा भाग जामदनी की वास्तविक मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी गांधिजी मात्रा से प्राप्त होना है और यदि गभी धनी व्यक्तिया की आय एक माय

बन बर दी जाए तो भी सन्तो ननुष्टि क, वह भाग भनान नहीं होगा ।¹ यदि एक व्यक्ति हूँसरे ने अग्रिक इनो है और उन दी बदामी के पक्षान भी दोनों दो नारिलित मिथि देनी ही बनी रहनी है तो अप्राप्ति भे उसके बाहर नया दबत नहीं दो इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दर्शाय इन सदृश मे बूँद बूँद दिनाद है जि बमाज मे अद्वितीय व्यक्तियों दी नांग लोचदार होती है या बेलोचदार फिर भी व्याप्राग्निक जीवन मे यही निष्ठ होता है कि अग्रिकाण अक्षियों नो आप दी भाग देनोचदार होती है । वह छान्ना निम्न उप्यों पर आप्राग्नित है ।

(1) अधिकाण अक्षिय एक निष्ठित जीवन स्तर बनाए रखने के आदी हो जात है और वे जिसी भी दशा मे इने निराना नहीं चाहते ।

(2) बूँद अक्षिय अपनी दबतों मे न्यूनतम भावो आप प्राप्त बने के इच्छुक होते हैं । ये सा वे या तो स्वत्र अपने रिय बनते हैं या जबने द्वन्द्वाधिकारियों के लिए ।

(3) बूँद अक्षिय अन दी इच्छा जेवत इन्हीं भी फर्जी हैं अर्थात् वे नमाज मे शक्ति, प्रतिष्ठा, शान-शौकत तथा नदक-धरव बनाए रखता चाहते हैं । इन नदर्म मे प्रौढ बालबर ने निका है जि उव विसी अक्षिय जी जास एक्स्ट्रिन द्वन इन भीमा से अग्रिक हो जाना है जो उसके दबतों के बरण के लिए आवश्यक है तो फिर अद्वितीय एक्स्ट्रिन एवं अरण के उद्देश्य ही परिवर्तन हो जाता है । ऐसी मिथि मे वह आर्य बरमे ग्रन्थ अग्रिक प्राप्ति के घेय ने व्यापारिक दबतों मे बाहे बरते जगता है और तब एक्स्ट्रिन फूली इन नीजा का एक बद्र बन जाती है । उद्दक डिवाही जा इम यन्द पर अधिकार रहता है और वह डिलाइबो मे एक डिलाही होता है नव रम एक्स्ट्रिन एवं के लिए वह जीवन इनी दिवार के निरन्मातित नहीं होता कि इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की अपेक्षा उत्तरार को एक्स्ट्रिन इन प्राप्त होता । नीवर स्यूने के उपतानुमार, 'आप बर दी दर को अन्दर बूँदि ने इन प्रदनों मे बूँदि हूँटे हैं जो आप भी बहाने मे नफर हूए हैं, जिसमे मे बहे हूए बरों का मुग्जान चिया जाता है ।'

दिन परिम्यतियों मे बर क्षून बिट्ठ जाते हैं, बन्दानाजी की ननोहृत घर उत्तरा भी प्रकाव रखता है, नकूँडिकार वे अद्वनार्ट नामान्दर जगानामी होते हैं । ऐसी दशा मे भारी बरगाहण भी उनके बाये बग्ने तथा दबत दबते के प्रदनों मे बाहा नहीं डालते, वर्षों एने भनप मे उन्हे भारी जान भी आए होते हैं । इसके दिपरीन नदी अपना अद्वनादकान मे बरों की योही-नी बूँदि भी आद तथा दबत उन्हे भी इच्छा के घटा देती है, बरोंसे उन्हे राति जर खद रहता है ।

(3) बर को प्रहृति : अभी नव तम आर्य बने और दबति की इच्छा वे नदर्म मे बरग्राम की चर्चो बर नहीं दे । ब्रव उन्हें की प्रहृति के अनुनाम आ-

1 Pigou, Economics of Welfare, p. 92.

धान के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। कुछ कर तो ऐसे होते हैं कि बाम करने और बचाने की इच्छा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कुछ कर स्वभावत कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालते हैं और इसी कारण वे उन्हाँदन को प्रभावित करते हैं।

(1) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को कुप्रभावित करने वाले कर कुछ कर ऐसी प्रकृति के होते हैं कि वे कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जैसे अधि लाभ कर, भूमि के मूल्य में वृद्धि पर कर, एकाधिकारी के लाभ पर कर तथा लाटरी पर कर। यह सब आकस्मिक आय पर करों के प्रकर है। उत्तराधिकार म मिली सम्पत्ति भी कभी-वभी उत्तराधिकारी के निए आकस्मिक होती है। यद्यपि बहुत से उत्तराधिकारी ऐसी मिलने वाली सम्पत्ति की सुखद प्रतीक्षा भी करते रहते हैं। चूंकि करदाता को ऐसी आमदानियों की कोई आशा नहीं होती और न ही इन्हे प्राप्त करने के निए उन्हें कोई कष्ट उठाना पड़ता है, अत ऐसे करों के भगतान वह सरनता म कर देता है। परिणामस्वरूप ऐसे कराधान का व्यक्तियों के कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर विरोधी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार क्य कर तथा विचार कर यद्यपि लोगों के उपभोग को निःस्ताहिन करते हैं, परंतु काम करने तथा बचाने की इच्छा को कम नहीं करते।

(2) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालने वाले कर कुछ कर इस प्रकृति के होते हैं जो कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा के घटात हैं। यदि आयकर बहुत अधिक प्रगतिशील होता है तो इसमें करदाता निःस्ताहिन हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपने प्रयासों के उपलक्ष्य में निवार आय बहुत कम रह जाती है। आयकर से लोगों को परिश्रम करने तथा बचत करने की इच्छा इस सीमा तक प्रभावित होती है, यह आय की मात्र और लोच, कर की दर तथा राज्य द्वारा प्रदान की गई कर सबधीं सुविधाओं पर निर्भर करता है।

करारोपण का सामान्य प्रभाव पुराने उद्योगों वी अरेशा नवीन उद्योगों पर अधिक पड़ता है। ऐसे नव स्वापिन उद्योग अपनी दुर्बलता के कारण अधिक कर भार महन नहीं कर पाते। यहाँ यह तात भी अवश्य याद रखनी चाहिए कि कराधान अनेक तथ्यों में से केवल एक है जोकि बचत, विनियोग तथा उद्यम का निर्धारण करते हैं। हारवडँ अपवायिक स्तरूल द्वारा किए गए कराधान के कुछ अध्ययनों के निष्पत्तियों का उल्लेख करते हुए जे० कीय बट्टम ने कहा है कि 'यदि इस मदर्भ म एक सामान्य वक्तव्य दिया जाए तो उम्मा महत्वपूर्ण तथ्य पह है कि वे मूलभूत प्रेरणाएं जोकि पर मरकारी अर्थव्यवस्था को गतिशील करती हैं और अर्थव्यवस्था का सपूर्ण दोनों पर ही करा का वेवन अपक्षित सीमित तथा विशिष्ट बृत प्रभाव पड़ता प्रतीन होता है।'¹

¹ J Keeth Butters "Taxation Incentives and Finsocial Capacity" American Economic Review, May 1954.

आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव

पर उत्पादन पर वही पोषा तथा पहरी लघिक प्रेरणादारी प्रभाव लाते हैं, इन्हिए यह होना रुदि कर्तों के प्राप्ति में मुक्ति पाने के लिए आर्थिक और वर्तमान उपयोगों से उत्पन्न अन्य उपयोगों की ओर स्थानान्तरित हो जाए। वे एवं स्थान में दूसरे स्थान जी लोग भी लगानि हो जाते हैं। इस प्राप्ति की उपयोगों तथा स्थानों में चौच नवीन वितरण में उत्पादन के प्रदाता तथा उपयोगी बनावट वो प्रभावित हो सकते हैं। माध्यनों का इस प्रदाता का अनुरूप उत्पादन वी दृष्टि ने नामकारी एवं कमालहारी, दोनों प्रकार हो जाता है।

(अ) लाभप्रद दिग्परिवर्तन

कुछ वर्तों द्वारा आर्थिक माध्यनों का दिग्परिवर्तन इस प्रदाता होता है जो देश के उत्पादन को बढ़ाने में जटायत होता है। हानिप्रद दिग्परिवर्तन पर लगाने वाला एवं तथा मादक पदार्थी पर लगाने वाले वर मादक पदार्थों का उपयोग इन कई स्वास्थ्य तथा कार्य उत्पन्नता बढ़ावार हितानी दिग्परिवर्तन मिल होते हैं। उत्पादन पर लिए चातुरवरण वी भूए में मुक्त लगाने के लिए नगरीय जीवों में खुले स्थान पर जलाए जाने वालों आगों पर वराधान का भी रुपा ही प्रभाव होता है। दिनांकिता की अस्तुलों पर लगाया गया पर, वर-मुक्त अनिवार्यताओं की ओर दिग्परिवर्तन करवे लाभ पड़ता होगा।

इस प्रदाता का दिग्परिवर्तन उत्पादन पर एवं दूसरे प्रदाता में ही प्रभाव लावता है। वे उपग्रीक्ता जो पहले अपने धन को दिनांकिताओं पर का मादक पदार्थों पर व्यवहरते थे वे उने या तो अब बचाते हैं या अन्य उपयोगी दृष्टियों पर व्यवहर देते हैं। ऐसा वरने में वर्षतों तथा दिनियों में बढ़ि होती है और नए उपयोग स्थापित होते हैं तथा उत्पादन बढ़ि होती है। उत्पादन वर का प्रभाव भी उस पर ही होता है। इस वर द्वारा माध्यन उन उपयोगों की ओर दिग्परिवर्तन होते हैं जिनका वितरण दिवसी प्रतियोगिता के बारण नहीं हो पाया था।

(ब) हानिप्रद दिग्परिवर्तन

मधी-नभी वर्तों द्वारा आर्थिक मोतों का दिग्परिवर्तन इस प्रदाता होता है जो वे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव लाते हैं। इन्हिए ऐसा दिग्परिवर्तन हानिप्रद समझा जाता है। उदाहरणार्थ, मधीनों पर लगाया गया कर मधीनों की पूर्ति को बम वर लगता है जिसे लोगों वा जीवन उत्पादन हो नहीं है और उनकी कार्यशमना बम ही नहीं है। मधी-नभी मरणजनक भी माध्यनों का हानिप्रदी दिग्परिवर्तन लगता है। ऐसा उस समय हो जबता है जबवाहि देश में जिसी अन्य उपचुक्त उपयोग वो भरणप दे दिया जाए जिसने एप्पु देश में पर्याप्त प्राहृतिक कीत उपलब्ध न हो। भरणप वर्तों के बारण आर्थिक सोन मधी-नभी उपयोगी उपयोगों ने हटकर अनुपयोगी उपयोगों को दिग्परिवर्तन हो लाते हैं।

(स) वर्तमान से भावी और भावी से वर्तमान उपयोगों की ओर दिग्परिवर्तन

जिन करों से उपभोग निरसाहित होत है उनसे बचतें प्रोत्साहित होती हैं। इम प्रकार क करों द्वारा आधिक स्रोत वर्तमान उपयोगों से हटावर भावी उपयोगों पर दिग्परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ऐसा परिवर्तन गमाज की शक्ति को बढ़ाता है। विश्री वर व्रय वर और व्यय वर ऐसा उदाहरण हैं जो यहाँ को निरसाहित करते हैं और बचतों को प्रोत्साहन देते हैं।

इसके विपरीत जो वर बचतों को निरसाहित करते हैं वे साधनों को भावी उपयोगों से हटावर वर्तमान उपयोगों की ओर दिग्परिवर्तित परते हैं और इम प्रकार उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यही नहीं जब सरकार वरारोपण द्वारा ऐसी निधिया प्राप्त हरती हैं जो अन्य प्रकार से बचाई तथा विनियोग की जा सकती थी परंतु अब सरकार द्वारा प्रशासनीय या अनुत्पादन व्यया में यह वर दी जाती हैं तब भी स्रोत भावी उपयोगों से वर्तमान उपभोगों की ओर दिग्परिवर्तित हो जाते हैं।

(द) दिग्परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी वर

अकस्मात् प्राप्त होने वाली सपत्तियों पर लगने वाला वर दिग्परिवर्तन के लिए विसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देता। भूमि का उत्योग चाहे जिस काम के लिए दिया जा रहा हो भूमि के स्थिति मूल्य पर लगने वाला कर कोई दिग्परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि भूमि प्रवृत्ति द्वारा सीमित होती है। इसलिए उनके क्षेत्रफल को घटाना सभव नहीं होता। इसलिए उसका सम्पूर्ण भार भूस्वामी को ही राहन परना पड़ता है। एकाधिकारी पर लगने वाला वर साधनों के दिग्परिवर्तन के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता। एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। यदि इनी कारणवश उसे अपना उत्पादन घटाना पड़े तो उससे उसका लाभ बहुत ही जाएगा।

आत्मस्मृत परिसपत्तियों पर लगने वाले वर भूमि के स्थिति मूल्य पर वर तथा वे वर जो सपत्ति के समस्त उपयोगों पर समान भार डालते हैं आधिक साधनों का बहुत बहुत कम दिग्परिवर्तन करते हैं।

(य) साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान को दिग्परिवर्तन

इसे द्वारा माध्यम से पुनर्वितरण इम रीति सभी होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को दिग्परिवर्तित हो जाते हैं। जब यिसी एक पर वर बहुत अधिक गावाए म लगाए जाते हैं तो यह सभव हो गता है जिसे लोग अपनी पूँजी को वहाँ से निराल वर यिसी ऐसे क्षत्र म विनियोजित करें जाना वर भार अपेक्षा-कृत कम हो। ऐसे दिग्परिवर्तन को कम करने का प्रभावशानी उपाय यह है जिसे

देश भर में एक समान दरों में करारोपण किया जाए। नवीय जालन दावे देगों में वह निम्नाई पैदा ह करती है कि विभिन्न प्रात या रात्रि विभिन्न दरों के बर लगाए परनु यह समस्या विभिन्न प्रात या रात्रों में पारस्परिक समझौत ढारा समान दरों निश्चित बरवे हैं वे जो सतती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक देश में करों औं दरों बहुत अचौं हों और पूजी दहा स विनी दूनरे देश वो स्थानात्मक हा जाए। इन्हु इन स्थानात्मक को रोकने का एक उपाय यह है कि नोंगा को नपूर्ण आय पर बर लगाए जाए चाहे वह देश के अद्वार लंजित दो गट हो अपदा देश के बाहर। यदि ऐसा निया जाता है तो वरों स बचने के लिए पड़ी देश न बाहर स्थानात्मक नहीं होती।

कराधान के वितरण पर प्रभाव

धन के वितरण की असमानता अनेक लाभिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दुराइयों को जन्म देती है। विषमताओं को दूर बरने के प्रयत्न हमें आइने वितरण के निवाट ले जाते हैं। अधिक इष्टि ने आदर्श वितरण एक दिए हुए उत्पादन के अधिकतम आर्थिक वल्या प्राप्त बराने में सहायता हो सकता है। प्रो० पोंगु के शब्दों में ‘यदि राष्ट्रीय सामाज की मात्रा में मे निष्ठाओं के पास जाने वाली मात्रा में बढ़ि हो जाती है तो यह सामृहित जनताप्याय में बढ़ि बरेगा।’ देशनर पहुँच व्यक्ति है जिसने करारोपण के भाष्यम ने धन की असमानताओं को दूर बरने का मत प्रचलित किया था।

प्रचोर लेडक धन के वितरण के लिए कराधान के उपयोग की विचारधारा को विरोध की दृष्टि से देखने रहे हैं। उदाहरण के लिए एक सेवक बैन्टेदिल ने लिखा है कि यदि, ‘उमाजवारी टग की समाज की स्थाना करना ही नहीं है तो उमड़ी प्राप्ति के लिए अधिक प्रश्न एवं अधिक प्रमाणगाली कल्य लेक उपाय भोजूद हैं, वजाय इसके कि उक्त सम्पर्क के लिए कराधान का उपयोग किया जाए।’ फिर भी यह बात अधिकाधिक रूप में स्वीकार की जा रही है कि कराधान धन के वितरण की कल्पनाहठाए हों दूर बरते का एक सून्तक्षुर्पूर्ण नाम्नत निष्ठ ही संक्षिप्त है। कराधान के बेल धनी वर्ग के धन की बम बरने के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु राजकीय घर के बायंक्रमों को पूरा बरने के लिए भी आवश्यक है। धन के वितरण में समानता लाने के लिए कराधान के स्थानापन्न के नप में बेल यही हो, नपता है कि सपत्ति का दहे पैमाने पर उन्मूलन कर दिया जाए। परनु यह विकल्प अधिक थेप्तर नहीं होगा। यह तो करारोपण के विरोधियों नो और भी अधिक सोझ प्रतीत होगा। निम्नदेह यह कहा जा सकता है कि पूर्ण समाजीकरण वरवा राष्ट्रीयरण की अनुपस्थिति में, कराधान ही धन के वितरण को समान बनाने पाए एवं महत्वपूर्ण नाम्नत हो सकता है।

कराधान का स्वयं तथा वितरण

उच्चा करारोपण धन की अगमानताओं को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन है। अतः भरखार करो की दर में फेर-वदल करके इस उद्देश्य को प्राप्त करनी है। प्रतिगामी कर की प्रवृत्ति आय के वितरण दी विषमता को बढ़ाती है। अनुपातिक तथा अधोगामी कर प्रणालियों का भार धानकों की तुलना में निर्धनों पर अधिक पड़ता है। इसलिए इनमें द्वारा आय के वितरण की विषमता को कम करने की समाजनागत वहन कम होती है। यदि गति की प्रगामी कर प्रणाली की भी यही प्रवृत्ति होती है। विनु अधिक तीव्र रूप से प्रगामी कर प्रणाली की विषमता को कम करने की लोग उम्मुक्त होती है। प्रतिगामिता जितनी तेज होगी, यह प्रवृत्ति भी उनमें ही अधिक प्रबल होगी। इस धारणा के अनुमार एक सीमा के ऊपर बाली खेल आयों को घटाकर उस सीमा पर ले आया जायेगा और उस सीमा से नीचे बाली आयों पर कोई कर नहीं लगेगा। इसका अर्थ होगा कर देने की योग्यता के अनुगार कराधान। तक के बाहर पर तो सभवत उचित ही है कि कर-प्रणाली को इतना प्रतिगामी बनाया जाए कि जिसमें सभी व्यक्तियों की आय एक समान स्तर पर नाई जा सके। परन्तु यह कोई व्यावहारिक सुन्नाव नहीं है क्योंकि उत्पादन पर सभवत इसका प्रतिपूल प्रभाव पड़े।

विभिन्न प्रकार के कर और वितरण

हम यहा इन बात का अध्ययन करना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के करों का आय के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(1) आय कर : वितरण की दृष्टि से आय कर को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसे करों को सहज प्रगामी बनाया जा सकता है। कम आय की अपेक्षा अधिक आय पर ऊधी दर से कर लगाया जाता है। पुनर्वितरण की क्रिया को और तीव्र करने के लिए कर प्रणाली में दो अन्य रीनिया भी अपनाई जा सकती हैं। प्रथम अत्यधिक आय पर अतिरिक्त कर लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के नित, अधिनर जो भारी आमदनिया पर लगाया जाता है। ऐसे ही अतिरिक्त लाभ यह जो किसी विशेष समय, जैसे युद्ध वार में अजित रिये गए अतिरिक्त सामों पर होता है। द्वितीय वर्ष आय बाली को विभिन्न प्रवार की सूटें तथा सुविधाएँ दी जा सकती हैं। यह हो सकता है कि एक निश्चित सीमा में नीचे की आमदनियों को कर से मुक्त कर दिया जाए, ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक भत्ते दिए जा सकते हैं जिनके परिवार में आश्रितों की मछ्या अधिक हो, औपरिदियों पर दिए गए व्यय कर दोग्य आय में भें पटाएं जा सकते हैं तथा गैर-अर्जित आय की अपेक्षा अजित आय पर कर नीची दरों से लगाए जा सकते हैं।

(2) सपत्ति कर : सपत्ति नर वितरण को काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। किसी भी व्यक्ति की सपत्ति उम्मी आर्विक शक्ति का परिचायक होती है।

जिन व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत मपति अधिक मूल्य की होती है, उनकी आदिक स्थिति भी उत्तमी है। अत मपति पर प्रगामी कर लगाकर धन के वितरण में भभानता लाई जा सकती है। धन कर, मृदु कर तथा अनावर्ती पूँजी कर मपति करके विभिन्न प्रकार हैं। ये कर वितरण को दो रूप में प्रभावित कर सकते हैं। प्रथम, ऐसे कर मपति के एसे मानियों पर लगते हैं जो ममाज म अधिक धनी होने हैं और के व्यक्ति कर से नुक्त होते हैं जिनके पास कोई गपति नहीं होती। द्वितीय, ऐसे व्यक्तियों पर अधिक ऊची दरों न कर लगाया जाता है जो अधिक मपति के मानिय होते हैं। इनके विपरीत उन व्यक्तियों पर अपेक्षाकृत ऊचों दरों में कर लगाया जाता है जिनके पास मपति कम मूल्य की होती है।

(3) चय दर प्रो० वार्डर के विचारानुमार चय करको करदाता के कर बदा करने की मामधं द्वा प्रनीत माना जा सकता है। इस व्यक्ति का चय जितना अधिक होगा वह उत्तमा ही अधिक कर अदा करगा। धनी वर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति में वही नाने के लिए, विशेषकर प्रदर्शन-उपभोग (Conspicuous consumption) को रोकते के लिए चय कर एक प्रमाणपूर्ण साधन मिछ होता है।

(4) परोक्ष कर अनक परोक्ष कर ऐसे होते हैं जिनके प्रगामी तथा प्रतिगामी प्रभाव हो सकते हैं। उत्पादन कर, विक्री कर तथा सीमा कर ऐसे ही परोक्ष करों के उदाहरण हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं तथा मामाल्य उपभोग में बाने वाली वस्तुओं पर लगते वाले कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। ऐसी वस्तुएँ चूँकि वही तथा निर्धन लोगों हारा समान रूप में एक-सी दरों पर खरीदी जाती हैं, इनके लिए वस्तुओं को इन वस्तुओं के खरीदते समय अपतो बाय का बदा भाग चय करना पड़ता है। इनके विपरीत वित्तासिता की वस्तुओं के बराधान का स्वभाव सभवत प्रतिगामी मिछ होता है क्योंकि उनका भार मुक्त है। अर्थात् पर ही पड़ता है। मामाल्य विक्री कर चूँकि भीषी पदार्थों पर लगाया जाता है, जिसम प्रनिवार्य तथा मामाल्य उपभोग की वस्तु मन्मित्र होती है, इनके उत्पादन की प्रतिगामी होता है। हाँ, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं तथा मामाल्य उपभोग की वस्तुओं को बराधान गे मुक्त कर दिया जाय तो इन वर्गों की प्रतिगामिता को घोड़ी-चहूँ मात्रा में घटाया जा सकता है।

वितरण वनाम उत्पादन

उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष अवश्य निवाना जा सकता है कि ममान वितरण की अवस्था को जाने के लिए तीक्र प्रगामी कर प्रगामी को अवहार में जाना आवश्यक है। परतु माय म हम ऐसी कर प्रगामी के उत्पादन पर पड़ते हानि प्रभावी का जान भी आवश्यक है। ऐसी अध्याय में यह बनावाया जा चुका है कि आपदिक प्रगामी ग्रद भारी कर उत्पादन पर प्रतिपूर्ण प्रभाव लाने हैं। इनके उत्पादन घटता है। ऐसी

स्थिति में वितरण की समानता का अर्थ धन के समान वितरण का नहीं अपितु निर्वनता का समान वितरण होगा। इसलिए वितरण सबधी अध्ययन के समय हम उत्पादन सबधी पहलुओं का उत्तरवाच नहीं कर सकते। साय ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रणाली कर प्रत्येक दशा में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव ही ढालते हैं। बास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी वर प्रणाली हानिकारक होती है। दूसरे शब्दों में, कुछ दशाओं में ऐसा भी होता है कि प्रणाली कर प्रणाली उत्पादन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ढालने की अवेक्षा अनुकूल प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापक लगाया जाए तो यह उपभोग पर किए जाने वाले व्यय को कम करके बचतों को बढ़ाएगा। कहने वा तात्पर्य यह है कि उत्पादन और वितरण, दोनों ही उद्देश्यों के बीच पारस्परिक सामर्जस्य की स्थापना आवश्यक है तथा कराधान की योजना वा निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जहाँ वह एवं और उत्पादन वे मार्ग में कोई बाधा न ढाले और दूसरी ओर धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने में भी सहायक हो।

अविकसित देशों में करों का वितरण पर प्रभाव

अविकसित देशों की समस्याएँ विकसित देशों से मिलन होती हैं। विकसित देशों में माध्यनों के पूर्ण दोहन तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति के कारण राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊचा होता है, इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पहलू पर अधिक बल न देकर आय के पुनर्वितरण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसा करने से ही वहाँ के कुल सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। जितु अत्यविकसित देशों में दो मूल समस्याएँ होती हैं। प्रथम, उत्पादन वो बढ़ाने की। द्वितीय, राष्ट्रीय आय के वितरण को समान बनाने की।

एक विचारधारा के अनुसार अत्य विकसित देशों में मुख्य लक्ष्य उत्पादन और रोजगार के स्तर को ऊचा बरना है। समान तथा न्यायपूर्ण वितरण भविष्य में वाढ़नीय हो सकता है, परंतु इसे तत्त्वालिक लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। यदि करारोपण के वितरण सबधी प्रभावों का सावधानी से अध्ययन किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों उद्देश्य अर्थात् उत्पादन की वृद्धि तथा व्यक्तियों के मध्य आय तथा धन वा समान एवं न्यायपूर्ण वितरण एवं-दूसरे के विरोधाभासी हैं। जहाँ उत्पादन तथा रोजगार वो बढ़ाने के लिए जार्य बरने तथा बबत बरने की योग्यता प्रेरणादायक बनाने के लिए अत्यधिक प्रणाली हानिकारक हो सकती है, वहाँ-वहाँ नमाज में समान तथा न्यायपूर्ण वितरण के लिए प्रणाली वर प्रणाली आवश्यक नमस्ती जानी है। यदि धन के न्यायपूर्ण वितरण को प्राप्तमिक्ता दी गई और वर दाचे में आवश्यक परिवर्तन वरके प्रणाली वर पढ़ति को अपनाया गया तो उसका उत्पादन पर स्वयंसेव प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय आय की मात्रा घट जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति की आय भी उतनी बम हो जाएगी। इसलिए

बर्थमान्नी यह तर्वे प्रस्तुत नहै है कि उत्तरादित तथा वो अनुकूलता के लिए बिट्टनप मनवधी दिचार वो कुछ जनन के लिए न्यायित चर देना चाहिए। यद्यपि इस तर्वे में काफी जनन है ऐर भी यह मिछ चरना चाहिए नहीं है कि अन्यदिक्षित देशों के उत्तरादित मनवधी नया वित्तरण सदाचारी दोनों लक्ष्यों को ऐसा साध प्राप्त किया जा सकता है।

हम पह जानते हैं कि आप चरन तथा बन्ने की इच्छा पर मनो व्यय का एक-सा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ वा प्रतिकूल तथा कुछ वा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष चर, न्यूयर्क वा आप चर तथा उत्तराधितारी चर जबके चरन तथा बन्ने चरने को इच्छा पर कुग प्रभाव ढान नहै है जबकि परोक्ष चर ऐसा प्रभाव नहीं ढानत। ऐसे प्रत्यक्ष चरों वा उत्तराधित उसी जनन तक पड़ता है जब जोगे की आप अवधी भाग लाचपूष होनी है। जब आप मनवधी भाग देनांपदात होनी है तब आप चरन तथा बन्ने को इच्छा निरन्तराहित नहीं होती। जैसा कि सीमू न न्यूयर्क निवास है कि मनव चरने जी प्रेरणाए इनी अविकृष्ट होती है कि कुछ चर अद्यता पूजी कर उन्हें अन नहीं कर मनने। कुछ भयानक में अधिकार व्यक्तियों की आप की भाग बनावदार होनी है जब उत्तराधित से उनके आप चरने तथा बन्ने चरने को इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे अन्यदिक्षित वर्थव्यवहार में नए उद्यमों के जारी चरने तथा पुरानों के दिन्गार उत्तराधित आवश्यक प्रभुत्व वो मनावनाए इनी बनवती होती है कि आप चर तथा संपत्ति उत्तराधित भार दिनियों तथा पुरानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

ऐसे अन्यदिक्षित देश में दिवान वा आप योग्यावद होता है, विनियोग की दर निमत्त बढ़ती रहती है और भावेजनिव आप में बृद्धि होती रहती है। यह बृद्धि दम्भुओं और सेवाओं की भाग जो बढ़ती है जिसमें भाग वो मनावनाए बढ़ती जाती है और वे चर देने से भयकीर्त नहीं होते। जब उन्हें दिनियोग चरने की प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

हमें यह याद रखना चाहिए कि दिवास के योजनावद वार्थत्वमें उत्तमता वो नीमित तथा बचतों और दिनियोग की दाताने की आदर्शता होती है। यत्त्व-चरेपीव अग्रिमार्थी इन बचतों को नियुक्ति वरने उत्तराधित उत्तमोग देग की उत्तरादित अमता वो बढ़ने में चरते हैं। इन सभी मनवर्गों द्वारा जो आप चरने के लिए चरने के लक्ष्य वाले वों के लक्ष्यावगत उत्तमोग में बटौती वो जा सके। यहां वे निजी बोगे वो उत्तराधित दिनियोगोंमें उत्तमने के लिए अन्तर्विषय क्षेत्र वा भी दिन्गार चरना होगा। यह नव न्यूयर्क उत्तराधित द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

आप पह देना जाता है कि अन्यदिक्षित देशों में अनुकूल जोगे के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है, इन्हिए अन्यदिक्षित देशों को यह न्यूयर्क भी उत्तराधित रखना चाहिए कि वे प्रगती वर प्रणाली का उत्तमोग चरते कुछ घोषणाएं जोगे ने

धन को एकत्र होने से रोकें। यह इसलिए भी आवश्यक है कि निम्न आय वाले वर्गों के मन म कही यह शब्दा उत्पन्न न हो कि धनी वर्गों वे बर भार सहन ही नहीं करने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखना होगा कि कर भार के वितरण को सतुर्नित बनाने की दीप्ति में बर व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि उच्च आय वाले वर्गों पर कर वा भार उतना ही पड़े जितना कि प्रत्यक्ष वरों की मध्या म वृद्धि होने से निधन वर्गों पर पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो असमानताएँ बढ़ेंगी और विभिन्न आय वाले वर्गों के बीच की खाई और छोड़ी हो जाएगी तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सनुन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

यहाँ दो कठिनाइयाँ सामने आती हैं। प्रथम यह कि और धन की असमानताओं से बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। करारोपण इन लोगों की बचतों को हतोत्साहित करता है। द्वितीय यह वहा जाता है कि पुनर्वितरण करन वाले करारोपण में निधन व्यक्तियों की वास्तविक आय बढ़ जाती है तथा उपभोग म वृद्धि होनी है, परन्तु बचत तथा विनियोग कम हो जाते हैं। यद्यपि प्रथम धारणा सत्य है परन्तु वह ऊची आय वाले वर्गों के व्यर्थ के उपभोग की उपेक्षा करती है। इसके अतिरिक्त हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल धनी वर्गों की बचतें ही एक अत्यधिक सिंपल अर्थव्यवस्था को निर्धनता के विर्यसे चक्र स वाहर नहीं निकाल सकती। यदि उनकी बचतें ऐसा कर सकती होनी तो यह काय बहुत पहले ही मपन्न हो गया होता। और पिर अत्यधिक सिंपल देश के पिछड़े जन की यह समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई होती। हमरी धारणा को स्वीकार करन वाले यह भूल गए है कि विकास सबधी व्यवस्था में निधन वर्गों का भी यथेष्ट योगदान होता है यथाकि उन्हें भी अप्रत्यक्ष वरों का एक बड़ा भाग बहन बरना पड़ता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उपभोग वा स्तर नीचा होने पर निधन वर्ग की वायंक्षमता में वृद्धि बरना अत्यावश्यक है। हम निम्न आय वाले वर्गों की आय म वृद्धि करके सपूर्ण राष्ट्र की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

इस प्रकार एक अत्यधिक सिंपल देश के आधिक विकास के सदर्भ में, करारोपण के द्वारा उत्पादन वृद्धि तथा आग के पुनर्वितरण, दोनों लक्ष्यों को माथ-साय प्राप्त किया जा सकता है और इनसे मेल खाता हुआ एक उपयुक्त कर-दावे का निर्माण किया जा सकता है। पुनर्वितरण सबधी करारोपण की नामान्य योजना को शिखिल करने को कोई आवश्यकता नहीं है। वरनुस्थिति तो यह है कि ऐसी योजना वर्ग और भी अधिक आवश्यकता नहीं है।

आय कर

भारत में आय कर का वर्तमान है पिछले भी वर्ष के अधिक विवाह का परिणाम रहा है। इसका प्रारंभ 1830 ई० में वित्त मंदस्व जेम्स विल्सन द्वारा दृष्टा था। परन्तु 1883 तक इसका उभवद स्पष्ट प्रस्तुत न हो गया था। 1886 का आय कर अधिनियम इसका मूल पहला सुमण्ठित स्पष्ट था। प्रारंभ में यह केंद्र सरकार द्वीप आय के मद्दे स्पष्ट में रहा किंतु बाद में केंद्र एवं रज्य-सरकारों के मध्य विभाजित मद रहा। 1918 में आय कर का नया अधिनियम बनाया गया जिसमें 1886 के अधिनियम के प्रावधानों को मूलत बदल दिया गया। इसकी मूलने वडी विशेषता यह थी कि वर्ष द्वीप आय पर उसी वर्ष कर लगाने की व्यवस्था थी। इनमें कराधान वा उम्म वर्ष के बत तक पूर्ण न हो पाता था। इस दोप के तथा अन्य भीमाओं के बारण आय कर विधान में पुनर परिवर्तन द्वीप आवश्यकता समझी गई। परन्तु 1922 में फिर नया कर अधिनियम बनाया गया जो बत तक नह रहा है।

1922 में लेफ्टर अधिकारी अधिनियम में अनेक मंशोधन दृष्टे जिसमें उम्म सामयिक आवश्यकताओं के बनुकूल बनाया जा भवे। ऐसे संशोधनों की सूची 50 में भी अधिक है। इनमें अतिमिति कराधान आय आयोग 1924-25, आय कर समिति 1935-36, आय कर अनुमधान आयोग 1947, तथा कराधान जाच आयोग 1953-54 के आवेदनों ने कराधान के ढाँचे पर विशेष प्रभाव डाला है। इनका उद्देश्य आय कर द्वारा अधिकारी आय प्राप्त करना, आय कर प्रशासन सहधी अगुविधाओं को दूर करना, अदानती निर्णयों की आय कर विधान में मन्मिलित करना नथा अधिक आय का बंगलान द्वीप लपट में नाना है।

नम्बर-मम्ब पर निर्धारित एक निश्चित आय सीमा की छूट के द्वारा त किसी भी व्यक्ति, नस्या एवं अधिभाजित मयुक्त हिंदू परिवार द्वीप आय पर, जो भारत ने रहने वाले नागरिकों द्वारा देश या दिल्ली से दर्पार्जित द्वीप हो, करारोपा की व्यवस्था आय कर के अतंगत है। पिछले वर्ष द्वीप आय के आधार पर चान्दू वर्ष में, साधारण न्यौहृत व्यय काट कर करदाना को दर चुकाना पड़ता है। यहकारी ममिनियों की आय, नीवंजनिय एवं धार्मिक न्यायों की आय, स्थानीय स्वायत्त सत्त्वाओं की आय, भूतपूर्व रानाओं को प्राप्त प्रिवीपर्व, विदेशी दूतावाम के वर्म-चारिया द्वीप आय आदि पर लाभन्तर परी छूट प्रदान द्वीप गई है।

आय की परिभाषा

विस्तृत रूप में आय वा अर्थं उस वादिक लाभ में होता है जो एक व्यक्ति निर्सी नियत अवधि के अदर्शत प्राप्त नहरता है। इसके अतगत उम व्यक्ति के एक निश्चिन अवधि का उपभोग तथा उसी अवधि में उसके वैयतिन धन में होने वाली विशुद्ध वृद्धि सम्मिलित की जाती है। डा० बी०आर० मिश्र ने आय की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'रिसी निश्चिन स्वोत गे नियत अवधि पर मुद्रा में अद्यवा मुद्रा द्वारा आरे जा सकने वाले अन्य रिसी रूप में जो प्राप्त होती है वही मामान्यत आय मानी जाती है। इसम पूजी सबधी प्राप्तिया नही आती और न देन ही आती है।'¹

आय वा अनुमान लगाते समय निम्न तीन बातों को दृष्टि में रखा जाता है।

(क) अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कुल आय म ने उन घर्चों को निहाल कर, जो उस आय को उत्पन्न रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप में बिए गए हों, जेप आय। इतु इन घर्चों में रहन-गहन के घर्चे गम्मिलिन नही हो सकते।

(ख) व्यक्ति द्वारा उपभोग की जान वाली वस्तुओं वा मूल्य, जिनका वह स्वय मानिन है (उदाहरण के लिए उमरे मरान उपयोग-मूल्य तथा स्वय उत्पन्न की गई फ़िल और सज़िज़ा)।

(ग) व्यक्ति के उन परिसरपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि, जोकि उम विशिष्ट अवधि में उसके स्वामित्व म रही हो।

आपकर गणना की मुविधा की दृष्टि से कुल आय की स्रोत के अनुसार 6 गुण में विभाजित किया जाता है—(1) वेतन (2) प्रतिभूनिया पर व्याज (3) गृह गपति म आय (4) व्यवनाय, पेशा अधवा उदाम से प्राप्त लाभ (5) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय।

आपकर व्यक्ति की विशुद्ध आय पर लगाया जाता है। रिसी श्री व्यक्ति की विशुद्ध आय से तात्पर्य उस आय ने है जिसमे से व्यावसायिक रुचें, मूल्य हास तथा हानिया आदि पठाने के बाद उसको वास्तव में प्राप्त होती है। कुल आय की अपेक्षा विशुद्ध आय रिसी व्यक्ति की कर अदा परने की योग्यता का एक अधिक अच्छा प्रतिनिधित्व करती है।

मुक्तिया

विशुद्ध आय को ज्ञान करने से पूर्व युद्ध मुक्तिया तथा बटोतिया की जाती है। ये बटोतिया वभी-कभी प्रणागनिर दृष्टि मे भी आवश्यक समझी जाती हैं या

¹ डा बाबूराम मिश्र 'भारतीय कर व्यवस्था' (1962), हिंदी समिति, मूचना विभाग, उन्नर प्रदेश, पृष्ठ 76 एवं 77.

कर वदा करने की योगता को दृष्टि में रख नहीं जानी है। उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष न्यूनतम स्तर की आय को प्राप्त करारोपण में मुक्त रखा जाता है। ऐसा करने के दो मुख्य कारण होने हैं। प्रथम, उन स्तर में नीचे की आय का निर्धारण तथा उमस्का करारोपण प्रशासनिक दृष्टि स अमुविधाजनक होता है तथा महगा भी पड़ता है। द्वितीय, उक्त स्तर ने नीचे आय को व्यतिशी पर चरों के भार डालने का छोटी औचित्र नहीं ममझा जाता। इनके अनिरिक्त अर्जित आय में में बुध अन्य बटोनिया भी को जा सकती है जैसे कि करदाता पर निर्भर रहने वाले जाधिकों की नमस्का तथा शिक्षा व चिकित्सा आदि पर दिया गया व्यवहार। माध्यारदन इस बात का निश्चय कर दिया जाता है कि कर योग्य आय में में बौन-बौन भी प्राप्तिया मम्मिलित की जाएगी और बौन-बौन-भी विप्रिष्ठ बटोनिया की जाएगी।

आय कर तथा कर देय क्षमता

अन्य चरों की तुलना में आय कर को कर देय क्षमता के अधिक अनुरूप बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए वही प्रकार की विधिया अपनाई जा सकती है। ये विधिया चरों के आरोहण अवधा क्रमवर्धन अति कर (Super tax), मुक्तियों, छूटों तथा भर्ती का रूप लेती हैं।

प्राप्त एक निश्चित न्यूनतम स्तर में नीचे की आय, आय कर के भुगतान में मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार भ्राता के निम्न आय वर्ग को कर के भार से मुक्त कर दिया जाता है। आय कर को कर देय क्षमता के अनुरूप बनाने का नदमे महत्वपूर्ण साधन है—चरों का आरोहण अवधा क्रमवर्धन अर्थात् छूटों आय चरों पर छूटों दरों में करारोपण। अधिकार देशों में क्रमवर्धन के सिद्धान्त को अपनाया जाता है यद्यपि उम क्रमवर्धन की तीव्रता भिन्न भिन्न देशों में तथा अल्प-अल्प समय पर अलग-अलग पाई जाती है।

प्रत्यक्ष कर जांच समिति

भारत सरकार ने न्यायाधीश थी के ० एन० वान्हू की अध्यक्षता में भार्च 1970 में प्रत्यक्ष कर जान भित्ति नियुक्त की। भित्ति से यह अनुरोध दिया गया कि वह (1) काले धन वा वाहूर विवानने और दर वचन तथा कानूनी उपायों द्वारा कर में स्फुटकारा पाने के बत्ते हुए तरीकों को देखने के लिए ठोम और प्रधाकी सिङ्गलिंग करे, (2) कर-विधान द्वारा की गई विभिन्न कर छूटों का विरीजन रखे ताकि इनका या तो मशोधन किया जाए, या इन्हें घटाया जाए और (3) कर-निर्धारण और प्रशासन को उन्नत करने के बारे में भी मुख्याल दे।

कर वचन और काले धन की प्राप्ति

वान्हू भित्ति ने अनुसार लगाया है कि यह आय जिस पर कर नहीं दिया गया 1961-62 में 700 लारोड रुपये थी परन्तु 1965-66 और 1968-69 में यह बढ़

वर श्रमण 1000 करोड रुपये और 1400 करोड रुपये और हो गई। अन् 1968-69 के दौरान वाले धन संसदित मोदिंग मौदा का मूल्य 7000 करोड रुपये से कम नहीं था। इन प्रश्नार मिमिति का अनुमान है कि 1968-69 के दौरान वर-वचन की राशि 470 करोड रुपये भी अर्थात् कुनू वर से बचाई गई, 1400 करोड रुपये भी आय वा एव तिहाई।

शब्द 'नाले धन या छिप धन का प्रयोग लेखारहित मुद्रा या छिपी आय या अव्यक्त धन के रूप में सिया जाता है। वर-वचन और वाले धन म बड़ा धनिष्ठ और गहरा संधर्थ है जबकि वर वचन संकाले धन की उत्पत्ति होती है, वहाँ वाले धन को छिपे रूप म व्यापार मे लगान ग अधिक आय प्राप्त की जाती है जिसमे और अधिक वर-वचन होता है। बाता धन देश वी अर्थव्यवस्था म एक प्रकार वा कैमर है जिसे समय पर बढ़ने से न रोका गया तो यह अर्थव्यवस्था वी बदादी का बारण वन सकता है। वर-वचन और वाले धन की उत्पत्ति के निम्नलिखित मुख्य वारण है-

(1) प्रत्यक्ष वर अधिनियम के अधीन कराधान की ऊची दरें।

(2) अभाव वी अर्थव्यवस्था के विद्यमान होने के फलस्वरूप कायम की गई नियन्त्रण एव लाइसेंस प्रणाली।

(3) राजनीतिक दलों को दिए जान वाले दान।

(4) अप्ट व्यापार-व्यवहार।

(5) व्यापारिक खर्चों पर लगाई गई अधिकतम सीमा और इन खर्चों की आय वर से छूट न देना।

(6) बित्री वर एव अन्य शुल्कों की ऊची दरें।

(7) वर-अधिनियमों की पासना में बहुत अधिक ढीन।

(8) नीतिक स्तर वा पतन।

समिति वी मुख्य सिफारिशे

वर-वचन के विरुद्ध आयवाही वरने के निए वाचू समिति वी मुख्य सिफारिशों इस प्रकार हैं-

(1) चर्चि ऊची दरो वा विद्यमान होना वर-वचन वा सबमे मात्रवृष्टि वारण है, इसनिए वाकू गविति ने यह मिफारिश पी है कि आयवर की अधिकतम गीमान दर (जिसमे अधिकतर भी जामिन हो) 97.5 प्रतिशत वा वर्तमान स्तर गे कम करने 75 प्रतिशत तक लानी चाहिए। समिति ने यह मिफारिश पी है कि मध्यम और निम्न स्तरो पर भी वर की दरो रो कम रिया जाए।

(2) कृषि-आय, जो अभी केंद्र सरकार के वर जाति मे बाहर है, के वारण छिपे धन पर परदा डाने वी पर्याप्त सभावना रहती है। अन् यह आवश्यक है कि कृषि-आय पर अन्य प्रकार पी आय वी भानि एव समान वर लगाया जाए ताति सधीय सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष वरो म वर वचन वी समाप्त रिया जा सके।

(3) वर्तमान विनी वर का जहा तक मध्य हो, उन्पादन पुल द्वारा प्रतिनिधान कर देना चाहिए। चूंकि फिर भी विश्वी वर कुछ उन्मुक्तों पर बना रहे, इसलिए आप वर प्राधिकारियों और विश्वी वर प्राधिकारियों में अधिक तान्मत्ता होना चाहिए ताकि वे वर-वचन सबधी आमूचना एवं दृग्गत ने प्राप्त वर नहीं।

(4) विभिन्न पेशों में बाम बरने वाले व्यक्तियों को अपने लिए तंदार बरने के लिए बानूनी रूप में वाघ्य बरना चाहिए। इनी प्रवार ऐसे व्यापारियों को जिनकी आय 25000 रुपये से अधिक हो या जिनकी कुल विनी 2.5 लाख रुपये से अधिक हो, पिछले तीन वर्षों में में जिनी एवं वर्ष में नेतृत्व वो तंदार बरने का आदेश देना चाहिए।

(5) देश में सभी वरदाताओं के सूचीबद्ध वी समान पद्धति आरम्भ करनी चाहिए। इससे वरदाता सबधी सूचना को सबद्ध बरने में आजानी होगी और परिषामत वर-विभाग को वर-वचन की समन्वय के समाधान में कहानवा मिलेगी।

(6) आपकर अधिकारी को वरदाता के निवास स्थान पर जाकर नक्शी लिने, स्टान चेत बरने या जिसी ऐसे चारे या प्रवेश के नियोजन को अनुमति होनी चाहिए जिने वर अधिकारी आवश्यक समझता हो। उसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त बरने या जिसी ऐसे व्यक्ति का दबान लिये जी भी अनुमति होनी चाहिए जो निवास स्थान पर उपलब्ध हो।

(7) यदि स्टाम्प अधिनियम के कानून जापदाद के मूल्यावन के लिए उचित मनीनगी नी च्वन्वया जी जाए, तो अचर नपर्ता, जो हम्मातरण या विषय है, म बाले धन के विनियोग को हनोमानित बरने में नहायता मिल सकती है।

वाचू मनिनि द्वारा जी गई सिफारियों में न कुछ ऐसी भी है जिन्हें सरकार स्वीकार बरना नहीं चाहती जैसे वैयक्तिक आपदार जी सीमात दरों में बढ़ी।

(8) वाचू समिति का मत है नि वैयक्तिक बराधान की दृष्टि दरे ही वर-वचन के लिए अधिनियम जिम्मेदार है। इनके कारण यदि वरदाता कर जी चोरी न वरे, तो उसकी बचत बरने जी नमता चहत ही बन हो जाती है। इसी कारण नमिति ने आपकर जी अधिकारम सीमात दर को 97.5 प्रतिशत में बन बरने 75 प्रतिशत बरने जी सिफारिय की है और इसके उद्देश्य नीचे न्तरे पर भी वर-दरों जी अम परने का मूलाव दिया है। केंद्र सरकार का यह नन है ति कठी सीमात दरों जी बन बरने से नमवन राज-वचन और दरों धन जी बन नटी दिया जा नश्ता। 50,000 रुपये से अधिक आप बारे नामग 40,000 वरदाता है और नमिति जी सिफारिय से जेवल इनकी नाम होगा। इनके विगड़ 20 लाड वरदाता ऐसे हैं जिनके सबध में कर जी दरों जी सपत्तिहरणीय नहीं समन्वय जा सकता। यदि समिति जी सिफारियों जी स्वीकार बरने जा निर्णय दिया जाए, तो इसके सरकार जी लगभग 45 करोड़ रुपये के राजस्व जी होगी और उद्देश्य लाभ नामपत्र होगा। परतु समिति जी दृढ़ दियदाता है नि वर दरों हो कर

करने से कर-अधिनियमों का अधिक पालन होगा और इसमें वचत और विनियोग में बृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था को जो प्रोत्तमाहन मिलेगा वह दीर्घकाल में राजस्व म होनेवाली तनाव कमी की दीर्घकाल में वही अधिक पूर्ति कर देगा।'

(9) परतु समिति ने वरदाताओं के हाथ में कर-इटौटियों के पश्चात याकौ रह जाने वाली निर्दर्श्य आय के अनिरिक्त भाग को एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय विकास कोष की स्थापना का मुजाब दिया है। कपनियों को छोड़ सभी वरदाता इस कोष में स्वच्छित योगदान के रूप में अपनी कुल आय के 10 प्रतिशत की सीमा तक या 20,000 रुपये जो भी कम हो, योगदान दें। यह योगदान भी कुल आय में से भविष्य निधि या वीमा वित्त की भाँति वसूल हिया जायेगा। मरकार इस कोष का प्रयोग विकास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए करेगी। राष्ट्रीय विकास कोष के योगदान पर धन कर नहीं लगेगा, केवल 4.5 प्रतिशत व्याज पर कर लगाया जाएगा।

(10) बाचू समिति ने निगम धेत्र के कर दाने में सशोधन करने के उद्देश्य न बहुत-भी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें भी हैं। इमने विभिन्न कपनियों पर लगाई गई विभिन्न कर दरों की अपेक्षा सभी कपनियों पर कर की एक-भी दर (अर्थात् 55 प्रतिशत) लगाने की मिफारिश की है। समिति ने कपनियों को अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्तमाहित करने हेतु कर देय। राशि पर 5 से 10 प्रतिशत की कर छूट देने का मुजाब दिया है। यह कर छूट उत्पादन में प्रत्यक्ष 10 प्रतिशत बृद्धि पर दी जाएगी।

समिति द्वारा अपने स्वामित्वाधीन या उधार पर नी गई पूँजी पर। प्रतिशत अनावर्ती पूँजी-कर लगाने का प्रस्ताव विवादास्पद बन मज्ता है। अनावर्ती पूँजी कर का उद्देश्य कपनियों द्वारा अति पूँजीकरण प्रदृति को रोकना है। इससे यह भी आणा की जा सकती है कि स्वामित्व की दृष्टि से निकट रूप से मध्यधिन कपनियों द्वारा धन कर की चोरी को रोका जा सकता है।

मध्यवर्ती पूँजीकरण के तीसेपन को कम करने के लिए बाचू समिति ने कपनियों पर अधिकर समाप्त करने की सिफारिश की है। परतु यह नाम बेवल इन कपनियों को प्राप्त होगा जो दिल्ली दर अदा करती हैं। छोटी कपनियों के लिए जिनका लाभ 50,000 में कम है, समिति ने प्रस्तावित पूँजीकरण से छूट की मिफारिश की है और विनियित नाम के सबध म उदारता दियाने पर बल दिया है।

(11) बाचू समिति ने नगर धेत्र के लिए पुनर्निर्माण एवं स्थाईकरण रक्षण कोष की स्थापना का मुजाब दिया है। सभी कपनियों इन कोष म अपनी कुल आय का 10 प्रतिशत तक योगदान कर मज्ती हैं और इस राशि पर पूँजी कर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इस पर 6 प्रतिशत व्याज मिलेगा। कपनियों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी जमा का 50 प्रतिशत दमारतों, प्लान्ट और मशीनरी-जी मरम्मत और अनुमधान पर व्यय के लिए बापाम से सें। बैंक मरकार की अनुमति से जेप

जमा भी पाए वर्षों के यज्ञों विन्ध्यार एवं विश्वाम श्रोत्राम के लिए दार्शन भी या नवरी है। जिस वर्ष में नमिता वापिय नी जाए, वह उस वर्ष जी आप जानी जाएगी और इस पर बर लगेगा। इस यात्राका के लागू वर्णन में 33 चंगें रुद्र के राजस्व जी हानि होगी परमु नमिति वा अनुमान है कि ब्रह्म इस चंगेम गणिया वापन नी जाएगी, तो बर म प्राप्ति के बारह राजस्व जी हानि जी हो जाएगी।

राष्ट्रीय विकास बोध और पुनर्जन्मर्माण एवं स्वामीत्वरप नक्षत्र चंगे देश में प्रचलित बर प्रशान्ती को नया न्यू देन बांग दक्षनों को निमित्तान बनने जी दृष्टि से नाभदायक उपाय है परन्तु इन नवदेशों में स्वामीदिवत श्र प्रश्न उठाए जाते हैं

(न) क्या भारत सरकार इन प्रस्तावों को इनी न्यू में खोजाए बर जारी, तथा

(ब) क्या भारत सरकार इन योजनाओं जो बर प्रस्तावों में नक्षीक्षण कर जारी किया जाना लागू करेगी।

दाम नमिति ने हमारे समझ प्रचलित बर टाचे बोर बर प्रश्नाम, इसकी सच्ची और बर-बचन नवदीयों इन्हों दुर्बलताओं जी ढानदीन जी है। बर-बाला यह बाला बरते हैं कि नमिति यह साधारण बर टाचे वा निर्माण चंगों की जी-दाता वानानी ने नमज़ नहो। परन्तु बालू नमिति जी रिपोर्ट वा पुनर्गवर्तीन बरने के प्रत्यारु पह बहा जा नवना है कि नया टाचा भी बरत्मान टाचे में जम जटिल नहो होगा।

बालू नमिति जी कुछ मिफारियों इन्हों दुलियादी है कि बैंड यूनिवार इन्हों स्वीकार नहीं जारी। पहले ही बैंडीन वित नहीं ने बालू नमिति जी नुश वे विमुद्रीवरप जी नामज्जूर बर दिया है। बैंड यह जल पहला है कि बैंड सरकार नमिति जी को नक्षत्र, बर-बचन और बकाया बर शामियों के बारे में निपारियों को स्वीकार न करे।

परन्तु न्यू जो बह है कि सरपार बालू नमिति जी बैंड इन मिफारियों को स्वीकार बरेगी जो दिना बर नवदीयी रहत, नियापत्र और स्टू डिग्री दिना नाक्षत्र राजस्व उपरचन नहो। जिन्हों उपित्र बालू जो बह है कि नामज्जूर नमिति का देवन्हिन ग्रन्थ निमन अर्याधान नवदीय मिफारियों जो काये न देने एवं एनो अच्छी बर नीति वा निर्माण बरे जिसमे वर्षद्वयवन्या के दिवाम जे लिए ब्रह्म चंगे और दिनियोग जो प्रोमाहन मिते।

अतिकर तथा अधिकर-

इन वर्ती द्वारा क्वाँ आप दानों पर अतिकर भार जाने वा प्रश्न किया जाना है। अतिकर एवं निमित्त न्यू में जीवी जाय दानों पर नामान्द आर बर के अतिरिक्त नवदा जाता है। आप बर की तरह अतिकर में भी अनवर्त्तन का

मिदात अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में 20,000 रु० सं अधिक आय पर अतिकर लगाया जाता है।

अधिकर भी इसी प्रकार का एक ऐसा कर है जोकि सामान्य आयनेर के अतिरिक्त लगाया जाता है। इसका निर्धारण या तो व्यक्ति की आय के आधार पर या किसी उस धन राशि के आधार पर किया जाता है जोकि वह साधारण वर के स्पष्ट में भुगतान करता है। अधिकर का उद्देश्य साधारणत सरकारी आय में बुढ़ि करना होता है। इसका यह भी उद्देश्य हो सकता है कि इस वर में प्राप्त राशि को किसी विशिष्ट कार्य के लिए सुरक्षित रख दिया जाए। अधिकर के नियान्वयन के कारोबार की प्रणाली को अधिक आरोही बनाया जा सकता है। अतिरिक्त लाभ कर भी इसी प्रकृति का होता है। अतिरिक्त लाभ कर एक ऐसा विशेष वर है जो असाधारण रूप में ऊची आमदनियों पर लगाया जाता है। प्राय ऐसा वर उन असाधारण नाभों पर लगाया जाता है जो व्यवसायी वर्ग मुद्द काल में मात्र है।

आय कर को एक दूसरी रीति से भी कर अदा करने की योग्यता के मिदात के अनुच्छेद लगाया जा सकता है। यह रीति कुछ कटीतिया तथा छूट दरर व्यवहार में लाई जाती है। उदाहरणाथ अजित आय अर्थात् कार्य करने से प्राप्त आय पर अर्निजित आय अर्थात् सपत्ति से प्राप्त आय की अपेक्षा नीची दरों से कर लगाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि दूसरे की तुलना में पहले की 'कर' अदा करने की क्षमता कम होती है। पहले व्यक्ति की आय अजित करने के लिए कार्य करना पड़ता है यदि वीमारी या दुर्घटना के कारण उसके वाम में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसकी आय भी घट जाती है किन्तु दूसरे व्यक्ति को आय निरतर प्राप्त होती है। सपत्ति के स्वामी की मृत्यु होने पर भी उसकी आय उसके आधिकों को प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम व्यक्ति को भविष्य के लिए वित्तीय प्रबंध की अधिक आवश्यकता होती है जबकि दूसरे व्यक्ति को इतनी वित्ता नहीं रहती।

करदाता को व्यक्तिगत परिस्थितिया भी उसके कर अदा करने की योग्यता को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति को अधिक आधिकता का पातन-पोषण करना पड़ता है उसकी कर अदा करने की क्षमता कम होती है। इसके लिए कुछ देशों में तो पारिवारिक भस्ते भी दिए जाते हैं, अर्थात् कर निर्धारण से पूर्व व्यक्ति की आय में, उसके आधिकों की संख्या के आधार पर कटीतिया कर दी जाती है। व्यक्तिगत परिस्थितिया अन्य रूप से करदेश-क्षमता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जिस कुटुंब में करदाता को अपने बीमार आधिकों पर बाहर-बाहर धन व्यवहरना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति की कर अदा करने की क्षमता उस व्यक्ति की तुलना में कम होती है जिसके समान आहार के परिवार में सभी व्यक्ति रक्षण होते हैं। यद्यपि ऐसी परिस्थितियों को विचारार्थ लेना बठिन होता है। नयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिशा में प्रथम प्रयास हुआ है। वहां कर निर्धारण में पूर्व, व्यक्ति

की विशुद्ध आय के 5 प्रतिशत में अधिक मात्रा में होने वाला निश्चितसा व्यव उपकी आय में से घटा दिया जाता है।

आय कर के गुण

आय कर के जिन विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है उनमें इस कर के विभिन्न गुण प्रकट होने हैं।

(1) करदान क्षमता के अनुरूप होना यह कर उम्मदान मुक्तियों तथा अधिकरों आदि के द्वारा करदान क्षमता के गिराव के अधिक अनुरूप बनाया जा सकता है जबकि अन्य करों में ऐसा करना सभव नहीं होता।

(2) असमानता को दूर करना यह कर आय की एक निश्चिन्त सीमा के ऊपर, प्रगतिशील आधार पर लगाया जाता है। इस कारण धन के वितरण की असमानताएँ इसके द्वारा दूर की जा सकती हैं।

(3) करापात का विवरण असम्भव जो व्यक्ति इस कर की अदायगी करता है वह ही उसको सहन करता है इसनिए इसका करापात किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग पर पढ़ने वाले के भार का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है जो एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली के निर्माण में सहायता होता है।

(4) सीमात व्यय में कटौती को प्रेरित करता है: अन्य करों के समान यह करदानाओं को इस बात के निए वाध्य नहीं करता कि वह विनी दिशेप दिशा में विए जाने वाले व्यय में कटौती करें। चीनी पर लगाए जाने वाले कर से चीनी का उपभोग करने की प्रेरणा तो मिन मुक्ती है, परन्तु आय कर चूकि आय के निमी विशेष उपभोग पर नहीं लगाया जाता इसनिए यह करदाना को इन योग्य बना देना है कि वह अपने व्यय की सबसे बड़े उपयोगी मद से कटौती कर सके।

(5) उत्पादक तथा सोचदार: यह कर इस दृष्टि गे उत्पादक वहाँ जाना है करावि इसके जुटाने से जिहिं प्रजामनिक व्यय नहीं करने पड़त। यह करदाना के हाय में निवल कर सीधा कोपागार में जमा होता है। यह कर न्यायपूर्ण इसनिए है कि दर में थोड़ी-भी वृद्धि करने पर ही आय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

(6) आधिक स्थिरता बनाए रखने में राहापर: आय कर की दरों का लेजीवाल में बदावर तथा मदीवाल में घटावर, आधिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक ग्रस्तिशारी अम्ब्र का स्प में प्रयोग हो सकता है।

(7) जागरूकता उत्पान्न करना : जब करदाता सरकार वो कर अदा करता है तो वह इस बात के प्रति जागरूक रहता है कि उसके द्वारा विए गए त्याग को सरकार उचित ढंग से सामाजिक वल्याण की वृद्धि पर व्यय कर रही है या नहीं।

आय कर के दोष

भारतीय आय कर न प्रमुख दोष निम्न हैं

(1) वचन तथा विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव : इस कर का सबसे बड़ा दोष यह है कि वचन तथा विनियोग करने की प्रेरणा पर अन्य करों की मुलना में अधिक प्रेरणाहारी प्रभाव दालता है। पौरुष भट्टानुसार, ‘आय कर वचन वोस माप्त कर देता है तथा पूजी निर्माण म वाधक है जिसका देश के भावी विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है’ इसलिए प्रो० काल्डोर ने व्यय कर का मुक्ताव दिया है क्योंकि वचन तथा विनियोग पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) दोहरे कर की समावना : आय कर के अत्यंत एक ही आय के दो बार बरारोपित होने की सभावना अधिक रुचती है। उदाहरण के लिए एक अभिनेत्री की आय उस समय बरारोपित हानी है जब वह उसे अर्जित करती है, तथा उगी आय का एक भाग जब उसने निजी सचिव को दिया जाता है तो उस पर पुन बर लगता है यदि वह बरारोपण की परिधि म आती हो।

(3) न्यायसंपत्त नहीं : आय कर लोगों की आय को करदेय क्षमता का आधार मानता है जबकि करदेय क्षमता आय के अतिरिक्त अन्य कई बाहों पर भी निर्भर करती है।

(4) कर की चोरी : आय कर म बचने म लाग सप्तल हो जाते हैं जिसमें प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ती है जो अनुमानत 500 करोड़ ₹० प्रति वर्ष है। कर वचन की समस्या

आय कर की मरमे बड़ी समस्या कर-वचन अधिकार कर चोरी तथा कर वचने की है। कर-वचन तथा कर वचाव शब्दावली बहीनों की है। इहोंने कर वचन को अवैधानिक कर अधिकार कराया वहाँ परिभासित किया है। उदाहरणार्थ, जब करदाता अपन कर-प्रविवरण पत्र के अपनी सपूणे कर याए आय का एक भाग को घोपणा करने से बचा नेता है। ‘कर वचाव का तात्पर्य इसी व्यक्ति की उस वैधानिक व्यवस्था से है जिससे प्रलस्वस्प उसका कर दायित्व कम हो जाता है।’¹

यह सर्वविदित है कि जाय की परिभाषा, करदेय आय की गणना, विभिन्न प्रवार नी छूटें, अर्जित तथा अनर्जित आय म अतर, प्रशासनिक व्यवस्था के कर

¹ C. T. Sandford, 'Economics of Public Finance' (1969), Pergamon Press, Oxford p. 87

कृषि आय कर

सन 1860 म जब सर्वप्रथम आय को व्यवहार मे लाया गया था तो उम समय उसकी परिधि मे हृषि तथा गैर-हृषि दोना प्रकार की आमदनियों को सम्मिलित किया गया था। परतु कुछ समय पश्चात हृषि आय को आय कर के जिवजे से मुक्त कर दिया गया। कराधान जाँच समिति (1925) न एक स्थान पर उल्लेख किया था कि हृषि म होने वाली आय नो आय कर से निरंतर मुक्त करते चले जाने म कोई ऐनिहासिक तथा सैद्धानिक ओचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि 'व्यति' की अन्य आय पर लगने वाले कर की दर का निर्धारण करने के लिए उसकी कृषि आय को भी विचारार्थ लेना चाहिए, बशर्ते वि-ऐमा करना प्रशामनिक दृष्टि से मुविधाजनक और व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त हो।¹

सन 1935 मे सर्व प्रथम बिहार ने इस कर को लागू किया। इस समय जिन राज्यों मे हृषि आय कर वस्तु किया जाता है वे हैं असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उडीया, मैसूर, मद्रास और वेरल। इस हृषि आय कर*

वर्ष	धनराशि	राज्यों के राजस्व मे प्रतिशत
1951-52	4 3	1 1
1960-61	9 5	1 0
1966-67	11 0	0 5
1967-68	10 6	0 4
1970-71	10 50	X
1971-72	11 80	X
1972-73	13 40	X

1. Report of the Taxation Enquiry Committee (1929), p. 432.

* Source : Reserve Bank of India Bulletins

वर नी दरे भासान्व अप मे उन दरों ने जीची रही है जो कि शहरी आय पर लागू होनी है। भारत मे इस वर द्वारा मर्दव ही बहुत बम आय प्राप्त हुई है जैसा कि पीछे दो गई तानिवा द्वारा अप्ट होता है।

वासी ममय मे यह माम की जा रही है कि विवाम योजनाओं की विनीय व्यवस्था के निए आमीण सेवों की अधिकार वे जिवंते मे लाया जाए। बनपूर्वक गढ़ों मे यह दरीन दी जा रही है कि बड़े-बड़े व्यापारिक मम्यान हृषि के व्यवसा कालाधन लगाकर उने खेत बना रखे हैं और लाभ ब्मा रहे हैं। हरनित क्रांति की मफकता ने हृषि आय पर कर लगान के भाव का ओर भी चाहे बदाया है। 1973-74 के बजट मे प्रथम बार भारत के दित मद्री ने हृषि आद को भी किसी अग तर आय कर की नपेट मे ले लिया है। इसमे पहले हृषि नपति और आय कर निधारण के निए नियुक्त राज नमिति ने मिशारिण की थी कि 5000 रुपये या उसमे ज्यादा कर योग्य मूल्य की उम्म नमिति नूमि पर, जिसमे खेती हो रही हो, भूरभूत वे स्थान पर हृषि जोत कर लयाया जाना चाहिए। इसी प्रहार का विचार प्रत्यक्ष वर जात नमिति (बाजू नमिति) ने भी प्रबंद दिया था कि बाले धन की बृद्धि का प्रमुख कारण हृषि आय का कर मुक्त होना है।

दूसरी ओर यह तर्क दिया जा रहा है कि हृषि आय को कर के जिवंते मे लाना याम जीवन मे अमनोप उत्तमन करना होगा, इसके उत्तादन मे हान होगा। भारत नरकार ने अभी तक राज नमिति के बाजू नमिति की सिपारिशों की पूर्णत, न्यीकार नहीं किया है। इस सदर्म मे यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत जैसे हृषि प्रधान विकासशील देश मे हृषि आय पर किसी कम तक कर लगाना वहा तक औविव्यपूर्ण एवं न्यायमन्तर है।

इस नमस्था के सरकारित दृष्ट प्राप्तिक प्रश्न है जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। हृषि आय कर लगाए दिना सरकार देश के विवाम के लिए अतिरिक्त भाग्यन जुटाने मे ममय है वयस्ता नहीं तथा इस कर का भास्तीप्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। माय ही इस बात पर भी मनन किया जाना चाहिए कि वर्तमान कर प्रणाली वहा तक नापोनिव है तथा हृषि आय ओर गर हृषि आय का जागिन एकीकरण करना वहा तक न्यायमन्तर है। हृषि आय पर कर लगाने के मार्ग मे आने वाले सभानित कठिनाद्यों का बदा हूल हो मजब्ता है, तर मझी चाहो को दृष्टि मे रखने हुए भारतीय अर्थव्यवस्था मे हृषि आय कर का लोकित निधारित किया जा सकता है।

हृषि आयकर के पक्ष के तर्क

(1) भासानता का व्यवहार : कर सर्वेवापी होने लाहिएं जिन्हे ननान म्हर के नामिकों पर दिना भेद-भाव के नमग्ना चाहिए। इन चिह्नात के आगे पर हृषि आय की जान कर मे मुक्त रमना न्यायपूर्ण न होकर अनियमित, अविवेद-

पूर्ण एवं पश्चात्पूर्ण होगा। हांग में ही यांगू रामिति की लिंगों में कृषि पर आय-
कर पानों की जीरदार सिवारिश की पई है। यह देखा गया है कि योग आयकर
से यजों के लिए आए ही आए को कृषिकल आए यताते हैं और आय कर से यज जाते
हैं। यांग धन का गणितिक उपयोग गणित इतिहासी भूतों हैं तो यह है भूमि धरीदान
में। जिनका कृषि से प्रोटेस्ट सवाल नहीं है क्योंकि कृषि पर आयकर की छूट में कारण
गानों में यांग के लाभ धरीदान तो है जिनके काला धन सांप्रदय यन नहीं। अतः
कृषि पर आयकर ताकाना आवश्यक है। यह हो गड़ा है कि यांगी इतिहास कृषि
आयकर से वीरिति भी न हो परन्तु जिनकी आग दृष्टिकोणिक विद्या के कारण
साते हैं तो यह उग्र कर से यजों की छूट की जाए? यांग का तकाना है कि आग
पाने की भी धौत से प्राप्त हो। उग पर ही यांग ५७ में भार वृद्धा पाठित।
अतः यांगी आयकर की आग २६७ में यांगों पर आयकर है जिनको कृषि धौत में उत्तम
अधिकार विद्यमान दूर हो राने और अधिकारिक राजस्व की प्राप्ति हो जाने।

(2) राजस्व से वृद्धि : इसके विशेषज्ञों का अनुमान है कि ६५ प्रतिशत
भूमि पर यह विद्यानों का अधिकार है तथा उनकी आयकरी ६ लाख रुपये है
जो है। यदि दूसरा आग पर ५ प्रतिशत भी दर से भी पर यांगाया जाए तो यहांका
हो ही ३०० रुपये रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

कृषि आयकर तक हीर कृषि धर्यायक एवं दूसरे के गुरां हैं, जोकी विद्यमान
में पर यीति में सीधेसे आपहार से योगों के भीम की धार्द महेंगी। यांगी धौत की
आग राज्यीय आग का ६० प्रतिशत है। योग ४० प्रतिशत राज्यीय आग समझों से
उपर्युक्त होती है। यांगीय आग पर दूसरी भी दर ३ प्रतिशत है जिसकी गमर में
अंजित आग पर कर सी दर ३० प्रतिशत है। यगरों की आग का गमधग ९० प्रति-
शत उसीके दूसरे धर्यायक विद्या जाता है, जिस पर कर भी दरे अधिकारित
उच्ची है। कृषि देश में सर्वान् ही राजस्व का एकाकाल यांगाया है जो भारी रामता
उपर्योगिताओं को यो यो युक्ता है। अतः यो दरों की धर्यायक परस्ता आयकर है जो
यांगायक भी हो भी योगीता आग भी प्रदान कर देवे। इससे आग कर भी जो
भोगी होती है वह भी नहीं हो जाएगी।

(3) राज्यों की केंद्र पर अधिक विभिन्नता में बदली के द्रव और राज्यों का
यजहों से अप्रयत्न एवं विद्योगण से प्राप्त होता है कि प्रत्यक्ष यजहों में विद्यमान आग
से यांग प्रदर्शित विद्या जाता है तथा यांगों की विद्या धर्यायक का गमहार विद्या जाता है।
इस प्राप्त राज्यों की केंद्र पर अधिक विभिन्नता यहीं जा रही है। इसों
अंतिमिति राज्यों के द्वारा योजना धर्यायक प्रणालीय धर्यायक प्रतिष्ठान यांग जा रहे हैं।
यहांते हुए इस आधिक योग्य को उठाने से यांग कृषि-आयकर लगाना आवश्यक है
तथा जीवन के राज समिति का युक्ताय है कि यह आग पर, कृषि भी दूर करि
आग को अधिकार आग से विद्या कर 'कर' यांगा जाएगा। इस प्राप्त अंतिमिति
कर समानों में जो अंतिमिति आग प्राप्त हो, यह उसी राज्य को विस्तीर्णी पाइए।

जिमकी हृषि से आय वर्दी है। इन प्रतार राज्यों की बैंड पर आधिक निर्भरता में कमी होगी और देश के आधिक विवास के लिए अनिरिक्त राजन्व भी प्राप्त हो जाएगा।

(4) कर-बदल पर रोक : बाचू मिनि के अनुभार भारत में काले धन की बृद्धि का प्रमुख कारण हृषि वाप का कर मुक्त होना है। हृषि आय को कर योग्य घोषित करन पर एक बार लोगों की कर-बदल की प्रवत्ति रुकी, दूसरी ओर धनाड़ा वा काला धन प्रवास में आ जाता। अब काले धन के कारों रोक के लिए वह नितान आवश्यक है कि आय कर की उच्चतम दर में 20 प्रतिशत की कमी कर दी जाए और धीर हृषि वाप का पूर्णत बर योग्य घोषित कर दिया जाए।

(5) कराधान के डाके को करदेय क्षमता के अनुदप बनाना करारांपा वा एक महस्वपूर्ण मिदान यह है कि कराधान करादान की करदेय क्षमता के अनुदप होना चाहिए। उपरों की करदेय क्षमता मुम्तज़ादी के बानों पर निर्भर करती है। प्रथम हृषि की उत्पादकता तथा डिनीय, हृषि आय का न्यायोचित वितरण। बहुत तक हृषि भूमि ही उत्पादकता का प्रश्न है, इसमें मध्य महस्त है कि योजना बाल में इसमें निश्चिन रूप में बृद्धि होई है। योजना बाल में हृषि क्षेत्र में भारी विनियोजन किया गया है। चौथी पचवर्षीय योजना तक यह विनियोजन 3,815 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, परन्तु 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन जो देवन 5 56 करोड़ टन था 1971-72 में 11 करोड़ टन के लगभग पहुंच चुका है। यह नव व्यापक हरित धाति के फरम्बन्प हुआ है। परन्तु हरित धाति का लाभ देवन 10 प्रतिशत बड़े रिसानों को ही मिला है जब उपर हृषि वाप पर आयकर उन कराधानाओं से वमूल करना न्यायोचित ही है जिनकी गैर हृषि आय न्यूनतम बर योग्य आय में अधिक है।

निम्नी बगे विशेष की बर देय क्षमता देवन उत्तरी आय की मात्रा पर निर्भर नहीं करती अपिनु आय के वितरण के स्वरूप पर भी आधित होनी है। भारत की 25 प्रतिशत हृषि भूमि 75 प्रतिशत नियानों के पास है और 75 प्रतिशत भूमि देवन 25 प्रतिशत विभाना में वितरित है। इनमें में 15 प्रतिशत नियानों के लान 5 का 10 एकड़ भूमि है और ऐसे 10 प्रतिशत नियानों के लान 5 का 5 एकड़ भूमि है। इन तथ्यों में अप्ट है कि भूमि के वितरण में जट्टवित्त विपन्नता है, परन्तु भूमि की अधिकतम भीमा नियान द्वारा होने के बाद बड़े-बड़े भूम्बानी समाप्त हो जाएगा। बत इन नए वरिवेज में हृषि आय और गैर हृषि आय का व्याजित एकी-बरण करना ही सामान्य नियान के हित म होगा। हृषि आय पर कर उनी नियान दो देना होगा जिमकी गैर हृषि आय न्यूनतम बर-योग्य आय भीमा में अधिक है।

हृषि आयकर के विपक्ष में तर्क

निसदेह आधिक दर्शि में हृषि आय पर कर लगाना उचित तथा न्यायमन्त्र

प्रतीत होता है परन्तु यह एक नाजुक मामला है। इसमें बहुत शोच-समझ कर पूरी सतर्कता के साथ ही हथ डालना होगा अन्यथा हरित क्रांति शृंग मरीचिका में बदल सकती है। साथ ही खेती के विकास में जो अनुकूल वानावरण बन रहा है वह कृपि आयकर द्वारा नष्ट हो सकता है। इस विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए अनन्द विद्वानों ने निम्न आधारों पर कृपि आय कर को उचित नहीं लेहराया है

(1) कृपि व्यवसाय नहीं इन लोगों का यह तर्क है कि भारत में कृपि इसी लिए नहीं की जाती कि इसमें कोई विशेष लाभ है वरन् इसलिए की जाती है ति कृपकों के पास अन्य धर्मों का अभाव है। विसान अधिकाशत अपन ही उपभोग के लिए उत्पादन करता है। कृपि प्रधान देश होते हुए भी कृपि वी दशा भारत में बहुत गिरी हुई है। भारत में जहां कुछ पिछड़ी जातियां हैं, वहाँ पिछड़े हुए व्यवसाय भी है, जिनमें में दुर्भाग्यवश कृपि भी एक है, इसलिए कृपि आय का करारोपण अविवेक्षण्यं एव अन्यायपूर्ण होगा।

(2) खेती का व्यवसाय अधिक जोखिमपूर्ण कुछ लोगों द्वारा भ्रम है कि विसान को खेती से पर्याप्त आमदानी हीती है। परन्तु खेती का व्यवसाय अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक जोखिम से भरा है और थम भी अधिक मांगता है। जहां बारबाने में मजदूर को 7-8 घण्टे ही काम करना पड़ता है वहां कृपकों को गर्मी-मर्झी वी परवाह किए बिना दिन-रात परिश्रम करना पड़ता है। लगान, मान गुजारी भुगतान करने के अनिवार्य यदि वह पानी भी देता है तो उसके लिए भी जब कर अदा करता है। खाद, बीज और यक्कों के मूल्य निरतर बढ़ रहे हैं। इसके खावजूद भी यह कहना कि किसान की दशा पहले से सुधारी है, सही नहीं है। आज भी 82 प्रतिशत प्रामीणों वी आय इतनी कम है कि वे एक रुपया प्रति दिन भी खर्च करने में असमर्थ हैं। यह सभी को ज्ञान है कि रुपये का मूल्य पिछले 25 वर्षों में 27 प्रतिशत गिर गया है।

(3) हरित क्राति का लाभ केवल कुछ ही घड़े किसानों को : विरोधी दर्शन का यह बहना है कि हरित क्राति का लाभ केवल 10 प्रतिशत कृपकों को ही मिला है। अधिकांश तदनीवी ज्ञान, साधनों और वेकिंग मुविधाओं का लाभ वस्तो तथा नगरों में रहने वाले घड़े किसानों ने उठाया है, जिनका भूमि से कोई विशेष सबध नहीं है। भूमि सुधार का लाभ भी इन्हीं लोगों ने उठाया है। काला धन भी सफेद इन्हीं का हुआ है। अन सरकार इस धन को निकालने की ओट में कृपि आय पर कर न लगाए। यदि ऐसा हुआ तो तम्हारी और समाज विरोधी तत्त्वों के बढ़ जाने की समावनाएं पैदा हो जाएंगी।

(4) कृपि कर न लगाकर बकाया करों को बहुल किया जाय : कृपि आय पर कर लगाकर कुछ वित्तीय सहयोग देश के विकास हेतु अवश्य प्राप्त हो मृकता है परन्तु केन्द्र सरकार अपने 9 अरब 40 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकारें 3 अरब 80 करोड़ रुपये ने बकाया करों को बहुल कर विकास योजनाओं के लिए धन

कुटा भवती हैं, तब हृषि आप के बरारोपण वा प्रन्याव उचित नहीं दृष्टना जा सकता। और किर मरमार देख के बनीरों के पास पठा 40 लक्ष रुपये वा कला धन विनुद्दीकरण की विधि से निकलदार अपनी पोउवार्ड चक्का भवती है।

(5) हृषि पर वर निर्धारण इतिन : हृषि आप वर निर्धारण दडा किन एवं जटिल है। कुपि उन्यादन एवं उनके मूल्य में भागी उन्नास-वटाव आने वे चारण आप वा घटना-वटना न्यामाविक हैं। इतिलए जिमानों जी बास्तविक आनंदनी वो ज्ञात वरना एक विकास कार्य होगा। जब सुन्दर योद्देश्ये ऐसों में स्थानित उद्योग व्यवों वी आधिक स्थिति का पठा लगाने में अनुभव रही है तो फिर यह देश में पैले हुए शानों के एक-एक विमान वी आधिक स्थिति का पठा बेसे लगा जाती है।

(6) हृषि आप वर की व्यवस्था में इतिनाई : यदि विसी प्रश्न में हृषि आप वा भावी व्यवस्था लगा जो लिया जाए तो किर उस पर लगाए जाए वर की व्यवस्थी अन्यत्रिक विकिन वार्य है। मुद्दों भर अनी विमानों में हृषि आपश्वर वो व्यवस्थी नरने के लिए काश्वर विमान वर विन्याव उन्ना होता जिसके व्यवस्थी वा खर्चों बहुत जटिक बट जाएगा। गरीब जिमान जी हन जोनमें के नाथ ही नाथ हिनाव-जिताव के दम्भे रखने होंगे। जो जिमान अपने ज्ञात वा ही भी हिनाव नहीं रख पाना वह काश्वर के लिए जहा तक हिनाव-जिताव रख सकेगा और फिर भारतीय आधिकर प्रणाली इतनी जटिल है कि दसे सुमझने में व्यवस्थित इतिनाई का नामना बराना होगा।

निष्कर्ष

हृषि अवसान नथा गैर हृषि व्यवस्था वास्तव में एक दूसरे के पूरक है। इसीनिए दोनों के माय नमान व्यवहार उपस्थित ही होगा। माय ही माय हृषि शेष ने व्याल धन के प्रदेश वो रोतने के लिए हृषि पर आधकर न्यामान न्यामेविक तथा नर्वनगत चट्ठा जा भवता है। हृषिकर के जानोचकों की ये आलोचनाएँ विहृषि वर के विमानों जी परेजानिया और बड़ोंगो और वर वो व्यवस्थी में प्रणालीविक इतिनाइया जाएगी न्यरुः जारापारी हो जाती हैं। वर पढ़ति हो जिधिर नमानपूर्ण दबं प्रगणियाल चनाते ही दिगा मे नगदार वो यह उद्भव उठना चाहिए। इसमें प्रतिरित व्यूषि छेत्र ऐ वर न्यामों ऐ न्यामावदारी तिन्यावरआर जी एक व्यावहरित रूप दबा बल मिलेगा, पाचवी दोबना ते निए न्यांत्र राज्यक ग्राम्य ही नहेगा, जारि अन पर ज्ञातु प्रलेगा व वरारोपण की अपनानता दूर होगी।

छब्द यह विभव वर लिया गया है कि दिन करदाराजों की ऐसहृषि वर न्यूतनम वर योग्य आप भीमा के विभिन्न है, उन्हें 1973-74 वर निर्धारण दबं के हृषि-आप जीर गैर हृषि आप के योग पर आप वर देना होगा। ऐसा वर्ते मन्द 5000 रु. वी छूट हृषि आप पर नहीं दी जाएगी। हृषि आप और हृषि आप वा ज्ञानित एकीकरण व्यक्तियों, जर्विमानित्व हिंह परिदारों, अपदीहन ज्ञानों आदि पर लागू होगा।

राज समिति प्रतिवेदन

केन्द्रीय मरकार ने कृपि के करारोपण की जांच करने के लिए डा के० एन० राज की अध्यक्षता में 'कृपि सपत्ति तथा आय समिति', की नियुक्ति की थी। समिति को जो काव्य सौंपे गए उनमें से कृपि सपत्ति, आय तथा पूजी अर्जन पर बर्तमान पद्धति की जांच कर के आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त साधनों को जुटाने के उद्देश्य से प्रभावशाली रीतिया का मुझाव देना था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 1972 म भारत सरकार के ममुख प्रस्तुत किया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें तथा निष्पर्ण इस प्रकार हैं-

समिति का विश्वास है कि कृपि के प्रत्यक्ष करारोपण का मुख्य हृष कृ-राजस्व को आरोही नहीं बना सकता। पहले कभी भू-राजस्व को आरोही बनाने के लिए अधिभार का प्रयोग किया गया था परन्तु वोई सफलता नहीं मिली। उसका यह परिणाम हुआ कि कृपि समुदाय के ऊची आय अर्जित करने वालों को गैर कृपि आय प्राप्त करने वालों की तुलना म बर की अदायगी कम करनी पड़ी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए समिति ने कृपि के प्रत्यक्ष करारोपण का विचल्प ढूढ़ा है।

राज समिति का विचार है कि कृपि क्षेत्र अभी करारोपण से अदूता है। इस समिति को उस सर्वधानिक तथा प्रगासनिक कठिनाइयों का हल ढूढ़ने के लिए नियुक्त किया गया जो कृपि सपत्ति तथा अन्य वे करारोपण वे सबघ म उत्पन्न होती है। हमारे सर्वधान म यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कृपि आय का करारोपण राज्य मरकार ही कर सकती है। परन्तु राजनीतिक तथा अन्य दारणा से राज्य इस खोत का पूर्ण दोहन नहीं कर पाए। इस समिति ने इस सर्वधानिक कठिनाई को कृपि जोनकर वे माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। बतमान विधान वे अनुमान बेन्द्र सरकार कृपि सपत्ति पर करारोपण लागू कर सकती है। इस समिति के द्वारा सुझाए गए भूमि का शुल्काई मूल्य का रूप आय वे समान न रह कर सपत्ति के समान है। इसलिए इस समिति की प्रस्तावित योजना का नवेधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती।

समिति ने कृपि आय की अपेक्षा कृपि जोत के ऊपर कर लगान की नियां दिया की है। कृपि जोत का करारोपण उनके आकार तथा उत्पादकता को दृष्टि में रखनेर लगाया जाए। समिति वा अनुमान है कि कराधान से प्रतिवर्ष 200 करोड़ हृषे की आय जुटाई जा सकती। समिति न यह स्वीकार किया है कि यद्यपि कृपि कराधान का सर्वधानिक अधिकार राज्यों को प्राप्त है, किन्तु यदि बेन्द्र भी कृपि का करारोपण करता है तो भी प्राप्त आय राज्यों को स्थानात्तरित कर देनी चाहिए।

कृपि जोतकर वो नियां दिया जाए। समिति ने इन बातों को दृष्टि म रखने का मुझाव दिया।

- 1- भूमि की उत्पादनता नथा जन-पूर्वी की दशाएँ ।
- 2- भूमि को जलदायु ।
- 3- बोई गर्दे पमल जी विस्म तथा प्रचृति ।
- 4- विकान व्यव के मंदनमें ने विकान छूट जो भूमि के शुल्कार्द मूल्य का 20 प्रतिशत हो परतु । हजार रुपये ने जीधव न हो, दी जानी चाहिए ।
- 5- दृष्टि जोत दर, परिचालन-जोतों पर परिवार के आधार पर लगाया जाए ।
- 6- दृष्टि जोत कर, दो दगाओं में लगाया जाए । प्रथम, उन ननन्तु परिचालन-जोतों पर नियम शुल्कर्द मूल्य 5000 रुपय मा उसमें अधिक है भू-गजन्व नमान्तु उसके दृष्टि-जोन कर को लगाया जाए । द्वितीय गजद सरकारे अपनी नुविधानानुभाव ठब्ब चर को 5000 रुपये से बस के शुल्कार्द मूल्य बाजी भूमि पर भी लागू कर सकती है ।

देख वो मिट्टी तथा जलदायु की एकलपना के आधार पर बहे-बहे झेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा । एक बार ऐसा नहाना नैयार हो जाने पर प्रत्येक हेक्टर भूमि से प्रत्येक वर्ष विभिन्न पमलों की नामान्य उत्पत्ति पिछले दस वर्षों की उपज पर आधारित करते जाते हो जा नवानी है । पिछले तीन वर्ष के उपज के बोलते मूल्य के आधार पर इन उपज को मूल्य में परिषुट दिया जा सकता है, इसी आधार पर प्रत्येक हेक्टर भूमि का शुल्कार्द मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।

नमिति ने दृष्टि तथा गैर दृष्टि आप के करारोपण की एक नमन्दित योजना प्रस्तुत की । ऐसा करने ने गैर दृष्टि आप को दृष्टि आप दिव्वनाले की प्रवृत्ति पर रोक लग न देगी, और दृष्टि आप पर करारोपण की दर का आवान बरते स्वयं दोनों प्रकार की आपों का समन्वय इन प्रकार किए जाने दो निपाण्डि की : (1) गैर दृष्टि आप पर दर्तनाम 5000 रु. की प्रारंभिक छूट दी जाए, (2) दृष्टि आप तथा (3) गैर दृष्टि आप ।

दृष्टि आप के मंदमें में परिवार को एक इकाई माला जाए और आप कर तथा छन कर के नदमें ने भी परिवार की इसी धारणा को प्रयुक्त दिया जाए । उग्र योजना, पशु प्रबन्ध नथा मुर्गीपालन ने प्राप्त आप जो जब तक भर के न्युन्तु है आप चर के लिये भी नमिनित कर नहीं चाहिए ।

मूल्यांकन

राज नमिति ने नुगाव देते नमय नवीनित विनाइयों को दूर करते हुए दृष्टि आप को भर के चमुल में लाने की एक नुदर मुक्ति प्रस्तुत की है । परतु दृष्टि जोहों से प्राप्त आप का नुगाल नगति नवय जो छूटें दी जाएंगी के इन प्रन्दाशित कर की योजना को जटिल बना देंगी ।

समिति ने हृषि सपत्नि पर धन कर तथा पूँजी लाभ कर के माध्यम से समन्वित करारोपण की सिफारिश करने हुए आधार छूट को 15 लाख 80 तक बढ़ाने की मिकारिश की है। और जहा तक मध्य हो धन कर के अतंगत दी जाने वाली समस्त छूटा को समाप्त कर देने के लिए जो छूटें धन कर के अतंगत दी जाती रही हैं उनके एकदम समाप्त कर देने से लोगों के ऊपर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। अत म समिति ने परिवार को एक इकाई की विचारधारा की वेवल हृषि जोत-कर के सदर्भ म ही लागू करने के लिए मुझाव नहीं दिया अपिनु उसने इने आय कर और धन कर के सबध म भी लागू करने की मिफारिश की जो वास्तव में उसकी जान की परिधि के बाहर की बात है।

पूँजी कर

पूँजी अथवा संपत्ति के करारोपण वा जर्ये एम वर में है जो गणति के पूँजीगत मूल्य या उमड़ी बृद्धि पर आका जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि उमड़ा भुगतान पूँजी अथवा संपत्ति में हो।

पूँजी के करारधान के मवध में काफी भ्रन तथा अनिश्चितता पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों ने पूँजी कर की अदायगी के बादाम पर पूँजी के करारधान को दो भागों में विभक्त किया है।

(1) ऐसे कर जो पूँजी पर लगाए गए हैं परन्तु जिनका भुगतान आय में म दिया जाता है।

(2) वे कर जो पूँजी पर लगाए गए हैं और पूँजी में से ही बदा होते हैं। ऐसे कर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, उनावर्ती पूँजी कर, जो सम्पूर्ण पूँजी पर वेचन एवं बार अथवा इनी विषेष अवसर पर लगाया जाता है। दूसरा अथवा इनी आर्थिक स्वर्ट के उपरात भारी ऋण-झोधन के रिए जो बार एक बार लगाए जाते हैं वे अनावर्ती पूँजी कर ही होते हैं। द्वितीय, ऐसे पूँजी कर हैं जो प्रत्येक बार उम्य नमय लगाए जाते हैं जब एक व्यक्ति उत्तराधिकारी के हृष में दूसरे में उपर्युक्त प्राप्त करता है। ऐसे कर को मृत्यु कर के नाम से सर्वोदयित किया जाता है।

पूँजी कर में हमारा अभिप्राय ऐसे कर ने नहीं है जो पूँजी के वापिस मूल्य पर लगाया जाता है। जो कर पूँजी के मूल्य पर प्रत्यक्ष हृष में नहीं लगाए जाते जिन्हें पूँजी के प्रयोग पर या स्थानीय दरच रूप में लगाए जाते हैं, जैसे मोटर नाड़ी का लाइसेंस शुल्क, पूँजी कर की परिवित न मन्मिनित नहीं किए जाए।

श्रीमती उमूर्ती हिकम के विचारानुभार पूँजी कर को दो भौति पूरी तरह चाहिए। प्रथम, कर की धन राजि इतनी बड़ी हो जि उनका भुगतान आय में सम्भव न हो। द्वितीय, यह कर आवस्मिक हो। श्रीमती हिकम न पूँजी कर ऐसे कर को माना है जिनका भुगतान पूँजी में तु शी किया जाता है। हमारे लिए यह जानना निश्चयक है कि इन कर का भुगतान इहां में ही सकता है। यह ही सकता है कि एक

वर आय पर नियम जाए और उसका भुगतान पूँजी में से हो या इक्के कर पूँजी पर लगाया जाए और उसकी अदायगी चालू आय में से हो। वस्तुत जो कर पूँजी पर लगाया गया है वही पूँजी कर है। इन सदमें में आइए। गुरुठाठी का यह कथन यड़ा मार्यंश है, “जिस प्रकार मदिरा कर मदिरा पर लगाए जाने वाला कर है, घोड़ा कर घोड़ा पर निर्धारित किया जाना है और आय-हर आय पर लगाया जाने वाला कर है, उसी प्रकार पूँजी कर पूँजी पर लगाया जाता है।”¹ यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि कर का आधार बया है। सच भी यही है कि कर निर्धारण में कर का आधार मन्तव्यपूर्ण होता है, उसकी अदायगी का स्रोत नहीं। पीछे ने इसी धारणा पर समर्थन करते हुए बहा है कि यह कोई नहीं वह सत्ता कि मदिरा पर लगाया गया वर अनिवार्यत मदिरा में ही भुगतान किया जाए या ऐसे साधनों में अदा किया जाय जो मुद्रा को मदिरा में ही परिणत किए जा सकें। जिस प्रकार आय कर का भुगतान किसी भी स्रोत में किया जा सकता है, उसी प्रकार पूँजी पर निर्धारित किया जाने वाला कर भी स्रोत में अदा किया जा सकता है।

पूँजी कर का श्रौतित्य

अन्य दरों भी तुलना में पूँजी कर के बनेक मेंदानिर लाभों की चर्चा की जाती है। ५० बार ० प्रैम्ट के मतानुमार, “जो यिमपूर्ण वायों के निए ये कर आय कर की तुलना में कम प्रेरणाहारी होते हैं, न्यायशीलता के आधार पर इसके पश्च में हड़तार्ह दिए जा सकते हैं और यह तो निश्चित रूप में वहाँ ही जा सकता है कि पूँजी मूल्य की वृद्धि पर कर, चाहे भूमि पर हो अथवा सम्पत्ति पर, विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दरों की अरेका कार्यत तथा बचत करने के निए कम प्रेरणाहारी प्रभाव आपत्ते हैं।”²

मुख्य रूप से पूँजी कर की सार्वत्रिक के पश्च में निम्न आधार प्रस्तुत किए जाने हैं-

(1) न्यायशीलता : पूँजी कर के लगाने में न्यायशीलता के तर्क को दर्शनिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि आय किसी भी व्यक्ति की करदान क्षमता का पर्याप्त मूल्य नहीं हो सकती। वर्द्ध व्यक्ति आय के अनिरिक्त पूँजी में भी लाभ उठा सकते हैं। पूँजी उसे स्वामी को मुरक्का तथा अवगति की स्थापना, विषेष रूप में सज्जी तथा मूल्यवान शिक्षा, उचित वार्यता के लिने पर वेरोजगारी से वचाव दृष्ट्यादि के अतिरिक्त अवगति प्रदान करती है। एह विभेदान्तर कर प्रणाली भी द्वा तथों को इटि में नहीं रख सकती। आप कर के आधारों में आमपणों, मूल्यदान चिन्हों तथा नराद-निधि जैसे पूँजी के विभिन्न रूपों को, जो यद्यपि आय अवित्त नहीं करते परन्तु मुरक्का तथा अनेक लाभप्रद अवसरों को अवश्य प्रदान करते हैं,

1 IS Gulati, 'Capital Taxation in a Developing Economy', p 10

2 A R. Prest : 'Public Finance in under developed Countries', 'Allied Publisher Pvt Ltd.

मन्मिलित नहीं रिचा जाता। आपका नगरि नमव इन ब्राह्मणों को न्वीकार न करने से आप वर वा नार बर्गांत्र वाप जी करेका अंतिम आप पर अधिक पड़ता है जो उचित नहीं बहु जा सकता। पूजी वर वी न्युरस्टिन में आप वर ब्राह्मणिक भार पूजी में इनपन्न लघु आप पर तो पड़ता है परन्तु पूजी दम भार न सृज्ञ रहती है, नाय ही पूजीगत नामों में इनपन्न व्याप कमता लाए वर में मृद्द ही जाती है। इसका परिपाल भह होता है दि लोग अपनी जर धोन्म जाप औ दृष्टिन्द्र लानों में धर्मित न्याकर आप के कशयोपण से भी छुटकारा पा सकते हैं। यह सम्भव ही सकता है दि ब्रह्माता ऐसे ही रिची आप तो सकान ह। परन्तु उनकी विशुद्ध न्यासतीयों में अनुर हो। वहाँ ऐसी इमा में दोनों मु सकान आप वर वी आपने न्यासहीन नहीं होगी ? उद्दिष्ट अधिक नपति धारक की ब्रह्मान हमता दूर वी अपका अधिक है। इसलिए न्याप वी रूपि न यह आवश्यक है कि पूजी वर वी आप वर के अनुप्राप्त के न्य लगाना चाहिए।

(2) समानता : समानता केवल आप के विशुद्ध ने ही नहीं परन्तु दूसरी के विशुद्ध में लाता आवश्यक है। अप वर के केवल आप के विशुद्ध में ही समानता जा सकता है। यदि पूजी वर नहीं लगाया गया तो लगाव में ब्रह्म के विशुद्ध में अनमानना बढ़ जाती है जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि में प्रभानीय नहीं बहु ज्य मृद्दती। इसलिए धन के विशुद्ध ने सकान वरने के लिए पूजी वर पर अपरोप आवश्यक समझा जाता है।

(3) उत्तमता : पूजी ब्रह्मान के व्याप में तीनों तुक्त दृष्टिना पर आधारित है। आप वर वी दूरता में पूजी वर का विशुद्ध प्रभान बन हो सकता है। इनका दारप घट है कि पूजी वर का प्रभाव ब्रह्मान प्रभानों की ब्रह्मा दृष्टिनीय पर पहता है, इसलिए यह लोगों के प्रयाणों तथा लाहौओं को उत्तम विशुद्धाहृत नहीं होना चिह्नता हि आप वर। परपि पूजी वर के कुछ वर वी ही सकत हैं जो बच्चों के बाटने की प्रेरणा की जग वर मृद्दते हैं परन्तु किर भी कुछता की दृष्टि ने दूरता भृत्य बन नहीं हो सका।

न्यासीलता, समानता तथा ब्रह्मलता वी दृष्टि में पूजी वर उत्तुक्ष सका आवश्यक है परन्तु प्रणानीय अंत्रियादि के दारप इनकी व्यवहारिक न्य देना सरल प्रनीत नहीं होता।

पूजी कर के स्प

पूजी वर के सीन मुख्य स्प होते हैं (1) लालबीं पूजी वर (2) दृष्टु वर नमा (3) वार्षिक पूजी वर व्यदवा नियुद नैपनि पर वार्षिक वर। जलादती पूजी वर का विश्वेषण ब्रह्माता वी पूजी वा इन्हें धन के आग्रह पर चिना जाता है, परन्तु यह वर के केवल एक वार ही लगाया जाता है। वार्षिक पूजी वर नियमित न्य के लिया जाने वाला वार्षिक वर है। दृष्टु वर एक आदर्नी वर है जो ब्रह्माता वी सूपनि पर लगाया जाता है। यह आदर्नी इन व्रद्द में हि सुरक्षित का विनो वार

भी उत्तराधिकारिता में अवतरण होता है उम पर उनी ही बार कर बदा करना पड़ता है। साय ही यह कर अनावर्ती भी है क्योंकि यह जीवन कानू में बैचल एक बार उम समय बद, किया जाता है जब गपति उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है। इन तीनों श्रवार के बारे में कुछ समाल लक्षण दियाई देने हैं। प्रथम, ये कर पूजी पर ही लगाए जाने हैं। द्वितीय, इनका निर्धारण करदाना के पूजी मूर्त्य के आधार पर विद्या जाता है, करदाना वी जून पूजी की किमी विशिष्ट मद के आधार पर नहीं।

उपहार कर तथा विनियोग करो की समाविष्टी भी पूजी कर के अतिरिक्त वी जा सकती है। ये भी पूजी अथवा संपत्ति के करारोपण हैं और आवर्ती कर के स्वभाव के हैं।

अनावर्ती पूजी कर

अनावर्ती पूजी कर तथा विशेष क्रण निर्मोचन कर संपत्ति या एकत्र धन पर समाया गया विशेष कर होता है। प्रथम महायुद्ध काल में क्रणों के भार को कम करने के लिए इस कर का प्रयोग किया गया था। लोगों को अधिक स्थाय प्रदान करने के उद्देश्य में और अधिक लाभ करने वाले व्यक्तियों के हाथों में अनुचित सामों के सचय को रोकने के उद्देश्य में युद्ध की समाप्ति पर शीघ्र ही सुदृगत्य पूजी पर पूजी कर लगान का भी मुकाबला दिया जाता है। अनावर्ती पूजी कर के माध्यम में सार्वजनिक क्रणों के भूगतान के समध में इस गतान्त्री के लीमरे दशव म वासी विवाद रहा है। इस विषय पर मुद्योग्र अर्थशास्त्री दो दिनों में बट गए हैं। जिन्हें इस कर का समर्थन किया वे खिलाड़ों के पद चिन्हों पर चक्रत बाले थे। खिलाड़ों ने नैपोलियन मुद्द के उपरान अनावर्ती पूजी पर के समाने का समर्थन करते हुए कहा था कि 'भारी क्रृष्ण का बोझ जमा करने वाला देश बड़ी विषय मिति में पह जाता है..... जिस देश ने अपने लोपको इस कृत्रिम प्रणाली में उत्पन्न बटिनाइयों में फसा लिया हो, उसके लिए बुद्धिमानी का राम यही होगा कि क्रृष्ण को चुकाने के लिए अपनी संपत्ति के द्विस अश के त्याग की आवश्यकता हो, उसे चुका कर बधान मुक्त हो जाए।'

अनावर्ती पूजी कर के पक्ष में तर्क

जिन अवश्यकत्वों ने अनावर्ती पूजी कर का समर्थन किया है उद्देश्य इस समध में निम्न तर्क प्रमुख हैं

(1) क्रृष्ण भार से शीघ्र मुक्ति पूजी कर के समध में सबमें बड़ा तर्क यह है कि इसमें आय प्राप्त करने के सार्वजनिक शृंगों के भार में शीघ्र मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस मद्भं म यह कहा जाता है कि निरतर पीढ़ा महने की अपेक्षा एक बार आपरेशन वरा कर रोग दूर करना बहुत अच्छा है। दान्टन के अनुसार करदाना ने लिए ऐसी तुल्यता उम समय उत्पन्न होती है जब उसके सामने चुनाव का यह

प्रश्न उठता है कि उसे दर्द ने पीड़ित शारों को तन्वार निरन्वा देना चाहिए या उस दर्द से निरतर पीड़ित बना रहता चाहिए ?¹

(2) प्रथो एवं निर्धन में त्वार वो समस्ता सुख वापि ने निर्धन नशः भव्यम् थेष्ठो वे यर्गो या अधिक त्वार होना है। वे ही व्यक्ति सुखन्यन में जरन्से जान की बाजी लगात हैं और जब सूखों का शिवार होते हैं। इनके विपरीत ऐसे समय ने पूजीपति अधिक लाभ कराते हैं। इसलिए यह जर्नार्चन होगा कि जो लोग सुख ने नहें उन पर ही सुख अपि का भार लाता जाए। इन सबघ न यह रहा जाता है कि 'वदि यह मही या कि नदयुवक्तों ज्ञे वपत जीवन का विद्यान जन्मा चाहिए तो यह भी मही या कि घनों व्यक्ति वपत घन को लाभपूर्वक विनियोगों में विनियोजित करते वे बजाय कर वे स्वप्न में दे दें।' इसलिए जिन लोगों ने सुखकाल में खूब लाभ कराया है उन पर पूजी कर समादर अपि की वापसी करनी चाहिए।

(3) निजी संपत्ति शो विषमता वो कर रहना आज भारी पूजी कर वे पक्ष में यह तकं दिया जाता है कि उसमें निजी संपत्ति वो और उस पूर्वे दायों की विषमता कम होती है। आवश्यकता होने पर इनका प्रयोग उद्योगों के उपर्युक्तरण में मुकाबलों ने उत्पन्न ऋणों को ज्ञानिक या सूखे स्वप्न में चुकाने के लिए भी इन्हा जा रहता है।

(4) प्रेरपाहारी व्यापार की घटना : पूजी कर वास्तव में तेज नर्ति में अपि ज्ञोषन का एक स्वप्न है। विषेष अपि निर्मोचन कर निमो भारी वराधान का व्यापार नहीं अपितु उसके जारी रहने वी व्यापार की अवसर प्रेरपाहारी होती है। जब भारी वराधान वो अवधि पूजीकर वे स्वप्न में सद्गुचित कर दी जाती हैं तो उने वह अन्याय में भारी हो जाए परन्तु याद में सोय राहत अनुभव करते हैं। इनके प्रेरपाहारी व्यापार का घट जाती है तथा स्वयं वो दिकाम तथा उन्नति करते वे लिए समुचित अवसर मिल जाता है।

(5) वास्तविक अपि के भार में इसी : सुख समाप्ति के कुछ समय पश्चात मूल्यों में जमी जाने की व्यापारा बनी रहती है। यदि ऐसा होता है तो नार्य-जनिक अपि का वास्तविक भार कढ़ जाता है, इसलिए पूजी कर छागर ऐसे क्रमों द्वारा निर्मोचन तुरत ही नाम्भकारी लिख देता है।

अनावर्ती पूजी कर वे विषक्ष में तर्के

विषक्ष में निम्नरिदित वर्करों ने मिशनर अनावर्ती पूजी कर के समर्थकों के बिन्दु वहमत उत्पन्न कर दिया।

(1) वार्यशील पूजी में इसी : चूकि पूजी कर की व्याप अधिक होती है इसलिए जनेश व्यक्तियों द्वारा उसका भूगतान पूजी में मे दिया जाता है। ऐसा

वर देश की कार्यशील पूजी को घटाना है तथा व्यापार, उद्योग व रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(2) उत्पादन का निष्ठसाहित होना : इम कर को आरोचना इम आधार पर वी जाती है कि यह कार्य बरने तथा बचन करने को निष्ठमाहित करता है, जिसमें राष्ट्रीय उन्पादन कम हो जाता है।

(3) सम्पत्ति धारकों के लिए कठिनाई पूजीकर उन सपत्तियों के स्वामिया के लिए विशेष कठिनाई उत्पन्न करता है जिनमें पास शुगनान बरन के लिए पर्याप्त माला में नहीं राशि नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी सपत्ति का कुछ न कुछ भाग बेचने को दिवाजा होना पड़ता है। यह कर अपने उद्देश्य में उसी समय सफल होता है जब इसे तुरत युद्ध की समाप्ति के पश्चात लगा दिया जाता है, क्योंकि उम समय लोगों में युद्ध से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति बनी रहती है।

(4) पूजी व साख पर प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक ऋण लेते समय मरकार युद्ध पत्ता वा प्रयोग करती है। प्रो० शिराज का विचार है कि व्यापारी इन युद्ध पत्तों वा प्रयोग अपने व्यापार वी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वेर इन युद्ध पत्तों की आड भी व्यापारियों वा साख प्रदान करते हैं। परन्तु जप्त यह युद्ध पत्त वापिस कर दिए जाएंगे तो वे इनके उपभोग में वर्चित हो जाएंगे, फलत साख वा बृहत बड़ा भाग सबुचित हो जाता है। इसमें मजदूरी तथा मूल्य भी गिर जाते हैं।

(5) प्रशासनिक दृष्टि से अध्यावहारिक कुछ लोगों वा यह विश्वास है कि अनावर्ती पूजीकर प्रशासकीय दृष्टि से अवहारित नहीं है क्योंकि इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वैकों और आम अमदाताओं का पर्याप्त महयोग उपलब्ध हो जो दुर्भाग्यवश वभी भी प्राप्त नहीं हो पाता।

निष्पर्य

अनावर्ती पूजी कर के पश्च तथा विषय में दिए गए तकों का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्पर्य पर पहुचते हैं कि ऋण निर्माण के लिए कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं अपनानी चाहिए जो बचन तथा विनियोग पर बुरा प्रभाव डाले। यदि पूजीकर ने पूजी निर्माण में अवरोध उत्पन्न होना है, उत्पादन निरस्त्वाहित होता है तथा दशोग और व्यापार वे विकास में वाधाए उत्पन्न होना है तो इसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मत्सुशिना शुकारो न रहा है कि 'गशेष म छन, अगमानताए, व्यापारिक उपद्रव बृहत पूजीकर के आवश्यक परिणाम है पूजीकर वा प्रयोग उस समय तक नहीं बरता चाहिए जब तक वह अनि आवश्यक न हो।' ऐसा ही विचार श्रीमनी हिंसन ने इस प्रकार व्यवत विद्या है, 'एक अनावर्ती कर अर्थव्यवस्था के क्षयर पक बड़े गल्प चिकित्सक' के समान होना है यह उमे या तो ठीक ही बर देता है या समाप्त कर देता है, और सामान्य कर मरजना

के द्वारा वी गई नियमित खुराक एवं वी गई मालिश के प्रभावों से विट्ठुन भिन्न होता है।'

मृत्यु कर

आजकल नगधन ममी प्रजातन्त्र देंगों मेरे मृत्यु मे उत्तराधिकारी को हम्मातरिन होने वाली सपदाप्री पर समाया जाने वाला वर मृत्युं वर व्यवस्था का एक अम बन गया है। यह बात नच है कि जिस प्रवार मरकार दिनी व्यक्ति वी मृत्यु की मुरक्का का भार उसकी मृत्यु के बाव उठानी है उसी प्रवार उत्तराधिकारियों को उसके हम्मातरित होने भवय उनका कुछ भाग नेना भी उन्हें निए बाढ़नीय है। उत्तराधिकार के सबध मेरेडम्टोन द्वारा प्रवट दिया गया यह विचार बहुत उपसुचत है कि सरकार के दिए नामस्तियों की नर्पतियों को पूर्ण मुरक्का के नाय उप बढ़ी वाधा के, जिसे मृत्यु एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के दोनों खड़ा वर देती है, पार ने जाना एक अन्यत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐका बात नक्य वर्दि नरकार मृत्यु के उपरात मृत्यु की उपनिवेष्टने के कुछ अश्व की जनहित के निए उत्तराधिकारियों ने ले लेती है, तो इस तरिक भी अनुचिन नहीं जाना जा सकता है।

मृत्यु-कर के प्रवार

(1) मृत्यु सपदा वर इस प्रश्न का कर हम्मातरित होने वाली सर्वानि के दुन मृत्यु के मंदिमें मे निश्चित दिया जाता है। इसमें विभिन्न उत्तराधिकारियों की दिवनी सपदा मित्री है, इस पर कोई विचार नहीं दिया जाता। मृत्यु सपदा वर मे प्राप्त एक-भी ही समान छुट की व्यवस्था की जाती है। यह ही नक्य है कि इसके अतर्गत आश्रितों की सह्या के अनुसार और आश्रितों एवं मृत व्यक्ति के पारस्परिक गुबांगों के अनुसार विशेष छूटें भी प्रदान की जाए।

(2) उत्तराधिकार वर उत्तराधिकार वर की दरें, मृत्यु मे उत्तराधिकारी का क्या सबध है, इसी पर आधारित की जाती है। मृत्यु वर मृत्यु नर्पति की दृष्टि मे उत्तराधिकार वर नहीं नगता, अपिनु उत्तराधिकारी को उस सर्वति मे प्राप्त होने वाले अश्व पर ही उत्तराधिकार वर लगता है। मृत्यु और उत्तराधिकारी के सबध जी अनिष्टता अधिक होने पर उत्तराधिकार वर की दर नम और अनिष्टता कम होने पर अथवा सबध दूर का होने पर कर की दर अधिक हो जाती है।

मृत्यु-वर के इन दोनों स्पों मे प्रशायनिक मूलिका तदा परिणाम की निश्चिनता द्वारा है। मृत्यु नपदा वर अधिक नरल नया उत्तराधिकार होता है। इसके कारण यह है कि इसके अतर्गत विभिन्न उत्तराधिकारियों को निलंते वारि अश्व के नियांरण देने अत्यधिक अटिल दायं को दृष्टि मे नहीं लगा जाता है। यह वर उत्तराधिकारी की वर अश्व वरते भी योग्यता पर भी चोई विशेष अन्यान नहीं देता। इसके दिपरीत उत्तराधिकार वर के अतर्गत इम दात का निरतर अन्यान रखा जाना है कि मृत्यु तदा उत्तराधिकारियों के बीच का नवध वर्ता और प्रत्येक

उत्तराधिकारी का कितना भाग है। इस प्रकार उत्तराधिकार कर उत्तराधिकारी के मृतक से मवध को विशेष महत्व प्रदान करता है। इसका परिणाम यह होता है कि दूर के सबधियों की तुलना में विधवा एवं पूर्वों जैसे निकट के उत्तराधिकारियों पर कर का अपेक्षाकृत कम भार पड़ता है। इसलिए उत्तराधिकार कर को मृत सपदा कर का ही एक मुधरा हुआ रूप माना जाता है।

मृत्यु कर के पक्ष में तर्क

यद्यपि मृत्यु कर के लागू वरन में विवाद बहुत बुध समाप्त हो चुका है, परन्तु अत्यन्वित देशों के सदर्भ में यह विषय अब भी विवादश्वस्त बना हुआ है। मृत्यु करों के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले मूल्य तर्क इस प्रकार हैं-

(1) मृत्यु कर का भार धनिक वर्ग पर मृत्यु करों का भार सपत्ति के उत्तराधिकारियों पर ही पड़ता है और यदि वह मृत्यु व्यक्तियों पर भी पड़े (अर्थात् उन व्यक्तियों पर जो अपन पीछे सपत्ति छोड़ जाते हैं) तब भी स्पष्ट रूप से इन करों का भार एक विशेष वर्ग अर्थात् धनिक वर्ग पर ही पड़ता है। यदि मरखार इस विशेष वर्ग पर कर लगाना चाहे तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मृत्यु कर खड़े उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। इनमें इस बात का कोई डर नहीं रहता कि वही इन करों का अन्य वर्गों पर विवर्तन न हो जाए।

(2) समता एवं न्याय के सिद्धात पर आधारित ; सपत्ति को वराधान का एक उपयुक्त साधन माना जाता है। यह मासान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि विसी व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरात उसके धन के हस्तातरण का समय ही राज्य के लिए कर लगाए जाने का उपयुक्त अवसर होता है। इस कर के विरोध में यह सरकात से कहा जा सकता है कि यहा वर अदा करने की योग्यता का विचार स्पष्ट नहीं है क्योंकि मिद्दात का लक्ष्य मृतक भी हो सकता है और उसके उत्तराधिकारी भी। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु कर लगाने का समय उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त न हो और विशेष रूप से जबकि उत्तराधिकारी विधवा हो। इसके उत्तर में यह नहीं जा सकता है कि उत्तराधिकारी का सवध मृतक से जितना दूर होता जाता है, कर लगाने में न्यायशीलाएँ उतनी ही अधिक होती जाती है क्योंकि उसे वह धन प्राप्त होता है जिसकी समवत् रूपे आशा नहीं थी। इसलिए सरकार के लिए मृत्यु कर को बसूली का वही समय चयित होगा जब उत्तराधिकारी को सपत्ति का हस्तातरण हो।

(3) वितरण की असमानता को दूर करने से सहायक : मृत्यु कर से आय की असमानता दो कम करने में सहायता मिलती है। आय की असमानता का सबसे महत्वपूर्ण दारण सपत्ति वितरण की असमानता है। सपत्ति वितरण की असमानता लगाने से उत्तराधिकारिता से प्राप्त होने वाली सपत्तियों का विशेष हाथ होता है। एक सपन मृतक के उत्तराधिकारी को अन्य उत्तराधिकारियों की तुलना में

जाप लंगित नहीं की अमता और अलंकृत दटाने के अधिक अवमर मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप आप की अमानता पीटी दर पीटी की रुची है। इन अप को समाप्त करके नयी पीटी को आप चमाने का ममान अवमर मुनाफ़ लगते हैं लिए उत्तराधिकारिता ने प्राप्त सपनियों पर कर लगाना पूर्णतया न्यायोचित है।

(4) अनन्तित आप की समाप्ति में सहायता : मृत्यु कर के पक्ष में यह तर्क दिया जाना है कि उत्तराधिकारी ऐसी आप प्राप्त करते हैं जो दिसी अन्य व्यक्ति के परिषम और त्वाग तक होता है इसके सह लंगित आप है। यह ठीक है कि उत्तराधिकारी इस बात का अधिकारी है कि वयन्द होते तक उसे पर्याप्त शिक्षा तथा सहायता मिल। परन्तु इनमें अधिक यह जो नुच्छ प्राप्त होता है उसे विशेषाधिकार ही कहा जाएगा। इसनिए न्याय का आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनन्तित आप अन्तित आप की नुकता में अधिक भार महन कर सकती है।

(5) अवसर की समानता : मृत्यु कर के पक्ष में एक बन्ध तर्क यह दिया जाता है कि आप की अमानता की वर्तमान पद्धति अमानत अवमरों की जम देती है जिसमें आप अमानत की अमानत की अमानत भी बढ़ जाती है। इन प्रकार अप्प है कि मृत्यु कर लागू करने से नभी प्रवार की अमानत द्वारा दूर होगी प्रीर मभी को समान अवमर उपलब्ध होगे।

(6) मृत्यु कर आप कर का पूरक . मृत्यु कर के पक्ष में एक बन्ध तर्क यह दिया जाता है कि यह आप कर के पूरक के न्य में उपयोगी मिल होता है। आप कर का अन्य अप्राप्ति करो जो व्यतीर्णता अवक्षिप्त संपत्तिया जैसे प्रतिकूलिता जबाहरात, बड़मूल्य चित्र और इस प्रवार की आप के उपायित वर्तने वाली सपत्तिया करारोपित नहीं होती। मेकिन मृत्यु कर के वधीन मृत्यु से उत्तराधिकारी को हम्मातरित होते वाली नभी सपत्तियों पर प्राप्त कर लगाया जाता है।

(7) मृत्यु कर में निश्चितता और मुविधा का गुण : मृत्यु कर में इन तिमय के कर नवधी निश्चितता और मुविधा के निष्ठातों की भी पूर्ण प्रूति होती है। किसी व्यक्ति से इस कर के न्य में प्राप्त होने वाली राशि नवधी निश्चित होती है। अुगतान का नमय, दण और रानि भी मृत्यु, चरदान तथा अन्य किसी भी व्यक्ति की हट्टि से सरत और अप्प होती है। अत में यह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु कर का भुगतान नपति के न्यामी अथवा उनके उत्तराधिकारी को हट्टि ने बहुत मुविधापूर्ण होता है। इसे बिनविन आप कर कहा जाना है, क्योंकि इसका भुगतान उम नमय तक के लिए अप्पित वर किया जाता है जब तक कि मृत्यु में उत्तराधिकारी को सपत्तियों का हम्मातरण नहीं हो जाना।

मृत्यु कर के विपक्ष में तर्क

मृत्यु कर के प्रयोग के नवध में बहुत आपनिया प्राप्त उठाई जाती है।

डाक्टर बेनहम ने मृत्यु वर की व्याख्या करते हुए प्रथम दो आपत्तियों को प्रमुखता दी है

(1) मृत्युकर द्वारा प्राप्त राशि निश्चित नहीं : इस कर से वितनी राशि प्राप्त हो सकेगी इसका निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता । वय व प्रारंभ में यह अनुपमन लगाना बड़ा कठिन है कि किस वय के वितने व्यक्ति वय भर में भरेगे जिससे उनकी सप्ति का हस्तातरण उनके उत्तराधिकारियों को होते समय यह वर लग सके । पिछले अनुभव के बल अनुमान मात्र वा आधार ही प्रस्तुत वर सकते हैं ।

(2) मृत्यु कर, कर भार से असमानता उत्पन्न करते हैं : मृत्यु कर के विषय में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इससे सपदाओं पर पड़ने वाले वर भार में असमानता उत्पन्न होती है । यह आवश्यक नहीं है कि एक ही मृत्यु वाली सपदाएँ विभिन्न नागरिकों पर समान वर भार डालें क्योंकि दीर्घवालीन अवधि में जिस सपदा का मृत्यु के कारण हस्तातरण जितनी अधिक बार होगा उस पर मृत्यु कर वा भार भी उतना ही अधिक होगा । इसके विपरीत, जिस सपदा का हस्तातरण उस अवधि में कम बार अथवा एक ही बार होगा उस पर मृत्यु कर का भार भी कम होगा । परतु इस दोष को दूर करने का उपाय यह है कि एक निश्चित न्यूनतम अवधि के अंतर्गत यदि किसी परिवार में पुन मृत्यु हो जाए और सपदा का पुन हस्तातरण हो जाए तो उस दशा में कुछ छूट दे दी जाए या उस सपदा पर नीची दर से कर लगाया जाए ।

(3) सप्ति के मूल्य से समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते हैं मृत्यु कर को इसलिए अनुपयुक्त ठहराया गया है क्योंकि सप्ति के मूल्य से समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं । अत किसी उत्तराधिकारी पर मृत्यु कर का वितना भार पड़ेगा, यह इन बात पर निम्नर होगा कि सप्ति के स्वामी की मृत्यु तेजीकाल में हुई है या मदीकाल में । मदीकाल म सप्ति के मूल्य गिर जाने से मृत्यु कर वा भार हत्का और तेजीकाल में अधिक होगा । जैसा कि प्रो जे० के० मेहता न लिखा है, हर उत्तराधिकारी इस वर का भार कम से कम सहन करने के लिए यही अभियाचना करेगा कि पिताजी आप जब स्वयं सिधारें हृषया मदीकाल में ही सिधारें ।

(4) सप्ति को शापित उत्तराधिकारी के आधिक वल्याण मे कोई वास्तविक वृद्धि नहीं करती : मृत्यु कर के विरुद्ध यह तब भी प्रस्तुत किया जाता है कि वसीयत के हृप मे जो सपदा छोड़ी जाती है वह अधिकतर मृत्क से उसकी विद्धिवा पल्ली नथा नावाचिंग वस्त्रे को ही हस्तातरित होती है । वैवल सप्ति पर अधिकार पा जाने मे उनके आधिक वल्याण म कोई वास्तविक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि सप्ति के हस्तातरण से पूर्व भी तो वे उमरा प्रयोग करते थे । वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति की मृत्यु मे परिवार की आय वा मुख्य खोत ही छिन जाता है । यह तब वास्तव मे मृत्यु कर के विरोध मे उनका नहीं जिनका कि वसीयता के पक्ष मे है । कुछ भी हो, वसीयत द्वारा प्राप्त सपदा एक आवस्मिक लाभ की प्रहृति वा है । इसलिए हमे

माध्यारथ आय की नुकना में अधिक वरदेव कनवा का सूचक मन्ज्ञा जा सकता है। इन्हे अतेरेह मृत्यु वर्किंग के निवट के आधिकार पर अपशालून शीतों दरा में वर नगार भी इन करों की नठोगना को कम किया जा सकता है।

(5) पूजी के सचय को निष्ठसाहित करते हैं मृत्यु वर के विश्व नव न बढ़ा आरोप है कि इमके द्वारा पूजी का सचय निष्ठसाहित हो जाता है। मृत्यु वर पूजी के सचय को दो प्रकार न रोकते हैं प्रथम, कासी बही मात्रा में बचतें सरनार को मृत्यु वर के रूप में हमाराग्नि हो जाती हैं और द्वितीय, वह वर बचतों को निष्ठसाहित करता है।

मृत्यु वर न बढ़ाने वाले व्यक्ति के निर पर लटकी हूँ तबदार का नमान है। जब व्यक्ति को यह जात होता है कि उसके सचित धन का एक भाग जो कासी बही मात्रा में भी हो सकता है, सरनार द्वारा वर के रूप में ले लिया जाएगा, तो धन के सचय न रुक्षी रुचि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। मृत्यु वर पिट्ठी बचतों में बटोरी बर्चा है, अन्यथा ये बचतें उत्तराधिकारियों को प्राप्त होतीं जाएँ तब न मिनन म अब उनकी भविष्य में बचत बरत नी थमता ज्ञ छो जाएगी।

(6) उत्पादन इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव दिये व्यवसाय किसी एक उच्चमवती द्वारा चलाया जा रहा है तो उम्मी मृत्यु द्वारा पर मृत्यु वर न बढ़ाने से उसके भग होने की सभावना हो जाती है। मृत्यु वर न बढ़ाने के कारण छोटे-छोटे व्यवसाय इस तरह के निर मजबूर हो जाते हैं कि वे सचय को दही-दही गड़ाविकारी नस्खाओं को देख दें। यही नहीं, मृत्यु वर भूततान बरने की रुचारी में उपर्युक्त की तरह रूप में रखने पा परिपात्र यह ही सहता है कि उनका उपयोग उत्पादन कार्य में न हो सके। परन्तु इस नक्के की बास्तविता डमलिए नम हो जाती है कि व्यावसायिकों वे पास मृत्यु वर में निवटने के लिए दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं जैस, बीमा बादि।

(7) मृत्युवर मितव्यवता, परियथ और बुद्धिमत्ता को रद्दित करता है: मृत्युवर के विपक्ष ने एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह मितव्यवता, परियथ और बुद्धिमत्ता को दहित करता है। परन्तु ऐसा तर्क तो प्राय प्रत्येक वर के विश्व दिया जाता है। स्मरण रहे कि उपर्युक्त के निर्माण के लिए वेदन मितव्यवता, बुद्धिमत्ता तथा परियथ ही आवश्यक नहीं होते, सचय बरने के मिपु तो अन्य व्यक्तियों पे महायोग तथा देश में प्रबन्धित नामांकित, वार्षिक, राजनीतिक तथा वैद्यानिक दाचे वा भी भारी योगदान रहता है। इस सचय में प्रो शीलगच्छ चोर ने लिखा है कि, 'वर्नीयत प्राप्त बरने दासा व्यक्ति उत्तराविकार में जो कुछ पात्र है वह दाम्दद में श्रव्य नात्र ही नहीं होता अपितु समाज की उत्पादन क्षमता पर एक अधिकार होता है। यह उत्पादन क्षमता व्यूनि नडाविद्दों के विचार का परिपात्र होती है इनिए दाम्दविक रूप में तो यह एक सामाजिक दर्दनि तथा सामूहिक हृष में भर्ती की बोती होती है और उनमें यही को हिस्ता पाने का अधिकार होता है।'

निष्कर्ष

मृत्यु कर के विपक्ष में दिये गए तबौं के बावजूद भी अधिकाश देश की वर व्यवस्था में इसका प्रयोग किसी न किसी नाम के अतर्गत होता है। इस प्रयोग का सबसे बड़ा कारण वे गुण ही हैं जिनकी व्याख्या पहले बी जा चुकी है। प्रजातात्मक पद्धतियों से समाजबादी भमाज की रचना का प्रयाम जिन देशों में हो रहा है वहाँ इस कर वा प्रयोग अपरिहार्य बन चुका है।

रिगनानों की योजना

इटली के अथशास्त्री प्रो. रिगनानो ने मृत्यु कर का अध्ययन दो इट्टिकोण से किया है-

(1) व्यक्ति की बचत करने की इच्छा पर मृत्यु कर वा क्या प्रभाव पड़ता है?

(2) मृत्यु कर घन के वितरण की विप्रमता को कहा तक दूर करता है?

रिगनानो ने मृत्यु कर के सबध में एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तीन पीड़ियों में करदाता की सप्तूष सपत्ति सरकार के स्वामित्व में आ सकती है। उनका यह विचार है कि जब मृतक की सपत्ति का हस्तातरण हो तो प्रथम उत्तराधिकारी पर करारोपण की दर नीची होनी चाहिए और उसके पश्चात जैसे ही वही सपत्ति दूसरे और सीसरे उत्तराधिकारी को अतरित होती है, वैसे ही करारोपण की दर बढ़ती जानी चाहिए। इसे हम एक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। 'अ' एक व्यक्ति है तथा 'ब' एक व्यक्ति है तथा 'ब' उसका उत्तराधिकारी है। 'अ' की मृत्यु होने पर उसकी सपत्ति 'ब' को हस्तातरित होती है। 'ब' को उत्तराधिकार में मिलने वाली सपत्ति पर मृत्यु वर कुल सपत्ति का एक तिहाई होना चाहिए। अब 'ब' भी अपने जीवन बाल में कुछ और सपत्ति अंजित करता है तथा उसकी मृत्यु पर उसकी सपत्ति उसके उत्तराधिकारी 'स' को अतरित हो जाती है। 'स' को मिलने वाली सपत्ति दो प्रकार को होगी। प्रथम वह सपत्ति जो 'अ' से 'ब' को मिली थी और अब वह 'स' को मिलेगी तथा दूसरी वह सपत्ति जो 'ब' ने अंजित की। प्रो. रिगनानो का यह तर्क है कि क्योंकि 'अ' का 'स' से दूर का सबध है इसलिए 'अ' की जो सपत्ति 'स' को अतरित हो रही है उस पर करारोपण की दर ऊची होनी चाहिए। 'ब' और 'स' का सबध निकट वा है इसलिए 'ब' में 'स' को मिलने वाली सपत्ति पर करारोपण की दर नीची होनी चाहिए। इस प्रकार 'अ' की जो सपत्ति 'स' को हस्तातरित होती है उसका दो तिहाई भाग सरकार के कर के स्वामित्व करना चाहिए तथा शेष एक तिहाई भाग 'स' के पास छोड़ देना चाहिए। 'ब' की जो सपत्ति 'स' को हस्तातरित होती है सरकार को उसका केवल एक तिहाई भाग ही वर स्वरूप लेकर शेष दो तिहाई भाग 'स' के स्वामित्व में छोड़ देना चाहिए। 'स' की मृत्यु के उपरात उसकी सपत्ति 'द' को हस्तातरित होती है। अब चूंकि 'अ' की सपत्ति वी तीन पीड़िया पूर्ण हो चुकी है

इसलिए सरकार दो 'अ' की शेष सपत्ति को 'द' के पास नहीं जाने देना चाहिए, अर्थात् कर के रूप में बमूल कर लेना चाहिए। चूंकि 'ब' की दूसरी पीठी आ चुकी है इसलिए इसकी सपत्ति का 2/3 कर के रूप में और 'स' की पहली पीठी है इसलिए उसकी सपत्ति वा केवल एक तिहाई भाग ही कर के रूप में बमूल करना चाहिए। इस प्रकार रिगनानों की योजना के अनुमान एक व्यक्ति की पूर्ण सपत्ति तीमरे उत्तराधिकारी तक पहुँचते-पहुँचते करारोपण कर नी जानी है।

योजना के गुण रिगनानों की योजना में निम्न गुण दृष्टिशोधर होते हैं

(1) इस योजना के अनमंत सपत्ति का अत धीर-धीर किया जाता है। इसलिए अधिक भार वा अनुभव नहीं होता है।

(2) इसमें आरोही करारोपण दो वर्षनाया गया है जिसमें नावंजनिक आप तथा धन के वितरण में समानता असलता ने लाई जा सकती है।

(3) इस योजना में उत्तराधिकारी के मृतक में सवध के आधार पर ही कर की दर निर्धारित की गई है।

(4) यह योजना उत्तराधिकारी की मनोवैज्ञानिक दशा पर आधारित है। प्राय मनुष्य की यह मनोवृत्ति होती है कि वह दूसरे से प्राप्त की गई बच्चे को अधिक महब्ब प्रदान नहीं करना इसलिए उसे उत्तराधिकार में प्राप्त सपत्ति का वह भाग मृत्यु कर के रूप में देने में कोई आपत्ति नहीं होती।

(5) इस योजना में सपत्ति को उत्पन्न करने तथा एकत्रित करने की क्रिया को पर्याप्त प्रोमाहन मिलता है क्षमाति प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्राप्त हृदय सपत्ति का अधिक भाग करारोपण के रूप में अदा नहीं करना पड़ता। इसलिए हर व्यक्ति का गही प्रयाप होगा कि वह अपने जीवन काल में उनकी सपत्ति जुटा से जिसमें विभिन्न उत्तराधिकारी वा जीवन स्तर छोड़ देना रहे।

योजना के होम इस योजना में जो मुख्य अवगुण हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है-

(1) यह योजना अव्यवहारित है। इसके अतिरिक्त सपत्ति के अनेक घड़ बना कर विभिन्न दरों की जो अवस्था की गई है वह दृष्टुत अधिक जटिल है।

(2) यह योजना पूँजी के सचय पो निर्माणादित करती है। यदि इस योजना को वार्षिकत विया जाए तो व्यक्ति का यह विवास, कि दो पीनियों के उपरात उनकी सपूर्ण सपत्ति असलाकर के स्वामित्व में जो जाएगी, नविष्य म सपत्ति का एक पूँजी के निर्माण को हनोल्माहित बर देगी। यदि कोई व्यक्ति धन का सचय बरेगा तो वह उसे अपने जीवन काल म ही छर्च बरन का प्रशास्त करेगा।

(3) कुछ सेपक्षा में इस योजना को अनेकितवा पर आधारित ठहराया है। एक व्यक्ति सपत्ति का सचय इस उद्देश्य में बरना है कि उमड़ी मृत्यु के उपरान उमरे उत्तराधिकारी जानान्वित होंगे। यदि सरकार मृत्यु करारोपण के द्वारा

उसकी संपत्ति छीन सेती है तो यह मृत्यु तथा उसे उत्तराधिरात्रियों की भावनाओं के प्रति कुठाराशात होगा।

प्रो जे० के० मेहता के विचारानुगार रिग्नानों को योजना बहुत अधिक आतिकारी है। समाचारदी समाज की व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह योजना एक उत्तम माध्यम के रूप में स्वीकार दी जा सकती है। परंतु व्यावहारिक हिट से यह बचता ही निष्ठगाहित करेगी तथा व्यवसायों पर प्रतिकल प्रभाव डासेगी। इसलिए इस योजना को वही भी बार्यादि नहीं दिया गया है।

उपहार कर

उपहार कर एक ऐसा प्रत्यय कर है जो व्यक्तियों कपड़ियों फर्मों तथा व्यक्तिगत सघी द्वारा दिए गए उपहारों पर लगाया जाता है। इस कर का उद्देश्य आप प्राप्ति के माध्यम साथ मृत्यु कर बचना को दूर करना है। यह कर भारत में 1958 में लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त यह कर समुक्त राज्य अमेरिका, कानाडा आस्ट्रेलिया, स्वीडन नीदरलैण्ड जापान तथा इटाराइल में कार्यी रामय पहले से लागू है।

उपहार के प्रारंभ

व्यक्ति ने जीवन दान में संपत्ति में हस्तान्तरण को उपहार द्वारा जाता है। मृत्यु के समय संपत्ति में हस्तान्तरण को बसीदत या उत्तरादान की रक्षा दी जाती है। हमें यह नहीं भनना चाहिए कि उपहार तथा बसीदतों के रूप में छोड़ो गई रापतियों एवं ही प्रदृष्टि बी होती है इसलिए एहं के बराधान वा प्रभाव दूसरे के हस्तान्तरण को अवश्य प्रभावित करता है। इन उपहारों को दो भागों में बर्गीकृत किया गया है।

(क) मृत्यु शाया के उपहार मृत्यु शाया के उपहार बी सा उन उपहारों को दी जाती है जो भरते समय व्यक्ति प्रदान करता है। इन प्रदार के उपहार उस समय त्रियाशील गही होते जब दान देने वाला अपनी मृत्यु से पहले ही उहे रद्द कर देता है या वह अपनी बीमारी से थीर हो जाता है या फिर प्राणावर्त्ती बी मृत्यु दान देने यादे अथवा दानार से पहले ही हो जाती है। वास्तव में यह अशत उपहार होने हैं और दानार की मृत्यु होने पर ही त्रियाशील होने हैं।

(ख) जीवित दाना में दिए गए उपहार ये ये उपहार हैं जो एक अति दाना अपने जीवन काम के लिए भी समय प्रदान किए जाते हैं। जीवित दाना में दिए जाते वाले उपहारों के गमध में परं पानुरी व्यवस्था होती है कि ये मृत्यु होने से पितने दिए पूर्व दिए जाने चाहिए। इस अवधि का निर्धारण एक निश्चित उद्देश्य से लिया जाता है। प्राय यह देखा गया है कि मृत्यु कर में बचने के लिए व्यक्ति अपनी मृत्यु से पुछ समय पूर्व उपहार देने परी किया प्रारम्भ कर देता है।

उपहार करने के पद्धति में तर्फ

उपहार करने के लगाने गी पुष्टि करारोपण के कुछ मुम्भ सिद्धातों जगे—

बर बचत की रोक-याम, नमन्व, प्रशासनिक नृगति तथा समता एवं न्याय के आधारों पर जी जाती है। उपहार बर के पक्ष में सुन्दर निम्न तर्ज दिए जाते हैं।

(1) संपत्ति शुल्क के छिपाऊं की ननानि उपहार बर के पक्ष में यह विचार प्रश्न विद्या जाता है कि नपानि शुल्क ने बचते के लिए लोग अपनी शूल्क नों मंजावना के बहुत पहले ही अपनी नपानि अपने उन्नगणितानियों को लापन बर देते हैं। वभी विगेप जबनगे पर लोग अपनी नपानि का बहुत बड़ा भाग अपने पुत्रों, प्रपुत्रों को उपहार के रूप में देते हैं। विकाह दमन्वता-प्रार्थन अपना दृष्ट्य व्यवसाय जी न्यापना बांदि ऐसे बबमर है जब परिदार के मुख्य चर्ता अपने उच्च-धिकारियों को पर्यान नपानि हन्तानरित बर देते हैं। नपानियों वा यह हन्तानरप बनीन्दतनामे के त्रन में होने वाले हन्तानरप में निम्न नहीं समता जा सकता।

(2) समन्व ही दृष्टि से आदरशद : अनेक देशों जे शूल्क बर विधानों के अध्ययन वे यह जात होता है कि शूल्क के पूर्व बृह निश्चित अवधि के पहले लिए गए नपानि नवधी हन्तानरपों पर बर वी शूल्क मिलती है। बर शूल्क की अवधि जो अधिक सीमित बनाने का प्रयान प्राप्त इस तथ्य को दृष्टिगत रूप भर लिया जाता है कि शूल्क के पूर्व बाली बबधि में जितने भी धन लर्पण लिए जाते हैं वे सभी जर में बचते के लिए होते हैं। इन तथ्यों वो यदि नमन्व के लियात ने देश जो वो अप्ट होगा कि शूल्क से बृह समय पूर्व हन्तानरप की गई नपानि जो बर शूल्क रखना तथा भरने के पक्षात अपवा उसके बृह हो समय पूर्व हन्तानरित हुई नपानि भर बर लगाना उचित नहीं समता जा सकता। जब नपानि शूल्क ने अपनि दृष्टि अधिक होती है तो बरदाना यह प्रबात बरते हैं कि उनके भरणीपर्युत जम से त्रन मंपन्ति बचे ताकि सपानि शूल्क नीची दर से बदा जरना पहे और बुल सपानि शूल्क जी राशि जम जी जा सके। इन दोपों जो दूर जन्मे के लिए यहां नपानि नवधी बर दायित्व में समन्व के लिए सपानि शूल्क के नाय उपहार बर लगाना आदरशद है। अवधि नवधी नीना के प्रावधान के नारण भरने के बाद लगने वाले सपानि-शूल्क जी अनिश्चितता वी ओर प्री वेन्ड्र जा नी भकेत रहा है। उनके अनुनार यदि भरना शूल्क के पूर्व हन्तानरित होने वाली संपत्ति पर बर भार हन्ता भरने का प्रयान बरती है तो शूल्क जे बाद बर दायित्व जी मात्रा उनकी ही अर्दान्तर हो जाती है।

(3) आदिव खोचित्य : जेबद समन्व जी दृष्टि से ही नहीं अस्ति आदिव जीवित्य वो दृष्टि में भी उपहार बर जा लगाना जावस्त्र समता यापा है। इनीरिए हन्तार यहा जर अवस्था जी नदोगपूर्ण बनाने के लिए प्रावक्ष चर्चों के अंतर्गत आव बर, नपानि शूल्क और धन बर के नाय उपहार बर लगाने जी अवस्था जी वी गई है।

(4) समता एवं न्याय वा दृष्टिशोण : समता एवं न्याय वी दृष्टि में ऐसा जो इव चारण नहीं दिवाई वडता कि बनीन्दत अवधा उपहार डाय नपानि हन्तानरित

किए जाने में व्यक्ति के अधिकार के मध्य भेद किया जाए। यदि वर्मीयतो पर कर लगाया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि अन्य हस्तातरण पर कर न लगाया जाए। यदि मृत्यु कर को न्यायोचित रहा जा सकता है तो जीवित देशा म दिए जाने वाले उपहारों पर लगाए गए करों को भी न्यायोचित छहराया जा सकता है। इसलिए न्याय तथा समता की दृष्टि से यह उचित ही होगा कि सपत्ति के नभी न शुल्क एवं ऐच्छिक हस्तातरणों पर कर लगाया जाए— भले ही हस्तातरण वा डग या रूप कुछ भी क्या न हो।

प्रो० बोल्डार ने सभी प्रकारों के उपहारों पर वेवल एक ही एकीकृत कर लगाने की मिफारिश की थी। इन्हे मुक्काव के अनुमार एवं मामान्य उपहार कर के अतर्गत वर्मीयता एवं उत्तराधिकारा की सपत्ति पर लगने वाले वर्तमान कर भी मम्मिति होंगे। यह कर सपत्ति तथा उपहारों के नभी न शुल्क तथा ऐच्छिक हस्तातरणों पर भी लगाया जाएगा जो उन समय उपहार कर में मुक्त होंगे। बोल्डार द्वारा एकीकृत कर का मुक्काव समता एवं न्याय उपयुक्तता तथा प्रशासनिक व्युत्पत्ता के आधार पर दिया गया था जिनका विस्तृत वर्णन पहले रिया जा चुका है।

प्रो० बोल्डार ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि उपहार कर पूर्णत जायदाद पर नहीं पड़ना चाहिए अपिनु लाभ प्राप्तवर्तीओं पर पड़ना चाहिए। समता एवं न्याय के आधार पर आरोहण की दर जिसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कुन घनराजि के अनुमार परिवर्तित होनी चाहिए। जिसी व्यक्ति द्वारा छोटी गई कुल सपत्ति को उपहार कर वा आधार नहीं मानना चाहिए क्योंकि उपहार कर मृत्यु कर से कर बचना को दूर करने में महायक होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर उपहार कर वा भार हल्ला रखना चाहिए जो अपनी संपूर्ण जायदाद जिसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बरन अनेक व्यक्तियों लिए छोड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति धन के विकेंद्रीकरण में स्वयं महायक सिद्ध होता है। यदि मृत्यु कर अधिक बढ़ोर कर दिया गया तो धनी व्यक्तियों को यह प्रलोभन मिलेगा कि वे अपनी सपत्ति को अपने जीवनकाल में ही व्यय कर देय करों की एकीकृत व्यवस्था द्वारा इस प्रेरणा को निरस्त्वाहित किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान प्रणाली में जीवित देशा में दिए जाने वाले उपहारों को कर से मुक्त कर दिया जाता है। इन प्रलोभन को रोका जा सकता है यदि धनी व्यक्ति को इस बात की अनुमति दे दी जाए कि वह अपनी सपत्ति को लाभ प्राप्तवर्ती की एक बड़ी सरल्या भ फैला सके।

भारतीय उपहार कर की मुख्य विशेषताएं

भारतीय उपहार कर सन् 1958 में बनाए गए। तत्त्ववधी अधिनियम के अनुमार इसे 1 अप्रैल 1958 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुमार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष में दिए गए उपहारों पर कर लगाया जाता है। यह कर ऐसे अपेक्षों पर लगाया जाता है जहा व्यक्तियों, हिंदू-अविभक्त परिवारों,

कपनियों फर्मों और व्यक्तियों के अन्य नघों द्वारा दिए गए हों। उपहार कर अधिनियम के बताए गए निम्नांकित उपहार कर में मुक्त किए गए हैं-

(1) यदि उपहार विमी ऐमी बचल सपत्ति वा हुआ हो जो भारतीय मीमा के बाहर हो :

(2) यदि भारत के बाहर स्थित चर सपत्ति वा अपेक्षित विमी ऐमे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जो न तो भारत वा नागरिक हो और न पिछले वर्ष में भारत का निवासी हो।

(3) यदि उपहार सरकार या इसी स्थानीय अधिकारी द्वारा दिया गया हो।

(4) यदि उपहार विमी ऐमे आधित को उगके बिवाह के ब्रवमर पर दिया गया हो जो पूर्णतः अपने जीवन निर्वाह के लिए बरदाता पर निर्भर हो। तब यह छूट अधिक भै अधिक दम हजार रुपये के मूल्य की सपत्ति तक हो सकती है।

(5) यदि उपहार पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को पिछले वर्ष या वर्षों में दिया गया हो परन्तु बिवाह मूल्य एक साल रुपये से अधिक न हो।

(6) पत्नी के अनिरक्षित अन्य इसी पूर्णतः आधित को जीवन बोया पति ब्रवदा बाधिकी पत्र अपित बिवाह गया परन्तु उभया मूल्य दम हजार रुपये से अधिक न हो।

(7) इसी वसीयतनामे में अपिन की गई सपत्ति।

(8) उस मीमा तक अपने बच्चों के शिक्षा हेतु परिवर्त भपति इसे कर-अधिकारी उचित समझता हो।

(9) इसी उद्घोग, पेसो या अवमाय संचालन के हेतु दिए गए सभी उपहार जिन्हें कर-अधिकारी उनके संचालन के लिए उचित गमनाता हो।

उपहार कर की बमूली प्राप्त अपेक्षित रूप से की जाती है। परन्तु जहाँ कर-अधिकारी अपेक्षित रूप से भी बमूल रिया जा सकता है। इन्हुंनी संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति में वर की वही राशि बमूल की जा सकती है जो उपहार में प्राप्त संपत्ति से मुक्त नहीं हो।

एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

प्रो० बोटडार ने भारत में उपहार कर को नागू बरने की जो मन्दरेखा प्रमुख रूपी थी, भारत नरसार ने उसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। प्रो० बोटडार उपहार पाने वाले व्यक्ति पर कर लगाना चाहते थे, याथ भी उनका यह भी मुश्किल था कि यह कर उपहार के मूल्य पर नहीं अपितु उपहार के मूल्य की उपहार पाने वाले की सपत्ति में मम्मिलिन बरवे, उम्मी विगुड कृपति पर लगाया जाए। परन्तु हमारे यहा० यह कर उपहार देने वाले पर और उपहार के मूल्य पर, लगाया जाना है।

इसरे अतिरिक्त प्रो० कोलडार इमको मृत्यु कर के स्थान पर लगाना चाहते थे जबकि इस मृत्यु कर के साथ लगाया गया है।

दूसरे, भारत में इस कर की उपग्रहनता तथा सफलता के संवध में अनेक व्यक्तियां न सदैह प्रशंसनीय निम्नांकित आधारों पर निया गया हैं।

(1) हमारे देश में इस कर के विरोध का कारण मूलतः मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यहां धर्म के नाम पर दान देना प्रशंसनीय माना जाता है। इस तर्क में कोई भूत्यत्रा नहीं है क्योंकि धार्मिक तथा कुछ विशेष दानों को कर से मुक्त कर दिया गया है।

(2) भारत में सरकार की ओर से एक विस्तृत सामाजिक वीमे की योजना नहीं है। इस अभाव की पूर्ति उपहार द्वारा की जाती है।

(3) इस कर के लागू करने में कुछ प्रशासनिक कठिनाईया उपस्थित होती हैं। यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि उपहार क्व और किस रूप में प्रदान किया गया।

(4) उपहार के मूल्यांकन में भी अनेक कठिनाईया सामने आ सकती हैं।

घन कर

भारत में समाजवादी ढाँचे को लाने तथा आय वितरण को समान बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयास प्रारंभ किए गए थे। प्रथम, उत्तराधिकार मृत्यु कर को प्रयोग भे जाया गया जिसके कारण प्राप्त होने वाली संपत्तियों और उनसे सुलभ अवमरी भी समानता वो धीरे-धीरे बम दिया जा सके परतु मृत्यु कर का प्रभाव लंबी अवधि के बाद प्रशंसनीय होता है। यही कारण है कि मृत्यु कर के लागू करने के कुछ वर्षों पश्चात ही घन पर वापिश कर अपनाया जाना था, प्रो० कोलडार ने इस कर का समर्थन समानता, आर्थिक प्रभाव एवं प्रशासनिक कुशलता के आधार पर निया है।

समानता का आधार

समानता को अपनाते हुए प्रो० कोलडार ने कहा है कि जब तक व्यक्ति की समानता वो भी विचारार्थ नहीं लिया जाना, तब तक अवैली आय ही, वर अदायगी का पूर्ण निर्देशन नहीं कर सकती। इसलिए घन कर, कर पद्धति को कर अदोषगी की योग्यता में समानता लाने के लिए भवित्वपूर्ण साधन हो सकता है।

‘समानता’ के आधार पर यह कर की मुख्य जालेवता इस आधार पर ही जाती है कि घन कर उन लोगों पर भार डालता है जिनके पास संपत्ति तो है बिना उससे आय प्राप्त नहीं होती। इसी दरमा में उन्ह कर अदा करने के लिए संपत्ति को बेचने के लिए विवरण होना पड़ता है। परतु इस कठिनाई को छूट की सीमा आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है।

आर्थिक प्रभाव

आर्थिक प्रभाव की रूपिणि ने धन कर के पश्च ने यह तरंगे दिया जाता है जिसके बायकर के समान मपति के जोखिम वाले व्यवसायों में उगलने की श्रेष्ठता पर कुरा प्रभाव नहीं ढालता। ३० गुरुदीप ने यह निष्ठा दिया है जिसके बायकर की जर्दी नीपा पर आवश्यक की बहुत हड्डी भीमान दर उच्चम पर प्रेरणाहारी प्रभाव ढालती है, इसनिए आवश्यक नी दर वो पदा नर धन कर वो नापू दिया जा सकता है।

प्रशाननिक दृष्टिकोण

प्रशाननिक दृष्टिकोण से यह स्मरण रखना होगा कि सपति का मूल वर्गपत्र भाज या आव ने कुछ मिल होता है, जिसु इन दोनों का इन अर्थ में निष्ठा दर नुबंध होता है जिसका या भी प्रकार की सपति की आव (पश्चव एव व्यावसायिक क्रियान्वय से सद्विषय लानों के अविरिक्त) के पीछे नरेव कुछ स्थूल परिमपति पार्ट जाती है और इस प्रकार मे सपति के अधिकार नप जिसी न जिसी प्रवर्त्त की मौद्रिक आव मा नाम प्रदान करते हैं। इसनिए यदि एक ही अविष्यारी दे ढारा आव और सपति दोनों पर कर निर्धारित हिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था जी प्रशाननिक कुशलता अवम्बन्ध नुप्रवर्ती है। इनका आरण यह है कि एक व्यक्ति के पास जिसी सपति है तो उसकी छिपाई है आव का व्यवज्ञ पता लग जाता है। इसी प्रकार मे जिसी जी आव की जाव मे उनके ढारा छिपाई गई सपति को जार दिया जा सकता है। अतः इनमे ने जिसी एक पर कर लगाने की व्यवस्था दोनों को कर के उच्चल मे लाना साहिष्णु ताकि उनको छिपाने पर अविष्यापिन अवृग लगाना जा सकता है।

आलोचनाएँ

जनेव विहानों ने वोल्टर ढारा नुनाए गए धन कर वो आलोचना निम्न आधारों पर जी है :

(1) यह आव उन्नान ने बरते दाती वभी सपनियों पर उनावन्धक भार ढालते हैं।

(2) धन कर के भार को भी सपति बेचन्नरहन्नावरिष्य दिया जा सकता है।

(3) सपति-नूप्य के निघारण में जटिलाई उपस्थित होती है। यदि सपति का बाजार-मूल्य लिया जाना है तो यह भी सुन्दर-नूप्य पर बदलता रहता है। यदि उसे प्रारम्भिक नूप्य के बाजार पर लिया जाए तो हास भी बदलता होती है। सपति का मूल्य चाहे जिस विधि के द्वारा भी नालून लिया जाए उसमे अनिश्चिदता व्यवज्ञ रहती है।

(4) एक अन्य समस्या जन्मते सपनि जी मूलना प्राप्त करने मे होती है।

जैसे परेलू बस्तुए, कूपन बाट, नवां जमा, जवाहरात तथा सोने-चादी के रूप में रखी हुई सपत्ति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त बरसा बठिन हो जाता है।

(5) सपत्ति की बृद्धि पर साथ-साथ इग बर की बृद्धि होती है। जिसके पछ-स्वहर बचत में याधा पड़ सकती है।

निष्पत्ति में यह वहा जा सकता है कि धन बर, बर पढ़नी का एवं उपयोगी अग्न तथा सबता है। आयकर की दर को बग परखे उसके स्थान पर कुछ छूट की सीमा के साथ धन बर को रागाया जा सकता है। इसके प्रभाव इसने प्रेरणाहारी नहीं होते जितने कि आयकर के होते हैं।

विनियोग कर

अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए विनियोगों पर एक विशिष्ट बर लगाने का गुजार दिया जाता है जिसे विनियोग बर वहते हैं। इग बर को ध्यवहार में लाने के दो आधार होते हैं

(1) गवल विनियोग पर बर, तथा

(2) विशुद्ध विनियोग पर बर।

प्रथम प्रश्नार का बर निम्नदेह प्रशासनिर दूषितरोग से अधिक सरल होता है। यास्तविक विनियोगों की अपेक्षा सबसे विभिन्न विभिन्न विनियोग गतिविधियों का सही चित्र प्रस्तुत बरते हैं। देश की अर्थव्यवस्था गवल विनियोगों के हारा अधिक प्रभावित होती है। इसलिए यह बर यदि सरल विनियोग पर रागाया जाए तो स्थायित्व शीघ्र प्राप्त हो सकता है। सकल विनियोग पर रागाए गए बर के विरुद्ध बेवल एक ही तरफ प्रस्तुत किया जा सकता है, कि वह उन उत्पादन देशों के लिए हानिकारक गिरद होगा जो अल्प आयु पूजी यतों का प्रयोग बर रहे हैं। ऐसे उत्पादन देशों में विशुद्ध विनियोगों की तुलना में सबल विनियोगों का अग्र अधिक होता है क्योंकि अल्प आयु पूजी यतों को शीघ्र बदलना पड़ता है। इसलिए यदि इस प्रश्नार का बर रागाया जाएगा तब अल्प आयु पूजी के उपयोग बरने वाले उद्योगों पर मुरा प्रभाव पड़ेगा।

इन दरों की ध्यवस्था दो रूपों में हो सकती है। प्रथम, यह विनियोग की बस्तुओं पर क्रम बरते समय उत्पादन ग्रूप्स वे रूप में लगा दिया जाए। यदि बर इस रीति से रागाया जाता है तब वह बहुत कुछ विशेष उत्पादन बरों के समान होता है। दूसरे रूप में, यह बर विनियोगी वर्गों में पूजीगत परिसरपत्तियों के ग्रूप्स में बृद्धि पर रागाया जाता है। बरारोपण की इन दोनों रीतियों में प्रथम रीति सरल है क्योंकि इस रीति के अनुसार विनियोगों के अनुमान लगाने में अधिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ऐसे बर प्राय सबसे विनियोग पर रागाए जाते हैं। इस प्रश्नार द्वा बर स्पीइन में अनेक वर्षों तक ध्यवहार में रागा गया।

हम विनियोग कर द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त जरना चाहते हैं वह सामान्य वित्ती वर के बाधार में परिवर्तन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य वित्ती वर से तात्पर्य ऐसे वर से है जो नमस्त्र प्रशार की वन्दुओं और सेवाओं की वित्ती पर समान दर से लगाया जाता है। यदि विनियोगों को प्रोन्साहित बरना होता है तब वस्तुओं को सामान्य वित्ती वर ने भुक्त वर दिया जाता है। यदि विनियोगों को नियतित बरना हो तब वस्तुओं को सामान्य वित्ती वर की नपेट में ले किया जाता है। ऐसे वर की व्यवस्था नावों में व्यवहार में लाठे जा चुनी है।

परिव्यय कर

परिव्यय कर वह कर है जो विभी वस्तु अथवा सेवा के क्रम अथवा उभयं प्रयोग पर लगाया जाना है। यह कर वस्तु के पूजीगत मूल्य वदना वाम्नविक मपति के वापिव मूल्य पर आवा जाता है। यह पूजीगत मूल्य पर आधारित क्रम कर तथा वाम्नविक मपति के वापिव मूल्य पर आधारित स्थानीय दर के रूप म भी हो सकता है। परिव्यय कर मूल्यानुमार भी हो सकता है या इसी वस्तु की भावा या भार के अनुसार भी निश्चित किया जा सकता है। निजी करों पर साइर्स गुल पेट्रोल पर कर अधिकारात् ऐसी वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जिनका प्रयोग बहल एवं बार ही होता है। भरवारा की आद वा अधिकार भाग इम प्रकार के कर से बमूल होता है। उदाहरण के लिए तदारू तथा मदिरा पर कर। परिव्यय कर ऐसी वस्तुओं पर भी लगाए जाते हैं जो टिकाऊ प्रहृति भी होती है और जिनका उपयोग कई वर्षों तक चलता रहता है। कारा, रेफरीजरटरों तथा र्मरा पर लगाए गए क्रम कर परिव्यय कर के ही रूप हैं।

अध्ययन की दृष्टि से, परिव्यय कर का दो आधार पर वर्गीकरण हो सकता है

(1) उपभोग वस्तुओं पर परिव्यय कर, तथा

(2) उत्पादक वस्तुओं पर परिव्यय कर (यहा उत्पादक वस्तुओं का अर्थ माध्यों मे है, जिसम वह धर्म भी सम्मिलित है जो उपभोग-वस्तुओं के निमणि म अपनी सकाए प्रदान करता है)।

उपभोग वी वस्तुओं पर परिव्यय कर

ऐसी भी वस्तु अथवा ग्रिही पर कर लगाने का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर, उपभोग तथा बनता पर पहना है। परतु करारोपण वा सबमे अधिक प्रभाव वस्तु तथा उससे मवित वस्तु के उपभोग तथा उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रभाव को हम परिव्यय के कारापात मे अध्ययन मे ढारा जान कर सकते हैं।

परिव्यय का बारापात बरारोपित वस्तु के उपभोक्ता को ही महन करना होता है। इम बरापात का अनुपान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया बाजार-मूल्य तथा साधन लागत के अतर के द्वारा जात हो सकता है। साधन लागत वह भुगतान है जो उत्पत्ति के साधनों को भजदूरी, वेतन, व्याज, सगम तथा लाश के रूप में दिया जाता है। किसी भी वस्तु का बरारोपण सामान्यतः बाजार-मूल्य तथा साधन लागत दोनों को परिवर्तित कर देता है। उपभोक्ता वर्ग किसी अन्य वस्तु से बरारोपित वस्तु का प्रतिस्थापन करने की चेष्टा करते हैं और साधना को किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में स्थानात्तरण कर देते हैं। समायोजन वी सीमा वस्तुओं की माग तथा पूर्ति के लोच पर निर्भर करती है। माग वी लोच स्थानापन्न वस्तु की उपलब्ध पर और पूर्ति वी लोच साधना के स्थानात्तरण वी सरक्ता पर निर्भर करती है। विभिन्न लोचपूर्ण माग तथा पूर्ति वाली वस्तुओं पर बरारोपण के प्रभाव को चित्र द्वारा 'कर भार वा सिद्धान्त' अध्याय में दर्शाया गया है।

वेवल पूर्णतया वेलोचदार माग वाली वस्तुओं को छोड़कर परिव्यय कर उपभोक्ता के चूनाव को बिछुन कर उसनी मतुष्ठि वी घटा देते हैं। इसलिए हम वह सबते हैं कि सरकार की आय द्वारा प्राप्त लाभ की तुलना में उससे उपभोक्ता की तुष्ठि की हानि अधिक होती है। हाँ, यदि परिव्यय कर ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी माग पूर्णतया लोचदार हो तब उपभोक्ता की तुष्ठि में अधिक हानि की सभावनाएँ नहीं होती। इम विनार को इम प्रकार समझाया जा सकता है, मान लीजिए कि प्रथम स्थिति में पूर्णतया वेलोचदार माग वाली वस्तु A पर परिव्यय कर लगाया जाता है। द्वितीय स्थिति में सरकार द्वारा उतनी ही आय प्रदान करते हुए यही कर लोचपूर्ण माम वाली B वस्तु पर लगाया जाता है। द्वितीय परिस्थिति में परिणाम यह होगा कि A वस्तु का क्रय तो अपरिवर्तित रहेगा परन्तु B वस्तु का क्रय कम हो जाएगा। उपभोक्ता B वस्तु पर घटने वन्य X, Y या Z वस्तुओं का क्रय करने लगेंगे। यद्यपि प्रथम स्थिति में भी उपभोक्ता वी को पूर्ण स्वतंत्रता भी कि वे B वस्तुओं का क्रय करने सकेंगे। इसमें हम वह सबते हैं कि उपभोक्ता वर्ग प्रथम स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति को अच्छा नहीं समझते।

इसी प्रकार उत्पादन की ओर, यदि माग पूर्णतया वेलोचदार है तब उस उद्योग से साधनों के निष्पासित होने की सभावनाएँ नहीं होती। साधारणतया बरारोपण का यह उद्देश्य होता है कि वह साधनों को निजी उपयोग उद्योग से मार्बंजनिक उपयोग में लाए। यदि वोई भी अतिरिक्त कर किसी एक ऐसी वस्तु पर नगाया जाए जिसकी माग लोचदार हो तब साधनों का अनुपात से अधिक निष्पासन वेवल एक ही उद्योग में होता है। इम रीति में साधनों का स्थानात्तरण किसी एक उद्योग को विना प्रभावित किए भीमात परिवर्तनों द्वारा नहीं होता। जहाँ परिव्यय कर एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है

यहाँ उद्योग से साधना का स्थानात्मक उत्पादन को हांडि पूर्णाएं बिंदा सरलता से हो जाता है।

तदोपरांत, हमारे मगध ऐसी परिस्थितिया भाली है जहाँ वर नो एक ही अनुभव अथवा एक ही समूह से सबधित वस्तुओं पर नेत्रित परों की अधिकाइया होती है। ऐसी परिस्थितिया तीन रूप में आ सकती है।

(1) अधिक सामाजिक सामग्री का होना जहाँ इसी मात्र का उत्पादन निजी सामग्री की अपेक्षा सामाजिक सामग्री में बढ़िया वर दे और गरमार के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में उत्पादन की सामग्री के न्यायोचित स्तर से अधिक बढ़ा दे तो ऐसी स्थिति में परिव्यय वर निजी सामग्री को सामाजिक सामग्री में समीप साक्षर उत्पादन की उमित स्तर तक पठा राखता है।

(2) आविक नियमन, जब पृष्ठ विशेष साधों को इसी अवधि दिशा में स्थानान्तरित करों का विचार हो तो परिव्यय वर अधिक नियमन का एक उपयोगी यत्न लिया हो सकता है। यदि वही राष्ट्रीय गुरुकांश की वाले आवश्यकता का भय हो तो राष्ट्रीय को पुनः संसर्जन करने के लिये उपयोग की टिकाऊ वस्तुओं पर परिव्यय वर उसमें प्रयुक्त होने वाले स्रोतों को मुक्त कर सकता है। सामान्य रूप से स्वदेशी व्याजार में भी उन वस्तुओं वर परिव्यय वर लगाया जा सकता है जिनकी विदेशी नीतियाँ वे गम्भीरनाएँ हो सकती हैं।

(3) किसी विशेष उद्योग में मूल्य तथा उत्पादन में बढ़िया; हम यह नहीं भ्राता चाहिए कि हमारा परिव्यय वर के करापात का विशेषण पूर्णगर्दी की जगह अस्तित्व मान्यता पर आधारित है। जिन व्याजारों में इन्हें अवधि का अंतर है या जहाँ उत्पादक उस मूल्य स्तर तथा उत्पादक स्तर पर उत्पादन वर रहे होते हैं जहाँ सामग्री अधिकतम नहीं होता वहाँ विशेष उद्योग में परिव्यय वर मूल्य तथा उत्पादक स्तर को बढ़ा सकते हैं जो इससे पूर्य अनुकूलतम रिप्टिया की गमीण थे। परन्तु इस गवध में यह वाधा उपस्थित होती है कि ऐसे उद्योग को एक सामग्री सरल नहीं होता।

उत्पत्ति के साधनों पर परिव्यय कर

अधिकासात् परिव्यय वर उपयोग की वस्तुओं पर संगाया जाता है परन्तु वही उभी ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हो जाती है जब यह वर उत्पादक वस्तुओं पर भी संगाया वड़ जाता है। ऐसे उदाहरण ड्रेट ट्रिटेन में मिलते हैं जहाँ परिव्यय वर उत्पादक वस्तुओं, जैसे हाइड्रोरायन सेल जिनको विभिन्न रीचियों से उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, पर संगाया गया है। कार्पोरिय के फॉर्मर पर नय वर, होटसों के लिए नय की गई अनेक वस्तुओं पर नय वर आदि ड्रेट ट्रिटेन में परिव्यय वर के ओर उदाहरण हैं। परन्तु पूर्णतया उत्पादक मालों (वस्तुओं) उदाहरणार्थ, यत्, वच्चा माल, अद्वितीय मालों को परिव्यय वर से मुक्त रखा गया है।

आधिक रूपित मे उत्पत्ति के माध्यनो पर लगाए गए वरों का समर्थन नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसे वरों के औपचारिक तथा वास्तविक वरापात्र को ज्ञात करना कठिन हो जाता है। जहाँ ऐसे वर सगाए जाते हैं वह अन्य वरों के आय के वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों नो भी नहीं जान सकते। इसलिए जहाँ उत्पत्ति के माध्यनो को वरारोपित कर दिया जाता है वहाँ आय के वितरण के सबधूमि के बोई भ्याम कींति नहीं अपनाई जा सकती।

ध्रम के वरारोपण के मवधु में परिव्यय कर कर विरोध जब नहीं दिया जाता। प्रत्येक श्रमिक अवधार स्वयं मेवक द्वारा राष्ट्रीय म्वाम्य या राष्ट्रीय दीम का अनुदान आयकर का रूप है, मालिकों द्वारा अनुदान उत्पत्ति के माध्यनो पर थोपा गया परिव्यय कर है। ये इन विट्ठन मे चयनात्मक रोजगार कर ध्रम के उपयोग पर परिव्यय कर ही है।

उत्पादक दस्तु का वरारोपण उत्पादन मे मितव्यता को प्रोन्नाहित करता है, परिणामस्वरूप उपत्ति के माध्यन उम उद्योग विजेता मे निष्कासित हो मवते हैं परतु किनी विजेता साधन के प्रयोग मे मितव्यता को प्रोन्नाहित नहीं करते। उत्पत्ति के माध्यन पर कर नगने से करारोपित माध्यन का निमी अन्य माध्यन से प्रतिस्थापना की समावनाएँ बढ़ जाती हैं।

आयकर तथा परिव्यय कर की तुलना

परिव्यय वर ममानता के भिन्नात का ववनोरन नहीं करते। यद्यपि परिव्यय कर की सचरता इस प्रकार की जा सकती है जिससे निर्धनों की तुलना मे घनी वर्ग के ऋय को अनुपात से अधिक वरारोपित दिया जा सकता है। फिर भी परिव्यय कर को पूर्णतया भुगतान खमता के अनुमार नहीं बनाया जा सकता। इसके भार उपमोत्ता के बानद की प्रहृति तथा उम्बे व्यष को भरना के अनुमार सदैव असमान रहता है। पूर्णतया वेलोवदार भाग वाली वस्तुओं को छोड़कर यदि परिव्यय कर लगाया जाता है तो वह उपमोत्ता की प्रायमिकता नो विकृत कर कायंकमता के सिद्धान को भग कर देता है। ऐसे वर से राजकोपीय आय म वृद्धि के साम की तुलना मे करदाना को हानि अधिक होती है। ऐसा होते हुए भी परिव्यय कर नयों लगाए जाते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इस प्रश्न के अनेक उत्तर दिए जा मरते हैं। वामकर की तुलना मे परिव्यय कर को जधिक मान्यता प्राप्त होने का प्रथम कारण यह है कि यह करदाना पो विकल्प की मुदिधा प्रदान करता है। करदाना कर थोपा गया आपकर अनिवार्य रूप मे उसे बदा करना होगा परतु परिव्यय कर के बचाव का नरत तरीका उस वस्तु के उपरोग के त्याग म निहित है। व्यक्तिगत आघार पर परिव्यय कर म बचाव हो मरता है परतु उपरोग की मरत को परिव्यय कर मे मुक्ति मिलना कठिन

होता है वयोकि वित्त मवालय को परिव्यय कर से एक निश्चित मात्रा में धन राशि प्राप्त करनी होती है इसलिए यदि कुछ व्यक्ति वस्तु के उपभोग को बद करते इस पर से बचाव बरते हैं तब सरकार इसकी धनिपूति करने के लिए या तो परिव्यय पर की सीमा को विस्तृत कर देती है और अथवा उसके भार में बृद्धि कर दती है।

परिव्यय पर वे औचित्य वे सदर्भ में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि करदाता इन्हीं अदायगी के भार को बहुत अधिक महसूस नहीं करता। आयकर की अदायगी में करदाता अधिक वित्तित रहता है इसलिए परिव्यय कर की तुलना में वह उसके भार को अधिक महसूस करता है। इस कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करदाता परिव्यय कर का आयकर की तुलना में कम विरोध बरता है। परतु प्रजातंक का यह एक ठोक सिद्धांत है कि करदाता वो उम राशि की जानकारी हो जो वह बर के रूप में शुगतान करता है तथा वह यह जात बर सकता है कि राजकीय व्यय युक्तिपूर्वक विद्या गया है कि नहीं।

किसी भी वस्तु पर परिव्यय बर लगाने का यह तर्क अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि इन वस्तुओं का उत्पादन और सामाजिक लागत की समस्या उत्पन्न करना है। इसलिए सामाजिक लागत की धनिपूति परिव्यय कर द्वारा उचित समझी जाती है।

परिव्यय कर आयकर की तुलना में इसलिए भी येष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें बर बचाव तथा कर बचन इतना सरल नहीं होता जितना कि आयकर में सभव होता है। इसलिए आयकर तथा पूजी कर की तुलना में परिव्यय कर का प्रशासन सरल होता है।

परिव्यय कर आयकर की तुलना में इसलिए अधिक उपयोगी समझा जाता है क्योंकि यह पूजी में ने विए गए व्यय की पराड शोध करता है। आयकर इस दृष्टि से अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता है यद्यपि गुपति कर इन दोप में गुप्तार ले आता है।

परिव्यय कर की अनुकूलता इसलिए भी स्वीकार की जाती है कि इसमें क्रियात्मक गति तीव्र रहती है। अर्थव्यवस्था का नियमन आयकर की तुलना में परिव्यय कर द्वारा शोध हो जाता है। परिव्यय कर में बृद्धि राजकोप की आय को बहुत शोधता से बड़ती है तथा परिव्यय कर में कमी मांग की बृद्धि के लिए उपभोक्ताओं के हित में पर्याप्त धन शोधता से छोड़ती है।

प्राय सभी लोग इसे स्वतं सिद्ध मानते हैं कि परिव्यय कर आयकर की तुलना में व्यक्तिगत प्रेरणा को बहुत नष्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में परिव्यय कर करदाता के

नायं तथा अवकाश के मध्य चुनाव के विकल्प को अधिक विकृत नहीं करते। इस विचारधारा ने स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

हम अध्ययन कर चुके हैं कि आयकर के दो प्रभाव हो सकते हैं आय प्रभाव तथा स्थानापन्न प्रभाव। बैंडफोर्ड के विचारानुसार 'दून पर' की तुलना में कर की सीमात दर जितनी अधिक होगी उतना ही आय प्रभाव की तुलना में स्थानापन्न प्रभाव अधिक होगा। इसलिए कर जितना प्रगतिशील होगा अप्रेरणादायक प्रभाव उतना ही अधिक होगा। व्यवहार म परिव्यय कर प्रतिगामी इक्षु बरते हैं, यही नारण है कि आय कर की अपेक्षा परिव्यय कर उत्पत्ति के आधार की पूर्ति पर विरोधी प्रभाव कम ढानते हैं।'

यह आवश्यक नहीं है कि परिव्यय कर प्रतिगामी और आयकर प्रगतिशील हो। यदि हम इस प्रकार की तुलना बरना चाहते हैं तो वह गुलना प्रगतिशीलता के समान वेज पर आधारित होनी चाहिए। तुछ नमय के लिए यदि बचत के प्रश्न को छोड़ दिया जाए और व्यक्ति पूर्णतया विचारयुक्त हो तथा उन्हें सरकार की नियम आय आयकर अद्वा परिव्यय कर द्वारा आदा करने का विकल्प दिया जाए तो वोट कारण नहीं कि परिव्यय कर का कम अप्रेरणादायक (या अधिक अप्रेरणादायक) प्रभाव होगा। नोग मुद्रा की माग इमोलिए ही बरते हैं कि वे उम्मे बस्तुएँ तथा सेवाएँ खोरी नहीं। जैसे आयकर के अतर्गत 'आय प्रभाव' तथा स्थानापन्न प्रभाव होते हैं वैसे ही परिव्यय कर के अतर्गत होता है। यदि उन बस्तु पर कर लगता है जिसे हम क्रय करना चाहते हैं, तब हम उन क्रय करने के लिए अधिक शम करके अपनी जाय को बढ़ा सकते हैं और कर की परवाह नहीं करते हैं। या हम यह सोच नहीं है कि अधिक प्रश्न लाभदायक नहीं हैं इसलिए कम नायं बरते हैं और अवचाप अधिक ग्रहण करते हैं। परन्तु व्यक्ति सदैव विचारयुक्त नहीं होते। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि करदाता आयकर के प्रदार को परिव्यय कर की अपेक्षा अधिक महमूल बरना है। ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव चहा अधिक होता है जहा आय प्राप्त कर्ता तथा व्यय कर्ता पृथक्-पृथक् होते हैं। एक व्यक्ति की उपाजित आय पर जब पर लगता है तो वह निरोहमाहित होने के कारण अधिक परिथम नहीं बरना चाहता, परन्तु जब पत्ती उसको आय की ओर करता है तब वह परिव्यय कर की बढ़ाता का अनुभव ही नहीं कर पाता।

परिव्यय कर बचतों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं यह एक जटिल प्रश्न है। इन्हाँ अवश्य इहा जा सकता है कि परिव्यय कर बचतों को कम निरोहमाहित करते हैं परन्तु पूर्णसंपेत यह नहीं बहा जा सकता कि आयकर की तुलना में परिव्यय

कर वचतो पर कम प्रतिकूल प्रभाव ढालते हैं, प्रगतिशीलता की दर यदि समान हो तो मनोवैज्ञानिक कारणों से आयकर की तुलना में परिव्यय कर कार्य करने की प्रेरणा को कम घटाते हैं या यो कहिए कि परिव्यय कर आयकर की तुलना में कार्य बरते की प्रेरणा को अधिक बढ़ाते हैं। कार्य करने की प्रेरणा कम न हो इसके लिए परिव्यय कर का उपयोग बहुधा राजनीतिक कारणों से होता है। राजनीतिक दृष्टि से आयकर की प्रगतिशीलता की अनेका परिव्यय कर की प्रगतिशीलता को घटाना मरन होता है। यही कारण है कि लोकवित्त में परिव्यय कर वा महत्त्व बराबर बना हुआ है।

व्यय कर

चहून तमय से निगो भी व्यक्ति के अधिक नत्याल का माप उमड़ी जाए ने विद्या जाना रहा है। इनलिए आप को ही उमड़ी करदान नमता का बाधार माना गया है। परतु शताविद्यों पूर्व से ही इसके विरोध में अनेक तर्क दिए जाते रहे हैं। चराधान की रण्टि से व्यक्ति की आप की अपेक्षा उनका व्यय थोक बाधार है। 17वीं शताब्दी में श्री हब्ज ने इन सवध में लिखा है, 'वर नगाने ने नमता और न्याय ने आगम नमान उपभोग करने वाले व्यक्तियों के घन वी नमानना से उतना नहीं है जितना वि घन के उप भाग को नमानता ने है जिसका दि वे उपभोग करते हैं।' वह नौन-पा कारण है जिसकी बढ़त से उन व्यक्तियों पर अप्रिय वर नगाया जाए जो अधिक परिष्ठम करता है और उन्हें परिष्ठम के फल को अपने पास बचाकर उन व्यक्तियों की तुलना में योद्धा उपभोग करता है जो बाहित होने के नाते कम नमाना है, और भारा का नारा इनलिए व्यय वर देता है, क्योंकि वह समदत्ता है वि उसे अन्य व्यक्तियों की तुलना में नमाज के घन से और अधिक भरदान प्राप्त नहीं हो जाता। परतु जब वर ऐसी बरनुलों पर नगाया जाता है जिसका भर्भी लोग उपभोग करते हैं तब उन स्थिति में प्राप्त व्यक्ति वस्तु के उप भाग पर नमान रूप ने वर बदा करता है जिसका दि वह उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के विनामतापूर्ण छर्चों द्वारा नमाज के घन का दुष्पर्योग भी नहीं होता। श्री हब्ज ने इन प्रकार समानता एवं न्याय के बाधार पर व्यय के बनुमार करारोपण का सुझाव दिया है।

19वीं शताब्दी म ही जान स्टुबर्ट मिल ने भी व्यय वर के पक्ष में तर्क दिए थे और उन्होंने 'आप तथा सप्तति वर पर नियुक्त (सन् 1831 वरी) चुनाव समिति के समस्त व्यय करना सुमित्रन विद्या था। इसके पक्षात, इग्नेड में माझन, पीणू तथा बोन्डार ने, मनुक राज्य अपर्गेना में इर्विंग पिशर ने, इटली में इतोटी ने प्रत्यक्ष वर के रूप में व्यय वर का सुमित्रन विद्या। सेंडारिंग रण्टि ने व्यय वर के रूप में बरारोपण तो उचित ठहराया गया परन्तु प्रगतिसिंह दुर्जित ने उन किसानित वरने में अनेक कठिनाइयों के उपस्थित होने के कारण उन सोह दिया गया।

प्रो० कोलडार का विचार

वैक्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० कोलडार न आयमर म विभिन्न कमियों को बताते हुए व्यय कर को एक आदरण आधार बताताया।

प्रो० कोलडार ने इस नक्के को लुटीरी दी है कि आयमर करदाता की कर देय क्षमता का सही मानदण्ड है। उन्होंने बताताया कि क्षमता आय होने पर भी दो व्यक्तियों की पारिवारिक मदद्य क्षमता, मपति तथा आय की नियमितता आदि में अतर होने के कारण करदेय क्षमता पृथक-पृथक हो सकती है। माधारणनया आय प्रबाह के रूप में होती है अर्थात् अमुक गणि प्रति वर्ष के अनुमार प्राप्त होनी है। परतु मनुष्य की व्यय जकिन बेबल वार्षिक आय ती प्राप्ति पर ही निमंर नहीं करती अपितु उमर्क स्टान, मपति आदि के रूप म बेनन, मज़दूरी तथा आइस्मिन प्राप्तिया के योग पर निमंर करती है। इननिए इन तीनों के योग से निभिन व्यय राणि को बेबल आय के आधार पर मापना सर्वथा असम्भव होगा। इमरे अनिरित प्रगतिशील आयकर के अत्यंत अस्थाई या परिवर्तनशील आय बाते व्यक्ति पर उन्हीं ही स्थाई आय प्राप्त करने वाले व्यकिन की अपेक्षा अधिक भार पड़ता है। आयकर के द्वारा पूजीयत लाभा पर भी ठीक प्रशार से कर नहीं लगाया जा सकता। बास्तव में कर का आधार घमूल की गई आय न होकर उपार्जित आय ही होनी चाहिए। परतु इसम कठिनाई यह है कि उपार्जित आय का मही अनुमान लगाना एक कठिन काय होता है।

उपरोक्त बाबता मे प्रो० कोलडार न करारोपण के आय आधार मे कमिया बताते हुए उमसा प्रनिष्ठापन व्यय-आधार से करन का मर्मवन रिया है।
व्यय कर के पक्ष मे तर्क

(1) व्यय करदेय क्षमता का धेष्ठ आधार है। विसी भी मनुष्य की आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। सभी स्रोतों मे प्राप्त आय की एक क्षमता इनाई मे परिवर्तित नहीं रिया जा सकता कि हम वास्तविक व्यय को कर-आधार स्वीकार कर लें तो विभिन्न स्रोतों मे प्राप्त आय स्वय ही प्राप्तवर्त्तद्वारा अपने व्यय के द्वारा प्रगट कर दी जाती हैं। प्रो० कोलडार का मतव्य है कि प्रत्येक व्यकिन अपनी सपति व विभिन्न प्रशार की आय आदि को दृष्टि म रखकर ही व्यय करता है। अन ऐसी स्थिति मे उमर्के द्वारा रिया गया कुन व्यय उसकी कर देय क्षमता का आधार के रूप म प्रयुक्त रिया जा सकता है।

(2) ज्ञाय एक क्षमता का आधार त्याक एव क्षमता के दृष्टिकोण मे व्यय कर के अधिनिय वा समर्थन रिया जाता है। प्रो० कोलडार का यह मत है, 'व्यय कर द्वारा नोगो पर इग आधार पर कर नहीं लगाया जाता कि वे सामृद्धिक बोय मे अपना रितना अशकान देते हैं अपितु कर इग आधार पर लगाया जाता है कि वे उस बोय से रितना धन बाहर निरानत है।' कोई भी व्यक्ति बोय उद्देश्य की

पूर्णि के लिए शेष भमान पर केवल आय द्वारा ही बोल दानता है त्रपती बनार्दि अग्रवा चचत द्वारा भहीं। इसलिए व्यय वर के पश्च में यह तर्ज़ दिया जाता है कि व्यक्ति पर वर नगने का आधार नामुहिंद कोर में उमस्का योगदान न होकर उमस्क से प्राप्त मात्रा ही होनी चाहिए। इस प्रकार का व्यय व्यक्तिया द्वारा वित्तानितः एव जारामदेय बञ्जुओं पर स्थित जाने वाना अपन्नय ही है जिसक द्वान मनाज बो ठगा जाना है। बायं भरने वाने, बचन बरन वाने या जाविम उठान बले व्यक्तियों की प्रामानीय कियाजो क ऊपर इस वर वा दोप बदापि नहीं योपा जा सकता। इसलिए व्यय कर जो अपव्ययपूर्ण उपभोग का कम बरन का प्राप्तम बनता है, मानाजित दृष्टिकोण से व्यक्तिवित नमक्षा जाता है।

(3) चचत तथा पूजी निर्माण से सहायक है : व्यय वर के पश्च में एव महत्त्वपूर्ण तर्ज़ यह दिया जाता है कि यह इन केवल उपभोग पर ही पद्धता है चचत पर नहीं। इसलिए यह वर चचती नथा पूजी-निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इसके विपरीत आयकर चपत पर दोहरा वर होता है। परतु व्यय वर के अतर्गत आय के उम भाग बों, जो कि चचत के रूप में रख दिया गया है, इस वर में मुक्त कर दिया जाता है। इसमें उन गोगों के स्वामित्व में आय की वृद्धि हो जाती है जो चचत करते हैं, माय ही उन्हें बचन बरले की प्रेरणा भी मिलती है। अत जाधिक विकान के लिए जहा चचत की वृद्धि आवश्यक है वहा व्यय वर उपभोगी मिल हो मज्जा है। प्रो० कोडार ने इसीसिए इसे भाग्न के लिए चहुत उपभोगी बनानामा है।

(4) मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक : व्यय के करावान के पश्च में यह भी तर्ज़ दिया जाता है कि यह कर मुद्रास्फीति को रोकने म आयकर वो अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण होना है। मुद्रास्फीति दो नियतित बरने के लिए उपभोग को कम तथा वचत बो बदान वी आवश्यकता होनी है और इस यह भली-भानि जानते हैं कि यह वर लोगों के खचों में बढ़ीती बरता है और चचती को प्रोत्साहित बरता है जबकि आयकर उपभोग व चचत दोनों पर लगाया जाता है। इस भी इस तर्ज़ वा महत्त्व चेवन स्फीति काल म ही होता है।

(5) व्यय वर की पदार्थ परिमाण देना सम्भव : व्यय वर का समर्थन इस आधार पर भी किया जाता है कि यह आयकर वी तुनना में दो कागणों से लघित थेप्छ है। प्रथम, इसलिए कि वरगान के आधार के रूप में आय वी तुनना में व्यय की परिभाषा अधिक निश्चित रूप ने दी जा नहीं है। द्वितीय इनलिए कि आय वी अपेक्षा व्यय बरदेय क्षयता वा अपिक अच्छा सूचर है। विभिन्न स्तोतों में प्राप्त होने वानी बासदनियों वी जहा सही तुनना नहीं वी जा सकती; वहा नभी व्ययों में एव ऐसे भापदह के रूप में समता स्पापित वी जाती है जिसके अतर्गत वे सभो व्यय रहन-भहन के वास्तविक नरों का प्रतिनिधित्व नगने हैं।

व्यय कर के अतिरिक्त यह ज्ञात करना भी आवश्यक नहीं है कि आय का कितना भाग अनियमित तथा अनजित, स्थाई अथवा अस्थाई है।

(6) उपभोग की असमानता को कम करने में प्रभावशालीः व्यय कर के पक्ष में यह तर्ब भी दिया जाता है कि यह आयकर की तुलना में उपभोग सबधी असमानता को कम करने का एक अधिक महत्वपूर्ण साधन है। पूजीयत साम तथा अनियमित खोदों से प्राप्त आय एक बार आयकरों से बच सकती है परतु व्यय कर के अतिरिक्त उस सीमा तक पहुँच म आ जाते हैं जहाँ तक वे व्यय करते हैं। यदि निमी समय सचित पूँजी म स अधिव्यय किया जाए तो वह भी व्यय कर की चपेट में आने के कारण व्यय कर से मुक्त नहीं हो सकता जिसु आयकर से मुक्त हो सकता है। प्रो० ए० आर० प्रेस्ट का विचार है, 'यदि हम दोनों ही करों (आयकर तथा व्यय कर) को उपभोग सबधी समानता लाने वाले एक उपाय के रूप म तोलें तो हम यह पाएंगे कि व्यय कर में, चाह हम उसे पसद करते हों या नहीं, ऐसी ही सभावनाएँ विद्यमान हैं जो एक ही समय में व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों के मध्य और माय ही विभिन्न समयों म भी, उपभोग सबधी समानताएँ अधिक मात्रा म उत्पन्न करते हैं।'¹

(7) विनियोग तथा कार्य की प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता : व्यय कर को विनियोग तथा कार्य की प्रेरणा की दृष्टि में भी आयकर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आयकर विनियोगों तथा प्रेरणाओं पर दो रूपों में प्रतिकूल प्रभाव ढालता है। प्रथम, यह विनियोग कार्यों के लिए उपलब्ध होने वाली धनराशियों का एक बढ़ा भाग छीन लेता है। द्वितीय, यह विनियोगों से होने वाली विशुद्ध आय को कम कर देता है और इस प्रकार लोगों म विनियोग करने की प्रेरणा को निर्बंध कर देता है।

व्यय कर के अतिरिक्त बचतों पर कोई कर नहीं लगाया जाता इमलिए उद्यमी विनियोग के लिए बड़ी मात्रा में धनराशिया एकत्रित करने में समर्थ हो जाते हैं और विनियोग करने के लिए भी अधिक उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि विनियोग से उत्पन्न आय को भी यदि उपभोग करने से बचा लिया जाए तो वह भी कर से मुक्त रहेगी। जहाँ आयकर कार्य की प्रेरणाओं को कम करते हैं वहाँ आयकर का व्यय कर से प्रतिस्थापन द्वारा बचत को कर से मुक्त कर के प्रतिकूल प्रेरणादायक प्रभावों से बचाया जा सकता है।

व्यय कर के विपक्ष में तर्क

अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यय कर को कराधान के आधार के रूप में प्रबुद्ध करने के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।

(1) व्यय ही देवत आदित्य समानता अथवा असमानता के नामने का एक-मात्र पक्षीटी नहीं : बाजोचरों ना मत्त है कि व्यक्तियों के बीच आधिक विषयता को नामने वा एकमात्र बाधार व्यय ही नहीं है। इसके वित्तिकृत और भी अन्य बाधार ही भजते हैं, जैसे जाप, चपभोग, नृपति तथा आप वे परिवर्तन भी दर। इनलिए आर्थिक समानता अथवा असमानता जो नामने के लिए चपभोग अथवा अप्य-शक्ति एकमात्र नक्षीटी नहीं है। इनके अनुनार अक्षिगत चपभोग एक ऐसी विचारधारा है जिसका अप्यिक्षरण सुननता में नहीं किया जा सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि व्यक्तिकृत चपभोग के सब्दों और उन्मादन संबंधी सब्दों के सम्बन्ध कोई निश्चित रेखा नहीं खोली जा सकती। प्रथम प्रकार के अप्यों की अपेक्षा बहुत ही उत्तरवाता में दूसरे प्रकार के अप्यों में भी या सहजी है। उदाहरण के लिए शौड़ी भी ननोरजन के लिए भी गई मात्रा अधारादित्य यादा दे रख में दियाई जा सकती है। द्वितीय, चपभोग तथा बचत के बीच भी शौड़ी स्टैट और नहीं किया जा सकता। एक अवधार अथवा बार वो खायीदारी उपभोग वो इतिहास के रूप में इतिहास जो सहजी है तथा बचत के रूप में भी इनलिए शौड़ी बारप नहीं कि अप्यन्यादार को अप्य-आधार की तुलना में शैष्ठ माना जाएगा। इनको सोय अवधार भानते हैं कि संदातिक दृष्टि से व्यय कर एक आधिक प्रभावशाली बाधा के रूप में त्वारक दिया जा सकता है।

(2) व्यय कर निर्धनों पर अधिक भार दातता है : व्यय कर के विषय में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि व्यय कर वा भार व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पहेला क्षमोदि व्यक्तियों की आप ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है चपभोग पर हीने वाला आप वा प्रतिकृत घटना जाता है। परतु यह दोष उनका नहीं किया कि उपर्योग पर दियाई देना है। प्रौढ़ बोल्डार वा विचार है कि इस दोष जो प्रयोग-कर समाज दूर किया जा सकता है।

(3) व्यय कर सोनों की स्वप्राद संबंधी विचिन्ताओं को दृष्टि में नहीं रखता : व्यय कर के विषय में यह तर्क भी दिया जाता है कि यह अक्षियों की रचियों तथा उनके स्वप्रादों जो दृष्टि में रखे दिना प्रयोक के लाय नमान अवहार करता है। उदाहरण के लिए दो ऐसे व्यक्ति ही भजते हैं कि उनकी आप तथा आर्थिक परिस्थितिया युक्त हों। इनमें से दह व्यक्ति जो कम सब्दोंना है अप्य कर का हलता भार तथा अधिक व्यय करने वाला अप्य कर का अधिक भार अद्वृत ज्ञेयादित्य आपकर के बढ़ती है। इन दोनों से युक्त अवहार होता। यह कर का दूसरा व्यक्ति के पक्ष में होता है। दान्तव में इनकी भी कर पहिति में अक्षिगत अक्षियों एवं विचिन्ताओं को दृष्टिगत रखता एवं बतिल जाते हैं। भज दो यह है कि अधिकार अक्षियों के व्यय इनमें वो रीति तथा उनका बाकार गुरु जैसा ही होता है तथा उनका निर्णायक उनकी योगान्वित एवं अन्य परिस्थितियों द्वारा होता है।

(4) व्यय पर करदाताओं के मध्य यनकी आवश्यकताओं वी विभिन्नता के अनुसार अतर महों परता। व्यय पर को आधारने के आधार के रूप म अस्वीकार परते हुए विषदी वर्ग पर यह सर्व है कि आयपर मे ऐसी व्यवस्था है जिसे अतंगत परियारो वी आय मे अनुसार छूटें प्रदान वी जाती है। मुछ देशो म तो शिक्षा तथा चिकित्सा सबधी घर्चों को पर से मुक्त परते वी उचित व्यवस्था है। इन आलोचनों पा विचार है कि यदि पर सगो पा आधार आय के बदत पर व्यय स्थीतार पर लिया जाए तो स्थिति विगड़ जाएगी। मह परियार याले व्यक्ति पो अधिकार दर देता पड़गा। ऐसे व्यक्ति को दो प्रकार से हानि उठानी होगी। पहले प्रथम रूप मे जब यह परियार के आधार बदा होने के बारण अतिरिक्त व्यय करेगा। दूसरे प्रोक्षण रूप मे जब उसके अतिरिक्त पर्वे पर व्यय पर सगाया जाएगा। इसलिए आय-आधार वी गुनना मे व्यय-आधार मे परियारो वी आयशक्ता नुसार छूट देने वी और भी अधिक आवश्यकता है।

प्रो० कोल्डार ने इस तर्फ पा उत्तर देते हुए कहा है कि विशी अयोग्यान अपया दुपटना आदि मे बारण उत्तरा आवश्यकताओं के अनुसार छूट की व्यवस्था परियार के आपारानुसार व्यय पर मे विशेष स्पष्टस्था वी गुविधा प्रदान परना सीढ़ीक रूप से असंभव नहीं है।

(5) व्यय मे रामय समय पर होने याले परिवर्तनों को रामस्था को व्यय कर हल करने मे आमधे व्यय पर वी एवं आय आलोचना इसलिए भी वी जाती है कि यह व्ययों के उत्तर पक्षावों के राम जो विशेष रूप से बार अपया पर्विर इयादि टिकाऊ पस्तुओं वी रामविक छरीदारी म परते पहते हैं व्ययोंचित व्यय हार नहीं परता। यदि व्यय पर वी आरोही दरे विभिन्न वयों के लिए रामान रूप से सामूही गई सो परदाता को उत्तर व्यय पर पा अधिक भार गहन परना पहगा जिस वर्षे उसो टिकाऊ पस्तुए छरीदी है जबकि वह उत्तर साम अनेकभावी वयों तक प्राप्त परता रहेगा। परतु इस कठिनाई पा हृत असभव नहीं है। प्रयास परते पर एवं ऐसी औसत तिकालो को पद्धति योगी जा राती है जिसके द्वारा पर गार को उन वयों म पैसाया जा रापता है तिमे क्य वी गई पस्तुओं के साम प्राप्त होने वी आगा है। पस्तुत रामय समय पर आय म होते याले परिवर्तनों वी राम्या को आयपर मे आयत हल परता किए हैं परतु व्यय पर मे अतांत इनसे आसारी से नियटा जा रापता है।

(6) व्यय पर की प्रशासनिक उठिनाइया व्यय पर प्रशासनिक उठिकाँज से व्यावहारिक एवं सामान्य नहीं है। आयपर वी अपेक्षा व्यय पर अधिक जटिल है। विषदी वर्ग पा यह विचार है कि परदाता को अपने व्यय पा विवरण पद्धति व्यार परते मे ओप पठिनाइयों पा रामना परता पड़ेगा। राम ही गरारार को भी उसकी जोख पड़ात वरते म यसी ही कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। परतु यह

समस्या ऐसी नहीं है जिसको हल न किया जा सके। इस सदर्भ में एक राजकीयीय विशेषज्ञ बेनेथ ई० प्लूल ने लिखा है, 'प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष नहीं प्रतीत होता है कि व्यय नर ऐसी बठिनाइया उत्पन्न नहीं करता जिनको दूर न किया जा सके। यदि कोई सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो भवती है तो वह यह है कि व्यय के विवरण पढ़ो वी पर्याप्त एवं पूर्ण जाच कैसे बी जाए, क्योंकि एक और जहा करदाताओं वी सख्ता अधिक है वहा जाच अधिकारियों व कर्मचारियों वी भारी कमी है। अत म यह भी कहा जा सकता है कि प्रशासन यद्यधी व्यय-काश बातें तथा बठिनाइया, जिनके कारण व्यय वर व्यावहारिक एवं व्यष्टिदायक प्रतीत होता है, आगवर म भी कैसी ही प्रशासनिया उत्पन्न करता है।'

(7) व्यय कर अवसाद काल से हानिकारक तिह होता है: अवसाद काल में व्यय कर अवसाद बी किया बो और भी बनता है अत इस दृष्टि से व्यय कर भार बीमे तो उन व्यक्तिया पर अधिक पढ़ाता है जो अपनी आय के बहेवहे भाग खच बरते हैं परतु यह भी त्रुट्पूर्ण नहीं कि यह कर निश्चित रूप में लोगों के उपभोग बी धटाने के लिए प्रेरित बरता है। उपभोग बी कमी के कारण विनियोग के अवसर भी घटने लगते हैं। कुछ अधिकारियों के विचारानुसार व्यय कर के दिक्षण में यह सबसे महत्वपूर्ण तर्क है।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि न्याय, प्रेरणा तथा कुशलता बी दृष्टि से आयकर बी अपेक्षा व्यय नर उत्तम है। परतु हमें यह स्मरण बरना चाहिए कि विभिन्न देशों की आयकर को भरावान के रूप में प्रयुक्त बरने में एवं लबे अरसे का अनुभव प्राप्त है जबकि व्यय कर के प्रशासन का ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है। अत उचित यही होगा कि व्यय वर बो आयकर के अनुप्रवर्त्त के रूप में पूर्ण सावधानी से लगाया जाए जिससे ऊचे बोप्टवों के बेवल योड़े से बरदाता ही प्रभावित हो उदोपरात जैसे-जैसे अनुभव आत होता जाए आवश्यक बानुसार उसमें परिवर्तन बरजे परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया जाए।

व्यय कर का अल्प विकसित देशों में महत्व

अल्प विकसित देशों में मुख्य समस्या आर्थिक विकास की गति बो तीव्र बरले बी होती है। आर्थिक विकास की योजनावा बो पूरा बरने के लिए अर्थव्यवस्था में बनत तथा विनियोग बी दर बो बटाना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से व्यय कर अल्प विकसित देशों के लिए अधिक महत्व रखता है।

इसमें बोई विवाद नहीं है कि आर्थिक विपास बी गति बो तीव्र बरने के लिए कुल व्यय में विनियोग व्यय बा अनुपात अपेक्षाकृत ऊचा हो (बेवल राशि ही ऊची न हो) अर्थात् राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात अपेक्षाकृत ऊचा हो। ऐसी अति-

रिक्त बचत के लिए साधन चालू आय के सदर्भ में उपभोग को कम करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अल्प विकसित देशों में विशाल जन समूदाय वा उपभोग स्तर न्यूनतम स्तर के इतने समीप रहता है कि आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत ऊची दर वो बनाए रखने के लिए धनिक बर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति में कभी लगान आवश्यक हो जाता है। सच पूछा जाए तो विलासिताओं का उपभोग ही राष्ट्रीय व्यय का वह भाग है जिसमें पूजी सचय की अपेक्षाकृत ऊची दर के लिए साधन जुटाने हेतु कमी की जा सकती है। व्यक्तिगत खर्चों पर लगाया जाने वाला न्रमिक आरोही व्यय कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नदेह एक आदर्श साधन सिद्ध हो सकता है।

अन्य विकसित देशों में साधनों को जुटाने के लिए यदि आयकर की महायता ली जाती है तो वह विनियोग करने की प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ऐसा व्यय कर के अतांत नहीं होता। जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि आयकर विनियोग कावों के लिए उपलब्ध होने वाली राशि को खीच लेता है तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाले विशुद्ध प्रतिफलों को कम कर देता है। इस प्रकार आयकर विनियोग की प्रेरणा को निर्वल कर देता है। परतु व्यय वर को वराधान के आधार के रूप में प्रयुक्त करने से बचतें करारोपित नहीं होती। अत उद्यमियों में बचत तथा विनियोग करने की प्रेरणा अधिक बढ़ जाती है। ऐसे देशों में विकास हेतु पर्याप्त धनराशि आयकर द्वारा इसलिए भी एकत्र नहीं की जा सकती क्योंकि इस कराधानमें वर बचत की सभावनाएँ अधिक रहती हैं। आयकर को जितना आरोही बनाया जाता है करो से सबने का थोक उतना ही व्यापक हो जाता है क्योंकि व्यक्ति आय का सही विवरण प्रस्तुत नहीं करते। व्यय वर इन विमियों को दूर करने में अपना योगदान दे सकता है। आरोही कराधान वो यदि प्रभावशाली तथा निष्पक्ष बनाना है तो आय-आधार के द्वारा उसे एक सीमा के उपरात आगे नहीं बढ़ाया जा सकता किंतु व्यय-आधार में ऐसी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय के बढ़ जाने के कारण भयकर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य ढंगे हो जाते हैं। ऐसा न्रयशक्ति के बढ़ जाने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में व्यय वर की सहायता से उपभोग में बटोती बराई जा सकती है। ऐसा करने से विनियोग पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनीय साधनों को एकत्र करने में यदि सपत्ति वर वा सहयोग लिया जाए तो वह बचत कम करता है परतु व्यय को प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर भारी सपत्ति वर सचित इए गए धन वो भी घर्च बरने की प्रेरणा वो बढ़ाता है। यदि इन खर्चों को सीमित नहीं किया गया तो विनीय साधनों को जुटाने वा उद्देश्य

प्रभावहीन हो जाएगा। व्यय कर ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इन घटनों को निपटित कर सकता है। इसलिए अर्थविद्वनित देशों में व्यय कर लागू करने वा जौरदार मर्मर्यम बिया जाता है।

अल्प विकसित देशों में व्यय कर की सीमित उपयुक्तता

अल्प विकसित देशों के सदर्भ मुकुच अर्थगतिक्षयों ने व्यय कर की उपयुक्तता की सीमा वा वर्णन करते कुछ तर्क दिए हैं। ये तर्क यद्यपि भारत के सदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं परन्तु अर्थविद्वनित देशों में भी लागू होते हैं।

(1) आय के बत्तेमान वर्तों के होते हुए भी व्यय कर लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि वह वराधान को बहुत बढ़ाव देना देता है।

(2) आय पर वराधान के ददने में व्यय पर वराधान लागू करने वा आधाय यह होगा कि बचतों को कर से छूट मिल जाएगी। फलत घनिरों को सुन्दर बरने की काफी प्रेरणा मिलेगी और सुपति वा केंद्रीयकरण कुछ ही व्यक्तियों वे हाथों में बा जाएगा। यदि सुपति के ऐसे केंद्रीयकरण को रोकने के लिए सुरक्षा बर का सहारा लिया जाता है तो, उसे में, बचत को प्रोत्साहित करने के सबध में व्यय कर के लाभ समाप्त हो जाएगे।

(3) आयकर की तुलना में व्यय कर प्रगतिशील दृष्टि से अधिक जटिल होता है।

(4) अर्थविद्वनित देशों में हृषि की प्रधानता होने के कारण यह वृश्चकों की वर्म आय होने के कारण कृपिगत आय में से बिया गया व्यय, व्यय कर से मुक्त रखा जाएगा। इसलिए लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि के अपनी आय का अधिकरम भाग अपनी हृषिगत आय में में बिया हुआ दर्जा।

निष्कर्ष :

अल्प विकसित देशों के लिए व्यय कर की व्यवहारिकता बदला बव्यवहारिकता के सबब में जो भी उक्त प्रस्तुत दिए गए हैं यदि उन सबको बृक्ष ग्राम्य के ध्यान-मुक्त कर दिया जाए तिस पर भी एक ऐसी बात और है जो व्यय कर के लागू करने का दृष्टा से सुन्दर होती है। वह यह है कि आरोही व्यक्तिगत व्यय कर घनिरों के व्यक्तिगत व्यय में मितव्यता करने वाला एक गमनशाली अस्त्र है। चूंकि पूजी बृद्धि का बायं उत्त निर्धन बायं के ऊपर नहीं मोगा जा सकता जो पहले से ही न्यूनतम स्तर पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है अत मह दिनिवार्य हो जाता है कि जाचिर विवाह जी गति जो दीद ज्ञाने के लिए धनी लोगों के उपभोग में बटोरी बराई जाए। बोल्हार के ग्रन्थों में, 'विलासितापूर्ण उपभोग ही बान्तव में राष्ट्रीय आप का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे पूजी-मूल्य वी दर को बढ़ाने वाले साधनों की प्राप्ति के लिए निचोड़ा जा सकता है और व्यक्तिगत उपभोग पर नमवधी आरोही कर हो एक ऐसा आदान यत्र है जिससे इस नह्य वी

प्रसिद्धि की जा सकती है।¹ यदि व्यक्तिगत व्यय कर न करा संपत्ति कर को साथ-साथ लागू किया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे के विरोधी दिशा में कार्य करेंगे। ऐसी भी सभावना कम होगी कि एक कर का थोड़ प्रभाव दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। व्यय कर के समर्थक कोल्डार ने अत्यं विकसित देशों के सदर्भ में कहा, 'इन दोनों करों के मिश्रण से बजाए इसके कि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे प्रभावों को नष्ट करें, सभावना इस बात की है कि ये संपत्ति के अधिक नमान वितरण के दीर्घकालीन लक्ष्य का बनिधान किए बिना ही धनाहृयों के जीवन स्तरों को कारगर ढग से सीमित बरेंगे।'²

भारत के सदर्भ में व्यय कर का अध्ययन

व्यय कर के इस अध्ययन का उद्देश्य उन प्रस्तावों को समझना है और साथ ही कुछ ऐसी आपत्तियों पर विचार करना है जो भारत में वैयक्तिक व्यय कर के लागू करने के विषय में उठाई गई हैं। हमने व्यक्तिगत व्यय कर के पक्ष में त्याय और वार्त्यिक आवश्यकता के आधार पर प्रो० कोल्डार के द्वारा दिए गए तकाँ की विस्तार से चर्चा की है। अब उनका यहां दोहराना आवश्यक नहीं है।

हम भारत में बचतों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के कोल्डार के तर्क से सहमत हैं, किंतु, इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत की परिस्थितियों में व्यय कर बचत को प्रोत्साहित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस सबधृ में डॉ० राजा जे० चेल्लैया ने कहा है कि प्रशासनिक जटिलता इस कर के लागू करने के मार्ग में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इसके अतिरिक्त व्यय कर भव प्रकार भी बचतों का पल लेता है किंतु भारत जैसे अद्यंविकसित देशों में केवल बचत प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस बचत को उत्पादक विनियोगों में संग्रहा अधिक महत्वपूर्ण है और व्यय कर यह कार्य नहीं बरता।

डॉ० चेल्लैया का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि कोल्डार का आपकर को व्यय शक्ति कर सही मापक न बताने का तर्क कोल्डार द्वारा प्रतिपादित व्यय कर पर भी लागू होता है। क्योंकि व्यय कर प्राप्त व्यय शक्ति पर आधारित न होकर प्रयुक्त व्यय शक्ति पर निर्भर होता है। इन कारणों से हम व्यय कर को ही कराधान के आधार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में प्रो० कोल्डार ने भी भारत के लिए व्यय कर का ही मुख्याव न देकर आपकर के आणिक प्रतिस्थापन के रूप में कुछ छूट भी भीमा व आरोही दर के साथ इनके उपयोग पर बल दिया था।

भारत में व्यय कर लागू करने का प्रस्ताव प्रो० कोल्डार ने 1956 में प्रस्तुत किया। फलत श्री हृष्णमाचारी ने 1957 के बजट में इसे ल - ०२ दिया था।

1 N Kaldor 'Indian Tax Reform', p 42

2 N Kaldor Ibid p 40

परन्तु 6 वर्ष बाद श्री मोरारजी देसाई ने इसे समाप्त कर दिया। व्यय कर को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, '1957 में जब इसे जारी किया गया था, तो इस बात को समझ लिया गया था कि इसे ऐतिहासिक अनुभव का समर्थन प्राप्त नहीं है। फिर भी यह आशा थी कि आडवरपूर्ण व्यय को नियन्त्रित करने और बचत को प्रोत्साहन देने में यह कर गतिशाली साधन बना बाम देगा। यद्यपि यह सब उद्देश्य अन्धेरे हैं किन्तु अनुभव से पता चला है कि व्यय कर में इस दिनों ने बोई नाम नहीं हुआ। इस सोरे में बहुत ही कम आय प्राप्त हुई है। इस कर के आधारभूत उद्देश्यों को किसी और प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए।'

परन्तु यन् 1964 में श्री कृष्णमाचारी ने इस कर को पुनः लागू कर दिया। इस संबंध में उन्होंने तर्क देते हुए कहा है, 'मृत सुपति शुल्क और छप्हार कर की दरें बढ़ाने से बो परिस्थितिया पैदा हो रही हैं उसमें और उन्हों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से, मेरे विचार से व्यय कर को फिर से जारी करना अवश्यक है। मैंने उन परिस्थितियों और कठिनाइयों के संबंध में अच्छी तरह से विचार किया है जिनके कारण मेरे पूर्ववर्ती ने इस कर की उगाही अधिकृत करनी पड़ी। मुझे लगता है कि यह कठिनाइया बहुत सी छूटों और कर की छंची दर के कारण पैदा हुई थीं। इनके अतिरिक्त अधिनियम की आदेशात्मक धारा वी मन्दादली बहुत ही खुटिकूर्ण थीं जिसमें कर की बायंकरहो वा क्षेत्र भीमित हो गया था। इस बढ़ का प्राप्त अव नये सिरे से तंगार किया गया है ताकि यह कर, इस बात की परवाह किए जिया कि अब वे निए रख्या कहा से आया, 36000 रुपये से अधिक के कुछ बायिंग व्ययों पर लागू किया जा सके।' वित्तमन्त्री ने यह आवश्यक समझा कि आयकर की दरों को गिराकर व्यय कर की दरों में परिवर्तन करने दोनों में सुधारि उत्पन्न थी जाए। अब उन्होंने छूटों और बपवादों को कम करके 12000 रुपये के त्रिमित नहों के लिए दरों को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया। परन्तु इस कर से बहुत कम आय प्राप्त होने के कारण तथा करदानाओं की अधिक कठिनाइयों के अनुभव होने के कारण श्री चौधरी न अपने इस कर को फिर समाप्त कर दिया।

भारत में कराधान का ढाँचा

जब करनीति का मुख्य उद्देश्य निजों और सार्वजनिक विनियोग को प्रोत्साहन देना होता है तो कर के ढाँचे के पाइचात्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए विभिन्नति किए गए परपरागत नियम अविकल्पित देशों में पूर्णतया लागू नहीं हो सकते। थीमती हिक्स ने इस सबध में कहा है, 'यह तो स्वाभाविक है कि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कर के ढाँचे वीरूपेरेखा एक परपरागत अल्प विकसित देश में हमारे जैसी काफी आधुनिक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा बहुत भिन्न होगी।'¹ भारतीय कर जात्यायोग ने उन उद्देश्यों का उल्लेख किया है जिन पर भारत जैसे देश के लिए कर ढाँचे को आधारित करना चाहिए। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं (अ) वितरण में सुधार, (आ) सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा, (इ) निजी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि, और (ई) अर्थव्यवस्था में स्थिरता का बढ़ावा। ये उद्देश्य अपने अपने न बेबल अपवाद रहते हैं अपितु ये नई प्रकार से ऋग्वद आर्थिक विकाम व प्रगति की प्रतियोगी में महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं।

परंतु हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कराधान का सर्वोत्तम ढाँचा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहा तक सहायता सिद्ध हो सकता है। कुछ उद्देश्य पारस्परिक विरोधी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक और अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक समानता की ओर बढ़ने और दूसरी तरफ उद्यम को दी जाने वाली प्रेरणाओं वो बनाए रखने एवं उनके विकास के बीच अलविरोध हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि कराधान की सरचना में विभिन्न उद्देश्यों का सापेक्षिक महत्व क्या हो? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि विभिन्न उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताओं के निर्धारण में अर्थव्यवस्था की मूलभूत आवश्यकताएं, उसके विकास की अवस्था और दुष्ट सीमा तक प्रचलित आर्थिक स्थिति सभी तरत्व प्रविष्ट होते हैं।

अप्रत्यक्ष वरों पर आर्थिक निर्भरता

हमारी अर्थव्यवस्था की बुद्धि विचिन्ताओं के कारण बचतों को प्रोत्साहित

¹ Ursula K. Hicks 'Direct Taxation and Economic Growth', Oxford Economic Papers, Vol. VII, No. 3, October 1956, p. 303

करते हैं जिए अप्रत्यक्ष कर दी सहायता सी जाती है कर्मेति योजनाओं औ जारी-निवारण करते हैं कारप नापारप व्यक्ति जी लाय में बृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष उचितीपद इन सोमों की वचतों को बढ़ाने में सहायता होता है। इन्हीं वचतों जा उन्होंने जागायी विकास ने होता है। यह ही नहीं, नियन दर्शन पर यादेजनित व्यव औ पहले की अपश्च अधिक होता है जो उनकी जार्यिति में सुधार लाता है। इसनिए लाय तथा व्यव जो दृष्टि में रखते हैं न्याय वो अद्वार में लाने का प्रयत्न किया गया है।

समाजवादी सिद्धात पर आधारित कराधान

यह सच है कि लाय व धन की असमानताएँ बल्व विभिन्न अर्थव्यवस्था औ उल्लेख-नीय विभिन्नताएँ मानी जाती हैं। असमानता के गुण मूलभूत लोगों को एक नियन्त्रित उद्देश्य में धीरे-धीरे मिलाकर ही समानता की ओर चलना होता है। वर प्राप्ती इन तथ्य ने स्वीकार करते इन प्रतिना में नियन्त्रित रूप से सहमता दे सकती है। भारत में समाजवादी समाज की स्थापना, धन कीर लाय के द्वितीय की असमानता को दूर करते पर वक्त देती है। सारतोंद उद्वार प्रारन्त के द्वारा कराधान के दर्जे ने इस रूप ने दोषी रही है कि वह समाजवादी उमाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता देते। 1971-72 के दृष्टि में जो वर प्रस्ताव देता जिए वह ही के उन सोगों को उपयुक्त प्रतीत नहीं हो सकते हैं जो नापारप लोगों की नुकता के विलायिता का जीवन व्यक्ति करते लाए हैं तथा जिनकी लाय औसुत व्यक्ति की अपेक्षा दृढ़ अविक्षित है। 1956 के नये वर प्रस्तावों ने द्वारा जी इस दाता का प्रयत्न किया गया है कि धन का केंद्रीयकरण कम हो और लोगों के सभ्य दिनानत आर्थिक विषयता छठा। छठे कराधान से जीवी लाय बातों को बाल करते जो इस पर जो प्रेरणा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको प्राप्त करान्ता कर दहा जाता है। वर देव सामर्थ के अनुसार कराधान का नियन्त्र

अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों की भावि इस लीद में भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के निए उपसुक्त होने वाली धारणाएँ उभी-इसी अन्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भी लागू वर दी जाती है। ऐसी ही एक धारणा वर देव सामर्थ के द्वारा कर लगते ही है। प्र० ५० लाह० एन० प्रार० वे नियन्त्रण के रूप में रहते हैं, 'वर दाता' मूलत वर देव सामर्थ मिलात पर आधारित होता चाहिए।'¹ 'लाय और धन पर वापी आगे ही कराधान के जीसी भी प्रस्ताव के समर्थन में भी इस धारण का नुगमनापूर्वक प्रयोग किया गया है।'² उदाहरण के निए, जहाँ 1959 में जारी के

1 P. N. Bhagwati 'India's Public Finance', (1970), Oxford University's L.L.P. 49

2 नशीलारामप नामूरन का (बनुदातक और मध्यांतरी) कराधान : ए. नेहारिड विवेचन, (1966)-सामाजिक विज्ञान हिसी रचना बृद्ध, यान्त्रिक विज्ञविद्यात्मक, नवपुर, पृ० 147

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में धन पर लगाए जाने वाले नये वर की वर देय सामर्थ्य से आधार पर न्यायोचित ठहराया। उन्होंने कहा था, 'यह स्वीकार किया जाता है कि प्रबलित आयकर बानून और व्यवहार के अनुमार आय की जो परिभाषा दी गई है वह वर देय सामर्थ्य का पर्याप्त माप नहीं है और आय पर कर लगाने की प्रणाली के साथ-साथ धन पर आधारित वराधान भी होना चाहिए।'¹

इस सदर्भ में एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या भारत में वर का ढाचा लोगों की आय और धन के ढारा मापी जा सकते वाली 'वर देय सामर्थ्य' पर आधारित है। परपरागत हृष म अर्थशास्त्री आय को कर देय सामर्थ्य का आधार मानते आए हैं क्योंकि आय ही किसी व्यक्ति को व्यय शक्ति प्रदान करती है। 'एक व्यक्ति जो स्वयं तथा अपने कुटुंब के लाभ हेतु व्यय शक्ति रखता है उसका एक मान उस समुदाय को बढ़ावा एक बड़े कुटुंब से, जिसका कि वह स्वयं भी एक सदस्य है, आवस्यकताओं को पूरा करने के लिए देना चाहिए।'² इस वृच्छि में पूजी में भी व्यय शक्ति निहित होती है। आय एक प्रवाह है तथा पूजी एक ऐसी निधि है जो आय के प्रवाह का स्रोत बनती है। आय प्रवाह की तुलना में ऐसी विशेष निधि का स्वामित्व उसके अधिकारी को यह विशेष लाभ प्रदान करता है कि स्वाटकालीन समय में आय की समाप्ति पर वह इसको व्यय के हृष में प्रयुक्त कर सकता है। इस प्रकार पूजी एक इथाई निधि है जबकि पूजी से प्राप्त आय अस्थाई आय है। वहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जितनी व्यय शक्ति का प्रयोग करता है, वह व्यय शक्ति उसको कर देय सामर्थ्य का उपयुक्त संकेत होता है। जो व्यक्ति व्यय शक्ति का अधिक प्रयोग करता है उसे अधिक कर भी अदा करना चाहिए। यदि वह व्यय शक्ति को स्थगित करता है, अर्थात् बचत करता है तब उस पद पदने वाले वराधान को भी स्थगित कर देना चाहिए। जब इस स्थगित व्यय शक्ति अर्थात् बचतों को व्यय में प्रयुक्त किया जाए तभी उसका वरारोपण होना चाहिए। जब उसका स्वामी व्यय शक्ति का उपयोग नहीं करता तब वह उसका केवल एक प्रतिहारी है, उसकी बचतें समुदाय के उत्पादक स्रोतों में बृद्धि दरते हैं। 'यदि व्यय शक्ति के स्वामित्व की भ्राति उसके झूठे अभिमान वी पुष्टि करती है तो उसको उसी भ्राति में ही जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।'³

ऐसा प्रोत्साहन उस पर वर न लगावर ही दिया जा सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यय शक्ति का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे अवश्य करारोपित किया जाए। अगर तभा पूजी के कराधान के महायक के हृष में व्यय कर का

1. Government of India, Ministry of Finance Finance Minister's Speech, May 15, 1957, pp 11 and 12.

2. R N Bhargava op cit , p 50

3. R. N. Bhargava op cit , p 53

मही वौचित्य है जिसे भारत ने अपनाया था परतु प्रशासनिक हठिनाद्यों के कारण उसको छोड़ना पड़ा ।

विवासु वार्षिकम के अनुकूल कर प्रणाली

देश के विवास वार्षिकम के लिए वित्त प्रबार की बर प्रणाली चम्पुक होती, इस विषय पर भी विचार करना कामग्रन्थ है । 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय वा 6.6 प्रतिशत भाग बर के न्य में बनूल दिया गया था । 1965-66 में यह प्रतिशत बढ़कर 14 तक पहुँच गया है । यह प्रतिशत बुढ़ा बल्ल विचित्र देखो वी नुसना में बहुत बम है । उदाहरणार्थ 1954-55 में दसों में बर-बनूली राष्ट्रीय आय वा 15 प्रतिशत तथा श्रीलक्ष्मा में 17.7 प्रतिशत रही है । मगि हम अपनी विकास वोजनाओं के लिए वर्णित भाज्ञा में वित्त प्रबार बरना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय आधारित पर बर बनुपात बो दटाना होगा । बह बर प्रणाली जो बुल मिशकर विनियोग और बचत की दृष्टि ने पूर्वोन्तर बो दटावा देती है, एक आवश्यक तत्त्व की पूर्ति बरनी है ।

हमारी नामांजिक नीति के उद्देश्यानुसार अतिरिक्त आय साधारण व्यक्तियों तक पहुँचनी चाहिए । यह दे व्यक्ति है जो उच्च बरने के आदी नहों हैं । एन-स्वरूप जो अतिरिक्त आय इन्हें प्राप्त होती वह आंगिक स्प में 'प्रदर्शन प्रभाव' के द्वारा व्यव बर दी जाएगी तथा आंगिक स्प में इसकिए भी, ज्ञोकि उनका रहन-भहन का न्तर पहले मे ही बहुत नीचा है । यह हम भनी-नाति छानते हैं कि उपभोग वी प्रवृत्ति निधन दर्य में तीव्र होती है और परिणामस्वरूप विनियोग बम होता है । इसकिए बर प्रणाली का जामान्य उद्देश्य उपभोग बो नियन्त्रित बरके बचत ब विनियोग की प्रोत्त्वाहित करना है । इस भद्रमें बपत्रक्ष करों वा नहत्त्व प्रवृद्ध होता है । चेत्रीय नरकार द्वारा आयारों तथा निर्भतों पर करारेषण, ज्यारार-नियवण तथा विदेशी विनियम की रक्षा का प्रभावगामी यन्त्र है । बवनूलन की घटना तथा बीख्यानुद्ध वे उपरात मूल्यों में भारी बृद्धि हुई है । आवरिक मूल्य-बृद्धि बो रोकने के लिए विभिन्न परोक्ष बर्यों की सहायता ली गई । अतिरिक्त नियन्त्र बरों द्वारा नरकार ने दहूत ही योग्यतापूर्ण आतरिक मूल्यों को दाहु मूल्यों के पृथक रखा है । न्यतवत्ता के परमार उपभोग बो नीमित बरने के लिए उन्नादन शुल्क में भी आशानीत बृद्धि हुई है । चेत्रकाशाल में बन्नुकों तथा सेवाओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष बर्यों में 451 प्रतिशत की बृद्धि हुई है । बुल बर-न्यतवत्त में बपत्रक्ष कर का अनुपात 1950-51 में 70 प्रतिशत ने बढ़कर तन् 1965-66 में 77 प्रतिशत हो गया । जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि साधारणतु, अन्यत्र बर्यों का नहत्त्व नपत्ति एव जाप के अन्यान वित्तरण को दूर करने में होता है, वही विनाउ के प्रारभिक बरण में अप्रत्यक्ष बर्यों का नहत्त्व उपभोग जो प्रवृत्ति पर आवश्यक अहुद नगाना होता है ।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर

वर प्रणाली के ढाढ़े पर विचार करते समय प्राय एक प्रश्न यह उठाया जाता है कि कर प्रणाली में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का समेकिक स्थान क्या हो। यहाँ पर यह बहुना अप्राप्तिगत नहीं होगा कि समग्र रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के विसी विशेष अनुपात वा कोई विशेष महत्व नहीं होता। यदि हमें वर प्रणाली से अधिक आय प्राप्त करनी है तो स्पष्ट है कि वर की ऊची दरें और करों का अधिक विस्तृत खेत दोनों समान रूप से आवश्यक हैं और आय की वृद्धि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों पर फैली हुई होनी चाहिए।

प्रथम तीन योजना काल में आयकर, व्यय कर, सर्पति कर एवं पूजीगत लेन-देन पर वर आदि प्रत्यक्ष करों में 265 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हुई बिन्दु
कुल वर-राजस्व में उनका अनुपात 30 प्रतिशत से घट कर 23 प्रतिशत रह गया।
दूसरे शब्दों में कुल राजस्व कर प्रत्यक्ष करों द्वारा प्रदत्त राजस्व कम हो गया।

एक अनुमान के अनुसार भारत में 450 व्यक्तियों में से बेदल एक व्यक्ति पर ही आयकर लगाया जाता है।¹ इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजस्व की प्राप्तियाँ को बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया जाए। यह ही नहीं आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की सबसे अधिक जटिल समस्या वर बचत की है। वर बचत की बदलावान राशि वा अनुमान लगाते हुए बाचू आयोग ने स्पष्ट किया कि लगभग 1400 करोड़ रुपये की आय पर लोग कर नहीं देते हैं। इसलिए आयकर के अतिरिक्त प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करने के उपरात भी परोक्ष कराधान पर निर्भर रहना पड़ा है तथा उत्पादन शुल्कों व राजकीय विक्री करों में विस्तार दिया गया है।

अब तो नवीन बहुमुखी वर-ढाढ़े को रखना द्वारा करदाता भी दिशाओं से पिर जाता है। यदि वह आय अर्जित करता है तो उसे आयकर अदा वस्ता पड़ा है। यदि वह व्यय करता है तो वह व्यय कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों के चूगल में आ जाता है। यदि वह सचय करता है तो घन के वार्दिक वर का विचार होता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती तब उसकी जायदाद सर्पति कर के अधीन करारोपित हो जाती है। इस प्रकार कर निर्धारिती अपनी आय तथा पूजी को विसी प्रवार भी व्यवहार में लाए बहु कर के बगुल से नहीं बच सकता। ऊपरी रूप से वर-धान की ऐसी प्रणाली प्रतिहिसत्मन अपहरण रखती हुई प्रतीत होती है परन्तु खास्तव में ऐसी बहु कर प्रणाली न्याय की इष्ट से आवश्यक है। यद्यपि के प्रत्यक्ष वर व्ययकृति के व्यवहार पर कर है। सर्पति वर, व्ययकृति के उपार्जन पर कर है। व्यय वर, व्ययकृति के व्यवहार पर कर है। सर्पति वर, व्ययकृति के हस्तातरण को करा-

रोपित करते हैं। ऐसी कर योजना, वार्ष, नाटक तथा बच्चे के दिन हमनि पहुँचाए तभान राजस्व जुटा सकती है और उम्र ही प्रेरणादात्रक भी चिढ़ होती है॥

भारतीय कर-दाते में दोष

कराधान के दाते के सदृश में कोई स्थाई विचार प्रकट नहीं दिया जा सकता। सपुत्र तथा स्थिति को देखते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए। यही बारप है जिसी देश की भी कर प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं कही जा सकती। भारत की कर प्रणाली में भी कुछ दोष हैं। मुख्य दोषों का वर्णन नीचे किया गया है।

(1) इराधान का अद्वितीय दाता भारतीय कराधान का दाता जिसी वैद्वनिक आधार पर भित्ति नहीं है। उत्तमान कर प्रणाली का जन्म तथा विस्तृत वेबन समय-समय पर दत्तन्त्र होने वाली आर्थिक वित्ताधारों को दूर नहीं है उद्देश्य से दिया गया है। वजट में सत्तुत्त्र ही एवं जात्र विचारणीय विषय रहा है। उत्पादन पर करों का क्या प्रभाव पढ़ता है, इनका वरापात्र कौन चहन करता है, इन तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं दिया गया। यही कारण है कि विभिन्न करों में न तो नमन्वय है लौर न ही के एक-दूसरे के पूरक है।

(2) सोच का अभाव : भारतीय कराधान की सरचना में आब भी सम्पूर्ण चित भोच का अभाव है। देश की कर व्यवस्था आर्थिक नितिविधियों से इन प्रकार उद्धित होनी चाहिए कि आर्थिक विकासों में तथा राष्ट्रीय आब में बूढ़ि के सामाजिक राजस्व में भी बूढ़ि हो। इत्य हिंट्कोप से हमारी कर प्रणाली निरूपजनक नहीं कही जा सकती। पर्याप्त सोच के अभाव के कारण जामानिक मेवाओं और विकास वालों पर कड़ते हुए व्यवय के अनुरूप सरकार कर्त्तव्य आब को बढ़ाने में असमर्थ रही है। अब देश स्वयं स्वृति-विकास के सक्षम की ओर उन्नत है लौर यहा प्रणितिशील कर प्रणाली जो स्वीकार किया गया है यहा कर की सोच इच्छा के विकास होनी चाहिए, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है।

(3) प्रतिगामी कर प्रणाली : हमारे कराधान के दाते में एक अन्य दोष यह है कि द्वितीयों पर कर का भार व्य तथा निर्वातों पर अधिक है। कुछ प्रत्यक्ष करों को छोट्टकर अधिकार वर प्रनिलग्नी हैं। उत्तरार दत्तन्त्र वर्तों की तुलना में बहुत करों अधिक अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रहती है। कर जात्र लगानी के अनुभार 1953-54 में तुल आप का 24 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों के प्राप्त हुका। परिणामन्वयन देश में निर्वातों तथा अप्रत्यक्ष आप वर्ग के व्यक्तियों पर कर का भार अधिक बढ़ा है। प्र०० के० टौ० शाह के शब्दों में, 'घनिष्ठ वर्ग अपेक्षाकृत हस्ते भार के साथ बच जाते हैं' यथारि इन भार को सहन करने की उन्हीं तुलना अनेकाहुत

अधिक है, जबकि निर्धन वर्ग जो इस भार से बच नहीं सकते उनकी स्थिति एक मैमने जैसी है।'

(4) राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व का न्यून भाग : भारत में राष्ट्रीय आय में कुल कर-राजस्व का अनुपात लगभग 12 प्रतिशत है। यह अनुपात अन्य देशों की तुलना में, जिनमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश भी सम्मिलित हैं, बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस कृपि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है उसका बहुत कम भाग करारोपित होता है। दूसरा मूल कारण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग मुद्राविहीन है जिससे यह भाग करारोपण के प्रभाव से बच जाता है।

(5) कराधान के ढाँचे में बारंबार परिवर्तन : भारतीय कराधान के ढाँचे की एक निर्वलता यह भी है कि इसमें बारंबार परिवर्तन किए जाते रहे हैं। मेरे परिवर्तन इन्हें अधिक होते हैं कि सोग यह समझने से गए हैं कि कर अधिनियम को पूर्णतया परिवर्तित करने के लिए ही वित्त अधिनियम वा प्रयोग किया जाता है। ऐसे परिवर्तन के बीच दरों तक ही सीमित नहीं रहते अपितु कर योजना को भी अपनी लेपेट में ले लेते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा इस बदल की पुष्टि की जा सकती है। 1964-65 के बर्य में अधिक लाभकर लगाया गया था परन्तु अगले बर्य ही उसका प्रतिस्थापन कपनी कर से कर दिया गया। 1963 में अनिवार्य बचत योजना का जारी करना भी जटिलाजी का परिणाम था क्योंकि विधानमंडल को सीलिंग योजना में अनेक परिवर्तन लाने पड़े थे। प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस योजना को पुनर परिवर्तित करके केवल आय करदाताओं तक सीमित कर दिया गया और अत में एक बर्य के पश्चात समाप्त ही कर दिया गया। 1964 में किर इस योजना वो नये सिरे से बार्पकी बचत योजना वा रूप दिया गया। फिर 1966 में यह योजना 15000-25000 हॉ की आय-सीमा के कर-निर्धारिति के लिए ऐच्छिक कर दी गई और 14 सितम्बर 1967 की विज्ञप्ति के अनुसार इस बर्य के लिए पुनर अनिवार्य कर दी गई। ऐसे बारंबार परिवर्तन साहसी एवं विनियोग बर्य में मनोर्ध्वजानिक विषय उत्पन्न करते हैं वथा साथ ही पूजी बाजार को घस्का पहुंचाते हैं।

सुझाव

यद्यपि भारतीय कराधान के ढाँचे में न्यूनाधिक रूप में उपरोक्त दोष पाए जाते हैं, तथापि देश जिस सुवर्ण काल से गुजर रहा है तथा जिन कठिनाइयों के बावजूद आधिक विकास की ओर उन्मुख है, उसे इटि में रखते हुए कर ढाँचे में तुरत हेरफेर करने की आवश्यकता है। वरों की दरों तथा योजनाओं वे बारंबार परिवर्तन ने बरारोपण के ढाँचे वो हास्यप्रद बना दिया है। यह आवश्यक हो गया है किसी भी बर्य-योजना को व्यवहार में लाने से पूर्व उसके प्रभावों एवं जटिलताओं

ना विश्लेषण सोच-समझन किया जाए। यह उचित ही होगा कि आय के बरारोपण की दरें आयकर अधिनियम में ही सम्मिलित की जाए और आपत्तिकाल को छोड़कर पाच माल ने यूंके हनमे परिवर्तन लाने की चाहा न की जाए और जहां तक ममता हो ये परिवर्तन योजनाकाल से मेल खाते हुए हो। स्थाई कर की दरें विनियोग जी योजनाओं तथा माहौली वर्ग में विश्वास उत्पन्न करने में यहायक गुह्य हो सकती है, विशेष रूप में ऐसी प्रयोजनाओं के वित्तीय मामलों में जिनको गर्भाचारी लची होती है।

हम भली-भाति जानते हैं कि प्रत्यक्ष वर्ते ने प्राप्त आय की लोक बहुत यम होती है। हमरे जटिलों में, राष्ट्रीय आय में बृद्धि होन पर, प्रत्यक्ष वर्ते की प्राप्तियों में आनुपातिक बृद्धि नहीं होती। जो ० एस० भहोता की पणना के अनुपार भारत में प्रत्यक्ष वर्ते की लोच केवल ० ६७४ है। इसलिए विकास के कार्यक्रमों को नफल बनाने के लिए अप्रत्यक्ष वर्ते द्वारा अधिक धन जुटाने पर दल देने की आवश्यकता है। हम यह जानते हैं कि अप्रत्यक्ष वर्ताधान वर दाने को अमान्य-पूर्ण बनाना है और आर्थिक विकास का भार जनमाधारण को सहन करना पड़ता है, परन्तु इससे कोई दबाव सभव नहीं है।

डॉल्टर हैनर ने इस नदर्म में लिखा है, "...आर्थिक विकास के लिए पूजी-निर्माण के माध्यन के रूप में अपना कार्य करने में करनीति आधारभूत दुविधा में उलझी है। एक और वर्ताधान के क्षेत्र में है और उन विनियोजन के माध्यन्को को जुटाए जो अन्यथा ठिन-भिन हो सकते हैं। हमरी ओर कर जिन्हें नीचे होगे, निजी विनियोजनको को इस बात का उतना ही अधिक प्रोत्ताहन मिलेगा कि के कृपि तथा जीयोगिन विकास में विनियोजन से सुबद्ध आय के प्रति जोखिम उठाए। इस तथ्य में दुविधा और बढ़ जाती है कि कर जो अधिक पूजी-निर्माण के लिए आर्थिक विकास ने होने वाले लाभों के बड़े भाग को प्राप्त करने में सफल रहते हैं, के बही हैं जो निजी विनियोजन के प्रतिफलों को भी प्रभावित नहर सकते हैं। क्योंकि के वर आय के परिमाण ने साथ-साथ सीधे परिवर्तित होते हैं और प्रगामी रूप से बढ़ते हैं जो विकास के लाभों को खण्डन करने में अधिक प्रभावणाली है। (बीत सामान्य रूप में न्याय-मान्य के आधार पर प्रायमिकता देने योग्य है) किर भी ये के कर हैं जो सीमात प्रबल तथा जोखिम लेने की किया को प्रभावित कर सकते हैं।"

वर्ताधान के दाने में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जो अतिरेक जुटाए और साथ ही उसका परिमाण बढ़ाए। प्रैर० चैतेया का मत है कि अल्प विवित देशों में, राष्ट्रीय प्रदा के आधे से अधिक का योगदान कृपि प्रदान करती है, और

I. 'U. N. Taxation and Fiscal Policy in Under-developed Countries', p. 10

उसका अधिकांश भाग भूस्वामियों, व्यापारियों तथा मध्यस्थों को प्राप्त होता है। यही आर्थिक अतिरेक है जो कि वास्तविक चालू प्रदा तथा वास्तवित चालू उपभोग का अतर है। यह आवश्यक है कि विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अतिरेक का बड़ा भाग उत्पादक क्रियाओं में लगाया जाए। भारत में भूस्वामिया, व्यापारियों और मध्यस्थों की आदत इस अतिरेक को अनुत्पादक दशाओं जैसे स्वर्ण, भू-सपदा, सहृदयी की क्रियाओं और विगिष्ट उपभोग में लगाने वी होती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि मिचाई निर्माण कार्य, बाइनियन्न व्यवस्था इत्यादि जैसी विकास परियोजनाओं के वित्त प्रबंधन के लिए सबधित भूमि कर, इपि आयकर तथा विगिष्ट कर निर्धारण तथा सुधार कर (betterment levy) के माध्यम से इस अतिरेक को ऊटाए। प्रो० कोल्डार ने भी इसका नम्बन करते हुए बहा है, 'किसी न किसी स्पष्ट मुद्रिय पर कराधान आविक विकास के त्वरण में विशिष्ट कार्य करता है।' भारत सरकार ने 1973-74 के बजट में पहली बार इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा इपि आय को किसी अंतर्गत जायकर के लपेट में ले लिया है।

सच पूछा जाए तो कराधान, हमारे जैसी अर्थव्यवस्था में जहा उपभोग की प्रवृत्ति सामान्यता ऊची है वचत व विनियोग की कुल मात्रा में वृद्धि करने का एक प्रभावपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूजी सचय में वृद्धि करने का सम्भवतया एकमात्र प्रभावशाली उपाय यह हो सकता है कि राज्य निजी उपभोग में सार्वजनिक विनियोग में साधनों के हस्तातरण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। इससे यह निष्पर्ण निवलता है कि कराधान का जो दाचा इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक न्याय संगत और उपयोगी होगा वो प्रत्यक्ष व परोक्ष कराधान का एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें उचित विविधता पाई जाएगी और जो उपभोग से सार्वजनिक विनियोग की ओर वित्तीय साधनों का हस्तातरण ऐसे ढग से बरने का प्रयत्न करेगा जो विकास कार्यक्रम के अनुकूल हो। अत कराधान के दाचे में गहनता व आपकता दोनों पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। विलासिता अथवा अर्थ विलासिता की वस्तुओं पर अतिरिक्त वर लगाने के साथ-साथ अपेक्षाकृत नीची दरों पर जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर व्यापक ढग से वर लगाने वी भी आवश्यकता है। प्रत्यक्ष कराधान के थोक में वैयकित आयकर की ऊची दरों के साथ उस आय पर भी छूट देनी चाहिए जो बचाई अथवा विनियोजित की जानी है। अह में यह कह जा सकता है कि वह कर प्रणाली जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संवेद्येष्ट मिल हो और जिसमें विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक साधनों का आयन रखा जाए, उसे निजी थोक में होने वाले विनियोग में यथासम्बव अधिकतम बमी करने सार्वजनिक थोक को उपलब्ध होने वाले विनियोग के साधनों में वृद्धि करने में समर्थ होना चाहिए।

मुनर सरकारी तथा गैर सरकारी उधार म प्लन का एवं उपयोग से दूसरे उपयोग की ओर स्थानातरण होता है।

फिर एवं निजी उधार लेने वाला ऋण की अदायगी उस समय तक नहीं वर सरता जब तक वि वह अपने उधार की धनराशि का नाभपद रोति में उपयोग न कर से। इसी प्रकार सरकार भी अपने उधार को ऐसे बायों म प्रयुक्त करती है जिससे सरकारी ऋण की वापसी का प्रवर्ध हो सते।

जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो वह रकम को अपने लिए ही यज्ञ करता है किंतु जब सरकार उधार लेनी है तो वह धन सपूण समाज के लिए यज्ञ करती है। पिर जब कोई व्यक्ति अपनी ऋण वापिस करता है तो उसकी वापसी का भार वह स्वयं ही उठाता है किंतु जब सरकार अपने ऋण की अदायगी करती है तो वह कराधार के द्वारा करती है अर्थात् उत्तम। भार सपूण समाज अथवा राष्ट्र द्वारा वहने दिया जाता है परतु यहाँ रुचिवर बात यह है कि उधार लेने वाला जो कि सरकार से ऋण की अदायगी प्राप्त करता है उस अदायगी के लिए परा दे रहे स्वयं अर्शदान भी देता है।

गैर सरकारी ऋण मे उधार देने वाला देते समय प्लन का त्याग करता है और उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा यर्च लिए गए धन से उसे कोई लाभ नहीं पहुचता। दूसरी ओर सरकारी ऋण मे चूंकि सरकार द्वारा लिया उधार धन सपूण दृष्टि म समाज के लिए यज्ञ लिया जाता है अतः उसे उधार देने वाले को भी नाभ पहुचता है इसलिए यह यहाँ जाता है कि जब कोई व्यक्ति सरकार को उधार देता है तो वह स्वयं को ही उधार देता है।

इसी प्रकार यहा उल्लेखनीय बात यह है कि जो व्यक्ति सरकार को उधार देता है वह अच्छी स्थिति म भी रहता है और साध-ही साध कुरी स्थिति म भी। अच्छी स्थिति म इसलिए रहता है क्योंकि उसे मूलधन वी वापसी तथा ब्याज वी अदायगी म स्वयं भी हिस्सा देना पड़ता है। ऐसी विशेषता निजी ऋण म उत्पन्न ही होती है।

सरकार समस्त विश्व मे वही से भी उधार ले सकती है जबकि एवं निजी व्यक्ति अथवा निगम वेवन देश के अदर से ही उधार ले सकता है। निजी व्यक्ति उपयोग बायों के लिए भी ऋण ले सकता है किंतु इसने विपरीत सरकार सामायत वेवन उत्पादनीय कायकमो की वित्तीय व्यवस्था के लिए ही उधार लेती है। इसे अतिरिक्त सरकारी ऋण की सुनना म गैर सरकारी ऋण के ब्याज की दर साधा रणतया छाँची होती है क्योंकि व्यक्तियों वी अपेक्षा सरकार की साधा तथा ऋण वापसी वी धमता अधिक मानी जाती है।

सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण

एवं मामान्य तथा प्रचलित वर्गीकरण के अनुगार मामजनिक ऋण को निम्नलिखित भागो मे बांटा जा सकता है।

(1) आतरिक एवं बाह्य कृष्ण

आतरिक कृष्ण उम मरकारो कृष्ण को कहते हैं जो देव के बदर में ही लिया जाता है जबकि बाह्य कृष्ण विदेशी सरकारों, विदेशी व्यक्तियों अथवा बहुराष्ट्रीय राधाकीर्ति में लिया जाता है। यद्यपि बाजकल बाह्य कृष्ण बहुत प्रचलित होता जा रहा है, जिसके फिर भी इसके विरुद्ध ममान्य पूर्वांगृह पाया जाता है जो कि अज्ञानता एवं दोषपूर्ण जारीकर दिचारों पर आधारित है।

(2) कोपित एवं अकोपित कृष्ण

कृष्ण जब एवं निश्चित समय के लिए होते हैं तो उनकी पूर्ण देव व्यवधि होती है, अन्यथा नहीं। जिन कृष्णों के मृगतान वरने की निश्चितहोतीश्चीर्णों, उन्हें कोपित कृष्ण कहते हैं। इनका मूलधन वापिस वरने का दोष वापिस नहीं होता। केवल व्याज का नियमित (प्राय छमार्द) मृगतान वरने का दार्याद्वय-रहता है। जो कृष्ण अत्यत दीर्घकालीन होते हैं उन्हें भी कोपित कृष्ण की थेपां में रखा जाता है। इनसे और अकोपित अथवा चालू कृष्ण के होते हैं जिनका न केवल व्याज वरन् मूलधन भी निश्चित व्यवधि के बाद वापिस किया जाता है। पिर भी, यह बर्नीकरन एवं दम मूलिश्चित नहीं माना जाता है। कालदं वे अनुभाव कोपित और अकोपित कृष्णों का वर्गीकरण बहुधा आम होता है।

(3) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कृष्ण

कृष्णों की उनके वापस लिए जाने के समय की व्यवधि के जाधार पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन कृष्णों में बाटा जा सकता है परंतु दोनों कृष्णों के सम्म कोई निश्चित विभाजन नहीं कीची जा सकता। पिर भी दीर्घकालीन कृष्ण के होते हैं जिनकी गोधन तिथि प्राय 10 या इसमें लघिक वर्षों के बाद आती है और अल्पकालीन कृष्ण के होते हैं जिनकी गोधन तिथि प्राय-10 वर्ष से कम होती है। भारत में केवल भरकार द्वारा जारी किए गए बोगागार विभव जिनकी व्यवधि 3 या 6 माह वी होती है, अल्पकालीन कृष्णों के उदाहरण हैं।

(4) शोध्य एवं अशोध्य कृष्ण

शोध्य कृष्ण के होते हैं जो भविष्य में एवं निश्चित व्यवधि के उपरात देख होते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण नमय के जाधार पर दीर्घकालीन, नम्बकालीन तथा अल्पकालीन भी हो सकते हैं। कर का भार इन कृष्णों में बट जाता है करोंकि व्याज और मूलधन दोनों ही सौटाने होते हैं।

अशोध्य कृष्ण के कृष्ण होते हैं जिन्हें चुकाने के लिए बचन नहीं दिया जाता है परंतु जिन पर एवं निश्चित दर में भरकार द्वारा व्याज दिया जाता है।

अशोध्य कृष्ण का भार माझी पीड़ियों पर पड़ता है और अशोध्य कृष्णों का बर्तमान पर। अशोध्य कृष्णों को उन वायों के लिए केना चाहिए किसे निरतर

आप प्राप्ति होती है ताकि उसके व्याज वा शोधन सुविधापूर्वक किया जा सके। शोध्य अर्थ को स्थाई या अस्थाई तथा अत्पकालीन अर्थ मी कहा जाता है। वास्तव म शोध्य व अशोध्य अर्थ मोटे तौर पर दो बगों में बाटे जा सकते हैं—स्थाई तथा अस्थाई। इन अर्थों के अपने-अपने गुण-दोष होते हैं। जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

स्थाई अर्थों के गुण : (अ) स्थाई अर्थों वा सरकार भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस व्यापक विनियोग के लिए वे अर्थ उचित होते हैं। चूंकि इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है इसलिए नागरिकों पर इनका तत्वात् भार नहीं पड़ता है।

(ब) ये न्याय समग्र होते हैं क्योंकि इनका भार भावी पीढ़ी पर भी ढाका जा सकता है।

(स) ऐसे अर्थों को लेने से सरकार वो बार-बार अर्थ लेन वी आवश्यकता नहीं होती है।

(द) स्थाई अर्थ वैवी, विनियोग स्थायी तथा धीमा नियमो वादि को विनियोग करने के लिए प्रोत्तमाहित करते हैं।

(ए) व्याज दर नीची होने पर ऐसे अर्थ उचित होते हैं।

(फ) दीर्घकालीन बलने वाली आवश्यकों के लिए उपयुक्त होते हैं।

(ग) अद्वितीय राष्ट्रों के विकास के लिए ये अर्थ अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं।

दोष (१) जब सरकार अस्थाई अर्थों को लेने को नियमित व्यवहार करा लेती है तब इनका अस्थाई स्पष्ट बदल जाता है और सरकार के अर्थ कभी भी समाप्त नहीं होते।

(२) ये अर्थ सरकार वी भाव पर प्रतिकूल प्रभाव ढालते हैं इसलिए भविष्य में अर्थ प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

(३) ये अर्थ उद्योग घटो तथा उपयोग के लिए विनियोग को प्रोत्तमाहित नहीं करते।

(४) अस्थाई अर्थों पर ग्राम वानूनी प्रतिवधि न होन से उनके भुगतान के लिए अधिक नोट नियमित किए जाते हैं जिससे देश में मुद्रा प्रसार वी स्थिति था जान से जनता को ऐसे अर्थों वा अत्यवधि वास्तविक भार बहन करना पड़ता है।

(५) उत्पादक एवं अनुत्पादक अर्थ

सरकारी अर्थ को उत्पादक तब बहा जा सकता है जद्यि उस अर्थ के विनियोग से इसी आप हो जानी है जिससे ये अर्थ के केवल वापिक व्याज को ही नहीं चुकाया जाना अपितु दीर्घकाल म मूलधन वी वापसी में भी सहायता

मिलती है। सरकारी अधिकारी एवं दूसरे क्षय में भी उत्पादक कहे जा सकते हैं, सरकार अधिकारी निवार कुछ ऐसी प्रबोजनाओं को चालू न कर सकती है जो उत्पादक अपने ने उत्पादक न हो परतु वे यात्रु के लिए बास्तव में वही उपयोगी ही मानती है। उत्पादक दूसरे के लिए पिछड़े खेत जो जोड़ने वाला रेलमार्ग, इसी द्वेष में अन्यान भी स्थिति को रोकने के लिए सिवाई योजना आदि। इस क्षय में अधिकारी उत्पादक होते हैं।

मार्वरजिलक अधिकारी युद्ध की वित्तीय व्यवस्था के लिए भी लिए जाते हैं। ऐसे अधिकारी युद्धपादक होते हैं क्योंकि इसमें विभी परिस्थिति वा नियोग नहीं होता। ये अधिकारी युद्ध होते हैं तथा सरकार पर इनका जनादर्शन भार होता है।

(6) अनिवार्य एवं ऐच्छिक अधिकारी

अनिवार्य अधिकारी वे अधिकारी होते हैं जो सरकार अपनी राजनीतिक नियोग के द्वारा नागरिकों में दलपूर्वक दलूल करती है और जिनका देना अनिवार्य होता है। इसीमें चार्टर्स प्रधान व शास्त्री ने नेतृत्वीन के राज्य ने अनिवार्य अधिकारी अधिकारी के उदाहरण मिलते हैं।

ऐच्छिक अधिकारी वे होते हैं जिन्हें नागरिक व्यवस्था अपनी इच्छा में देने हैं। सरकार वी जोर ने दोष दबाव नहीं पढ़ता। इन प्रधार के अधिकारी वा आद्य दोनों प्रधार के हो सकते हैं।

(7) क्रम योग्य और अक्रम योग्य अधिकारी

क्रम योग्य अधिकारी प्रतिशूलियों के स्पष्ट में होते हैं जिनको व्यवहार-प्रूर्वक खरीदा व देचा जा सकता है। आजवल अधिकारी के इनी प्रधार के होने हैं। इसके दिपरीत अक्रम योग्य अधिकारी में वे प्रतिशूलिया होती हैं जिनको बाजार में नहीं देचा जा सकता, जैसे टाकदारी के बजत अधिकारी पत्र।

(8) व्याज सहित व व्याज रक्ति अधिकारी

पहली प्रधार में वे अधिकारी नामिलित हैं जिन पर सरकार अधिकारी भी वे निश्चित व्याज की दर पर एक निश्चित अवधि के बाद सौटाती है और दूसरी प्रधार वे अधिकारी होते हैं जिन पर सरकार विभी प्रधार वा व्याज देने का वचन नहीं देती है।

(9) कुल अधिकारी व शुद्ध अधिकारी

विभी भी ननयावरि विशेष में सरकार के जिनके भी अधिकारी होते हैं उन नवके जोड़ को कुल अधिकारी कहते हैं। कुल अधिकारी में वे यदि उस व्यापार को घटा दिया जाए जिनके शोधन के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो जो ऐसे वर्द्धन कह सुन्दर अधिकारी बदला जाए।

सरकार द्वारा अद्धण लेने के कारण

आधुनिक समय में अद्धण इसलिए निए जाते हैं जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों वा सामना विया जा सके ।

(1) बजट घाटों को पूरा करने के लिए

आधुनिक सरकार के पास ऐसा कोई सचित धन अथवा खजाना नहीं होता जिससे कि वह बजट सबधी घाटों की पूर्ति कर सके । सरकार को आधिकार यर्च तो सामान्य बाधिक आय से ही पूरा कर लेना चाहिए । परंतु अनेक परिस्थितियों के कारण यह समव हो सकता है कि बराधान तथा अन्य औषधों से प्राप्त आय वास्तविक व्यय के बराबर न हो । इसी प्रकार कुछ ऐसी अनियोजित सरकारी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि युद्ध वा छिड़ जाना या अकाल पड़ जाना, जिसमें सरकार को अद्धण लेना पड़े ।

(2) मदीकाल को दूर करने के लिए

सांवंजनिक अद्धण के पक्ष में सबसे बड़ा तब्दी यह दिया जाता है कि यह मदी का एक समाधान प्रस्तुत करता है । मदी वी अवधि में आधिकारियाँ वा स्तर नीचा हो जाता है जिससे उत्पादन तथा रोजगार वी मात्रा भी घट जाती है । मदी तथा वेरोजगारी सामान्यत वस्तुओं तथा गेवाओं वी मात्रा में कारण उत्पन्न होती है । वीस जैसे अनेक अर्थशास्त्रियों ने ऐसे अधिकाधिक सरकारी व्यय को बचाना बी है जिनकी वित्तीय व्यवस्था अद्धण के द्वारा वी गई हो, बराधान के द्वारा नहीं । यथोऽपि बराधान तो लोगों वी आय और वस्तुओं वे प्रति उनकी मात्रा दो और वस्तु कर देता है यिन्तु अद्धण वी त्रिया कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालती । इनके अतिरिक्त अद्धण सरकार को इम योग्य बनाते हैं कि वह जनता के पास पड़े अप्रयुक्त धन वा उपयोग कर सके । इन प्रभार वेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी उधार के पक्ष में बाकी ओचित्य विद्यमान है ।

(3) युद्ध वी वित्त व्यवस्था के लिए

तीसरा तत्त्व जो सरकारी अद्धण को आवश्यक घना देता है, युद्ध है । आधुनिक युद्ध इनसे महंगे हो गए हैं कि बराधान के द्वारा प्राप्ता वी गई सामान्य आय युद्ध के वास्तविक व्यय से वस्तु पड़ जाती है । विन्तु बराधान के सबध में यह भय रहता है कि यदि वह अपनी सीमाओं से ऊपर निश्चल जाए तो उत्पादन पर वह हानिकारक प्रभाव ढाल सकते हैं और इस प्रकार युद्ध काल के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य युद्ध को जीतने म धार्याए उत्पन्न वर्त सकते हैं । इनके अतिरिक्त बराधान वी तुलना में लोन अद्धण राजस्व प्राप्ति के लिए एवं गरन रीति है ।

(4) आधिकारिक विकास के लिए

विकास कार्यक्रमों के लिए भी सांवंजनिक अद्धणों वी सहायता की जाती है ।

महा तत्र विचार देने भी अपनी बार्षिक समृद्धि जो बढ़ाने के लिए उथा सार्वजनिक नियमों के अनेक वार्द्धकनों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक लक्ष्य का उपयोग करते हैं। अब विचारित देश, जो अपने प्राहृदिक साधनों को अनुच्छेदन उपयोग करने के लिए प्रदलशील रहते हैं, विचार वार्द्धकनों की विनीय व्यवस्था के लिए उत्तमार्थी दधार जो ही एक विद्या उपयोगी साधन नाहीं हैं।

अनुस विनाम कर

यह एक विचाराभन्त विषय रहा है जिस पर आप में सार्वजनिक करने का जीत-सा साधन योग्य है? बुध विषयान्वितों का यह नहीं है कि इन की विशेष वर विच्छेद होते हैं। परन्तु वार्द्धविविता यह है कि लक्ष्य और वर ऐन-मूलों के प्रतिविनामी न होइर पूरक होते हैं। इन नवनों में हम उन परिमितियों का अध्ययन नहीं जिनमें इष्ट के द्वारा बार प्राप्त बरना या अन्यरोपण द्वारा नाम प्राप्त बरना विचित्र उपयुक्त होता है।

(1) आवर्तक व अनावर्तक व्यय

मुख्यार्थ को अपने आवर्तक व्यय जो पूर्ण उत्तरायण में उत्पन्न होने वाली जाय के द्वारा उन्होंने चाहीए तथा इनके विपरीत अनावर्तक व्यय के लिए उत्तरार्थ को उत्तरा में रूप लेना चाहिए। उन्नुक याप्ति सुध द्वारा प्रतिविनाम अपनी पुनर्ज्ञान एवं नियन्त्रित प्रादूर्भाव इन्होंनियत हैलरमेट ने लिखा है, 'जब कि उम सामान्य उत्तरार्थ उत्तरार्थों पर चालू व्यय जो उत्तरायण द्वारा पूर्य करना चाहिए। ऐने उत्तरार्थी व्यय जिनके द्वारा पूर्णी पावनाएँ नियन्त्रित होती हैं उत्तरा जो प्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न होते हैं। इनके लिए रूप विवरण, उन्नुक होता है। ऐना करने के चौंड़ारण है (३) यदि चालू व्यय उत्तरार्थ आवर्तक व्यय जो पूर्ण उत्तरायण से प्राप्त जाय द्वारा जो जाती है तो वह व्यय के उत्पन्नों कीरद्वय और उत्पन्न व्यय जो रोइते हैं। (४) उत्तरायण में भारी पाठी पर व्याज या भार नहीं पड़ा परन्तु इष्ट द्वारा भावों पीठी प्रभावित होती है। (५) यदि आवर्तक व्ययों के लिए रूप प्राप्त विए जाते हैं तो ऐने लोगों चां बार-बार लेना अनुदिष्टाज्ञक होगा अतएव मुख्यार्थ को आवर्तक व्ययों को पूर्य करने के लिए वर जो ही उत्पन्न उत्तरा चाहिए।

(2) मुख्यार्थीन स्थिति

मुख्यार्थीन स्थिति में जैसे उन्नित, चाट, महानार्थी इत्यादि के मुख्य देश जी विद्यवस्था प्राप्त बन्नन्यस्त हो जाती है। उनी दण में यदि दृष्टि दूर खड़ों को अतिरिक्त वर नगा अरूपा हिता जाएँ तो आउन्नि विशेष जी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐनी मुख्यार्थीन स्थितियों में मुख्यार्थ की अपने विनीय घाटे की पूर्ति दो छूपों द्वाय पूर्य करना विचित्र इचित्र होगा।

(3) आर्थिक विकास तथा उत्पादक उद्योग

आर्थिक विकास तथा उत्पादक उद्योगों की स्थापना के लिए योजनाबद्ध होकर वाय बरने की आवश्यता होती है ऐसे वायों के लिए सरकार को भारी व्यय बरने पड़ते हैं। इनकी पूर्ति बरोदारा नहीं की जा सकती। ऐसे ही एवं अत्यधिक विकासित देश में सरकार को अनेकों लोकोपयोगी सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं। जैसे रेल व सड़क यातायात, सचार वाहन के साधन तथा जल उपयोगी सेवाएं इत्यादि। इन उद्योगों की स्थापना पर सरकार को इतना भारी व्यय बरना पड़ता है जो अबैले बरोदारा पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्योगों की पूर्ति के लिए करारोपण की नीति निम्न कारणों से उचित नहीं ठहराई जा सकती (व) जनता पर बरोदा का भार अधिक बढ़ जाएगा। (छ) अत्यधिक करारोपण जनता की कार्य बरने व बचत बरने की शक्ति व इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। (ग) करदाताओं के रहन-सहन के स्तर की बरोदा की अदायगी से गिर जाने की समावना अधिक रहेगी।

ऐसी स्थिति में ऋण नीति अपेक्षाकृत अधिक लाभादायक होगी क्योंकि (व) ऋण प्रदान बरने से ऋणदाताओं को कोई विशेष बट्टा या त्याग सहन नहीं करना पड़ता। (छ) चूंकि विकासशील योजनाओं में बतंमान तथा भावी दोनों ही पीढ़ियों लाभान्वित होती है इसलिए ऋणों द्वारा इनका भार भावी पीढ़ियों पर विवरित किया जा सकता है। (ग) ऋण के द्वारा विकासशील योजनाओं को त्रियान्वित बरने में व्यक्तियों की कार्य बरने तथा बचत बरने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अत विकास की योजनाओं को पूरा बरने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर की अपेक्षा ऋण सेना अधिक उचित माना जाता है।

(4) युद्ध बाल की वित्त व्यवस्था

आधुनिक बाल में युद्ध पर व्यय निरतर बढ़ने पर है। प्रथम महायुद्ध में युद्ध पर राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत व्यय हुआ। द्वितीय महायुद्ध का सचालन व्यय 60 से 70 प्रतिशत तक रहा। यहां एवं स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि युद्ध सचालन व्यय को पूरा बरने के लिए करारोपण की नीति उपयुक्त रहेगी या ऋण नीति। क्योंकि युद्ध के लिए भरत अधिक मात्रा में व्यय बरना पड़ता है इसलिए करारोपण द्वारा तथा ऋण द्वारा, दोनों ही प्रत्यक्षर से इस व्यय को पूरा किया जाना चाहिए। जैसा कि सैलिगमेन ने कहा है 'यदि देश की समस्त बड़ी-बड़ी धार्मिकों तथा लाभों को सरकार जब बर ले, तब भी आधुनिक युद्ध का आधा खर्च भी पूरा रही हो सकता है'। बर लगाने की भी एक सीमा होती है जो करदेय क्षमता से निपटित होती है। यदि करदाता को करदेय क्षमता से अधिक कर देने के लिए विवरण दिया जाएगा तो उसकी कार्यकृतता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कुछ अर्थात् स्वित्यों का भत है कि सरकार को युद्धजनित व्यय की आवश्यकताओं को पूरा बरने के लिए करण सहायता भी सेनी चाहिए। इससे सरकार को आय का एवं

दूसरा साधन उपचार हो जाता है। निष्पर्यं न्यप में यह बहा जा सकता है कि चुद-जनित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वरारोपण तथा क्रृषि की नीति दोनों ही उपयोगी मिल हो सकते हैं।

उधार के स्रोत

प्रत्येक सरकार को उधार के दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं—आतंरिक थोर वाह्य। आतंरिक न्यप में सरकार व्यक्तियों, वित्तीय सम्यात्रों, वाणिज्य वैदेयों तथा केंद्रीय बैंक से उधार से उकती है। वाह्य रूप में सरकार व्यक्तियों तथा वैदेयों से, अतराष्ट्रीय सम्याक्षों में तथा विदेशी सरकारों से उधार लेती है।

(1) व्यक्तियों से उधार

जब व्यक्ति सरकारी बाड़ खरीदते हैं तो ऐसा बर्के के घन को गेर भरकारी उपयोग में सरकारी उपयोग की ओर स्पानातरित बरते हैं। व्यक्ति सरकारी बाड़ों में अपना घन लगाने में या तो चालू उपयोग को बम बर्के भर्मर्य होते हैं (ऐसा बहुत बम लिखतियों में होता है।) अद्यता ये अपने निजी व्यवसाय के लिए रखे गए घन को या क्रृषि फ्लोरों या प्रतिभूतियों में लगे थन को बहा से हटाकर सरकारी बाड़ खरीदते हैं। प्राय व्यक्तियों की जब सरकारी बाड़ बेचे जाते हैं तो उसे वर्नेव उपयोग या व्यवसाय के लित्तार में कोई बटोरी नहीं होती। बटी मात्रा में बाड़ उन घन ने खरीदे जाते हैं जो निष्प्रय पहा रहता है।

(2) गेर वैकिंग वित्तीय सम्यात्रों से उधार

सरकारी बाड़ों में घन विनियोग करने वालों ये ऐसी वित्तीय सम्याएँ अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं, जैसे बीमा, उपनिया, विनियोग प्रम्याएँ, परस्पर बचत बैंक, आदि। ये गेर वैकिंग वित्तीय सम्याएँ सरकारी बाड़ों की ओर अधिक सुरक्षित होने के बारण प्राप्तिकर्ता देती हैं। दूसरे, ये सरकारी में बेचे जा सकते हैं तथा उनको चाहे जब तरल न्यप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन पर आज की दर नीची होती है। अब यह हो नस्ता है कि वित्तीय सम्याएँ जोनियम बाले एवं दूसरे प्रतिफल देने वाले कृषपक्षों में विनियोग करना पस्त चरे। वैकिंग कार्य परने वाली वित्तीय सम्याएँ जब यसकारी बाड़ खरीदती हैं तो ये अपनी भवद्रों की बम करने के द्वारा मुक्तीदाती हैं।

(3) व्यापारिक वैकों से उधार

वित्तीय तथा गैरवित्तीय सम्याएँ जहा सरकारी बाड़ों को कपने निजी घन से सुरीदती हैं, वहा वैक अनिरिक्त अद्य ग्राति वा निर्माण बरके (मात्र का निर्माण बरके) ऐसा करती है। वैक उतना ही क्रृषि दे सकता जितना कि उसकी अतिरिक्त नक्कड़ बनक्षित निधि होती। ऐसा इमनिए सभव होता है क्योंकि दैव जो क्रृषि

देते हैं वे नकद नहीं दिए जाते बल्कि उधार लेने वालों के नाम से खातों में उल्लेचित कर दिए जाने हैं। ये उधार लेने वाले व्यक्तियों को चैक के द्वारा भुगतान करते हैं और भुगतान पाने वाले व्यक्ति भी चैक को बैंक में भेज देते हैं क्योंकि उनके भी याते बैंक में खुले होते हैं। परिणाम यह होता है कि जब तक बैंकों से नकदी निकासी जाती है तब तक इस नकदी का उपयोग क्रृष्णों के विस्तार से लप्त में किया जाता है।

वाणिज्य बैंक भी साथ का निर्माण करके सरकार को कृष्ण दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हे अपने अन्य क्रृष्ण में तथा अधिग्रामों को बम वर्सने की आवश्यकता नहीं होती। बैंक के पास अब भी अतिरिक्त नकद आरक्षित निधि होती है तभी वह उस निधि से सरकारी बस्तु खरीद सकता है।

(4) केंद्रीय बैंक से उधार

देश का केंद्रीय बैंक भी सरकार को कृष्ण देता है। यह भी इस बायं के निए ठीक जैसी ही कार्यवाही करता है जैसी कि वाणिज्य बैंकों द्वारा अतिरिक्त व्यशक्ति द्वा निर्माण करके वी जा सकती है। सरकारी बड़ों को खरीदवार केंद्रीय बैंक अपने यहाँ के खातों में उल्लेखित कर देते हैं। सरकार अपने लेनदारों का भुगतान केंद्रीय बैंक के चैकों द्वारा करती है। लेनदार भी अपनी धनराशियों को अपने बैंक में जमा करते हैं। इस प्रकार, इन बैंकों के पास बड़ी मात्रा में नकद आरक्षित निधि उत्पन्न हो जाती है जो कज तथा उधार का आधार बनती है। केंद्रीय बैंक में लिया गया उधार अन्य सभी स्रोतों की तुलना में अधिक विस्तारवादी होता है क्योंकि इसके द्वारा न केवल सरकार को ही अपने खचों के लिए धन प्राप्त होता है बरन वाणिज्य बैंकों को भी अतिरिक्त नकदी मिल जाती है। इस नकदी का उपयोग साथ के विस्तार के लिए किया जाता है।

व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा लिए जाने वाले उधार जटा केवल गैर सरकारी उपयोग से सरकारी उपयोग की ओर स्थानातरण मात्र होते हैं वहा उनका अर्थात् वस्था पर कोई विचारवादी प्रभाव नहीं पड़ता जबकि वाणिज्य बैंकों तथा केंद्रीय बैंक में लिए जाने वाले उधार विस्तारवादी प्रभाव ढानते हैं।

उपरोक्त आतंरिक कृष्ण साधना के अतिरिक्त सरकार देश के बाहर सभी कृष्ण प्राप्त करती है। इन उधारों का उपयोग युद्ध व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए किया जाना है जयवा विकास परियोजनाओं के खचों के लिए या प्रतिकूल भुगतान शेष के भुगतान के लिए। पहले तो रेतों के निर्माण जैसी जैसी विजिएट विकास प्रयोजना के लिए कृष्ण व्यक्तिया तथा बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाओं में लिए जाते थे। परतु जाववल इन माध्यनों के अतिरिक्त कृष्ण और भी माध्यन हैं, जैसे अतर्राष्ट्रीय मुद्राओं प, अतर्राष्ट्रीय पुनर्व्यापार व विकास बैंक, अतर्राष्ट्रीय विकास

जब सावंजनिक ऋण वा उपभोग भविष्य की उत्पादन धोजनाओं व कार्यक्रमों पर निया जाता है तो इसका व्यक्ति की कार्य बरने, बचत बरने व विनियोग बरने वी शमता पर अनुबूति प्रभाव पड़ता है परन्तु इन ऋणों के भुगतान बरने के लिए जो कर लगाए जाते हैं वे व्यक्ति की कार्य बरने, बचत बरने व विनियोग बरने की धोषता पर विपरीत प्रभाव ढालते हैं।

(द) कार्य बरने तथा बचत बरने की इच्छा पर प्रभाव : सरकार व्यक्तियों नो प्रतिभूतियों वा विश्व करके विनियोग बरने वा सुरक्षित थवमर देती है जिससे बचतों को प्रोत्साहन मिलता है परन्तु सामान्यत यह माना जाता है कि गावंजनिक ऋण कार्य बरने तथा बचत बरने की इच्छा को कम कर देते हैं, क्योंकि मूलधन व व्याज को चुकाने के लिए जो कर लगाए जाते हैं व बचतों को कम कर देते हैं। गरकारी प्रतिभूतियों वे धारकों को निरतर व्याज वी प्राप्ति उनसी कार्य बरने व बचत बरने की इच्छा को कम कर देती है।

(स) साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव : जब सावंजनिक ऋण वा उपयोग ऐसे पद्धों में निया जाता है जो कि थावश्यक व उपयोगी होते हैं तथा जिनमें व्यक्तियों द्वारा धन नहीं लगाया जाता तो इस प्रकार धन वा थतरण उपयोगी होता है। जैसे सड़ा, रेल, विज्ली तथा निवार्ह आदि प्रयोजनाओं पर निया गया व्यव उपयोगी होता है। परन्तु जब सावंजनिक ऋण द्वारा प्राप्त धन का उपयोग मुद्द आदि के लिए निया जाता है तो इस प्रकार मे अनरण से उत्पादन हटावाहिन होता है।

अत इसपृष्ठ यह कहा जा सकता है कि सावंजनिक ऋण द्वारा भविष्य म उत्पादन प्रोत्साहित व बहुमान में निर्माणाहित होता है।

(3) सावंजनिक ऋण और वितरण

गावंजनिक ऋण वा धन के वितरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धनी वर्ग की बचतें अधिक होने के कारण ऋण अधिक तर इसी वर्ग में प्राप्त होता है। दूसरी ओर निर्धन वर्ग गरकार को ऋण देने में अमर्याद होता है। जब सरकार अपनी प्रतिभूतियों में आधार पर ऋण लेती है तो इससे वैवल धनी वर्ग ही व्यव कर पाता है। परन्तु जब इनके व्याज व मूलधन वे भुगतान के लिए कर लगाया जाता है तो इसका भार मूलत निर्धन वर्ग पर ही पड़ता है अर्थात् 'निर्धन वर्ग अपनी आय में से बूढ़ त्याग करता है जो व्याज व मूलधन के व्यव में धनी वर्ग के पास चला जाता है। इस प्रकार धन निर्धन से धनी वी ओर जाने सकता है। निर्धन की आय कम हो जाती है और धनी वी आय बढ़ जाती है, इस प्रकार धन की अमानता और अधिक बढ़ जाती है।'

अतः यह कहा जा सकता है कि सावंजनिक ऋण व्याज लेने वाले और

व्याज देने वाले वर्गों के बीच के बीच वे अतर जो अधिक स्थाइ बनाते हैं और इन सबसे में उन्हें सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता।¹

जब सरकार इस अप्रैल का उपयोग नार्वेजनिक निर्माण के बाबी में देश की उन्नति के लिए बरती है तो इसने नये-नए बारबानों की स्थापना होती है और नियंत्रण वर्ग को रोजगार मिलता है। इसी प्रकार शिक्षा पर अधिक व्यय बरबे सरकार नियंत्रण व्यक्तिगतों को अधिक धन लमान योग्य बनाती है। उनकी आप अधिक बढ़ जाने के कारण रहन-भुगतान वा स्तर लचा ही जाता है जो उनकी बायंडगलदा बढ़ता है और के ओर अधिक लमान योग्य हो जाते हैं। इन प्रकार नियंत्रण तथा धनी वर्ग के बीच दो खाई बन हो जाती है।

(4) सार्वजनिक ऋण और रोजगार

रोजगार उत्पादन पर नियंत्रण बरता है। देश में रोजगार अधिक होने पर रोजगार भी अधिक होता है और उत्पादन बढ़ होने पर रोजगार भी अन होता है प्रो० लंबे का मत है कि सार्वजनिक अप्रैल के सबसे में त्रिपाल्मड वित्त वा चिह्नात लागू होना चाहिए अर्थात् बन्तुओं को और नेवाओं पर लिए जाने वाले व्यय में संतुलन होना चाहिए। यदि व्यय अधिक लिया जाता है तो कोरोडगारी जो बटाडा नियंत्रण है लियु जब व्यय उत्पादन कार्यों में लिया जाता है तो रोजगार ने बढ़ दी होती है। अत यह कहा जा सकता है कि ऋण देश में उत्पादन-रोजगार को बढ़ावा देते हैं।

(5) सार्वजनिक ऋण और विनियोग

विनियोग पर सार्वजनिक अप्रैलों के प्रभाव को विवेचना दो रूपों में जो जा मतती है—(अ) जब सार्वजनिक अप्रैल अधिक भाक्ता में से लिए जाते हैं तो उनके भुगतान के लिए सरकार बड़ी मात्रा में बरत लगती है जिससे विनियोगकर्ताओं के मन में वही अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वहे अप्रैलों के भुगतान के लिए सरकार पूजों कर या अप्रैल-बार जैसी विधियों को अपना नहीं होती है और इनसे दीक्ष-वालीन विनियोग हतोत्ताहित होते हैं।

(ब) दूसरे, जब बड़ी मात्रा में अप्रैल लिए जाते हैं तो सरकार अपने व्याज के दायित्वों को न्यूनतम रखते हैं लिए बाध्य हो जाती है। जिससे विनियोग प्रोत्त्व-हित होते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक अप्रैलों में विनियोग प्रोत्त्वाहित होते हैं वयदा हतोत्ताहित।

(6) नार्वेजनिक ऋण और आतंरिक व बाह्य ऋण

नार्वेजनिक अप्रैल सरकार आतंरिक व बाह्य दोनों ही रूपों में जबती है। आतंरिक अप्रैलों का बोर्ड बुरा प्रभाव नहीं होता क्योंकि इनमें ऐन धन ना

¹ Prof. Findlay Sherratt, "The Science of Public Finance," p. 472.

हस्तातरण देश में ही होता है जबति बाहु ऋणों का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि बाहु ऋण लेने से देश में विदेशी सकनीय व रोकाओं का आगमन होता है जिससे राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय घटती है परंतु इस ऋण का भुगतान सोना, बहुमूल्य वस्तुओं व रोकाओं आदि पैरे रूप में करना होता है। पतस्वरूप ये वस्तुएँ देश से बाहर चली जाती हैं और इनके अभाव में देशवासियों का जीवन शोष्ण ही ऊचा नहीं हो जाता। दूसरी ओर आतंरिक ऋणों में इस प्रकार ना कोई अभाव देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें व्याज व मूलधन वे भुगतान में द्वय वा हस्तातरण देश के अदर ही होता है। इस प्रकार जो भी उत्पादन होता है उसका उपभोग देशवासी ही करते हैं। अत यह स्पष्ट रूप से वहा जा सकता है कि प्रत्येक देश की गरकार को बाहु ऋणों की अपेक्षा आतंरिक ऋणों तो प्रमुखता देनी चाहिए क्योंकि आतंरिक ऋणों के प्रभाव बाहु ऋणों की तुलना में अच्छे होते हैं।

ऋण शोधन की विधिया

आधुनिक सरकारे जगती ऋण शोधन तिका को एक सम्मानपूर्ण वार्ष रामशाती है। ऋण का भुगतान उनकी साथ और शक्ति को बनाए रखता है। राष्ट्र का यह उत्तर-दायित्व है कि सारांशान् भ वह शोष्णता से ऋण जुटाने में समर्थ हो तथा यिए हुए ऋण वापिस करे ताकि ऋणों के चुनता करने से व्यापार और उद्योग के निए धन उपलब्ध हो सके। ऋण चुनाने के निम्नांकित उपाय हो सकते हैं।

(1) आधिकार्य राजस्व का उपयोग

जब इसी ऋण की परिषेक तिथि आती है तो सरकार को उस ऋण की आपसी में लिए धन जुटाने की आवश्यनता होती है। ऐसा सरकार राजस्व की आय से पूरा कर सकती है या नये उधार लेकर या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था को अपना कर। सामान्य रूप से ऋण का भुगतान सरकारी राजस्व में से कर दिया जाता है। भुगतान के समय यजट में आवश्यक धन की व्यवस्था कर सी जाती है।

(2) सरकारी बाड़ों का ग्रय

इस विधि के अनुगार ऋण की परिषेक तिथि में पूर्व ही सरकार बाजार में अपने ही बाड़ अपवा ऋण पदों को स्थय यारीद लेती है और विर उन्हे रद कर देती है। इस विधि में ऋण का थोड़ा-थोड़ा भाग अदा हिया जा सकता है और रामय-समय पर ऋण का थोड़ा-थोड़ा भार हल्ला हिया जा सकता है। ऐसा तभी सम्भव होता है जब राजस्व का आधिकार्य हो अथवा वर्म व्याज पर अनुकूल परिस्थितियों में बाड़ बेचे जा सकते हो।

(3) सावधि वापिसी

जब यह पूर्ण रूप से निश्चित कर दिया जाता है कि सरकार को अपने स्मार्द-

ऋण को चुकाना है तब वह प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धन वापिकी के स्प में ऋणदाताओं के उधार चुकाने के लिए बाध देती है। इसी भुगतान को वापिकी बहते हैं। भुगतान की राशि में मूलधन और व्याज दोनों सम्मिलित होते हैं। स्पष्ट है कि नियम कान में यह वापिकी दी जा रही होगी, उसमें व्याज के भुगतान के काल जी अपेक्षा राजकीय वित्त पर कही अधिक दबाव पड़ता है।

(4) ऋण स्पातरण

चूहूनर ने ऋण स्पातरण की परिभाषा इस प्रकार दी है 'भाष्ठारण मूद की दरी में आई हुई कमी में लाभ उठानर, अपने व्याज के भार को कम करने के उद्देश्य ने वर्तमान ऋणों को नये ऋणों में बदलने की किया को ही ऋण स्पातरण बहते हैं। ऋण का भार घटाने का यह एक अच्छा उपाय है। यह रीति प्राप उस समय अपनाएँ जाती है, जब ऋण गोपनीय की नियि समीप आ जाती है और सरकार उनका भुगतान नहीं कर पाती।'

इस विधि के द्वारा ऋण का भार समाप्त नहीं होता अपिग्र भविष्य में ऋण भार अधिक हो जाता है क्योंकि बाजार में इन प्रतिमूलियों का मूल्य बढ़ जाता है। डाउनर ने अनुसार, 'इस प्रकार के ऋण व्याज की दर को इटिगत रखते हुए विनियोगी वर्ग को अधिक पहुंच होते हैं क्योंकि उनमें पूजी का मूल्य बढ़ने का व्यावहारिक विश्वास होता है... केवल इस कारण में सरकारों का अंतिम ऋण भार बढ़ जाया करता है।' इसीलिए अप्रिक्षण व्यक्तियों ने इन अनुचित अद्यवदन्या रहने की वासीनता की है।

(5) नमानुसार भुगतान

इस उपाय के अनुसार ऋण का भुगतान नमानुसार किया जाता है। इस प्रकार की विधि में प्रत्येक ऋण का कुछ भाग प्रत्येक वर्ष परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने वाले ऋण पत्रों का क्रम सरकार पहने से ही निर्धारित बर देती है। इन रीति का प्रयोग ब्रिटेन में न्यानीय नरसारों द्वारा चून अधिक किया गया है।

(6) लाटरी द्वारा भुगतान

यह उपरोक्त विधि का ही एक नवोदित स्प है। इस विधि के अनुसार जिन ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है उनकी तब सख्त आरंभ में ही निश्चिन न करने, साटरी के अनुसार तथ नी जाती है। इस विधि में भवने वाली कमी यह है कि ऋणदाताओं को निश्चिन स्प ने यह जार नहीं हो पाता कि उन्हें ऋण की रकम वह वापिस हीली। इसलिए वे इस रकम के उपयोग करने की बोई उद्दित योजना नहीं बना पाती।

(7) शोधन विधि

इस उपाय के अनुरूप ऋण को चुकाने के लिए एक विशेष बोय का निर्माण

रिया जाता है। ऐसे कोप दो प्रकार में निमित लिए जाते हैं। प्रथम वार्षिकी आय द्वारा तथा द्वितीय नये अहणों द्वारा। प्रथम रीति के अनुसार राजस्व में से एक निश्चित राणि अहण चुकाने के लिए निराल भी जाती है। यह इस हिमाव में निवाला जाता है कि एक निश्चित समय के अंदर अहण को व्याज सहित चुकाने में सफलता हो। द्वितीय विधि के अनुसार नये अहण लेकर शोधन निधि भी स्थापना करना एक प्रकार में अहण स्थापतरण ही है यद्योऽसि यहां पर पुराने अहण का प्रतिस्थापन नये अहण द्वारा ही हो जाता है।

डाल्टन ने शोधन विधि को दो भागों में विभाजित किया है

निश्चित निश्चित अहण शोधन निधि में प्रतिवर्ष एक निश्चित धन राशि अनिवार्य स्वप्न में जमा कर दी जाती है। इस कोप की स्थापना में तीन मुख्य तत्त्व होते हैं (अ) अहण शोधन भी अवधि निश्चित करना, (ब) भुगतान कोपों को इस अवधि में इस प्रकार से फैलाया जाए, तथा (म) शोधन निधि का बटवारा विभिन्न प्रकार के अहणों में इस प्रकार लिया जाए।

अनिश्चित अहण शोधन निधि के लिए कोप में धन उमी समय जमा किया जाता है जबकि सरकार वो अपने बजट में कुछ अतिरेक प्राप्त होता है।

अहणों का भुगतान करने की अवधि जितनी कम होती है, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर उसका भार भी उनका ही अत्यधिक होता है। कुछ व्यक्तियों का तो यहां तक कहना है कि अहण का भुगतान एक विशेष कर नमाकर करना चाहिए, परन्तु इन्हें अल्पसाल की बात करना व्यावहारिक नजर नहीं आती। अहण शोधन की अवधि निर्धारित कर लेने के बाद यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि भुगतान कोपों को इस अवधि पर इस प्रकार फैलाया जाए। इसके लिए निम्न विधियां हैं

(1) प्रथम विधि के अनुसार एक मन्त्री अहण शोधन निधि की स्थापना की जाती है। जिसमें व्याज चत्रवृद्धि की दर से बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष इस निधि में एक निश्चित राशि जमा की जाती है, जिस पर उपार्जित व्याज भी प्रति वर्ष इसी में जमा किया जाता है।

दूसरी विधि के अनुसार, प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाली व्याज की संपूर्ण राशि निधि में जमा नहीं की जाती। उसका बेवल एक भाग ही जमा किया जाता है और शेष भाग वो अहणदाताओं में वितरित कर दिया जाता है, जिससे अहण का भार प्रत्येक वर्ष समान बना रहता है।

तृतीय विधि के अनुसार वार्षिक व्याज की राशि से अधिक धन अहणदाताओं में वितरित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप अहण भार प्रतिवर्ष हल्ला होता जाता है।

इन दोनों समस्याओं के हल बरने के उपरान्त लीमरी समस्या यह रह जानी है कि इन भुगतानों का बटवारा विभिन्न प्रकार के ऋणों में विस प्रकार विया जाए। हम यह जानते हैं कि सार्वजनिक ऋणों में एक हस्ता नहीं होती। उनकी आज वी दर, भुगतान की विधि और समय आदि में भिन्नताएँ होती हैं, इसने ऋण ग्रोष्णन विधि का बटवारा बरना एक बड़िन कार्य होता है। व्यावहारिक दृष्टि से उत्तम मार्ग यह समझा जाता है कि कुछ भागों की विशेष ऋणों के भुगतान के लिए निश्चित बर देना चाहिए और शेष भाग को प्रयोग में लाने के लिए सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(8) अनावर्ति पूँजी कर

अनावर्ति पूँजी कर के समर्थकों का वर्तन है कि ऋणों को चुकाने के लिए पूँजी पर एक श्रवर बा कर लगाना चाहिए जिसे अनावर्ति पूँजी कर कहते हैं। यह एक विशिष्ट बर होता है जो बैबल एक बार ही लगाया जाता है। इस विधि के अनुमार ऋण की पूरी वयवा व्यायिक लदायगी की जा सकती है। इसके बरतार्गत एक ऐसा बानून लगाया जाता है जिसके अनुमार व्यक्ति की कुल पूँजी का एक निश्चित प्रतिशत बर के साथ में बनून किया जाता है। अनावर्ति पूँजी कर को भी आरोही दर पर लगाया जाता है। यह स्मरण रहे कि यह कर बैबल एक बार ही लगाया जाता है, आय और धन करों की तरह प्रत्येक वर्ष बनूल नहीं किया जाता। इस कर का समर्थन प्रायः युद्ध के लिए किए गए सार्वजनिक ऋणों का भुगतान बरने के लिए किया गया था। परतु अब इसका उपयोग व्यायिक विकास के लिए साधन जुटाने में भी किया जाता है।

भारत में सार्वजनिक ऋण की स्थिति

नियोजन बाल के पूर्व वी स्थिति

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में सार्वजनिक ऋणों का प्रारम्भ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारम्भ बाल से होता है। कंपनी को अपने प्रतियोगी देशी राजाशाहों, प्रानीमी तथा छन बपतियों से युद्ध बरने के लिए ऋण लेने पड़े थे। सन् 1860 तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनशाल समाप्त हुआ तब भारत सरकार पर ऋण 10 लाख पौंड था। सन् 1860 के द्वादश विट्ठि भारत सरकार ने ऋण प्राप्त करने की अपनी नीति को परिवर्तित किया और सरकार ने निर्माण कार्यों, जैसे रेल निर्माण, नहर व महार निर्माण हेतु ऋण लेना प्रारम्भ किया। 1914 तक ऋण की मात्रा बट्टर 510 लाख रुपये हो गई। इसमें से 405 लाख रुपया उत्पादक व 105 लाख रुपया अनुनादक ऋण था। 1929-32 की ग्राहमदी के युग्म बजट के पार्टी को पूरा बरने के लिए बहुत अधिक ऋण लेने पड़े। 1939 में सार्वजनिक ऋण की मात्रा 1205 लाख रुपये तथा द्वितीय महायुद्ध के अन्त में 1860 लाख रुपये के लिए महायुद्ध में यरकार काफी सम्भो दर पर ऋण प्राप्त करने में सफल हुई।

15 अगस्त 1947 को यह ऋण भारतीय सरकार तथा पाकिस्तान में विभाजित हो गया। कुल ऋण में से 300 करोड़ रुपये के ऋण पाकिस्तान के हिस्में भ आए, जिनका उसने भारतीय सरकार को 3 प्रतिशत व्याज दी दर से 50 किलो मे भूगतान करने का वचन दिया था इन्हीं आज तक पाकिस्तान ने एक भी किलो वा भूगतान नहीं किया है।

नियोजन काल में स्थिति

भारतीय ऋणों को दो भागों में विभाजित किया गया है—आतंरिक ऋण व बाह्य ऋण। नियोजन समयी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अधिकाधिक भान्ना में आतंरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के ऋणों का सहारा लेना पड़ा है। आनंदिक ऋण बाजार तथा अल्प वचतों द्वारा प्राप्त विषय गए हैं। बाजार ऋण व्यक्तियों तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं तथा अल्प वचतों मुख्य तथा डाकघर वचन, दैनिक जमा, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा साधारण सचयों जमा से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार विदेशी ऋणों में सबसे महत्वपूर्ण भाग डालर ऋणों का रहा है।

योजनाकाल में ऋणों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

योजनाकाल	बाह्य ऋण	आतंरिक ऋण
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना	100	390
द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना	700	930
तृतीय पञ्चवर्षीय योजना	2170	1420
तीन वर्षीयक योजनाएँ	2520	1145

स्पष्ट है कि योजनाकाल में भारत सरकार का ऋण काफी तीव्र गति से बढ़ा है। सन् 1950 से 1970-71 की अवधि में केंद्रीय सरकार का कुल ऋण सात गुने से अधिक हो गया। इसी अवधि में आतंरिक ऋण दी अपेक्षा विदेशी कर्ज अधिक तेजी से बढ़ा है। विदेशी कर्जों में बूद्धि वा प्रमुख बारण आर्थिक विकास है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आतंरिक ऋण +	बाह्य ऋण	=	कुल ऋण
(31 मार्च तक)				
1950-51	2022	32 (1)		2054
1955-56	2330	114		2444
1960-61	3978	761 (16)		4739
1965-66	5415	2591		8006
1970-71	7763	6660 (46)		14423

स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में सार्वजनिक कृषि सानुगुना बढ़ गया है, जितु विदेशी वर्ज जो 1950-51 में कुल कृषि का 1 प्रतिशत से कुछ अधिक था, वह 1960-61 में 16 प्रतिशत व अब बटकर 46 प्रतिशत में अधिक हो गया है। विदेशी वर्जों में सबसे भहत्तपूर्ण भाग डालर वर्जों का है जिसमें सबुक्त राज्य अमेरिका का विश्व बैंक द्वारा दिया गया कृषि सम्मिलित है। विदेशी वर्जों के अन्य मुख्य नोत इम्लेड, १० जर्मनी, सोवियत सम व जापान हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति में अनुसार यह जून 1971 में 7810 करोड़ रुपये हो गया है। जितु 12 जून 1971 के बजाय वे अनुसार अप्रैल 1971 के अत में हम पर कुल विदेशी कृषि 9902 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् आज प्रत्येक भारतीयां 180 रुपये के विदेशी कृषि के भार में दबा हूआ है। विदेशी कृषि की देशवार स्थिति इस प्रकार है-

१ सबुक्त राज्य अमेरिका	6784 करोड़ रुपये
२ विश्व देश	1478 " "
३ प० जर्मनी	905 " "
४ इम्लेड	715 " "
५ सोवियत स्य	670 " "
६ कनाडा	530 " "
७ जापान	328 " "
८ अन्य देश	619 " "

इस प्रकार अकेले अमेरिका से हमें कुल विदेशी कृषि का 53 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकारों की कृषि हिति : योजनाकाल में राज्य सरकारों का कृषि भी बढ़ा है। राज्यों ने कुल कृषि में बाधे से अधिक बैंद्रीय सरकार में प्राप्त विज्ञप्ति कृषि है। पहली पचासर्ही योजना में बैंद्रीय सरकार में पूज्ञागत व्यव का 27 प्रतिशत था जो तीसरी पचासर्ही योजना में 89 प्रतिशत तक बढ़ गया। नीचे राज्यों के कुल कृषि व उगम बैंद्रीय सरकार में लिए गए कृषि वा प्रणितन दिखाया गया है।

(करोड़ रुपये म)

वर्ष के अंत में कृषि (1)	कुल कृषि (2)	इसमें बैंद्रीय से		3 वा 2 पर प्रतिशत (4)
		प्राप्त कृषि (3)	प्रतिशत (4)	
1951-52	445	238	53	
1960-61	2727	2016	73	
1969-70	7648	5807	77	

स्पष्ट है कि राज्य सरकारों ने कृषि में 17 गुने से भी अधिक बी बूदि हुई है जो बहुत अधिक है।

ऋणों की समस्याएँ

भारत में सार्वजनिक ऋण अधिक्तर उत्पादक कार्यों या आर्थिक सरचना अर्थात् सड़कें, सिवाई, जल विद्युत, लोह-इस्पात प्रोजेक्ट, रेले तथा सचारवाहन आदि को मुद्रण व विकसित बनाने हेतु लिए गए हैं। निसदेह सार्वजनिक ऋणों से हमें आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिली है। यह भी ठीक है कि आतंरिक ऋणों से कोई देश दिवालिया नहीं हो सकता किंतु चिना का विषय ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता है। हमारी आर्थिक विकास की धोअनाओं ने अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। उदाहरणार्थं चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी इसलिए हुई, जबकि विदेशी ऋण मिलने के सबध में काफी अनिश्चितता रही है। तीसरी योजना की अमर्फलता के कारणों में एक कारण बाहित मात्रा में विदेशी सहायता का अभाव भी था। समुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में आकर ही जून 1966 को हम अपने रूपये का अवमूल्यन करना पड़ा जिससे कि एक ही रात में हमारे विदेशी ऋण का मूल्य 3700 करोड़ रूपये से बढ़कर 5700 करोड़ रूपये हो गया था।

हमें अपने नियात में प्राप्त कुल विदेशी विनियम का 25 से 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष बाह्य दायित्व देने में ही समाप्त करना पड़ रहा है, जबकि दूसरे विकासशील देशों का यह प्रतिशत 10 के लगभग है।

सुझाव

(1) नियात को बढ़ाने, आयात वस्तुओं के स्थान पर देश में ही वस्तुएं तैयार करने और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की दिशा में शीघ्र प्रत्यजशीघ्र तथा प्रभावशाली राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।

(2) विदेशी ऋणों पर ब्याज की दरें जो अभी 7 प्रतिशत तक हैं, कम होनी चाहिए।

(3) विदेशी सहायता के उपयोग की गति तीव्रतर होनी चाहिए और इमवा उपयोग ऐसे दोषों में विया जाना चाहिए जिनमें उत्पादन सबसे अधिक हो।

(4) विदेशी सहायता प्रयोजना विशेष रूप से आधार पर नहीं, बल्कि कार्यक्रमों के आधार पर प्राप्त की जानी चाहिए, जिससे सहायता का एक बार कार्यक्रम निर्धारित हो जाने के बाद अलग-अलग प्रायोजनाओं की व्याख्या और इसके लिए अलग-अलग समझौते की आवश्यकता न हो।

(5) सहायता की मात्रा बढ़नी चाहिए क्योंकि आगामी वर्षों में भारत को ऋणों की वापसी करनी होगी। इननी ही नहीं, हमें अपने नियात में प्राप्त कुल विदेशी विनियम का 25 से 30 प्रतिशत बाह्य दायित्व देने में ही समाप्त करना पड़ रहा है, जबकि अन्य विकासशील देशों में यह प्रतिशत 10 के लगभग ही है।

उन्मुक्त सहायता प्राप्त करने, ब्याज दर कम होने, उपयोग में तीव्रता करने, निश्चित कार्यक्रम होने पर ही सहायता प्राप्त करने से विदेशी सहायता का उचित उपयोग हो सकता है।

20

विकास वित्त

जनन विकासित देशों में दिवाल के लिए डिन वा प्रदूष अनुच्छान है। दिवाल की गति पूजी निर्माण की नाका पर निष्ठर बरती है। यदि पूजी की नाका निर्मान नहीं है और उनकी कुल नाका में निरन्तर बृद्धि नहीं हो रही है तो दिवाल की गति बदस्तु हो जाती है। प्रौढ़ नामन चूर्जनेट्स ने लिखा है - 'पूजी निर्माण आधिक उत्पादकता और दिवाल के लिए एक अनिवार्य प्रण है।' छात्र के सूत में नियोजन आधिक दिवाल वा रुक्ष ब्रह्मदूष और नदेश्वीहृत ब्रह्म द्रव न्यू है और इसकी कठलता के लिए यह कावम्भ है कि दिवाल उबड़ी नामेश्वरों की रुक्ष दोषता दरार्द जाए।

प्राहृतिक, आनन्दीय और दिनोंप नमों शास्त्रों का निर्माणित गोपन आधिक दिवाल के लिए कावम्भ है जिन्हे पूजी बदवा दित वा अभाव इन दिवाल में बाह्य उत्तम बरता है। परिवहन नामों के दिवाल के लिए योजनाओं और उदारणों के लिए, तिचाई एव शक्ति के लिए ही नहीं बरिनु भास्तुदायिक दिवाल, गिरा व न्दास्त्य आदि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है जो रिञ्जे हूर देशों के नाम नहीं होता। अविवित देशों को जनता अधिक गरीब होती है जिसमें बच्चों का होती है। फलस्वरूप पूजी निर्माण की भवि दोनों गृही हैं और जनसम्मा की बृद्धि तोड़ गति में होती है, इससे जनसम्मा और भी जहिन हो जाती है। नीतित भाव के जारी इन देशों को बोह्य कृष्ण की अधिक नाका में रुक्ष नहीं हो पाता। अविवित देशों में यत्र बहु भी छिठ्ठी हुई होती है विनासे न्यूट्रिनों का अविवित उदयोग जही हो पाता। अविवित देशों में दिनीन और नदीनों की नदेश्वरों का नमामान निर्जी नाहमी बवेला नहीं बर पाता, अनीलिया राज्य का प्रस्तर बायंसर अविवित होता है।

आर्थिक विकास के लिए वित्त

आर्थिक विकास के लिए पूजी बदवा दिनोंप नमामों की आविन और जीवों के ही बहुती है:

(क) आतंरिक संसाधन

विकास के लिए विस्तीय व्यवस्था के आतंरिक संसाधनों में निम्ननिवित्त महत्वपूर्ण हैं-

(1) अनुत्पादक संसाधनों का स्थानांतरण : अधिकाशत कम विकसित देशों में साधनों का एक बहुत बड़ा भाग या तो वेकार पड़ा रहता है अथवा उसे अनुत्पादक कार्यों के उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न संसाधन जिनमें प्राकृतिक उपहार तथा मानवीय शक्ति भी सम्मिलित हैं व्यर्थ पड़े रहते हैं। पानी, खनिज पदार्थ व अन्य उपयोगी वस्तुएँ भू-गर्भ में दबी पड़ी रहती हैं। विकासशील आर्थिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि ऐसे व्यर्थ पड़े साधनों को उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त विया जाए।

(2) बर्तमान आय का उपभोग से पूजी निर्माण में स्थानांतरण : इस प्रक्रिया को बचत अथवा पूजी निर्माण भी कहते हैं। यदि किसी देश में बर्तमान आय को उपभोग और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय न किया जाए अपितु इसके एक भाग को यत्त, मशीन तथा परिवहन आदि के निर्माण में लगा दिया जाए तो वह आय जो इन उत्पादर उपयोगों में प्रयुक्त होगी वह बचत कहलाएगी। प्राय अत्यं विकसित देशों में निर्धनता के कारण व्यक्तियों को बहुत कम आय होती है फलस्वरूप उनकी बचत बरने की क्षमता भी कम होती है जिससे पूजी निर्माण कम हो पाता है।

स्पष्ट है कि अविकसित देश में दूजी की पूर्ति और पूजी की माग दोनों कम होने से पूजी का निर्माण कम होता है। फिर भी यदि सरकार उचित कदम उठाए तो आर्थिक विकास के लिए कुछ अश तक विस्तीय संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार बचत करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए तो वे सब मिलाकर पर्याप्त धन एकत्रित कर सकते हैं। व्यक्तियों को ऐच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-

(1) यथासभव अधिक से अधिक लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) देश में ऐसी उपयोगी संसाधनों का होना भी अत्यत आवश्यक है जिनके द्वारा बड़ी मात्रा में भी विनियोग किया जा सके।

(3) ग्रामीण धोतों की बचत का उपयोग अधिकाशत उन्हीं धोतों में किया जाना चाहिए जहाँ से वे एकत्र वीर्ग हैं ताकि जनता पर उमड़ा अनुबूल प्रभाव पड़े।

(4) जनता में रुपाग, भाइयों और देश क्रक्षि जी भावना का सचार रिता जाना चाहिए।

(5) नरतारी चर्मचारी दृश्य और ईमानदार होने चाहिए, और इन्हें इन प्रभुर के कार्य करता चाहिए। ताकि जनता का विश्वास भरबार में दबा रहे। यदि ऐसा विश्वास होगा तो व्यक्ति अवश्य ही बचत और विनियोग करेगे। प्रो० आर्थर लेविस ने टीव्र चित्र है 'इन्हें भी राष्ट्र इन्हाँ निर्धन नहीं होता जि चाहने पर भी वह अपनी राष्ट्रीय वाप का 12 प्रतिशत नहीं बचा सके। निर्धनता ने आज तक इन्होंने देश को यूद्ध छोड़ देने, या अपने धन को अन्य राष्ट्रियों ने बरबाद करने में नहीं रोका है।'

(6) बचत करने जी प्रेरणा को दो प्रकार में और भी प्रधानमार्यी दबाना जा नवता है। (अ) व्यक्तियों जो निजी उद्दोगों में विनियोग करते हैं तिन् प्रोन्नाहित किया जाए। ऐसा प्रोन्नाहन उभी निलगा है उद्दिश्य निजी उद्दम नुस्खित उथा लाभचारी हो और देश में विनियोग के पर्याप्त बदलाव उपलब्ध हों। निजी उद्दोगों में लाभोन्पाइनता उन्नतने बरतने के लिए नरतार छोड़ उपाय जरुरती है, जैसे राष्ट्रीय को भरक्षण प्रदान करना, उद्दीपकी उथा वाणिजिक मूल्यनामूल्य आदि देना। (ब) व्यक्तियों में नरतार जी रप्ता उद्घार देने की प्रेरणा उन्नत की जाए। यह कार्य देश में बचत बैठक या ऐसा ही जिनी प्रत्य भस्त्रा द्वारा उपलब्ध किया जा नवता है। अस्वदबचत योजनाएँ इस उद्देश्य जी पूर्ति में रक्त नहरदारपूर्ण नूसिका निषारी हैं। दोटी-दोटी बचतों से प्राप्त राशिया प्रबुर एवं बहुत दी रकम के रप में परिषित हो जाती है जिसका प्रयोग उन्नाइन योजनाओं जी पूर्जी में किया जा नवता है।

(3) अनिवार्य बचत : नमद है दि भरवार द्वारा भरमत प्रदान बरते पर भी देश में ऐस्तिक बचतें पर्याप्त भावा में नहीं हो सके। यह भी नमद है दि व्यक्ति अपनी बचत नो नहरी के रूप में या भूमि के स्वर्ग को खरीद कर रखे। ऐसे ऐसी स्थिति में भरवार निम्न साधनों द्वारा व्यक्तियों जो बचत बनाने के लिए दात्र जरुरती है :

(क) करारोपण, नरतार जनता पर कर भगवार उनकी अतिरिक्त अप ग्रन्ति को अपने पाये हैनातरित नह लेनी है जिसका प्रयोग उह उन्नाइन विनियोगों में जरुरी है या जिनी व्यक्तियों जो विनियोग के लिए उद्घार देनी है। इन प्रभार विनियोग के लिए करों से प्राप्त आप एवं प्रभार में अनिवार्य बचत दीनी है। प्रो० नर्सेस ने इन्हें भानूहित मित्रव्यवहा नाम से सदौषित किया है। हुए लोग जर्ये के रूप में अनिवार्य बचतों को ऐस्तिक बचतों जी अपेक्षा अन्तर नाहरत है। ऐसा हि पान एव्वट ने लिखा है। 'कर न ऐडल व्यक्तियों जी निर्धन बनाने है अरितु निर्धन बनुभव भी बहात है उद्दिश्य बचतें व्यक्तियों जो अपनी बनुभव करवार उनकी

उपभोग की प्रवृत्ति को भी बढ़ानी है।' जितु कर पूजी निर्माण में तभी बढ़ि करते हैं जबकि वे उस आय में से प्राप्त निए गए हों जिसका कर की अनुपस्थिति में व्यवहर दिया जाना हो। अनिवाय बचत की बढ़ि के लिए सरकार ने कर लगानी है और पुराना भरा भवधि बढ़ती है। सरकार प्रत्यक्ष व परोक्ष कर की सहायता सनी है। प्रत्यक्ष करो म आयकर, सपत्नि कर, सपदा कर, उपहार कर, पूजी लाभ कर आदि म बढ़ि की जाती है। परोक्ष कर धनेक वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर लगाए जाते हैं। इन करों के द्वारा उन वस्तुओं के मूल्यों म बढ़ि हो जाती है और उनका उपभोग कम हो जाता है। इस प्रकार जो कुछ अतिरिक्त धन रहता है उसे सरकार विकास के बायों में प्रयोग बढ़ती है। करारोपण द्वारा एकत्र की गई राशि को पूजोगत वस्तुओं के निर्माण म प्रयुक्त किया जा सकता है।

करारोपण द्वारा विकास वित्त का प्रबंध अनन्त हपी में लाभप्रद होता है। आधिक नियोजन द्वारा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में प्रत्यक्ष हप से बढ़ि होती है इसलिए यह उचित है कि आधिक विकास के प्रयत्नों से लोगों की आय में जो बढ़ि हुई है उसे करारोपण द्वारा पुन वापिस ले निया जाए ताकि योजना के आगामी कार्यक्रम को पूरा किया जा सके। दूसरे आधिक विकास स्पीतिकारक दबाव उत्पन्न कर सकता है इसलिए व्यक्तियों के हाथ में प्रय शक्ति की मात्रा को कम करने के लिए करारोपण का प्रयोग लाभकारी मिह द्वारा है। विकास वित्त की व्यवस्था म वरारोपण द्वारा धन एकत्र करने की क्षमता का प्रयोग कुछ नीमाओं के अतर्गत ही हो सकता है क्योंकि :

(1) अर्ध विवित देश म प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, और धन का वितरण अमरमान होता है, इसलिए व्यक्तियों पर अधिक कर लगाकर अधिक मात्रा म वित्त प्राप्त नहीं निया जा सकता। कोई भी कर चाहे वह वित्तना ही प्रगति-शोल क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ भार अवश्य पड़ता है। इसलिए करारोपण की नीति एक सीमित मात्रा म ही अपनाई जा सकती है।

(2) कराधान का वक्त बरने की इच्छा व शक्ति पर भी प्रेरणाहारी प्रभाव पड़ता है। अधिक करारोपण से उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव ढलता है।

(3) करों की एक सीमा है, करदान समता, जिससे अधिक कर नहीं लगाया जा सकता। यदि करदेय क्षमता स अधिक कर लगाया जाता है तो देश की आधिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है।

अत करारोपण की नीति को निर्धारित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है

(अ) कर पद्धति ऐसी हो जो सरकार को अधिक से अधिक धन एकत्र बरने में सहायता कर सके, वक्त और विनियोग पर कुरा प्रभाव न ढाले। साथ ही उत्पादन को प्रोत्साहित करे और आधिक विषमता को कम करे।

(व) बरारोपण की नीति की रचना इस प्रकार से की जाए कि वह मुद्रास्थीति रोकने ने अपन हो सके। यह की प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए और विभेद प्रकार के मुद्रा प्रकार विरोधी बर लागू किए जाने चाहिए, जैसे अधिकाम बर, अब बन्तु बर आदि।

नक्षेप में नये बरों को लागू करने और पुराने बरों में वृद्धि करने में विवेक ने बाम लेना चाहिए। इस प्रमाण में प्रो०० भेदर तथा प्रो०० बल्डवीन न जिज्ञा है कि एह ऐसी कर अवस्था के प्रतिपादन की आवश्यकता है जो निवेन देशों की प्रणालीकी असता की सीमा में हो तथा नाय ही प्रेषणा एवं न्यायनीति को विचार्याय वो विना नप्ट किए विकासन्वय के स्वीति प्रभावों को नमाज़ बर सके।

(द्व) अनिवार्य बचत निषेप : अनिवार्य बचत को बटाने वाले एह दूसरा दफाज 'अनिवार्य बचत निषेप योजना कार्यान्वयन करना है' योग्यता हो नवता है कि नभी प्रयत्नों के बावजूद ऐच्छिक बचत के रूप भ अधिक मात्रा में धन न बुट पाए। आगिक विकास नवधी कार्यक्रमों को मफ्फतापूर्वक पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि भरकार लोगों को बचत करने के लिए बाल्य बरे और अनिवार्य बचत योजना चालू करे। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने 1963-64 के बजट में एह अनिवार्य बचत योजना लागू की थी परन्तु जिसे अक्टूबर 1963 में आगिक रूप से वापिस ले लिया गया।

(ग) घाटे की वित्त अवस्था : घाटे को वित्त अवस्था की मन्दादरी बजटों के पाटों द्वारा कुल राष्ट्रीय खर्च में वृद्धि करने के लिए प्रयोग में लाई जानी है। ये घाटे चाहे आम सार्व से र्वदित हो अपवा पूँजी सारे से। अर ऐसी नीति अपनाने का सार यही होगा है कि सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा में अब बरती है। सरकार बजट के पाटों की पूर्तिया अपने सचित दोषों को प्रयोग करके करती है अबका देशों ने उधार लेकर द्रव्य रा निर्माण किया करती है।

घाटे की वित्त अवस्था की स्थिति तभी पैदा होती है जब सरकार को कर्ज, क्रपों के अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक अब बरना पड़ता है। सरकार क्षेत्र-पक्ष जारी करके इन्हें चेत्रीय देती है। इस अतिरिक्त मुद्रा के द्वारा सरकार विभिन्न साधनों का कर बरती है ताकि पूजीगत नामान में वृद्धि हो सके।

आमान्य घाटे की वित्त अवस्था का प्रभाव स्वीतिकारत होता है। यदि सरकार अतिरिक्त मुद्रा को उत्पादक कामों में विनियोजित करती है तो यह प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता। ३० बी० के० बार० बी० राब का बहना है : 'यह घाट की वित्त अवस्था नहीं है जो भूतवाल की नाति मुद्रा प्रकार के लिए उत्पादक रहा है, अपितु यह तो अनुत्पादक प्रहृति का अब तथा दृष्टे हूए अब वा माय-माय काम के बचत के रूप में यमुद्राम का अन्तोपजनक दायित्व है जो मुद्रा प्रकार के लिए

उत्तरदायी है। इम प्रकार अविकसित देश के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था उचित हो मिलती है यदि सरकार इसको नियन्त्रित रखे।

(4) सार्वजनिक ऋण . विकासशील अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन लोक ऋण है। करारोपण के अतिरिक्त वैद्यानिक दबाव में जनता से त्याग करवाया जाता है, लेकिन लोक ऋण एक ऐसा साधन है जो जनता की निजी बचतों को स्वेच्छा से प्रभावित करता है। लोक ऋण के विषय में हम अध्याय (23) में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में घनी वर्ग बड़ी मात्रा में ऋण देना है लेकिन मध्यम व निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी अल्पबचत योजनाओं द्वारा सरकार द्वारा ऋण देते हैं। इसके दो मुख्य लाभ होते हैं एक तो सरकार को धन मिलता है दूसरे जनता का वर्तमान उपभोग कम हो जाता है जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था का एक सुधारात्मक तत्त्व है।

(5) सार्वजनिक उपकरण से प्राप्त आय . विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यही आवश्यक नहीं है कि सरकार उद्योग व्यापार के विकास का उचित बातावरण बना दे और निजी क्षेत्र में पूँजी विनियोग को प्रोत्साहित करे बरन यह भी आवश्यक है कि वह सार्वजनिक व्यापारिक कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करे।

नियोजित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपकरण यदि कुशलतापूर्वक चलाए जाए तो लाभ के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इन लाभों को देश के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है। परिचम के औद्योगिक देशों में सरकार द्वारा चलाई गई व्यापारिक स्थानों से सरकार की कुल आय का लगभग तिहाई भाग प्राप्त हो जाता है। विकासशील देशों में भी ज्यो-ज्यों सरकारी उद्योग बढ़ाए जाएंगे त्यो-त्यो उनसे योजनाओं के लिए वित्त का प्रबन्ध किया जा सकेगा। इस सबन्ध में यह भी आवश्यक है कि सरकार ने अधीन उद्योगों में मिलने वाले लाभ को उन्हीं उद्योगों में विकास के लिए पुनर्विनियोजित अथवा नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ख) बाह्य साधन

किसी भी देश की सरकार प्राय दो बारणों से बाह्य वित्त का उपयोग करती है

(1) कभी-कभी देश के विकास कार्यों के लिए आतंरिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अल्प विकसित देशों में ऐच्छिक बचत अधिक नहीं हो पाती, करारोपण एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा मुद्रा स्फीति दशाओं के उत्पन्न होने का भय रहता है।

(2) अल्प विकसित देशों को अपनो विकास योजनाओं के लिए सकौची ज्ञान, वैज्ञानिक जानकारी, मज्जीनो तथा अन्य पूँजी यत्रों की आवश्यकता रहती है। प्राय,

ऐसे देशों के पाय विदेशी विनियम का भी अभाव हूँगा करता है। ऐसी स्थिति में यह देश विदेशी पूजीयत माल तभी खरीद सकते हैं जब उन्हें विदेशी से क्रष्ण या सहायता में रूप म विदेशी पूजी प्राप्त हो। बाहु कृष्ण से यह लाभ है कि उनके साथ विदेशी मुद्रा, तथनीकी जान, और्योगिक उद्यम आदि भी चीज़ आती हैं जिनको कृष्ण लेने वाले देश को अधिक आवश्यकता होती है। जिसी भी सरकार द्वारा विदेशी वित्त नियन्त्रण प्रकार से प्राप्त जिया जा सकता है।

(1) विदेशी नागरिकों से कृष्ण : यह अविकल्पित दशा म इस प्रकार के कृष्णों ने बड़ा योग प्रदान किया है। भारत के रेलों व ट्रिकार्ड योजनाओं पर नियमित मुच्यत इसी प्रकार वी पूजी द्वारा हुआ है। पिर भी वर्तमान कान में बाहु महायता के इस योग्यन का महत्व नम होता जा रहा है क्योंकि—(1) विदेशी व्यक्ति अविकसित देशों की राजनीति और आर्थिक दशाओं की अनिश्चितता व जोखिम के कारण पूजी विनियोग करने म हिचकिचते हैं। (2) इस पूजी को उन्नत देशों में विनियोग करने के अधिक आकर्षक अवसर प्राप्त हो जाते हैं। (3) कुछ अल्प विकल्पित देश व्यक्तिगत बाहु पूजी के प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं।

(2) विदेशी सरकारों से कृष्ण : द्वितीय महायुद्ध के बाद नसार के बड़े-बड़े राष्ट्र वर्ष उन्नत देशों को आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रकार के कृष्ण देते रहे। उदाहरणार्थ अमेरिका एवं सोवियत सघ तथनीकी महायोग तथा अन्य वार्षकीयों की पूर्ति में महत्वपूर्ण महायता प्रदान करते हैं परतु इनमें एवं बड़ा भव यह बना रहता है कि वही ये देश गुटबदी द्वारा कृष्णप्रस्त देशों से कुछ राजनीति लाभ प्राप्त न वर ले। इन्हिए ये देश अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर विदेशी सरकारों से कृष्ण लेने में हिचकिचाते हैं।

(3) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कृष्ण : विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, मधुक राष्ट्र आर्थिक विकासार्थ विशेष कोष आदि में भी अत्य विकल्पित देशों को अपने आर्थिक विकास वार्षकीयों की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं तथनीकी सहायता प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नियमित एवं विकास बैंक ने कई देशों को मिचाई, रेलों, विजली आदि योजनाओं के लिए कृष्ण दिए हैं। इन संस्थाओं से बैंकल मुद्रा के स्वरूप ही सहायता नहीं मिली है वरन् डायटरों, इनीमियरों, वैज्ञानिकों, भलाहपारों, भगोनों, वच्ची नामयों आदि के स्वरूप म भी महायता प्राप्त हुई है। इन प्रस्तग में ३० बी० बी० मदान का मठ है : 'अंतर्राष्ट्रीय बैंक अनेक एवं बैंक है जिनमें स्थानना उन्नासक वायों और लाभदायक परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था बनने की एक एजेंसी के स्वरूप म आ गई है। शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य एवं व्यक्तियों का तात्पर्यी प्रशिक्षण आदि विकास के मोलिक विम्बूत खेत हैं जिनमें विनियोग की आपराधिकता है और जो केवल दीपंचान में प्रत्यक्ष स्वरूप ही उत्पादकीय है लेकिन जो अद्विकलित देशों को क्षमता और आर्थिक विकास की दृष्टि से अद्यन लाभमदक है।'

इम प्रवार विदेशी कृष्ण और विदेशी भार्यिक सहायता आधिक दृष्टि मे पिछड़े हुए राष्ट्रों के लिए भार्यिक विकास योजनाओं मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसके द्वारा कम उन्नत देशों को धन, विदेशी विनियोग-पूजीगत माल और तकनीकी सहायता प्राप्त हो जाती है। आज ससार मे जनशत्या का लगभग दो-तिहाई भाग ऐसे देशों मे रहता है जो आधिक दृष्टि मे पिछड़े हुए हैं। इन देशों के आधिक विकास का महत्व सासार मे ज्ञान बनाए रखने की दृष्टि से अनुरोधणीय है। यदि इनका समुचित आधिक विकास न विद्या गया तो ये धोका ज्वालामुखी बनवार मारे ससार की जाति को कभी भी अग्नि की आहुति बना सकते हैं। अत विवित देशों का स्वयं का हित भी इसी बात मे है जि के सासार के दिछडे देशों को ऊचा उठाने मे पूर्ण सहयोग दे।

अत म यह नहीं भूलना चाहिए 'आधिक विकास के धोके म विदेशी वित्त को केवल गौण स्थान ही प्राप्त रखता है।' अद्वितीय देशों मे आधिक विकास के बार्यक्षमों की विज्ञीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य कृष्णो पर तभी तक निर्भर रहना चाहिए जब तक जि के अपने आतरिक मसाधनों को गतिमान बरने म असमर्पण रहते हैं। प्रौ० बुचनन एव रेलिम के इस निष्पत्ति मे हम सहमत हैं, देशी तथा विदेशी वित्त एक-दूसरे के पूरक है, परतु जब तक उपभोग और व्यवत हरने की क्रियाओं को धन संग्रह बरने वाली सस्थाआ वा वानूनी सरचनाओं से तथा फृण देने और विनियोग बरने की क्रियाओं का पूजी निर्माण के अनुरूप नहीं बनाया जाता तब तक विदेशी सहायता वा केवल धार्णिक लाभ ही प्राप्त हो सकता है। उच्च जीवन स्तर पे लिए एव स्थाई आधार का निर्माण तो देश के आतरिक प्रयत्नों से ही रिया जा सकता है।¹ विदेशी कृष्ण अथवा विदेशी सहायता पर इसलिए भी पूर्णत निर्भर रहना उचित नहीं है जि उचित समय पर इनकी प्राप्ति और मात्रा के सवध म निश्चयात्मक रूप से दुष्ट नहीं बहा जा सकता। याथ ही ऐसी सहायता मे राजनीतिक स्वायों के होने वा भय मद्देब विद्यमान रहता है। अत विदेशी सहायता पर आधिक विकास की निर्भरता पे लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान मे रखना चाहिए।

(1) कृष्णों पा प्रयोग देनदार देश के निर्यात को बढ़ाने वा आयात को घटाने के लिए विद्या जाना चाहिए।

(2) निर्यातों की बुद्धि और आयातों की कमी वा समय इम तरह ध्वस्ति वरना चाहिए जि मूलधन और व्याज वा निर्धारित भमय पर शोधन हो जाए।

(3) कृष्ण की अदायगी के समय मे लेनदार देशों को अधिक माल लेने के लिए राजी विद्या जाना चाहिए।

¹ Buchanan Ellis : 'Approaches to Economic Development,' p 20.

(4) कृष्ण मर्दंधी व्यय अधिक नहीं होने चाहिए अन्यथा उनके शोधन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग देश से बाहर चला जाएगा।

(5) कृष्ण उत्पादक कार्यों में ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए और इस सबध में प्रशासनिक कुशलता व मितव्यमिता पर पूरा बल डिया जाना चाहिए।

युद्ध वित्त

आधुनिक युद्ध प्राचीन काल के युद्धों से भिन्न होते हैं। आज के युद्ध ऐसे नहीं हैं जो केवल मात्र रण भूमि में लड़े जाते हैं। वरन् अर्थव्यवस्था के इन सभी मोर्चों पर लड़े जाते हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। क्राउंचर के शब्दों में 'वर्तमान युद्ध लडाई के भैदानो में नहीं वरन् हजारों घघो, औद्योगिक शहरी खानों तथा कारखानों में जीता जाता है।' के ०८० बोल्डग ने एक अन्य स्थान पर कहा है, 'युद्ध का अर्थशास्त्र केवल मात्र एक उद्योग का विकास है—सशस्त्र सेना का जो अनेक चीजों की लागत पर प्राप्त होता है।'

आधुनिक युद्ध के लिए विशाल साधनों की आवश्यकता है। इनियल डिफो का कथन है 'वर्तमान समय में युद्ध की जीत लड़े कोप से प्राप्त की जाती है, क्योंकि युद्ध सचालन में द्रव्य की शक्ति ही अधिक महत्वपूर्ण होती है।' इसी सबध में सर जान साइमन ने कहा है, 'जैसा कि कुछ समय से कहा गया है कि वित्त प्रतिरक्षा का चतुर्थ अस्त्र है तथा इसका महत्व अन्य अस्त्रों से कम नहीं है, क्योंकि यदि वित्त असफल हो जाता है तो समस्त युद्ध प्रयास ही असफल माने जाते हैं।'

वास्तविक साधन

युद्धकाल में युद्धप्रस्त देशों में समस्त वास्तविक तथा वित्तीय साधनों को युद्ध के लिए स्थानातरित करना होता है। युद्ध के वास्तविक साधन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(1) उत्पादन में वृद्धि

युद्ध प्रारंभ होने के समय उत्पादन में वृद्धि होना किसी देश के विभिन्न आर्थिक साधनों के पूर्ण रोजगार अथवा आशिक रोजगार की सीमा पर निर्दर करता है। उत्तम प्रशिक्षण, अभिनवीकरण, आविष्कार आदि के द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि करके किसी सीमा तक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन में वृद्धि के लिए माध्यारणत ये विधिया अपनाई जा सकती हैं (क) बेकार साधनों

युद्ध वित्त

को बायों में लगाना। (ख) काम के घटों में बृद्धि करना, और एक से अधिक पारिया चलाना। (ग) स्त्रियों, नवयुवकों तथा जवाहाश प्राप्त व्यक्तियों को काम में लगाना। (घ) उत्तरीक प्रणिक्षण व अन्य विधियों द्वारा अभियों की चार्यक्रमता ने बृद्धि करता। (ङ) अभियोकरण द्वारा उत्पादक किसानों की अमता में बृद्धि करना। तथा (च) विविध अम अप्रिनियमों द्वारा ओद्योगिक मंप्रहों को उम करना या समाज करना आदि।

(2) उपभोग में कमी

युद्धकाल में उपभोग में कमी करने नाशन को चालू उपभोग ने हटाकर मुद्द कार्यों की ओर स्थानान्तरित किया जा सकता है। उपभोग में यह कमी या तो ऐच्छिक रूप में की जा सकती है या अनिवार्य रूप में अद्या अधिकतर तरीके ने की जा सकती है। उपभोग में ऐच्छिक कमी की प्रेरणा तो नोडों के साधारणत आत्म सद्यम के बादोलनो द्वारा को जा सकती है। मुद्द के लिए उपहार एवं मुद्दनियमों (War Funds) को एकत्र किया जा सकता है तथा प्रतिरक्षा ट्रॉफी को एकत्र किया जा सकता है। उपभोग में अनिवार्य रूप से कमी दृढ़ तरीकों से की जा सकती है—जैसे अतिरिक्त वारारोपण, अनिवार्य बचत योजना, आयातों को उम करने, राष्ट्रीय व्यवस्था नागू करने वादि। जितनी अधिक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय होगी तथा जितना अधिक अनावश्यक व्यय होगा उतनी ही अधिक मात्रा में भरकार नापरिक उपभोग को करने युद्ध प्रयत्नों की ओर अप्रभाव हो मद्देशी।

(3) पूजी निर्माण में कमी व चालू पूजी का रिक्तीकरण करके

युद्धकाल ने साधन उन धन राशि ने भी प्राप्त किए जाते हैं जो पूजीगत माज-नामान की बृद्धि और यतों की भरमत लादि के लिए रखी जाती है। नामान्य भरमत और पुनर्स्थापित बायों को तथा रेत भागों की भरमत का काम स्थिरत बरके पुरानी और यिसी हड्ड मशीनों को चालू रख बर, भूमि का शोपण करने उसने निरंतर नई उपज लेकर, उसमें खाद न देकर उन साधनों से जो साधारणत, इनके उत्पादन ने लगाए जा सकते हैं, अतिरिक्त साधन प्राप्त किए जा सकते हैं और इन प्रकार युद्ध का सामना करने के लिए तत्कालीन आधिक अद्यत में बृद्धि की जा सकती है।

(4) वर्तमान पूजी का अधिक उपयोग

युद्ध के लिए साधन वर्तमान पूजी का दोहन करने भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ खानों में अधिक अनिवार्य निवाता जा सकता है तथा द्वर्ण, जबाह-रात व बनान्मव वस्तुओं का निर्मातु किया जा सकता है। चालू आय में से प्राप्त

होने वाली धनराशि को पूजीगत परिसपत्तियों में विनियोजित न करके भी युद्ध कार्यों के लिए साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं।

(5) बाह्य ऋण

युद्धग्रस्त देश विदेशों से ऋण लेकर भी युद्ध का संचालन कर सकता है। नामान्यत ऋण युद्ध सामग्री खरीदने के लिए तटस्थ राष्ट्रों से लिए जाते हैं। इतिहास उपहार के रूप में ऐसी सहायता प्रदान कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध काल में ग्रेट ब्रिटेन ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण लिए थे।

(6) विदेशी में लगी हुई पूजी की विकी

युद्ध के लिए आवश्यक धन एकत्रित करने की दृष्टि से कोई भी देश युद्धकाल में विदेशों में लगी पूजी को निकाल या बेच सकता है। उदाहरण के लिए द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका में लगी हुई ब्रिटिश पूजी बेच दी गई और इससे प्राप्त धन का उपयोग उसी देश की आवश्यक युद्ध सामग्री खरीदने में किया गया।

वित्तीय साधन

युद्ध के लिए वित्तीय व्यवस्था करने का आशय पर्याप्त धन एकत्र करना है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के साधन, कच्चा माल, खाद्य सामग्री, पूजीगत सामान, कर्मचारियों की नैवाएँ तथा युद्ध के अस्त्र शस्त्र आदि खरीदे जा सकें और सेनिकों के वेतन आदि का भुगतान किया जा सके। यह धन निम्न रीतियां द्वारा जुटाया जा सकता है

(अ) करारोपण द्वारा

युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में करारोपण की समस्या शातिकालीन अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भिन्न होती है। युद्धकाल में करारोपण की समस्या गुणात्मक न होकर परिणात्मक होती है। सरकार केवल इसी ओर ध्यान देती है कि वह करारोपण द्वारा अधिकाधिक धन कीरे प्राप्त करे और इसी विचार से नएनए कर लगाती जाती है और पुराने करों की दरों को बढ़ाती जाती है। सरकार करों की प्रकृति की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि इस अवधि में सरकार का मुख्य ध्येय केवल धन जुटाना होता है। शातिकालीन समय में करारोपण का एक सिद्धांत यह है कि आवश्यक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिवधि नहीं लगाने चाहिए। जिसु युद्धकाल में आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर भी प्रतिवधि लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार युद्धकाल में कर की दरों को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है तथा इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता कि करारोपण से व्यक्तियों की बचत व विनियोग करों की भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खूँकि युद्धकाल वास्तव में मुद्रास्फीति का काल होता है, इसलिए करारोपण का उद्देश्य केवल जाय प्राप्त न रहा ही नहीं वरन् स्फीति विरोधी क्रियाओं वो नियन्त्रित करना भी होता है।

युद्ध व्यय का करों द्वारा पूरा करने के पक्ष में वर्क

युद्धवाल में करारोपण द्वारा विदुनी मात्रा ने घनराणि प्राप्त नी जा चुक्ती है, यह निम्न बातों पर निमंर करती है (1) करारोपण की वर्तमान दर, (2) लगाए गए करों की प्रवृत्ति, (3) जनता की वार्षिक स्थिति, (4) नापरिकों की वर सुगतान की समस्या, और (5) समाज के विभिन्न बातों में घन वा विवरण।

यदि युद्धवाल के पूर्व ही करारोपण की दर जारी रखी है, या करदान क्षमता की अविष्य सीमा का उन्नधन हो चुका है, या देश निर्धन है या समाज में घन वा विवरण समान है, या यदि अक्ति वर मार महन वरता नहीं चाहते तो अधिकृत इयरोपण द्वारा घन प्राप्त करने की समावना बहुत कम रहेगी। युद्ध अवंशक्तियों वा मत है यि ऐवन अर्तों द्वारा जाय प्राप्त करने ही युद्ध वा व्यय पूरा वरता जाएगी। इस सबव में निम्न तर्व प्रमुख जिए जाते हैं :

(1) मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता : करारोपण द्वारा युद्ध व्यय की पूर्ति करने पर मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों ने नुक्क रहा जा सकता है। यदि करों और छोड़ों से सरकार को पर्याप्त घन प्राप्त नहीं होगा तो उन्हें युद्ध सचानन दे निए मुद्रा प्रसार की नीति बदलनाली पड़ेगी जिनमे समाज पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ेग। युद्ध वित्त की पूर्ति के लिए मुद्रा प्रसार करने से बहुतों और सेवाओं के सूचीय में वाणी-चीत बूढ़ी हो जाएगी, निर्धन वर्ग पर नज़रिया बोझ जा पड़ेग और अधिकतम सामाजिक वल्याग की समावनाओं पर पानी फिर जाएगा। अब समाज के हित ऐं यही है यि सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति भारी इयरोपण द्वारा ही नह ने। अब इस स्थिति उत्पन्न होने वा भय नहीं रहेगा।

(2) धनिकों की अवधिता रहेगी : युद्धवाल में धनिकों की जाय में निधनों की अवधिता बहुत बूढ़ी हो जाती है। अब अक्ति के पात्र अवन्दन्ताओं ने अधिक घन होता है तो अवधान वह प्राप्त अपन्नों ही जाता है। अतः युद्धवाल में सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए नामिकों पर भारी करारोपण वरेण्य तो इनमे धनिकों की अपन्नियता पर रोक लगेगी। बूड़ि निर्देन वर्ग जी जाय तो पहले से ही कम होती है अब युद्धवाल में उसकी जाय में उच्छ बूढ़ी ही भी रह दी इनके बहु ऐवल अपने जीवन स्तर तो ही मुद्रार नहेगा, उन्हें द्वारा अपन्नियता का प्रलय नहीं उत्ता। इयरोपण में अवधिता तो हवों सहित होती है अब क्यों द्वारा युद्ध वर्गों वा नवाचार न्यायोंकि होगा। सरकार अधिकृत वर्ग जो रोकने के लिए जो अर लगाएगी वह धनी पर ही होंगे। इस दर्ये पर अब उगाछ उन्हें अधिकृत घन को नहलारी कोप ने दीन तिया जाएगा।

(3) युद्ध के बाद सरकार पर छोड़ों के भूगतान का बोझ नहीं रहेगा : यदि युद्ध व्यय की पूर्ति इयरोपण ने भी जारी तो युद्ध के बाद सरकार पर छोड़ों के भूगतान का बोझ नहीं रहेगा। इनमे विपरीत यदि युद्ध बहुत लंबे अधिकृत घन को नहलारी कोप ने दीन तिया जाएगा।

तो युद्धोत्तर अवस्था में सरकार पर क्रृष्णों के भुगतान का बोझ इतना अधिक रहेगा कि उसकी आय का अधिकांश भाग तो केवल क्रृष्णों और ब्याज के भुगतान में ही व्यय हो जाएगा और वह देश के विकास तथा पुनरुत्थान पर अधिक व्यय नहीं कर सकेगी।

(4) भावी सतति पर युद्ध व्यय का बोझ नहीं पड़ेगा युद्ध व्यय की पूर्ति करारोपण से प्राप्त आय से की जाने पर भावी सतति युद्ध व्यय के बोझ से मुक्त रह सकेगी। इसके विपरीत यदि क्रृष्णों के बल पर युद्ध लड़ा गया तो इन क्रृष्णों का भार निश्चित रूप से भावी सततानो पर बहुत अधिक पड़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि युद्धकाल में तो क्रृष्ण ऊची ब्याज वीं दर पर लिए जाते हैं जबकि युद्ध समाप्ति के बाद ब्याज की दर नीची हो जाती है और मूल्य स्तर गिर जाते हैं। इस स्थिति में उक्त ब्याज के भुगतान का भार बड़ा जाता है क्योंकि ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक कर लगाने पड़ते हैं। अत यह बाधकीय है कि भावी व्यक्तियों को युद्ध व्यय के भार से बचाने के लिए सरकार क्रृष्ण लेकर नहीं अपितु कर लेकर युद्ध लड़े।

(5) त्याग की समानता। कपारोपण द्वारा प्राप्त आय से युद्ध लड़ने में निर्धनों और धनियों के त्याग में समानता आ जाती है क्योंकि जहाँ निर्धन व्यक्ति अपनी जान खतरे में डालकर युद्ध लड़ते हैं वहाँ धनी व्यक्ति करों का भार सहन करते हैं। युद्धकाल में धनियों की अर्थक सेवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन पर अधिकाधिक करारोपण किया जाना चाहिए।

युद्ध व्यय का करो द्वारा पूरा करने के विषय में तर्क

जहाँ उपर्युक्त तर्कों के आधारों पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने युद्ध व्यय की पूर्ति अधिकांशत करारोपण द्वारा करना उचित ठहराया है वहाँ दूसरी ओर एक ऐसे वर्ग भी हैं जिसने निम्न आधारों पर उसका विरोध किया है।

(1) अर्थात्ता : आधुनिक युद्ध बहुत महगे और छन्दों होते हैं। इनमें करोड़ों रुपये प्रतिदिन व्यय हो जाता है। स्पष्ट है कि इनी विशाल राशि की पूर्ति करो द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रो० सैलिंगमेन ने स्पष्ट कहा है 'यदि सरकार समस्त बड़ी-बड़ी आयों के लाभों को जब्त करलें तो भी आधुनिक युद्ध का आधा व्यय भी पूरा नहीं हो सकेगा।' इसके अतिरिक्त करदाताओं की दरदेय क्षमता की भी एक सीमा होती है। उस सीमा ने अधिक कर प्राप्त नहीं लिए जा सकते, अन्यथा देश में आनंदिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की सुरक्षा अवस्था करनी होगी, जिसने सरकार पर व्यय भार और भी अधिक बड़ा जाएगा। अन वाल्लीर यही है कि सरकार करारोपण द्वारा नहीं वरन् क्रृष्णों की सहायता से युद्ध लड़े अर्थात् युद्ध वित्त वीं पूर्ति के लिए अन्य साधनों पर भी निर्भर रहे।

(2) उत्पादन और बचत पर बुरा प्रभाव : बाधुनिक मुद्दों की अपार व्यवस्था की पूर्ति यदि करारोपण द्वारा की जाएगी तो इतनी अधिक मात्रा में करारोपण देश सहन नहीं कर सकेगा। अत्यधिक करों के कारण देश की वर्षव्यवस्था के अस्त-न्यस्त हो जाने का भय रहेगा। चूंकि कर भार अधिकाशत धनी वर्ग पर पड़ेगा अत यह वर्ग उत्पादन वायों में रुचि खो देंगा जिससे उत्पादन कम हो जाएगा और परिणामत उम्मी वचत भी भविष्य में कम होगी। इन प्रकार अन्तोगत्वा देश की संपूर्ण आर्थिक दशा ही छिन-मिन हो जाएगी। इसलिए वह डचिन है कि युद्ध-व्यय नो पूरा करने के लिए सरकार केवल करों पर ही निर्भर न रहे बरन अन्य साधनों का अधिकाधिक व्याधय ले।

(3) कर वाप के अनुमान सर्वथा सत्य नहीं होते: यह आवश्यक नहीं है कि सरकार करारोपण में जितनी आय प्राप्त होने का अनुमान लगाए वह ठीक ही हो। एक तो कर व्यवस्था को युद्धालीन द्रव्य की आवश्यकता अनुकूल बनाने में कुछ ममय लगता है और दूसरे करारोपण से आय प्राप्ति का अनुमान भी गति हो सकता है। अटम स्मित ने ठीक ही बहा है 'करों के सुंवध में सदा दो और दो मिलाकर चार नहीं होते, बरन ये तीन भी हो सकते हैं और पाच भी। सरकार को जिसी कर से जितनी आय प्राप्ति होती ही, वास्तव में प्राय उतनी आय प्राप्त हो नहीं पाती। यदि युद्धालीन में सरकार नी आय अनुमान गलत रह जाए और आमदनी आवश्यकता से कम हो या ठीक-ठीक समय पर प्राप्त नहीं हो पाए तो स्पष्ट है कि उसे विप्र परिस्थितियों का यामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि उत राष्ट्र के हार जाने तक का खतरा पैदा हो जाता है। जह इन निट्नाइट्सों को ध्यान में रखत हुए उपर्युक्त है कि सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए केवल करों पर निर्भर न रहे, बरन अधिकाशत ऋणों से व्यय की पूर्ति करे।

(व) करणों द्वारा युद्ध व्यय की पूर्ति

चूंकि करारोपण में इतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती है कि युद्ध के लिए वित्त की पूर्ण स्वप्न ने व्यवस्था की जा सके, इसलिए सरकार को ऋण व्याधय लेना पड़ता है। ये ऋण आतंकिक या बाह्य जिसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार वर्द्ध प्रबाल में ऋण प्राप्त कर सकती है, जैसे (1) देश में विभिन्न प्रबाल के ऋण पक्के बाढ़ चालू करें, (2) वैदों को अधिक मात्र मृजन करने के लिए वाप्त करें, (3) वैदों से प्रत्यक्ष स्वप्न में ऋण प्राप्त करें, तथा (4) अनिवार्य वचत योजनाओं को सारूप करके (भारत में सन् 1966 में अनिवार्य जमा की एक योजना की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि जीती हमते के आपत्तिजनक स्थिति के निवारणार्थ आवश्यक सावन प्राप्त किए जा सकें) आदि। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि केवल करारोपण ही व्याधुनिक युद्ध वित्त व्यवस्था का एकमात्र सोत नहीं हो सकता।

जह मार्बंडनिक ऋणों का युद्ध वित्त के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयोग करने के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं।

युद्ध क्रष्ण के पक्ष में तर्क

युद्ध व्यव की क्रृष्णों द्वारा पूर्ति के पक्ष में दिए गए तर्क इस प्रकार हैं :

(1) वर्तमान आप स्रोतों का अधिकतम उपयोग : वर सर्दूल निपचित दरी पर लगाए जाते हैं अत वरदाताओं द्वारा सरकार को जो कुछ भी धन दिया जाता है वह नागरिकों वी अपनी योग्यता के अनुसार नहीं होता। इसके विपरीत क्रृष्णदाता सरकार को धन देते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है उसके बिसी भाग को वे सरकार को व्याज के लालच में क्रृष्ण दे देते हैं। चूंकि सरकार को वरों की तुलना में प्राय क्रृष्णों से धनुत अधिक धन प्राप्त होता है अत वरों की तुलना में क्रृष्णों से सरकार वर्तमान आप स्रोतों पा अधिक उपयोग कर लेती है।

(2) क्रृष्ण देने में क्रृष्णदाताओं को त्याग नहीं करना पड़ता : क्रृष्ण देने में क्रृष्ण दाताओं को कोई त्याग नहीं करना पड़ता। वे तो एवं प्रकार से स्रोतों प्राप्त वरते हैं परंतु उन्हे व्याज के रूप में कुछ न कुछ आप प्राप्त होती है। अत युद्ध वित्त वी व्यवस्था वरने के लिए वैवर्त वरारोपण की नीति ही उचित नहीं है वरन् वरों ने साथ क्रृष्ण की नीति भी अपनाई जानी चाहिए।

(3) तत्कालीन दुष्परिणाम नहीं . सावंजनिक क्रृष्णों का युद्ध वित्त के लिए विशेष महत्त्व इससिए भी है कि अर्थव्यवस्था पर इनका तत्कालीन दुष्परिणाम नहीं पड़ता। कोई अतिरिक्त भार न पड़ने के कारण सावंजनिक क्रृष्ण राक्षट वाल में सहायक सिद्ध होते हैं। अत यह उचित है कि युद्ध व्यव वी पूर्ति के लिए सावंजनिक क्रृष्णों का बड़ी मात्रा में उपयोग दिया जाए।

(4) उत्पादन एवं उपभोग पर प्रभाव नहीं पड़ता . सावंजनिक क्रृष्णों द्वारा युद्ध व्यव की पूर्ति वरने पर देश के उत्पादन और उपभोग पर कुरा प्रभाव नहीं पड़ता। क्रृष्ण यदि अनिवाय पहुंचति वे नहीं हैं तो प्राय वर्षतों में से दिए जाते हैं, अत उपभोग और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालते।

(5) अर्थव्यवस्था में प्रगति : लोक क्रृष्णों से युद्धशालीन अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त उद्योगों का विवास होने और उत्पादनता में वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था उन्नत होती है। लोगों को रोजगार मिलने और व्यापारिक प्रक्रियाओं में लोकता व परिवोलता आने से अधिक विवास में सहयोग मिलता है। इस प्रकार युद्धवाल में लोक क्रृष्णों का सेना देश वी अर्थव्यवस्था पर प्राय अनुकूल प्रभाव ढालता है।

(6) मुद्रा प्रसार का विशेष भव नहीं : वरों वी भाँति क्रृष्णों से भी मुद्रा प्रसार का भव नहीं रहता। वे तो कुछ गीमा तरंग मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों को कम ही बरते हैं। वरारोपण से पाइत धनराशि न मिलने पर, क्रृष्ण लेने के स्थान पर यदि

सरखार मुद्रा प्रसार वरती है तो उगवे भीपप परिपाम हो सकते हैं। मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों से मुक्ति पाने के लिए यह उचित है कि सरखार अपें द्वारा मुद्रा सबौधी आवश्यकताओं की पूर्ति बरे।

(7) क्रष्ण भार भावो पीढ़ी परः यदि युद्ध ऐकल बरो वे आधार पर लड़े जाते हैं तो भार भार मूलत वर्तमान व्यक्तियों पर पड़ता है और इन प्रकार युद्ध भार उन्हें सहन करना होता है जबकि युद्ध वर्तमान और भावी दोनों ही मतभिन्नों के लिए लड़े जाते हैं। चूंकि अप्पे पक्ष प्राप्त वर्तमान वर्ततों में कई नई जाते हैं, इसलिए नीति अप्पों का तात्पारीक भार बुझ नहीं पड़ता। इन भार को भविष्य के लिए यह शोधन क अप म भावी पीढ़ी पर द्वारा दिया जाता है। इन प्रश्नों के नवट नाम को पार बरक आगामी पीढ़ी अपार्थित नहरता में उगाका जोधन बर नहीं है। यदि अप्पे वर्तमान उपभोग का बम अब दिए जाते हैं तो ऐसे अप्पों का भार वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है। अब, युद्ध के भार उ विवरण में गमान्त्रा निम्न के लिए यह उचित है कि युद्ध का प्रधानत अपें द्वारा ही लटा जाए ताकि युद्ध का भार वर्तमान और भावों दोनों पीढ़ियों पर द्वारा जा सके।

(8) जनता का विद्वास द्वारा रहना है : जामान्यत मनुष्य बरों में पूरा करता है क्योंकि कर उत्तरी आनन्दित व्याय अम कर देते हैं। सरखार यदि बर देय क्षमता ने पर उत्तरारोपण अर्ली है तो जनता भ विद्वान् जनाप्त हो जाता है और देवा में कानूनिक उपक्रम दी कापना दनी रहती है। यदि युद्ध व्यय अप्पे द्वारा पूरा किया जाए तो जनता को मूलधन क व्याज निम्ने की काशा रहती है और सरखार म उभया विद्वान् द्वारा रहना है।

अपें द्वारा युद्ध क्रण के विपक्ष में तकँ

युद्ध विद्वानों का विचार है कि अपें द्वारा की विन व्यवस्था नहीं जी जानी चाहिए। अपन मत के मनदेन भ ये विद्वान् प्राप्त निम्न तकँ प्रमुख बरते हैं

(1) युद्ध क्रण राष्ट्र पर मृत-भार के समान होते हैं : युद्धोत्तर काम में अपें द्वारा के व्याज और मूलधन के भूगतान के लिए भारी करारोपण बरता पड़ता है। इसके परिपामव्यवस्था राजतीय वित्त व्यवस्था लद मनम के लिए छिन-मिन्न हो जाती है। भारी करारोपण में एक और तो उद्दीप्तों का विद्वास प्रतिकूल अप में प्रभावित होता है और दूसरी ओर गमाज में जार्खिक विपक्षता में भी दृढ़ होती है। सरखार द्वारा निर्गमित बाड तथा क्रण पक्ष सामान्यत उनों वर्ग द्वारा ही खरीद जाते हैं जिन पर उन्हें व्याज मिलता रहता है। इसके कलव्यवस्था द्वारी और अधिक घनवान होता जाता है और अधिक विपक्षता बरती जाती है। चूंकि युद्ध क्रण अनुत्तादक होते हैं और मुद्दोत्तर काम में इनका प्रशाद देने की अर्थ व्यवस्था पर अच्छा नहीं पड़ता, अतः ये क्रण राष्ट्र पर एक मृत भार के समान होते हैं।

(2) सरकार इच्छानुसार अर्थनीति कर पाती अर्थों द्वारा युद्ध वित्त के प्रबन्ध के बिरद्द एक तर्वर्यह भी है जिसकार युद्ध वित्त को पूरा करने के लिए वाटित और असीमित मात्रा में अर्थनीति नहीं कर सकती, फिरोकि अर्थनीति करने की भी एक सीमा होती है। अर्थनीति में से दिए जाते हैं और इस कारण अधिक अर्थनीति लेने पर देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(3) मुद्रा प्रसार का भय : यदि अर्थनीति सरकार को अर्थनीति बचतों में से न देने वेंसे से उधार लेकर देते हैं तो इस प्रसार के अर्थों से देश में मुद्रा प्रसार का भय रहता है। इसके विपरीत करारोपण में मुद्रा प्रसार का भय नहीं होता।

(4) अतिरिक्त व्यय और युद्ध को प्रोत्साहन . रिकार्ड्स एडम स्मिथ आदि परपरागत अर्थशास्त्रियों वे अनुगार युद्ध वित्त की पूर्ति सार्वजनिक अर्थनीति से इमर्जिए नहीं करनी चाहिए क्यानिं इनमें अतिरिक्त व्यय और युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। वह राष्ट्र, जो अर्थों की रोकाएं लेता है अपने लिए हानिकारक परिस्थितिया उत्पन्न करता है।

उपरोक्त विवरण से भगट है जिसमें युद्धालीन वित्त में लिए न तो अरेसा करारोपण ही बाधनीय है और न वेबल अर्थनीति के लिए आवश्यक धन अपाप्त करने हेतु दोनों ही रीतियां जो साध-साथ अपाप्ता चाहिए फिरोकि दोनों रीतियां एक दूसरे की पूरक हैं। रितनी धन राजि करारोपण से अपाप्त की जाएँ और रितनी धन से, यह कई बातों पर निर्भर करता है जैसे- (अ) देश में करारोपण का चालू स्तर, (ब) अर्थनीति की क्षमता तथा (स) सोनों में उपचोग वस्तु करने और बचत वर्तन की इच्छा। टेलर ने इस सवाल में लिया है इन दोनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए कि व्यक्ति और फर्मों में युद्ध समाप्त होने पर आपस में वही सद्यध बना रहे जो युद्ध प्रारम्भ होने पर था।

(स) मुद्रा प्रसार

यही वही सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने हेतु मुद्रा स्फीति का आश्रय लेती है। इस नीति के अकार्यत सरकार अतिरिक्त मुद्रा छाप लेती है और इसके द्वारा जनता से आवश्यक यात्रा सामग्री परीद लेती है तथा खेतन य मजदूरी आदि का भुगतान वर देती है। इस नीति का दूसरा रूप यह है जिसके अन्तर्गत सरकार को द्वितीय दंड से या देश की अन्य वैरिंग सम्प्रभुओं से उधार लेती है अथवा ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न कर देती है जिससे यैकों की साध में वृद्धि हो और वे सरकार को अधिक अर्थनीति देने में समर्थ हो सकें।

द्वितीय महायुद्ध काल में संगभग सभी महत्वपूर्ण देशों में युद्ध सचालन-व्यय की पूर्ति युद्ध अंश तक बागजी नोट छापपर की थी। अमेरिका, फ्रिंटन, भारत, जर्मनी व जापान में जुलाई 1939 की सुलता में दिसंबर 1944 में कुल प्रबलित

मस्ट्रेब ने इस सदर्भ में बहा है 'युद्धवालीन आहरण नीची आय वर्ग से प्रत्यपंण करो (refundable taxes) तथा ऐसे बलात् फृणों का रूप ले सकते हैं जिनकी वापसी ऊची आय वर्ग के द्वारा होती है।'

जो समाज में असतोष उत्पन्न कर देता है। लोगों के धोगदान वेवल नाम-मात्र को ही ऐच्छिक होते हैं, वास्तव में ये राजकीय सत्ता के प्रभूत्व में अनिवार्य रूप से बमूल चिए जाते हैं।

इस समूर्ण वितरण में निष्ठार्थ स्वरूप यह बहा जा सकता है कि युद्ध की वित्तीय व्यवस्था बरने के लिए सरकार उन सब साधनों को अपनाया बरती है, जिन्हे वह सभवत अपना सकती है। युद्धकाल में जौन-भी रोति अपनायी जाए, यह बहुत बुछ युद्ध की प्रगति और परिस्थितियों पर निर्भर बरती है। युद्ध को प्रारंभिक व्यवस्था में प्रणो और करों से धन जुटाया जाता है। अल्पवालीन छोटे युद्ध व्ययों की पूर्ति करारोपण द्वारा ही बर ली जाती है। परन्तु युद्ध की प्रगति के साथ साथ करारोपण अधिकाधिक भारी होता जाता है। दोषकालीन युद्ध वित्त की पूर्ति के लिए लोक फृणों का आश्रय लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों और राशनिंग से बचतों को प्रोत्साहित व उपभोग को हतोत्साहित किया जाता है ताकि युद्ध के लिए अधिकाधिक साधन उपलब्ध हो सकें। यदि इन साधनों से पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता तो सरकार सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है जिससे देश में स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट है कि वास्तव में युद्ध कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था बरना कोई सरल नार्य नहीं है। युद्ध वित्त की समस्या वेवन युद्ध का जीनना ही नहीं होता बरन उसमें यह भी देखना होता है कि लोगों की मुरक्का को वसंत से कम हानि पहुचाई जाए। सामाजिक दाचा कम से कम अस्त-व्यस्त हो और युद्ध भी जीत लिया जाए। यदि युद्ध के लिए वित्त या प्रबंध एवं योजनावद दण रो हिया जाए तो पर्याप्त सीमा तक युद्ध और वित्तीय व्यवस्था के बुरे प्रभावों से जनता को बचाया जा सकता है।

युद्ध वित्त व्यवस्था के प्रभाव

युद्ध तथा उनकी वित्त व्यवस्था के लिए अपनाए जाने वाले साधन अपने पीछे भीषण आर्थिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। युद्ध वित्त या प्रबंध प्रभाव मुद्रा प्रसार है। युद्धोपरात वासी लंबे समय तक मूल्य स्तर में बूढ़ि होती रहती है। एम० ई० राविन्नान के शब्दों में, 'मूल्य बूढ़ि का अर्थ यह है कि इसी अन्य घरीदार के समान सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को बढ़ाता हुआ प ती है और उसके बर्तन्यों की लागत भी बर्से ही बढ़ती है जैसे कि मूल्य बढ़ते हैं।'¹

¹ Richard A. Musgrave 'The Theory of Public Finance', (1959) Mc Graw Hill Book Company Inc., New York p 567.

² M. E. Robinson 'Public Finance', (1922), Nisbet & Co Ltd., Cambridge, p 119

मुद्दाम में मूल्य वृद्धि अथवे साथ वहून्ही चुराद्या नहर जाती है। ऐसे समय में किसी मूल्य में तो वृद्धि हो जाती है परन्तु व्यय बढ़ते हुए मूल्य के साथ तुरत समन्वित नहीं हो पाते। इसनिए नाम बनुदूत भूमि में प्रभावित होते हैं जिसमें सरकार भी नाभावित होती है। बढ़ते हुए लाभों से सरकार जी आय भी बढ़ती है। ऐसे साम व्यापारिन गतिविधियों से भी प्रोत्ताहित होते हैं और उन योग नपति वा बटाने हैं। न्यरणीय है कि नाम वी वड़ि वा मूल व्याप वह होता है कि मजदूरी भूमि मूल्य परिवर्तन के नाथ समाजोनित नहीं होप जाती। जैसा कि एन० ई० राविन्मन वा भूत्य है युद्ध करने में नजदूरी मूल्यों के पीछे रह जाती है तथा नजदूरी बटाने जी मात्र एक नन्त्र नाकाजिक नुष्ठें को उन्नत बरती है।¹

स्थीर भी देश के मूल्य भूमि में घोर परिवर्तन एवं देश की मृदा जा न्यून हो देग जी मृदा में मूल्य को भी परिवर्तित कर देता है। प्रथम मुठ देश वाद मूल्य सात्र प्रदानगर्त्ता अमरीका के दावर में तथा इन्हें देखो तो वृद्धि के मूल्य ने वहून्ही अधिक हास देखा गया। दूसीप के अन्य देशों की देश तो और भी दपनीय थी। यदि जिसी देश को एन० न्यायान इन्हें जिनका मूल्य भूमि न या अद्वितीय मृदा में निश्चित किया गया हो तब भूगतान बरते नमम उने अधिक भार नहन बरना पड़ता है।

युद्ध के जारी भारत पर वही मात्रा में लहज का भार अश्वित हो जाता है जिनका बान्धवित एवं नीदित भार जनता जो अधिक नहन परता पड़ता है। चाही-चन्नी ये मात्रा भी होता है कि युद्ध नवयी व्यय को मूल बरन के निए भरकार मध्यी व्यापारियों दायी जो भूमि जाती है जैसा कि अमरीका राष्ट्रपति लाइटन-हावर ने भरकार पक्कों के निदेशों ने भूमि एक बार उहा था कि 'प्रोटेक वहून जो बनाई जाती है, हर युद्धप्रोत्त जो पानी में खिमताया जाता है, प्रत्येक रावेट जो छोड़ा जाता है। अनिम अर्थ में उन चोरी की ओर अपेत बरता है जो भूम्यों के यहा जी जाती है जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको ढड लगती है और पहनन को बस्त नहीं मिलते।

हम इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि युद्ध भूम्यों का भार भावी पीढ़ी पर पड़ता है जबकि कर्गों द्वारा युद्ध जी वित्त व्यवस्था से भार बर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है। जब युद्ध जी वित्त व्यवस्था चलाधान द्वारा जी जाती है तो उनका भार उन सौगां पर पड़ता है जो वर बदा करते हैं, जिनु जब वित्त प्राप्ति का मुख्य स्रोत सरकारी उधार होता है यो उम्मका वित्तीय भार उन नोगों पर पहना है जिन्हें व्याज की अदानी और शोधन-निपिति के निर्माण के निए भविष्य में सरकार जो कर बदा करते पड़ते हैं। युद्ध का द्राविक-भार तो विभिन्न प्रकार जी

¹ M. E. Robinson, op. cit., p. 121.

वित्तीय पद्धतियों के अतगत विभिन्न समयों में तथा लोगों के विभिन्न वर्गों पर पड़ सकता है जिन्हें उपभोग तथा विनियोग की कमी के रूप में जो वास्तविक भार होता है वह उस समय लोगों पर पड़ता है जबकि आर्थिक साधन वास्तव में युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

विदेशों से अर्णुण ने वा एक प्रभाव यह होता है कि राष्ट्र उस समय उम अर्णुण की सीमा तक युद्ध की नागरिकों के भार बहुत बरन से बच जाता है जो उस युद्ध नागरिक वा वास्तविक त्याग उम समय अनुभव बरता है जबकि अर्णुण अदा किए जाते हैं।

यह व्यापक रूप में स्वीकार रिया जाता है कि तोग करों की अदायगी अपनी चारू आय में से करते हैं तथा अर्णुण का भुगतान बचता से रिया जाता है। फलत करों का मापूण आर्थिक प्रभाव तोगों पर उमी समय पड़ जात है जबकि अर्णुण का भार उस समय आगे लिए फूंक दिया जाता है।

युद्धान में तोगों में जो देशभक्ति की भावना उत्पन्न होनी है उसके कारण तोग भारी करों का दोग भी स्वेच्छा से महन कर लेते हैं। परन्तु आजनके युद्ध वर्षों तक विचल हैं। अब तोग कराधान के निरारबन्त इए भार को उतने ही उत्साह से सहन नहीं कर सकते। करों की बन्ती नई राशि का नामरिता के बाय करने बचत तथा विनियोग करते की इच्छा एवं धारता पर गभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त विवरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं वे भी विचारणीय हैं। व्यापक अर्णुण युद्धान में ऐसे तोगों से निए जाते हैं जो धनी होने हैं। जल धन के वितरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। युद्ध के बाद जब इन अर्णुणों की अदायगी के लिए कर लगाए जाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उन करों का भार भी विभिन्न वर्गों पर उमी अनुपात में पट्टा जिस अनुगाम में उत्तम अर्णुण में अपना अशादान दिया था। व्यापक समावना इस बात की है कि नये करों के भार का एक बड़ा अनुपात निर्धन वर्गों को ही सहन करना पड़ता। इससे वितरण प्रतिकूल रूप में प्रभावित होता। जहाँ तक करों द्वारा युद्ध की वित्त व्यवस्था का सबध है हम मार्यान्य रूप से यह वह सकते हैं कि उनका भार धनी वर्ग पर ही पड़ता अत वितरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता।

यदि कोई देश नामरितों की सुरक्षा के खतरे की उपस्था करते हुए युद्ध में विकल्पी होता चाहता है तो वह अपने उद्देश्य में सफल भने ही हो जाए जिन्हें बाद में उसे भीषण नष्टी को सहना पड़ता। इस सदम में प्र० पी० पी० के शब्द उल्लङ्घनीय हैं युद्ध के परिणाम और भी कठु प्रतीत होते यदि हम मूल्या के नष्ट होने की ओर ध्यान दें जो कि आर्थिक शक्ति से विलकूल ही परे होती है। मनुष्यों को अपने बचन का पानव करना युद्ध में भाग लेने वालों के जर्मों तथा वीमारियों से उत्पन्न होने

बाले कष्ट, युद्ध में भाग लेने वालों पर होन वाले अत्यधिकारों और विचारों का मिल होता, युद्ध के अनिवार्य परिमाण होते हैं।¹

भारत में प्रतिरक्षा व्यय

मरनार यह भरसन प्रथम बरती है कि बजट सुनिश्चित रहे तथा आम की सीमा में ही व्यय का कुशल बटवारा हो। परन्तु युद्धाल में इस प्रकार की सब धारणाओं को छोट देगा पढ़ता है। स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए वह प्रतिरक्षा पर विसी भी सीमा तक व्यय नहीं लेती है। ऐस नमय ने 'मुरक्का बजट' पिला पर जाग्रित बालज के द्वारा व बजट की भाँति होता है न हि परिवार के बजट की भाँति जो निरिवत आय की सीमा में व्यय का कुशल बटवारा करने का प्रयत्न करता है।²

सन् 1861 न प्रतिरक्षा पर 16.47 करोड रुपये व्यय किया गया था जो सन् 1920 न बटवर 87.38 करोड रुपये हो गया। सन् 1936 में यह 49.5 करोड रुपये था जो कुन मरकारी व्यय का 54.9 प्रतिशत था। टिकोन महायुद्ध के वर्षों में यह व्यय निरतर बढ़ता गया। सन् 1944-45 के वर्ष में यह व्यय 258.32 करोड रुपये था।

स्वतंत्रता के पश्चात यह व्यय काफी घट गया। 1950-51 न मुरक्का पर 92 करोड 164.13 करोड रुपये व्यय किया गया, उसके पश्चात वह निरतर बढ़ता गया। 1950-51 से बर्तमान नमय तक के प्रतिरक्षा व्यय जो निम्न प्रकार सम्पूर्ण किया जा सकता है

आयगत रक्षा व्यय (करोड रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	रक्षा व्यय	प्रतिशत व्यय
1950-51	346.64	164.13	47.3
1961-62	1,069.11	301.93	28.0
1963-64	1,664.94	392.55	30.3
1969-70	2,902.39	986.00	33.3
1970-71	3,142.20	1,051.50	30.0
1971-72	4,107.00	1,248.4	34.0
1972-73	4,591.00	1,404.0	34.0
1973-74	4,954.75	1,551.13	30.0
1974-75	5,407.88	1,679.73	31.0
1975-76	6,411.00	2,036.00	31.3

(बजट बनायान)

1 A. C. Pigou - "Political Economy of War", p. 47

पूजीगत रक्षा व्यय (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल व्यय	पूजीगत रक्षा व्यय	प्रतिशत व्यय
1950-51	182 59	4 19	2 29
1961-62	1,171 61	22 95	1 95
1963-64	1,825 89	115 63	6 33
1969-70	1,540 00	170 00	11 00
1970-71	3,142 20	417 80	4 00
1971-72	1,411 00	162 6	12 00
1972-73	3,239 00	196 00	14 00
1973-74	3,484 29	202 00	7 00
1974-75	3,457 04	235 27	6 79
1975-76	4,277 00	238 00	5 58
(बजट अनुमान)			

स्वतंत्रता वे पश्चात सर्वप्रथम पाकिस्तान न कश्मीर के एक भाग पर आक्रमण करके उसके एक भाग पर बलात कब्जा कर लिया। उसके पश्चात वह भारत पर निरतर छुट्टनुट हमले करता रहा है। फलत भारत को प्रतिरक्षा पर निरतर अपना व्यय बढ़ाना पड़ा है। 1961-62 में यह व्यय 301.93 करोड़ रुपये हो गया था।

सन् 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत को मुख्या व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। स्थल सेना में बृद्धि की गई तथा आधुनिक शस्त्रों का निर्माण करना पड़ा। इसी कारण सरकार का पूजीगत रक्षा व्यय 1963-64 में बढ़कर 115.63 करोड़ रुपये हो गया जबकि इससे पिछे वर्ष यह 22.95 करोड़ रुपये था। पाकिस्तान ने छुट्ट-पुट आक्रमण करने के पश्चात सन् 1964 में पुन शेष कश्मीर पर कब्जा करने का पठयत्र रखा। उसने हजारों घुसपैठियों द्वारा छिपे हुए से कश्मीर में भेज कर तोड़-फोड़ की नियाएं प्रारम्भ कर दी। इसका मुहन्तोड़ जवाब देने के लिए भारत को प्रतिरक्षा पर अपना व्यय बढ़ाना पड़ा सन् 1963-64 में 692.55 करोड़ रुपये व्यय निया गया जो कुल व्यय का 30.3 प्रतिशत था। 1966-67 में रक्षा व्यय 1961-62 की तुलना में तीन गुना बढ़ गया। इस बृद्धि का प्रमुख कारण 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का होना है। सन् 1971 में पाकिस्तान ने साथ पुन युद्ध छिड़ जाने के कारण सरकार को रक्षा व्यय में बृद्धि करनी पड़ी। भारत को चीन व पाकिस्तान के विरोधी गठबंधन का भय आज भी बना हुआ है।

ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा व बद्धता के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मुरठ करने के लिए रक्षा व्यय बढ़ा है। 1975-76 में 2,036.00 करोड़ रुपये प्रतिरक्षा के रूप में व्यय करने का अनुमान है।

स्वतंत्रता के उपरात जिन कारणों के द्वारा प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि हुई उन्हें निम्न रूप में बर्चॉहर्ट विभा जा सकता है :

(1) औजारों का आधुनिकरण : प्रतिरक्षा सेवाओं को पूर्णरूप से आधुनिक शस्त्रों से नुसन्जित करने, विशेषकर मुद्र पोत खरीदने पर अधिक व्यय निया गया।

(2) पूजी परिव्यय में वृद्धि : सरकार को मुद्र का सामान निर्माण करने के लिए नये कारखानों की स्थापना करनी पड़ी जिससे विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े।

(3) सेना में वृद्धि : विभाजन वे पश्चात सुरक्षा व्यवस्था को मुरठ करने के लिए अल्प सेना, नो सेना वथा दायु सेना का विकास करना पड़ा।

(4) हथियारों की खोज : सेनाओं के लिए नए हथियारों की खोज के लिए बड़ी रकमें खर्च की गई।

(5) मुद्र-क्रौशल तथा प्रशिक्षण में परिवर्तन : देश में उच्च यैनिक प्रशिक्षण देने के लिए अनेक केंद्र खोले गए। तथा मुद्र-क्रौशल और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लिए गए।

(6) कश्मीर पर व्याकरण : पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के एक भाग पर वध्दा तथा उनके छुट-मुट आकरणों ने भारत सरकार को प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करने के लिए प्रेरित किया।

(7) चीन तथा पाकिस्तान के व्याकरण : 1962 में चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण इन दो पर अधिक व्यय करना पड़ा। इनके पश्चात चूँ 1971 में पाकिस्तान के नाय पुनः युद्ध होने के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई।

(8) बड़ा हुआ देश तथा भूता : 1973 में रक्षा सेनाओं के अनुभरों और जनोदों के बेतन और भूतों में वृद्धि के कारण भी प्रतिरक्षा व्यय भी बढ़ा है।

अदिव्य में सुरक्षा व्यय में घटने की नोई संभावना दिलाई नहीं पढ़ती बर्दोऽक्षि भारत को पारिन्द्रान तथा चीन ने जानकर वा भय अब भी दिना हुआ है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए इन दो पर व्यय घटने की कोई संभावना नहीं है।

संघीय वित्त

संघीय सरकार के कायों का बटवारा अनेक बातों पर निर्भर करता है। कुछ सधों में अत्यधिक केंद्रीयकरण और कुछ में अत्यधिक विकेंद्रीयकरण देखा जाता है। किन्तु जब समवर्ती विषयों में प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है तब प्रशासनिक मुविधाएँ और काय-वृशलता के सामाय मिहाल हमारा माग-दण्डन करते हैं।

प्राय एकाकी तथा संघीय प्रशासन की शासन प्रणाली विश्व के देशों में देखने को मिलती है। एकाकी शासन प्रणाली में देश की सपूण शासन व्यवस्था एक सरकार के आधीन होती है और ऐसी सरकार केंद्रीय सरकार होती है। इसके विपरीत संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त भिन्न भिन्न भातों में प्रातीय सरकारें होती हैं। प्रातीय सरकारें अपनी-अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत प्रशासनिक कायों के लिए स्वतंत्र होती हैं और केंद्रीय सरकार प्राय उनके कायों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती।

वित्त व्यवस्था का विभाजन

प्रशासनिक व्यवस्था के एकात्मक एवं संघात्मक विभाजन के आधार पर वित्त व्यवस्था वो भी निम्नरिचित दो भागों में बाटा जाता है।

(1) एकात्मक वित्त व्यवस्था एकात्मक वित्त व्यवस्था में देश की सपूण मदों पर केंद्रीय सरकार व्यय करती है और समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय भी केंद्रीय सरकार के बोय में जमा होती है।

(2) संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्था में आय के समस्त स्रोतों तथा व्यय वो मदा वो केंद्रीय प्रातीय तथा स्थानीय हृष से रिभाजित कर दिया जाता है। तीनों ही सरकारें अपनी-अपनी सीमा में आय के नियारित स्रोतों से आय प्राप्त करने और व्यय वो मदा में व्यय करने में स्वतंत्र होती है। किन्तु उनमें सतुरन वो दृष्टि से वित्तीय मवध होता है।

संघीय कार्य क्षेत्र

केंद्र, प्रान्त एव स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में प्रतिवृद्धिका की भावना को समाप्त करने के लिए संघीय गान्मन प्रणाली में अतराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को पूर्जन केंद्र के अधीन छोड़ दिया जाता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से नुस्खा, विदेशी सबध, राष्ट्रीय नवको, भुजा, नीट्रिक, निक्षे, वैज्ञान, वीना, रेन्डे, चैंडिंग वाहन साधन विदेशी विनियन व व्यापार एव राष्ट्रीय नियोजन बादि को राष्ट्रीय एवं बनराष्ट्रीय महत्व की दृष्टि के तब के अधीन रखा जाता है।

प्रातीय तथा स्थानीय इकाइयों का कार्य क्षेत्र

स्थानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विषय प्राचीर तथा स्थानीय इकाइयों की दिए जाते हैं। इपि, मादजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनियन बादि की स्थानीय मदों में गणना की जाती है। चूंच विषय ऐसे भी हैं जिनके लिए उप तथा प्राचीर भरकारों वा नयूक्ल प्रशासन बाबन्दन हो जाता है। अम अधिनियम, सूच्य नियन्त्रण, भोज्य पदार्थों में नियावट रोकने के विष्व अधिनियम बादि की गाना इन घोषणों में भी जा सकती है।

संघीय वित्त के निष्ठांत

इ० भारत के बनुभार संघीय वित्त व्यवस्था जा राज्यवं तथा राज्यों के पार्श्वरिक सबध से है। उप एव राज्यों ने बीच दार्यों तथा भेवान्नों का विभाजन हो जाने के बाद उनके पाय पर्याप्त वित्तीय साधन आवश्यक हैं ताकि दार्यों को कुशलतापूर्वक उपल दिया जा नहै। इन संबंध में दो उम्मताए उन्नत होती हैं :

(1) विभिन्न सरकारों में वाय सोतों वा विभाजन द्वित्र आधार पर दिया जाए ? तथा

(2) सरकारों की आय और आवश्यकताओं के मध्य न्युलन द्वित्र प्रकार स्थापित दिया जाए ?

इन दोनों उम्मताओं को ठीक प्रकार से भमझने के लिए संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धातों वा व्यवस्थन जापश्वन है। संघीय गान्मन प्रणाली ने उप तथा राज्यों के वित्तीय सबधों दो सतुनित बनाए रखने के लिए निम्ननियित निष्ठातों का व्यवस्था दिया जाना है : (1) स्वतंत्रता सिद्धात, (2) एक्ष्यरता सिद्धात, (3) रेपेलता सिद्धात, (4) लोच सिद्धात, (5) बाय-कुशलता सिद्धात, तथा (6) हञ्जातरप सिद्धात ।

(1) स्वतंत्रता सिद्धात

संघीय वित्त व्यवस्था में सब की प्रत्येक इवाई आतरिक बार्दिक क्षेत्र में स्वतंत्र होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य के निजी आय ने लोक तथा व्यय के क्षेत्र होने

चाहिए। सघ की प्रत्येक इकाई इच्छानुसार एवं आवश्यकतानुमार कर लगाने, कहने एवं बताने और आय को व्यय करने में पूर्णत स्वतंत्र हो। यद्यपि व्यवहार में महत्वपूर्ण एवं लोचपूर्ण आय स्रोत केंद्रीय सरकार के अधिकार में होना और प्रातीय सरकारों वा आर्थिक अनुदान के लिए परमुद्धापेक्षी स्वभाव उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर पाता तथापि आय स्रोतों वा विभाजन एक सीमा स्वतंत्रता अवश्य प्रदान करता है।

(2) एकरूपता सिद्धात

सधीय वित्त व्यवस्था में सरकार वो वित्तीय नीतियों का सञ्चालन करते समय इस बात का व्यान रखना चाहिए कि सदस्य राज्य के प्रति उसके व्यवहार में एकरूपता दिखाई दे। सघ सरकार द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करते समय विसी राज्य के निवासियों को अन्य राज्य के निवासियों की तुलना में बोई विशेष सुविधा न दी जाए और सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाए।

यद्यपि सेंदातिर दृष्टि से एकरूपता सिद्धात सरल एवं उपयोगी प्रतीत होता है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं है कि सधीय प्रणाली में देश वे दो असमान आर्थिक स्थिति वाले राज्य केंद्र को समान अशदान प्रदान करें। उदाहरण के लिए भारत में आसाम से यह आशा करना अनुचित एवं अव्यावहारिक होगा कि वह महाराष्ट्र या उत्तरप्रदेश राज्य के समान अशदान केंद्रीय सरकार वो दे। क्योंकि आसाम की वित्तीय स्थिति बर्दी की अपेक्षा दुर्बल है और उसे आर्थिक विभास के अधिक साधनों की आवश्यकता है।

(3) यथेष्ठता सिद्धात

यथेष्ठता सिद्धात का यह अभिप्राय है कि सघ की प्रत्येक इकाई वो सौरे गए साधन उन कार्यों के लिए पर्याप्त हो जिन्हे इन इकाइयों को पूरा करना है। साधनों की पर्याप्तता वे अधाव में सघ इकाइयों को स्वतंत्रापूर्वक दायें करने में कठिनाई हो सकती है।

(4) रोच सिद्धात

सघ इकाइयों के लिए साधनों की पर्याप्तता ही पूर्ण नहीं है। प्राप्त साधनों वा लोचपूर्ण होना भी आवश्यक है। सघ इकाइया के पास इस प्रकार के साधन आवश्यक हैं जिनसे वे भविष्य में बढ़ते हुए प्रशासनिक व्ययों, सवटकालीन व्यय भारों और भावी आर्थिक नियोजनों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। डा० आर० एन० भार्गव के अनुमार आर्थिक साधनों का विभाजन लोचपूर्ण व्यवस्था के रूप में विद्या जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना कितनी ही अच्छी योजना न हो आने वाले प्रत्येक समय के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। परिवर्तनशील दशाओं में कोई भी योजना समयावधि में अप्रचलित हो सकती है।

अत विभाजन के लिए प्रत्येक प्रबंध में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए जो देश की प्रत्यक्ष प्रशासनिक इकाई के साथ-न्याय देश के लिए भी हितवर हो।

लोच वा सिद्धात संदातिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से असमर्पित प्रतीत होता है। व्यवहार में यही देखा जाना है कि बैंड्रीय भरकार बलोचपूर्ण स्रोतों को स्वयं अपने पास रख लेती है और राज्यों को वेवन ऐसे स्रोत दिए जाते हैं जिनसे बढ़ने हुए व्यय भारी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आव प्राप्त नहीं की जा सकती। परिमानन्वरप राज्य भरकार की अनक योननाएँ बैंड्र पर अधिक रहती हैं। अत आय भागना वा समवन्मय पर पुर्विभाजन होना चाहिए ताकि बैंड्र तथा प्रात दोनों ही वावन्यवतानुमार लोचपूर्ण साधन प्राप्त हो सकें।

(5) कार्यकुशलता सिद्धात

सधीय वित्त व्यवस्था में यह आवश्यक है कि वरदानाओं के हित मुग्धित रहें और कर की चोरी नी सभावना भी न्यूनतम हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि कर सबह म प्रशासनिक क्षमता का व्यान रखा जाए और व्यय मितव्यवितापूर्ण हो। करों की अनर राज्य प्रहृति मितव्यविता की दिग्जा में सहायक हो सकती है। यदि आवकर, मीमांकर तथा उत्पादन कर की सम के जघीन और मालगुजारी, सिचार्ड आदि को स्थानीय महत्व की दृष्टि से प्रातीय एव स्थानीय सरकारों दो मौंपा जाए तो सबह में कुशलता एव मितव्यविता का पालन किया जा सकता है। कार्यकुशलता एव मितव्यविता के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार का कर, प्रशासन की जिस इकाई द्वारा लगाया जाए तथा वसूल किया जाए उसी इकाई द्वारा उस राज्य की व्यय भी किया जाना चाहिए। दूसरी इकाईयों द्वारा कर की राजि व्यय लिए जाने पर उसके दुरप्रयोग होने की सभावना बनी रहती है। प्रो० सेतिगमन के बनुसार 'कोई योजना इच्छनी ही ठीक क्यों न हो या न्याय बेमूरें सिद्धार्थों के अनुगार कितनी ही उचित क्यों न हो, यदि उसका प्रशासन ठीक प्रकार का नहीं है तो वह व्यवश्य अराफन होगी।'

(6) हस्तातरण का जिद्धात

सधीय राजस्व के गिद्धारों की व्यास्था बनने वाले अर्थशास्त्रियों ने एव महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री डा० बी० बार० मिथ्र ने अनुमार देश में प्रत्येक नागरिक का एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान बनने के लिए यह आवश्यक है कि सपन राज्यों से एकत्रित किया हुआ धन असपन राज्यों म न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए वितरित किया जाए। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए किया है 'सम और राज्यों में नाधनों का बादबां विभाजन विभिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों

वे लिए 'राष्ट्रीय न्यूनतम' के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। संघीय राज्य मध्ये धनी धेत्रों से निर्धन धेत्रों को धन का हस्तातरण बरके ऐसा किया जा सकता है। इन हस्तातरणों का आधारभूत कारण अतरराष्ट्रीय असमानताओं को दूर करना है। यह बात याद रखने योग्य है कि विभिन्न राज्यों के बीच आय की गमीर असमानता का होना राष्ट्रीय समृद्धि के हित म नहीं है।' डा० मिश्र ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बताया है कि हस्तातरण के सिद्धात का पालन करने की दिशा में राज्यों को सक्रीय भावना नहीं रिखानी चाहिए क्योंकि प्रातों की सीमाएँ पूर्णत हृतिम होती हैं। प्रत्येक राज्य के निवासी को समस्त देश को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। संघीय राजस्व की उपयुक्त नीति म 'राष्ट्रीय न्यूनतम' उद्देश्य को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए तभी समाज कल्याण भावना की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने भारत म हस्तातरण सिद्धात को आवाहिक रूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया है। राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य में प्राप्त प्राकृतिक साधन जलवायु विकास, जनसंख्या, तथा राज्य के आधिक विवास की अवस्था।

वित्तीय स्रोतों का विभाजन

यद्यपि वित्तीय स्रोतों के विभाजन का अधिकार आवश्यकता के अनुमार होना चाहिए किंतु आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की जटिलता के कारण एक और ऐसे बरों की सहज म बृद्धि होती जा रही है जिन्हे केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही कुशलता-पूर्वक लगाया जा सकता है और दूसरी ओर राज्यों द्वारा किए जाने वाले कारों में दिन प्रतिदिन बृद्धि होती जा रही है जिसके लिए उन्ह अधिकाधिक साधनों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसी मदों पर सभ सरकार द्वारा कर लगाया जाना चाहिए, जिनके सवालन में राष्ट्रीय स्तर की कुशलता की आवश्यकता हो तथा प्रानीय या स्थानीय स्तर की कुशलता वी आवश्यकता वाले मदों पर प्रातीय तथा स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाए जाने चाहिए।

वित्तीय समायोजन

संघीय शासन प्रणाली में यह आवश्यक है कि सभ तथा संघीय इकाइयों म प्रत्येक इकाई वार्ष तथा साधन विभाजन की दृष्टि से आमनिमंर हो। किंतु व्यवहार म संघीय इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय समान नहीं होती। प्राय बुल राज्य आर्थिक दृष्टि से पुष्ट होते हैं और कुछ अन्य राज्य इमजोर। प्राय यह देखा जाता है कि जपा के इन ही लोकों के लिए इन्होंने जारी की आर्थिक-सामाजिक या अन्य परिस्थितियों के कारण असमान आय प्राप्त होती है। परिणाम-स्वरूप सभ तथा संघीय इकाइयों के बीच समूचित वित्तीय समायोजन आवश्यक हो जाता है। इसके अभाव में देश का सामुनित विवास नहीं हो पाता। सभ तथा संघीय इकाइयों के बीच वित्तीय समायोजन के लिए निम्ननियित उपाय किए जाते हैं :

कर आय का वितरण

यह विधि समर्पण विधि कहलाती है। इस विधि के अतर्गत केंद्रीय मरकार कर सकती है और एकत्रित करती है तथा प्राप्त आय को सधीय इकाइयों में विभाजित कर देती है। इम कार्य के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं :

(अ) सधीय सरकार कर आय का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखते और शेष राशि बानुपातिक रूप में सधीय इकाइयों के बीच बाट दें।

(आ) सधीय मरकार कर आय की मंपूर्ण राशि एक निश्चित अनुपात में शेषीय इकाइयों में बाट दें।

(इ) सधीय मरकार के लिए एक निश्चित राशि बचा ली जाए और शेष राशि अन्य मरकारों को बाट दी जाए।

(ई) सधीय मरकार केवल करों को आरोपित और एकत्रित करे और प्राप्त राशि राज्य मरकारों को मांप दे।

सधीय इकाइयों के बीच कर आय वितरण के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं : राज्य की जनसभ्या, राज्य में एकत्रित राशि, राज्य की वरदान अमना, राज्य की जीवोगित्र प्रणाली तथा राज्य का दोषकल। इनमें से एक या एक से अधिक आधारों पर भी कर आय का वितरण निया जा सकता है।

संदातिक दृष्टि से अभिहस्तातरण या सिद्धात वडा मरल और न्यायमगत प्रतीत होता है। किंतु इसकी कुछ व्यावहारिक कठिनाइया है। उचाहरण के लिए (1) यदि सश्रह करने वाली इकाई को उसके उपयोग का अधिनार न हो तो वह इकाई एकत्र करने में रुचि नहीं लेती। (2) यदि सश्रह करने वाली इकाई का अस पूर्व ही निश्चित कर दिया जाए तो उस दशा में भी कर एकत्र करने में उसे रुचि नहीं होगी। (3) सधीय इकाइया कुर्वन इकाइयों वा ध्यान न रख कर स्वयं अधिकाधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करे तो भी स्थिति असतोपजनन बनी रहेगी। (4) कुछ इकाइया जनसभ्या की अधिकता के कारण अधिक अश मान करे और कुछ अन्य आधिक विवास के लिए तो भी असम्भव हो सकता है। बन्तु अभिहस्तातरण की कोई भी विधि क्यों न अपनाई जाए। प्रत्येक में कुछ व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः सधीय इकाइयों वो निराशा एवं उपेक्षा से चरने के लिए समय-भूम्य पर विभिन्न इकाइयों द्वी प्रितीय आवश्यकताओं वा मूल्याक्षन द्वारा जाना चाहिए। मूल्याक्षन का आधार भी सबंदा एवं ही नहीं होना चाहिए।

अतिरिक्त कर : संघ या राज्य सरकारों द्वारा आरोपित करों के अतिरिक्त केंद्र द्वारा आरोपित करों के ऊपर केंद्रियारा कुछ अतिरिक्त कर लगायूदिए जाते हैं। इस प्रकार के कर अतिरिक्त कर बहलाते हैं।

अतिरिक्त कर की प्रथम प्रणाली, जिसमें सभ द्वारा आरोपित करो के ऊपर राज्य सखारो द्वारा कर लगाने की परिपाटी है। अधिक सखल तथा व्यायसगत है जितु राज्यो द्वारा आरोपित करो के ऊपर केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले करो में एक-रूपता नहीं रह पाती और न ही इसे व्यायसगत समझा जा सकता है।

वित्तीय समाधोजना की इस प्रणाली की भी [विद्वानों ने आलोचना की है क्योंकि उनके विचार में अतिरिक्त कर प्रणाली से कर भार अत्यधिक हो जाता है। इससे देश के उत्पादन, वितरण और बचत पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रतिवृद्धिता आरभ हो जाती है।

संघीय आर्थिक सहायता वित्तीय समुलन स्थापित करने की अनेक विधियों में यह विधि विशेष महत्व रखती है। इस विधि के अनुसार सभ सखार राज्य सखारों की विशिष्ट स्थितियों का अध्ययन करने के उपरात उन्हे आर्थिक अनुदान प्रदान करती है। इस विधि में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है-

(1) आर्थिक अनुदानों की मात्रा संविधान में निश्चित कर देनी चाहिए।

(2) अविकसित राज्यों को विकसित राज्यों की अपेक्षा अधिक राशि दी जानी चाहिए। सभ द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता शर्त सहित या शर्त रहित अनुदान के रूप में दो प्रकार की हो सकती है। शर्त रहित अनुदान प्रत्येक वर्ष दी जाती है और शर्त सहित अनुदान विभिन्न समयों में विशिष्ट राम-स्थानों का समाधान करने के लिए दी जाती है। केंद्र सर्वशर्त अनुदान की दण में राज्य का आर्थिक सर्वोक्तुण या योजना का पुनर्निरीक्षण करता रहता है।

इस प्रकार के अनुदान निराविधि तथा सवधि रूप से दो प्रकार में होते हैं। निराविधि अनुदान तब तब मिलते रहते हैं जब तब राज्य में किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सावधि अनुदान एक निश्चित समय के बाद समाप्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के अनुदान पिछड़े प्रदेशों के आर्थिक पुनर्नियोजन कार्यों के लिए भी दिए जाते हैं। संघीय सखार को अनुदान के सवधि में एक व्यावहारिक सिद्धांत की स्थापना करनी चाहिए ताकि केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक सवधि में इसी प्रकार के समावृण बातावरण को सुनिट न हो सके।

केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सवधि में यह मुकाबल दिया गया था कि अनुदानों के विभाजन में समस्त उपयुक्त घटनाओं पर विचार करना चाहिए जिसमें जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, विड्डिपन, जनसंख्या का क्षेत्रीय घटनव, प्रति व्यक्ति आय, प्रात के निवासियों की आधारभूत आवश्यकताएं, एवं समस्याएं आदि सम्मिलित हो।

राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार को आर्थिक सहायता

अनुदान की यह एक प्रतिकूल विधि है। इसके बताएँ राज्य सरकारें अपनों आय का एक निश्चित प्रतिशत अनुदान के रूप में केंद्र सरकार को देती हैं। बत्तमान में यह विधि उचित नहीं समझी जाती क्योंकि केंद्र की राज्यों पर नियंत्रता, राज्यों नी अपनी खेसमर्थता आदि अनेक दोष हैं। हम अब तक ऐ अपने अध्ययन में इस नियंत्र पर पहुंचे हैं जिस उपात्मक वित्त व्यवस्था में सध और राज्यों में वित्तीय सतुलन के लिए अनेक व्यावहारिक विभिन्नाइयों का सामना करना पड़ता है। किन्तु सध तथा सधीय इकाइयों के पारस्परिक सहयोग से इन विभिन्नाइयों पर पर्याप्त सीमा तक विजय प्राप्त वी जा सकती है।

केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध

भारत में लोकवित वा सधीय स्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। यद्यपि दम समय देश में एकात्मक सरकार थी तथापि यह अनुमत दिया गया कि केंद्र तथा प्रांतों के बीच वायों एवं वित्तीय शक्तियों का एक निश्चित सीमा तक विभाजन चलित एवं बाधनीय है। तभी से इस दिशा में समय-समय पर अनेक सशोधन एवं मुद्रार हुए। वर्तमान समय में केंद्र तथा प्रांतों के मध्य व्यय की मदों तथा आय के स्रोतों का जो वितरण दिया गया है वह इस दिशा में दीर्घ-कालिक क्रमिक विकास की चरम सीमा है।

सधीय वित्त का क्रमिक विकास

भारत में प्रारम्भ के केंद्रीयकरण से लेकर वर्तमान समय के सधीय प्रणाली तक वित्तीय अवस्था को अनेक चरणों से गुजरना पड़ा है। अध्ययन की मुद्रिधा के लिए वित्तीय संघों के क्रमिक विकास को चार भागों में बाटा जा सकता है-

प्रथम काल : 1919 के भारत सरकार अधिनियम से पूर्व का काल

सन् 1871 से पूर्व देश के सभूत राजस्व तथा व्यय पर केंद्रीय सरकार वा दूर्जन नियन्त्रण था। प्रांतों की व्ययों की पूर्ति के लिए निश्चित अनुदान दिए जाते थे, बरिणामदररूप एवं और केंद्र की वित्तीय अवस्था अविश्वसित रहती थी और दूसरी ओर प्रांतों में राजस्व वा अपव्यय होता था। भारत की गरीबी तथा इस प्रणाली की भारत में अनुपयुक्तता वो ध्यान में रखते हुए सन् 1871 में वित्तीय गत्ता वा दृष्टि विकेंद्रीकरण कर दिया गया।

विकेंद्रीकरण वा भारम्भ 'प्रांतीय बदोबस्त' के रूप में दिया गया। इस अवस्था के अनुपार पुलिम, जेन, लिप्ता, चिरित्ता, पजीकरण, सढ़व तथा असेन्ट निर्माण जैसे स्थानीय प्रदृष्टि के बायं प्रांतों को सोनप दिए गए। इन विभागों के प्रबन्ध में लिए प्रांतों को प्रतिवर्ष एवं मुश्त धनराशि अनुदान दे रूप में जाने लगी। इसने अतिरिक्त प्रांतों को वरारोपण की भी सीमित शक्ति प्रदान की गई।

सन् 1877 में प्राप्तों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई और आय की कुछ मद्दें विशेषकर मालगुजारी, उत्पादन शुल्क, स्टाप, सामान्य प्रशासन, कानून एवं न्याय प्रातीय दिपय बना दिए गए। प्राप्तों के वित्तीय माध्यमों में वृद्धि करने के लिए पूर्व निर्धारित अनुदानों के अतिरिक्त कुछ नये कर भी प्रदान किए गए। जिनु चैंड की एक मुश्त अनुदान देने की व्यवस्था अमरीपञ्जनव थी।

सन् 1882 के बाद निश्चित अनुदान देने व्ही प्रधा भमाप्त कर दी गई और आय के बटवारे के लिए भमद-भमय पर अनेक भजोग्रन किए गए। परिणामस्वरूप आय के स्रोतों को निम्नलिखित नीन थेगिया में विभक्त किया गया-

(क) सामान्य अधिकार केंद्रीय मद्दें : इनमें वाग्निज्य विभागों ने प्राप्त होने वाले नामों के अनिरिक्त अपील, नमक तथा मीमा शुल्कों से होने वाली आय मुम्मिलित की गई थी।

(ख) प्रातीय मद्दें : इनमें अनैनिक विभागों तथा प्रातीय निर्माण कार्यों में होने वाली प्राप्तिया गुम्मिलित की गई थी।

(ग) विमानित मद्दें : इनमें उत्पादन शुल्क, निर्धारित कर, स्टाप, वन तथा रजिस्ट्रेशन मुल्क भम्मिलित किए गए थे।

सन् 1882 के बाद प्रत्येक पाच वर्षों पर पश्चात् स्थिति की पुनर्मीक्षा करने की व्यवस्था बरदी गई। इनके अतिरिक्त सन् 1887, 1892 तथा 1897 में नये वदोवत्त दिए गए। जिनु इन वदोवत्त प्रणाली में हृषि आय में अनिवितता आ गई। परिणामस्वरूप 1904 में वदोवत्त को तदर्थं स्थाई और सन् 1912 में न्याई कर दिया गया।

द्वितीय काल 1919 ने 1937 का दान

सन् 1919 के अधिनियम ने बाद वित्तीय प्रबन्ध के विभाग में विभेद स्थितिन दृष्टि। प्रथम विश्वयुद्ध के समय देश की आर्थिक स्थिति पर पहले बारे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अनुभव किया कि प्रशासनिक दृष्टि से देश की कुछ स्वायत्तता प्रदान बरना आवश्यक है। इसी चात को ध्यान में रखते हुए सन् 1917 में माटेम्बू विज़पिति में बहा गया था : 'सरकार की यह नीति है कि प्रशासन की प्रत्येक शास्त्रा में भारतीयों का अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाए।' तथा स्व-प्रशासन सम्बन्धीयों का क्रमशः किया जाए। इसका उद्देश्य भारत में अधिक उत्तरदायी शासन स्थापित करते हुए उने विटिंग नामाजद आदेश अग दनाना है।'

माटेम्बू विज़पिति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए तत्त्वालीन भारत मती माटेम्बू तथा आमनराय साड़े चेन्न फोड़े ने सन् 1917 के शीरकाल में देश का भ्रमण किया और भ्रमणकालीन अनुभव के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह

रिपोर्ट माटेम्यू चेम्स फोर्ड समुक्त रिपोर्ट अथवा भारत में सर्वेशानिह मुझावा पर रिपोर्ट वे नाम में प्रसिद्ध है। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारत में दोहरी शासन प्रणाली आरम्भ हो गई और प्रातों तथा केंद्र के आधिक मंदिर म आमूल परिवर्तन हो गया। इस अधिनियम के अनुसार आय व्यय का बटवारा निम्न रूप से किया गया (क) केंद्रीय आय के साधन : अपील नमक, आयकर, रेल, डाक और तार सेवा स प्राप्त आय, तथा (ख) प्रातीय आय के साधन : मालगुजारी स्टाप, रजिस्ट्रेशन, उत्पादन वर और वनों से प्राप्त आय।

केंद्र तथा प्रातों में आय साधनों के विनरण के बाद भारत सरकार वो 13-63 करोड़ रुपये वार्षिक वा घाटा होने का अनुमान लगाया गया। इन्हिए इस घाटे को बम करने के लिए अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि प्रातीय सरकार अपनी बचतों में से केंद्र को महत्वोंग प्रदान करेंगी। अधिनियम में प्रातीय सरकारों के इस योगदान को 'प्रातीय अशदान' की सज्जा दी गई है।

अधिनियम के अनुसार प्रातीय अशदान की मात्रा प्रातीय अतिरेकी के 87 प्रतिशत के बराबर की राशि निश्चित की गई और और अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त 13 प्रतिशत का अतिरेक प्रातों के विवार वार्षों में व्यव किया जाएगा।

मैस्टन परिनिर्णय

सन् 1919 के अधिनियम में वर्णित प्रानीय अशदान की पद्धति व्यावहारिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी इसलिए इस पर पुनर्विचार करने के लिए 1902 में लाइं मैस्टन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को मुख्य रूप से निम्नलिखित वार्ष सौपे गए

- (अ) 1921-22 के आधिक वर्ष म केंद्र द्वारा प्रातों को दिए जाने वाले अशदानों की मात्रा और अशदानों का आधार।
- (आ) केंद्रीय घटे की पूर्ति के लिए आगामी वर्ष म प्रातों के अशदानों की मात्रा।
- (इ) वर्ष द्वारा प्राप्त आयकर की राशि में से उम प्रात को दिए जाने वाली अशदान का औचित्य तथा मात्रा।
- (ई) आगामी वर्षों में प्रातीय क्रणों की व्यवस्था।

लाइं मैस्टन ने मार्च 1920 म भारत सरकार को अपने मुझाव दिए। इन्ही मुझावों के आधार पर भारत म सन् 1921 से 1935 के केंद्र तथा प्रातों के मध्य वित्तीय व्यवस्था रही। मैस्टन परिनिर्णय की मुख्य बातें अग्रलिखित हैं।

(ब) प्रातों का यह तर्वं स्थाई रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न प्रातों में इने लाले उचितियों, उद्योगपत्रियों, व्यावसायियों तथा वाणिजिक इकाइयों की आयों पर जो प्रत्यक्ष कर सकते हैं उनका कुछ मान उन प्रातों को भी मिले। इन्होंने तात्कालिक स्थिति को व्याप में रखते हुए आयकर के विभाजन की स्थाई अवधारणा नहीं बींजा चक्रती है। मैन्टन समिति ने 1921-22 के आर्थिक वर्ष में 963 लौटे रखये की वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए यह मुक्काव दिया कि प्रातों की आर्थिक स्थिति तथा व्यक्ति तर्वं हुए व्यय भारों को व्याप में रखते हुए मद्रास को 384 लाख, दबई को 56 लाख, बगल को 63 लाख, उत्तरप्रदेश को 240 लाख, दमों को 64 लाख, मध्यप्रात को 24 लाख, पंजाब को 175 लाख और बंगल को 15 लाख रखने प्रारम्भिक अनुदान के रूप में दिए जाएं।

(आ) ब्रागमी वर्षों में केंद्रीय घटटे नी पूर्ति के लिए प्राक्रीय अगदानों की मात्रा के बारे में मैन्टन समिति ने भुक्ताव दिया कि इन अगदानों का निर्धारण प्रातों की बरदान क्षमता, निवासियों की स्थाय और प्रातों की व्यक्तिगत कार्यक्रम स्थिति के बाधार पर हिया जाना चाहिए। मैन्टन समिति ने अपने मुक्काव में यह स्पष्ट विचार कि प्रातों द्वारा दिए गए इस प्रशार के अगदान का प्रतिशत प्रातों की व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार टाई प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक होना चाहिए। यह व्यवस्था आगमी मात्र वर्ष के लिए की जानी चाहिए और उसके बाद समय-समय पर प्रातों की आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और अगदानों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(इ) मैन्टन समिति ने दबई प्रात ने प्राप्त आयकर की राशि में से उन प्रातों को दिए जाने वाले अंगदान के औचित्य एवं मात्रा के विषय में अपना कोई मुक्काव नहीं किया। समिति ने अपने मुक्काव में वेवन मामूहिक रूप ने यह दराया कि प्रातों को इस प्रशार का अगदान मिलना चाहिए। समिति ने दबई के विशेष अगदान की घारणा को स्वीकार नहीं किया।

(ई) मैन्टन समिति ने मुक्काव दिया कि केंद्रीय अगदार द्वारा प्रातों ने दिए जाने वाले अपनों को ब्रागमी 12 दर्जों में समाप्त कर दिया जाए।

मैन्टन परिनियंत्रण को दबई तथा बगल जैसे सुपन्न प्रातों ने तीव्र आलोचना की। दबई का विचार था कि वह आयकर के रूप में केंद्रीय राजन्य की पर्याप्त राशि दे रहा है। बगल का विचार था कि वह जूट उत्पादन से जूट नियंत्रण कर के रूप में केंद्रीय राजन्य को पर्याप्त राशि दे रहा है और मूल्यांकन के रूप में प्राप्त राशि नोचहीन होने के कारण वित्तिरिक्त अगदान के रूप में बैठक को कुछ अधिक राशि देना उसके लिए कठिन है और बद्दते हुए प्रशासनिक व्ययों भी पूर्ति के लिए उसे केंद्रीय अनुदान मिलना चाहिए।

मैस्टर समिति ने सुझावों को कुछ सशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया और उन्हे 1919 के भारत सरकार अधिनियम में सम्मिलित कर लिया गया। अधिनियम की धारा 14 तथा 15 वे द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपकर की प्राप्तियों का एक भाग प्रातों को मिले और विसी वर्ष की आय 1920-21 के आधिक वर्ष की आय से अधिक हो तो वही हुई आय का 3 प्रतिशत प्रातों को दिया जाए।

अशदानों को समाप्ति मैस्टर समिति के सुझावों को स्वीकार करने तथा उन्हे भारत सरकार के 1919 के अधिनियम में सम्मिलित कर लेने पर भी केंद्रीय तथा प्रातीय सरकारों के बीच आधिक सहयोग की भावना पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि बैंड तथा प्रातों के बीच आय की मदों का विभाजन असंतोषजनक था। बैंड को आय के लोचदार साधन प्राप्त थे और प्रातों की आय के साधन पूर्णत बेलोचदार थे।

मैस्टर समिति के सुझावों के आधार पर केंद्रीय सरकार के घाटे की पूर्ति प्रातीय अनुदानों से पूरी की जानी थी। इस अधिनियम से पारस्परिक आधिक सहयोग की भावना को ठेस लगी।

मैस्टर समिति के सुझावों का एक बड़ा दोष यह था कि विभिन्न प्रातों में राजस्व के स्रोतों को भिन्नता के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों पर करो का असमान भार पड़ा। प्रातों के असतोष तथा आलोचना-प्रत्यालोचनाओं के कारण 1929 में प्रातीय अशदानों को ममाप्त कर दिया गया। किंतु 1919 में बनाया गया वित्तीय ढाचा 1930 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के जागू होने तक अस्तित्व में बना रहा।

तृतीय काल 1937 से 1950 का बाल

सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अतंगत भारत में सधीय पढ़ति नी व्यवस्था की गई और प्रातों को कुछ स्वायत्ता प्रदान की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुमार केंद्रीय तथा प्रातीय साधनों को पूर्णत विभाजित कर दिया गया। 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि बैंड तथा प्रातों के वित्तीय सबधों के साथ-साथ भारतीय देशी रियासतों को भी सतुलिन भूषा सुदृढ़ किया जाए किंतु अधिनियम में प्रस्तावित सभ वभी अस्तित्व में नहीं आया और देशी रियासतें भारत की सधीय वित्त व्यवस्था से पूर्णत बाहर रही। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद बैंड तथा प्रातों के वित्तीय सबधों में पूर्णत सधीयता के लक्षण आ गए।

अधिनियम में अतंगत प्रातों ने आय के स्रोतों में भू-राजस्व, सिवाई प्रमार, मध्य उत्पादन शुल्क, अपीय तथा नशीली औषधिया, वृषि आपकर, स्टाप तथा रजि-स्ट्रेशन शुल्क की गणना की गई थी। केंद्र ने सौमे गए साधनों में निगम कर, सीमा-

मुन्ह, रेत, तांग, टेनोसीन तथा प्रभाग्न सेवा, मुद्दा तथा मिकड़ा इत्यादि तथा मैनिच प्रानियों को मन्मिनित किया जाता है। अधिनियम में कृच्छरे कर्त्त्वे भी भी अवबन्धा को नहीं थी किन्तु लगाने तथा बनून बरन वा आम केंद्रीय वरकार को सौंपा गया था जिन्हे प्रानियों की केंद्र तथा प्रानों के मध्य बाधा जाना था। इन प्रशास्त्रों के कर्त्त्वे में हृषि नूनि के जटिलिक अन्य प्रवार की समिति पर उन्नताधिकार वर, पठों, प्रपत्रों, चैरों बादि पर म्याप पूँज, रेत तथा बायु मार्ग म लाने-नाने दाने यादियों व मान्य पर चूसी तथा रेत शिरामें पर वर, हृषि याध्य को छोड़कर छन्द जानदानियों पर कर, बन्नुबों पर वर, झूट पर निर्णय कर आदि जी गाना भी गई थी।

इन अधिनियम में केंद्र जो वर लगाने के व्यापक अधिकार मिल गए। अधिनियम में यह अवबन्धा भी भी गई थी कि केंद्र प्रानों द्वारा लगाए जाने दाने करों में विविधार लगा नहीं रहता है। इन अधिनियम में प्रानों जो आवश्यकतानुसार करुणन दिए जाने की अवबन्धा भी गई।

आटो निमेयर निर्पत्य

लन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह आवश्यक सुनवा गया था कि भारत व्यापक, झूट निर्णय वर तथा जन्मादन वर को प्रानों तथा केंद्र के मध्य विभाजन सदृशी नुपात्रों के लिए एक समिति वा ग्रन्त बने। भारत मंत्री ने इन वार्ष के लिए भर बाटों निमेयर जी नियुक्त किया। आटो निमेयर ने अपने योर्क्षण एवं मुनावों में इस बात का व्यान रखा कि प्रानों तथा केंद्र के वित्तीय सदृशी में ऐसा कोई तत्त्व उपस्थित हो यहे जिससे आर्थिक निपति तथा जाव जो हासि पहुँचे। साथ ही नवल हंसे के लिए प्रानों को आर्थिक नहायता भी निर्दित रहे। आटो निमेयर के मुन्द्र गुजार नियम निर्दित हैं-

(1) इन दो समाप्ति : आटो निमेयर ने मुझाव दिया कि आमाम, बायाल, चिहार, उहीमा और उत्तरी-मण्डियों कीमात्रात वा अप्रैल 1936 से पहले वा मुमस्त नम नमान वर दिया जाए। और मध्य प्रात वा 1921 के बाद तथा 1936 से पहले वा अप्रैल भी नमान वर दिया जाए।

(2) आर्थिक बात : आटो निमेयर ने नुसाव दिया कि आदकर जी आन्धिक बात वा 50 प्रतिशत भाग केंद्र वरकार अपने पाय रखे और गेह 50 प्रतिशत प्रानों को बाट दिया जाए। उनका यह थी गुजाव दिया वा कि आदकर की राशि जो विवरित करने सुनय इस बात वा व्यान रखा जाना चाहिए कि प्रात-विशेष में आदकर वे रप में दितनी राशि एकदिन की रही है और प्रात विशेष की जनसंख्या इस है ?

(3) जूट नियंत्रित कर का वितरण : आठों निमेयर ने सुझाव दिया कि जूट नियंत्रित करने वाले प्रातों को जूट नियंत्रित कर के 62½ प्रतिशत राशि दी जाए। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया था कि जूट नियंत्रित प्रातों को यह राशि केवल उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है।

सर आठों निमेयर के सुझावों को संक्षिप्त संशोधन के साथ सन् 1936 में स्वीकार कर लिया गया किंतु उनके सुझावों से किसी प्रातों को भी प्रसन्नता नहीं हुई। क्योंकि बहुमुखी जैसे संसप्तन प्रातों आयकर एकत्र करने के अनुपात म आयकर का अशादान चाहते थे जबकि मद्रास, विहार जैसे असंस्पत्तन राज्य जनसंख्या के अनुपात म अशादान चाहते थे। आठों निमेयर के सुझावों पर केंद्र के प्रति पक्षपात का आरोप भी लगाया गया। उनके सुझावों में एक महसूलपूर्ण लूटि सामान्य बजट को रेलवे बजट के साथ मिला देना, समझी जाती है।

देश विभाजन के पश्चात किए गए परिवर्तन : देश विभाजन वे बाद वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो गया। आयकर की प्राप्तियों में पजाव तथा बगाल को मिलने वाले भागों को जनसंख्या के अनुपात में कम कर दिया गया। देश विभाजन ने बारण कुछ प्रातों की बची हुई राशि भारतीय राज्य राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पुनर वितरित कर दी गई। पुनर्वितरण से आमाम तथा पश्चिमी बगाल को विशेष लाभ हुआ। जूट उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के बारण जूट उत्पादन कर की प्रातों को दी जाने वाली 62½ प्रतिशत राशि को घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया।

चौथा काल भारतीय संविधान के उपरात

भारतीय संविधान में बैंड तथा प्रातों के वित्तीय संबंधों को सतुरित बनाए रखने के लिए प्रत्येक पात्र वर्ष के पश्चात एक वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था नी गई। संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता-नुमार इम प्रकार के वित्त आयोग को पात्र वर्ष से पूर्व भी नियुक्त कर सकता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और विचार वे बाद उस पर बैंड सरकार निर्णय लेती है। स्वतंत्रता वे ज्ञोप्र बाद सरकार वित्त आयोग की स्थापना नहीं कर सकी। इसलिए सर्वप्रथम 1950 में सी० डी० देशमुख वे बैंड तथा प्रातों के मध्य आयकर विभाजन वा अध्ययन करने के लिए नियुक्त रिया गया। सी० डी० देशमुख ने आठों निमेयर द्वारा प्रस्तावित बंटवारे के मूल सिद्धातों में कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल कुछ साधारण परिवर्तन लिए जो कि देश विभाजन वे बारण आवश्यक हो गए थे। पजाव व बगाल वे कुछ भागों के पाकिस्तान में चले जाने के बारण आयकर के प्रातीय भाग वा 14.5 प्रतिशत अन्य प्रातों में जनसंख्या के आधार पर पुनर्वितरित कर दिया गया। सी० डी० देशमुख ने सुझाव दिया कि जूट उत्पादक प्रातों को जूट नियंत्रित कर की राशि में से दिया जाने वाला अशादान

मध्याञ्ज वर दिया जाए और उसके बदले ऐसे प्रातों ने कुछ रागि अनुदान के रूप में दी जाए। देशमुद्देश ने नुवाओं को उत्कार ने स्वीचार वर निया दिनु यह एक अतिरिक्त व्यवस्था थी।

मूलपूर्व भारतीय रियासतों का वित्तीय एकीकरण : न्वत्रवत्रा प्राप्ति के दो दर्पं के बदल ही ममस्त भारतीय देशी रियासतें या तो पर्याप्त प्रातों में निया थी या गई या कुछ छोटी-छोटी रियासतों ने मिला वर उनकी दद्दी इन्हें दक्षा दी गई या उन्हें बैंड्र प्रशासित राज्यों में मिला दिया गया। इन राजनीतिक एकीकरण के दाद वित्तीय एजीआरप भी जावरक हो गया। परिमानन्वरप अक्टूबर 1948 में टी० टी० कृष्णमाचारी जी राजस्वत्रा में भारतीय राज्य वित्त मनित आयुज निया गया। समिति की नियासीलों को शोधारप युग्मोद्धन के ताप न्वाचार वर लिया गया।

एकीकरण के परिमानन्वरप बैंड्र ने देशी रियासतों की विस्तरितीयों तथा देशताजों सहित नविधान के सुध नूची ने बातें बातें उभों विषय तथा निचारे ने सी। यह स्वीचार वर निया गया कि बैंड्र राज्यों को 'राजस्व पूरक अनुदान' देगा। यह न्यूपट निया गया कि बैंड्र हाय राज्यों को दी जाने वाली अनुदान रागि उन धन रागि के बराबर होनी चाहिए जो वित्तीय एजीआरप के उपरात सब नूची के विषयों को राज्यों में से किन के नाम राज्यों को राजस्व में हानि हुई हो। यह भी न्यूपट निया गया कि एजीआरप के परिमानन्वरप राज्यों को राजस्व के स्व में दितनी क्षम राशि की हानि होती, प्रथम पात्र दर्पं तक बैंड्र उच्च हानि को पूरा करेगा। पात्र कर्तों के बाद भी बैंड्र प्रातों की राजस्व हानि को पूरा करने के लिए अनुदान देगा कि तु इन प्रकार के अनुदान बर्गने दम दर्पं के बाद नहीं दिए जाएंगे और पात्र दर्पं के बाद अनुदान रागि उत्तरोत्तर बम कर दी जाएगी। सविधान ने यह भी न्यूपट किया गया कि 'व' दर्पं के राज्यों को 'व' दर्पं के राज्यों के समान ही आप-वर जैसे बैंड्रीय राजस्व के विभाग स्तोत्रों में अनुदान प्राप्त होगा। 'व' दर्पं के राज्यों को बैंड्रीय राजस्व में उनके बाग अथवा राजस्व पूरक अनुदान थी रागि में, जो भी अविच होगा, दिना जाएगा। राज्यों की परिवर्तित अनुदान रागि को भरने एवं नुविधानक बनाने के लिए एजीकरण ने सूर्वं दिन राज्यों को अनुरोग्नीय आवायत शुल्क लगाने दी अनुमति थी। इहें यह नुविडा जागानी कुछ दपों के लिए दी गई। बैंड्रीय अनुदान की राप्ति के 'व' दर्पं के राज्यों में बौद्ध भेद नहीं रखा गया।

सविधान में वित्तीय नवध

भारतीय सविधान में भारत को एक समूह प्रमुख मुफ्त खोजनुकारक नगरायद चोप्ति निया गया है और सविधान में मौजिक अधिकारों, राज्य के

नीतिनिर्देशक मिलातो, और सधीय व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों को स्पष्ट किया गया है। भारत का सविधान अनेक दृष्टियों से 1935 के अधिनियम पर आधारित है। बताएँ सामान्य वित्तीय ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु इनना होने हुए भी भारतीय सविधान में केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय संबंधों का समान विस्तृत विवरण किसी सधात्मक सविधान में नहीं मिलता। केंद्र तथा प्रांत के वित्तीय संबंधों के सदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वात सविधान द्वारा वित्त आयोग की व्यवस्था किया जाना है। इस व्यवस्था द्वारा संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण एवं वित्तीय समायोजन की समस्त समस्याएँ सरलतापूर्वक हल की जा सकती हैं।

संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारमूल सिद्धान्त कायदामता पर्याप्तता और उपयुक्तता हैं। इन तीनों उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना कठिन होने वे कारण सविधान में समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाई गई है इसके अनुसार राजस्व विषय को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन रखा गया है और दूसरे भाग में सहायक अनुदानों का वितरण।

सविधान की सातवीं अनुमूली में केंद्र और राज्य सरकारों के आय के साधन स्पष्ट किए गए हैं। मूली एक में संघ सरकार तथा भूची दो में राज्य सरकारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

सधीय राजस्व के स्रोत भूची एक के अनुसार सधीय सरकार को निम्न-निर्धित आय के स्रोत प्राप्त हैं। कृपि आय वो छोड़ कर अन्य आय पर कर, सीमा-शुल्क (निर्धारित शुल्क सहित), मुद्रा, मुद्रा टक्का, विधि आद्य तथा विदेशी विनियम निगमन, तवाकू तथा तगाकू से निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, कृपि योग्य भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपत्ति कर कृपि भूमि वो छोड़कर अन्य संपत्ति पर उत्तराधिकार वर, रेन, समुद्र या वायु मार्ग में ले जाने वाली वस्तुओं तथा याक्रियों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय वर तथा विज्ञापन वर, व्यक्तियों तथा मस्थाओं की कृपि मिन्न संपत्ति वर, हुड़ी, चैर प्रोमिजरी नोट पर मुद्राक शुल्क, शेयर बाजार तथा सटटा बाजार के मौद्रण पर मुद्राक के सौदों पर मुद्राक शुल्क, संघ सरकार की संपत्ति, विदेशी ऋण, भारत सरकार या राज्यों द्वारा खಚारित साटरिया, डाक घर वचत वैर, डाक तार, टेलीफोन, बेतार, प्रमरण, एवं रोचार साधन संपत्ति लोक ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क वो छोड़कर संघ भूची में वर्णित अन्य विषयों में वर।

प्रांतीय राजस्व के स्रोत : भू-राजस्व, कृपि आय पर कर, कृपि भूमि उत्तराधिकार कर, कृपि संपत्ति कर, भूमि तथा भवन कर, समदीय विधि द्वारा घनिज विहार के संबंध में वर्णित परिमीमाओं वे अनगंत घनिज वर, प्रतिव्यक्ति वर,

राज्य मीमा में उत्तमादित शराब, अपील आदि मादाक पदार्थों पर उत्तमादन चर, मध्य मूँही में वर्षपत्र लेखों को छोड़कर बन्ध लेखों पर मुद्राव सुन्न न्यानीम सेवों में उपभोग्यता तथा विक्रेत बन्नुआं पर प्रवेश चर, विद्युत उत्तमादन तथा उपभोग चर, समाचार पत्रों में प्रवाणित विज्ञप्ति चर, भृत्यों एव ब्रह्मदेवों यजु मालों पर मार तथा यात्रियों पर चर, बाहुन चर, पशु चर, सेवाओं तथा आजीविका नाशनों पर चर, विकाम चर, मनोरजन कर, चुम्पी चर, पश्चवर ।

सम्पूर्ण द्वारा लगाए तथा संप्रहीत विए जाने वाले हिन्दु राज्यों को नीच दिए जाने वाले चर : भारतीय संविधान के अनुभाव निष्ठाविद्वान् चर भार केंद्र सरकार द्वारा वाचेपित एव संप्रहीत विए जाएग हिन्दु चुड (2) में वर्णित रैति ने राज्यों को चाट दिए जाए। ये चर भार हैं : हृषि नूनि के अतिरिक्त बन्ध सुपत्तियों पर चाट दिए जाए। ये चर भार हैं : हृषि नूनि के अतिरिक्त बन्ध सुपत्तियों पर सम्पद कर, रेत, उत्तराधिकार चर, हृषि सुपत्ति के अतिरिक्त बन्ध समर्तियों पर सम्पद कर, रेत, समुद्र तथा बायु माले जैसे ले जाए जाने वाले यात्री तथा माल पर सीमा चर, समुद्र तथा बायु माले पर कर, शेषद तथा भट्टा बाजार के सौदों पर मुद्राक रेत-भाड़ा तथा माल-भाड़े पर कर, शेषद तथा भट्टा बाजार के सौदों पर मुद्राक गुल्क के अतिरिक्त चर, समाचार पत्रों के उत्तरविक्रय तथा विज्ञापन पर चर, उन्ना-गुल्क के अतिरिक्त चर ।

चार पत्रों के अतिरिक्त अनुरास्त्रीय वापित्य या क्रमविक्रम चर ।

जिन चरों की गणना राज्य नूची अद्यता मनवर्ती नूची में नहीं की गई है उन परों के लगाने का एकमात्र अधिकार केंद्र दो है। मध्य तथा राज्य सरकारों की पारम्परिक नियमादान की स्थिति से एक दूसरे के अधिकार केंद्र के अद्यर्गत एक दूसरे की ममम्ता सुपत्ति चर मुक्त ममझी जाती है। विन्दु सम्पद जौ यह अधिकार दिया गया है हिन्दु वैष्णविक्ष स्थिति में मध्य सरकार दो राज्य उत्तरांशों की परिविम्बन चर लगाने का अधिकार प्रदान कर नहीं जाती है।

केंद्रीय राजस्व वा वटवारा तथा आवटन

नारतीय संविधान के अनुभाव कर्त्त्यों की राज्य नूची तथा मध्य नूची दूर्घट्या दिमागित चर दो गई है। राज्य नूची तथा मध्य नूची में वर्षपत्र चरों को दीन कर्त्त्यों ने विभावित विचार जा मरता है

- (1) वे चर जिन्हें राज्य सरकार लगाती है और बनूल चरती है।
- (2) वे चर जिन्हें मध्य सरकार लगाती है हिन्दु राज्य सरकारें एकद चरती है और स्वयं रख सेती है।

(3) वे चर जिन्हें यह सरकार लगाती है, एवं चरती है विन्दु उत्तरी प्राप्तिया चरकर द्वायु निष्ठारित अनुभाव में राज्यों की नीच दी जाती है।

सहायक अनुदान

विविधान द्वारा नहत्वपूर्वक वस्त्यापकारी वायं राज्यों को नीच दी है। राज्यों ने वस्त्यापकारी वायं व्यव नाप्य है। राज्यों की वायं तथा व्यव के नप्य की द्वार्दी

को न्यूनतम करने के लिए सध सरकार द्वारा विशिष्ट तथा सामान्य वायों के लिए समय-भ्रमय पर राज्य मरकारों को सहायता अनुदान दिए जाते रहे हैं। इन अनुदानों के परिणामस्वरूप राज्यों के वित्तीय साधनों की विप्रवर्गता की न्यूनतम करने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

ऋण

जहाँ एक ओर राज्य सरकारें अपनी भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त लोड़ ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं वहाँ दूसरी ओर उन्हें समय-भ्रमय पर केंद्रीय सरकार में भी ऋण लेना पड़ता है। केंद्रीय सरकार अन्य वायों के साथ-साथ सिचाई, नदी घाटी परियोजना, वृष्य विकास कार्य-क्रमों तथा पुनर्वास, मामुदायिर विकास, नीदोगिक आवास प्रबन्ध आदि के लिए गत अनेक वर्षों से राज्य मरकारों को ऋण प्रदान कर रही है।

24

वित्त आयोग

भारतीयों के विभाजन एवं उहाइता अनुदान की व्यवस्था में वित्त आयोग का नहृत्व-पूर्ण स्पान है। वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुरूपत बम से वभ प्रत्येक पाच वर्ष अपवा उपसूक्त व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के कार्य-क्षेत्र एवं उपायियों में निम्नालिख दार्ते उल्लेखनीय हैं :

(1) संविधान के अध्याय 1, भाग 12 में निहित वर्तों के प्रान्त राजि ना केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजन एवं राज्यों के बीच इन रायि के विवरण ना बाधार व मापदण्ड निश्चित करना ।

(2) केंद्र सरकार के दफ्तर से राज्यों की दितीय लावन्दूता की पूर्ति के लिए उहाइता अनुदान वितरित करने का विद्वात व राजि निश्चित करना । तथा

(3) ऐसे भागों पर विचार करना जो स्वस्य तथा इस वित्त प्रणाली द्वारा नियित करने के प्रयात्र में उपयोगी हों तथा जो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग ने सौंपि जाए ।

जहा तक विभाजित वर्तों का प्रभन है उनमें देवन जायकर ही एकमात्र दर है जो वितरित विया जाता है, इनु उन्नादन शुल्क भी वितरित विया जा सकता है। आयकर दा भाग राष्ट्रपति के लारेशानुकार निश्चित होता है और दह राशि द्वारा उपर्योगे के दफ्तर में सम्मिलित हो जाती है। इस सदर्भ में सरकार को वित्त आयोग की सिफारियों मानना अनिवार्य है। इसके विपरीत उन्नादन शुल्क के विद्वात व विवरण में वित्त आयोग की सिफारियों में परिवर्तन वा अधिकार केंद्रीय सरकार की होता है। सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारियों इस क्षेत्र व वैद्यनिक होने के बाद दूद भी केंद्र सरकार उसे मान्य करती है और उदानुदार व्यवस्था करती है।

उसी प्रकार सहायता अनुदान के क्षेत्र में वित्त आयोग के दाये विद्वात निश्चित करने तक नीचित रहते हैं और इन रायि का निर्धारण केंद्र सरकार दे

अधीन होता है। परंतु वास्तविकता यह है कि वित्त आयोग सिद्धात निश्चित रूपे के साथ-साथ राशि की मात्रा भी निश्चित करता है और साधारणत वह केंद्र सरकार द्वारा मान्य होती है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट कार्यों अथवा सेवाओं के लिए सहायता अनुदान के सबध में वित्त आयोग अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। वित्तीय सबधी मामलों में एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना के कारण राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही विशिष्ट परिस्थितियों के परिवेद्य में ही उन पर विचार कर स्वस्थ परपरा स्थापित की जाती है।

प्रथम वित्त आयोग

भारतीय संविधान की धारा 280 (1) के अंतर्गत 22 नवम्बर सन् 1951 को राष्ट्रपति ने थी के० सी० नियोगी की अव्यक्तता में सबसे पहला वित्त आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने 31 दिसंबर सन् 1952 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समुद्र प्रस्तुत की।

आयोग ने अपनी सिफारिशों मुख्यतः तीन सिद्धातों पर आधारित की-

(1) केंद्र एवं राज्यों के मध्य साधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि केंद्रीय सरकार अपनी रक्षा, आर्थिक उन्नति और अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक चला सके।

(2) साधनों के वितरण तथा अनुदानों के निर्धारण में सभी राज्यों के बारे में समान सिद्धातों को अपनाया जाए।

(3) वितरण की योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के बीच वर्तमान असमानताएँ दूर हों।

आयकर की प्राप्तियों का विभाजन

देशमुख-नियंत्रण के अनुसार आयकर की निवल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत भाग ग्रातों को भिजता था। आयोग ने इसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने वी सिफारिश की। आयोग ने इस बढ़ि के दो बारण बताएँ एक तो यह कि राज्यों की आवश्यकताएँ अब पहले की तुलना में बढ़ गई हैं तथा द्वितीय, आयकर की प्राप्तिया अब भाग 'b' के राज्यों को भी बाटी जानी थी। इस संबध में आपकर के वितरण का निर्धारण करने में दो मुख्य बातें विचारणीय हैं-

(अ) इन प्राप्तियों के 80 प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए। तथा

(ब) प्राप्तियों के 20 प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों द्वारा किए जाने वाले वर संग्रह के आधार पर किया जाना चाहिए।

बायोग ने सिफारिश की कि उपरोक्त मिट्टाओं के बाधार पर आमदार में राज्यों का हिस्ता निम्न तालिका के अनुसार होना चाहिए।

राज्य	आमदार में राज्यों के भाग का प्रतिशत	राज्य	आमदार में राज्यों के भाग का प्रतिशत
दर्वाज़	17.50	राजस्थान	3.50
उत्तर प्रदेश	15.75	पंजाब	3.25
महाराष्ट्र	15.25	द्राविड़-बोंडीन	2.50
पश्चिमी बंगाल	11.25	बंगल	2.25
बिहार	9.75	भैसूर	2.25
मध्यप्रदेश	5.25	मध्य भारत	1.70
हैदराबाद	4.25	मौराष्ट्र	1.00
उडीना	3.50	पंजू	0.75

नवीय उत्पादन शुल्कों का वितरण

राज्यों को अधिक आय प्रदान करने के लिए, बायोग ने विभाजन के निए तीन उत्पादन शुल्कों, जो उदाहृत, दिया गया है वनस्पति देशों पर लगाए जाते थे, चुना। सामान्य उपयोग की बन्धुओं के होने के कारण इनमें काफी घोड़ एवं स्थिर आय प्राप्त होता है। बायोग ने सिफारिश की कि इन शुल्कों की विवर प्राप्तियों का 40 प्रतिशत भाग राज्यों में बाट दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के भाग के विधारण के सबूझ में जनसुख्या के बाधार वो स्वीकार किया जाए। इन करों के सबूझ में राज्यों के हिस्से निम्न प्रकार विधारित किए गए-

राज्य	उत्पादन शुल्कों में राज्यों के भाग का प्रतिशत	राज्य	उत्पादन शुल्कों में राज्यों के भाग का प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	18.23	उडीना	4.22
महाराष्ट्र	16.44	पंजाब	2.66
बिहार	11.60	द्राविड़-बोंडीन	2.68
दर्वाज़	10.37	भैसूर	2.62
पश्चिमी बंगाल	7.16	बंगल	2.61
मध्य प्रदेश	6.13	मध्य भारत	2.29
हैदराबाद	5.29	मौराष्ट्र	1.19
राजस्थान	4.41	पंजू	1.00

जूट नियंत्रित कर के बदले में अनुदान

सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जूट उत्पादन करने वाले राज्यों का जूट नियंत्रित कर के बदले वो व्यवस्था थी परतु भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए आयोग ने अतिरिक्त काल के लिए निम्न चार राज्यों वो जूट नियंत्रित कर के बदले में वार्षिक सहायक अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की जिनकी मालाएँ इस प्रकार हैं-

राज्य	कुल रकम (लाख रु० में)	राज्य	कुल रकम (लाख रु० में)
पश्चिमी बंगाल	150	बिहार	75
असम	75	उडीसा	15

सहायक अनुदान

आयोग ने राज्यों के लिए सामान्य सहायक अनुदानों की सिफारिश की। आयोग ने उन सिद्धांतों के सबध में भी अपना सुझाव रखा जिनके आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने चाहिए। इन में मुख्य मिद्दात ये थे कि राज्यों ने वजट सबधी आवश्यकताएँ सामाजिक सेवाओं का स्तर, जिसी राष्ट्र, संस्था अथवा असाधारण प्रवृत्ति वे कार्य के सबध में राज्यों पर डाला गला विशेष दायित्व और राष्ट्रीय महत्व वे कुछ मुख्य कार्य। आयोग ने सहायक अनुदान देने के लिए अनेक कारणों की भी चर्चा की, जैसे कि राज्यों में साधनों की कमी, बढ़ती हुई बल्याण सेवाएँ, विरास योजनाएँ तथा कुछ ऐसे कार्यक्रमों का सञ्चालन व विकास जैसे वेरोजगारी, बोमा व सामाजिक सुरक्षा।

रिपोर्ट का मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा आयोग की सभी सिफारिशों स्वीकार करती गई। आयोग ने राज्यों के साधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता को ऐसे समय में स्वीकार दिया जबकि बदलती हुई आर्थिक स्थिति वे कारण नवीन सरकारी सेवाओं वो मार्ग उत्पन्न हो गई थी। आयोग ने कुछ उत्पादन शुल्कों को विभान्य साधनों में सम्मिलित करने, आयकर की प्राप्तियों में राज्यों वा अश बढ़ावर तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करके राज्यों वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया। आयोग वे जिन उत्पादन वरों को चुना, वे बहुत ही उपयुक्त थे क्योंकि ये सरकारी आय की प्राप्तियों की सबसे अधिक लोचदार मद्दें थीं। आयकर में राज्यों के हिस्से को जनसंघ्या वे आधार पर जो निर्धारित किया गया वह अधिक सरल तथा न्यायोचित था।

आयोग ने यद्यपि प्रत्येक राज्य को ठोस वित्तीय प्रदान तथा स्वालबन पर चल दिया नितु किर भी एक भय यह था कि राज्यों को अधिकाधिक गहायता दिए जाने के कारण उनके अदर अपने खचों में मितव्यता लाने की भावना नहीं कम न हो जाए। वास्तविकता भी यही थी कि अनेक राज्य बजाए इन्हें नि विवेक अपने नियमी साधनों में ही विफायत करते का प्रदान करते केंद्रीय सहायता पर अधिक निम्नर रहने लगे। ऐसी सभावना राज्य को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता की किमी भी योजना में उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार की कार्यवाहीयों में केंद्रीय सरकार को प्रभावपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होगी।

द्वितीय वित्त आयोग

प्रथम आयोग के 5 वर्ष बाद सन् 1956 में श्री वै.० सर्वानन्द की अध्यक्षता में द्वितीय वित्त आयोग की स्थापना की गई। इसका धोन अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था। इसे मुख्यत विभाज्य करों का सघ तथा राज्यों के बीच वितरण, राज्यों को दिए जाने वाले सहायत अनुदानों का नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों ने सबध में सिफारियों करने के अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी सिफारियों प्रस्तुत करनी थी। जूट तथा जूट पदार्थों पर लगने वाले नियंत्रण कर द्वा वटवाया, आस्ति-कर वी विशुद्ध शापियों की राज्यों ने भव्य वितरित करने के चिदात, मिलों में बने कपड़े, चीनी तथा तबाकू पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए दिनी करों के स्थान पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की प्रतियों को राज्य के बीच निम्न प्रदान बाटा जाए तथा रेलभाष्यों पर लगाए जाने वाले करों की निवल प्राप्तियों के वितरण को नियंत्रित करने वाले मिदात।

आयोग ने नवदर 1956 में एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की और उद्घास्तान सितंबर 1975 में अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की मुख्य सिफारियों इस प्रकार थीं :

आयकर का वितरण

अर्थोंग ने सिफारिश की कि आय कर की निकेन प्राप्तियों के से रुपये को मिलने वाला भाग 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। राज्यों के भव्य वितरित की जाने वाली निवल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत भाग कर सभह के बाधार पर और 60 प्रतिशत भाग जनसभ्या के बाधार पर दाटने का प्रस्ताव किया गया। इस सेवध में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित भाग आगे दो गई तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	8 12	मैसूर	5 14
असम	2 44	उडीसा	3 73
बिहार	9 94	पंजाब	4 24
बंगाल	15 97	राजस्थान	4 09
केरल	3 64	उत्तर प्रदेश	16 36
मध्य प्रदेश	6 72	पश्चिमी बंगाल	10 08
मद्रास	8 40	जम्बू व कश्मीर	1 13

संघीय उत्पादन शुल्कों का बटवारा

संघीय उत्पादन शुल्कों के सबूध में आयोग ने सध तथा राज्यों के बीच बाटे जाने वाले उत्पादन शुल्कों की सूची में बहुत बहुत और जोड़ दी। जोड़ी जाने वाली नई बहुत थीं चीनी, चाय, काफी, कागज तथा बनस्पति के अनावश्यक तेल। ये दियासलाई, तवाकू व बनस्पति तेल के अतिरिक्त थीं। उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों से राज्यों के भाग को घटाकर 25 प्रतिशत बरने की सिफारिश की गई। आयोग ने कहा कि राज्यों के भाग का प्रतिशत घटाने से भी कठि हुई है वह विभाज्य उत्पादन शुल्कों की संख्या में बढ़ि होने से पूरी हो जाएगी। आयोग ने प्रत्यावर रखा कि इन शुल्कों से राज्यों के हिस्से का 90 प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर बांटा जाना चाहिए और शेष का उपभोग समायोजन अथवा कमी-वैशी को ठीक करने के लिए करना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बीच उनके भाग का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	9 38	मैसूर	6 52
असम	3 46	उडीसा	4 46
बिहार	10 57	पंजाब	4 49
बंगाल	12 17	राजस्थान	3 71
केरल	3 84	उत्तर प्रदेश	15 94
मध्यप्रदेश	7 46	पश्चिमी बंगाल	7 59
मद्रास	7 56	जम्बू व कश्मीर	1 75

जूट निर्यात वर के बदले में सहायक अनुदान

आयोग ने जूट निर्यात वर के सबध में स्पष्ट किया कि प्रथम दित आयोग ने जो धन राशिया निर्धारित कर दी थी, सन् 1959-60 तक यह धन राशिया दो बारी चाहिए। परन्तु राज्यों के पुनर्गठन के बारप किहार से बगाल में कुछ लोदों का स्थानान्तरण होने के पश्चात्पर बाद में इन धन राशियों में हट-फट बदला पड़ा। इस सबध में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित धन राशिया निम्नावित तालिका में प्रदर्शित की गई हैं :

राज्य	वाल्ड रूपये में
असम	75.00
बिहार	71.31
उडीसा	15.00
पश्चिमी बगाल	152.69

अस्ति कर वा वितरण

भारत में बस्ति कर सन् 1953 में लगाया गया था। सविधान के उपबध के अनुनार यह कर केंद्रीय तंत्रज्ञान द्वारा लगाया जाना था और दसी के द्वारा प्राप्ति किया जाना था, जिसे उसकी प्राप्तिया राज्यों के दोनों दसी अनुपात में बाटी जानी थी। जिस अनुपात में आयकर का विभाजन होता था। आयोग ने इसके वितरण पर विचार किया और निपारिणी की कि इस कर की निवल प्राप्तियों का एक प्रतिशत भाग दो सब शासित लोदों को सौंप दिया जाना चाहिए। ये प्राप्तियों के वितरण के सबध में आयोग ने यह कि यह कर अचल तथा चन दोनों ही प्रदार की सुपत्ति पर लगाया जाता है। अचल सुपत्ति से होने वाली प्राप्तियों का कुछ भाग राज्यों में स्थिति के आधार पर बाट देना चाहिए अर्थात् प्रत्येक राज्य में स्थित सुपत्ति के मूल्य के अनुपात में और ये प्रत्येक राज्य के सभ्य उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित कर देना चाहिए। इन लाधारों पर प्रत्येक राज्य का प्रतिशत भाग निम्न रूप में तथ विद्या था।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	8.76	मंगर	5.43
असम	2.53	उडीसा	4.10
बिहार	10.86	पञ्जाब	4.52
बंबर्द	13.52	राजस्थान	4.47
केरल	3.79	उत्तर प्रदेश	17.71
मध्य प्रदेश	7.30	पश्चिमी बगाल	7.37
महाराष्ट्र	8.40	जम्मू व कश्मीर	1.24

अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों का वितरण

राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार न महं तथा किया कि मिले स बने कपडे, चीनी तथा तबाकू पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले बित्री करों के स्थान पर एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए और उसकी निवल प्राप्तियों को राज्यों में बाटा जाए। मात्र ही इस बात का आश्वासन दिया जाए कि इम नई व्यवस्था से प्रत्येक राज्य को उतनी आय अवश्य प्राप्त हो सकेगी जितनी कि उन्हें इन वस्तुओं के बित्री करों से होती थी। वित्त आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि वह इस सबध मे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे कि इस उत्पादन शुल्क की निवल प्राप्तियों को राज्यों में किन सिद्धांतों पर बाटा जाए।

आयोग ने एक सिफारिश यह भी कि उत्पादन शुल्कों में से जम्मू व कश्मीर राज्य को भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। इस राज्य का हिस्सा 1 25 प्रतिशत तथा किया। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई कि उत्पादन शुल्क की निवल प्राप्तियों का एक प्रतिशत भाग केंद्रशासित प्रदेशों के हिस्से के रूप में केंद्रीय सरकार को रख लेना चाहिए। वितरण की योजना में क्योंकि प्रत्येक राज्य को उतनी धन राशि का आश्वासन दिया गया था जितना कि वे इन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बित्री करों से प्राप्त करते हैं। अब इस विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए आयोग में इन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बित्री करों से सन् 1956-57 में होने वाली आय को 'वर्तमान आय' के रूप म माना। उत्पादन करों की निवल प्राप्तियों का कुछ भाग यदि शेष रहे, तो उसको निम्न तालिका मे दिए हुए प्रतिशतों के अनुसार बाटने की व्यवस्था की गई। तालिका मे दोनों ही स्थितियों से सबधित प्रतिशतों का उल्लेख है अर्थात् (I) सभी वस्तुओं पर सम्मिलित रूप से तथा (II) तीनों वस्तुओं पर प्रथक-प्रथक रूप से

(प्रतिशत)

राज्य	यदि सभी वस्तुओं पर सम्मिलित रूप से विचार किया जाए	यदि प्रत्येक वस्तु पर प्रथक-प्रथक विचार किया जाए		
		मिला का बना कपडा	चीनी	तबाकू
आध्र प्रदेश	7 81	7 38	6 65	10 47
असम	2 73	2 72	2 55	2 98
बिहार	10 04	11 19	8 20	8 90
बर्बी	17 52	16 46	20 17	17 41
				अमृ.

देरल	3 15	3 10	3 03	3 43
मध्य प्रदेश	6 16	6 97	7 67	7 10
मद्रास	7 74	7 26	7 43	9 53
मैसूर	5 13	4 98	5 13	9 58
उडीसा	3 20	3 32	2 87	3 21
पंजाब	5 71	5 56	7.21	4 36
राजस्थान	4 32	4 36	4 81	3 59
उत्तर प्रदेश	17 18	18 19	15 63	16 13
पश्चिमी बंगाल	8 31	8 51	8 65	7 31

सहायक अनुदान

बायोग ने पहले की तुलना में अधिक सहायक अनुदान देन की सिफारिश की। आयोग ने इस बृद्धि का वारण यह बताया कि पहले जब अनुदानों को मात्रा का निर्धारण किया गया था तब राज्यों की विकास आवश्यकताओं को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया। प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने निम्ननिखित सहायक अनुदानों की सिफारिश महायक अनुदानों की सिपारिश की।

राज्य	करोड़ रुपये में सहायक अनुदान
आध्र प्रदेश	20 00
असम	20.25
बिहार	19 00
देरल	8 75
मध्य प्रदेश	15 00
मैसूर	30 00
उडीसा	16 75
पंजाब	11.25
राजस्थान	12 50
पश्चिमी बंगाल	19 25
जम्मू व काश्मीर	115 00
योग	187 75

वहाँ, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश ने लिए सहायक अनुदानों की सिफारिश नहीं की गई क्योंकि यह उमंचा गया कि प्रस्तावित हस्तातरण की योजना के अर्थमें इन राज्यों को बर आय का जो भाग दिया जा रहा है उनके चारू तथा योजना-

व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। असम, बिहार, उडीसा तथा पश्चिमी बंगाल के अनुदानों में तीन वर्ष पश्चात बृद्धि करने की भी व्यवस्था कर दी गई क्योंकि जूट निर्णात वर के बदले में इनको मिलने वाले सहायक अनुदान इस अवधि के बाद ममात्त हो जाने थे।

राज्यों को दिए जाने वाले सधीय बजे

स्वतंत्रता वे बाद से सधीय कर्जे उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। ऐसे कर्जों की सामग्री 15 अगस्त 1947 को 44 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 31 मार्च 1951 को 195 करोड़ रुपये और 31 मार्च 1955 को सगभग 900 करोड़ रुपये हो गई। व्याज की दरें 1 से लेकर 5 प्रतिशत तक थीं। कुछ कर्जे व्याज मुक्त भी थे। विस्थापितों को उनके पुनर्वास के लिए जो कर्जे दिए गए थे, उनके सबध में आयोग ने सिफारिश की थी कि 1 अप्रैल, 1957 से राज्य कॉर्ड को केवल वही धन राशियाँ वापिस करें जो कि वे विस्थापित व्यक्तियों से मूलधन तथा व्याज के रूप में वसूल करें। आयोग ने कर्जों के मुताबिक एवं युक्तिहरण की भी सिफारिश की जिसके परिणाम-स्वरूप समुक्त रूप में सभी राज्यों के व्याज छव्वं में 5 करोड़ रुपये की वापिक कमी हो गई। आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि भविष्य में इसी भी राज्य को दिए जाने वाले सभी उधार प्रत्येक वर्ष के अंत में दो कर्जों के रूप में परिवर्तित कर दिए जाने चाहिए—मध्यावधि कर्जे तथा दीर्घकालीन कर्जे।

रिपोर्ट का मूल्यांकन

अधिकारी राज्यों ने आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया। बबई और पश्चिमी बंगाल राज्यों में आयोग की सिफारिशों का समर्थन नहीं किया। इन राज्यों वा यह कहना था कि ओदीसिक राज्य होने के भारण वर तथा उत्पादन शुल्कों आदि की प्राप्तियों में वे अधिक भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनका यह तर्क था कि वितरण के आधार के रूप में करों के स्रोत को ही स्वीकार बरना चाहिए। बबई राज्य ने पृथक से यह आरोप लगाया कि उसे अपनी ठोस वित्तीय व्यवस्था के लिए दिड़ित किया गया है। एकीकरण की समस्याओं के कारण उस पर अतिरिक्त वित भार पड़ा है जिसकी ओर आयोग ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।

कर्जों के एकीकरण से सरलता उत्पन्न हुई और यह आशा की गई कि इससे राज्यों को सगभग 5 करोड़ रुपये की वापिक बचत होगी परन्तु इस आधार पर इसकी कटु अलोचना की गई कि पृथक-पृथक कर्जों के भिन्न-भिन्न उद्देश्यों तथा परिस्थियों को भिन्न-भिन्न शर्तों का होना आवश्यक है।

सभसे बड़ी समस्या तो योजना आयोग के सबध में हुई। राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय महायता के प्रश्न पर योजना आयोग तथा संघ व राज्य सरकारों

द्वारा विचार होना था। राज्यों को योजना से सबधित लायं-अनों की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात्पर उनको योजना के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उसका निश्चिन्त स्वयं योजना लायीग द्वारा ही किया जा सकता था। इच्छिए वित्त आयोग के वितरण पा वार्ष नो देवन मही था कि वह योजना लायोग ने नियंत्रों पर ही अपनी स्वीकृति की भोग लगाए। दूसरी बायिनाई यह उत्पन्न हुई कि राज्यों को दिए जाने वाले जो राजस्व अनुदान वित्त आयोग नो परिवर्ति में आत हैं वे उन कुन अनुदानों की सुलना में बहुत कम होते हैं जो कि सध द्वारा राज्यों की प्रदान किए जाते हैं। अत यिन जायोग द्वारा वितरण ना नहत्त्व स्वय हो कम हो जाता है।

वित्त आयोग ने इन सब बायिनाईों को स्वीकार किया। 'जहा दो आयोगों, दिन आयोग तथा योजना आयोग के बायं परम्पर टकराते हों वहा बुल दिक्षतों ना होना बनिवार्य है। वित्त आयोग एव बैधानिक गत्था है और उनके बायं भी समित हैं, जबकि योजना लायोग को सध तथा राज्यों की वित्तीय स्थितियों के सवध में विस्तृत रूप से विचार चरना होता है। अत यह अत्यव आवश्यक है कि जब नव ये दोनों आयोग बायं करें, इनके बायों में कायत प्रभावपूर्ण रोनि से सम-स्वय स्थापित किया जाए।'¹

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई बायंवाही

आयोग के मुखावों के अनुभार राज्यों की प्रतिवधि 140 लारोड रुपये के स्थानान्तर वी व्यवस्था की गई जिसमें 100 लारोड रुपये करों के भाग के रूप में और 40 करोड रुपये अनुदानों के रूप में थे। वरों के हम्मातरण तथा सहायक अनुदानों के सबध में आयोग नी नियारिजे उत्कार द्वारा स्वीकार कर ली गई। राज्यों को दिए जाने वाले भविष्य कर्जों के सबध में दो गई, जिन्हारिजे ने ठुकरा दिया गया। कर्जों नी जटायगी स्वाक्षर चरने से सबधित कर्जों के एकीकरण नी योजना को इस आधार पर अस्वीकृत किया कि इससे सरकार के पास उपलब्ध नापनों की बोग हो जाएगी और भविष्य में वह राज्यों नो यथेष्ट नाका में सहायता न दे सकी। सरकार ने मह मुखाव भी स्वीकार नहीं किया कि सभी प्रेसर के कर्जों पर एक समान व्याज की दरें लागू की जाए।

तृतीय वित्त आयोग

तृतीय वित्त आयोग श्री ए० क० चदा वी अध्यक्षता में दिनबार 1960 से नियुक्त किया गया तथा इसने अपना प्रतिवेदन 14 दिसंबर 1961 को उत्कार के समुद्र प्रस्तुत किया। आयोग से यिन विपर्यों पर नियारिजे प्रस्तुत चरने को वहा नग था कि इन प्रवारये करों में प्राप्त निवाल दाय वा बेंद्रीय एव राज्यों के बीच दत्तवाय, मुशीर उत्पादन शुकरों ना विभाजन, राज्यों ने योंच आन्ति कर के वितरण के सिद्धातों में

¹ Report of the Finance Commission, 1957, p. 13.

किए जाने वाले परिवर्तन, (यदि आवश्यक ममझा जाए तो) कुछ वस्तुओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के वितरण में परिवर्तन, (यदि कोई हो तो) रेल-यात्री भाड़े पर लगने वाले कर की समाप्ति से राज्यों द्वारा होने वाली हानि के बदले में उनको दिए जाने वाले 12.5 करोड़ रुपये के तदर्थ अनुदान का वितरण तथा महायक अनुदानों का निर्धारण।

आय वर की प्राप्तियों का विभाजन

आयोग ने 1 अप्रैल 1962 से चार वर्षों की अवधि के लिए निम्न मुद्दाव प्रस्तुत किए-

(1) कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर वर से प्राप्त होने वाली आय में से 66.66 प्रतिशत भाग राज्यों में वितरित किया जाए और 2.5 प्रतिशत बैंड शासित राज्यों में बाटा जाए।

(2) वास्तविक एकत्रित आय का 80 प्रतिशत भाग जनसभ्या के आधार पर और 20 प्रतिशत राज्य विशेष से एकत्रित किए गए आयकर से प्राप्त आय के आधार पर विभाजित किया जाए। इस नवीन सूत्र के अनुसार विभाज्य आयकर की राशि में से विभिन्न राज्यों का प्रतिशत इस प्रकार निश्चित किया गया-

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आधि प्रदेश	7.71	महाराष्ट्र	13.41
बसम	2.44	मैसूर	5.13
दिल्ली	9.33	उडीसा	3.44
गुजरात	4.78	पूर्वी पञ्चाब	4.49
जम्मू व काश्मीर	0.70	राजस्थान	3.97
बैरल	3.55	उत्तर प्रदेश	14.42
मध्य प्रदेश	6.41	पश्चिमी बंगाल	12.09
तमिलनाडू	8.13		

सधीय उत्पादन शुल्क

वित्त आयोग ने सधीय उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों के राज्यों का भाग 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने की सिफारिश की। आयोग ने दियासताई, तदाकृ, बनस्पति तेल, चीनी, काफी, बागज तथा बनस्पति के अनावश्यक सेलों के संपोष उत्पादन शुल्कों के अतिरिक्त 27 अन्य वस्तुओं में सधीय उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों को भी राज्यों में बाटने की सिफारिश की। सधीय उत्पादन शुल्कों में विभिन्न राज्यों के हिस्सों के निर्धारण के सबै में वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों की सापेक्षिक जनसभ्या, राज्यों की आर्थिक स्थिति, विकास रत्तर, अनुगूणित जाति

की प्रधानता और अविद्युत दरों के अनुपात आदि वो महत्व देने का मुखाव दिया। सधीय उत्पादन शुल्कों वा विभाज्य रागि में विभिन्न देशों ना भाग निम्नाविन तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
बाघ प्रदेश	8.23	महाराष्ट्र	5.63
झसम	4.76	मैसूर	5.82
विहार	11.56	ठडीसा	7.07
गुजरात	6.45	पूर्वी पंजाब	6.71
जम्मू व कश्मीर	2.02	राजस्थान	5.93
देहल	5.46	उत्तर प्रदेश	10.68
मध्य प्रदेश	8.48	पश्चिमी बंगाल	5.07
तमिलनाडू	6.08		

अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की आय का वितरण

अतिरिक्त उत्पादन मूल्य जिन दम्भुओं पर पहले से ही जमा वा छा था, उनके अतिरिक्त सन् 1961-62 में रेखमी वर्षों पर भी एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया था। आयोग ने नियत प्रान्तियों का एक प्रतिशत भाग केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सों के रूप में नियित दिया तथा जम्मू व कश्मीर के हिस्से वो 1.25 प्रतिशत से बढ़ावर 1.50 प्रतिशत दर दिया। अन्य राज्यों के सबध में आयोग ने वापिस धनराशि 32.50 वरोड रुपये से बढ़ावर 32.54 वरोड रुपये करने वा प्रस्ताव रखा, जिसका हिसाब रेखमी वर्षों से होने वाली आय में से दिया जाना था। भारती वी गई धन रागि की पूर्ति करने के पश्चात शेष धन वो राज्य के मध्यम दाटा जाता था और यह विवरण अनुत्त. तो सन् 1957-58 में (यह तिथि जब से यह कर सबसे पहले लगाए गए थे) प्रत्येक राज्य में दिनी कर के सभृह में दोनों वाली प्रतिशत धूदि के आधार पर और अनुत्त. जनसंघ्या के आधार पर दिया जाता था।

आस्ति कर की आय का वितरण

आम्ति कर की आय के विभाजन के सबध में आयोग ने दोहरे नवीन सिस्तरिक्त नहीं की। इस सबध में द्वितीय आयोग वी मान्यताओं को ही नायंशील रखा गया। परन्तु सन् 1961 वी जागरणा वी जनसंघ्या के आधार पर प्रत्येक राज्य वो मिलने वाले अंश के प्रतिशत में संशोधन कर दिया गया।

सहायक अनुदान

तृतीय आयोग ने महाराष्ट्र की छोड़कर अन्य सभी राज्यों वी सहायक अनु-

दान के रूप में 110.25 करोड रुपय वापिस देने की जिफरिश की। आयोग न अनुमति दिया कि इन अनुदानों के द्वारा राज्य अपनी-अपनी योजनाओं के राजस्व भाग के एक अंश की पूर्ति के लिए आवश्यक धन के विषय में बास्तव हो जाएंगे और उनको अपने प्रशासन में स्वायत्ता तथा तोक अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकेंगे। आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा कि 1962 से 1966 तक के चार वर्षों की अवधि में सचार साधनों के विवास के लिए विशिष्ट उद्देश्य अनुदान के रूप में, दस राज्यों के मध्य प्रतिवर्ष 9 करोड रुपये घाटे जाए। यह राशि मोटर स्प्रिट पर लगाए गए करों की आप्तियों की लगभग 20 प्रतिशत थी।

बजट सदब्धी घाटे की पूर्ति के लिए तथा योजना के 75 प्रतिशत राजस्व भाग की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता निम्न सारणी में प्रदर्शित की गई है-

(रुपये लाखों में)

राज्य	सहायता अनुदान	योजना से सदब्धित सहायता
1	2	3
बाह्य प्रदेश	1200	50
बंगलादेश	900	245
उत्तर प्रदेश	200	530
दृढ़ीसा	1600	820
बेरल	850	357
गुजरात	950	307
जम्मू व काश्मीर	325	500
पंजाब	275	751
पश्चिमी बंगाल	850	850
बिहार	800	800
मध्य प्रदेश	625	500
मद्रास	800	500
महाराष्ट्र	—	675
झंसूर	775	160
राजस्थान	875	425

प्रतिवेदन का मूल्यांकन

तृतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि आयोग ने राज्य सरकारों को बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं

को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया। माय ही आयोग ने यह भी ध्यान रखा कि केंद्रीय मरकार की आय जम न हो पाए। वितरण के आधार के सवाल में आयोग ने सापेक्षिक संग्रह को पहने को बोपेश्वा अधिक महत्व दिया। इसके करन्वास्त्व महाराष्ट्र और पश्चिमी दमात जैसे बोधोगिक राज्यों की आय कर म ने पहने की जपका अधिक हिस्सा उपलब्ध होने नगा। यथोपरि आयोग ने केंद्रीय उत्पादन ग्रुप्ला की 25 प्रतिशत के स्थान पर केवल 20 प्रतिशत भाग ही राज्यों म विभाग वरने की मिफारिण की परतु दूसरों और आयोग ने आठ दस्तुओं के स्थान पर 35 वस्तुओं के केंद्रीय उत्पादन ग्रुप्ला की आय को राज्यों मे विभाग वरने का मुकाबला दिया इस प्रकार राज्य मरकारों के वित्तीय साधनों मे पर्याप्त बढ़ि दृष्टि हुई।

वित्त आयोग की सिफारिशों ने कुछ राज्य असतुष्ट रहे। इनमें भृत्यरक्त अनुदानों और यातायात के साधनों की उन्नति के लिए विशेष अनुदानों मे मन्दिरियन सिफारिशों आलोचना का अधिक शिकार बनो। इस बात का अप्पार्टेमेंट नहीं हूबा कि आयोग ने किम आधार पर विहार और उत्तर प्रदेश को, जो बोपेश्वाहुत अधिक धनी और बोधोगिक राज्य नहीं हैं, भृत्यरक्त अनुदान देने का मुकाबला दिया। इसी प्रकार आयोग ने इस बात के लिए भी कोई प्रमाणपूर्ण नक्का नहीं दिया कि राज्य की योजनाओं मे 75 प्रतिशत राजस्व भाग की पूर्ति के लिए मध्य मरकार के अनुदान कर्म दिए जाए।

भारत सरकार ने आयोग की सभी सर्वानुमति सिफारिशों पान नहीं है।

चतुर्थ वित्त आयोग

मई 1964 मे केंद्रीय मरकार ने डा० पी० दी० राजसेनार की अन्वयता मे चौथे वित्त आयोग की स्थापना की। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1965 मे प्रस्तुत किया। आयोग से निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश देने के लिए कहा गया:

(1) अत्यकर तथा केंद्रीय उत्पादन ग्रुप्लो की निवल प्राप्तियों का सुध तथा राज्य के दीच वितरण तथा राज्यों के हिस्सों का निर्धारण।

(2) राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय महायक अनुदानों¹ के निर्धारण सिद्धात।

(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्वयत जिन राज्यों को सहाय कर अनुदान दिए जाते हैं उनका भूगतान निम्न बातों को व्याल मे रखते हुए वित्त प्रकार किया जाए (क) सन् 1965-66 से कर स्तरों के आधार पर उन राज्यों के सन् 1970-71 तक के 5 पर्सों के वित्तीय संघर्षन, (ख) नीतियों योजनावधि मे पूरे लिए गए स्थायित्व संबंधी व्यय के लिए राज्यों की आवश्यकता, (ग) इष्ट सदब्दी

सेवाओं को पूरा करने के लिए अन्य व्यय, (घ) सधीय सरकार का राज्य सरकारों पर जो क्रह है उमकी अदायगी के लिए कृपि से मिलने वाली आय छोड़कर आस्ति कर वा जो भाग राज्य के पास अधिक बच जाए उसका कर वा एक कोष बनाना, तथा (इ) राज्यों द्वारा अपने प्रशासनिक व्यय में मितव्यता की इतनी गुजाइश जिसका कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव न हो।

(4) कृपि भूमि को छोड़कर अन्य सपत्ति पर आस्ति कर का निबल उगाही का राज्यों के मध्य वितरण करने के सिद्धातों में किए जाने वाले परिवर्तन (यदि आवश्यक हो)।

(5) रेल विरायो पर कर के बदले में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान वा उनके बीच वितरण करने के मिद्दातों में विए जाने वाले हेरफेर, (यदि आवश्यक हो तो)।

(6) राज्य सरकारों द्वारा पहले बमूल किए जाने वाले वित्ती वर के बदले में सूती, रेणमी, रेपन अथवा कृत्रिम रेणमी तथा ऊनी बपडो, चीनी तथा तबाकू पर (जिसमें वि निर्मित तबाकू भी सम्मिलित है) अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की निबल बमूती के वितरण के सिद्धातों भि दिए जाने वाले परिवर्तन (यदि कोई आवश्यक हो तो)। पिंतु प्रत्येक राज्य को प्राप्त होने वाला हिरसा उस राज्य में सन् 1956-57 के वित्त वर्ष म वित्ती कर की बमूली से प्राप्त वाली आय से कम न हो।

आयोग ने उपरोक्त विषयों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सिफारिशों प्रस्तुत की-

आयकर वी प्राप्तियों का विभाजन

राज्यों ने आयोग के समुद्र यह मान रखी कि आय वी प्राप्तियों में उनको अधिक हिस्सा मिलना चाहिए तथा आयकरों वी प्राप्तियों में उनका भाग 66-66 प्रतिशत के बत्तमान स्तर से अधिक होना चाहिए। राज्यों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सन् 1958 के आयकर अधिनियम से वर्गीकरण किया गया उसका विभाज्य कोष की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पिछले 12 वर्षों में निगम वर के संग्रहों म जहाँ 6 गुनी वृद्धि हुई है वहाँ विभाज्य कोष में केवल 50 प्रतिशत वी वृद्धि हुई है। आयोग इन विचारों से सहमत हुआ और उसने मिफारिश की कि विभाज्य कोष में से राज्यों वो दिया जाने वाला आयकर वा भाग बड़ाकर 75 प्रतिशत वर दिया जाए। आयोग ने यह भी निश्चय किया कि राज्यों वे बीच वितरण का मिद्दात वही होना चाहिए जो कि प्रथम तथा तृतीय वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया था अर्थात् 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और [20 प्रतिशत सप्तह के आधार पर। सन्

1961-62 से 1963-64 तक के दीन वर्षों का उत्पादन 1961 की जन-भजन के अनुसार जनसंख्या के आधारे नेशनल विभाग द्वारा राज्य में प्रयोग राज्य का हिस्सा निम्न प्रवार रहा।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	7.37	महाराष्ट्र	14.28
असम	2.44	मैसूर	5.14
बिहार	9.04	नागालैंड	0.07
झुजरात	5.29	उडीसा	3.40
जम्मू व काश्मीर	0.73	पंजाब	4.36
केरल	3.59	राजस्थान	3.97
मध्य प्रदेश	6.47	उत्तर प्रदेश	14.60
मत्रान	8.34	पंजिचर्नी बगान	10.91

संघीय उत्पादन शुल्क

तृतीय आयोग ने उत्पादन शुल्क लगाने कोष्ठ प्रयोग एने पदार्थों की नम्बा 45 वर्दी थी द्वितीय प्राप्तिया केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने दीन वाटी जानी थी। चतुर्थ आयोग न इस नम्बा में और वृद्धि वरदी जीर प्रस्ताव रखा हिंदे नभी संघीय उत्पादन शुल्क जो वर्तमान में बनूत किए जा रहे हैं देखा द्वी द्वितीय वर्गले पाल दर्पों में बनूती की जाने की भावना है, केंद्र नगर राज्यों के दीन वाट जाने चाहिए। आयोग ने संघीय उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों में राज्यों का भाग 20 प्रतिशत ही रखने का सुवाव दिया। आयोग न यह भी सिफारिश की कि राज्यों के भाग का विवरण 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत बार्यिक एवं नामाजिक पिछेपन के आधार पर किया जाना चाहिए। नामाजिक पिछेपन का मूल्य वृष्टि उत्पादन का प्रति व्यक्ति मूल्य, कुन जनसंख्या में दर्भवारियों एवं मजदूरों का प्रतिशत, निर्माण ने प्रति व्यक्ति मूल्य में होने वाली वृद्धि मान गए। संघीय उत्पादन शुल्कों की विभाग राजि में विभिन्न राज्यों का का निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	7.77	महाराष्ट्र	8.23
असम	3.32	मैसूर	5.41
बिहार	10.03	नागालैंड	2.21
झुजरात	4.80	उडीसा	4.82
जम्मू व काश्मीर	2.26	पंजाब	4.86
केरल	4.16	राजस्थान	5.06
मध्य प्रदेश	7.40	उत्तर प्रदेश	14.98
तामिलनाडू	7.18	पंजिचर्नी बगान	7.51

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

इस आयोग ने तृतीय आयोग की मात्रा निवन उगाही का 1 प्रतिशत भाग केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए और 1 50 प्रतिशत भाग जम्मू व बाश्मीर के लिए निश्चित किया। इसने विभिन्न राज्यों के लिए गारटीहृत धन राशिया भी पूर्ववन रखी। गारटीहृत धन राशिया के पश्चात् वचे हुए ऐप धन के वबध म आयोग ने मुझाव दिया कि सभी राज्यों म सन् 1961-62 से 1963-64 तक एकत्रित लिए गए कुन विक्री वर पर प्रथम राज्य म बहुत बी गई विक्री वर बी आय के अनुपात के आधार पर इसका वटवारा होना चाहिए।

आस्ति कर

आयोग ने सिफारिश की कि आस्ति कर के वितरण के उसी सिद्धात को जारी रखा जाए जो कि पहले आयोग द्वारा निर्धारित रिया गया था। तथापि आयोग ने प्रस्ताव रखा कि केंद्र प्रशासित प्रदेशों का हिस्सा, जो कि निवल प्राप्ति का 1 प्रतिशत है, बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया जाए। जहा तक एक कोप की स्थापना का प्रश्न था, आयोग ने यह मत प्रकट किया कि चूंकि अस्ति वर मे से घेवल 7 करोड़ रुपये ही राज्यों म बाटा जाना था, अत ऐसे कोप की स्थापना का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होगा।

आयोग ने 1961 की जनगणना के आधार पर आस्ति कर मे राज्यों का प्रतिशत भाग इस प्रकार निर्धारित रिया

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	8 34	महाराष्ट्र	9 16
असम	2 75	मैसूर	5 46
बिहार	10 76	नागार्लेंद	0 09
गुजरात	4 78	उडीसा	4 07
जम्मू व बाश्मीर	0 83	पंजाब	4 70
बेरल	3 92	राजस्थान	4 67
मध्य प्रदेश	7 50	उत्तर प्रदेश	17 08
मद्रास	6 80	पश्चिमी बगाल	8 09

रेल यात्री विराए पर वर के बदले मे अनुदान

आयोग ने मत प्रकट किया कि 12 50 करोड़ रुपये के प्रति वर्ष मिलने वाले तदायं अनुदान का राज्यों के मध्य वितरण प्रत्येक राज्य मे रेल पथ की लवार्ड वे आवडो के आधार पर तथा सन् 1964 मे समाप्त होने वाले 3 वर्ष के यात्री यातायात से होने वाली वार्षिक औसत आय के आधार पर रिया जाना चाहिए।

निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य को मिलने वाले भाग वा प्रतिशत दरमाया गया है-

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आध्र प्रदेश	9.05	पश्चिमी बंगाल	6.40
झज्जम	2.79	बिहार	9.86
उत्तर प्रदेश	18.23	मध्य भारत	5.81
उडीसा	2.12	मद्रास	8.93
बेरल	1.85	महाराष्ट्र	3.98
गुजरात	7.11	मैसूर	0.01
जम्मू व काश्मीर	—	नागालैंड	9.98
पंजाब	7.43	राजस्थान	6.50

सहायक अनुदान

सन् 1966-67 ने 1970-71 तक के लिए विभिन्न राज्यों की राजन्व प्राप्तियों तथा गैर-योद्धा व्यय वा निर्धारण बरते हैं उपरात्र और विभिन्न वर्ते तथा ग्रुप्सों में से मिलने वाले उनके भागों की घनराशियों वा हिसाब लगाने के पश्चात् आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि इन अवधियों में इन राज्यों को कुल 610 लारोड रखने का धारा रहे। जब आयोग ने, सविधान वी धारा 275 के अधीन, धारे के 1/5 भाग के बहावर वर्धान् 122 लारोड रखने के वार्षिक बनुदानों की सिफारियों निम्न प्रकार दी-

राज्य	लारोड ₹०	राज्य	लारोड ₹०
आध्र प्रदेश	7.22	तामिलनाडु	6.84
झज्जम	16.52	मैसूर	18.24
जम्मू व काश्मीर	6.57	नागालैंड	7.07
बेरल	20.82	छोटीसाना	29.18
मध्य प्रदेश	2.70	राजस्थान	6.73

आयोग की रिपोर्ट का मूल्यांकन

भारत सरकार ने कुछ परिवर्तनों कुहित आयोग की समन्वय सिफारियों को स्वीकार किया। आयोग ने चान्द भरणार्तों को एक बोर महापञ्च बनुदानों के रूप में तथा दूसरी ओर बटते हुए सधीय वर्तों की लाल में से वित्त के दर्दे सोत प्रदान किए। आयोग ने राज्यों के मध्य विविध वर्तों के वितरण के सवधि में निश्चितता के महत्वपूर्ण तत्व पर ध्यान ढाना तथा उनके वितरण से सवधि निदानों में आवश्यक

परिवर्तन विधा तथा करो की विभाज्य राज्य के वितरण सबधीं तिद्वाना के निष्पत्ति में राज्यों की सापेक्षिक आधिक दशा की हीनता को अधिक महत्व दिया। चौथे वित्त आयोग ने पहले की आयोग की तुलना में राज्यों के लिए सहायक अनुदानों के बढ़ाने की सिफारिश की योकि उत्पादन शुल्कों की राशि में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते समय उनवीं सापेक्षिक वित्तीय निवेदिता को दृष्टिगत नहीं रखा गया था।

यह स्मरण रहे कि आयोग को जो प्रस्तुत सौंपे गए थे उनमें से दो के विषय में आयोग ने कोई मत प्रकट नहीं किया। इसने सधीय उत्पादन शुल्कों तथा राज्य विकास करों के मध्य समन्वय की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। दूसरे इसने आस्ति कर की रकम में से एक निधि के निर्माण के सबध में भी कोई सिफारिश नहीं की।

इस आयोग ने राज्य सरकारों का आय कर और उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों में हिस्सा बढ़ाकर तथा उनके लिए ज्यादा मात्रा में सहायक अनुदानों की सिफारिश वरके सराहनीय कार्य किया फिर भी इससे कुछ कठिनाइया उत्पन्न ही गई। प्रथम, सधीय करों के भाग के वितरण में विभिन्न राज्यों के मध्य आधार वी समस्या उत्पन्न कर दी। प्रत्येक राज्य वह आधार प्रस्तुत करने लगा जो कि उसके सर्वाधिक अनुकूल है। द्वितीय, पचवर्दीय योजना के अतिरिक्त अपनी योजनाओं को क्रियाविन करने के लिए राज्यों की आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्हें सधीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि वित्त आयोग की शिफारिशों में निहित सहायता के अतिरिक्त है और जिसकी सिफारिश नियोजन आयोग द्वारा की जाती है। इस प्रवार वित्त आयोग तथा नियोजन आयोग वे कार्य एक दूसरे को ढक लेते हैं। वित्तीय सविधान के अतिरिक्त राज्यों को अपनी वित्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए सध सरकार की वित्तीय सहायता पर आधिकाधिक निर्भर रहना पड़ता है। इन प्रवृत्ति ने राज्यों के वित्तीय साधनों के विकसित होने की भावना को कुठित कर दिया है।

पाचवा वित्त आयोग

यद्यपि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें 1970-71 के वित्तीय वर्ष तक के लिए लागू की गई थीं और 1 अप्रैल, 1971 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में आगामी 5 वर्ष के लिए पाचवे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होनी थीं किंतु राष्ट्रपति ने चौथे वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही पाचवे वित्त आयोग की नियुक्ति घर दी। इस आयोग का गठन थी महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। इसने अक्टूबर 1968 में अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट और जुलाई 1969 में अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के विचारार्थ विषय वैसे ही थे जैसे कि इसमें पूर्व के आयोगों वे लिए निर्धारित किए गए थे, अर्थात् बैंड्र तथा राज्यों के मध्य आय कर तथा उत्पादन शुल्कों की निवेदित प्राप्तियों वा बटवारा और प्रत्येक राज्य को मिलने वाले भाग के अनुपात

वा निर्धारण, जन् 1957 में लगाए गए अनिरिक्त उत्पादन शुल्कों की निवल प्राप्तियों वा राज्यों के दीच वितरण, रेल यात्री विराए पर निरस्त्तर दर (Repealed tax) के बदले में दिए जाने वाले नहायक अनुदानों वा राज्यों के मध्य वितरित किए जाने के नवघं में त्रौट प्रस्तावित पॉर्टफॉली तथा, यदि आवश्यक हों तो, काम्पु कर जी निवल प्राप्तियों के वितरण के नवघं में बोर्ड परिवर्तन, ददि आवश्यक हों तो, बोर्ड निवल निदानों वा निर्धारण जिनके अनुसार राज्यों वो नहायक अनुदान दिए जा सकें। वित आयोग वी अतिम रिपोर्ट की सिफारिशों इन प्रकार हैं।

आय कर वा विभाजन

चौथे वित आयोग की सिफारिशों के अनुसार आय कर की निवल आद में से 2.5 प्रतिशत केंद्र प्रशासित राज्यों वा अन्य निवालकर देष का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों में विभाजित किया जाना था। विभाजन राजि में प्रत्येक राज्य की जपना हित्ता 90 प्रतिशत जनसूचना के आधार पर और 20 प्रतिशत बनूतों के आधार पर दिया जाता था। पाचवे वित आयोग ने केंद्र प्रशासित सेवों वा अन बटार 2.6 प्रतिशत कर दिया। शेष राजि में से राज्यों वो पहने की जाति 75 प्रतिशत लग ही प्राप्त होगा। आयोग ने राज्यों का हित्ता 90 प्रतिशत जनसूचना के आधार पर और 10 प्रतिशत अन्य-निर्धारण संबंधी जारी हों के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की।

आयोग ने यह भी सिफारिश की, कि लाल दर को अद्वित बनूतों की रकम वो भी विभाजन बोप में सम्मिलित बरणे तुल घनतारी का विभाजन किया जाए। अभियं आय कर के रूप में 1966-67 तक राज्यों के हित्ते की संगमय 270 लाख रुपये वो राजि जमा हो चुकी थी, जिसका विभाजन नहीं हुआ था। जब यह रकम 1970-71 तक तीन समान छिटों में भुगतान की जाएगी।

उत्पादन शुल्क वा विभाजन

पाचवे वित आयोग ने नामूली संशोधन के आय वर्तनाम व्यवस्था और दनाए रखने की सिफारिश की। केवल एव मात्र संशोधन यह वित आय कि 1972-73 तक 1973-74 के दो वर्षों के विए निर्दिष्ट उत्पादन शुल्क ने प्राप्त आय वो भी विभाज्य राजि ने सम्मिलित कर दिया गया।

राज्यों के हित्ते के 80 प्रतिशत भाग वा वितरण जनसूचना के आधार पर और 20 प्रतिशत भाग वा वितरण भागेजित नामाजित और अर्थव्यव सिद्धेन्द्र ने आधार पर करने वा वर्तनाम छिटोत दनाए रखा गया। परंतु विद्धेन्द्र ने आधार पर निर्धारित की जाने वाली 20 प्रतिशत रकम वा थो तिहाई भाग, उन राज्यों ने वितरित हुआ जिनकी प्रति अन्ति आय सभी राज्यों की ओसुत आय के ज्यु थी और शेष एव तिहाई भाग सभी राज्यों ने पित्तेन के एक एकीकृत माप के अनुसार बाटना है। एकीकृत माप के निर्धारण हेतु इन वार्तों की ध्यान में रखना है।

अनुमूलिक जाति की आवादी, प्रति एक लाख की जनसंख्या पर वारपानो के भज-दूरों की सम्भा, प्रति विसाल सिंचित धोने की मात्रा, प्रति 100 वर्ग फ़िलोमीटर में रेलो व सड़कों की लबाई, स्कूल जाने योग्य आयु वाले बच्चों की तुलना में स्कूल जाने वाले बच्चों की सम्भा और प्रति हजार की जनसंख्या पर अस्पतालों में विस्तरों की सम्भा।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

विक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के सबध में पात्रवें वित्त आयोग ने मत प्रकट किया कि राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके बर्तमान व्यवस्था में उचित सशोधन किया जाना चाहिए। जब तक बर्तमान व्यवस्था जारी रहे, शुल्कों की दरें यथा सभव मूल्यानुसार रखी जाए और सभव समय पर उनमें सशोधन किया जाए ताकि प्रचलित मूल्यों और उसी प्रकार की वस्तुओं पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विक्री कर के समान्य स्तर का ध्यान रखते हुए उचित कर भार बनाए रखा जा सके।

अतिम निर्णय होने तक आयोग ने यह सिफारिश की, कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों के बर्तमान सिद्धातों में परिवर्तन किया जाए। आयोग ने सिफारिश की गारटीजुदा धनराशिया को चुक्ता करने के बाद शेष भाग में ने 50 प्रतिशत तो जनसंख्या के आधार पर और 50 प्रतिशत विक्री कर के सप्रहो के आधार पर (केंद्रीय विक्री कर को छोड़ कर) वितरित किया जाए, इतु जम्मू व कश्मीर तथा नागालैंड और सधीय धोनों पर 50 प्रतिशत का नियम लागू न हो क्योंकि इन राज्यों का भाग जनसंख्या के आधार पर कमग 0.83 प्रतिशत, 0.09 प्रतिशत तथा 2.05 प्रतिशत पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

आस्ति कर

आयोग ने यह मत प्रकट किया कि आस्ति कर के वितरण सबधी सिद्धातों में परिवर्तन की कोई मांग नहीं की गई है। इसनिए उक्त विषय पर कोई विशेष मिफारिश आयोग न नहीं की। केवल एक मुझाव अवश्य रखा कि सधीय शासित धोनों का भाग दो प्रतिशत से बढ़ाव रही तीन प्रतिशत कर किया जाए क्योंकि पजावंश पुनर्गठन के वारण मधीय शासित धोनों की जनसंख्या में बढ़ि हो गई है।

रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले अनुदान

आयोग ने विवार प्रकट किया कि अनुदान के वितरण को निर्देशित करने वाले मिद्दातों में भी प्रशार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस लिए उमने मुझाव दिया कि अनुदान के विवार की उम प्रचलित योजना वो ही जारी रखा जाए तिसरी कि दिनीय वित्त आयोग ने मिफारिश तथा मृतीय एवं चतुर्थ वित्त आयोग ने पुष्टि की थी।

सहायक अनुदान

बायोग ने 5 वर्षों के लिए केवल 10 राज्यों को कुल मिलाकर 637 85 करोड़ रुपये सहायतार्थ अनुदान देने की चिपारिजि की जो राशि 1969-70 के लिए निश्चित की गई थी वह 152.73 करोड़ रुपये ही होगी और निरतर घटती जाएगी। अतिम वर्ष में यह केवल 102.41 करोड़ रुपये रह जाएगी। महाराष्ट्र अनुदानों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	दोग
उडीसा	24.51	22.72	20.94	19.14	17.36	104.67
बंगल	20.80	20.60	20.39	20.19	19.99	101.97
नागार्जुन	17.40	16.49	15.59	14.69	13.78	77.95
जम्बू लाश्मीर	16.81	15.77	14.74	13.70	12.66	73.68
पश्चिमी बंगाल	22.49	18.41	14.32	10.64	6.76	72.62
आग्रह प्रदेश	15.54	14.27	13.00	11.73	10.47	65.01
केरल	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	49.65
राजस्थान	12.36	11.33	10.30	9.27	8.13	51.49
तामिलनाडु	6.61	5.59	4.56	3.54	2.52	22.82
मैसूर	6.48	5.04	3.60	2.16	0.71	17.99
योग =	152.73	140.15	127.57	114.99	102.41	637.85

रिपोर्ट का मूल्यांकन

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पांचवें वित्त बायोग ने अपने वार्ष दो वर्षा सुभव तटस्त्र बनाने का प्रयास किया फिर भी बनेव राज्यों ने वायोग की चिपारिशों पर असतुष्टि व्यक्त की। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री बायोग की सुनीका करते हुए बहा, 'राजस्व घाटे बालं राज्यों को अनुदान देने का मिलात परोक्ष रूप से ऐसे राज्यों को इस बात का ही प्रोत्त्वाहन किया जिसे अपने वित्तीय ममतों की कुछ-वस्था को आये भी जारी रखें।' उसी प्रकार पजाव के वित्त मंत्री ने इस बात पर खोद प्रबंध किया कि पजाव को इस बात पर पुरस्कृत नहीं किया गया कि उसने एक 'अच्छे बालक' के रूप में आवरण किया है। इतना ही बहु भारत का अन्न भडार है तथा उसकी 'युद्ध चबधी भूजा' भी। उन्होंने आये बहा कि, 'हमारे अच्छे वार्ष ना यहीं पुरस्कार है कि 637 करोड़ रुपये में से हमें एक पैसा भी नहीं दिया गया है' दूसरी ओर छठीमा के मुख्य मंत्री ने बहा कि इन चिपारिशों से शोकीय असमान-

ताओं की वृद्धि की ओर अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उसी सुरभि में सुरक्षा के वित्त मंत्री ने भी इस बात पर दुख प्रकट किया जिं आयोग के निर्णय का परिणाम यह होगा कि सुविधासित तथा अपेक्षावृत्त कम विस्तृत राज्यों के मध्य विप्रभत्ता की खाई और चौड़ी होगी। केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान ही ऐसे प्रदेश हैं। जिन्होंने रिपोर्ट के प्रति अपना सतीष प्रबल किया।

वास्तविकता यह है कि आयोग जैसी सत्त्वा सभी को समान रूप से सतुष्ट नहीं बर सबती इससे पूर्व के आयोगों के सबधि में भी ऐसी ही मिली जुली प्रतिनियाएँ व्यक्त बी गई थीं। किंतु यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो हम यह यह मनवते हैं कि आयोग न केंद्र की स्थिति को दुर्बल किए बिना राज्यों के पक्ष में स्रोतों के हस्तातरण करने बी चेष्टा की है जिससे सभ तथा राज्यों के वर्तमान वित्तीय सबधि में सुधार आने की आज्ञा की जा सकती है।

छठा वित्त आयोग

28 जून 1972 को थी द्रव्यानद रेडी भूतपूर्व आध प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में छठे वित्त आयोग की नियुक्त की गई। इस आयोग की नियुक्ति अपने निर्धारित समय से एक बय पूर्व इसलिए बी गई जिससे पाचवी योजना में इसकी सिफारियों की दृष्टिकोण रखा जा सके। इम आयोग के सुभाव सन् 1974-75 से सन् 1978-79 तक की अवधि के लिए होंगे।

इम आयोग को निम्नलिखित कार्य मिले गए

(1) मध्यीय वित्त के प्रमुख सिद्धाता के अतर्गत इस आयोग को प्रमुख रूप से केंद्र द्वारा राज्यों को बाटे जाने वाले वित्तीय साधनों का निर्धारण करना था। साथ ही योजना को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की विद्यमान योजना पर विचार करके, आवश्यक परिवर्तनों के लिए सुझाव देना था जो कि विवाप सरियोजना को तीव्रता से पूरा करने में सहायक हो।

(2) यह आयोग प्रथम बार आगामी पाच बर्षों के लिए राज्यों के गंभीर योजनागत पूजीयन अनुरागों बी सापान्व एव तुलनात्मक आधार पर 1978-79 तक समाप्त होने वाले पाच बर्ष की अवधि के लिए निर्धारित करेगा।

(3) आयोग प्रथम बार प्राकृतिक विषदाओं प्रभावित से होने वाले राज्यों की सहायता-व्यय के लिए वित्त के सबधि मध्यवस्था एव नीति का अध्यय करेगा।

(4) आयोग राज्यों की क्रृषि स्थिति को ध्यान में रख कर उसके भुगतान की रीतिया बतलाएगा।

(5) यह आयोग केंद्र के साधनों एव नागरिक प्रशासन, मुक्तां, भीमा सुरक्षा, कृषि सेवाओं एव अन्य व्ययों व दायित्वों के कारण होने वाले घब्बों की मात्र पर भी विचार करेगा।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट नववर 1973 में प्रस्तुत की। इसमें कहाँ, शुल्कों तथा बनुदानों के बटवारे ने भवित्व निम्न गिफारने देंगे कहीं।

(1) आयकर की प्राप्तियों का विभाजन

1974-75 से 1978-79 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय वर में प्राप्त विशुद्ध आय का बटवार निम्न प्रकार से दिया जाएगा।

(न) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दरों ने प्राप्त विशुद्ध आय का 1.79 प्रतिशत केंद्र-प्रशासित प्रदेशों को दिया जाएगा।

(ब) केंद्र-प्रशासित प्रदेशों परों मिलने वाली राजि को छोड़ कर दरों ने प्राप्त विशुद्ध आय का 80 प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाएगा। इसमें पूर्व यह 75 प्रतिशत था। आयोग ने मुखाव दिया हि राज्यों के लिए निष्पादित भाग में के 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत विभिन्न राज्यों में लिए जाने वाले आयकर के तुननास्तक संघर के आधार पर दिया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों की गणि प्रतिशत आधार पर निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

राज्यों की आयकर का प्रतिशत भाग

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आजम प्रदेश	7.76	12. मणीपुर	0.18
बंगल	2.54	13. मेघालय	0.18
बिहार	9.61	14. नागार्जुन	0.09
गुजरात	5.55	15. उडीसा	3.73
हरियाणा	1.77	16. पञ्चाब	2.75
टिमाचल प्रदेश	0.60	17. राजस्थान	4.50
जम्मू व काशीर	0.81	18. तामिलनाडु	7.94
कर्नाटक	5.33	19. त्रिपुरा	0.27
केरल	3.92	20. उत्तर प्रदेश	15.23
मध्य प्रदेश	7.30	21. पश्चिमी बंगाल	8.89
महाराष्ट्र	11.05		

(2) केंद्रीय उत्पादन शुल्क

(न) 1974-75 तथा 1975-76 के प्रत्येक वर्ष में, समस्त वस्तुओं पर लगाए गए तथा संग्रहित लिए केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की विशुद्ध प्राप्ति के 20 प्रतिशत भाग, जिसमें महाराष्ट्र शुल्क तथा विभिन्न विभिन्न वस्तुएँ लगाए गए तथा ।

विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित लिए गए अधिकार सम्मिलित नहीं हैं, जो भारतीय सरित निधि में से राज्यों को दिया जाना चाहिए।

(ब) 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों में, सबधित वर्ष में समस्त वस्तुओं पर लगाए गए तथा संप्रहित लिए गए केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की विशुद्ध प्राप्तियों के 20 प्रतिशत भाग (जिसमें सहायक शुल्क सम्मिलित है लियु विशेष अधिकार सम्मिलित नहीं हैं) जो भारतीय सरित निधि में से राज्यों को अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

(ग) केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की विभाज्य धन राशि में वित्त-आयोग ने राज्यों का भाग निम्नानुमार निर्धारित किया।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8 16	मणिपुर	0 21
असम	2 71	मेघालय	0 19
बिहार	11 47	नागासेंड	0 11
गुजरात	4 57	उडीया	4 06
हरियाणा	1 53	पंजाब	1 87
हिमाचल प्रदेश	0 63	राजस्थान	5 00
जम्मू व काश्मीर	0 90	तामिलनाडु	7 43
कर्नाटक	5 54	मिपुर	0 030
केरल, मध्य प्रदेश	3 86	उत्तर प्रदेश	17 03
मध्य प्रदेश	8 15	पश्चिमी बंगाल	7 79
महाराष्ट्र	8 58		

(3) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

आयोग ने युक्ताव दिया कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में से राज्यों के लिए हिमी गारटीशुल्क धनराशि के निर्धारित वर्ते की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त सभूष्ण विशुद्ध प्राप्ति के बेवल उम भाग को छोड़ बर जो बेंड्र-प्रशासित धोता के लिए निर्धारित है, राज्यों को दे देनी चाहिए। अभी तक राज्यों के बीच इस आय का वितरण इस प्रकार होता रहा है कि प्रत्येक राज्य जो एक निश्चित धनराशि प्राप्त होते की गारटी बेंड्र की ओर से दी जानी थी और जो धनराशि इसके उपरान बब रहती थी वह भी राज्यों में जनसंघा तथा विशी-कर के आधार पर विभासित की जाती रही है। ऐसे वित्त आयोग ने यह उचित

पाया कि इन मद से प्राप्त विशुद्ध थाय में ने केंद्र शासित प्रदेशों की निजते वाले भाग की घटाई और राज्यों में जनसूखा, रुक्क और प्रदेशित उन्नति उथा ऐसी बम्बुदों की उत्पत्ति के लाधार पर वितरित कर दिया जाए जिन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क समता है। इन लाधारों पर वह वितरण 60 रुपये, 22 रुपये उथा 10 रुपये के अनुपात में होगा।

केंद्र शासित प्रदेशों को निजते वाला भाग कुन विशुद्ध प्राप्ति का 141 प्रतिशत होया। ऐप 98.59 प्रतिशत भाग राज्यों में निज प्रतिशत के लाधार पर वितरित दिया जाएगा।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
ब्राह्म प्रदेश	8.39	ब्रह्म	3.58
बम्ब	2.47	मध्य प्रदेश	6.98
दिल्ली	9.36	महाराष्ट्र	11.65
गुजरात	5.91	मध्यप्रदु	0.17
हरियाणा	2.95	मध्यलेंद्र	0.17
हिनाचल प्रदेश	0.59	नाशिके	0.08
जम्मू व काश्मीर	0.73	उडीचा	3.59
कर्नाटक	5.62	राजस्थान	4.17
पञ्चाब	2.68	त्रिपुरा	0.25
तामिलनाडू	6.26	पश्चिमी झारात	8.30
उत्तर प्रदेश	17.10		

नपदा शुल्क

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सपदा-शुल्क से प्राप्त विशुद्ध थाय का 25 प्रतिशत केंद्र शासित राज्यों को दिया जाएगा और ऐप भाग राज्यों में निज लाधार पर वितरित दिया जाएगा।

(३) यह ऐप यांत्रि सर्वप्रथम अचल सपत्ति वेता अन्य सपत्ति के अनुरूप इन सपत्तियों के सबल-मूल्य के अनुपात में विस्तृत की जाएगी जो सूचन-मूल्य निर्धारित वर्ष में विषय गण हैं।

(४) दो लाय अचल सपत्ति के द्वारा हूँदू है वह राज्यों में सबल मूल्य के अनुपात में वितरित की जाएगी। यह सपत्ति का वह सबल मूल्य होगा जो निर्दोषित वर्ष में लिया गया है।

(ग) जो आय अन्य संपत्तियों से प्राप्त होगी वह जनसूच्या के आधार पर विभिन्न राज्यों में निम्नानुसार वितरित की जाएगी ।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	8 04	मणीपुर	0 20
असम	2 70	मेघालय	0 19
बिहार	10 41	नागालैंड	0 10
गुजरात	4 93	उडीसा	4 05
हरियाणा	1 86	पंजाब	2 50
हिमाचल प्रदेश	0 64	राजस्थान	4 76
जम्मू व काश्मीर	0 85	तामिलनाडू	7 61
कर्नाटक	5 41	त्रिपुरा	0 29
केरल	3 94	उत्तर प्रदेश	16 32
मध्य प्रदेश	7 70	पश्चिम बंगाल	8 19
महाराष्ट्र	9 31		—

(5) रेल यात्रियों के किराए पर लगे कर के बदले में अनुदान

रेल यात्रियों के किराए पर लगे कर के वितरण के सिद्धात में आयोग ने किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया । आयोग ने यह निश्चय दिया कि 1 अप्रैल 1974 से पाव वर्ष की अवधि के लिए इस कर से प्राप्त आय को प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य में निम्न अनुपातों में वितरित किया जाए ।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	8 01	मणीपुर	—
असम	2 70	मेघालय	—
बिहार	10 58	नागालैंड	0 01
गुजरात	7 47	उडीसा	2 24
हरियाणा	2 57	पंजाब	5 06
हिमाचल प्रदेश	0 17	राजस्थान	6 59
जम्मू व काश्मीर	0 02	तामिलनाडू	5 14
कर्नाटक	3 47	त्रिपुरा	0 02
केरल	1 61	उत्तर प्रदेश	19 85
मध्य प्रदेश	9 89	पश्चिमी बंगाल	5 73
महाराष्ट्र	8 87		

(6) सहायक अनुदान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुरूप राज्यों की महायक अनुदान देते समय आयोग को दो बातें इष्टिगत रखने को बहा गया (I) उन राज्यों की आवश्यकताएं जो सामान्य प्रशासन में पिछड़े हुए हैं, तथा (II) प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों की आवश्यकता।

जहा तक दूसरी बात का प्रश्न है, आयोग ने सहायक अनुदान निर्धारित परते समय, सरकारी तथा स्थानीय रास्थाना के नमंचारियों तथा अध्यापकों आदि के 1 मई 1973 तक की बेतन बृद्धि को ध्यान में रखा है। आयोग ने पहली विचारधारा भी दृष्टि में रखी है। पिछड़े हुए राज्यों को अपने प्रशासन के स्तर में उन्नति करने के लिए आयोग ने महायक अनुदान तथा बरत समय प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय होने वाले प्रशासनिक तथा सामाजिक व्यय को आधार स्वीकार किया है। आयोग ने कुल मिलाकर लगभग 2,510 करोड़ रुपये की राशि 14 राज्यों को महायक अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया है। निम्न तालिका राज्यों को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान की दरानी है।

राज्य	करोड़ रुपये में
आग्रह प्रदेश	205 93
बस्तम	254 53
विहार	106 28
हिमाचल प्रदेश	160 96
जम्मू व काश्मीर	173 49
केरल	208 93
मणिपुर	114 53
मेघालय	74 67
नागालैंड	128 84
उडीसा	304 73
राजस्थान	230.53
निमुरा	112 50
उत्तर प्रदेश	198 83
पश्चिमी बंगाल	234 86

वित आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बाड़ और मूले से ग्रन्त केन्द्रों को सम्पाद्यों को मुलायाने के लिए दी जाने वाली राशि को कर्ज रूप में देने की अपेक्षा सटायता राशि के रूप में थोड़ [समझा है।

आयोग ने यह विचार भी प्रकट किया हि राज्यों की वावस्थाना वे समय धन वी महायता देने के लिए केंद्र और राज्य गरकारों द्वारा मिलार इसी राष्ट्रीय योग का निर्माण न तो उचित ही है थोर न व्यवस्था ही। बतेमान व्यवस्था, जिसके अनुमार राज्यों को धनराशि दी जानी है, उसे पूरी तरह से परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए हि पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत मूल तथा बाह से ग्रस्त देशों का उचित प्रशार स वितरण किया जा सके। आयोग ने इस उद्देश्य को ध्यान म रखते हुए प्रति वर्ष इस प्रशार वी योजनाओं पर बल देने की इसलिए व्यवस्था वी है। राजस्थान ऐसे राज्यों की सूची म सधमे ऊपर है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये वी व्यवस्था को गई है। महाराष्ट्र और बाध म ग पर्यंत के लिए 4 करोड़ रुपये वी व्यवस्था है।

जहां तर इस बात का प्रश्न है हि केंद्र पर राज्यों द्वारा लिए जाने वाले फैजों के कारण भार बढ़ा हुआ है, इसके लिए आयोग ने सिफारिश वी है कि उनके भुगतान की शीब्र व्यवस्था वी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुमार 1970 करोड़ रुपये की छूट केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाएगी। महाराष्ट्र 60 करोड़, उत्तर प्रदेश 150 करोड़, आध प्रदेश 191 करोड़ तथा राजस्थान 258 करोड़ की छूट प्राप्त करेंग।

मूल्यांकन

वित्त आयोग ने मुझाव दिया है हि बाह और मूल्य से ग्रस्त देशों की समस्याओं को मुलाकाने के लिए दी जाने वाली राशि वी अपेक्षा प्रणाल्य मे देने से बही अच्छा है हि सहायता राशि के रूप म दी जाए। यदि यह राशि छूट के रूप मे दी जाती तो सभव था हि राज्य उमरा गूनतम उपयोग करते, क्योंकि वह जानते थे, यह राशि उन्हे कभी भविष्य मे लोटानी होगी तथा उस पर व्याज भी देना होगा। इसलिए ये राज्य मूल्य से ग्रस्त देशों के लिए उनकी ही राशि छूट के रूप मे मांग करते जो अनिआवश्यक थी। हम यह भलीभाति जानते हैं हि राज्य अपने अधिविश्वर्पण वी सीमाएं पार कर चुके हैं। इसलिए ये रूप केंद्र दररार से महायता राशि के रूप मे अधिक गे अधिक मांग करेंगे।

आयोग का यह विचार है हि पांचवीं योजनानाल मे राज्यों को मिलने वाली राशि 4,000 करोड़ रुपये म लेकर 4,500 करोड़ रुपये होगी। हितु मुद्रा-स्थीति की दशाओं के उत्पन्न होने म राज्यों को मिलने वाली इस राशि का वासन-द्वित मूल्य बहुत रूप हो जाएगा। अब उनकी आधिक स्थिति मे जोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।

25

वित्तीय प्रशासन

वित्तीय प्रशासन लोकवित का एक मौलिक अग है। यह विज्ञान भी है तथा वस्ता भी। विज्ञान की दृष्टि में यह लोकवित की वह शाखा है [जो सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने तथा उसकी समूर्ध व्यवस्था बनाने के लिए निश्चित नियमों एवं मितातों का निर्माण करती है। वस्ता के अप्रभाव, वित्तीय प्रशासन गेस्टन नेज के शब्दों में, 'राजकीय संगठन' का यह भाग है जो सार्वजनिक कोषों के एक द्वीपरण, सरकार एवं वितरण का, राजकीय आय तथा घट्ट के सम्बोधन का, राज्य की ओर से विए जाने वाले साधे के नामान्वय नियंत्रण का जप्त्यन करता है।'

वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत

वित्तीय प्रशासन के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन नीचे दिया गया है।

(1) संगठन की एहता : इस सिद्धांत के द्वारा इस बात पर बत दिया गया है कि वित्तीय प्रशासन की प्रत्येक व्यवस्था में अद्यानु नियन्त्रा तथा उत्तर दायित्व में एक रूपता होना आवश्यक है। समूर्ध वित्तीय व्यवस्था पर एक ही सम्पादन नियन्त्रण होना चाहिए तथा उसका व्यापित्व निश्चित वर देना चाहिए। इसके अलावे शब्दों में, वित्तीय प्रशासन पर बोदीय सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए, विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय होना चाहिए तथा छोटे अधिकारियों पर बड़े अधिकारियों का नियन्त्रण होना चाहिए।

(2) संसद की इच्छानुभार कार्य की समन्वय : राजकीय कोष नागरिकों का सामूहिक कोष होता है इत्यतिए उनका प्रबन्ध तथा नियंत्रण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इसलिए वित्तीय मामलों म संसद की इच्छानुभार और संसद के आदेशानुभार ही आय को जुटाया जाय तथा दर्ज किया जाए।

(3) संरक्षण तथा नियंत्रिता के गुण : वित्तीय प्रशासन पढ़ति ऐसो हांनी चाहिए जिसको नियंत्रित करने में संरक्षण, भीमता तथा नियंत्रिता के गुण पाए

जाए। वित्तीय प्रशासन की प्रणाली जटिलताओं से मुक्त होनी चाहिए तभी उसे एक साधारण व्यक्ति समझ मिला है। वित्तीय प्रशासन को कुशल तथा मितव्यी बनाने के लिए नियमितता तथा शीघ्रता का गुण होना आवश्यक है।

(4) प्रभावमुक्त नियन्त्रण : एवं कुशल वित्तीय प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पग पर कठोर नियन्त्रण हो ऐसे नियन्त्रण अनुमान की दुष्टियों को न्यूनतम बरने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह नियन्त्रण सप्तद तथा कार्य-कारिणी सभा दोनों के द्वारा हो सकता है। यह स्मरण रहे कि नियन्त्रण की क्रिया बहुत अधिक जटिल प्रशासन की कुशलता में बाधा डान सकती है।

संघ में वित्तीय प्रशासन

अधिकाश सधीय संविधानों ने वित्तीय प्रशासन के अतर्गत तीन मौलिक सिद्धातों को स्वीकार किया जाता है। प्रथम, कोई भी कर जनता के प्रतिनिधिया वे विना अनुमोदन के न तो लगाया ही जा सकता है और न ही बमूल रिया जा सकता है। द्वितीय, सप्तद की विना स्वीकृति के कोई भी सार्वजनिक व्यय नहीं किया जा सकता। तृतीय बोई भी व्यय सीमा से अधिक तो नहीं किया गया, इस पर विचार करने वे लिए महालेखा परिषद नियुक्त रहता है जो अपने वर्मचारियों की सहायता से कार्यकारिणी द्वारा किए गए व्ययों की जांच करता है और सप्तद के समुद्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

हमारे संविधान में उपरोक्त तीनों मिदातों को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार विधायकों द्वारा पारित विधियों के प्राधिकार के अतिरिक्त कोई बर न तो लगाया जा सकता है और न एकत्र ही हो सकता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की सचिव निधि म से कोई धनरक्षण विधायकों द्वारा पारित विधि वे अनुसार निश्चित प्रयोजनों के लिए रीतियों से ही व्यय की जा सकती है। ऐसे ही अनुच्छेद 267 के अतर्गत आवस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आवस्मिकता को प निधि स्थापित किया गया है जिसमें सप्तद द्वारा पारित विधियों वे अनुसार निर्धारित राशिया समय-नमय पर जमा की जाती हैं। इस निधि से आवस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए अधिकार राष्ट्रपति देने वा अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियन्त्रण महालेखा-परिषद नियुक्ति की जाती है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्ययों की जांच वा अधिकार प्राप्त है। महालेखा परिषद जांच सबधीं प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समय उपस्थित रहता है और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को सदन के समुद्र रखवाते हैं।

बजट की तैयारी

बजट कार्यकारिणी नमा ढारा तंत्रार किया जाता है। धन औ प्राप्त अर्थ से वा तथा व्यय की मपन करने वा अधिगार भी इनी नमा को प्राप्त है, बजट की तैयारी का कार्य हमारे देश में उत्तरार्थे प्राप्त हो जाता है। मदेश्यम् स्यानीष अधिकारी अपने विभाग के बनुमान लगाकर अपने उच्च कार्यालय को भेजते हैं। ये बनुमान दो भागों में विभक्त होते हैं। प्रथम भाग में, वाष्ठनों में प्राप्त व्यय की मदो पर प्रभावित व्ययों को दियाया जाता है। दूसरे भाग में, नवीन योजनाओं पर होने वाले व्यय दियाए जाते हैं। परि यही दरवान को देखने से प्राप्त होने वाली आय को छोड़ दिया गया हो तो उसका उत्तरार्थ भी किया जाता है।

व्यय व्यय को क्षीरा निम्न पात्र योग्यों के अनुसार दियाया जाता है :

- (1) विश्व दर्पण के व्याय-व्यय
- (2) चालू दर्पण में स्वीकृत व्याय-व्यय के बनुमान
- (3) चालू दर्पण में व्याय-व्यय के संगोष्ठित बनुमान
- (4) जागामी दर्पण के बजट-बनुमान
- (5) चालू तथा विश्व दर्पण की वास्तुविक व्याय-व्यय, जो बजट के नमन तक जात हो जाती है।

इनके अतिरिक्त नई योजनाओं पर चर्च होने वाली राजि का बनुमान भी लगाया जाता है। प्रधान व्यायालय में इन बनुमानों के पहुँचने के पश्चात् यह वार्षिक इन बनुमानों को छोड़कर तथा इनमें वाक्यबनुमान एवं वित्त विभाग में नवदर्शने माह एक भेज देता है। इन बनुमानों को प्राप्ति के उपरात वित्त विभाग बजट तैयार नहीं है। यह तैयार किया गया बजट योक सभा या नियुक्त दोनों बदलों के नियम एवं व्यवस्था के बहुत अनुत्तर नहीं होता है।

भारत में वित्तीय प्रक्रिया

वित्तीय विषयों में जरनार्द जने वाली प्रक्रिया का उत्तरार्थ हमारे नियमित दिया गया है। यह प्रक्रिया दोन चरणों में विभक्त की गई है।

(1) वार्षिक वित्तीय विवरण : नियम के दोनों बदलों के उत्तुव प्रदेश वित्तीय व्यय के बारे ने बनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण याप्तिपति द्वारा रखवाया जाता है। इन वित्तीय विवरण में व्ययों को कई बगों में विभक्त किया जाता है। पहुँच दर्पण में वे व्यय दियुग्र जाते हैं जिनकी पूर्वी नियमित दिया गया भालू शी मवित नियम में जी जाती है तो वे इन पांच व्यवस्थाविका कमा के उद्दम्यों को अपना नव प्रबंध बताते वा अप्रिकार नहीं होता।

भारत की सचित निधि पर भारित व्यवस्था : भारत सरकार द्वारा विभिन्न वरों तथा शुल्कों से प्राप्त प्राप्तियों, राजकोपीय पदों तथा अधिकारों से प्राप्त धनराशि तथा साधन सबधीं जो भी धनराशि रिजर्व बैंक से प्राप्त हों, समस्त राशिया भारत की सचित निधि में जमा दी जाती हैं। इस सचित निधि में से निम्न व्ययों को उत्पन्न करने की व्यवस्था की जाती है।

(1) राष्ट्रपति को दिए जाने वाले भर्तों तथा उनके पद से सबधित अन्य व्यय

(2) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति तथा सोबहसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भर्तों,

(3) ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ऐसे ऋणभारों के बतांगत व्याज, निक्षेप निधि-भार, मोबान 'भार तथा उधार लेने, ऋण-सेवा तथा ऋण मोबान सबधीं अन्य व्यय

(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले वेतन, भर्तों और पेशन

(5) सधीय न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेशन

(6) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को दिए जाने वाले वेतन, भर्तों और पेशन

(7) किसी न्यायालय या भव्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के भुगतान के लिए राशिया, तथा

(8) सविधान द्वारा अथवा सत्तद से पारित किसी विधि द्वारा इस निधि से चुकाने के लिए निश्चित किया हुआ कोई अन्य व्यय।

दूसरे वर्ग में भारत की सचित निधि से पूर्ति के लिए प्रस्तावित व्यय दिखाए जाते हैं। उन अनुभानित व्ययों को लोक सभा के समक्ष अनुदानी की मांग के रूप में रखा जाता है। किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार लोक सभा को होता है। किसी भी अनुदान की मांग को लोक सभा के सामने रखने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

नियोजक विधेयक

उस विधेयक वा मूल उद्देश्य स्वीकृत वी हुई भागों को कानूनी रूप देना तथा सचित निधि में से धन निरालने का अधिकार देना है। भारत के सचित वो प्रभ से निम्नलिखित व्ययों के निमित्त आवश्यक राशिया की व्यवस्था के लिए नियोजन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

(1) वे व्यय जिनके लिए लोक सभा ने अनुदान स्वीकार किया है।

(2) वे व्यय जो भारत की सचित निधि पर भारित हैं तथा जिनकी राशि सत्तद में समक्ष इसके पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से अधिक नहीं है।

नियोजन विद्येयक में समद के किसी भी सदन द्वारा संगोष्ठन का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिसमें अनुदान की राशि परिवर्तित हो जाए अथवा अनुदान का उच्च बढ़त जाए या जिसमें भारत की सचित निधि पर भारित व्यय की मात्रा परिवर्तित हो जाए। सचित थोप में उच्च समय तक कोई राशि नहीं नियाली जा सकती जब तक वि नियोजन-विद्येयक के द्वारा उसके नियालन की व्यवस्था न बन दी जाए।

पूरक, अतिरिक्त और असामान्य मार्गों की व्यवस्था

यदि किसी विभेषण सेवा पर चालू वित्तीय वर्षे में निये व्यय की जाने वाली राशि अपर्याप्त हो जाती है तो उसके निये भरकार मदनों से पूरक मार्गों प्रस्तुत बर मरती है। पूरक मार्गों का अनुमान बजट के समान ही नगामा जाता है और इन्हें भी बजट की तरह ही पारित करना होता है। यदि भरकार किसी ऐसे मद पर व्यय करना चाहती है जिसे किसी मार्ग में सम्प्रिवित नहीं किया जा सकता, परंतु व्यय की मद इनी आवश्यक है तो भरकार मद की दिना स्वैरुति के उस पर व्यय करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में भरकार एक रूपरे को एक सांतिक्ष मार्ग प्रस्तुत भरती है। जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर अनुदान की गई राशि के अधिक धन व्यय हो जाता है तो ऐसे विभेषण व्ययों के तिए एक दूसरा विवरण समद के दोनों मदनों के नमस्त राष्ट्रपति अपनो मिपारिशों के साथ रखदाते हैं। इस विवरण के आधार पर लोन सभा पूरक, अतिरिक्त और अनुमानित मात्रा से अधिक व्ययों के लिए अनुदान करती है।

घन विद्येयक

जब किसी भी विद्येयक का निम्न विषयों में से कुमो ने अथवा किसी एक से सदृश हो तो उसे घन विद्येयक नमस्ता जाता है।

- (1) किसी कर का आरोपण, उन्मूलन, छूट या परिवर्तन
- (2) भारत भरकार द्वारा धन उधार सेने अथवा कोई प्रत्यामूलि देन का विनियम
- (3) भारत की भचित निधि अथवा जाग्स्तिक्ता निधि की अधिकला, ऐसी किसी निधि से घन दातना अथवा उसके से नियालना
- (4) भारत की भचित निधि में से धन का नियोजन
- (5) किसी व्यय की भारत की भचित निधि पर भारित व्यय कोपित बरना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि बटाना, तथा
- (6) भारत की भचित निधि के साथ भारत के नोड लेडे के मध्य धन प्राप्त बरना अथवा केंद्रीय या राज्य के लेखाओं का लेखा परिकल।

यदि तिरी भी विधेया मे संबंध म था विधयत होते का विवाद उस दृष्टि जाए तो उस संबंध म सोर रामा मे अधिकार नाम गाय्य होता है।

वित्त विधेयक

पन विधयक मे आमंत्र भावे या विधया मे संबंध म यह कोई संशोधन संबंधी अधिकार अन्य विधयत विधयत सोर रामा के समुच्च रखा जाता है तो उस विधयत को वित्त विधेयक कहते हैं। इन संबंध महसुले सोर रामा के संबंध राज्यपति नी लिपारिशो के साथ रखा जाता है। या विधयत संबंध वित्त विधेयक म भी निर्वाचन आर लिया गया है। वित्त विधया मे पर और व्यवसंग मे अधिकार अन्य विधय भी समिति होते हैं तथा या विधयत मे व्यवसंग और अत संबंधी प्रस्ताव ही समिति होने हैं। पन विधेयक को पेश परो मे निए राज्यपति नी लिपारिशो आवश्यक होती है।

पन विधेयको को पारित करने की प्रक्रिया

या विधेयक के संबंधम सोर रामा के संबंध रखा जाता है। सोर रामा से पारित होते के परमाणा उन्हे राज्य तथा के समुच्च उत्तरी लिपारिशो के लिए रखा जाता है। राज्य सभा विधयत की प्राप्ति के बोद्ध दिन के भीतर अनी लिपारिशो महित सोर रामा को सोरा देती है। सोर रामा को यह अधिकार होता है कि यह राज्य सभा नी गमी लिपारिशो को या उसे से दिती को भी स्थीरार या अस्थी पार यह राखती है। यदि सोर रामा राज्य सभा नी लिपारिशो मे से कि तीरी स्थीरार कर लेती है तो या विधया उन लिपारिशो मे अनुसूत उचित संशोधनो के गहित दोनो सदों द्वारा पारित समझा जाता है। कि सोर रामा राज्य सभा नी लिती भी लिपारिश के स्थीरार नहीं करती है तो विधेयक को वित्त विधेयको के पारित समझा जाता है। यदि सोर रामा से पारित या विधयक राज्य सभा नी लिपारिशो के लिए देता जाता है और यह संबंध के भीतर नहीं सीटाया जाता तो उस अद्यति के सामाजिक होने पर सोर रामा द्वारा वारित रूप को दोनों सदों द्वारा पारित समझा जाता है। दोनो सदों से पारित होते पर यह विधेयक को राज्यपति सोर रामा मे संबंध रखता है इसलिए सोर रामा से पारित होते के परमाणा उग पर राज्यपति नी अनुमति प्राप्त करता रखता है। या विधयत को राज्यपति नी लिपारिश मे साथ सोर रामा के संबंध रखते होते के संबंध म यह उल्लेखनीय है कि यह लिया यथापि अधिकार या विधेयक पर लागू होता है परन्तु तिरी कर को हुटाते के प्रताल को सोर रामा के समुच्च लाने के लिए राज्यपति नी लिपारिश आवश्यक नहीं होती।

बजट तथा बजट नीति का योगदान

बजट दास्तव में सरकार की वृहत वित्तीय घोषणा होती है इसमें बजट-भाल के समावित आय तथा प्रस्तुतिवित व्ययों के अनुमान का विवरण होता है सरकारी क्रियाज्ञों के स्वरूप वा व्यापक निरोक्तन बजट में ही जिया जा सकता है और यह सत्ता नगाया जा सकता है वि सरकार इन प्रकार की वित्तीय नीति बनाना चाहती है। आदर्श स्प में दबट ऐसा दर्शावित है जिसमें नामान्य नागरिक राज-कोषीय नीति के पूर्ण स्वरूप को जान सकता है। इन प्रकार राजकोषीय नीति वा केंद्र-विदु बजट होता है। बजट पिछले वर्ष की वित्तीय नीति के परिषामस्वरूप चालू रितीय वर्ष, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, के समावित परिषाम तथा कामनी वित्तीय वर्ष की आमदनी और व्यय सदृशी अनुमान संग्रह बजट पढ़ने में मद्दतित स्थापित बरते जा उद्देश्य रखती है तथा यह भी उद्देश्य होता है वि आय और व्यय पर अधिकाधिक सुविचारपूर्ण नियन्त्रण रख सके।

सतुलित बजट

बजट दो सतुलित बरते के विषय में कारी दादनविवाद रखा है। 'बजट मतुलग' लेखा-विधि की एक मत्तस्वना मात्र है। इसके निए नवने पहले कुछ तुलियादी विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। यदि किसी लदवित में दिए युद्ध आय शुद्ध, व्यय में बड़ जाती है तो राजनीत वी स्थिति मुर्ट हो जाती है। आद तथा व्यय की परिमापाए निम्न स्प से दी जा सकती हैं।

(1) 'यजम्ब प्राप्तिया वे प्राप्तियों हैं जो यज्ञों की प्रदोग निषि वे तो बदाती हैं ऐसिन उन पर अप वापित्वों के बोल में बृद्धि नहीं हरती, अपथा राजस्व प्राप्तियों में हने के सब प्राप्तिया सम्मिलित नहीं बरती चाहिए जो कार्ब-जनित पूरी के प्रकार होती हैं। उद्दारण्य सादननिषि उपत्ति के बचने से मिर्गी राणि। ऐसी राणि भजहीन सावंशिष्ठ अप में बृद्धि के उनान होती है।

(2) 'लागत भुगतान वे भुगतान हैं जो राजकोप की प्रयोग निधि को पहाते हैं नेकिन उसके क्रृष्ण दायित्वों को कम नहीं करते। इससे राजकोप की निवल स्थिति बिगड़ती है।'

(3) 'राजस्व-इतर प्राप्तिया वे प्राप्तिया हैं जिनसे राजकोप वी प्रयोग निधि में बूढ़ी होती है परन्तु साथ ही साथ उसी हिसाब से उसके क्रृष्ण दायित्व भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये वे प्राप्तिया हैं जिनसे राजकोप की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।'

(4) 'लागत-इतर भुगतान वे भुगतान हैं जिनसे राजकोप वी प्रयोग निधि का हास होता है परन्तु साथ ही साथ उसी अनुपात से क्रृष्ण दायित्व भी घट जाते हैं, इस प्रकार ये ऐसे भुगतान हैं जिनसे राजकोप की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।'

लागत भुगतान में प्राप्त सभी भुगतान आ जाते हैं। इसमें केवल वे भुगतान सम्मिलित नहीं होते जो क्रृष्ण की बायसी के लिए किए जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर-दनशील वायों वे निए निया गया समस्त क्रृष्ण, जैसे लोक निर्माण के लिए उधार लेकर किया गया व्यय, भी सम्मिलित नहीं होता। सार्वजनिक क्रृष्ण वी मूल राशि वा भुगतान लागत-इतर भुगतान है। जिन प्राप्तियों से राजकोप के धन दायित्वों में बूढ़ी के बिना बढ़ता है, वे राजस्व प्राप्तिया हैं और अन्य प्राप्तिया राजस्व इतर प्राप्तियां हैं।

उक्त उल्लेखित सबल्पनाओं वो अच्छी तरह समझ दिया जाए तो 'बजट कब सतुलित होता है।' इस प्रमाण का सही उत्तर निम्नलिखित बातों के आधार पर दिया जा सकता है।

(1) यदि बजट वी अवधि में राजस्व प्राप्तियों लागत भुगतान के बराबर हैं, तो बजट सतुलित वहा जाता है।

(2) यदि बजट वी अवधि में राजस्व प्राप्तिया लागत भुगतान से अधिक हैं तो बचत का बजट वहा जाता है।

(3) यदि बजट अवधि में राजस्व प्राप्तिया लागत भुगतान से कम हैं तो घटे का बजट वहा जाता है।

इस प्रकार हम बजट को उसी समय सतुलित मान सकते हैं जब लेखा अवधि में निवल कलहीन सार्वजनिक क्रृष्ण में बूढ़ी नहीं होनी। लेया अवधि इतनी सबी होनी चाहिए, इसमें भी विवाद है। भाग्यरणनाया यह अवधि एवं वर्षों की मानी जाती है। प्रो० जेनोव वाइनर का विचार है कि, 'यह निहायत सडियल ध्यानि है कि परिस्थितियों का विचार किए बिना तरक्कार वो प्रतिकरे अपना बजट सतुलित बरना ही चाहिए। प्रत्येक माह, सप्ताह या घटे में क्यों नहीं? दीम्स ने 1933

में ग्रेट ब्रिटेन के सदर्म में यह तर्क दिया जि 'हमारी वर्तमान बजट पढ़ति रा यह गभीर दोष है कि आज के बजट दो नतुलित करने के लिए उठाए गए पग बगले वर्षे के बजट को बनातुलित कर देते हैं।

इनके विपरीत कुछ अन्यरीकी अर्थ-गान्धीरों न यह मुझाया कि नेत्रा ब्रिटिश व्यापार-चक्र से मैन खानी चाहिए जिससे जि तेबी के वर्षों में अतिरेकों वा उपरोक्त ऋणों के शोधन के लिए जिया जा नवे और मदी के वर्षों म घाटों की पूर्ति ऋण लेकर वो जा नवे। परतु यहां यह बठिनाई है कि व्यापार-चक्र की ब्रिटिश सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। अधिकार अक्ति इस बात से महसूत है कि अल्प-बाल (जो एक या दो वर्ष का हो नहीं जाता है) म बजट का नतुलित दिया जाना आवश्यक नहीं होगा यह विचार दो चाहुँ पर आवारित है। पहला, एक या दो खारपक घाटों में स्वयं में कोई बड़ी हानि नहीं हो सकती। दूसरा, अधिक विश्वास लक्ष्यों वो प्राप्ति वे लिए प्रत्येक द्वारा उपादन और रोजगार बदाने के उद्देश्य ने लोक नीति कभी जान दूखबार और थोकित्व के साथ अन्धारे रूप से बद्द भौमि घाटा उत्पन्न कर नहीं है। किंतु अल्पबाल में भी बजट के पाठे जो बहुत अधिक नहीं बढ़ने देता चाहिए।

बजट नीति के उद्देश्य

बजट नीति से हमारा तात्पर्य सुखारी आय तथा व्यय के परिवर्तन द्वारा य पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में गति दिल्लियों के स्तर की प्रभावित करना होता है।¹ बजट की नवीन नीति देवन बजट की नतुलित करने के उद्दिक्षोप को लेकर नहीं चनती अपितु संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था वो नतुलित करने के उद्देश्य को लेकर चनती है। आधुनिक बाल ने निश्चित उद्देश्यों वो प्राप्ति के लिए बजट को एक शक्तिशाली यत्र भाना जाता है। ये उद्देश्य निम्न हो जाते हैं पूर्ण रोजगार, जब स्तर का विनियोग, अस्फीति अथर्न-स्फीति तथा अपर्सीति ते बचाव, तथा उत्तम वितरण।

बजट नीति की व्यावहारिकता

इन सभी उद्देश्यों वो एक साथ व्यवहार में लाना चाहिए। यदि हम पूर्ण रोजगार वो प्राप्त जरना चाहें तो स्फीति में बचाव बढ़िया हो जाता है। प्राच ने 1945-52 में अपना रोजगार की नक्ष्य वो प्राप्त वर लिया परन्तु जोदन यापन व्यय की लागत दुगनी हो गई। संघर्ष वी स्फीति म गिर जाय वो प्राप्ति वो प्राप्तिनिधिता दी जाए यह एक विवादान्वय विषय है। कुछ अक्ति मुद्रा स्फीति के भय से आतंकित होकर इससे बचने के लिए रोजगार और जब उन्नाइन के लक्ष्यों का बलिदान कर देंग। दूसरे लोग पूर्ण रोजगार और जब उपादन के लिए योद्धा बहुत मुद्रा स्फीति सहन करना पस्त नहीं भले ही उससे कुछ अमाक्षिक अन्याय पैदा हो। इन दोनों

¹ C. T. Sandford • Economics of Public Finance, Pergamon Press, Oxford (1969) P. 203

प्रवार के व्यक्तियों में से किसका विचार सही है यह उस समय तथा स्थान की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

साधारणतया यदि अत्यधिक मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो गई हो तो उसका उपादार बजट में अतिरेक होगा। यदि मुद्रा सकुचन या अपस्फीति अधिक है तो बजट में धाटा उत्पन्न करके उसे ठीक किया जा सकता है। यदि अस्फीति की स्थिति रखनी है तो सार्वजनिक तथा निजी वचतों का योग सार्वजनिक तथा निजी धोति के कुल विनियोग के बराबर होना चाहिए। यदि वचतें विनियोग से कम होगी तो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी और मूल्य बढ़ेग। ऐसी स्थिति में उपभोग तथा विनियोग का योग अधिक हो जाएगा। इसलिए हम वचतों को बढ़ाना नथा उपभोग और विनियोग को घटाना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वचते विनियोग से अधिक होगी तो अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, मूल्य गिरेंगे तथा बैरोजगारी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें वचतें घटानी पड़ेगी तथा उपभोग या विनियोग या दोनों को बढ़ाना पड़ेगा।

यदि हम वचत और विनियोग को समान बार दें तो अतिम बस्तुओं अर्थात् उपभोग बस्तुओं तथा पूँजीगत बस्तुओं की मात्रा और पूँति में नुलन स्थापित हो जाएगा और स्फीति मूलक (अथवा अपस्फीति मूलक) की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। इस अंतर को पाठने में बजट का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है।

यदि बजट का प्रयोग आधिक स्थायित्व लाने में करना है तो बजट को काफी बड़ा होना चाहिए। आधुनिक युग में बजटों के आकार में बृद्धि इस ओर सकेत बरती है कि बजट के दोनों ओर के कुछ मदों का स्थिर होना ही स्थायित्व लाता है। बजट के कुछ मद परिवर्तनशील हो सकते हैं। अस्थायित्व मूलक तत्वों का प्रतिनार बरने के लिए इन मदों को किसी भी दिशा में घटाया बढ़ाया जा सकता है।

बजटों में निरन्तर पाटे की स्थिति तो असमव सी प्रतीत होती है। अधिक सम्भावित स्थिति तो वह है जहा दीर्घकालीन समय में बजटों में अतिरेक और धाटे दोनों होंगे। इतिहास समय स्थिति चिताजनक हो जाती है जब दीर्घकाल में धाटों वा ओड़ा अतिरेक से अधिक हो जाती है। ऐसा उस समय ही होता है जब बैरोजगारी और मुद्रा सकुचन को दूर बरने वा प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में लोक अहं बढ़ जाते हैं। लोक अहं उत्पादन को निस्साहित करते हैं और वितरण को बिगाड़ते हैं। प्रश्न उठता है ऐसी स्थिति में क्या बरना चाहिए? यह स्थिति पूँजीगत करो तथा सम्तो मुद्रा द्वारा दूर की जा सकती है। पूँजीगत कर आय और धन के विषम वितरण को सुधारने में भी सहायता सिद्ध होग। पूँजीगत करों से प्राप्त होने वाली आय को अहं के शोधन में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पूँजीगत बर, मृत्यु कर, पूँजी कर तथा पूँजीगत साभा पर कर के रूप में ही सकते हैं। सस्ती मुद्रा नीति के अतिरंग नीची व्याज की, विनियोग और पूँजी रोजगार की स्थिति को प्राप्त बरने में सहायक होती है।

बजट नीति की सीमाएं

अब में यह प्रश्न उठता है कि आज वी परिस्थितियों में बोई भी देग भवत रोजगार और अन्य लक्ष्यों को बजट नीति द्वारा विष्यु प्रकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रश्न का बोई सीधा उत्तर नहीं हो सकता। बजट नीति बोई द्वारा उत्तीर्ण नहीं है क्योंकि यह विनियित बनुवाओं तथा अन्य विनियितयों पर निम्नर चर्ता है। बजट नीति नो कुछ सीमाओं का बर्णन नीचे किया गया है।

(1) लगत त्वीति में अनपुरुष : यदि नीति माग की वृद्धि के कारण है तब बजट नीति द्वारा इसका उपचार उपयुक्त है क्योंकि इस नीति के द्वारा प्रभाव पूर्ण माग बो कम किया जा सकता है। यदि स्पीति लागत-वृद्धि के कारण है तब बजट नीति द्वारा माग की घटाना उचित नहीं होता। लगत में अधिकांश माग भजदूरी का होता है। यद्यपि वस्तुओं तथा सेवाओं, माग तथा अन की माय कम करने मजबूरी घटाई जा सकती है परन्तु इसमें बोई वृद्धिमत्ता नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने गे वेरोजगारी, बोडोगिर वशानि तथा मालदोष पीड़ा बढ़ेगी और उत्पादन कम होगा। जहा अन सब मजबूत होते हैं वहा ऐसी नीति का विरोध और भी ढूँढ हो सकता है। पिछों कुछ बद्यों येट दिन में मूल्यों की वृद्धि की रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे सब बजट नीति के बाहर रहे हैं। वहा अन मुद्यों की रक्तवनाओं पर कुछ प्रतिबन्ध सगार कर मूल्यों की वृद्धि को रोका गया है।

(2) सेवीय आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थात् : बजट नीति का उपयोग उम नमय ही उत्तित मनका जा सकता है जब वेरोजगारी सपूर्ण देग में हो। परन्तु विभिन्न लोगों में वेरोजगारी की अवृत बजट नीति जी उपयुक्तता के लिए प्रयत्न बन जाता है, परन्तु उदाहरणात्मक भारत उत्तर प्रदेश में तो माग की अविवित करने का प्रयत्न उठता है, परन्तु तामिलनाडु में माग की वृद्धि का प्रयत्न उठता है। तामिलनाडु म माग की नियन्त्रित के परिणामस्वरूप वेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार गामान्य प्रयासों ने द्वारा नियित लोगों में लागू करने की अपर्याप्ति के कारण बजट नीति के उपयोग की सीमिति करता है।

(3) वार्षिक सर्वेक्षण अपर्याप्ति : वार्षिक सर्वेक्षण को विकाराधीन रखने हुए बजट नीति जी उपयुक्तता के विरुद्ध दो तर्ब दिए जाते रहे हैं। प्रथम तर्ब यह दिया जाता है कि बजट निर्माण के पूर्व लोगों का उपयोग करने के लिए जो वार्षिक मर्केटिंग निया जाता है वह अधिकतर अपर्याप्त होता है। यदि नीट रोग नियान उपस्थित होता है तो उसे तुरत टीक करने की बोक्षा बगले दर्पं के बजट के लिए स्पागित बर दिया जाता है। अपर्याप्त मर्केटिंग का ही यह परिमाण है कि कभी-कभी वाय तथा व्यव में भवायोग करने के लिए 'नधु बजट' की सहायता केनी होती है ऐसे भी अनेक उदाहरण मोड़ू रहे हैं जब बजट बाज में व्यावजीति, (जो बजट नीति वा अग नहीं होती) की महायता से आवश्यक समायोजन लिए गए हैं।

दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि वार्षिक बजट सर्वेक्षण की एक वर्षं की अवधि बहुत छोटी होती है इतनी छोटी अवधि में सपूर्ण देश का सर्वेक्षण एक बठिन कायं है।

इन सीमाओं से बजट नीति की उपयुक्तता एकदम समाप्त नहीं हो जाती। सी० टी० स्टेनफोर्ड के मतानुमार 'इन मसलों पर तो बाद-विवाद जारी रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, बजट नीति, राज्य प्रवधित अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक अग बनी रहेगी।'

अनेक साधनों के बावजूद हम कह सकते हैं कि सभवत समुक्त राज्य अमेरिका बजट नीति के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके बाहरी व्यापार का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। अपनी आर्थिक जीवन प्रणाली के अनुमार सोवियत सघ सभवत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि वहाँ आर्थिक कल्याण और राजनीतिक स्वतंत्रता का स्तर अब भी नीचा है। समुक्त राज्य अमेरिका की भावित उसके बाहरी व्यापार का आकार भी छोटा है। परन्तु ऐसी व्यवस्था में बजट सबधी नीति वहाँ के आर्थिक नियोजन में मिली रहती है। जहाँ तक अन्य देशों का सबध है, जो बाहरी व्यापार पर अधिक निर्भर करते हैं, और विशेषकर जो डालर देश में हैं, उनकी बजट नीति अधिक से अधिक भागिक रूप में ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है।

भारत में द्वितीय महायुद्ध पूर्व के दौरों में राजकोषीय नीति बजट ने वार्षिक सत्रुलक की घिसी-पिटी धारणा को व्यवहार में साती रही है। सार्वजनिक क्रृष्ण के फलहीन भाग को न्यूनतम रखने की चेष्टा की गई है। भारतीय सरकार के व्यष्ट के नयूने भी इस ओर सकेत नरते हैं कि सरकार ने सामरिजित आदर्शों को प्राप्त करने में ढील दिखलाई है। द्वितीय महायुद्ध के बजटों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि हमारी सरकार ने राजकोषीय नीति के आधुनिक सिद्धांतों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप देने में शिक्षितता दिखलाई है।

27

केंद्रीय सरकार के बजट का विश्लेषण

भारत में प्रतिक्रिये परवरी के अत में आगामी वित्तीय वर्षे के लिए केंद्रीय भुमिका वे प्रत्याधित जाप तथा अपने ना विवरण तयार में प्रस्तुत रिपोर्ट जाता है। यही वार्षिक वित्तीय विवरण अधिका बजट होता है। आप और अपने वे बजुनार्गे के अतिरिक्त इन विवरण में पिछले वर्षे नी वित्तीय नियंत्रि औ समीक्षा तथा पूर्वीत अपने व्यवस्था जर्से के प्रस्ताव भी होते हैं। इन बजटों के विश्लेषण जी महानदा जै हम देश की वार्षिक नियंत्रि का कही अंगौरा प्राप्त इन उच्चते हैं, और नरसार के आप प्राप्त वरने की दिग्धि, अपने दिग्धा एवं कुल घाटे या आधिकर की नियंत्रि देश की अपेक्षवस्था जी जिस प्रकार प्रभावित जर्ती है, इनका अध्ययन आगामी पृष्ठों में विया गया है।

1973-74 का बजट

दिन मक्की थी यजदनराव चड्हाप ने लोइसमा में 1973-74 का ओ बजट प्रस्तुत रिपोर्ट देने वालागारे राज्यके वित्तन का बजट कहा जा सकता या। यह वर्ष चाँदी एवं चाँदी योजना का अनिम वर्ष था। चूंकि बजट में दावदों योजना की स्वरूप दो प्राप्त देने की अपन्या जावज्ज्ञ समझी गई थी इस लिए दबट में अराध्यान का नमूनित छाता इसी दृष्टिकोण से बनाया था।

विन मक्की ने आगामी वर्षे के बजट में जो नए वर प्रस्ताव रखे, उनमें केंद्रीय राज्यकी 250 बरोड रुपये का लाभ हुआ। इनके परिमापन्नर 1973-74 के बजट में वर की दरों ने बनुयार 335 बरोड रुपये का लाभ कर होकर 85 बरोड रुपये रह गया। वर प्रस्तावों के परन्तु होने वाली कुल प्राप्ति 292.6 बरोड रुपये थी जिसमें से 250 बरोड रुपये केंद्र का अप दौर शेष राज्यों का अप था। प्रत्यक्ष दरों से 18.6 बरोड रुपये, दन्यादन शुल्क से 118 रुपये दौर की गुन्हों से 156 बरोड रुपये अतिरिक्त प्राप्त होने वाली समावना अल्प थी गई।

कर प्रस्तावों का उद्देश्य

(1) वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को रखते समय इस बात का ध्यान रखा कि जनमाधारण पर इनका भार न पड़े और सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएँ महगी न हों।

(2) कर प्रस्तावों का दूसरा उद्देश्य रोजगार के कार्य-क्रमों के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करना।

(3) समाज कल्याण की योजनाओं पर अधिक ध्यान देना।

(4) आय और उपभोग संबंधी असमानताओं को दूर करना तथा

(5) कृषि आय और गैर कृषि आय के आशिक एकीकरण और अविभक्त हिंदू परिवारों पर आयकर पर अपेक्षावृत ऊची दरें लागू करके कर प्रणाली को अधिक समतापूर्ण तथा प्रगतिशील बनाना।

बजट एक सक्षिप्त विवरण (करोड़ रुपये में)

	1972-73	1972-73	1973-74
राजस्व	बजट	संशोधित	बजट
प्राप्तिया	4,467	4,628	4,831
		+ 250	
व्यय	4,124	4,591	4,752
	(+) 244	(+) 37	(+) 79
			(+) 250
पूँजी			
प्राप्तिया	2,095	2,652	2,460
व्यय	2,689	3,239	2,874
	(—) 594	(—) 587	(—) 414
कुल घाटा	(—) 251	(—) 550	(—) 335
			(+) 250
			85

प्रत्यक्ष कर

कृषि आय पर कर

जिन भागों में करदाता की आमदानी छूट की सीमा से अधिक हो, उसमें आय के कृषि-भिन्न भाग और खेती से होने वाली आय को जोड़ा जाना था। ऐसा करते समय 5000 रुपये की छूट कृषि आय पर नहीं दी गई कृषि आय और गैर

वृपि आय का यह वासिन् एपीवरण अविभक्त हिंदू परिवार पर नागू होगा ।

अविभक्त हिंदू परिवारों को जो लाभ उन सभ्य तक मिल रहे थे उन में दर बंचना नो प्रोत्याहन मिलता था इसलिए इन परिवारों पर आय कर और मपत्ति कर अपेक्षाकृत कंची दरो वाली अनुमूलिकों के अनुसार लगाने की व्यवस्था लगाने का प्रस्ताव किया गया ।

बजट में 31 मई, 1974 के बाद लगाई गई मरीनों और उपकरणों की लागत पर 20 प्रतिशत प्रारम्भिक मूल्य-हानि सुवधी छूट देने का प्रस्ताव भी किया गया पिछले क्षेत्रों में पूजी के विनियोग की प्रोत्याहित दरने के लिए 31 मार्च, 1973 के बाद स्पष्टित विए जाने वाले उद्योगों को कर के मामले में खायात दिए जाने का प्रावधान था । यह खायात दम वर्षों तक मिलती रहेगी ।

उत्पादन शुल्क

सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, इसके अनुसार जो सिगरेट जितनी बच्ची होंगी उस पर उतना ही वधिक शुल्क बमूल किया जाएगा । यह शुल्क 10 रुपये प्रति हजार के मूल्य पर 100 प्रतिशत से प्रारम्भ होगा और इसमें मूल्य के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये या उम्बे किसी भाग पर 5 प्रतिशत की दर से लगानार वृद्धि होती रहेगी । यह वृद्धि 300 प्रतिशत तक होगी ।

दित्त मन्त्री ने मोटर स्प्रिट पर लगने वाले शुल्क में 80 रुपये प्रति किलो लीटर की वृद्धि दरने का प्रस्ताव किया । जिनमें 19-20 रुपये रुपये की आय का अनुभान है । साथ ही जधिन सपन लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बमूलों पर उत्पादन शुल्क की दरों बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है । इसके अनुसार रेफ्रिंजरों और एयरबैडीशनों पर 60 प्रतिशत और इनके पूर्णों पर 75 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा जिन्हे प्रभावित वृद्धि 165 लीटर तक की समता के रेफ्रिंजरों पर लागू नहीं होगी क्योंकि इन्हें मध्यम वर्ग के लोग प्रयोग में नाते हैं । इस प्रकार उत्पादन शुल्कों ने 118 रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । आयात शुल्क

दित्त मन्त्री ने आयात शुल्कों की चर्चा करते हुए सहायता शुल्क बमूल दरने का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव के अनुसार जिन बमूलों पर मूल्यानुसार 100 प्रतिशत या इससे अधिक दर ने सीमा-शुल्क लग रहा था उन पर 20 प्रतिशत की दर से सहायता शुल्क लगा । जिन पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक सीमा शुल्क लग रहा था उन पर 10 प्रतिशत की दर से सहायता शुल्क लगा । और जेप बमूलों पर 5 प्रतिशत की दर से सहायता शुल्क लगा । इस उपाय से 36-50 रुपये रुपये की अतिरिक्त आय होने की आशा थी ।

तटक्र और व्यापार संबंधी साधारण समझौतों के अतर्गत आयात जुल्को की दरों में कुछ परिवर्तन बिए गए हैं। इनमें लकड़ी की लुगदी, चर्बी और प्लास्टिक का कुछ सामान समिलित था। इन दरों के परिवर्तन से 18-70 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की आशा थी।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का प्रभाव जिन वस्तुओं पर पड़ा वे प्राय गरीब जन-साधारण के उपयोग की नहीं हैं। जिन वस्तुओं पर बरारोपण के भार में बृद्धि की गई है वे प्राय जन सामान्य के दैनिक जीवन की परिधि में नहीं आती थी। जहाँ तक औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र का प्रश्न था, इस बजट का प्रभाव अच्छा ही पड़ने की बात कही गई। बजट में पिछडे हुए क्षेत्रों में ज्योग स्थापित करने पर करों में रियायत, वैज्ञानिक अनुमधान और विकास को प्रोत्साहन देने में राहत, बैनों में सस्ती व्याज दर पर कृष्ण की योजना के विस्तार एवं उमड़ी शर्तों में उदारता इत्यादि ऐसी विशेषताएँ हैं जो अवश्य ही विनियोग को प्रोत्साहन देंगी और मध्य वर्ष के उद्यमियों दो जागे बढ़ाने में उत्साह मिलेगा।

व्यय पक्ष

प्रतिरक्षा व्यय

इस वर्ष के बजट में प्रतिरक्षा व्यय में कई बदलौं वे बाद नाममान्द्र को बमी दिखाई गई। 1972-73 में प्रतिरक्षा पर कुल व्यय 1732.01 करोड़ रुपये हुआ था, जो बजट में प्रावधान में 192 करोड़ रुपये अधिक था। 1973-74 के बजट में प्रतिरक्षा पर 1729.61 करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय लिया गया। प्रतिरक्षा पर कुल बजट का लगभग एक चोकाई भाग व्यय करने का हुमरा कारण यह भी था कि 1968-74 के लिए जो प्रतिरक्षा योजना चल रही थी उसमें लद्यों को प्राप्त करने के लिए इतना व्यय बरना अनिवार्य था।

रोजगार की व्यवस्था

बजट में नए अवसर रोजगार के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिसका उद्देश्य क्षेत्रों में पाच लाख अतिरिक्त शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देना था।

पाचवर्षी योजना के लिए अधिक वार्षिकाही बरने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिससे पाचवीं योजना वे नाप उस योजनाकाल के भीतर ही उपलब्ध हो सकें।

इसके अतिरिक्त प्रायमिक शिक्षा के विस्तार, गंदी वर्मियों के सुधार, प्रामो में आवास स्थानों और पीने के पानी की व्यवस्था आदि के लिए 125 करोड़ रुपये की अनुग्रह से व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त विजली की योजना पर व्यय बरने के लिए 115 करोड़ रुपये याचं बरने का प्रस्ताव दिया गया।

इमर्से साथ ही राज्यों को 119 करोड़ रुपये विशेष सहायता के रूप में, 79 करोड़ रुपये राजनीय योजनाओं से बाहर की परियोजनाओं के लिए कृष्ण के रूप में

तथा 100 करोड रुपये प्राहृतिक आपदाओं के समय राहायता के न्य में देने की व्यवस्था नी गई।

बजट में पूर्व वित्त मंत्री ने जो आर्थिक मर्केट प्रमुन लिया उसमें ऐसी आगा व्यवस्था नी गई थी कि बजट में निर्यात को प्रोन्माहन के लिए सरकार बहुत कुछ बरेगो परतु बजट प्रमाणो को देखकर यह आशा माप्त हो गई। पिछले कुछ वर्षों में इजीनियरिंग तथा दूमरे गैर-प्रपरागन वस्तुओं का निर्यात भी बहुत बढ़ा है। दूसरी ओर विकसित देशों ने विकासशील तथा अधिकारित देशों ने होने वाले आयातों को कम करने का निचय किया है। ऐसी दशा में लौहे एवं इस्यान पर 40 करोड रुपये के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वा इजीनियरिंग वस्तुओं ने निर्यात पर दुरा प्रभाव पड़ा रखता है।

वित्त मंत्री ने बजट प्रमुन बरते समय तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्रियाविन बरने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रत वा प्रबंध नहीं किया। इनके फल-म्वस्प बजट का घाटा 85 करोड रुपये में बट कर 200 करोड रुपये में भी लगाह होने की मध्यावना तत्त्वान्वयन की गई थी। यह ममम्बन धनराशि उत्पादन या विकास के अर्थ-क्रमों में खर्च नहीं होनी पी बहुत इसमें महागाई और कटी जिनका भार आम जनता पर अधिक पड़ा।

वित्त ने चालू बजट के प्रस्तावों में यह दावा किया कि दिखावटी एवं वर्षग्राहन बरनुओं पर कर लगाया जा रहा है। परन्तु वहीं ऐसी बनेक बन्तुए उनके जान में छूट गई जो किसी भी व्यय ममामान्य जन की बस्तुए नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए इस बजट में मदिरा पर कोई नया कर नहीं लगाया गया। कुछ राजनीतिक प्रेक्षक यह मानते नगे हैं कि मदिरा राजनीतिक दोष में एवं महत्वपूर्ण माध्यन दन गई है और मदिरा उत्पादक कुछ वर्षों से राजनीति में मतिय भाग लेने नगे हैं।

प्रस्तावित बजट में मरीनों पर आयात कर बटा दिया गया है। इन मरीनों में मुख्यतः निर्यात की वस्तु बनती हैं। आज्ञवयं की बात नो यह है कि आयातिन व्यापक पर स्थिरता दर ममाप्त कर 40 प्रतिशत की दर में आयात कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें 'रेडीमेड' वपडो के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

वित्त मंत्री ने बजट के अनुमान प्रमुन बरते समय वित्त आयोग की शीघ्र बाने वाली रिपोर्ट के पचासवर्ष प्रभावित आर्थिक भार को लिट में नहीं रखा। यह ममव है कि सरकार पर इसके फलस्वरूप कापी भार बट गया। आज हमारा प्रशासनिक व्यय इतना अधिक हो गया है कि सरकार जनता के समुद्धि मितव्ययना का आदर्श उपस्थित करने की नियति में नहीं है। अतएव सरकार को अपने प्रशासनिक व्यय को यथा नमव रूप बरता चाहिए। इन सब बातों को छान गें रखकर सरकार बजट को त्वरित ममातिक परिवर्तन के प्रभावशाली माध्यन के न्य में प्रयोग कर सकती है जो इस बजट की सफलता की बोटी वही जा गकती है।

1974-75 का बजट

वित्तमंत्री ने केंद्रीय सरकार का 1974-75 का बजट प्रभाग्यत घरने हुए चेतावनी दी जि आगामी वित्तीय वर्ष में अधिक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि स्वीकार किया गया। आर्थिक वृद्धि हृषि और उद्योग, दोनों में होनी थी।

प्रस्तावित कर

1973-74 के मशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष पूर्वानुमान से कही अधिक 650 करोड़ रुपये का घाटा रहा है और करोड़ की वर्तमान दरों के अनुमान 1974-75 में 311 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। इसलिए 186 करोड़ रुपये के नये कर संग्रह गए हैं जिनमें घाटा 125 करोड़ रुपये का ही रह गया है। बजट का नीचे दिया गया विवरण इस तथ्य की पुष्टि करता है।

(करोड़ रुपये में)

	1973-74	1973-74	1974-75
	बजट	मशोधित	बजट
राजस्व प्राप्तिया	5079	5102	5455
			+186
व्यय	4778	4954	5404
	+301	+148	(+)47
			(+)186
पूँजी			
प्राप्तिया	2460	2686	3099
व्यय	2848	3484	3457
	(-)388	(-)798	(-)358
कुल घाटा	(-) 87	(-) 650	(-) 311
			+186
ज्ञेय घाटा			125

इस प्रस्ताव जैसा कि प्राय देखा गया है, कटु और मधुर दोनों प्रकार के होते हैं। इस बजट में व्यक्तिगत आयकर के लिए कुछ विशेष राहत दी गई। बिन-मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये

कर दी। सभी स्तरों पर कर की दरों में राहत दी जिसमें सभी बगों के सौग लाभावित होंगे। मरकार ने प्रत्यक्ष कर जान समिति की मिपारिङ्गें इन मदद में स्वीकार की हैं परतु भशोधन के साथ बाचू ममिति ने मिपारिश की थी कि कर छूट की सीमा 7,500 रुपये की जाए और इसमें पहले ओ दूर्योगम ने तो 12,000 रुपये की छूट देने का नुसाव दिया था। ऐसी अवस्था में मरकार हारा 6,000 रुपये से अधिक की छूट देने का प्रस्ताव लोगों में बचत करने तथा उसे उत्पादन प्रयोजनों के लिए निवेश बरतने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करेगा। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन के कारण मरकार को 1975-76 में अतिरिक्त 144 करोड़ रुपये प्राप्त होने की यामावना थी।

जो प्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं उनसे यह सबैत मिलता है कि उनका कोई सौधा प्रभाव साधारण व्यक्तियों के जीवन पर नहीं पड़ेगा। पाच लाख से ऊपर की सपत्ति और किन, टेलीविजन सेट, बटिया बफ्ट, घराव, मोटर आदि पर करों में वृद्धि हारा यह दिखाने का प्रयास किया है कि करों की बढ़ातरी मुख्यतः विलास की सामग्री और घनी नोयों पर की गई है। जनसाधारण के प्रति वित्तपक्षी दयालु हैं यह दिखाने के लिए उन्होंने ट्रैक्टरों, रेडियो सेटों पर कर नहीं बटाए और सार्वजनिक अस्पतालों में लगने वाले प्रिजो पर उत्पादन शुल्कों में बोई वृद्धि नहीं की।

कार्यालयों में काम लाने वाली मशीनों, शुष्क बैटरी सेलो, फाच के सामान तथा चीजों मिट्टी के सामानों पर शुल्यानुसार उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि से मरकार को 2,027 करोड़ रुपये की आय होने की आशा थी। लोहे व इस्पातने उत्पादनों पर 71 करोड़ रुपये के नए कर संगेंगे। टेलीविजन सेटों के करों में मूल्यानुसार 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई। बजट में पहली बार ट्रूपेस्टों तथा डेटल क्रीमों पर कर लगाए गए जिनसे कुल आय 820 करोड़ रुपये होनी थी।

सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से कोंड्र को 186.10 करोड़ रुपये प्राप्त होने थे। इसमें राज्यों को मिलने वाला भाग भी सम्प्रलिप्त है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से 1974-75 में 191 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी।

बजट में ढाक दरों में भी वृद्धि की गई। पोस्टकार्ड का मूल्य 10 पैसे से बढ़ा कर 15 पैसे, अंतर्राजीय पत्रों का मूल्य 15 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे तथा निपाजों का मूल्य 20 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे कर दिया गया।

चार्डी प्रामोटोरों को बड़ावा देने वाल मम्मानों को आय कर से छूट दे दी गई।

व्यय प्रस्ताव

कृपि और उद्योगों में वृद्धि हेतु कुछ जावारम्भ वस्तुओं ने लिए बजट में समुचित व्यवस्थाएँ की गई हैं, बजट में राजस्व तथा पूजीगत व्यय के रूप में 8,865

करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया। सबसे अधिक व्यय प्रतिरक्षा संवादों पर किया गया जो 1680 करोड़ रुपये है। हृषि पर 222 करोड़ रुपये व्यय करने का नियन्त्रण किया गया है। हृषि और उद्योगों में बूढ़ि हेतु कुछ बुनियादी वस्तुओं के लिए बजट में समुचित व्यवस्थाएँ की गईं इसलिए ऊर्जा के माध्यनों, बोयला और विजली में उत्पादन के लिए बजट में पहले बीं अपेक्षा अधिक धन की व्यवस्था बीं गई, इसपात औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यत आवश्यक है। अतः इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उद्योगों के आतंरिक साधनों के अनावा भी बजट में अतिरिक्त राशि का प्राविधान किया गया। हृषि उत्पादन में बूढ़ि के निमित्त उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था बीं गई है।

मूल्यांकन

भारत जैसे निर्धन देश में किसी बजट के अच्छा होने की बसौटी मह है ति वह सामान्य जनता को कितनी राहत देता है और आर्थिक विठ्ठाइयों पर विजय पाने तथा देश को विकसित एव आत्मनिर्भर बनाने में उमसा क्या योगदान है। इस बसौटी पर यदि कसा जाए तो श्री चंद्राण का 1974-75 का बजट समीचीन ही प्रतीत होता है। बोयला तथा खाद्य-उत्पादन की मदों पर जिस धनराशि में बूढ़ि की गई है उसे तेल सन्ट एव ऊर्जा अभाव के समय में उचित कहा जा सकता है। विद्युत छूट बीं एव बर्पं के लिए और बढ़ा देने से औद्योगिक विकास की गति मिलेगी। उन उद्योगों को बहुत सुविधा मिली जिन्होंने भारी तथा प्लाटों के सौदे बर लिए थे और जो तेल के स्थान पर बोयले का प्रयोग करने की सोच रहे थे।

बजट में इस बात को ध्यान में रखा गया वि खादी और ग्रामोद्योग की उन्नति हो, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष बर से मुक्त रखा गया। रक्षा व्यय के मद में पिछले बर्पं की अपेक्षा लगभग तीन अरब रुपये बीं बूढ़ि कर देश की अधिक सुरक्षित बनाने की चेष्टा की गई। इन सब के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि बजट देश के सामने खड़ी चुनौती का सामना बर सकेगा।

प्रत्यक्ष बर में छूट का मुख्य लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी आप बहुत अधिक है। जहा पहले इन आयों पर बर की अधिकतम दर 97 प्रतिशत थी वहा उसे घटाकर 70 प्रतिशत कर दी गई। इससे बरवचना में बसी बीं आमा की जा सकती है। परंतु इससे सामान्य व्यक्ति को राहत नहीं मिली। इन व्यक्तियों को राहत तब मिलनी जब उन वस्तुओं के बारों पर छूट दी जानी जो उमरे दैनिक जीवन में काम आती है। ऐसा इस बजट में दिखाई नहीं देता। बजट प्रस्तावों में बैबल इतना ही किया गया है कि उन पर बरों में कोई बूढ़ि नहीं हूँड़ है।

साकुन और टूथपेस्ट जैसी वस्तुएँ भी इन बर बर बूढ़ि की चेष्टा में आ गई हैं ये वस्तुएँ प्रायः सभी बुगों के सौगों द्वारा आम में लाई जाती हैं। इसलिए इनका महणा हो जाना आम सौगों के बजट की अवृश्य प्रभावित नहेगा।

आमन्त्रण की बात है कि वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में विमुद्रीशरण का जौहू उल्लेख नहीं किया जिसके बड़ी मात्रा में एकत्र इए गए दाने धन औ नमालू वर बार्थिक बठिनाइयों पर विजय पाई जा सके तो उभावाद की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

पूरक बजट, जुलाई 1974

1974-75 के बैंकीय बजट का उद्देश्य बहते हुए चरकारों द्वारा को रोकना परामर्श मात्रा में बताया गया था। यह नुदास्फीति को रोकने के लिए अपनाई गई नमूची अंदर्नीति का एक भाग था। यदि 1974 के बंधे के पिछले चार महीनों के नुस्खों के अन्दर जो देखा जाए तो ज्ञात होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रान्पीति की दण अझेर दनी रही। जनवरी से मार्च के तीन महीनों में मूल्य बोनुत व्यप में ग्राही भूमि के 2.6 प्रतिशत बढ़े। इसकी चुलना में अनेक दूसरे भूमि के अन्दर 1974 के तीन महीनों में नुस्खों में अधिक ग्राही माह 2.6 प्रतिशत की बढ़ि हुई। इससे योजना और गैर योजना अन्दर में हुई बढ़ि के कारण मूल बजट का घाटा काफी बढ़ि हो जाने के बनाए का नामना करने के लिए वित्तमंत्री ने 31 जुलाई 1974 को लोकसभा में 232 बरोड रुपये का एक पूरक बजट प्रस्तुत किया।

पाप ही महीनों में दोबारा प्रस्तुत किए गए वर प्रस्तावों में ने 1974-75 में केंद्र को 123 बरोड रुपये तथा राज्य मरकारों को नगमग 13 बरोड रुपये वा राजस्व मिलेगा। वित्तमंत्री द्वारा नगाए गए प्रस्तावित वरों का व्योग इस प्रश्नार है:

प्रत्यक्ष कर

मुद्रान्पीति को रोकने के लिए अनुमूलित बैंकों द्वाय भारत में इए जाने वाले अन्धों में उनको व्याज की जो सबल रकम मिलती है, उस पर 7 प्रतिशत वा वर लगाया जाए।

स्फीतिकारी स्थिति के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में होने वाली बनाऊन्त व्याय की व्यान में रखते हुए पूजीयत लाभ वरों में दृढ़ि की जाए। वे निदम वर दाताओं के पूजीयत लाभ से कटौती की रकम को, जहा इन लाभ का सबल भूमि व मरानों से हो, 35 प्रतिशत में घटावर 25 प्रतिशत निया जाए, अन्य परिमपतियों के हम्मानरण के कारण होने वाले वाभ के मामलों में यह कटौती घटावर 50 प्रतिशत के 40 प्रतिशत की जाए।

दोष अवधि के पूजीयत साम पर वरनियों के मामले में वर की मात्रा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। यह बढ़ि नुमि तथा मरानों के निवने वाले लाभ पर 45 प्रतिशत से बढ़ा वर 55 प्रतिशत की रहि। दूसरे प्रकार जी परिमपति के

हस्तानरण के कारण होने वाले लाभ पर लगाए जाने वाले कर की दर को 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत की गई। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा थी।

अप्रत्यक्ष कर

वित्तमंत्री ने बुनियादी आवश्यकता की बस्तुओं पर नए कर नहीं लगाए। बजट में यह प्रयास किया गया कि जनकावे अपेक्षाकृत निधनवर्ग पर कम से कम प्रभाव पड़े।

बजट में पहली बार के प्रोलेक्ट्रस पर 50 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क घोषित किया गया। कापियो, पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए काम में आने वाले कागज को सहायक शुल्क से छूट दी गई है।

मिग्रेट पर बुनियादी शुल्क की दर 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 85 प्रतिशत कर दी गई। पहली बार सूटिंग, गैरवडीन, हाथ के काम इए इंग्रिटेड अथवा बोटेड व्हिपो पर बुनियादी शुल्क के 33 33 प्रतिशत की दर से प्रभावी सहायक शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया। कागज और यते की विभिन्न प्रकारों पर इस वर्ष दूसरी बार शुल्क बढ़ा। बुनियादी शुल्क 33 33 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क संगाया जाएगा। प्लास्टिक की देशी तथा विदेशी बस्तुओं के मूल्य के अन्तर वो बन करने के लिए सहायक शुल्क की दर वो प्रभावी बुनियादी शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया। टापरों के मूल्यानुसार शुल्क में 5 प्रतिशत की बढ़ि की गई है। बिजली से चलने वाले वरधो द्वारा सुपर फाइन व मध्यम प्रकार के कपड़े तैयार करने के काम आने वाले सूती धागों पर मूल्यानुगार शुल्क की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।

सोमेट पर अधिक आय होने के कारण बुनियादी शुल्क को 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत किया गया। ताबे, सरियो, छडो आदि पर 4000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से बुनियादी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया। स्टील इण्ट और लौहे या इस्पात से बनी चीजों पर सहायक शुल्क वी दरों वो प्रभावी बुनियादी शुल्क के 75 प्रतिशत में बढ़ाकर 100 प्रतिशत और टिन प्लंटो और टिन की चाइरों के सहायक शुल्क वी दरों वो प्रभावी बुनियादी शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया।

मूल्यावन

इस बजट में वित्तमंत्री ने धन एवं वरने का एक अच्छा प्रयास किया है जिसमें सामान्य उपभोग की बस्तुएं अतिरिक्त वरों के जाल से बाहर रखी गईं। परन्तु प्रो० २३ह०२८ ००० टायणी वडी तीव्री रही। उन्होंने कहा, 'यह बजट एक इयानिया गरसार की मरणासन्न स्थिति में चीजों के समान है,

अतिरिक्त बरों में से 84 प्रतिशत अप्रत्यक्ष हैं जिनमें उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य और बढ़ जाएगा, यह बजट का धन और बढ़ाएगा।' बायिन्स लघोग महासंघ के अध्यक्ष थीं वृष्णिकुमार विठ्ठला ने क्र०प पर व्याज की दर एवं प्रतिशत बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए इसे मूल्य घृणिकारक देता द्या है। दायरद में उत्पादन बढ़ाने के छोस वदमों का जोई में इस बजट में नहीं दिया गया, न ही अनादन्मव व्यय कम करने का प्रयास किया गया।

चास्त्रवित्तवा यह है कि नामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की नेच वर की परिविमें न लाने का म्भागत मदन किया। आम धारणा यह है कि वित्तमंत्री ने अमीरों पर कर लगाया है। कुछ महन्वपूर्व वस्तुओं के उत्पादने द्वारा व्यापारियों द्वारा बमाए जा रहे व्यापक मुनाफों को, जो प्राप्त इसे धन के न्प में बताते हैं, वित्तमंत्री ने बटोरने दा प्रयास किया।

1975-76 का बजट

1975-76 के वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के स्वन्ध विकास के लिए दूजी लगाने की दर में चूड़ि साकर उत्पादन बढ़ाने के उत्पाद लिए गए। घोटे जो कम करने तथा विकास के लिए नाधन उपलब्ध करने की इष्ट से वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने नए वित्तीय वर्ष में 288 करोड़ रुपये के कर प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसमें बजट 464 करोड़ रुपये दा धारा 225 करोड़ रुपये रह जाएगा।

कर प्रस्ताव

वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने 1975-76 के बजट में जो कर लगाए उनमें में कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं जीनों पर उत्पादन शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ावर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया। यह खुले बाजार में विकने वाली जीनों पर लगा होगा। इसमें 30.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जाय होगी। नभी खड़कारी इत्यादि पर अब सामान्य रुप से 17.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगेगा। इसमें 19.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। युनी जाय पर शुल्क 10 से बढ़ा कर 15 पैसे कर दिया गया। निर्यात की जाने वाली जाय पर कुछ रियादत भी दी जाए है। बुन मिलावर इसमें 3.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

सीमेट पर बुनियादी शुल्क 30 प्रतिशत में बढ़ावर 35 प्रतिशत कर दिया गया। इसमें 15.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मोटर एंट्री पर शुल्क में 10 पैसे प्रतिलिपन उत्पादों पर शुल्क चूड़ि जी गठ। पैट्रोलिपन उत्पादों पर शुल्क चूड़ि ने 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अनिमित चवान् पर 3 रुपये प्रति दिलो उत्पादन शुल्क लगाया जाय। मशीनों में बनी दीही पर उत्पादन शुल्क 3.60 रुपये से बढ़ावर 4.60 रुपये प्रति हजार कर दिया गया। चिपरेट पर उत्पादन शुल्क ने 5 प्रतिशत जी चूड़ि जी रहे।

तबाकू तथा तबाकू उत्पादों पर शुल्क बढ़ि तथा युक्तिकरण के परिणामस्वरूप 26.88 करोड रुपये वा अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

यद्यपि एवरकॉम्पनीरो पर पहले ही 75 प्रतिशत का मूल्यानुमार शुल्क लगता है फिर भी इसरी बढ़ावर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार रेफिनरीटिंग और एवरकॉम्पनीनिंग संयंक्तों और मणीनों के हिस्सों पर लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क भी दर को 100 प्रतिशत से बढ़ावर 125 प्रतिशत बढ़ाने वा प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि शृगार और प्रमाधन सामग्री के मूल्यानुमार शुल्क भी 30 प्रतिशत की मूल्यानुमार भीजूदा दर को बढ़ावर 40 प्रतिशत मूल्यानुमार कर दिया जाए।

बजट एक संक्षिप्त विवरण

भशोधित अनुमान 1974-75	बजट अनुमान 1975-76		भशोधित अनुमान 1974-75	बजट अनुमान 1975-76	(करोड रुपये में)
		राजस्व प्राप्तिया		राजस्व खाने के भुगतान	
बर प्राप्तिया	6128	6552	मामान्य सेवाएं	1538	1789
	+ 288	* रक्ता सेवाएं	1952	2036	
पटाइए			सामाजिक और सामुदायिक		*
बर-राजस्व में					
राज्यों वा हिस्सों	1224	1333	सेवाएं	426	482
	+ 49	* आर्थिक नेवाएं	802	956	
केंद्र वा नियंत्र	—	—	राज्यों आदि को सहायता अनुदान	1142	1228
बर राजस्व	4904	5219	जोड़ राजस्व पाते के भुगतान	5800	6491
	+ 239*			—	—
बर	—	—		—	—
राजस्व	1581	1656	राजस्व अधिग्रेय	625	384
				+ 239	
जोड़िए केंद्र वा	—	—		—	—
राजस्व	6485	6875*			
	+ 249	—		—	

पूजी प्राप्तिया			पूजी भुगतान		
कृष्ण नदामगी	1230	1395	मामान्य मेवाएँ	18	21
वाजार कृष्ण (निवास)	495	325	रक्षा मेवाएँ	205	238
विदेशी कृष्ण (निवास)	595	613	मामाजिर बांग		
बन्ध प्राप्तिया	677	1096	मंदाग् जार्दिन नवाएँ	1281	1213
—	—	—	कृष्ण बीन		
जोड़ पूजी प्राप्तिया	2997	3422	ब्रिन	2692	2744
—	—	—	जोड़ पूजी	—	—
कुल प्राप्तिया	9482	10304	भुगतान	4247	4277
		— 239*		—	—
कुल घाट	625	464	कुल भुगतान	10107	10763
		— 239*		—	—
	—	—			
		225			

* बजट प्रस्तावों का प्रभाव

व्यय पक्ष

बजट में नवांचित प्राथमिकता है जिसके बाहर विज्ञों को दी गई। हृषि ने हमारी अर्थव्यवस्था का आधार ही ही, भाष्य ही विज्ञों भी अत्यन्त नहर्स्वपूर्ण तर्फ से है इसलिए विज्ञों ने 1975-76 के लिए हृषि नदामगी कारों के लिए 270 करोड़ रुपये जो रागि रखी, जबकि चातु वर्ष में मगोलिय बन्नुकान के नदुनार इन्हें लिए 193 करोड़ रुपये व्यय लिए गए। विज्ञों के उन्नादन के लिए 140 करोड़ रुपये चर्चन उन्नादन के लिए 192 करोड़ रुपये, कोयले के उन्नादन बढ़ाने के लिए 229 करोड़, पैट्रोलियम और पैट्रोलियन उन्नादनों के विनाश के लिए 170 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये सभी राशियां गत वर्ष से बढ़िश हैं। इमहे अनिस्तिक इन्स्पेक्टर, सीमेंट, परिवहन और सूचार व्यवस्था; नुसा शिक्षा, समाज व्यवाय प्रादि विवरक वार्षिकों के लिए भी ममुचित राशिया रखी हैं।

आगामी साल के बजट में रक्षा संवादों के लिए चालू साल की तुलना में 1 अरब 17 करोड़ रुपये की वृद्धि दी गई है। चालू साल में रक्षाव्यय 21 अरब 57 करोड़ रहा जबकि आगामी वर्ष के लिए 22 अरब 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगामी लालिका के अनुसार इसमें पूजीगत व्यय भी शामिल है।

आगामी साल के बजट के अनुमार भारत रक्षा पर अपनी कुल आय का केवल 21 प्रतिशत व्यय करेगा जबकि पारिस्तान अपनी आय का 60 प्रतिशत में अधिक गेनाओं पर खच करता है। अगले वर्ष स्थल सेना के लिए 15 अरब रुपए, नौसेना के लिए 1 अरब 34 करोड़ रुपये तथा वायु सेना के लिए 4 अरब 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी गई है।

मूल्यांकन

वर्तमान कराधान व्यवस्था के अनुसार सरकार को 464 करोड़ रुपये का घाटा होने की सभावना है। अनेक कर प्रस्तावों में घाटा 239 करोड़ रुपए कम हो जाएगा और वर्ष के अंत में अनुमान घाटा 225 करोड़ रह जाएगा। यह वर्ष सरकार ने बजट के 126 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान दिया था परंतु वर्ष के अंत में मशोधिन अनुमान के अनुसार घाटा 625 का होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि घाटे में यह वृद्धि कमचारियों को बेतन आयोग दी सिपारिशों के आधार पर महगाई भत्ता देने रक्षा बजट बढ़ा जाने आयातित तेल की कीमतें बढ़ने, अन्न का आयात करने, सूने के बारण राज्यों को अधिक सहायता दिए जान, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, उवरक आयात एवं केंद्रीय क्षेत्र की परिवेजनाओं पर अधिक व्यय होने में अनिवार्य हो गई है।

किंतु यह बात विचारणीय है कि वित्तमंत्री ने जिन वस्तुओं को सभूत विनामिता दी वस्तुओं की बोटि में रखकर जुन्न बढ़ाए हैं वे मध्यवित्त और अल्प-वित्त लोगों के भी प्रयोग में आती है और विलामिता की वस्तुएं प्रायः औद्योगिक विकास का आधार होती है। जब तक ये वस्तुएं उत्पादित नहीं दी जायेगी, विकेगी नहीं तब तक औद्योगिकीकरण थामे नहीं बढ़ सकना और लोगों के रहन सहन का स्तर भी ऊचा नहीं हो सकता। फिर इन उद्योगों में साधों लोगों का रोजगार देने की क्षमता भी है। अत व्यापक इटि में भी इनकी उन्नति के अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जानी चाहिए।

घाटे की वित्त व्यवस्था

घाटे की वित्त व्यवस्था जबवा हीनार्थं प्रवधन निगी भी देश के वित्तीय साधनों में महावृष्टि स्थान रखती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का मरन और मक्षेप में अर्थ यह है कि जब देश की सरकार का खर्च आय में अधिक बढ़ जाता है और उन बड़े हुए खर्च को अग्नि वित्तीय साधनों द्वारा पूरा नहीं निया जा सकता तब सरकार उसे नए नोट छाप कर पूरा करती है। हीनार्थं प्रवधन के अत्यंत अर्थ व्यवस्था में सरकार द्वारा नए नोट छापकर प्रभारित किए जाते हैं। अमरीका में तो सरकार द्वारा जनना से ऋण प्राप्ति को हीनार्थं प्रवधन माना जाता है।

पाश्चात्य देशों की धारणा

पाश्चात्य देशों में हीनार्थं प्रवधन का प्रयोग इस रूप में निया गया है, 'हीनार्थं प्रवधन अर्थात् राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सरकार द्वारा दृष्टि की अधिकता, जिसमें पूजीगत व्यय भी सम्मिलित है। याहे इस व्यय की पूर्ति वज्रों द्वारा उपलब्ध प्राप्तियों से ही बियो न हो।' इन देशों में यदि वजट के घाटे की पूर्ति ऋणों द्वारा की जाती है तो भी उसे हीनार्थं प्रवधन माना जाता है। ऐसाकि हम ऊपर बर्णन कर चुके हैं, अमरीका में हीनार्थं प्रवधन का अर्थ मार्वजनिक ऋण से लिया जाता है। जब भी सरकार के खर्च आय से अधिक हो जाए और जिनकी पूर्ति के लिए सरकार देको या जनता से ऋण ले, घाटे की वित्त व्यवस्था मानी जाती है। डॉ. बी. बै. आर. बी. राव ने इस विचार का विश्लेषण नरते हुए कहा है, 'पाश्चात्य देशों में हीनार्थं प्रवधन का प्रयोग उस वित्तीय प्रवधन के लिए किया जाता है जिसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के मध्य जानवूल्लवर रखे गए अतर अथवा वजट-घाटे को पूरा किया जाता है। इसलिए वित्त व्यवस्था के लिए ऋण की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय के स्रोतों अथवा व्ययों में वृद्धि होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि ऋण के परिणामस्वरूप ऐसी अथवा निजी व्यक्तियों के वर्तिरक्त धन का उपयोग होने लगता है भा-

वैको के पास नवीन जमा के निर्माण का प्रयोग सरकारी प्रतिभूतियों के घटोदने में होता है।' इस धारण के अनुमार हीनार्थ प्रब्रह्मन सार्वजनिक क्रृष्ण द्वारा धाटे की वित्त व्यवस्था करना है जिसका परिणाम मुद्रा की पूर्ति में बढ़ि होता है। यह बढ़ि चाहे निपिक्ष पड़े धन को उपयोग में लाने में हो या वैका द्वारा साख निर्माण करने से हो।

किंतु भारत में धाटे की वित्त व्यवस्था वा प्रयोग शुष्ठि भिन्न अर्थ में लिया गया है। भारत में धाटे की वित्त व्यवस्था से अभिप्राय उस व्यवस्था में है जिसके द्वारा सरकार अपने धाटे को पूरा करने के लिए नोट निर्माण करती है या केंद्रीय बैंक से क्रृष्ण की सहायता लेनी है। भारतीय योजना आयोग ने धाटे की वित्त व्यवस्था की परिभाषा इस प्रश्नार से दी है 'वजट धाट की वित्त व्यवस्था वा प्रयोग वजट के धाटे द्वारा कुछ राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष बढ़ि का प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये धाटे चाहे राजस्व खाते से सवधित हो या पूजी खाते से। ऐसी नीति अपनाने वा सार यही होता है कि सरकार अपनी उस आय से अधिक माला में व्यय करती है, जो उसे करारीप, सार्वजनिक उपकरणों से प्राप्त आय, जनना से प्राप्त क्रृष्ण निधेप एवं निधि तथा अन्य मदा में उपलब्ध होती है। सरकार इस धाटे की पूर्ति या तो अपने सचित्र दोषों को काम में लाना चाहती है या वैरिंग व्यवस्था (मुद्र्यत देश के केंद्रीय बैंक से और इस प्रश्नार साख का निर्माण करके) से उधार लेकर।'

जब भारत सरकार को वजट का धाटा पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो पाती तो वह अपनी प्रतिभूतिया रिजर्व बैंक को हस्तातिरित बर देती है। रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों के बदले में नोट छाप बर सरकार को देता है। इस प्रकार नई मुद्रा का निर्माण होता है। जब सरकार ऐसी नवीन पत्र मुद्रा से वजट के धाटे को पूरा बर अपने कायंत्रमों को वियानित करती है तो वही व्यवस्था धाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। इस सदमें म हाँ राब न उत्तेज लिया है, 'जब सरकार जान बूझकर विमो उद्देश्य बो दिग्गत रखते हुए अपनी आम से अधिक व्यय बरे और अपने धाटों की पूर्ति विमी भी ऐसी रीति से बरे जिससे देश म मुद्रा की माला बढ़े तो उमे हीनार्थ प्रब्रह्मन कहना चाहिए।'

उपरोक्त विवरण में व्यष्ट है कि धाटे की वित्त व्यवस्था वा आशय चाहू जो भी लिया गया हो उमें निम्न दो बातों का सकृत व्यवश्य मिलता है

- (1) सरकार जानबूझकर वजट म धाटा उपन्न बरती है, तथा
- (2), देश, म, मुद्रा, भी पूर्ति में बढ़ि होती है।

धाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य

धाटे की वित्त व्यवस्था वा उपयोग निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो सकता है।

(1) मंदी इत्तल को दूर करने के लिए : मंदी वान में मुद्रा वा अभाव रहता है। मंदी वान जो दूर करने के लिए हीनार्थं प्रब्रधन को अपनाया जा सकता है। अमरीका में मंदी के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए घाट की विन व्यवस्था वा काश्य लिया गया है।

(2) निजो विनियोग के अभाव को दूर करना . जब देश में निजी विनियोग पर्याप्त नाकाम में उपलब्ध नहीं होन तो उत्तरादन वी क्रिया मद पह जाती है। इन उठिनाई को दूर करने के लिए सरकार नोटों वा निर्गमन बरें वा नृप नेतृत्वात्मक व्यवस्था वा अधिक व्यवस्था लियी है।

(3) युद्धातीत व्यवस्था के लिए . युद्ध वान में वह ही व्यवस्था जो पूरा करने के लिए घाट की अव्यवस्था वा प्रयोग किया जाता है।

(4) अर्थव्यवस्था के लिए चूंच व्यवस्था वा विनियोग एवं पिठडे देशों में पूजी वी व्यवस्था होती है, अत विवाम के लिए वह पर्याप्त मात्रा में पूजी उपलब्ध नहीं हो पाती। विवाम बरने के लिए भारी मात्रा में व्यवस्था बढ़ता है। ऐसी मिथ्यनि में इन विवाम योजनाओं का अर्थ प्रब्रधन करने के लिए सरकार को घाटे की विन व्यवस्था वा उत्तरादन लिया जाता है।

घाटे को वित्त व्यवस्था का उपयोग

घाटे को वित्त व्यवस्था वा परिणाम मुद्रास्थीति वा बदली ही महगाई के रूप में सामने आता है। वैन वां मूल्य बृद्धि के अनेक नारण होते हैं इन्हीं घाटे जी व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि घाटे की पूरा व्यवस्था के लिए सरकार नोट छाप बर अथवा सावंतव्य उत्प लेतर व्यवस्था बरने का मार्ग अपनाती है। परन्तु सर्दैव ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है। यह वात मुख्यतः इस वान पर निर्भर करती है जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था वा उपयोग विच उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषया गया है।

मंदी कान में घाटे की वित्त व्यवस्था

मंदी कान म घाटे की विन व्यवस्था अधिक उपयुक्त मानो जाती है। ऐसी मिथ्यनि में हीनार्थं प्रब्रधन में देश की अर्थ व्यवस्था में अनुरूप परिणाम निकलते हैं। भैंशी वान में सामान्यतः नार बम हो जाती है और लोगों की अवशक्ति घट जाती है, उत्पादन और रोजगार उत्तरोत्तर बम होता जाता जाता है। कीमत का यह नर मर्वाया उपयुक्त है जि अवमाद वाल में प्रभावपूर्ण नार बम हो जाने ने रोजगार मी बम हो जाता है। माय कम हो जाने के कारण उत्पादन पहले से भी बम हो जाता है और रोजगार पर और भी अधिक बुरा प्रभाव पढ़ता है। देश प्रभावपूर्ण नार और रोजगार के निरतर गिरने के विवेत कुचल में फस जाता है।

इस स्थिति को सुधारने का बहल एवं उपाय यही है जिसके द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक निर्माणार्थ के रूप में सरकारी व्यय रोजगार तथा उत्पादन को प्रोत्तमाहन देने तथा लोगों में व्यय शक्ति बढ़ाने में सहायता हो सकता है, इन प्रकार लोक व्यय के द्वारा तथा कृषि कुचक्के को तोड़ा जा सकता है तथा माग और रोजगार में वृद्धि की एक क्रियिक शृङ्खला को प्रारम्भ किया जा सकता है। व्यय शक्ति की वृद्धि समाज की माग को बढ़ाने में समर्थ होती है, उत्पादन को प्रोत्तमाहन मिलता है तथा नेत्री उद्यम भी उत्पादन का बायं प्रारम्भ कर देते हैं। इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है जो माग को बढ़ाने में सहायता होता है। माग की इस वृद्धि से उत्पादन तथा रोजगार को पुनर्बढ़ावा मिलता है और देश मदी काल के कुचक्क से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक व्यय ही एक मनुष्य कारबंक के रूप में कार्य करता है। परन्तु सरकारी व्यय की वृद्धि के लिए साधारण स्रोतों से आव पर्याप्त नहीं होती। फलत धाटे की वित्त व्यवस्था को ही अपनाना पड़ता है।

पाश्चान्य देश जो आज औद्योगिक अवस्था के शिखर पर पहुंचे हुए हैं उन्हान भी मदी काल के दुष्परिणामों से मुक्ति पाने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन का ही सहारा लिया है। मनुष्य राज्य अमरीका ने मदी काल के दोषों से बचने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। मदी काल में हीनार्थ प्रबन्धन के प्रयोग की यह विशेषता है जिसका मुद्रा स्फीतिजनक प्रभाव नहीं पड़ता। धाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में जो स्पीति उत्पन्न होती है देश के तुलन उत्पादन को बढ़ा देती है जिसके और स्फीतिजनक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होते।

युद्धकाल में धाटे की वित्त व्यवस्था

युद्धकाल में धाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लेने से मुद्रा स्फीतिजनक परिणाम सामने आते हैं क्योंकि कुल व्यय शक्ति (अर्थात् मुद्रा की मात्रा) तथा वस्तुओं की माग में तो वृद्धि हो जाती है, परन्तु वस्तुओं को प्राप्ति में कमी हो जाती है। उत्पादन इसलिए घटता है क्योंकि उत्पत्ति के समान अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने के लिए गतिशील किए जाते हैं।

आर्थिक विकास के लिए धाटे की वित्त व्यवस्था

बर्तमान नमय में आर्थिक विकास के लिए धाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग बहुत बड़ गया है। यद्यपि प्राचीन अर्थशास्त्री धाटे की वित्त व्यवस्था को हानिकारक समझते थे, परन्तु आजरन इसे न केवल अपनाया ही जाता है बरन इसे आर्थिक विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बाधन माना जाता है। अत्यविविध मित्र अर्थव्यवस्थाओं में देश के मुफ्त और अविरतिन माध्यनों का विदेहन करके देश का आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक पूजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में

मरकार घटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय सेती है और नोट छापकर वित्तात् पोतनाओं पर व्यव चर्ती है। मरकार नदे मुद्रा का जो मृदग चर्ती है उससे कमाओं में क्या शक्ति का प्रसार होना है। निमित मुद्रा के द्वारा जो नदे मार्ग पंदा होती है, यदि वह बन्नुओं की पूर्ति के बराबर ही है तब न्यौनि का कोई दर नहीं रहता। इन्हु वास्तव में यह होता है कि वर्तु जी पूर्ति नार की लंपेशा अक्षर चन रहती है। अत घटे जे वित्त प्रबन्धन वा रात्कालिक प्रभाव यह होता है कि जीमतें बट जानी हैं, अर्थात् मुद्रा स्फीतिजनक परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकृति जो निम रूप ने और भी दम मिलता है

(1) चूड़ि बल्य वित्तसित देशों में व्यक्तियों वा रहन-गहन का न्वर नीचा रहता है इसलिए वर्यव्यवस्था में प्रविष्ट अद्यन्तिक वचाने के स्थान पर व्यव चर की जाती है और इनम वर्यव्यवस्था के अन्तर्गत लुन नप-गक्कि में और भी वृद्धि हो जानी है।

(2) अन्य वित्तसित देशों में चूड़ि उत्पादनीन उपन-व्यव सभी उत्पादन मुदिधाओं का पहले ने ही पूर्णतमा उपयोग किया जा चुका होता है इसलिए घटे की वित्त व्यवस्था उत्पादन की नहीं बढ़ा पाती।

(3) अल्प वित्तसित देशों में सामान्यतः नृगित मुद्रा का अविकास भाग ऐसी दीर्घकालीन प्रयोजनाओं पर लागता जाता है जिनसे एक लंबी अवधि के पश्चात् प्रतिफल प्राप्त होते हैं। परिणामत भरकार के व्यव में वृद्धि (वर्यात् समाज ने व्यव शक्ति का प्रसार) तो बदंमान समय में होती है, लेकिन उम्म व्यव के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि काफी समय ने पश्चात् होती है।

(4) चूड़ि अल्प वित्तसित देशों में दिवेशी विनियम की भी जी सभी रहती है इसलिए विदेशो न उपयोग जी वस्तुओं का आपात भी अधिक भावा में नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त घटनों के परिणामस्वरूप एक ओर वर्यव्यवस्था में क्या शक्ति का प्रसार होता है तो दूनरी ओर उत्पादन व्यवसा आयात में उतनी ही नाका में वृद्धि नहीं हो पाती। परिणामत मुद्रा स्फीतिजनक द्वारा वह जाते हैं। अत् समष्ट है कि (अ) विनियोग और उत्तरे प्रतिफल के दीच समय का अवर जितना अधिक होगा स्फीति जी समाजना भी उतनी ही अधिक होगी तथा (ब) वस्तुओं की भाग और पूर्ति में जितना अधिक असुरुक्त होगा उतनी ही अधिक कीमतों में वृद्धि होगी।

एक अन्य वित्तसित देश ने मुद्रा स्फीति के बड़े दिनाशजारी परिणाम कामने बाते हैं। ज्ञानखिल क्षेत्र में नपति का वित्तस्त्र अधिक शिखन हो जाता है। नोगों के मध्ये जी प्रवृत्तिया जोर पक्को है, बचत बह ही जाती है, विदेशी मुद्रा जोप में कमी होती है और नाथ ही लाय विदेशी वाजाओं में देश जी साथ गिर जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। यह वर्यव्यवस्था को छिन-भिन्न कर देनी है और लायिक वित्तात्

के लिए जिए गए प्रयत्नों को व्यर्थ बना देती है। धाटे का वित्त प्रबंधन यदि मुद्रा स्पीतिजनक स्थिरता उत्पन्न करता है तो निश्चय ही यह एतरे की पटी है। धाटे की वित्त व्यवस्था के मुद्रा स्पीतिक प्रभाव को सरकार निम्न उपाय के द्वारा निष्पत्ति या बम वर सकती है।

(1) ऐसे उत्पत्ति वापों पर व्यय निया जा सकता है जिनसे उत्पादन शोध हो वडे।

(2) उपभोग की आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न तथा कपड़ा आदि की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है जिससे उनके मूल्य में वृद्धि न होने पाए।

(3) वस्तु के वितरण व यातायात पर नियवण और राशनिग का उपयोग निया जा सकता है ताकि मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सके और अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग को बम किया जा सके।

(4) साध्य विस्तार पर भीद्वित्र नियवण लगाया जा सकता है। पूजीगत वस्तुएँ (मणीनरी इत्यादि) तथा उपभोग वस्तुओं की मात्रा में विदेशी महायता से वृद्धि की जा सकती है।

(5) देश के लोगों की अधिक क्षय-शक्ति को बर अनिवार्य बचत, सार्व-जनिक अदृष्ट आदि शीतियों के द्वारा बम किया जा सकता है।

(6) लोगों से इम प्रबार की अपील की जा सकती है कि वह नित्य प्रति के व्यय को बम वरे और अपनी बचत बढ़ाए।

उपरोक्त साधनों का प्रभाव यह पड़ेगा कि (1) भमाज के पास जो अनिवार्य क्षय-शक्ति है वह सरकार के पास आ जाएगी जिससे मुद्रा स्पीति कम हो जाएगी, तथा (2) वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा जिससे उनका मूल्य नहीं बढ़ पाएगा।

अत धाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा स्पीतिजनक शक्तियों को उत्पन्न करेगी या नहीं, यह बर्दै बातों पर निर्भर होगा।

(1) के उद्देश्य, जिनसे लिए धाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई गई है।

(2) धाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा व मीमा।

(3) मुद्रास्पीति के प्रभावों को रोकने या निप्पन बनाने के लिए अपनाए गए उपाय।

दा० राव ने शब्दों में 'धाटे रा अर्थं प्रबंधन अपने में न अच्छा है और न बुद्ध और न ही धाटे के अर्थ प्रबंधन में मुद्रास्पीति स्वभावन निहित है।'

मूल्य स्तर और धाटे की वित्त व्यवस्था

धाटे की वित्त व्यवस्था में सभाज के कुन व्यय में वृद्धि हो जाती है। पाञ्चालिक इटिटोन में अनुकार यह वृद्धि तब होती है जब सरकार धाटे को पूरा

करने के लिए केंद्रीय बैंक या बैंकों न उधार देनी है वा मरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का कार्य प्रत्यक्ष स्वयं न बैंकों द्वारा किए जाने से जगाओं को उत्पत्ति ही जाती है अथवा दभी-नभी जनना स्वयं प्रतिभूतियों को कार्य करने के लिए अपनी नकद धनराशियों का उपयोग करती है और इम प्रकार जनना द्वारा भवित एवं निष्क्रिय पड़ी हुई नकद पूँजी भवित्व हो जाती है। इन दोनों प्रवृत्तियों का यह परिणाम होता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ व्यय बचन के कारण मूल्य स्तर ऊचा होने लगता है। इस प्रकार, घाट की विन व्यवस्था द्वारा उत्पन्न नई मुद्रा को जब मरकार व्यय करती है तो लोगों को अतिरिक्त कष्ट-भक्ति प्राप्त हो जाती है और परिणामस्वरूप मूल्य उपर चढ़ने लगते हैं। यह यह ध्यान देन योग्य बात है कि मुद्रा की सूति के बल उतनी ही मात्रा में नहीं बचनी चिनती कि मरकार द्वारा घाट की वित्त व्यवस्था की जानी है वरन् यह मुद्रा बैंकों द्वारा माझ-उत्पत्ति का आपार बन जाती है। इस प्रकार व्यवहार में घाट की विन व्यवस्था की सीमा की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न की गई अतिरिक्त कष्ट-भक्ति में अधिक हो जाती है। परिणाम-स्वरूप, मूल्य-स्तर अधिक ऊचा रठ जाना है। इस प्रकार घाट की विन व्यवस्था के दोनों ही दृष्टिकोणों से बढ़ते हुए व्यय में सूच्य स्तर बढ़ने लगता है। सरीकार ने मूल्य-स्तर को ऊचा उठाने की दिशा में घाट की विन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण गति है। परंतु जब शुल्क मत्तापन अवश्य कार्यक्रम विकास के व्यय की पूर्ति के लिए इसका सहारा लिया जाना है तो इसमें मुद्रा-प्रसार के खतरनाक दोष दृष्टिगोचर होने लगते हैं।

डा० राव ने लिखा है कि 'घाटे की वित्त व्यवस्था में मूल्यों में योटी सी वृद्धि अवश्य होती है, परन्तु इसमें घाटे की वित्त व्यवस्था को मुद्रा-प्रमार वा कारण नहीं मान सेना चाहिए। मूल्यों में होने वाली वृद्धि मुद्रा-प्रसार वा इस चन समय लेती है जबकि मूल्य वृद्धि का दूषित चर आरम्भ होता है, अर्थात् एवं बार मूल्यों में वृद्धि होने के बाद मूल्यों में पुनः वृद्धि होती है और यह क्रम विस्तर बागे चरता रहता है।'

घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमाएं

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था की सुरक्षित सीमा क्या हो सकती है। इस सर्वधर्म में कोई निश्चित राशि वा उत्तेजक करना चाहिए है। हीनार्थ प्रददधन की सुरक्षित सीमा क्या होगी यह वह बातों पर निर्भर करती है।

(1) स्फीति भमावनाएः : घाटे की वित्त व्यवस्था की सुरक्षित सीमा वा अनुमान उम्मेद द्वारा उत्पन्न की गई मुद्रा मौजिन्द्र परिस्थितियों में नगारा जा सकता है। यह जागिर स्वयं ने इन बात पर निर्भर करता है कि घाटे की विन व्यवस्था इन मात्रा में की गई है। यदि घाटे की व्यवस्था अन मात्रा में की जाती

है और मूँदों की वृद्धि पर बड़ा नियन्त्रण रखा जाता है, जिससे स्फीतिजनक परिस्थितिया उत्पन्न न हो तो घाटे की वित्त व्यवस्था सुरक्षित समझी जाती है।

(2) ध्यय की प्रकृति, अनुत्पादक बायों की अपेक्षा उत्पादक बायों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था वा प्रयोग अधिक भावा में किया जा सकता है, बरोबर बस्तुओं भी मांग की वृद्धि के साथ-साथ देश में उत्पादन भी बढ़ जाता है। फक्त बस्तुओं के मूल्य अधिक नहीं बढ़ पाते।

(3) अतिरिक्त क्षय शक्ति को बटोरना • घाटे की वित्त व्यवस्था वा प्रभाव और उत्पन्नी सीमा सरकार द्वारा अनिरिक्त क्षय शक्ति बटोरने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि सरकार नव निर्मित मुद्रा वो बारातोण द्वारा तथा अनिवार्य वचत नी सहायता स शीघ्रता में पुन एकत्र कर सकती है तो वह बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था वो अपना सकती है।

(4) अतिरिक्त क्षय शक्ति को निपटिय करना घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा इस बात पर निर्भर करती है यि अतिरिक्त प्रय-शक्ति को निपट्य बनाने के लिए सरकार ने बौन औन से उपयोग किए हैं? इस सबध में एक विधि भौतिक नियन्त्रण अर्थात् मूल्य नियन्त्रण और राशनिंग की है। यदि सरकार मूल्य नियन्त्रण और राशनिंग दो नीति अपनाती है तो ऐसी स्थिति में जनता एवं निश्चित मूल्य पर बस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीद सकेगी और समाज के पास जो अतिरिक्त मुद्रा रहती है वह बिना खर्च किए बेकार पड़ी रहती है। यैवों के पास रहने वाले नवद कोष की मात्रा बढ़ावार भी कुछ मुद्रा की मात्रा को निपटिय प्रिया जा सकता है।

(5) मुद्राविहीन अर्थव्यवस्था : यदि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग मुद्रा विहीन है तो घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग अधिक मात्रा में किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था वा विकास होगा, भौतिक दोंब बड़े और मुद्रा की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार मुद्रा बिना स्फीतिकारक प्रभाव उत्पन्न किए ही अर्थव्यवस्था में धम जाएगी।

(6) जनता को मनोवृत्ति अतिम पट्टक जो घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा वा निर्वाण बरती है वह जनता की मनोवृत्ति है अर्थात् जनता कहा तक त्याग करने को तैयार है? यदि आधिक परिस्थितियों के अनुकूल बातावरण उपस्थिति किया गया है और जनता वे प्रारम्भिक बट्टों को सहन बरने के लिए तैयार रिया गया है तो घाटे की वित्त व्यवस्था अधिक मात्रा में की जा सकती है।

सरेक में वित्त व्यवस्था की सीमा विकास की आवश्यकता और उत्पन्न होने वाली परिस्थितिया पर नियन्त्रण करने की समता पर निर्भर बरता है। हाँ, यह घ्यारा रखना चाहिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था वा उपयोग अर्थव्यवस्था में नियमित भोजन के सौर पर नहीं, बरन देवल एवं दबाई के तौर पर बरना चाहिए।

योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था

भारत की पचवारों योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था का नुस्खित विवरण निम्न तालिका ने प्रदर्शित होता है।

योजना काल में घाटे की वित्त व्यवस्था
(वरोड रुपयों में)

योजना	बनुमानित राशि	कुल वित्तीय साधनों का प्रतिशत	वास्तविक राशि	कुल वित्तीय साधनों का प्रतिशत
प्रथम योजना	290	14 प्रतिशत	420	21 प्रतिशत
द्वितीय योजना	1200	25 "	954	20.4 "
तृतीय योजना	550	7 "	113.3	13 "
1966-67 में				
1968-69 तक	335	71 "	682	101 "
की तीन वर्षावधि				
योजनाएँ				
चतुर्थ योजना	850	53 "	2060	127 "
पचम योजना	2200	50 "	—	—

उपरोक्त संरिणी का व्यव्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि हीनार्थ प्रबंध देश के दिवास की योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हीनार्थ प्रबंध की मात्रा में प्रत्येक योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है तथा अनुमानित और वास्तविक राशि में भी काफी अन्तर रहा है। प्रस्तावित अनुसार जी तुरना में वास्तविक हीनार्थ प्रबंध बघिक मात्रा में हुआ है।

प्रथम योजना काल : प्रथम योजना काल में प्रारम्भिक अनुसारों के अनुसार 290 वरोड रुपयों का हीनार्थ प्रबंध करने की व्यवस्था थी जो कि कुल वित्तीय साधनों का 14 प्रतिशत था। परन्तु प्रथम योजना काल में वास्तविक हीनार्थ प्रबंध 420 वरोड रुपयों का हुआ जो कि कुल वित्तीय साधनों का 21 प्रतिशत था। अन्य साधनों ने पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं हो सका। ऐसे से बरोडायी की नमस्ता और दूर करने के लिए 11 लूटी कार्यव्यवहार चैक्यार किया गया। लूट योजना ने कुल खर्च में वृद्धि हुई थी जिससे हीनार्थ प्रबंध की नावा दी। प्रथम योजना एवं सफल योजना थी। नावी मात्रा में हीनार्थ प्रबंध करन पर भी जर्मन व्यवस्था पर उत्तरा कोइ प्रभाव पढ़ा नहीं था। अनुकूल मौक्कम के चारण विनोद छेत्र

में उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य 15 प्रतिशत में भी अधिक 19 प्रतिशत हुई। परिणाम-स्वरूप मूल स्तर में 13 प्रतिशत वीं कभी हुई थी।

द्वितीय योजना काल प्रथम योजना की सफलता को देख कर द्वितीय योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी उद्देश्यों वाली बनाई गई थी। द्वितीय योजना में 1200 करोड़ रुपये का अर्थात् कुन वित्तीय माध्यमों का 25 प्रतिशत हीनार्थं प्रबंध करने को अनुमति व्यवस्था की गई थी। परंतु योजना के अत में हीनार्थं की वास्तविक राशि 954 करोड़ रुपये आजी गई जो कि कुन वित्तीय समस्याएं उपलब्ध हो जाने के बारण द्वितीय योजना के निर्धारित उद्देश्यों म सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। योजना के उद्देश्यों एवं प्राप्तमित्रताओं में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ा। प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य समस्या मूल्य वृद्धि, चीनी तथा पानिस्तानी आक्रमणों के बारण सुरक्षा व्यव में वृद्धि भूगतान सुलगान की समस्या आदि बारणों से द्वितीय योजना के काल में उसका पुनर्वालोकन करना पड़ा। द्वितीय योजना काल में मूल्य वृद्धि 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक रही। अत वित्तीय अनुशासन अपनाना आवश्यक हो गया। बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिए हीनार्थं प्रबंध को नियंत्रित रखा गया। परिणामस्वरूप योजना के अत में वास्तविक हीनार्थं प्रबंध वीं राशि 954 करोड़ रुपयों की ही हुई।

तृतीय योजना काल : तृतीय योजना में हीनार्थं प्रबंध वीं अनुमतित राशि 550 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जो कि कुन वित्तीय माध्यमों का 7 प्रतिशत थी। जूरि प्रथम एवं द्वितीय योजना में भारी गात्रा में हीनार्थं प्रबंध हो चुका था और देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार के लक्षण उपलब्ध होने लगे थे। मूल्यवृद्धि तेजी से होने लगी थी। प्रथम योजना में जहा 13 प्रतिशत मूल्यों में कभी हुई थी वहा द्वितीय योजना में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अत तीसरी योजना में हीनार्थं प्रबंध को कम महसूल दिया गया। परंतु किर भी तीसरी योजना के अत में हीनार्थं प्रबंध वीं वास्तविक राशि 1133 करोड़ रुपये थी जो कि मुल वित्तीय साधनों का 13 प्रतिशत थी। तीसरी योजना में हीनार्थं प्रबंध वीं मात्रा म इतनी अधिक वृद्धि का बारण विदेशी आक्रमण के बारण सुरक्षा व्यव में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त इस समय यह भी महसूल दिया गया है कि भारी भात्रा में हीनार्थं प्रबंध किये जिन सेबी से अधिक विकास नहीं दिया जा सकता।

तीसरी योजना के पश्चात् 1 अप्रैल 1966 से चौथी पचवर्षीय योजना को चालू होना था। परंतु अर्थव्यवस्था में उत्पन्न विभिन्न भाइंड समस्याओं के कारण नक्तुर्थं योजना का तीन वर्षों के कार्यक्रमों के स्थान पर वार्षिक योजनाएं चालू की गई। इन तीनों वार्षिक योजनाओं में कुन वास्तविक हीनार्थं प्रबंध वीं राशि 682

वरोड रप्ये रही थी जो वि चुन विनीय माधवों का 101 प्रतिशत था। 1966-67
वी बापिक योजना में 189 वरोड रप्या, 1967-68 म 224 वरोड रप्या तथा
1968-69 में 269 वरोड रप्यों का हीनाये प्रबंध हुआ था।

चतुर्थ योजना काल : चतुर्थ योजना का प्रारम्भ 1 अप्रैल 1969 में हुआ। वर्ष 1969 में नेतृत्व में उद्देश्य 'विधिरता के भाग विकास' रखा गया। वर्षावस्था में नेतृत्व से बदलते हुए मूल्यों को रोकने के लिए हीनार्थ प्रबन्ध की राशि कम से कम रखने का निश्चय दिया गया जिसके तीन पचवर्षीय योजनाओं नथा तीन वार्षिक योजनाओं में भारी मात्रा में हीनार्थ प्रबन्ध हो चुका था। वर्षावस्था में मूल्यांकनिक व्यवस्था के नक्शण के रूप में मूल्यों में तेजी में वृद्धि होने लगी थी अतः चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुमान चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में 806 बरोड हपयों का हीनार्थ प्रबन्ध हो चुका था तथा अंतिम दो वर्षों में 200 बरोड रुपये प्रति-वर्ष के हिनाव से हुन 400 बरोड रुपयों का हीनार्थ प्रबन्ध और होगा ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार चतुर्थ योजना काल में भी वास्तविक हीनार्थ प्रबन्ध की राशि अधिक ही रहेगी।

पश्चिम योजना काल : पश्चिमी योजना के मन् 1974 से 79 के वर्षों में (सन् 1972-73 के मूल्यों के जापार पर) 53,411 करोड़ रुपयों का विनियोजन त्रिया जाएगा। इस में सार्वजनिक क्षेत्र में 37,250 करोड़ रुपये नवा निर्जीक्षेत्र में 16,161 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पश्चिमी योजना में नरसारी क्षेत्र के वित्त प्रबंध में धाटे की वित्त व्यवस्था नगमग 2,200 करोड़ रुपयों की जाएगी। इस योजना कार में प्रत्यावित रूप में इमुंगे अधिक धाटे की वित्त व्यवस्था की सभावना है क्योंकि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार के बजट के घाटों में अनुमान से कई गुना अधिक बढ़ि हुई है।

मन् 1973-74 में मामान्य मूल्यों में 20 ने 30 प्रजित वी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप योजना के लागत व्यय म और अधिक वृद्धि की सभावना है। लागत व्यय म यह अप्रत्याक्षित वृद्धि निश्चित रूप में सरकार को अधिक घाटे वी दित्त व्यवस्था के लिए विवश करेगी।

धाटे की वित्त व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हीनार्थ प्रबल एवं दुश्मारी तरवार वे ममान हैं। यदि इसका प्रयोग सुन्दर, तथा मानवधानी से सीमित मात्रा में किया जाए तो वहे लाभप्रद परिणाम दे सकती हैं और यदि इसका प्रयोग अनियमित मात्रा में असावधानी में किया जाए तो यही देश की अर्थव्यवस्था में भयन्कर आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर देती हैं। जिनका समाधान करना चाहिए, वर्द्धनामित्रों और नमाज मुक्कारकों वे लिए दृष्टिन द्वारा जाता हैं। पचासर्षीय योजनाओं में भारी मात्रा में हीनार्थ प्रबल चरण से देश की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित मुख्य प्रभाव पड़े हैं-

(1) मूल्यों में बृद्धि निरतर तेजी से हो रही है। चतुर्थ योजना के इन चार वर्षों में ही लगभग 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत मूल्य बृद्धि हुई है। सामान्य जनना को मूल्य बृद्धि के नारण वासी कठिनाइया का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के लिए यह भारी भमस्या हो गई है कि बढ़ते हुए मूल्यों ने कैसे रोका जाए?

(2) मूल्य बृद्धि के नारण सरकार के विभिन्न नियमणि तथा विभागों के बीच में भी काफी बृद्धि हो जाती है। बढ़ते हुए खच को पूरा करने के लिए पुनर तदेव प्रबन्ध करना जहरी हो जाता है जिसमें मूल्य बृद्धि को और बढ़ावा मिलता है।

(3) मूल्य बृद्धि के कारण ही सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बेतन और महगाई भत्ते में समय-भमय पर बृद्धि होती रही है क्योंकि जीवन निवाहि के सूचनाकांक में इस नियिचत बृद्धि होने के पश्चात बेतन या महगाई भत्ता बढ़ाना ही पड़ता है इसमें भी सरकारी खर्च बढ़ता है जिसे पूरा करने के लिए हीनार्थं प्रबन्ध करना जहरी हो जाता है। इससे बेतन प्रेरित मुद्रा प्रसार नीं स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(4) मूल्य बृद्धि के कारण उत्पादन नागता में बृद्धि होती है। भारत में भी उत्पादन लागत बढ़ाने से मूल्य बढ़ते हैं और लागत प्रेरित बृद्धि मुद्रा प्रसार उत्पन्न हुआ है।

(5) एप्यो की श्रय शक्ति में उत्तरोन्तर कमी होने से उपर्युक्त मूल्य की स्थिरता वी समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसी कारण 1966 में एप्यो वा अवमूल्यन करना पड़ा था, और अवमूल्यन के पश्चात विदेशी बाजार में आशातीत बृद्धि नहीं हुई है। पुनर एप्यो के मूल्य वा पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता हो जाती है।

(6) सुरक्षा पर भारी मात्रा में व्यय चालू रखना अनिवार्य हो गया है क्योंकि विदेशी अवैमणों का भय दूर नहीं हुआ है।

ऐसा लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था 'हीनार्थं प्रबन्ध एवं मूल्यबृद्धि' के 'द्विप्रित चक्र' में पम गई है। मूल्यबृद्धि वे इस द्विप्रित चक्र को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा एक और मूल्य नियन्त्रण के विभिन्न प्रभावशाली उपाय काम में लिए जा रहे हैं तो दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि आगे आने वाली विभाग की योजनाओं में हीनार्थं को कुछ समय के लिए त्याग दिया जाए या उसकी न्यूनतम राशि रखी जाए एवं उस पर इड रहा जाए और उपयोग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में बृद्धि को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

राजकोषीय नीति तथा आर्थिक गतिविधियां

राजकोषीय नीति वा आपद सरकार के बय, वरों और इस सर्वेषी विद्यालयों के हैं। धार्मिक शास्त्रिय और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए महन्तपूर्ण नीतियों के द्वारा में यह नीति आमुनिव युग में अधिकाधिक प्रयोग में लाई जान लगी है। इन नीतियों की लोकप्रियता देवल समाजवादी देशों में ही नहीं अपिनु पूजीवादी देशों में भी असंदिग्ध है। चुदोनरकाल में अन्याधिक मुद्रा प्रभार ने और नीति वा महान् नदी ने इन चहुत प्रोत्साहन दिया है। वर्तमान युग में सरकारी बजट अर्थव्यवस्था के द्वारा अपने बय वा एवं बड़ा प्रतिशत होता है जब तो क्रियतात्मक पूर्व यह बेतान निम्न प्रतिशत भाग हुआ चलता था। आजकल राजकोषीय नीति पूर्व वीक्षण अधिक प्रभावशाली बन गई है।

राजकोषीय नीति का अर्थ

राजकोषीय नीति वा सरकारी वर तथा बय नीति के निष्ठारण में है। आजकल प्रत्येक देश की सरकार की इसनीति ग्राजकोषीय नीति वा एवं महत्वपूर्ण अपने बन गई है। जो देश विद्यान के लिए उद्यत हैं उन्हें वित्त की सूखी इन साधनों से नहीं पड़ती है। ऐसे देशों में प्रति अपत्ति आप बम होते, यद्युप आप की बनी तथा पूजीसंघर्ष के अभाव के कारण देवल बचायेपन द्वारा ही जाँचित होने की पूर्व नहीं की जा सकती। फलस्वरूप वर, इस तथा घाटे की दित्त अवन्या द्वारा वित्त की पूर्ण की जा सकती है।

सरकार समय-नमय पर अनेक प्रवार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर लकारी है तथा उनमें प्राप्त धन को अनेक मदों पर बय परती है। इनमें निजी उद्योगों वा नगरपालिकाओं की दिवे जाने वाले बहुदान भी सम्मिलित होते हैं। सरकार अपनी वर नीति के द्वारा यह निष्ठारण करनी है जिसके लिए नोडों से इन्होंनी वर शक्ति प्राप्त की जाए तथा कैसे प्राप्त की जाए? राज्य की बय नीति में भी देनिमय सम्मिलित होते हैं जिनका मपूर्ण अर्थव्यवस्था में आप तथा बय के प्रवाह

पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कृष्णनीति का सबध भी लोगों के ब्याज का मुगवान करने, कृष्ण चुराने की अवधि पूरी होने पर उनका भुगवान करने तथा भिन्न कृष्णों को बानार म चालू करने से सबधित निर्णयों से है। सद्योप म, यह कहा जा सकता है कि राजकोपीय नीति का सबध भौलिक रूप म अर्थव्यवस्था में आय को निजी अम तथा बचत के खोने से हटाकर सरकार की ओर माड़ा है।

राजकोपीय नीति के उद्देश्य

प्राचीन समय से ही राजकोपीय नीति में कर का उद्देश्य आय प्राप्त करना तथा व्यवस्था उद्देश्य दश की मुरला तथा बानरिक शाति बनाए रखना था। वैसे तो राजकोपीय नीति के उद्देश्य किसी देश की अधिक परिस्थितियों के प्रारूप पर निम्र बरते हैं परन्तु आजकल नियागत वित्त निदान के अनुसार इनके उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करना। देश म आर्थिक विकास को सभव बनाना, आय का न्यायोनित वितरण करना आदि है। वर्तमान बजट अर्थव्यवस्था म स्थिरता और पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने का एक मुहूर लक्ष्य है तथा विश्व के भिन्नी देशों में बजट द्वारा इन अवस्थाएँ को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ म सरकारी बजट कुल आय तथा व्यय का एक छोटा भाग हुआ करता था। राजकोपीय नीति का अर्थव्यवस्था म, आर्थिक नियाओं का नियमन करने में कोई विशेष प्रभाव नहीं था। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी बजट का अर्थव्यवस्था में कुल आगम तथा रोजगार के नियर्तिन में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

राजकोपीय नीति के अग

राजकोपीय नीति के विभिन्न अग इस प्रकार हैं

कर-नीति - सरकार द्वारा आरोपित करो वा समाज के विभिन्न वर्गों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। करों की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी से उपभोग, उत्पादन व्यवस्था विनियोग म भी कमी अथवा वृद्धि होती रहती है। इमाना बारण यह है कि जनता की पहले से अधिक अथवा कम आय सरकार को देनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप अन्य भागी मदों पर कमी करना आवश्यक होता है। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले ऊचे करा वा औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है जिसमें रोजगार की मात्रा में भी कमी की समावना होती है। बस्तुआ वो कीप्रतों म वृद्धि होने से नियान पर भी प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप देश की मूद्दा की विनियम दर गिरने लगती है और आर्थिक विकास के अवहंद होने की स्थिति आ जाती है। इसका कारण यह है कि अधिक आय वाला की आय का अधिकांश भाग बर के स्व

में चला जाता है और उन्हें पुरानी ओशोगिव द्वाइयों के विरासत तथा नवीन द्वाइयों को स्थापित करने की प्रेरणा नहीं मिलती। वर्गों की मात्रा कम करने में लोगों की यत्यजक्ति में बृद्धि होती है। उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाने वा उत्तमाह बढ़ाना है तथा बचत और विनियोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अत एक प्रजतानिक विकासशील अर्थव्यवस्था में वर्गों को दर सुनिश्चित रखनी चाहिए तथा अर्थव्यवस्था का विरासत मनुष्यित तथा नीमित रूप में होगा। नमाजवादी तथा अनियत्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ माम प्रति वास्तविक निधीरण में विशेष महत्व नहीं होता तब नीति जन चलापन की दृष्टि से निर्णीति त होतर मुख्यतः शामददल की मावनाओं को मनुष्य करने के लिए निर्णायित होती है।

विगत वर्षों में दरनीति में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। अर्थव्यवस्था कर्गों की बमूली कठिन हो गई है और दर अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और पश्चात् रक्खा गया है। चिकित्सा के अनेक देशों की दर अर्थव्यवस्था इस रोग से पीड़ित है। दर बमूली भी जननमान में कम होने से नए कर नगाना लावधार हो जाता है तथा पुनर्नेत्रों की दरों में परिवर्तन करना पड़ता है जिसमें अर्थव्यवस्था के विरासत की उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। अक्षय यह देखा जाता है कि नमाजवादी अर्थव्यवस्था में कर नीति 'एक में छोटा दूसरे को देने' की होती है जिनु ब्रह्मकर यह देखा गया है कि उद्योगपति मूल्य प्रणाली को इन प्रकार समायोजित करते हैं कि दर का अधिकार भार उगमोक्ताओं पर लाल देते हैं। इसमें निम्न तथा मध्यमवर्गों की आयिक्षण्यित विगड़ती जाती है। अत मनुष्यित वार्तावान विकास के लिए करनीति लोकदार एवं व्यावहारित होनी चाहिए तथा उसका सचानन मुन्द्रित्यित रूप में तथा उन्नापूर्वक लिया जाना चाहिए, जिसमें कि उद्देश्यों की पूर्वता की जा सके।

अपनी नीति : नरकारी अपने जदों आय की तुलना में अधिक निश्चित होती है। प्रजातानिक देशों में नरकार अपनी आय को इन प्रकार अपनी दरती है जिसमें लोगों की अधिकतम सनुष्ठि प्राप्त हो तथा आयिक्षण्यित विकास तथा आय के अधिकतम स्रोत निर्मित हो सके। अपने वर्गों की अर्थव्यवस्था की तरह, सरकार तथा मुख्यवस्थित बनानी चाहिए। ऐसा नहीं करने से निश्चित राजित देवत कनुचित श्वेतों एवं अवालित हाथों में चरी जाती है वन्नि अपने दर की ही परिणाम भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार करोड़ रुपये अपने वर्गों पर भी देश में रोजगार, उत्पादन अथवा यानायान अवस्थाओं में कोई गुणार्थ के संरेख नहीं दीटते।

वभी-नभी नरकारी अपने आय में अधिक हो जाता है। यह न को अव्यवस्था पा चिन्ह होता है और न दोषपूर्ण नीति पा चोकून। जो देश विकासनीति अर्थव्यवस्था में होते हैं उनमें तो पाटे के बजट बनाने की परपरा पाटे जाती है। धाटे की अवस्था दो तरह ने की जाती है। प्रदेश, नोट नियंत्रण वर्जन और डिग्रीन, अन्न प्राप्त करते। ये दोनों नीतियां एक दूसरे की विरोधी हैं तथा उनके परिणाम भी आप विपरीत ही निकलते हैं।

उपरोक्त घाटे को वित्त व्यवस्था की दोनों रीतियों में नोट निर्गमन द्वारा घाटे की पूर्ति करने की रीति प्रायः मुद्रा शमार की अवस्था को उन्नत करती है क्योंकि सरकार इस घन से सामाजिक बल्यापक्षार्थी (दहुमुखी योजना रेल, मडक, नहरें आदि) को सपादित बरती है जिनका प्रतिष्ठन तत्वान नहीं किनका दक्षिणी दीर्घकाल में मिलता है। अत अधिक मुद्रा के चलन कि माध्यमाय उत्पादन में नान्कालिक वृद्धि नहीं होती। फरम्बहप चलन इष्टीति की गति और अधिक दट जानी है। सरकार का व्यय यदि ऐसे उद्योगों के प्रोत्ताहन के लिए हुआ हो जिनमें तन्त्रान पर भित्ते की समावना हो अर्थात् जीध्र लाभ पड़नाने वाले हों तो स्फीति दुरी नहीं होती। इमरा कारण यह है कि मुद्रा की वृद्धि की पूर्ति उत्पादन वृद्धि में ही हो जानी है। इन वालों ने यह स्पष्ट है कि घाटे की अर्थव्यवस्था अपनते समय यदि इस बात का ध्यान में रखा जाए कि उम रागि का विनियोजन केवल दीर्घकालीन लाभ देने वाले खेतों में ही नहीं हो रहा है तो कीमतों में स्थायित्व बनाए रखा जा सकता है। इन दृष्टि से कुन रागि का दीर्घकालीन तथा अन्पकालीन उद्योग में सनुकित विनियोग करना आवश्यक है।

बजट के घाट की पूर्ति के लिए छूट लेने का क्षम उठाया जाता है तो इसने व्यापारिक वैर्तन के निषेध कर दी होते लगते हैं। इसमें उनकी मात्र निर्माण की शक्ति घट जानी है। जल यह किया मौद्रिक अधिकारिया के मद्योग में ही पूर्ण की जानी चाहिए। सरकार द्वारा लिए जाने वाले छूटों पर प्रायः व्याप्र दर कुछ अधिक दी जानी है ताकि छूटों की पूर्ति मरम्भना से हो सके। मन्त्रारी प्रतिभूतिया बहुत तरत सपत्ति नहीं होती क्योंकि उनकी कीमतों में उच्चावचन होते ही रहते हैं। अनः वैर्तन के लिए आर्थिक भी बस्तु नहीं होती है। सरकार को मुद्रा बाजार में धन की गियति को देखते हुए ही छूट लेने चाहिए। सरकार द्वारा लिए गए छूट मुद्रा तथा साध की स्फीति को कम करने के लिए अत्यन्त ही उपयोगी हैं इसलिए इनके माध्यम से बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सकता है।

राजकोपीय नीति तथा आर्थिक स्थिरता

आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए राजकोपीय नीति का जो स्वरूप अपनाया जाता है उम प्रतिक्रीय राजकोपीय नीति कहते हैं। राज्य अपनी आव में अधिक व्यय करके अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार तथा आर्थिक क्रियाओं के विस्तार करने में सहायता मिल हो सकता है तथा व्यय में कमी करके तथा वरों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय, तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर में गिरावट कर सकता है। इस प्रकार राज्य अपनी बजट नीति द्वारा अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण करता है। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए यदि राजकोपीय नीति को एक मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाना है तो राज्य द्वारा अपने बजट के धाप्तार तथा समय का नियमन

करना अनिवार्य है। मनेप में आधिक स्थिरता के लिए बजट नीति तभी सफल हो सकती है, जब तक राज्य को यह ध्यान रखे कि किस समय अनन्ती आय की तुलना म अधिक आय तथा विम समय अपनी आय की तुलना म इस व्यय करना चाहिए। परंतु मुद्रा प्रमाण की अवस्था में राज्य घाट के बजट नीति अपनाकर आय की तुलना म अधिक आय करने लग जाए तो राज्यशोधीय नीति आधिक स्थिरता के लिए हातिकारक निष्ठ हो सकती है, क्योंकि मुद्रा प्रमाण की दशा म व्यय को बढ़ाने की समस्या नहीं बनती अधिक व्यय को कम करने की समस्या होती है। राज्य इस स्थिति का नियमन बेशी के बजट बनाकर तथा व्यया म भारी कमी करके तथा वर्ष में वृद्धि करके अपनी आय को बढ़ाता है। वर्ता की वृद्धि का परिणाम होगा कि लोगों की उपयोग आय म कमी होगी, इसमें उनकी व्यय करने की शक्ति कम हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था मनुष्यिति स्थिति की ओर अपग्रेड होगी। इसके विपरीत मर्दीवान में बेशी के बजट बनाने अर्थव्यवस्था म मर्दी का रोग और अधिक बढ़ने लगेगा तथा राज्यशोधीय नीति आधिक स्थिरता को प्राप्त न करने वर्तमान आधिक अस्थिरता को ओर अधिक उत्पन्न करना देगी। परन्तु यह नीति मुद्रा प्रमाण की अवस्था में उपयुक्त साधन का बाम दे सकती है।

मर्दीवान को अपनी वर्तमान बजट सतुलन की नीति के व्यान पर बजट को व्यापार चक्र की नमस्त्र जब्धि में मनुष्यित रखने का प्रयान करना चाहिए, ताकि आधिक स्थिरता की खट्ज प्राप्ति हो सके। इस नीति के अनुगार राज्य को अप्पिक आधिक समृद्धि तथा अनि पूर्ण गोजगार की अवधि में बेशी बजट तथा बेरोजगारी और मर्दी की अवस्था में घाटा बजट प्रस्तुत करने चाहिए विम में आधिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सके। इसका तात्पर्य यही है कि व्यापार चक्र की अवधि में अधिकांश समय म अनुष्यित बजट रखना चाहिए। पूर्ण गोजगार की स्थिति में ही मनुष्यित बजट उचित होता है।

स्फोति विरोधी राजकोपीय नीति

अर्थव्यवस्था म नीति की रोकवाम के लिए तथा आधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए राज्यशोधीय नीति का महत्वपूर्ण स्पान होता है। नीति को रोकने के लिए राजकोपीय नीति का निष्पत्तिका तीन प्रकार में उपयोग किया जाना है

(1) सार्वजनिक व्यय

जब बहु मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही हो तो मोटिक नीति (नान्द नियन लादि) के माध्यम विहृत रूप में राजकोपीय नीति का प्रयोग भी किया जाता है। सर्वप्रथम तो मर्दीवान को अपने प्रशासन व्यय के प्रत्येक मद में यथामध्य वित्त अवस्था नहीं चाहिए। जहाँ तक हो मधे कम महत्व दर्ती योजनाओं को स्थगित करके तथा मार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नई पूँजी के बल अनिवार्य

होने पर ही समाई जानी चाहिए। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही हो तो ऐसी स्थिति में उसे बद बर देना चाहिए। सरकारी व्यय में कमी बरने के साथ-गाथ यह भी आपश्यर है कि पुराने वरों में बृद्धि बरबे तथा बृद्ध नए बर लगार ममाज बे लोगों के हाथा से अतिरिक्त व्यय शांक्ष को धीन निया जाएँ इन सब व्याख्याहियों का उद्देश्य सरकारी व्यय में कमी बरना है, इसके भविष्य में मुद्रा का चलन कम होने रसीति की अवस्था समाप्त हो जाएगी।

परंतु सरकारी व्यय में कमी बरने की अपनी निश्चित सीमाएँ होती हैं। सब बाल की स्थिति में विशेषज्ञ युद्ध के समय तथा अतराधीय राजनीतिक स्थिति के कारण यह गम्भीर नहीं होता कि सरकारी व्यय में कमी की जा सके।

(2) कर

वरों की बृद्धि गे रसीति को रोका जा सकता है। वरों की बृद्धि के प्रमुख दो उद्देश्य होते चाहिए प्रथम, कर इग प्रवार लगार जाने चाहिए, जिसम अर्थव्यवस्था के सापूर्ण उपभोग-व्यय को कम रिया जा सके तथा दूसर, निवेश व्यय में भी बृद्धि नहीं होनी चाहिए, यदोंकि इग अवस्था में साधना की कमी होती है। गाय ही मौद्रिक निवेश में बृद्धि होने के लिए बास्तविक नियम में कोई बृद्धि नहीं होती। रसीति बाल में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हाल में कम्तुओं की पूर्ति में और अधिक बृद्धि बरना कठिन हो जाता है तदा मूरदों को स्थिर रखन का एरमान उपाय बस्तुओं, विशेषज्ञ उपभोग बस्तुओं की मांग को सीमित रखना है। किंतु इसके लिए यह अवश्यक है कि लोगों की आय इतनी कम हो जाए कि वे कुल उपभोग पर बेवल इतना मौद्रिक व्यय बरे नियम से कुल माल एवं पूर्ति में सतुलन स्थापित हो जाए। आय बर में इग प्रवार बृद्धि की जाए जिसमें निम्न तथा सम्बन्धित हो जाए। अतः बेवल सरकारी व्यय में वरों की मौद्रिक आय में बृद्धि हो जाती है। अतः बेवल सरकारी व्यय में वरों की तथा वरों में बृद्धि बरबे इस ममस्था का गणाधान नहीं रिया जा सकता। वरों में बृद्धि बरने से जनता द्वारा विरोध रिया जाता है। इग कारण सरकार वरों में अधिक बृद्धि नहीं बर गती है। प्रजातात्प्रिय गानन व्यवस्था में इग प्रवार की वरों की बृद्धि से लगार जनता का विश्वास यों बढ़ती है। अतः ऐस देशों में वरों की बृद्धि रियों निश्चित सीमा में ही की जानी चाहिए। यदि ग्रामान्य परों में यूद्ध भी की जाती है तो इसके अपवचन की रियाएँ बढ़ने लगती हैं।

(3) ऋण

आजवल ग्राम को राजकीयीय नीति या एक अग माना जाने लगा है। रसीति बाल में लोगों की मौद्रिक आय में बृद्धि हो जाती है। अतः बेवल सरकारी व्यय में वरों की तथा वरों में बृद्धि बरबे इस ममस्था का गणाधान नहीं रिया जा सकता। वरों में बृद्धि बरने से जनता द्वारा विरोध रिया जाता है। इग कारण सरकार वरों में अधिक बृद्धि नहीं बर गती है। प्रजातात्प्रिय गानन व्यवस्था में इग प्रवार की वरों की बृद्धि से लगार जनता का विश्वास यों बढ़ती है। अतः ऐस देशों में वरों की बृद्धि रियों निश्चित सीमा में ही की जानी चाहिए। यदि ग्रामान्य परों में यूद्ध भी की जाती है तो इसके अपवचन की रियाएँ बढ़ने लगती हैं।

उपरोक्त वानों को दृष्टिगत रखने हुए सरकार को जनता के पास "मेरी अनिरिक्त धनराशि योजने के लिए एक व्यवस्थित ऋणयोजना चालू करनी चाहिए। सरकार की यह ऋणयोजना स्फीति निवारक मिठ छोगी। विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएँ निर्गमित किए जाते हैं जिन पर उचित व्याज के अनिरिक्त इनाम की व्यवस्था भी की जा सकती है। यामुहिर बचत अभियान चलाए जा सकते हैं जिसमें लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्ताहित किया जा सकता है। अनिवार्य बचत योजना को लागू करके भी गशीर स्फीति की जबवस्था पर भियतण किया जा सकता है। इसन्देश भारत तथा विश्व के अन्य देशों में पुरुन्वार बचत वाड योजना स्फीति को रोकने के लिए लागू की गई है। भारत में यह योजना जो 1960 में लागू की गई थी, अफत नहीं हो सकी। बेचत इनका ही नहीं, प्रव्याजि पुरुन्वार वाड योजना जो 1960 हैं में लागू की गई थी, पूर्ण मपन नहीं हो सकी।

मदी काल में राजकोपोय नीति

मदी अयगा अवमाद की स्थिति में देश की समूर्ज अर्थव्यवस्था की स्थिति अन्यत दमनीय हो जाती है। आर्थिक क्रियाए प्राप्त मुक्तावस्था में हो जाती है तथा विनियोजन की वृत्ति समाप्त हो जाती है। जनता के पास क्रय-शक्ति की अत्यन्त ही कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ना बरों में छूट देने का क्रम जारी हो जाता है तथा अनिरिक्त मुद्रा निर्गमित करके आय की वसी की पूर्ति की जा सकती है।

गदी का प्रभाव अम बरों के लिए सरकार रोजगार के अनेक नवीन सोन आरम बर मक्ती है। उदाहरणार्थ, सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय बरके अर्थव्यवस्था में गमस्त माग के स्तर को बढ़ाती है, जिसने अर्थव्यवस्था पूर्ण रोकयार की परिस्थिति में बचत तथा निवेश में सतुलन प्राप्त कर मके। सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करने से एक नाम यह होगा कि अर्थव्यवस्था में नमस्त व्यय से अरमित व्यय के गुणवत्त्व वृद्धि हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था चैतन्य की ओर गतिशील हो जाती है। सरकार नियों क्षेत्र में भी निवेश की मात्रा में वृद्धि बरके और रोजगार तथा आय में वृद्धि बरके उपभोग में भी वृद्धि कर मक्ती है। इस प्रकार के निवेश वृद्धि प्रभाव संबंधी होने तथा अर्थव्यवस्था में मदी का रोग जीवानिशील दूर हो जाएगा। यह करों में छूट देकर भी किया जा सकता है। निगम बर, परिमपति बर, आय बर, लाभाश बर इत्यादि में कमी बरके निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को नए उद्योगों का निर्माण तथा पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए प्रोत्ताहित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लिए गए पुराने ऋणों का अवधि से पूर्व भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा बरने में लोगों की जाय में वृद्धि होगी जिसमें उनके उपयोग व्यय में कुछ वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार में भी वृद्धि हो सकेगी।

अल्पविकसित देश तथा राजकोपीय नीति

इसी देश में आधिक विकास करने के लिए लोगों तथा उनकी सरकारों के पास अनेक उपाय हैं, परंतु उनमें से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय सरकार की राजकोपीय नीति है। विकासशील देशों में उनकी पूजी निर्माण की समस्या का समाधान करने भ राज्यवित्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी देश में पूजी-निर्माण या पूजी-सचय करने में आजकल सरकार की भी बाधी जिम्मेदारी है। यह काय लोगों की बचत करने तथा खच करने की प्रवृत्तिया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें राजकोपीय नीति का मुख्य काम यह है कि वास्तविक आय में जो बढ़ि हो उसका अधिक भाग बचा लिया जाए और यथासभव कम से कम भाग तत्त्वालीन उपयोग बढ़ाने में लगाया जाए। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि सरकार राजकोपीय नीति द्वारा, अर्थात् कर लगाकर या कण लकर या अपने घर्चं को समुचित मात्रा में घटा कर या बढ़ा कर ऐसा करे कि देश में बचत बढ़े और उपभोग पर व्यय कम हो।

सक्षेप में विकासशील देश में राजकोपीय नीति का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विया जाता है-

- (1) आधिक विकास के लिए आवश्यक विनीय साधन जुटाना
- (2) आतंरिक तथा विदेशी प्रभाव से मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नियन्त्रित करना,
- (3) उपभोग को नियन्त्रित करना, जिससे आधिक साधन उपभोग से हटा कर विनियोग में प्रवाहित किए जा सकें,
- (4) बचत तथा विनियोग को बढ़ाने के उपाय करना
- (5) आधिक साधनों को जनता से लेकर सरकार को हस्तातरित करना, जिससे सार्वजनिक विनियोगों को प्रोत्साहन मिले,
- (6) विनियोग के टाने को समुचित रूप से परिवर्तित करना,
- (7) आधिक विप्रतीक्षा को कम करना।

सीमात बचत प्रवृत्ति आधिक विकास पर एक अत्यावश्यक तथा आधारभूत निर्धारित तत्त्व है। परंतु अधिकतर यह देखा गया है कि उन्नत देशों की देखावें अल्पविकसित देशों के लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जिससे उनकी बचत परन्तु भी शक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार उनमें रोजगार बढ़ाने में यह एक झकावट बन जाती है। अब राजकोपीय नीति से इस झकावट को दूर करना है। इसका एक उपाय तो यह है कि कर लगाकर लोगों का उपभोग व्यय कम कर दिया जाए। इस प्रकार मानो उन्हें अनिवार्यतः घर्चं कम करना पड़ता और बचत बढ़ जाती। अर्थशास्त्र में आरोपित बचत का प्रयोग इसी अर्थ में होता है।

नवरात्रि कर नगाहर सोगों को दबत रखने पर विषय बढ़ती है। उन्हें द्वारा बराई गई मदहूरी दबत नीति के बारण होने वाली दबत में थेह है, क्योंकि मुद्रास्मीति जो एक नीता वाले बाद सोगों पर एक ऐसा प्रभाव डारती है कि दबत बरने वो शक्ति भाव मुमाल्त हो जाती है। लोग अपनी नीतित पूढ़ी और उन्होंने भरते लग जाते हैं। नीति के आरण है जारीकरता दबत अद्यतनश्च के उत्पादन के टाचे वो विहृत या खायब बर देती है। इसने दिलास रहायों के उत्पादन बरन वाले उद्योगों को प्रोत्त्वात्त हितता है क्योंकि नीति जल में जाव गयीदों में हाथ में निवाहर धनवानों व पास जाती जाती है। इसलिए ऐसी जबन्ता में दबत पिजून खड़ों का रूप धारण कर लेती है।

उरों द्वारा दबत करने के सबब्त में यह बास्ति उत्तर जाती है कि तब लोग न्यय बढ़ाव नहीं लेंगे और चरायेपछ के जारण लोग शायद अपनी दबतें कर दें परन्तु इसका बोई भय नहीं होता चाहिए कि सरबार द्वारा वो यह अनिवार्य लालू-हित दबते के कारण सोगों द्वारा जो जाने वाली अतिशय उत्तराधित दबते नहीं हो जाएगी। अक्सर यह देखा जाय है कि लोग कर भी देते रहते हैं और दबत भी करते रहते हैं। किन्तु दबत को प्रोत्त्वात्त देने के लिए यह जाकर्ता है कि चर आप पर नहीं बरन खर्च पर लगाए जान चाहिए। लोगों के स्वर्वं पर उत्पादन कर सुधा अन्य परोक्ष बर सो पहुंच भी नहीं होते हैं। अत नीति उत्पन्न पर एक व्यापक बर लगाया जाए। इस प्रकार बोई अद्यति अपनी आप का जो भाग दबत कर से, उस पर आप कर में छट दी जा सकती है, ऐसा ही अपर्णन आन बर लगाते समय जीवनवीमा तिल पर छूट दी जाती है। यदि वहों द्वारा दबत न जानी हो तो अपर्ण बजे या आरोपित दृष्टि भी लिए जा सकते हैं। ये भी अनिवार्य दबत वी तरह ही होते हैं।

उत्तरोक्त उद्देश्यों जो प्राप्ति के लिए राजकोपीय रहायों का संक्षिप्त प्रयोग होता चाहिए। त्रिपात्र वित्त के भिन्नात दे दबतें मार्केटिंग आप और व्यव वी नीतियों का स्वरूप कियाज्ञन जीता चाहिए। लोक चमत्कार उद्देश्य वेदन प्रशंसन लाभ प्राप्त करता ही न हो बल्कि इसके उत्पादन, आप तथा रोजगार पर पहले दाने प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाए। जाकर्ता पठने पर भाँड़ के बदल बनता भी उत्तित होगा, इसी प्रकार बरायोप्य वा उद्देश्य केंद्र आप प्राप्त जरना ही न हो अपितु प्रभावपूर्ण माम को नियन्त्रित करना भी होता चाहिए।

राजकोपीय नीति एवं पूर्ण रोजगार

आपुनिव दुर्ग में प्रत्येक चरकार वी जापिक तुका नांदिन नीतियों वा उद्देश्यपूर्ण रोजगार प्राप्त जरना होता है। इन नीतियों के बदतें विभिन्न नीतियों द्वारा पूर्ण रोजगार वी प्राप्त जरने वा प्रभाव किया जाता है। इन नीतियों की विवेचना पूर्ण

रोजगार एवं राजस्व के प्रतिष्ठ नवध को स्पष्ट करती है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति पूर्ण रोजगार की प्राप्त करने में बेवज्ञ अपन्यक्ष रूप में कार्य करती है। राजनीति एवं पूर्ण रोजगार की पारम्परिक निमंत्रिता के नवध में पहले हम प्राचीन मत का व्यवधान करें।

भोक्तिका प्राचीन मत तथा पूर्ण रोजगार

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रिया का मत या कि न्वतत्र प्रगानी में पूर्ति स्वयं मात्र उत्पन्न कर सकती है। जै० क्षौ० से के बाजार सिद्धान्त की मान्यता यह है कि 'पूर्ति' अपने निए मात्र की स्वयं सृष्टि करनी है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। यदि विनी नवध पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती तो यह समझना चाहिए कि उन्याद्दन व्यवस्था में मरकार का परोक्ष हस्तक्षेप होता है। न्वतत्र नीति में विश्वास करने वाले इन अर्थशास्त्रियों ने मतानुसार वेरोजगारी स्वयं धर्मिक की अपनी इच्छा में होनी है। उन्होंने धर्मिकों को दोषी ठहराने हुए कहा कि वेरोजगारी इमनिए भी होनी है यि के व्यधिक मजदूरी चाहते हैं। इस प्रकार यदि किमी देश में वेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसना कारण या तो सरकारी हस्तक्षेप ही मतता है या यम संगठन। यदि ऐसा नहीं होता तो पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। इस प्राचीन विचारधारा के अनुसार सरकार के प्रभाव द्वारा निमी भी प्रकार में मरकार उत्पन्न नहीं हो सकती और न ही रोजगार बढ़ाया जा सकता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार राज्य को जपना बजट सनुनित रखना चाहिए। इन व्यक्तियों की यह मान्यता है कि समाज में एक व्यक्ति की वचत दूसरे व्यक्ति द्वारा विनियोजित कर दी जाती है। निजी विनियोग न्वय ही पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में महायज्ञ होते हैं, अत निजी विनियोग के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होनी।

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का रोजगार मिदात अनेक मान्यताओं तथा भास्त्र धारणाओं पर आधारित है। उनकी यह मान्यता कि निजी विनियोग स्वयं पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करने हैं तथा राज्य का हस्तक्षेप उसे मिटाड़ देना है, असत्य मिछ हो चुका है। वर्तमान युग में कोई सिद्धान्त न्वतत्र अर्थत या पूर्णतया पूजीवादी व्यवस्था को आधार मानकर नहीं दिनाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बालों में सभी देशों में सरकार का हस्तक्षेप दृढ़ा है जिसमें स्थिति में विचार की अपेक्षा सुधार हुआ है। अत रोजगार के प्रतिष्ठित मिदात से स्वीकार करना विश्वास एवं गतिशीलताकी अवहेलना करनी होगी। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के इस मिदात की हृदयादी मिदात या दड मिदात वहा जाता है।

आधुनिक मत

पूर्ण रोडगार का आयुक्ति विचार 1930 की विश्वव्यापी मंडी के बाद प्रकाश में आया, जीन्स, जो अब तक प्राचीन विचारधारा का समर्थक था, अब उनकी चट्ठी जालोचना करने लगा। मन् 1930 के महामंडी नाम ने यह निष्ठ तर दिना कि प्रणिष्ठित मिदात मौति अप में बित्तना ही आवश्यक नगा परनु व्यावहारिकता की बस्ती पर चर्चा नहीं इन्हन। जीन्स ना बहना था कि 'प्रणिष्ठित मिदात' जा अनुभवों तथा अप्पों पर प्रयोग उठाना आवश्यक एवं उन्धर्दारी है। उसके विचार ने आयुक्ति नमय में यह बहना समझ नहीं कि जो कुछ हम उपभोग नहीं कर पाते उम्हा उपभोग व्यापारी कर्म बिनियोग के अप में तर नेता है। वास्तव में मन्य भी यह है कि यदि हम उपभोग नहीं बर्खे तो व्यापारी बिनियोग के लिए बहना नहीं होंगे। अब यह स्वीकार दिया जाने लगा है कि बिनियोग और उपभोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। उपभोग के बहाव में बिनियोग नहीं होंगे। दोनों एक माप पट्टे या एक नाप बटते हैं। यदि किसी ममय सार्वजनिक व्यवहार नपूर्ण उपयोग उन्हाँ-दृष्टि माध्यमों दो प्रयोग में जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनीति व्यवहार करने सहित व्यवहार ने निषिद्ध अपने बृहि तर नहीं है। यही वारप है कि आज गतुनित दृष्टि के मिदात को माध्यम प्राप्त नहीं है।

जीन्स ने नवीत दिया है कि पूर्ण रोडगार को प्राप्त करने के लिए दृष्टि में कमी करनी चाहिए तथा सार्वजनिक व्यवहार के द्वारा प्रभावपूर्ण जाग जो बहाव चाहिए। जीन्स के मतानुसार पूर्जीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोग की अंतर्क्षा दृष्टि के दृष्टि की प्रवृत्ति अधिक पार्द जाती है जिनका परिपालन यह होता है कि लक्षित जाय के उत्पन्न होने के साथ उन बन्धुओं और नेवाजों की जाग नहीं दृष्टी, जिनका उन्धादन दिया गया है। इसलिए अर्थव्यवस्था में बोरोजगारी उन्हें होती है। जीन्स ने इसी कारण इन बात पर बहु दिया कि सार्वजनिक व्यवहार प्रभावपूर्ण जाग को प्रोत्तमाहित करना चाहिए। ऐसा करने के लिए यदि घाटे की दित व्यवस्था जा छी अनुसरप जिया जाए तो बनुचिन न होगा, क्योंकि इससे राष्ट्रीय जाय में बृद्धि होगी।

जीन्स के अनुमान पूर्ण रोडगार को प्राप्त करने के लिए उपभोग और बिनियोग दोनों को बहाव जहरी है। यिनीहोंने में बृद्धि उत्तरे के लिए सार्वजनिक व्यवहार की बृद्धि एक उपयोगी जन्म है। हेतुन जा बिम्बास या कि निजी श्रेष्ठ में बिनियोग की बृद्धि न 'मन्यान उन्नेशन' तथा अति अभावपूरक व्यवहार का उपयोग दिया जा नहीं है। मन्यान उत्तेजन वा उपयोग उत्तर समय दिया जाएगा जब विश्वी अर्थव्यवस्था औ दीव उत्तरे के लिए सरकार को एक मुख्य धनराशि व्यवहारी होगी। सम्यान उन्नेशन वा आधार यह पूर्ववन्धन होती है कि अन्याई नदीय व्यवहार ने जारीकर दिया जे स्वर जो छला उठाने को अस्याई प्रवृत्ति होगी। सनि पूरक व्यवहार का उपयोग निजी बिनियोगों की जमी दो पूर्ण करने के लिए दिया

जाएगा। सरकार को उम ममय तक व्यय करते रहना चाहिए जब तक निजी थेन्ड्र में विनियोग की कमी पूरी नहीं हो जाती। इस नीति को हस्तन ने 'विपरीत चक्रीय राजकोषीय नीति' का नाम दिया है। सार्वजनिक व्यय चाहे किसी प्रदार वा भी हो, वह गुणक प्रभावों द्वारा प्रभावपूर्ण माग में बढ़ि करता है इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने म उसका विशेष योगदान होता है।

सतुलित वजट की नीति

यदि हम सतुलित वजट की नीति को अपनाते हुए पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को आय का वितरण समान करने के प्रयत्न करने होंगे। सरकार को ऐसी नीति अपनानी होगी कि व्यक्ति चालू विनियोग की सुविधाओं की तुलना मे अधिक बचत बरने वा प्रयत्न करे। ऐसी स्थिति मे पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए तथा आय के वितरण को समान बरने के लिए सरकार को अनेक प्रयाम करन एडेंगे ताकि अर्थव्यवस्था एक सामान्य स्तर पर बनी रहे। इम सदमें म करारोपण का वर्णन अधिक पत्तियों म हिया गया है।

करारोपण का कार्यभार : करारोपण केवल आय के साधन जुटाने मे ही नहीं अपितु आय के पुनर्वितरण म भी महायक होता है। आर्थिक दृष्टि से बचतों को कम बरना पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। परन्तु पुनर्वितरण मवधी करारोपण की नीति बहुत सावधानी से व्यवहार मे लानी चाहिए। ताकि आय के पुनर्वितरण के प्रयाम विनियोग दी क्रियान्वयों को निरोक्षित न करें।

बीन्न वा विश्वास था कि प्रभावपूर्ण माग के कम होने का मूल कारण उपभोग की प्रवृत्ति का कम होना है, जिससे वेरोपियारी बढ़ती है। उपभोग की प्रवृत्ति की वसी को पूरा बरने के लिए पुनर्वितरणात्मक कर सहायक हो सकता है। धनी लोगों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए धनी व्यक्तियों पर कर का भार बढ़ाकर जो आय प्राप्त हो वह निर्धन दंगे वा स्थानात्मक कर देना चाहिए। ऐसा करने मे उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा प्रभावपूर्ण माग म बढ़ि होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होगी। पुरानी नियिक बचतों पर भी वर लगाया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे वर का उपयोग पुनर्वितरण द्वारा माग मे बढ़ि करने के लिए है।

पुनर्वितरणात्मक नरों को यदि मावधानीपूर्वक लगाया जाए तो पूजी वा सचय कम होने की अपेक्षा बढ़ सकता है। करारोपण इस प्रकार मे रिया जाय कि व्यापारियों के विनियोग बरने की अचि जम न हो। निजी विनियोगों दी प्रोत्साहित बरने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उन वस्तुओं के उपभोग की बनाया जाए जिनके उत्पादन म इम पूजी वा उपयोग दिया जा सके।

सार्वजनिक व्यव तथा पूर्ण रोजगार

पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने म नार्वजनिक व्यव का बहुत जधिक दोगदान माना गया है। उद्देश्य की दृष्टि से सार्वजनिक व्यव औ रीन विभागों में विभाजित विधा जा सकता है :

(1) उपभोग प्रबृत्ति को प्रोत्साहित करने वाला व्यव

उपभोग प्रबृत्ति में वृद्धि होने से प्रभावपूर्ण माम न वृद्धि होने की नमादना हो जानी है। उपभोग प्रबृत्ति को दो रीतियों से बढ़ाया जा सकता है। प्रथम वर्गों वी दूर घटावर तथा द्वितीय रम व्याप चासों को जारीकर उत्तराधिकार देकर। चरों के घटने से लोगों के पास पहल की अपेक्षा जधिक धन बचन नहीं है जिनको उपभोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसा करने से नियंत्रित विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार में वृद्धि होती है।

दूसरी रीति जगता पर कर लगावर सार्वजनिक व्यव में वृद्धि दरला है। यहा नरकारी व्यव में उतनी ही वृद्धि हो सकती है जिनमी परोंने। यहा बजट ज्ञानित रहता है। परनु इन पदक्रिय में यह लक्ष्य है कि सार्वजनिक व्यव वे बहुत जधिक बढ़ावा पड़ता है। ऐसा युद्धकानीन स्थिति में ही हो सकता है। आक्रमण में घाटे का बजट जधिक उपभोगी सिद्ध ही रहता है।

(2) निजी विनियोग को प्रभावित करने वाला व्यव

निजी विनियोगों की वृद्धि प्रभावपूर्ण माम में वृद्धि दरती है। फरम्बन्ध रोजगार का स्वर जड़ा होता है। नरकार डार निजी विनियोगों को प्रोत्साहन नियंत्रित रीतियों द्वारा निया जा सकता है :

(1) व्याज को दर को अपेक्षा जाम वो दर में वृद्धि,

(2) विभेदान्वयक व्यारोपण नीति द्वारा निजी विनियोगों को दर के मुक्त वर दिया जाए या वर का नार कम वर दिया जाए,

(3) नवीन उत्पादन प्रणाली या नई मशीनों के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए जिसने निजी विनियोगों को प्रोत्साहन मिले और माम में वृद्धि हो,

(4) नीमात उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाए। ऐसी सहायता उद्योग में नए हुए अभियन्त्रों के बनुपात ने हो, ताकि विधिक अभियन्त्रों आले छोटे औ नविक सहायता मिले और रोजगार में वृद्धि हो।

सार्वजनिक विनियोग

सार्वजनिक विनियोग द्वारा कुल विनियोग औ भाक्षा को बढ़ावा दाते हुए जिससे प्रभावपूर्ण माम में वृद्धि हो और रोजगार भूर जड़ा हो। परनु इन दात

का ध्यान रखा जाए कि मार्वजनिर विनियोग की दृढ़ि में निजी विनियोग में कमी न आए।

मार्वजनिर ऋण तथा पूर्ण रोजगार

यह कहा गया है कि रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रतिगामी उठों की अपेक्षा प्रगतिशील वर अधिक उपयुक्त है और माय ही ममी प्रगार की उठों की तुलना में ऋण अधिक उपयोगी मिल होते हैं। रोजगार के स्तर को ऊचा करने के लिए ऋण लेना नो उचित है परन्तु इसमें गभीर दोष यह है कि ऋण का भार बढ़ जाता है। मार्वजनिर ऋणों का लेना उभी समय लामडावर होता है जब वे निक्षिय कोयों से लिए जाए। यदि वर्तमान उपभोगों में या विनियोगों में बटौरी परो मार्वजनिर ऋण एक लिए जाएंगे तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति सदैहतमव रहेगी।

सार्वजनिर भुगतान की वापसी द्वारा भी प्रभाव पूर्ण मान में दृढ़ि की जा सकती है। परन्तु यह यह है कि भुगतान की राशि का प्रयोग उपभोग और विनियोग की दृढ़ि पर विद्या जाना चाहिए। देश के नियंत तथा मध्यमवर्ग को ऋणों की वापसी अवश्य करनो चाहिए ताकि उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले।

घाटे की वित्त व्यवस्था तथा पूर्ण रोजगार

लनंर वा विचार है कि पूर्ण रोजगार स्तर को प्राप्त करने के लिए सखार स्वयं असीमित साक्षा नोट छाप सकती है। कीन्तु ने भी इस रॉटि में घाटे की वित्त व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया है। परन्तु इस मवध में शतं यह है कि जैसे पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त हो जाए तो घाटे की वित्त व्यवस्था को त्याग दिया जाए अन्यथा मुद्रा स्फीति की दमाए उत्पन्न हो जाएगी।

अत मे हम वह सरते हैं कि विभिन्न राजक्रोपीय योगों की महायता में हम आदिर स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रोजगार का स्थिति अल्पवाल में प्राप्त नहीं हो सकती। इसको दीर्घकाल में उचित लोकवित्त व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किर भी यह नहीं भूतना चाहिए कि राजक्रोपीय साधनों में से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तथा रोजगार में निश्चित रूप से बुद्धि को जा सकती है। परन्तु साधन की रॉटि से एक आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस गीमा के उपरांत भी राजक्रोपीय नीति एक जल्तिशाली यत्र है। मीद्रिं एक राजक्रोपीय नीति की सहायता की सहायता से रोजगार के ऊचे स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन विवित राष्ट्रों में उत्पन्न हृदृष्ट वेरोजगारी के लिए उपयुक्त हो सकता है। अविवित देशों वी वेरोजगारी की गाया बुछ भिन्न है। अल्पविवित देश न्यून व्याप करते देश हैं। विवित देशों वी वेरोजगारी अपर्याप्त मान का मूल्य है जब इस अल्पविवित देशों की वेरोजगारी अपर्याप्त ममाधनों का का मूल्य है।

पर्याप्त स्रोतों को अनुपम्यति में अभ-उक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। इन निए इन देशों में मौजिह समस्या क्षम्य उत्पादकता जी होती है, न तिं बेगोद्धारणी जी। उपचार जी दृष्टि से इन देशों में पूजी निर्माण तथा उत्पादक रोजगार जी प्राप्त करने की ओर प्रयास करने चाहिए। इन दोनों उद्देशों जी प्राप्ति में वित्तना अनुदान बजट नीति का ही सबता है उनना मौजिह व्यव जी बढ़ि जा नहीं हो सकता।

राजकोषीय नीति की सीमाएं

आधिक विकास तथा स्थिरता की दृष्टि से, लेजी व नदी वात के प्रभावों जी उम करने की दृष्टि से सबता तथा विनियोग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जहा ग्रामकोषीय नीति का अपना महन्तपूर्ण स्थान है, वहा उसकी सीमाओं जी भी नहीं खुलासा जा सकता।

(1) अन्यविकसित देशों में सीमित उपयोग

अन्यविकसित देशों में चूंगा बजट राष्ट्रीय आय के घोड़े से भाग जा ही निर्माण करता है इसलिए वह उन्ना अधिक प्रभाव नहीं हान पाती जितना तिं विकसित देश में हान देती है। प्रथम उत्पादन को अधिक प्रभावण्याली नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अन्यविकसित देशों में व्यक्तियों की आय उम होने से दे प्रत्यक्ष कर के बगुच ने ही नहीं बातें। अन्यविकसित देशों में जर से प्राप्त जात राष्ट्रीय आय का बहुत छोटा भाग होती है जबकि विकसित देशों में इसके विपरीत होता है। उदाहरणार्थ भारत में इनका प्रतिशत 13-14 है, जबकि प्रशतिशत देशों में वह प्रतिशत 25-30 से जी अधिक है।

(2) विभिन्न क्षेत्रों का पारस्परिक सबध न होना

यह विशेषता मुख्यत अत्य विकसित देशों में ही दृष्टिकोण सबता होती है जहा ति विभिन्न क्षेत्र प्रायः घनिष्ठ हर से परन्पर सबधित नहीं होते। फरवर: राज-कोषीय नीति के अतर्भूत इसी तिए गए उपाय का प्रभाव समस्त क्षेत्र हर क्षेत्र नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए देश के इसी एक क्षेत्र में अवकाश परि स्थिति हो जबकि दूसरे क्षेत्र में सूख बृद्धि का तम चन रहा हो। ऐसी स्थिति में घाटे जी दित्त व्यवस्था द्वारा तब गति ने बृद्धि का लक्ष्य सम्बद्ध नदी में पोहित उद्देशों औ पुनर्जीवन प्रदान करने में नफर न होइर सामान्य सूख स्तर को ही बढ़ा दे।

(3) कार्यवाहियों के प्रबार तथा सुभव पर आधित होना

राजकोषीय नीति जितनी प्रभावशाली रिह देगी यह कार्यवाहियों के प्रबार, आकार तथा उसके समय पर निर्भर रहता है। राजकोषीय नीति के द्वारा अध्यवस्था में कितना परिवर्तन जा सबता है इस बात पर निर्भर करता है ति

अधिकारिया द्वारा मार्वंजनिक आय तथा व्यय में नितने परिवर्तन किए गए हैं तथा वे उपयुक्त समय पर भी इए गए हैं या नहीं। यदि वर-आय तथा व्यय में उचित आकार में परिवर्तन उपयुक्त समय में नहीं किए गए तो मफनना की ममाकनाएँ कम हो जाती हैं। बास्तव में इन कार्यवाहियों के लिए कौन सा समय उचित होगा, अधिकारियों वे लिए इमका पना लगाना कठिन होता है। इसके अनिवार्य राजनीतिक कारण से तथा प्रशासनिक कठिनाइयों से इन कार्यवाहियों के सञ्चालन करने में विलब हो जाता है। ऐसा विलब वहा अधिक होता है जहा विधानमंडल में खबरों तथा कारा के लगाने के लिए अनुमति लेनी पड़नी है। सार्वजनिक व्यय के गुणक प्रभाव में भी समय लगता है और यह हो सकता है कि उसका वापिस परिणाम काफी समय के बाद दृष्टिगोचर हो।

(4) करारोपण के लोच का प्रतिवधक प्रभाव

कभी कभी सरकार समाज में कुल व्यय का विस्तार करने के उद्देश्य से मरकारी व्यय में वृद्धि करती है। किन्तु ऐसा हो सकता है कि करारोपण के कारण उस खर्च का एक भाग सरकार के पास आ जाए। यदि ऐसा हुआ को मरकारी खर्च का प्रभाव न्यून हो जाएगा और जो स्फीतजनक प्रभाव है उस नीति से प्राप्त करना चाहते थे, वह प्रतिवधित हो जाए।

(5) भुगतान संतुलन में परिवर्तन

कभी कभी भुगतान संतुलन के परिवर्तन भी सरकारी खर्च के उद्देश्यों को प्रभावहीन कर देते हैं। सरकारी व्यय की वृद्धि से निर्पानों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तथा आयात सस्ते हो जाते हैं। साधारणत मरकारी व्यय देश की अर्थव्यवस्था में विनाश लाने के लिए निया जाता है। परन्तु आयातों के सस्ता हो जाने के कारण आयातों पर अधिक व्यय होते हैं और मरकारी व्यय के गुणक प्रभाव कम हो जाते हैं। परिणामत द्रव्य-आय में जिस वृद्धि की आशा की जाती थी वह आशा से कम हो जाती है।

(6) प्रयासों की पूर्ति पर निर्भरता

राजकोपीय नीति की मफनता मानवीय प्रयासों के अनुकूल दिशा में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। जब सरकार की करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय की नीति वा लोगों के कार्य की इच्छा पर बोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पहता तब राजकीय आय में आशानुमार वृद्धि होती है। साधारणतया ऐसा देखा जाता है कि आय में वृद्धि होने के कारण लोगों में प्रयास करने की इच्छा कम हो जाती है। अतः राजकोपीय नीति के पूर्व निर्यातित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते।

(7) आय के पुनर्विवरण पर निम्नरता

राजकोपीय नीति के अन्तर्गत वो यह क्रियाओं का प्रभाव उनके परिणाम-स्वरूप होने वाले आय के मुनः विवरण पर निम्नरता है। यदि आय होने वाली वृद्धि ना एह बढ़ा अग्र ऐसे लोगों के पास हम्मातरित हो जाता है तिन्हें दबाने की जादू होती है तो समाज की हुल भाग पर आग्ने से कम प्रभाव पहुँचा है और राजकोपीय नीति वासिष्ठ रूप से निष्कृत हो जाती है।

आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण

आय के वितरण की विचारधारा आधिक समस्या का बेबल पक्का भाग है। प्रजातन्त्र समाज में आय के समान वितरण की धारणा इस विश्वास पर आधारित होती है कि असमानता न्यायहीन होती है। इस विश्वास की धारणा ही राजनीतिक नीतियों में ऐसा परिवर्तन लाने की प्रेरणा उत्पन्न करती है जो असमानता घटाने में सहायता होते हैं। आय की असमानता को पूजीवाद का सबसे बुरा लक्षण माना जाता है। इसी लिए पूजीवादी समाज के स्थान पर समाजवादी और साम्प्रदादी समाज की अवस्था लाने पर बल दिया जाता है।

समाज में संपत्ति एवं आय के वितरण का विश्लेषण मुख्यतः दो आधारों पर चिन्ह जा सकता है।

(1) व्यक्तिगत वितरण का सिद्धात

व्यक्तिगत वितरण का सिद्धात व्यक्तियों द्वे मध्य आय के वितरण का अध्ययन करता है। इस सिद्धात के अतर्गत हम व्यक्तियों के बीच धन एवं आय के असमान वितरण के बारणों को मालूम बरना चाहते हैं। क्या बारण है कि 'अ' की मासिक आय 2000 रुपये है तथा 'ब' की बेबल 100 रुपये। समाज में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब क्यों हैं? यह ऐस प्रश्न है जिनका उत्तर इस सिद्धात की विषय सामग्री बनता है।

(2) क्रियात्मक वितरण का सिद्धात

क्रियागत वितरण का मिद्दात आय के उस वितरण का अध्ययन करता है जो उत्पत्ति के साधनों के स्वामियों में विनाशित चिन्ह जाता है। क्रियात्मक वितरण, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उभयं द्वाग सपन्न सेवायों के अनुमार कुछ उत्पादित आय में प्राप्त होने वाले भाग का अध्ययन करता है। चूंकि भूमि, थम पूजी और संगठन को मिन-मिन आय प्राप्त होती है इसलिए इनमें स्वामियों की आय भी मिन-

होती है। इन प्रकार आप वा त्रिभास्त्र वितरण धन के वितरण में वैयक्तिक अमानना उत्पन्न करता है।

व्यक्तिगत आय के वितरण को निर्वाचित करने वाले तत्त्व

आप वितरण का अध्ययन उम जारणा वा व्याप्ति करने न महावता प्रदान करना है जो अमानना का बटान है। वा वाधागम्भूत व्यक्तिगत तथा मामादिक दायण है जो व्यक्तिगत आय में अमानना उत्पन्न करता है। जिस अर्थव्यवस्था में आय के भुग्त वो तो उत्पादक नाप्रका वो उनकी उत्पन्न उत्तराओं के विकाय के उत्पन्न में मिलन बाता पुरन्वार होता है वहा अमानना विन्म झाराओं में बढ़ती है।

(क) व्यक्तियों में वैयक्तिक प्रबोलता के सूच्य में अन्तर; चन्द्रिक वो एक अभिनदी पृष्ठ खार्ड खोदन वाले दो तुनना में अधिक आय प्राप्त करती है क्योंकि उनके बौगल वा मूल्य ऊपर है। जिन वार्षी म उच्च प्रजामनिक और अंतिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जिनम उत्तरदायिक अधिक होता है, और जिन के लिए विशिष्ट युगों एव प्रतिभा की आवश्यकता होती है, उनम जब बेतन मिलत है। ऐसे पद कुछ ही व्यक्तियों को मिलते हैं। दूसरी ओर अन्तर घटे ऐसे होते हैं जिनके अपनाने के लिए हिसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे काये सभी वो यों के लिए खुले रहते हैं। इसनिए इनमें बेतन वा मिलता है। व्यक्तिगत वितरण में अमानना को प्रोत्साहित करने वाले दो तत्त्व होते हैं वे हैं आनुबंधिता तथा पर्यावरण। क्योंकि यह सभी अनुप्यों के लिए समान नहीं होता। इसनिए यह स्वामादिक है कि ऐसे अतर आय की अमाननताओं को उत्पन्न करते।

(ख) व्यक्तियों के स्वामित्व में आय उत्पन्न करने वाली सपत्ति में अंतर जनेरिका में राजनीतर, फोर्डस तथा ड्यूपोनेट्स और भारत में टाटा तथा विडो इत्यादि के उत्तराधिकारियों की आय इसलिए अधिक है कि उनके पास आय उत्पन्न करने वाली सपत्ति अधिक है। टाजिक ने इस सवध में लिखा है, 'यह प्रथा उम आय की स्थिरता की व्याप्ति करती है जो पूँजी, नूपि तथा सभी प्रकार की आय देन वाली नपतियों से प्राप्त होती है और इन प्रकार कुमूद तथा निर्वन व्यक्तियों के मध्य निरतर वनी रहन वाली खार्ड की व्यवस्था करती है'।¹

उत्तराधिकारी तो देवल इस घटना भाव से बड़ी सपत्ति के मानिक ही जात है क्योंकि उन्होंने एक घनी परिचार म जन्म लिया है, यद्यपि उन्हें उम सुरति के जुगाने में जोई परिश्रम नहीं लिया। इन प्रकार उत्तराधिकारी की प्रथा इन अमाननताओं को स्थिर करन तथा बढ़ाने का मुख्य माध्यन है।

1 Tawssig Principles of Economics, Vol. II, p. 293

(ग) अवसरों की असमानता । आय तथा धन के वितरण की विषमता को बढ़ाने वाला भीमरा कारण अवसरों की असमानता है । कुछ लोगों को उन परिस्थितियों में जिनमें वे रहते हैं, ममान लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त नहीं होती । जिन लोगों का जन्म समृद्ध परिवार में होता है उनके जीवन का आरभ अच्छी शिक्षा परिक्षण तथा उच्च बोटि के सामाजिक सम्पर्क से होता है । इसके अतिरिक्त इन युवकों को पैदृक सपत्ति की सुविधा भी प्राप्त होती है जिसमें वे अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं । परंतु जो व्यक्ति दुर्भाग्यश निर्धन परिवारों में जन्म नेते हैं, उन्हें उचित शिक्षा के अभाव में प्रशासनीय पर्दों पर पहुँचने में कठिनाई उत्पन्न होती है । इन लोगों की कोई पैन्टिक सपत्ति भी प्राप्त नहीं होती जो किसी निजी व्यवसाय के चलाने के लिए पूजी उपलब्ध कर नके । अवसरों की ऐसी असमानताएँ ही आय की भारी असमानताओं को उत्पन्न करती हैं । आर्थिक असमानताएँ अवसरों की असमानताएँ उत्पन्न करती हैं और अवसरों की असमानताएँ पुनर्नायिक स्तर में असमानताएँ उत्पन्न करती हैं । टोनी ने अपनी पुस्तक में इस कुचक्का का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है । 'वर्तमान समाज में अवसरों एवं कारों के अनुपार ही धन का वितरण किया जाता है और अवसर जहां अग्रन मनुष्य के गुणों तथा उनकी शक्ति पर निर्भर है वहां उसमें भी अधिक वह जन्मोपरान नामांकित स्थिति पर प्राप्त शिक्षा व पैदृक धन पर और एक शब्द में वहां जाए तो सपत्ति पर निर्भर होता है' एक निर्धन व्यक्ति का पुत्र तो अपने गुणों तथा बुद्धि में अवसर उत्पन्न करता है जबकि एक अपने घनी व्यक्ति पर ये अवसर थोड़े जाते हैं । इस प्रकार अवसरों की असमानता आय और धन के वितरण को विषमता के लिए आशिक रूप से उत्तरदायी है ।

आय की असमानता के परिणाम

आय की असमानता समाज में लोगों के रहन सहन के स्तर में विषमता उत्पन्न कर देती है । कुछ धनी व्यक्ति विनासितपूर्ण जीवन युजारते हैं तो अधिकारण व्यक्ति निर्धनता की गति में अपना जीवन बमर करते हैं । जिन देशों में धन के वितरण में असमानता होती है वहां प्रचुरता के बीच भारी निर्धनता रहती है । निर्धनों का असतोष एक इन भयकर और हिमात्मक रूप धारण कर नेता है और इन्हें भी आग को प्रज्वलित करता है ।

इसके अतिरिक्त धनी वर्ग में 'भिन्न रहन की इच्छा' अर्थात् 'दिवावटी उपभोग' की इच्छा प्रवृत्त होती है जो प्रतियोगी व्यय का रूप धारण करती है और उपभोग में अपव्यय बढ़ जाता है ।

आय की असमानता मध्यम एवं अधिक वर्ग में आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न करती है । औद्योगिक मक्की बाल में एक सफल व्यापारी अमाद बारोवार को अस्थाई रूप से बद करने के लिए बाध्य हो सकता है परंतु उसके रहन-महूल के स्तर में

बोई परिवर्तन नहीं आता है लेकिन अवश्याद बात में प्रमित, जिसे रोजगार ही समाप्त हो जाते हैं, अपने बाप को अमहाप अवस्था में पात है।

धन एव वाय का अमानव वितरण जैकिन अवसरों न अमानवा उत्पन्न करता है जो अतिम इष्ट में आर्थिक असमानता को जन्म देता है। इसका ऐसा चलेकरनीय परिपाल यह होता है कि घोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक एव राजनीतिक शक्ति देंट्रिट हो जाती है जिसके प्रभावरूप में लोग देश पर आसन करते हैं, देश की नीति का निर्देशन करते हैं और अपने व्याधों की पूति के लिए निष्ठानों का शोषण करते हैं। यही बारण है कि वाय की विषभवा को पूजीवाद का बीम-शाय स्वीकार निया गया है, जिस द्वारा तो पूर्णतया नमाप्त करना होता दा इसमें जहा तक गम्भीर हो कर्नी करनी होगी।

आय तथा संपत्ति के वितरण में नुधार के उपाय

हम सक्षित में उन तत्काल तथा रोहियों की विवेचना कर चुके हैं जो व्यक्तिगत वाय को निर्धारित करते हैं। ये ही तत्काल और रीतिहास वाय तथा सुपनि के पुनर्वितरण के लिए दीन मौनिक यत्र अनाजों को मुकाबी हैं। इनका सर्वन नीचे किया गया है।

(1) समाधन स्वामित्व के प्राप्ति में परिवर्तन

सोत स्वामित्व के प्राप्ति को हम मुद्दत मृत्यु कर तथा उपहार कर नगा कर बदल सकते हैं। इसी व्यक्ति के पास किसी वाय उत्पन्न करने वाली सुपत्ति है उसको परिमित करते हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह युक्ति साधारणत समाजवादी उरकारों के द्वाया अपनाई जाती है। ऐसी उरकारें वाय उपर्यागत सपत्ति के स्वामित्व कटूता के साथ नीचित हो नहीं करती अपितु ऐसे सोतों को स्वयं अपन स्वामित्व के अधीन लातार उनसे उत्पन्न वाय को सामाजिक लाभाग द्वारा वितरित कर देती हैं।

मृत्युकर द्वारा समानवा को शाप्त बन्ने वा छेद्य वह पराजित हो जाता है जहा इस कर से बचन के लिए सपत्ति धारक अपने समावित उत्तराधिकारियों को मृत्यु की समावना ने काफी समय पहले अपनी सपत्ति उपहार के इष्ट में देते हैं। सपत्तियों का इस प्रकार ने हस्तातरण वसीयतनामे वे क्रम में होने वाले हन्तातरण से भिन्न नहीं माना जा सकता। इन्हिए मृत्युकर के जिगाओं को निष्क्रिय करने के लिए उपहार कर वादगत समझ गया है।

मृत्युकर के विश्वद वारोचक्षों का यह कहना है कि यह कर निवी सपत्ति के प्राप्तिकर अधिकार में हमलेप करता है तथा व्यक्ति के वायं करन तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। फरस्वरूप पूजी निर्माण तथा राष्ट्रीय

अब दोनों ही बम हो जाते हैं। परन्तु ये आलोचनाएँ ठोस प्रतीत नहीं होती। प्रथम भारण यह है कि निजी सपत्ति के तथारवित 'प्राहृतिर' अधिकार को बत्याणभागी राज्यों में कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती। द्वितीय सपत्ति को बेबन कुछ भी मालाओं के भीतर तथा कुछ निश्चित दायित्वों एवं अधिकारों के माध्यम स्वीकृत रिया जाता है।

मृत्युज्ञर तथा उपहार पर जो आय उत्पन्न करने वाली सपत्ति के सामिक्षणिक सप्रह दो वितरित बरसे के अभिप्राय से लगाए जाते हैं, मूल्या को बहुत कम प्रभावित करते हैं। इसलिए योता के आवटन पर इन्हाँ और विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही यह कहा गया कोई व्यक्ति प्रति वा सप्रह अपने उत्तराधिकारियों के लिए ही करता है, ठीक नहीं है। इसलिए विसी भी व्यक्ति की यह जान-खारी गिरो द्वारा उसकी सपदा वा एवं वडा अथ उसके कुटुम्ब से निकल जाएगा, उत्पत्ति के प्रारूप पर यदि कोई प्रभाव डालेगा भी तो बहुत कम होगा। आधुनिक वित्तशास्त्रियों पूर्व जान स्फुआटे मिल जाएंगे कुछ राजसेवीय विशेषज्ञाने भी मृत्यु के ममय सपत्ति के हस्तातरण पर बढ़ोर बर लगाने वा तर्क प्रस्तुत रिया था।

आय की सामेक्षणिक समानता अवसरों की समानता पर भी निर्भर करती है। अवसरों की समानता के मार्ग में सबसे बड़ी वाया निजी सपत्ति की विद्यमानता है जो उत्तराधिकार नियम द्वारा एवं पीढ़ी से दूसरों पीढ़ी को हस्तानेति हो जाती है। जो बालक एवं आर्यिर इटि से सपन्न परिवार में जन्म लेता है, उस बालक को तथार्थ रूप में ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते हैं जिनके द्वारा यह अपनी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक गुणों एवं शमताओं का विकास कर सकता है।

(2) सासाधन मूल्यों के प्रारूप में परिवर्तन

झोत-मूल्यों के प्रारूप में परिवर्तन करने वाय के वितरण को समान बनाने की विचारधारा एवं ऐसी विचारधारा है जो अर्थशास्त्रियों द्वारा कम स्वीकार की जाती है। राजनीतिशास्त्र में यह विचारधारा सामेक्षणिक रूप में अधिक लोकप्रिय है। न्यूनतम मजदूरी विधान, दृष्टि उत्पादन के लिए समता मूल्य इत्यादि, वास्तव में गोतों के मूल्य के परिवर्तन की ही मुक्तिया है जिनके द्वारा वैयक्तिक आय के वितरण को परिवर्तित किया जाता है। न्यूनतम वेनन समान वायों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में विभेदात्मक नीति के प्रयोग की न्यूनतम बरता है। यदि न्यूनतम वेनन को धृत ऊने ह तर पर निर्धारित बर दिया जाता है तो उससे कम वे उस आवटन के विकृत होने की समावना हो जाती है जो उत्तम उत्पादन प्रारूप को बनाए रखने में महायन होता है। इसी प्रसार कृषि पदायों के मूल्या की समता कुछ बग्नुआ वे उत्पादन दो बड़ाने में प्रो-माहन दे सकती है तथा कुछ बस्तुआ वे उत्पादन दो कम बर सकती है वयोऽसि सपना स्वयं ऐतिहासिक मूल्य गवयों पर आधारित होती है जो मात्र तथा लागत में परिवर्तन होने के करण बहुत पहले ही अव्यावहारित मिहू हो चुकी है।

नामान्वय खोल-मूल्यों के परिवर्तन प्रतिक्रिया उपभोक्ताओं पर आपारित लोतों के आवटन व हम्मेशे बरत है। यह रीति विनरण की अधिक भाषान दर्शाते हैं कि इस विश्वासनीय नहीं कही जा सकती। यह अन्ति जिसके पास ऐसे खोन अधिक हैं जिनके मूल्य बढ़ा दिए गए हैं उन अक्षियों की तुड़ना में अच्छी नियति में लग जाते हैं जिनके पास एन कोन दृश्य रस है। इसन लक्ष्य ही जाता है कि जब तक जची आप अवित बरन आप अतियों ना लोतों के उपरक्ष्य दिए गए मूल्य नीची आप अजित बरने वाले अक्षियों के बैन ही लोतों के उपरक्ष्य ने दिए गए मूल्य रस नहीं होगे और आप व विनरण में नमानता नहीं आ सकेंगी।

(3) आप के आकार पर प्रत्यक्ष कायदाही

आप तथा उपर्याके विनरण में समानता लाने वाला यह तीनरा चराय अपित उपर्योगी मिठ डूबा है जोनि इस उद्देश्य की प्राप्ति साकारित नीति के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रतिकूल प्रभाव दृश्य रस आती है। ऐसे कर्तों दो जो आपारित मूल्यों को विना अधिक परिवर्तित किए आप के विनरण में ऐन्जुर मुमानता लासकते हैं, प्राप्तिक्रिया दर्शाती चाहिए। जो असमानताएं नपति के बरन उपरक्ष्य होती हैं उन्हें उत्तराधिकार वर द्वारा दूर निया जा सकता है। परन्तु जो असमानताएं परिष्यमित के बरतों के बारण उपरक्ष्य होती हैं वहा उत्तराधिकार अधिक गार्दन गिर्द नहीं होता। वहा समानता लाने के किए आपकर जो उपर्योग किया जाता है। एक अपित आरोही आप कर यदि मही रूप में लागू किया जाए तो वह असमानताओं जो दूर बरने में आपकर अपित आप के विनरण की असमानता जो दो रीतियों में घटाने में असार होता है (क) यह कर चानु प्रयोज्य आप की असमानता जो घटाता है नया (ख) यह बृहत भाला में दून के बैंद्रीयवरण की सभावनाओं की रस बरता है।

आप कर दर्तों की थेटिया इस प्रकार में अवस्थित होती चाहिए कि अनाजित आप कर दर्तों की थेटिया इस प्रकार में आप आती है जो उपति के अवस्थित ने प्राप्त होती है। दूसरी ओर ऐसी आप जो परिष्यम द्वारा उपरक्ष्य की जाती है, जैसे मजदूरी तथा वेतन के साथ उदासता वा अवहार बरना चाहिए। उभी देतों में आप कर का अधिकारित उपर्योग के बरन इनलिए नहीं किया जाता कि वे मरकार की आप प्राप्त बरने हैं अपितु इच्छिए भी किया जाता है कि वे असमानता की समस्या वा समाजान भी करत हैं।

अक्षियाँ आपकर का दिरोध मुख्यत इस आधार पर किया जाता है कि मह कार्य बरने नया बचत बरने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव ढालता है और अतोतोत्वा राष्ट्रीय आप के कार्य की दिरोधी प्रभाव ढालता है। सास्तव में सूजी के निर्माण में देश का प्रदेश नामित समान रस अवश्यान नहीं देता। सूजी निर्माण

वा वाय समाज के चुने हुए धनी व्यक्तियों के द्वारा ही होता है जिनके पास बचत बरने की योग्यता होनी है। परन्तु विरोधी वय आय के कराधान के बेबल एवं पद्धति को ही सेफर छलते हैं। व सरकार के व्यय करने की नीति की प्रतिशिया वो पूर्णत भूल जाते हैं। सरकारी व्यय भी आय के वितरण को प्रायः रूप में प्रभावित करता है।

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि आरोही आवकर को आय के पुनर्वितरण के एक यक्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है दूसरी ओर इस कर म प्राप्त आय को व्यय करने की क्रिया आय के वितरण को प्रभावित करती है। पर्याप्त पौष्टिक आहार स्वास्थ्य आवास इत्यादि पर यह गए व्यय असमानता को कम करने में सहायता देते हैं। अन्य प्रकार के व्यय विशेष रूप से राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए व्याज असमानता बढ़ाते हैं। थोड़े एवं ग्राउनली वे शब्दों म आय के आवकर पर प्रायः कायबाही का प्रयोग लाभ यह है कि यह आय प्राप्तवर्तीओं को पुनर्वितरण कर्त्रीय आधार न मानकर आय के आवकर को स्वयं बनाने वा प्रयोग करता है।¹

¹ O H Brownlee Economics of Public Finance (1960) The World Press Private Ltd Calcutta p 176

स्थानीय संस्थाओं की वित्त व्यवस्था

भारतवर्ष में स्थानीय शासन सम्पाद अति प्राचीन बाल में विद्यमान हैं। औदृ जातक चथाओं, रौटिल्य के वर्णग्रन्थ तथा खीनी वाकियों से नसाम एवं दाह्यान की याक्षा-कथाओं में इनकी महत्ता ज्ञ विग्रह वर्णन निलंग है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय सम्पादों के इन करन में इन विप्रेश्वीहुए व्यवस्था का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परन्तु मुख्यमन्त्री के प्रारम्भ होने से स्थायत्त शासन सम्पादों का महत्व हिंदू धारा की योजा कर हो गया। वह कर्म अधिकारियों के द्वारा नामांतरणार्थी का प्रतीक रहा है। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्वायत्त सम्पादों का महत्व निश्चिर ही कर हो गया है।

त्रिपुरा बाल में ही जिना अधिकारियों की नुस्खा एवं नुविधा हेतु उन सम्पादों की व्यवस्था करता आवश्यक सुमझकर स्थानीय वित्त की महत्व देने को बात प्रारम्भ हो गई। कान्तव में सहै रिपन वा नन् 1882 का प्रस्ताव वर्तमान स्थानीय शासन वित्त व्यवस्था की आधारशिला बही जा मरती है। प्रथम बार स्थानीय वित्त व्यवस्था वो नन् 1919 के अधिनियम में स्थान नियम बोर उनमें टोल टैक्स, भूमि वर, भवन वर, पनु वर, चुगी, यात्री वर, वृत्ति वर, नियो बाजार में वर, जल कर, नफाई वर, प्रबाल वर आदि का प्राविधान दिया गया।

नन् 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रार्थों औ स्वायत्तवा प्रदान की गई और वह आगत की गई विप्राचीय गरकारे अपने वर के शेष में स्थानीय शासन सम्पादों की अधिक वर प्रदान करेंगी। परन्तु इस सबव ये और प्रभावशाली वरन नहीं ठड़ाए गए। ये शासन सम्पाद वर भी योग्यताविक्षण प्रभावों से दूर हैं तथा नुस्खार वा इन पर अधिकरण बहुत है। इनके बहुत में अविद्यारोक्त नहीं होनी कि उनकी नीजूर्गी वरदान निष्ठ होने के स्थान पर अनिश्चान निष्ठ हृदय है। ये सम्पाद स्थानीय सम्पादों की मुक्तजाने में असमर्थ नहीं हैं और अवाधनीर उस्त्रों के हाथ विनोना दबो रही है।

स्थानीय संस्थाओं के आय के स्रोत

रत्वर्पं में स्थानीय संस्थाओं के आय प्राप्ति के स्रोतों पर दो रूप में अध्ययन या जा सकता है।

(1) वर स्रोत

(2) गैर वर स्रोत

वर स्रोतों पर साधन सम्मिलित रिए जाते हैं (अ) स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए गए वर तथा (ब) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए तथा एकत्रित रिए वरों में से स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त होने वाला हिस्सा।

गैर वर स्रोतों ने निम्न साधनों को सम्मिलित किया जाता है (अ) व्यारिंग उपकरणों में आय, (ब) अनुदान तथा (स) शृण तथा उपदान।

स्थानीय संस्थाओं की आय वा वर ही प्रमुख स्रोत है। नगरपालिकाएँ नीय आय वा 68 प्रतिशत व बोर्ड 32 प्रतिशत इस मद से प्राप्त वरती हैं। स्थानीय संस्थाएँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के वरा में आय प्राप्त करती हैं। यथा कर

प्राप्ति करनी श्रेणी में निम्न वरा का मतावेश होता है।

(1) सपति कर नगरपालिकाएँ अपनी गोमा के भीतर मरानों तथा मया के स्वामियों पर सपति वर लगाती है, यह वर नगरपालिकाओं की आय एक स्रोत है। सिराएँ के मरनों पर लगाए जाने वाले वरों के भार की मरान स्थामी विवरण श्री त्रिशा के द्वारा सिराएँदारों से वर्णन वरता है। ये वर सपति भूमि के मान के बादिर मूल्य के आधार पर लगाता जाता है।

इस वर के लगाने से राज्यों को निम्न आय प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुई है जिन तालिका से स्पष्ट है।

बगाल	82	प्रतिशत
बसम	78	"
विहार व उडीगा	77	"
मद्राम	47	"
बर्द	46	"

वरारोपण जाते आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि 1952-53 में 523 वरी आय नगरपालिकाओं को प्राप्त हुई थी। आयोग ने यह भी परामर्श दिया था कि दूसरी जमीनों को वर मुक्त रखा जाए।

(2) हैसियत वर : यह वर व्यक्ति के मान के अन्य सपति पर अधिकारों से होने वाली आय पर लगाया जाता है। इस वर को लगाने में व्यक्ति

की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाना है। ऐसियत पर कर वास्तुव में लोगों के बार्थिक अक्षिन्द पर कर होना है। यह कर उत्तरप्रदेश, बगाव, जनन, उड़ीसा तथा विहार की स्थानीय सम्प्रभावों द्वारा बहून दिया जाता है।

(3) धार्म शुल्क : जिना परिपद नदी के पुन, घाट तानादो, नड़ों आदि पर भहगून नगाती है। नदी के घाट और पुनों के छोड़े देवर यह कर बहून दिया जाता है। जिने वी सीमा के भीतर में नदा प्रदर्जिनी आदि पर भी यह मट्टून पर नगाया जाता है। यह कर दो हजारों में दिखाया है। याची कर, जो कि प्रन्त्रेश स्थान पर प्रन्त्रेक यादी में निया जा सकता है, तथा तीर्थकर जो कि तीर्थ स्थानों पर याता करने वालों से बहून दिया जाता है।

इन कर के बारे में बरारोपण जाव लायोग वा बहना है कि यह कर तुरन्त ही नमाम वर दिया जाना चाहिए तथा अगर यह नगाया भी जाना है तो यह 5 लाख की नपति में उपर की नपति पर बहून दिया जाना चाहिए।

(4) गाड़ियों पर कर : यह कर नाइसेन की पहुँचि का होना है जो प्रति वर्ष या छ माह में या तीन माह में गाड़िया मोटर लादो, ताला, इवरा, रिक्षा नाईसिन, बैनगाडी आदि पर लिया जाता है। बरारोपण जाव लायोग वा उन कर बारे में बहना है कि मोटरकार की जाव प्रतिदिन बहने जाने के बारण स्थानीय नंतरायों को मुजावजे की निश्चित राशि के स्थान पर कर की जाय जो कुछ बहुपात मिलता चाहिए।

(5) व्यावसायिक कर : यह कर एक ही प्रकार वा पेशा या व्यवसाय करने वाले अक्षियों में नाइसेन के स्पष्ट में बहून दिया जाता है तथा विभिन्न व्यवसायों पर विभिन्न दरों में नगाया जाता है।

(6) संरक्षित हस्तांतरण पर कर : यह कर नपति के चार्पित मूल्य के बाधार पर संगाया जाना है। इस कर को मद्रास बारोपोरेशन व कलबत्ता विकास द्रुस्त ने लागू कर रखा है।

(7) बाजार कर : यह कर विश्वी कर में मिलता-बहुत है। इसको मध्य प्रदेश की स्थानीय सम्पादन लगाती है।

(8) तह बाजारी कर : यह कर जस्थाई बाजारों, शहरों तथा हाटों में दुकान नगाने वाले व्यापारियों ने दिया जाता है। इसे नगरपालिका के कर्मचारी, हाट में जाकर बहून करते हैं।

(9) धोबी कर : यह कर बबई राज्य के धोबियों पर लगाया जाता है। इस कर को लगाने के पश्च में यह कर दिया जाता है कि धोबी नदियों आदि में अनियिक नाम प्राप्त करते हैं। नदी को गोदा करते हैं। अतः ऐसे स्थानों की नपाई बहाने के लिए यह कर लगाना आवश्यक है।

अप्रत्यक्ष कर :

अप्रत्यक्ष वरों में भी स्थानीय स्थाएँ आप प्राप्त करती हैं। कुछ अनन्यक
कर जो ये संस्थाएँ लगाती हैं, निम्नांकित हैं

चूगी कर : यह नगरपालिकाओं की आय का सबमें महत्वपूर्ण मापदण्ड है। चूगी
नगर पालिका की सीमा के भीतर बाहर में आने वाली वस्तुओं पर लगाई जाती है।
सामान्यतः इस कर का मूल्यांकन मूल्य के अनुमार होता है। सामान्यतः नगरपालि-
काओं को सभी प्रवार के वरों में प्राप्त होने वाली आय का आधे में अधिक भाग
इस प्रवारमें प्राप्त होता है। इस कर के निम्न गुण हैं

(1) यह कर प्रतिगामी होता है अतः इसका भार निर्धन वर्ग पर अधिक
पड़ता है।

(2) यह कर वेतोव होता है, इससे आप वरारोपण की दर में वृद्धि के
अनुपात में नहीं बढ़ती।

(3) इस कर में प्राप्त होने वाली आय निश्चिन नहीं होती है।

(4) यह कर मितव्ययी नहीं होता क्योंकि इसकी वसूली में बरदाता की
वहून अमुविधा होती है क्योंकि प्राप्त नगरपालिका की सीमा पर यात्रियों को मान
की तलासी देनी होती है।

वरारोपण जात्वा आयोग ने इस कर के मुद्घार के लिए निम्नलिखित गुप्ताव
दिए हैं

(1) कर वजन के आधार पर लगाना चाहिए, मूल्य के आधार पर नहीं।

(2) प्रत्येक राज्य में ऐसी वस्तुओं की मूल्य यनानी चाहिए जिन पर यह
कर लगाया जाए।

(3) नगरपालिकाओं को कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों पर ममुचित
नियशण रखना चाहिए।

सीमात कर : यह कर नगरपालिका की सीमा में रेल द्वारा आने वाले
मान पर लगाया जाता है। इस कर को रेल विभाग नगरपालिकाओं के लिए वसूल
पारता है। यह कर भी चूगी की भाँति परोक्ष कर होता है और इसका भार निर्धन
वर्ग पर अधिक पड़ता है। इस कर में कुछ गुण हैं: प्रथम, इसमें यात्री मान की
तसाक्षी आदि के हाफ्ट में बच जाने हैं। द्वितीय, वस्तुओं के मूल्यांकन और कर लोटाने
की अमुविधा नहीं होती। तृतीय, कर का आधार स्थानीय पूर्ण होता है क्योंकि रेल
वस्तुओं के अपने वर्गीकरण के अनुमार ही कर वसूल करती है।

कर इतर आय

(अ) स्थानीक उपकरणों से आय : स्थानीय मस्थाओं को कर के अनिरिक्त

न्यासार्थि उपकरणों से भी जाय प्राप्त होती है। भाग्य में न्यासीय सम्पादकों ने इस स्रोत का अधिक महत्व नहीं मनजा है परीर दृष्टि उस जाय इन नाइट्स में प्राप्त होती है। इसमें निम्न भाषण है-

(1) पानी व दिल्ली प्रदान बरता : भाग्य में बहिराम नवरपालिचा देने वा पानी प्रदान करती है तथा नीटर नगर बर उपकर (बर्फील उपकरों का तिना पानी वा इन्सेपाल करते हैं इसी के अनुभाव) बर लेनी है। नवरपालिचा दिल्ली राज्य भरवार से लेफर उपकरों को सम्बाट लेनी है तथा इस पर भाग्य प्राप्त करती है।

(2) छताई धर : न्यासीय गैंडाएँ प्रयेक न्यास धर जानवरों को नहीं मारते देनी है। वह इनके लिए पूर्व न्यास निश्चित बर देती है तथा इन स्थान पर प्रयोग करने वाले न बिश्वास प्राप्त रिया जाता है।

(3) यातापाल व विराट से प्राप्ति : नवरपालिचा अपनी उड़ान, यज्ञ तथा यातापाल के माध्यमों कार्य से विश्वास बनूल करती है।

गैर कर न्योत आय अनुदान

न्यासीय सम्पादकों हो राज्य भरवारे अनुदान देनी है। निहनी दैव के अनुभार बार जागरण पर न्यासीय सम्पादकों ने लिए नहाय अनुदानों के लाभान्व छहराया है:-

(1) बहादर अनुदान विभिन्न न्यासीय सम्पादकों के दिल्लीय भार को इन नामांकों की रोपनक के लिए आवश्यक है।

(2) बाबर भरवार द्वारा न्यासीय सम्पादकों के इवांश में लुगल्हा और निकल अविभा जाने के लिए दिए जाने वाले प्रस्तुत नौ तथा राज्य नामांक इन सम्पादकों की आवोचना का नहाय अनुदान बन प्रदान करना है।

(3) नहायक अनुदानों ना भरहत इसीलिए भी ही कर्माचारी न्यासीय सम्पादकों को ऐसी व्यावहारिक रूपी प्रदान करते हैं जो विश्वरी अनुभाव के लिए आवश्यक है और जिनके द्वारा वे लगते जानन प्रबन्ध में विश्वाननदन द्वारा तिर्योरित भाजाय नीति की विश्वानित बरते हैं अनुभवों कुहिनानी और दिनृत दृष्टिक्षेप में बास ले सकती है।

(4) जैं में गहाय अनुदानों के द्वारा ही न्यासीय देवामों में राष्ट्रीय सूनतम कुशरता उत्पन्न हो सकती है जो विश्वासीद हित के लिए है इसके अवश्यक है।

भारत में यह अनुदान राज्य नववर्ती द्वारा दिए जाते हैं तथा दी प्रकार के होते हैं (१) आवर्ती अनुदान, (२) अनावर्ती अनुदान। इन अनुदानों का अधिकार भाग लिखा, न्यासीय आौद को ही प्राप्त होता है।

(स) ऋण तथा उपदान

गदी बस्तियों की सफाई, जल पूर्ति व नालियों की व्यवस्था आदि बाधों के बे लिए नगरपालिकाओं को ऋण व उपदान लेने पड़ते हैं, परन्तु इन संस्थाओं की सामूहिक ऊची न होने वे कारण इन्हें सख्तता में ऋण प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अत राज्य मरकारों द्वारा इन ऋणों की गारटी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि ये ऋण इन संस्थाओं के लिए अपर्याप्त हो तो स्वयं उनको रूपया उधार दे तथा उपदान दें।

स्थानीय संस्थाओं के व्यय

जिन मदों पर स्थानीय संस्थाएं व्यय बरती हैं वे निम्न हैं :

(1) प्रशासन और कर वसूली अभियान पर व्यय : नगरपालिकाओं को चुनाव, भीटिंग तथा वार्डिय पन भारी व्यय करना होता है। इसके अलावा करों की वसूली बरने के लिए प्रशासन को अधिक विस्तार करना पड़ता है तथा उम पर व्यय करना पड़ता है।

(2) शिक्षा : शिक्षा स्थानीय संस्थाओं का व्यय एक प्रमुख भेद है। य संस्थाएं निशुल्क प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल चलाना नगरपालिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इन पर नगरपालिकाएँ काफी व्यय करती हैं। कुछ नगरपालिकाएँ जूनियर हाई स्कूल तथा इटर कालिज भी चलाती हैं।

(3) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा : नगरपालिकाएँ व जिला बोर्ड नि शुल्क चिकित्सा के लिए अस्पताल वी व्यवस्था करती हैं। सत्रामड़ रोगों जैसे चैचव, हैंजा, प्लेग आदि की रोकथाम के लिए टीके लगाना, मच्छरों और अन्य कीड़े-मकोड़े मारने के लिए डी० ही० टी० डी० लिडक्वाना तथा याजार में खानेनीने की घंबुजी जाने वाली वस्तुओं की स्वच्छता एवं शुद्धता की देखभाल रखना भी इन संस्थाओं का कार्य है जिस पर व्यय करना इनका भर्ज है।

(4) सफाई : ये संस्थाएँ भीमा वे भीतर सहरों तथा नालियों की सफाई की व्यवस्था करना, सहरों की मरम्मत करनां आदि मदों पर व्यय करना आवश्यक है तथा इसको यह संस्थाएँ करती हैं।

(5) प्रशासन : सीमा वे भीतर यह संस्थाएँ राति वे समय महरों व मोहलों में प्रशासन की व्यवस्था करना भी इनका उत्तरदायित्व है।

(6) पीने योग्य जल की व्यवस्था : पीने योग्य जल की व्यवस्था करना इन संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये भस्थाएँ कुओं का निर्माण, नगर में स्थानन्यान पर प्याज घरों की व्यवस्था, पानी एवं निति करने वाली टक्की का

निर्माण उपया पानी की सम्पादन, बाटर वर्ष्यु लाइ पर व्यवहरण करना भी इन सम्पादनों का वार्ष्य है।

(7) सार्वजनिक नियर्माण वार्ष्यः नगर औ सेवा के बदल मत्तू, उदान, व्यापारगाना, सहजों के सहारे पेंच जगाना लाइ या निर्माण भी चरकारी है जिन पर इन सम्पादनों को विशेष व्यवहरण है।

स्थानीय नंस्याओं की वित्तीय समस्याएँ

भारतीय स्थानीय सम्पादनों के कार्यों को दीप्तिरुप रखते हुए, वह अब जा नकरा है कि इनके काम के स्रोत बदल देन है। इन सुदर्शन ने डा० ब्राह्मनद जा विचार दल्लेवनीय है। इनके अनुनार 'भारत में स्थानीय सम्पादनों के साइरों की निर्धनना भली भारि जात है और स्थानीय वित्त भी जुनम्या जा निवेदन व्यवहरण पर इस पर दल देने वी गानद ही कोई व्यावधान नहीं है'।¹ स्थानीय सम्पादनों ने अपने कार्यों के जुपन करने के लिए राज्य भरवारों पर नियंत्रण सूक्ष्म पश्चात्। राज्य भरवारों ने जो वित्तीय ज्ञानपत्र इन्हें नियमी है वह भी इनके कार्यों के सरोदरजनक रूप से पूरा करने के लिए अपयोग होती है, परियानन्दराज भारतीय स्थानीय सुस्थाएँ जो लिवर ट्रूस्ट द्वारा भारि विविधाधिक नियमीय भाग के लिए निर्देश हाथ फैलाए रखती है।²

स्थानीय सम्पादनों की वित्तीय समस्याएँ नियंत्रण विविध भागों के उत्तमता है:

(1) स्थानीय सम्पादनों के कार्यों में वृद्धि

भारतीय अधिनियम 1935 के पारित हो जाने के पश्चात् इन सम्पादनों के कार्यों में नियंत्रण वृद्धि होती जा रही है। स्वतंत्रता के द्वारा ने इन सम्पादनों के कार्यों पर प्रशाननिक भारा बढ़ना लगा जा रहा है। पूर्यने कार्यों में वृद्धि के माध्यम से व्यवहार कुछ नए कार्य भी वर्ते पड़ते हैं। ऐसे कार्यों जो विविध विवेत हैं वे ही सम्पद कार्य नगरपालिकाओं द्वारा पूरा वरदाना काहते हैं। छद्म व्यापिल उन्हें घरों के सामने के दृश्यों की घटाई, द्वानी पहे प्लाई में खड़ी उड़ानों व्यवहार, योग्यता व्यवहार, सार्वजनिक योग्यता व्यवहार, गोक्ष-नृत्य या प्रदर्श आदि भी उन्हें — कार्य जिन्हें वे न्यव पूरा किया चाहते थे वे छद्म स्थानीय सम्पादनों द्वारा पूरा वरदान काहते हैं।

1 Dr Govind Chund. Local Finance in India (1947), Kharhettan, Ahmedabad, p. 47.

2 Dr K.S. Sharma - Institutional Structure of Capital Markets in India, (1969), Sterling Publishers, N. Delhi, p. 36.

इन बहुत हुए कार्यों को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं के जो शक्ति और अधिकार यहाएँ गए हैं, वे दबल भेदातिक महस्त्र ही रखते हैं। उनका आवहारित महत्व बहुत कम है।

एक अनुमान के अनुसार नगरपालिकाओं की प्रतिष्ठक्ति आय 776 रुपये वापिक और जिला बोर्डों की 0.86 रु. वापिक है। इनकी कम आय में से सभ्याएँ किस प्रकार विभिन्न मुविधाओं को प्रदान कर सकती हैं यह एक आश्वर्यजनक बात है। इसी बारण ये संस्थाएँ पर्याप्त कल्याणगारी मेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हैं। इन संस्थाओं को अपनी बड़ी हृदय शक्ति और अधिकारों का प्रयोग करने में पूर्व राज्य सरकारों में अनुमति सेनी होनी है।

राज्य गरकार नगरपालिकाओं के इस रद्दोबदल के अवैदन को मान्यता प्रदान करने में सक्षम बरतती है क्योंकि ऐसा करने में इनको सदैव इस थात या भय रहता है कि कही ऐसे रद्दोबदल से उनकी आणिं अवस्था न बिगड़ जाए। इमरिए नगरपालिकाएँ अपनी बड़ी हृदय शक्तियों के द्वारा भी अपनी अधिकार स्थिति को मुद्यारने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इसी सदर्भ मध्ये एल० सी० टड़न ने एक स्मान पर दहा था कि स्थानीय संस्थाओं को जो अधिकार और शक्तियों विना पर्याप्त वित्त के प्रदान कर दी गई हैं। उन संस्थाओं की हुनरा एक ऐसे व्यक्ति से कर मरुत है जिसके शरीर की बृद्धि तो निरन्तर हो रही है परन्तु उसके पास जगीर दबने के लिए पापडे बराबर मिकुड़ने जा रहे हैं।

(2) स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन योग्यता है

राज्य मरकारों ने अपने पास निम्न आय के साधन रखे हैं जो सोचदार हैं: भूमि लगान, कृषि आय कर, सोटर गाड़िया पर कर, मनोरजन कर, गुप्तार-कर इत्यादि। इसके विपरीत स्थानीय संस्थाओं को जो आय के स्रोत दिए गए हैं वे पूर्णतया देवोचदार हैं। उनका ही नहीं, कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो न्यायपूर्वक स्थानीय संस्थाओं को ही मिलने चाहिए थे परन्तु राज्य मरकारों ने उन्हें अपने अधिकार में रखा है, उदाहरणार्थ मनोरजन कर, अचल गणति पर कर, बिक्री कर, होटों और कापों हाउसों पर कर। वाम्तव में साधन स्थानीय संस्थाओं को दिए जाने चाहिए। यही बारण है कि जब इन संस्थाओं को अधिक आय की आवश्यकता होनी है तो इह राज्य मरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहना पूर्णा है।

3) बत्तमान वित्तीय साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं

इन संस्थाओं को आय के साधन प्रशान्त किए गए हैं, उनके अधिकारनम आय प्राप्त करने के लक्ष्यता नहीं रिए गए हैं। ये सभ्याएँ कर निर्धारण करते समय पक्ष-पात में काम लेती हैं। जाता को आनोखनाओं से बचने तथा अपने अधिकारियों की जनता में सोचप्रियता बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं न अपने स्रोतों का पूर्ण

दोहन भी नहीं चिया है। इसके अतिरिक्त प्रजासत्त की अकुशनता, विवेक के अभाव तथा नियन्त्रण की कमी के जारी कर्त्ता की बहुती में टीकापन रहता है। 1948 के स्थानीय सरकारों के मत्रियों के सम्मेलन में उपर्युक्त वर्तमान को निम्न शब्दों में स्वीकार किया गया: 'सम्मेलन इससे सहमत है कि स्थानीय सम्बांधों की आय के लोग अपर्याप्त हैं। यह सम्मेलन यह स्वीकार करता है कि उपलब्ध स्रोतों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तथा कम मूल्यांकन की बुराई सेया कर्त्ता को पूर्ण मान्ना में एकत्र बरने की विफ़ानता विन्दन रूप में खेली हूई है।'

(4) राजनीतिक कारण

करों के बमूल बरने में राजनीतिक दब भी बाधाएँ डालते हैं। ये दब अपने समीर्ण उद्देश्यों को पूरा बरने के लिए बरदाताओं के दिमाग को बिषेला कर देते हैं। इन संस्थानों में राजनीतिक दलों के बाह्यकार पर जुनाव लड़े जाते हैं। 'आज-कल इन सम्बांधों के राजनीतिक दब ऐसे कर्तव्य विनुक्त मात्राओं के समान हैं जो आपने जिशुओं के जोपन की अपेक्षा अपने शृगार में रह रहती हैं।'¹

(5) मूल्यांकन की समस्या

स्थानीय करों की आय वैचल वर्तों की गुणन-किसापर निमंत्र नहीं करती अपितु उनके उचित मूल्यांकन पर भी निमंत्र चाहती है। स्थानीय सम्बांध अपनी निर्धनता के बारण कुनै मूल्यांकन वर्ताओं की मेवा लेने में असमर्थ रहती है। बास्तव में भू सपति का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। बड़े नगरों में यह बास्तव असमर्थ हो जाता है। परिमामस्वेष्ट एक बार का चिया हुआ मूल्यांकन वर्षों तक चलता रहता है। स्वडक्ति के पञ्चाव वर्षों में स्पष्टियों का मूल्यांकन एवं गुआम विकास हुआ है, माय ही इन सपत्तियों के मूल्यों में भी बढ़ि हूई है। एक उचित अवधि के बाद इन सपत्तियों के पुनर्षुल्यांकन न होने के कारण स्थानीय सम्बांधों को पर्याप्त स्थितीय खति बहन बरनी पड़ती है।

स्थितीय स्थिति को सुधारने के उपाय

स्थानीय सम्बांधों की कार्यक्रमान्वयन को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इनकी इस अर्थित 'दसदद' के नियमांग जारी, इन सम्बांधों की पर्याप्त धन, दिन, उनके अधिकारी में बढ़ि बरना, सरदार बल्लभभाई पटेल के शब्दों में, 'चिह्नी मूँ स्वी हो बजाना है।' इननिए इनके बाद के स्रोतों को लोकदार बनाए जाए जिसमें बटने हुए कार्यभाह के व्यव को समाजा जा सके। इन सबध में उपरोक्त जाच आयोग (1953-54) ने मूलाव दिए हैं:

1. राज्य सरकारों को स्थानीय सम्बांधों के लिए लगान के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए।

¹ Dr M K Rastogi, 'Local Finance - Its Theory and Working in India, p 188